पंचदश माला, खंड 17, अंक 9

गुरुवार, 11 अगस्त, 2011
20 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 83
Dated 25 July 2013

सत्यमेव जयते

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 17, आठवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
शहीद खुदीराम बोस की शहादत पर श्रद्धांजलि	1
सदस्यों द्वारा निवेदन	
देश में जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता के बारे में	1-5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 164	5-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 165 से 180	41-97
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070	97-590
सभा पटल पर रखे गए पत्र	591
लोक लेखा समिति	
35वें से 39वां प्रतिवेदन	600-601
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	601
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
98वां प्रतिवेदन	602
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
168वें से 170वां प्रतिवेदन	602
कार्य मंत्रणा समिति	
28वां प्रतिवेदन	602
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	603
(एक) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2009-10 तथा 2010-11) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 7वें और 12वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री सलमान खुर्शीद	603

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(दो) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

श्री अश्विनी कुमार 603-604

नियम 377 के अधीन मामले 630

(एक) उत्तर प्रदेश विशेष रूप से सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत धनराशि का उचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय सिंह 630

(दो) केरल के कोल्लम जिले में मुंदोथुरुयु द्वीप के चहुंमुखी विकास हेतु विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 630-631

(तीन) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 631-632

(चार) रेल दुर्घटनाओं के दौरान मृत्यु अथवा घायल व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम करने के लिए रेल के डिब्बों के भीतर संरक्षा उपाए किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश जोशी 632

(पांच) तमिलनाडु में डिंडीगुल और पलानी नगरों के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 632-633

(छह) आपदा राहत कोष के अंतर्गत अर्हता के लिए पाला और बर्फीली हवाओं को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश चौधरी 633

(सात) आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में भूमिगत जल निकासी योजना और स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के निर्माण हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी 633-634

(आठ) महाराष्ट्र में सूत के लिए लाभकारी मूल्य नियत किए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील 634

(नौ) असम के संवेदनशील और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित होने के दृष्टिगत पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांधों के निर्माण में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेन डेका 634-635

विषय **कॉलम**

(दस) मध्य प्रदेश के बेतुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खिरकिया रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने तथा इस रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ज्योति धुर्वे 635

(ग्यारह) सूरत विमानपत्तन को विकसित किए जाने और देश के सभी बड़े शहरों से सूरत के बेहतर हवाई संपर्क का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना जरदोश 635-636

(बारह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संदीला-बिल्हौर-कछोना नगरपालिका के अंतर्गत रेलवे समपार पर एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 636

(तेरह) जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर एक चिकित्सा संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मिर्जा महबूब बेग 636-637

(चौदह) पश्चिम बंगाल के बलूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 637

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009 637

विचार करने के लिए प्रस्ताव 637

श्री निशिकांत दुबे 637

डॉ. के. एस. राव 648-658

श्री शैलेन्द्र कुमार 658-660

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 660-692

श्री मंगनी लाल मंडल 692-666

श्री ए. सम्पत 666-674

श्री भर्तृहरि महताब 674-675

श्री प्रबोध पांडा 675-677

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 677-681

श्री एस. सेम्मलई 681-682

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 682-684

श्री नरहरि महतो 864-685

श्री एस.एस. रामासुब्बू 685-688

श्री नमोनारायन मीणा 688-694

खंड 2 से 10 तक 694-699

पारित करने के लिए प्रस्ताव 699-701

विषय	कॉलम
मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009	701
विचार करने के लिए प्रस्ताव	701
श्री गुलाम नबी आजाद	701-705
श्री अर्जुन राम मेघवाल	705-712
डॉ. ज्योति मिर्धा	712-718
श्री शैलेन्द्र कुमार	718-722
श्री रमाशंकर राजभर	722-724
श्री विश्व मोहन कुमार	724
डॉ. रत्ना डे	725-727
श्री एस. आर. जेयदुरई	727-728
डॉ. अनुप कुमार साहा	728-730
श्री भर्तृहरि महताब	730-732
श्री अनंत गंगाराम गीते	732-734
डॉ. पी. वेणुगोपाल	734-739
श्री जगदानंद सिंह	739-741
श्री प्रबोध पांडा	741-754
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	755-756
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	756-768
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	769-770
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	769-772

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

शहीद खुदीराम बोस की शहादत पर श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, 103 वर्ष पहले 11 अगस्त, 1908 को खुदीराम बोस मात्र 18 साल की छोटी-सी उम्र में ही राष्ट्र को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए शहीद हो गए।

खुदीराम बोस का यह साहस, निर्भीकता और देशभक्ति हमेशा हमारे देश के नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।

आइए इस अवसर पर, हम सब मिलकर शहीद खुदीराम बोस और राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

अब सदस्यगण शहीदों के सम्मान में मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

देश में जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, आप बोलिए, लेकिन बहुत संक्षेप में कहिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा)**:** अध्यक्ष जी, मैं कई दिनों से नोटिस दे रहा था, इस सदन में बहुत लम्बी बहस हुई है, हम सब लोगों ने जाति जनगणना का मामला पूरे सदन ने आम राय से स्वीकार किया था। लेकिन अभी जो किया जा रहा है, यदि इसको हेड काउण्ट में भी रख देते, तो यह सब हो सकता था, इतना ज्यादा पैसा खर्च करके, हैण्डसेट के साथ और अब इसके तीन हिस्से कर दिए। यह कह दिया कि एक, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, फिर दूसरा करेगी रूरल डेवलपेंट, फिर करेगी अर्बन डेवलपमेंट। अध्यक्ष जी, एक तरह से यह काम कभी होने वाला नहीं है। अफसोस है कि इस देश में आप पेड़, जानवर, पहाड़ आदि सभी का संख्या गिन लेते हैं, हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं, पूरी आम राय से–भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक के लोगों ने–सभी ने आम सहमति से इसे स्वीकार किया, लेकिन अब इसके तीन हिस्से कर दिए गए हैं। बिलो पावर्टी लोगों को उसमें डालने की बात कही गयी है। बिलो पावर्टी लोगों के लिए कमीशन बनाइए, वह कंट्रोवर्सियल मामला है, वह कहीं भी सिरे नहीं चढ़ेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रणब बाबू यहां बैठे हैं, यह सेंसस कमीश्नर का काम है, उसे ही इसे करना चाहिए। आपने सोनिया जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार हम लोगों को इस बारे में कहा है, हम लोग विश्वास में थे, लेकिन इस तरह से इसके खण्ड-खण्ड करके यह कभी होने वाला नहीं है क्योंकि कहीं चुनाव आ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं कुछ और हो जाएगा, इसलिए मेरी विनती है कि यह मामला बहुत गंभीर है।

श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)**:** अध्यक्ष महोदया, यह भी खबर है कि कैबिनेट में भी जातीय आधार जनगणना हो यह सवाल था, यह सही है कि कैबिनेट में भी कुछ लोगों को इस पर एतराज था, लेकिन कैबिनेट ने यह स्वीकार किया कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब आरक्षण हुआ है, तो वह जातिवार हुआ है, फिर इसमें दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जी ने सदन के अन्दर इसके बारे में आश्वसन दे दिया है कि हम जातीय आधार पर जनगणना करेंगे। उसके बाद हमने नेता, सदन से मिलकर प्रार्थना की थी। नेता, सदन भी इस पर सहमत हो गए थे, फिर अब बीच में क्या वजह हो गयी? जब नेता सदन और प्रधान मंत्री जी यह बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस पार्टी में भी किसी का भी विरोध हो सकता है। यह मामला कहां अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है, यह बात हम सदन के अन्दर नेता सदन से जानना चाहते हैं? आप इस पक्ष में हो गए थे आपका हमने विश्वास किया।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड)**:** अध्यक्ष महोदया, 1939 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ। यहां संसद में एक राय हुई कि कास्ट सेंसस

होना चाहिए। जनगणना का काम सेंसस कमिश्नर करता है। यह वादा किया गया था। उसके बाद हम सदन के नेता से मिले थे। उन्होंने कहा था कि सभी पार्टीज से लिखित रूप में मांगेगे। सभी दलों ने लिखित रूप से सरकार को अपनी राय दी थी। उसके बाद कास्ट सेंसस करने का फैसला हुआ। लेकिन आज जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें कास्ट सेंसस नहीं है। सरकार ने एक वादा किया, लेकिन एक्शन दूसरा लिया। राज्य सरकारों को सेंसस करने का कोई अधिकार नहीं है और आप उनसे सेंसस करा रहे हैं। सेंसस कमिश्नर का यह का है और आप रूरल डवलपमेंट विभाग से करा रहे हैं। यह कास्ट सेंसस नहीं है, जानबूझकर यह किया जा रहा है, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मंत्री और अधिकारी चाहते हैं, लेकिन हमें कास्ट सेंसस चाहिए और वह होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया शान्त हो जाएं। रघुवंश बाबू शांति भंग न करें। आप बैठ जाएं, आपका भी नाम है। आपको भी मौका दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतना जोर से मत बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: रघुवंश बाबू, आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री दारा सिंह चौहान के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी आप अपनी बात कहें।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): माननीय अध्यक्ष जी, जाति इस देश की सच्चाई है और इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता। जाति जनगणना के लिए पूरी संसद में एकमत से यह राय आई कि जब इस देश में सामाजिक परिवर्तन हम लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जाति पर आधारित जनगणना जरूरी है। आपने बीपीएल की जनगणना शुरू कर दी और उसके लिए पैसा भी रिलीज कर दिया। हम उसके लिए आपको बधाई देते हैं। लेकिन जाति पर आधारित जनगणना एक सच्चाई है और इसमें यह चीज आनी चाहिए कि देश में किस वर्ग की कितनी पापुलेशन है। हम बजट में एलोकेट करते हैं, तो वह इस आधार पर हो कि कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने रिमोट एरिया में रहते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब देश की जनता सच्चाई को जानना चाहती है और सदन के नेता तथा प्रधान मंत्री जी भी इस बात को सदन में स्वीकार कर चुके हैं तो फिर जाति पर आधारित जनगणना क्यों नहीं हो रही है? हम सब चाहते हैं कि जाति पर आधारित जनगणना होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरुम्बुदूर): अध्यक्ष महोदया, कुछ समय पहले पूरे सदन ने जाति आधारित जनगणना करने के लिए एक संकल्प पारित किया; प्रत्येक सदस्य ने दलगत भावना से ऊपर उठकर इस बारे में सहमति जताई थी मुझे नहीं पता सरकार जाति आधारित जनगणना करने में क्यों झिझक रही है।

यह अधिक महत्वपूर्ण है। बजट तैयार करते समय भी हमें यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि किस जाति के कितने लोग हैं; प्रत्येक जाति में विशेषतौर पर अन्य पिछड़े वर्ग में लोगों की संख्या कितनी है। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय तो जाति के आधार पर ही किया जाता है।

इस संबंध में, हमारी द्र.मु.क. सरकार के अभी से जाति आधारित जनगणना करने के लिए अनुरोध करने पर ज्यादा जोर दे रही है। अन्यथा कुछ समय निकल जाने के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है और मैं इसके संबंध में लगातार विचार करता रहा

हूं। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि यह जनगणना की जाएगी। माननीय श्री शरद यादव ने मुझे वह प्रारूप दिया गया था जिसके अंतर्गत यह कार्य किया जाना है। उसे संबंधित प्राधिकारियों को भी अग्रेषित कर दिया गया है।

लेकिन मुझे यह बताया गया है कि कार्यान्वयन के स्तर पर कुछ समस्याएं हैं। हम उनका निराकरण कर देंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि जो लोग इस बारे में चिंतित हैं, उन्हें बुलाकर बात की जाए तो अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: सत्र शुरु होने से पूर्व मैं आपके पास गया; मैंने आपसे अनुरोध किया। गृह मंत्री ने मुझे बताया कि उन्होंने इसी प्रारुप के बारे में जो आपने मुझे दिया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। हम इसकी जांच करेंगे ताकि इसे उसी प्रारुप में कार्यान्वित किया जाय ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.11 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न 161, श्री ए. सम्पत।

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठिए, कार्यवाही-वृतान्त में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा

\+
***161. श्री ए. सम्पत:**
श्री रुद्रमाधव राय:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को इस त्रासदी के कारण होने वाले रोगों के लिए मुआवजा दिया गया था;

(ग) क्या भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए गठित मंत्री समूह ने बढ़ा हुआ मुआवजा/अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त भुगतान किए जा चुके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ये भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से प्रभावित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों की ओर से कल्याण आयुक्त कार्यालय में 10,29,517 दावे पंजीकृत किए गए थे।

(ख) इन 10,29,517 दावों में से, कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिनिर्णय के पश्चात् चोटों की विभिन्न श्रेणियों के अधीन 5,74,376 मामलों को निम्न विवरण अनुसार मुआवजा प्रदान किया गया था:

श्रेणी	मामलों की संख्या
मृत्यु	5,295
स्थायी अपंगता	4,902
अत्यन्त गंभीर चोटें	42
अस्थायी अपंगता	35,455
मामूली चोटें	5,27,94
पशुधन हानि	233
संपत्ति की हानि	547
पीएसयू/सरकार	8

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों की जांच के लिए भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 18 से 21 जून, 2010 और 27 सितम्बर, 2010 को हुई अपनी बैठकों में निम्नलिखित दरों पर पीड़ितों की चिन्हित श्रेणियों में मुआवजा/अनुग्रह राशि का भुगतान करने की सिफारिश की थी:

श्रेणी	मुआवजा/अनुग्रह राशि
मृत्यु (5295)	10 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
अत्यन्त गंभीर चोटें (42)	5 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
स्थायी अपंगता (4,902)	5 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
अस्थायी अपंगता (35,455)	1 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
कैंसर के मामले (लगभग 2,000)	2 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
किडनी फेल होने के मामले (1000)	2 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)

मंत्रीमंडल ने 24 जून, 2010 एवं 10 नवम्बर, 2010 को हुई अपनी बैठकों में जीओएम की सिफारिशों को इस संशोधन के साथ अनुमोदित कर दिया कि पीड़ितों को किए गए भुगतान को मुआवजे के बजाए अनुग्रह राशि समझा जाए।

(ङ) 31 जुलाई, 2011 तक अनुग्रह राशि के रूप में किए गए भुगतानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रेणी	निपटाए गए मामलों की संख्या	संवितरित राशि (रु. करोड़ में)
मृत्यु (5295)	5,020	379.43
अत्यन्त गंभीर चोटें (42)	8	0.24
स्थायी अपंगता (4,902)	2,229	83.74
अस्थायी अपंगता (35,455)	22,522	50.59
कैंसर के मामले (2,000)	347	5.12
किडनी फेल होने के मामले (1,000)	-	-
कुल (48,694)	30,126	519.12

(च) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुग्रह राशि के भुगतान संबंधी कार्य को दिसंबर, 2011 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

श्री ए. सम्पत: महोदया, 27 वर्षों से लाखों लोग तड़प रहे हैं, वे अपनी (शिकायतों के निवारण के लिए दर-दर की ठाकरें खा रहे हैं। भोपाल गैस (त्रासदी) विश्व में सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी–यदि यह संयुक्त राज्य अमरीका में पंजीकृत एक बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध नहीं है तो ...*(व्यवधान)* सभा में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से मैं समझता हूं कि कुल राशि के 50 प्रतिशत से भी कम का भुगतान किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री सम्पत, कृपया अपना प्रश्न शीघ्र पूछिए।

श्री ए. सम्पत: महोदया मैं प्रश्न पूछ रहा हूं परन्तु अन्य सदस्य भी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे अत्यंत खेद है।

अध्यक्ष महोदया: अब आप पूछिए।

श्री ए. सम्पत: मेरा प्रश्न यह है। माननीय मंत्री उत्तर दिया है कि मंत्रिमंडल ने 24 जून, 2010 तथा 18 नवम्बर, 2010 को हुई अपनी बैठक में मंत्रिसमूह की सिफारिशों को इस संशोधन के साथ मंजूर किया है कि मुआवजे के बजाय, पीड़ितों को किए जाने वाले भुगतान को अनुग्रह स्वरूप माना जाएगा।

कुल राशि 1191.25 करोड़ रुपये होगी। लेकिन इस सभा में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है। कि कुल अनुग्रह राशि, जो मंत्रि समूह द्वारा मंजूर की गयी है, का केवल 50 प्रतिशत ही अभी वितरित किया गया है। साथ ही सरकार द्वारा इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि लाखों लोग ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री ए. सम्पत: मेरा पहला प्रश्न यह है। महोदया मैं आपके माध्यम से, मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पूरी अनुग्रह राशि को वितरित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी तथा अन्य लोगों की शिकायतों पर भी विचार करेगी। वर्ष 1984 में भोपाल में दुर्घटना या आपराधिक मानव-वध हुआ। यह 27वां वर्ष है। अमेरिका तथा बहुराष्ट्रीय निगम अपनी 27वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे पर हमारे गरीब लोग दुख भोग रहे हैं। इसी कारण मैंने ऐसा प्रश्न पूछा।

श्री श्रीकांत जेना: अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैने अपने उत्तर में कहा है इस सभा में इस मामले पर गंभीरता से चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। लगभग 740 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि तैयार किए गए अनुमान के आधार पर मंजूर की गयी थी। उसमें से 519.12 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं। लाभार्थियों एवं पीड़ितों की पहचान एवं उनकी सूची को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् शेष राशि जारी की जाएगी। यह धनराशि कल्याण आयुक्त के पास उपलब्ध है। उन्होंने मृत्यु, अत्यंत गंभीर रूप से घायलावस्था स्थायी निशक्तता अस्थायी नि:शक्तता, कैंसर के मामले (2000) तथा गुर्दा खराब होने के मामले (1000) नामक विभिन्न मामलों में 519.12 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं। पूरी राशि जारी कर दी गयी है। तथा लाभार्थियों को पहले ही 519. 12 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। जब अभी भी धनराशि की मांग की जाती है, तदनुसार राशि जारी की जाती है।

अध्यक्ष महोदया: आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न, कृपया बहुत ही संक्षेप में एवं सटीक प्रश्न पूछें।

श्री ए. सम्पत: मैं समझता हूं कि भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दिनांक 06 जुलाई 1988 को जारी लेटर रोगेटरी पर भारत सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया है। सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या यू सी सी ने दोहरे सुरक्षा मानदंड अपनाये और भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में संस्थापित सुरक्षा प्रणाली तथा अमेरिका के वेस्ट वर्जिनिया स्थित संस्थान में यूनियन कार्बाइड संयंत्र का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निदेश दिए हैं।

महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. कारखाने में जिसे पहले ही डॉव केमिकल्स द्वारा अधिग्रहीत किया जा चुका है में और इसके आसपास डाले गए विषैले अपशीष्ट को साफ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। उन्हें इस विषैले रासायनिक अपशिष्ट को अमेरिका वापस भेजने का परिवहन व्यय देना होगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस सभी प्रकार के रासायनिक कचरे को भारत से अमरीका भेजने के लिए कोई कदम उठाया है। डाउ केमिकल्स अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकता क्योंकि उन्होंने यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड को अधिग्रहित किया है। मेरा यही प्रश्न है।

श्री श्रीकांत जेना: महोदया, मेरे तीन प्रश्न है। एक प्रत्यर्पणन से संबंधित है प्रत्यर्पणन में श्री एंडरसन के प्रत्यार्पणन में अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत करना है। महान्यायवादी की सलाह पर विधि मंत्रालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और विदेश मंत्रालय ने विद्वात महान्यायवादी द्वारा प्रत्यार्पण के नए निवेदन सहित उनके द्वारा जांच किए अतिरिक्त सामग्री राजनायिक माध्यमों से अमरीकी सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को भेजी गई है। अन्य पुनर्विचार याचिकाएं जिनका मंत्रियों के समूह अथवा मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार दिनांक 13.9.96 के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में पुनिर्विचार याचिका दायर करने के लिए सभा में आश्वासन दिया गया था। दिनांक 2.8.201 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पुनर्विचार याचिका दर्ज की गई थी और इसे 11 मई 2011 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने के संबंध में सलिस्टिर जनरल की सलाह पर दिनांक 23 अगस्त 2010 को भोपाल सत्र न्यायालय में एक अपराधिक पुनर्विचार आवेदन सत्र दायर किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील दायर करने के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 के अंतर्गत प्रत्येक दोष सिद्ध व्यक्ति के विरुद्ध दंड में बढ़ोत्तरी तथा साथ ही जुर्माने में वृद्धि करने के लिए दोष सिद्ध कंपनी यू.सी.आई. एल. भोपाल के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 27.7.10 को भोपाल सत्र न्यायालय में एक अपील याचिका दर्ज की गई है।

जहां तक विषैले अपशिष्ट का प्रश्न है उसके लिए एक समिति थी। समिति की तीन बैठकें हुई। मध्य प्रदेश सरकार प्रीतम पुर भस्मक में जालाने की इच्छुक नहीं थी। यह मामला पुनः मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गया। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: महोदय मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी रुचि दिखाई है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना: महोदया, 28 जुलाई 2011 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वीकृति सुनिश्चित की है कि महाराष्ट्र राज्य के भीतर विषैली सामग्रियों के परिवहन से स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भी इसकी जांच की गई है कि नागपुर में डी.आर.डी.ओ. स्थल पर विषैले अपशिष्ट के निपटान का भूमि जल और वायु पर कोई विषैला प्रभाव नहीं होगा। इससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। अब सामग्री वहां गई है क्योंकि डी.ओ. का भस्मक नागपुर में है, समिति, पर्यावरण मंत्रालय ने सोचा कि वह इसको भस्म किया जा सकता है। अब यह महाराष्ट्र सरकार पर निर्भर करता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् यह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर निर्भर है कि वह इसकी अनुमति देगा अथवा नहीं। इसके आधार पर सरकार इस पर राय लेगी।

श्री रुद्रमाधव राव: महोदया, भोपाल गैस त्रासदी एक बदतर औद्योगिक प्रलय है। रिपोर्ट से उजागर होता है कि लगभग पांच लाख लोग इस गैस त्रासदी से प्रभावित हुए थे। अब तक बिना किसी चिकित्सा उपचार के एक लाख लोग से अधिक लोग स्वास्थ्य समस्याओं से अभी तक पीड़ित हैं।

क्या कुछ अनुसंधान संस्थान के द्वारा चिकित्सा जांच करवाने से सरकार को कोई सरोकार नहीं है? क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को उनके वहां अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का आश्वासन दिया है जिससे कि लगभग पांच लाख से अधिक प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा सके और उसके स्वास्थ्य समस्याओं का स्थायी निदान हो सके?

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उच्चतम न्यायालय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया एक प्रश्न पूछे। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री रुद्रमाधव राय: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उच्चतम न्यायालय ने मुआवजा राशि को 750 करोड़ रु. से बढ़ाकर 7000 करोड़ रु. करने के लिए डाक कंपनी को कोई नोटिस जारी किया है। यदि हां, तो इसके बारे में नवीनतम जानकारी क्या है?

श्री श्रीकांत जेना: जहां तक चिकित्सा संबंधी मुद्दे की बात है तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। आई.सी.एम. आर. ने भोपाल में अपने इकतीलसवें स्थायी संस्थान नामतः राष्ट्रीय पर्यावरणिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एन.आई.आर.ई.एच) की स्थापना की है। केन्द्र की मौजूदा अवसंरचना को मजबूत करने तथा इसके कार्यारम्भ के लिए 1.39 करोड़ रुपए लागत के 41 उपकरण एन. आई.आर.ई.एच में स्थापित करने के लिए खरीदे गए हैं। मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु परामर्शकों को चुना गया है। एम.आई.सी. के दीर्घकालिक दुष्प्रभाव संबंधी संक्रामक रोग-अध्ययन की प्रगति का मुआयना किया जा रहा है। आई.सी.एम. आर. के भोपाल स्थिति नए संस्थान, एन.आई.आर. ई. एच. के दृष्टिकोण पत्र हेतु दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की गई है।

इसके अलावा, वहां स्थापित अस्पताल के अतिरिक्त सालिलिटर जनरल की सप्ताह यह जैव औद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। यह अच्छी तरह कार्य करा रहा है। इस बारे में कोई भी शिकायत लेने को हम हमेशा तैयार है। क्योंकि हमारे पास भोपाल में अपेक्षित सुविधाएं है।

[हिन्दी]

श्री कैलाश जोशी: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो संख्या बताई है, इस संबंध में पहले से ही मांग उठती रही है। मध्य प्रदेश राज्य शासन ने, गैस पीड़ितों के संगठन ने और वहां के अन्य नागरिकों ने सरकार से बार बार यह मांग की है कि जो संख्या बताई गई है, वह संख्या सही नहीं है। अनेक लोग आज भी ऐसे हैं जो उस दायरे में अभी नहीं आये हैं जिस दायरे में उन्हें उसी समय आ जाना चाहिए था। दूसरा प्रश्न यह है कि 20 वॉर्ड को छोड़ दिया गया है। भोपाल में कुल 56 वार्ड थे। सिर्फ 36 वार्डो को सम्मिलित किया गया है और 20 वाड्र्स को छोड़ दिया गया है। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या गैस पीड़ितों की है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और साथ ही अनुरोध भी करना चाहता हूं कि वास्तविक संख्या को ध्यान में लाकर तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना: मैडम, जो जोशी जी ने अभी बताया है कि संख्या कम है और बहुत लोग पीड़ित हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि वर्ष 1996-97 तक एक फाइनल नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें यही बताया गया था कि अगर कुछ लोग इसमें छूट गये हैं, वे आकर अपनी दरख्वास्त दे दें। उसके बाद कम से कम 10 लाख से ऊपर दरख्वास्त आई। उसमें जो हाईकोर्ट जज वैलफेअर कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट जज लैवल के पांच जज बैठे हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि पीड़ितों की कितनी संख्या है यानी कितने लोग मरे हैं, और किनको शामिल किया जाए, इसकी एक लिस्ट सबमिट करने के बाद सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। इसमें कैंसर और दूसरी भयंकर बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, उनको भी इंक्लूड करने के लिए यानी जो अफैक्टेड हैं, चूंकि 2000 लोगों के कैंसर के केसेज आ रहे हैं और अभी खबर यह है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। इसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए प्रावधान किया गया है। ऐसे लोग हैं, जोशी जी प्रावधान के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम संख्या का एक बार निर्णय होने के बाद 20 साल बाद कैसे करें?...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह: 30,000 से ज्यादा लोग मरे थे। इन सवालों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री दत्ता मेघे के अनुपूरक प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि भोपाल का वेस्ट नागपुर में जलाना चाहते हैं। वहां 25,00,000 लोग रहते हैं, वहां आंदोलन हो रहा है। हमारा कोई संबंध नहीं है, महाराष्ट्र सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नागपुर में क्यों जलाना चाहते हैं? क्या वहां लोग नहीं रहते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकांत जेना: ऐसा नहीं है कि सरकार की इच्छा है कि यह नागपुर जाए, गुजरात जाए या पीथमपुरा जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह: अमेरिकी कंपनी है, वहीं भेजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकांत जेना: महोदया, यह तय किया गया था, जब पीथमपुरा में प्राब्लम आई, गुजरात में प्राब्लम आई। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट आर्गोनाइजेशन का एक इंस्टीटयूशन नागपुर में है। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र सरकार एक बैंच में हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि यह केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि अगर महाराष्ट्र पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर कैरी करने के लिए अलाऊ करेगा तब जाकर निर्णय होगा। अभी यह विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

162. श्री एस. आर. जेयदुरई: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा कितने मामलों की जांच की जा रही है;

(ख) क्या सरकार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा मामलों के निपटान की गति से संतुष्ट है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के कार्यकरण में सुधार लाने तथा इसे वैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा वर्तमान में 12 मामलों की जांच की जा रही है, जिनका विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2006 में श्री वेपा कमेसम समिति का गठन एसएफआईओ को और मजबूत करने एवं इसे और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से इसकी कार्यप्रणाली को कारगर बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए किया गया था। समिति की अनुसंशाओं को दृष्टिगत रखते हुए, एसएफआईओ को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव है। एसएफआईओ के जांच प्रतिवेदनों को पुलिस अधिकारी द्वारा दायर जांच प्रतिवेदन मानना, देश से बाहर

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवसाय/हित रखने वाली कंपनियों के मामलों में अनुरोध पत्र (याचना पत्र) जारी करने की शक्ति एसएफआईओ को प्रदान करना, कुछ ऐसे प्रावधान है जिन्हें नए कंपनी विधेयक में शामिल करने का प्रस्ताव है। विधायी उपायों के अलावा, 58 अतिरिक्त पद बनाए गए हैं और कार्यालय की पहुंच को बढ़ाने एवं विभिन्न स्थानों पर चल रहे अभियोजन मामलों को बेहतर ढंग से मॉनिटर करने के लिए नई दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता एवं अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

अनुबंध

जांचाधीन मामले

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	ऋषि ऑयल एवं फैट्स लि. (परिसमापन में)
2.	एवीआई शूज लि (परिसमापन में)
3.	कुबेर म्युच्युअल बेनीफिट्स लि. (परिसमापन में)
4.	एवीआई इंडस्ट्रीज लि. (परिसमापन में)
5.	ऑस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट लि.
6.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक
7.	गोल्डक्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा.लि.
8.	क्वेस्टनेट इंटरप्राइजेज इंडिया प्रा.लि.
9.	जयंत विटामिंस लि.
10.	सिटी लिमोजिन्स (इंडिया) लि.
11.	एच.एम. डायिंग लि. (परिसमापनाधीन)
12.	मै. डायमेंसंस इनवेस्टमेंट एवं सिक्युरीटीज लि. (परिसमापन में)

श्री एस.आर जेयदुरई: अध्यक्ष महोदया, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एल.एन.आई.ओ) की स्थापना संयुक्त संसदीय समिति ने वर्ष 2001 में शेयर बाजार घोटाले की जांच हेतु बनी थी, कि सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2003 में की गई थी। तब से अब तक लगभग आठ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान में एस.एफ.आई. आर स्वत: किसी मामले की जांच प्रारंभ नहीं कर सकता जबकि ब्रिटेन का एस.एफ.आई.ओ. से किसी मामलों को ले सकता है।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वित्त संबंधी स्थायी समिति, जिसकी रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 20.4.2005 को प्रस्तुत की गई थी, के समक्ष साक्ष्य देते समय सरकार के प्रतिनिधि ने कहा था कि पहले चरण में एस.एफ.आई. ओ. कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कार्य करेगा, और दूसरे चरण में यूनाइटेड किंगडम के गंभीर धोखाधड़ी तर्ज पर इसमें समुचित विधायी परिवर्तन लाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एस.आर. जेयदुरई: यह रिपोर्ट के पैराग्राफ सं. 20 में है। तो का सरकार सोचती है कि दूसरा चरण आरम्भ करने का समय अभी नहीं आया है? सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया हैं?

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अध्यक्ष महोदया, वेपा कामेशम समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि इस एजेनली, अर्थात् एस. एफ.आई.ओ, को विधायी दर्जा देना होगा। अब, ऐसा केवल कंपनी अधिनियम के उपबंधों से संबंधित कार्यपालिका आदेश से होगा। इसे पर्याप्त कार्य अधिकार नहीं मिले हैं। अत: अब हमने तय किया है कि नए कंपनी विधेयक में एक धारा को शामिल करके एस. एफआई.ओ. को कानूनी दर्जा दिया जाए। नए कंपनी विधेयक का मसौदा पहले ही तैयार किया जा चुका है और इसे मंत्रालयों के बीच परिचालित भी किया गया है। यह शीघ्र ही मंत्रिमण्डल के समक्ष आ रहा है; तथा एस.एफ.आई.ओ. एजेंसियों को सशक्त विधायी आधार और स्तर उपलब्ध द्वारा दिया जाएगा।

श्री एस.आर जेयदुरई: 1 जुलाई 2011 से यूनाइटेड किंगडम घूसखोरी अधिनियम, 2010, प्रभावी हुआ है जो यूनाइटेड किंगडम में कार्यरत वाणिज्यिक संगठनों पर घूसखोरी रोकने में असमर्थतता के लिए आपराधिक जिम्मेवारी असीमित अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। क्या भारत सरकार का भी देश में कार्यरत विदेशी व्यापारिक संगठनों को भारत के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाने का विचार है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अध्यक्ष महोदया, एस.एफ.आई.ओ. एजेन्सियों को मजबूत करने के लिए जो पैटर्न अपनाया गया है, वह कमोवेश यू.के. के ही पैटर्न पर है।

श्री एम.आई. शानवास: महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि गंभीर धोखाधड़ी अपराध जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ) भारत सरकार का सबसे अप्रभावी कार्यालय है। एक कार्यपालिका आदेश द्वारा एस.एफ.आई.ओ. अस्तित्व में आया है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि इसे सांविधिक मान्यता प्रदान की जाएगी। अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है, ..."नए कंपनी विधेयक में इसकी जांच-रिपोर्ट को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जैसा मानने की शक्तियां है।"

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इससे कुछ असर होने वाला नहीं है।

सी.बी.आई. अनेक कंपनियों में किए जा रहे गंभीर धोखाधड़ी-अपराधों की जांच करती है। यदि आर.एफ.आई.ओ को और अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं अर्थात् माननीय मंत्री द्वारा दिए उत्तर में परिकल्पित शक्तियों से अधिक शक्तियां, अर्थात जैसे: छापा मारने, जांच करने, साक्षियों को बुलाने और अभियोजन की शक्तियां, दी है तो यह अधिक प्रभावी होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह प्रभावी नहीं होगा।

क्या माननीय मंत्री यू.के. में प्रवर्तित नियमों जैसे ही एस.एफ. आई.ओ को और प्रभावी शक्तियां प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगे ताकि बड़ी कंपनियों की धोखाधड़ी को कम किया जा सके और सी.बी.आई. अत्यधिक कार्य भार से मुक्त हो सके?

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यय की गई चिन्ताओं को पूरी तरह समझता हूं। लेकिन, मैं यह नहीं कहूंगा कि एस.एफ.आई.ओ. पूर्णत: अप्रभावी है। इसने अपना कार्य किया है। आज तक विदेशी मामले उसके द्वारा न्यायालय में गए हैं उनमें दोष सिद्ध अवश्य हुई है। वस्तुत: 39 मामलों में एस.एफ.आई.ओ. द्वारा कार्यवाही की गई है और ये सभी इसके पक्ष में रहे हैं। यह हुई एक बात।

तथापि, मैं आपसे सहमत हूं कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इसे गिरफ्तार करने की शक्ति, छापा मारने की शक्ति, जबती की शक्ति और ऐसी अन्य शक्तियों के साथ मजबूत करने की आवश्यकता है।

मान लीजिए कि कोई पूंजी देश से बाहर जा रही है या कंपनी विदेश से कार्य कर रही है, तो कई बार दोषी देश से बाहर भाग जाता है। यहां तक की इस निकाय को याचना प्राप्त करने की शक्ति भी दी जाएगी। अतएव मेरा मानना है कि जो विधेयक अभी यह प्रस्तावित विधेयक आपकी सभी मंशाओं को पूरा करेगा या उनका उत्तर देगा। मेरे विचार से अवश्य ऐसी आप एक सशक्त एजेन्सी चाहेंगे जो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए स्वत: सक्षम हो।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने यह कहा गया है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कार्यालय को और अधिक शक्ति-सम्पन्न बनाया जायेगा। लेकिन उसके पहले जो इस कार्यालय के द्वारा रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, उसमें पर्टीकुलरली मैं जानना चाहूंगी कि वेदांता रिसोर्सेज कम्पनी के मालिकाना हक के समय सेसगोवा की कार्य प्रणाली के संबंध में क्या कोई रिपोर्ट दी गई है और उसमें सेसा इंडस्ट्रीज के जो अल्पसंख्यक शेयरधारक हैं, कम्पनी एक्ट के अंतर्गत उनके भी हितों की रक्षा करना आवश्यक है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस रिपोर्ट पर भी कुछ कार्रवाई कर रही है, यदि हां तो क्या कार्यवाई की जा रही है?

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अध्यक्ष महोदया, जहां तक ऐसा गोवा कंपनी का संबंध है, मामला जांचाधीन है और हम इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने एसएफओ को विशेष दर्जा और मजबूत कानूनी प्रक्रिया में लाने की बात कही है। देश के अन्दर और देश से बाहर बहुत सारी कम्पनियां हैं जो धोखाधड़ी में लिप्त हैं। आयात निर्यात करने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि वे भी किसी-किसी न माध्यम से धोखाधड़ी कर के हेराफेरी करते हैं। वे जांच के दायरे से भी निकल जाते हैं। जबकि देश के अन्दर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उस स्तर की जांच कर सकती हैं। उनके द्वारा उन्हें संज्ञान में लाया जा सकता है। एसएफआईओ के माध्यम से उन प्रक्रियाओं के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ताकि इन धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों पर भविष्य में अंकुश लगाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: ऐसे सभी मामले जो मंत्रालय या एस.एफ.आई.ओ. के संज्ञान में आए हैं, हमने उन पर कार्यवाही की है और कुछ अभियोजन मामले दायर किए गए हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो देश से बाहर के हैं। इसके लिए हमारे पास एम.एफ.आई. ओ. में एक बाजार-अनुसंधान और विश्लेषण इकाई है। यह इकाई इस संगठन को आवश्यक कोई सूचना या आसूचना उपलब्ध कराती है।

इस विधेयक के प्रस्ताव में यह भी अंतर्विष्ट है कि बाजार-अनुसंधान और विश्लेषण इकाई को मजबूत किया जाए। हमारे पास कभी भी विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले कार्यालय नहीं रहे है। अब एस.एफ.आई.ओ. नई दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, चैन्नै, कोलकाता और अहमदाबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। यदि आवश्यक होगा तो हम और भी कार्यालय खोलेंगे। मंत्रिमण्डल के समक्ष रखे गए प्रस्ताव के अंतर्गत हमने विशेष

न्यायालयों के गठन के प्रस्ताव पर भी विचार किया है, जो केवल एस.एफ.आई. ओ. द्वारा परीक्षित मामलों का ही निपटारा करेंगा।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यकलाप

***163. +श्री सतपाल महाराजः**
श्रीमती श्रुति चौधरीः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अनुमत्य कार्यकलापों/कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस योजना का दायरा बढ़ाने तथा इसके अंतर्गत कृषि कार्य, पेयजल योजनाओं तथा सड़क निर्माण/मरम्मत संबंधी कुछ और कार्यकलापों/कार्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) में निम्नलिखित क्रियाकलापों/कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

(1) जल संरक्षण और जल संचयन;

(2) सूखा-रोधन (वनरोपण एवं वृक्षारोपण सहित)

(3) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें;

(4) अनुसूचित जाति तथा अनु. जनजाति से संबंधित परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार संबंधी लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों या कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 में परिभाषित लघु या सीमान्त किसानों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी तथा भूमि सुधार सुविधाओं का प्रावधान (दिनांक 22.7.2009 की अधिसूचना के जरिए लघु और सीमांत किसानों की निजी भूमि पर कार्यों का लाभ दिया जाएगा);

(क) तालाबों से गाद निकालने सहित परम्परागत जल निकायों का नवीकरण

(ख) भूमि विकास;

(ग) बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकासी का कार्य भी शामिल हैं;

(घ) बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण संपर्कता;

(ङ) ग्राम सूचना संसाधन केंद्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवन का निर्माण (दिनांक 11.11.2009 की अधिसूचना के जरिए शामिल) और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित कोई अन्य कार्य।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के परामर्श से क्रियाकलापों/कार्यों को शामिल करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिनियम की अनुसूची-१ के पैरा 1 (पग) के अनुसार उपर्युक्त सूची में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ तालमेल बिठाकर स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया था।

श्री सतपाल महाराजः अध्यक्ष महोदया, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना को राज्य सरकार ने एनजीओ से अनुबंधित कर दिया, जो कि हस्ताक्षर तो पूरे करवाते थे परन्तु भुगतान नहीं करते थे। इन कारणों से यह महत्वपूर्ण योजना राज्य में असफल हो गई है। हालत यह है कि राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में पिछले वर्ष इस योजना के अन्तर्गत सिर्फ एक आदमी को ही सो दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ है। अन्य जिलों में भी यही हालत है। भविष्य में उत्तराखण्ड राज्य में सभी तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री प्रदीप जैनः माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह कानून इस सरकार ने इस उद्देश्य से पारित किया था कि देश के हर राज्य में हर ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति को सो दिन का रोजगार मिले। योजना को ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रदेश सरकार को बनाना है और उसका क्रियान्वयन भी करना है। जहां तक स्पेसिफिक राज्य की बात उन्होंने कही है, यह वास्तव में विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की मंशा यह है कि ...*(व्यवधान)* देश की 2 लाख 52 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को सौ दिन का रोजगार मिले। ...*(व्यवधान)* उसमें अगर उत्तराखण्ड

राज्य के अन्दर इस तरह की स्थिति निर्मित है तो उसके लिए हम भारत सरकार से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री प्रदीप जैन: भारत सरकार से एक टीम भेजेंगे और वह टीम वहां जाकर मूल्यांकन करेगी। देश के दूसरे राज्यों में इस योजना का बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। इसकी बहुत सारी स्टडीज हैं। ...*(व्यवधान)* एनएसएसओ ने भी कहा है कि ...*(व्यवधान)* आज जिस तरह से लैण्ड की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनबिलिटी है, उसमें स्थायित्व और उत्पादकता बढ़ी है। चाहे आप आन्ध्र प्रदेश को देखें और चाहे राजस्थान को देखें। ...*(व्यवधान)* लेकिन उत्तराखण्ड की यह स्थिति है तो हम वहां टीम भेजेंगे। इसमें पिछले वर्ष 55 लाख परिवारों को सौ दिन से ज्यादा का रोजगार मिला है। इस बात को लोक सभा के सारे माननीय सदस्य जानते हैं ...*(व्यवधान)* इय योजना के माध्यम से देश के अन्दर स्थिति परिवर्तित हो रही है।

अध्यक्ष महोदया: आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उन्हें प्रश्न पूछने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री सतपाल महाराज: महोदया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत हरियाणा में 169 रुपये मजदूरी प्राप्त हो रही है, चंडीगढ़ में 164 रुपये मजदूरी प्राप्त हो रही है। उत्तराखंड में भी इसके अंतर्गत मजदूरी 120 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दी जाये। इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री प्रदीप जैन: महोदया, चूंकि इस सरकार का वायदा था कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो इसे सीपीआईएल से जोड़ जाये। ...*(व्यवधान)* सीपीआईएल से जोड़ने से हर राज्य की जो मजदूरी दर है, उस मजदूरी दर का भारत सरकार भुगतान करती है। उत्तराखंड के अन्दर जो मजदूरी की दर है, उसे सीपीआईएल से जोड़ने के बाद उसका जो मूल्यांकन होगा, उस दर को भारत सरकार देने के लिए सहमत है। ...*(व्यवधान)*

श्री सतपाल महाराज: 120 रुपये बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया जाये।

[अनुवाद]

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ): महोदया मनरेगा का उद्देश्य सबसे गरीब लोगों को गारंटीयुक्त रोजगार में न्यूनतम आजीविका प्रदान करना है और इसे इसे ऐसे ही जारी रखी जानी चाहिए। किन्तु हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों, जो भारत के लिए अनाज का कटोरा हैं, फसल कटाई इत्यादि के समय अन्य राज्यों से आने वाले अधिकांश अतिरिक्त कामगारों की कमी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। सरकार संघटकों के रूप में फसल कटाई और अन्य फसल उत्पादन जैसे कार्यों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय ग्रामीण, छोटे और सीमांत किसानों को इससे लाभ हो और साथ ही फसल उत्पादन भी प्रभावित नहीं हो।

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): इस मुद्दे ने कई संसद सदस्यों को उत्तेजित कर दिया है। कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया है और यह कहा है कि नरेगा के कारण कृषि कार्यों में कामगारों की मांग में कटौती की जा रही है। कृषि मंत्री ने भी हाल ही में ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। मैं स्पष्टत: यह कहना चाहूंगा कि देशभर में अब यह अविवादित साक्ष्य है कि नरेगा के कारण कृषि मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है। यह एक अच्छी बात है कि कृषि मजदूरी में वृद्धि से खेती की लागत में भी वृद्धि हो जाती है...*(व्यवधान)*

मैं उठाए गए मुद्दे पर संवेदनशील हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। हमने पहले ही कई कदम उठाए हैं। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के स्वामित्व में आने वाले खेतों में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की भू धारीता में छोटे और सीमांत खेती में भूमि विकास और जल संरक्षण के कार्यों को नरेगा के अंतर्गत अनुसूचित कार्यों में शामिल किया गया है। हम यह भी देख रहे हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यक्रम को नरेगा के तहत किस प्रकार लाया जा सकता है।

कृषि लागत और मूल्य संबंधी आयोग के अध्यक्ष से एक सुझाव आया है कि नरेगा के तहत विशेषकर पूर्वी भारत में कम गहरे नलकूपों की अनुमति प्रदान की जाए। ये सभी सुझाव जांचाधीन

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि नरेगा की सफलता का मतलब कृषि उत्पादों में गिरावट न हो। वास्तव में, मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास यह दिखाने के लिए आंकड़े है कि भारत के कई राज्यों में नरेगा आने के पश्चात् कृषि अधीन वास्तव में वृद्धि हुई है। आन्ध्र प्रदेश में कई जिलों में नरेगा के कारण कृषि योग्य भूमि में कम से कम दस से पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः महोदया, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलायी गयी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए हर जिले में निगरानी और सतर्कता समितियां बनायी गयी हैं। जिनमें सांसद शामिल होते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं और सांसद ही उसका चेयरमैन होता है। मैं ऐसी तीन समितियों की अध्यक्षा हूं, इसलिए मैं प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कह रही हूं और सभी सांसद साथी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि मनरेगा की योजना बहुत अव्यवहारिकताओं से भरी हुई योजना है। भारत सरकार का यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यहां बैठकर दोनों मंत्री महोदय जितनी मर्जी सफलता का दावा करें, सच्चाई जमीन की यह है कि यह योजना पूरी तरह से असफल है। इसलिए असफल है कि इसको प्रैक्टिकल आधार पर बनाया नहीं गया है। इसलिए इसमें न तो बहुत रोजगार मिल पा रहा है और न संपत्ति पैदा हो रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना है क्योंकि ये नये-नये मंत्री बने हैं और इस मंत्रालय का प्रभार लिया है। क्या मंत्री जी अलग-अलग सांसदों की राज्यवार बैठक बुलाकर केवल मनरेगा की अव्यावहारिकताओं पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि एक राज्य दूसरे से नहीं मिलता, एक जिला दूसरे से नहीं मिलता। इसलिए जब तक उन अव्यावहारिकताओं की जानकारी आपको नहीं होगी, तब तक आप इस योजना को सफल नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न के साथ मेरा सुझाव भी आपको है कि राज्यवार सांसदों की बैठक बुलाकर केवल मनरेगा डिसकस करिये। उसमें हम आपको बताएंगे कि अव्यावहारिकताएं क्या-क्या हैं। अगर आप उनमें सुधार लेंगे तो योजना सफल होगी। आज यह योजना सफल नहीं है।

श्री प्रदीप जैनः माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सांसद को, जो बहुत अनुभवी हैं और सदन के सभी सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हर जिले के अंदर विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी होती है। ...*(व्यवधान)* वह उनकी ओपीनियन है। चूंकि मध्य प्रदेश से वह ताल्लुक रखती हैं और मध्य प्रदेश के अंदर यह स्थिति सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश के करीब 12 जिलों में हम गए। हमारा फैंडरल स्ट्रक्चर है और योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य को करना है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की शिकायतें हैं और उस कारण से जो हमारे सम्मानित नेता का कहना है, वह ठीक है। हमने स्वयं देखा है। हमारे बुंदेलखंड में चाहे टीकमगढ़ हो, या सम्मानित नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र हो, वहां जाकर हमने देखा है। ...*(व्यवधान)* वहां कमियां हैं और उनको दूर करने की जिम्मेदारी राज्य को करना है। मध्य प्रदेश के करीब 12 जिलों में हम गए। हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है और योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य को करना है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की शिकायतें हैं और उस कारण से जो हमारे सम्मानित नेता का कहना है, वह ठीक है। हमने स्वयं देखा है। हमारे बुंदेलखंड में चाहे टीकमगढ़ हो, या सम्मानित नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र हो, वहां जाकर हमने देखा है। ...*(व्यवधान)* वहां कमियां हैं और उनको दूर करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में जो वीआईपीज हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, राज्य सरकार ने वहां उनकी भी 35 शिकायतों का निपटारा नहीं किया। मध्य प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर अन्य नामों से धनराशि को डाइवर्ट किया जाता है और उससे योजना कार्यान्वित की जाती है। मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि हमारे मंत्री जी का और हमारे मंत्रालय का सर्वसम्मति से प्रयास है कि हर राज्य के सांसदों को बुलाकर अलग-अलग सलाह-मशविरा लें। जैसे उत्तर प्रदेश के सांसद आए थे। हमारे मंत्रालय ने, मंत्री जी ने बातचीत की थी। मैं निश्चित से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी है उसकी मीटिंग नहीं होती, क्योंकि हमने यह भी देखा है कि जो हमारे सम्मानित सांसद हैं, वे दो-तीन जगह के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वे तीन महीने में विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी की मीटिंग तक नहीं लेते जिसके कारण योजना की कमियां दूर नहीं हो पातीं और यह योजना सफल नहीं हो पाती है। ... *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैंने बहुत मीटिंग्ज की है। मैंने कंटीन्यूअसली मीटिंग्ज की हैं।

अध्यक्ष महोदयाः मैं चाहूंगी कि आप इस पर नोटिस दें क्योंकि यह ऐसा विषय है जिस पर सभी चर्चा करना चाहेंगे। अगर आप नोटिस दें तो इस पर आधो घण्टे की चर्चा हो सकती है।

परती भूमि विकास कार्यक्रम

***164. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः** +
श्री संजय निरूपमः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा

प्राप्त उपलब्धियों का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में यदि कोई कमी रही है तो वह क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार किन-किन एजेंसियों को सौंपा गया;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी परती तथा अवक्रमित भूमि का विकास किया गया तथा इससे कितना रोजगार सृजित हुआ; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि स्वीकृत तथा आबंटित की गई और उनके द्वारा कितनी राशि का उपयोग में लाई गई?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत वर्ष 1995-96 से 2006-07 तक परियोजनाओं को वाटरशेड आधार पर स्वीकृत किया जाता था। कार्यक्रम के मांग-आधारित होने के कारण राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये थे। गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धियां अनुबंध-I में दी गई हैं।

(ख) उपर्युक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य-वार एजेंसियां, जिन्हें कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, अनुबंध-II पर दर्शायी गई हैं।

(घ) राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई कुल बंजरंगभूमि और अवक्रमित भूमि तथा इससे सृजित रोजगार को दर्शाते हुए राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(ङ) राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

अनुबंध I

*समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों के संदर्भ में राज्य-वार उपलब्धियां (*31.07.11 की स्थिति के अनुसार)*

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई निधियां		
		2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	34.35	12.20	0.94
2.	बिहार	5.71		
3.	छत्तीसगढ़	13.82	8.42	0.26
4.	गोवा			
5.	गुजरात	23.69	15.74	
6.	हरियाणा	3.84	5.58	

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	13.52	16.95	3.83
8.	जम्मू और कश्मीर	11.21	2.28	
9.	झारखंड	3.07	1.30	
10.	कर्नाटक	35.34	17.42	2.06
11.	केरल	3.20	6.98	
12.	महाराष्ट्र	37.56	38.27	1.24
13.	मध्य प्रदेश	28.90	12.40	1.17
14.	उड़ीसा	27.45	25.29	11.06
15.	पंजाब	2.90	2.09	1.26
16.	राजस्थान	22.53	7.92	1,12
17.	तमिलनाडु	11,22	13.61	0.27
18.	उत्तर प्रदेश	46.38	8.45	1.59
19.	उत्तराखण्ड	7.60	15.64	2.33
20.	पश्चिम बंगाल	5.46	3.52	
	पूर्वोत्तर राज्य			
21.	अरूणाचल प्रदेश	26.68	26.80	1.41
22.	असम	21.52	13.36	4.05
23.	मणिपुर	10.97	15.43	2.21
24.	मेघालय	15.95	25.80	1.06
25.	मिजोरम	36.70	28.01	1.32
26.	नागालैंड	7.50	0.44	
27.	सिक्किम	8.45	1.84	0.86
28.	त्रिपुरा	0.39		
	कुल	465.91	325.74	38.04

टिप्पणी: यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में नहीं है।

अनुबंध II

राज्य-वार एजेंसियां जिन्हें समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) का कार्यान्वयन सौंपा गया है

क्र.सं.	राज्य	नोडल विभाग
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास विभाग
2.	बिहार	ग्रामीण विकास विभाग
3.	छत्तीसगढ़	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
4.	गोवा	ग्रामीण विकास विभाग
5.	गुजरात	ग्रामीण विकास विभाग
6.	हरियाणा	ग्रामीण विकास विभाग
7.	हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण विकास विभाग
8.	जम्मू और कश्मीर	ग्रामीण विकास विभाग
9.	झारखंड	ग्रामीण विकास विभाग
10.	कर्नाटक	ग्रामीण विकास विभाग
11.	केरल	वाटरशेड विकास विभाग
12.	मध्य प्रदेश	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
13.	महाराष्ट्र	ग्रामीण विकास विभाग
14.	उड़ीसा	कृषि विभाग
15.	पंजाब	ग्रामीण विकास विभाग
16.	राजस्थान	ग्रामीण विकास विभाग
17.	तमिलनाडु	कृषि विभाग
18.	उत्तर प्रदेश	भूमि विकास तथा जल संसाधन विभाग
19.	उत्तराखण्ड	ग्रामीण विकास विभाग
20.	पश्चिम बंगाल	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
	पूर्वोत्तर राज्य	
21.	अरूणाचल प्रदेश	ग्रामीण विकास विभाग
22.	असम	ग्रामीण विकास विभाग

1	2	3
23.	मणिपुर	ग्रामीण विकास विभाग
24.	मेघालय	मृदा संरक्षण विभाग
25.	मिजोरम	भूमि संसाधन विकास विभाग
26.	नागालैंड	भूमि संसाधन विकास विभाग
27.	सिक्किम	वन, पर्यावरण और वन जीव संरक्षण विभाग
28.	त्रिपुरा	कृषि विभाग

टिप्पणी: यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में नहीं है।

अनुबंध III

सृजित रोजगार को दर्शाते हुए गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत विकसित की गई बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	विकसित की गई बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि (लाख है.)			सृजित रोजगार (श्रम दिवस) लाख में		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.43	4.71	7.24	27.78	23.22	22.54
2.	बिहार	0.90	0.94	0.88	8.06	14.77	13.86
3.	छत्तीसगढ़	0.40	0.34	0.18	30.26	19.75	10.41
4.	गोवा	असूचित	असूचित	असूचित	0.03	असूचित	असूचित
5.	गुजरात	0.54	0.71	0.53	8.25	10.25	7.13
6.	हरियाणा	0.06	0.04	0.02	1.06	0.49	0.17
7.	हिमाचल प्रदेश	0.43	0.39	0.37	9.15	9.59	8.94
8.	जम्मू और कश्मीर	असूचित	असूचित	असूचित	2.78	4.71	असूचित
9.	झारखंड	0.12	0.14	0.13	2.51	2.03	1.81
10.	कर्नाटक	0.60	0.51	0.48	28.41	24.54	18.28
11.	केरल	0.09	0.05	0.08	3.10	1.93	2.80
12.	महाराष्ट्र	0.17	0.75	0.60	23.87	52.35	42.57

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मध्य प्रदेश	1.09	0.65	0.36	63.37	40.03	असूचित
14.	उड़ीसा	0.35	0.52	0.48	11.05	14.76	12.94
15.	पंजाब	0.06	0.04	0.03	0.08	0.06	0.04
16.	राजस्थान	0.84	0.55	0.26	50.21	23.81	8.13
17.	तमिलनाडु	0.15	0.04	0.07	25.67	14.92	9.20
18.	उत्तर प्रदेश	1.25	0.85	0.27	66.77	44.55	11.13
19.	उत्तराखण्ड	0.32	0.33	0.25	16.20	14.23	8.59
20.	पश्चिम बंगाल	0.07	0.07	0.12	5.63	5.81	3.54
	पूर्वोत्तर राज्य						
21.	अरूणाचल प्रदेश	0.22	0.24	0.23	5.91	9.22	13.37
22.	असम	असूचित	असूचित	असूचित	0.19	0.21	0.27
23.	मणिपुर	0.19	0.24	0.13	27.63	34.21	17.44
24.	मेघालय	0.18	0.35	0.49	25.03	69.26	112.45
25.	मिजोरम	0.01	0.004	0.002	36.66	36.14	35.57
26.	नागालैंड	0.40	0.15	0.01	18.00	7.00	0.72
27.	सिक्किम	0.03	0.02	0.07	0.90	0.55	1.86
28.	त्रिपुरा	0.01	0	0.004	0.56	.	0.16
	कुल	14.91	12.634	13.286	499.12	478.39	363.92

टिप्पणी: यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में नहीं है।

अनुबंध IV

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई और उपयोग में लायी गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई निधियां			उपयोग में लाई गई निधियां		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.43	34.35	12.20	32.64	36.04	33.44
2.	बिहार	7.32	5.71	0	6.73	6.74	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	छत्तीसगढ़	30.44	13.82	8.42	25.71	19.45	12.25
4.	गोवा	0	0	0	असूचित	असूचित	असूचित
5.	गुजरात	31.86	23.69	15.74	27.05	35.68	26.73
6.	हरियाणा	4.28	3.84	5.58	4.98	3.46	2.75
7.	हिमाचल प्रदेश	23.48	13.52	16.95	24.71	22.93	18.79
8.	जम्मू और कश्मीर	4.55	11.21	2.28	असूचित	11.60	असूचित
9.	झारखंड	8.41	3.07	1.30	7.58	7.18	3.25
10.	कर्नाटक	46.02	35.34	17.42	31.91	36.66	30.18
11.	केरल	11.46	3.20	6.98	6.20	3.76	5.60
12.	महाराष्ट्र	28.76	37.56	38.27	24.95	45.52	34.95
13.	मध्य प्रदेश	60.44	28.90	12.40	65.47	39.12	22.19
14.	उड़ीसा	33.54	27.45	25.29	20.74	31.28	28.64
15.	पंजाब	3.60	2.90	2.09	2.93	2.09	1.65
16.	राजस्थान	45.26	22.53	7.92	52.36	34.02	15.67
17.	तमिलनाडु	34.60	11.22	13.61	32.70	16.55	13.93
18.	उत्तर प्रदेश	70.58	46.38	8.45	78.74	50.36	17.42
19.	उत्तराखण्ड	24.64	7.60	15.64	18.33	19.06	16.03
20.	पश्चिम बंगाल	7.14	5.46	3.52	5.03	6.65	8.28
	पूर्वोत्तर राज्य						
21.	अरूणाचल प्रदेश	32.27	26.68	26.80	12.90	14.26	13.85
22.	असम	38.93	21.52	13.36	0.72	0.65	0.55
23.	मणिपुर	11.18	10.97	15.43	11.13	14.69	7.75
24.	मेघालय	9.42	15.95	25.80	11.65	17.31	24.06
25.	मिजोरम	26.50	36.70	28.01	29.65	38.98	19.02
26.	नागालैंड	27.53	7.50	0.44	25.20	9.98	0.99
27.	सिक्किम	2.60	8.45	1.84	2.33	1.44	4.84
28.	त्रिपुरा	1.58	0.39		1.03	असूचित	0.28
	कुल	670.82	465.91	325.74	563.37	525.46	367.35

टिप्पणी: यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न पड़ती भूमि और मरुभूमि से संबंधित है जो ऐसी भूमि है जिस पर किसी तरह की खेती नहीं हो सकती, और न ही किसी तरह की वनस्पति वहां उत्पन्न हो सकती है।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न पड़ती भूमि और मरुभूमि से संबंधित है जो ऐसी भूमि है जिस पर किसी तरह की खेती नहीं हो सकती, और न ही किसी तरह की वनस्पति वहां उत्पन्न हो सकती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। यह योजना 2012 में समाप्त होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत जितनी भूमि उपचारित की गई है, उस भूमि के आगे रख-रखाव की इस योजना में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से एक साथ दो प्रश्न करना चाहता हूं कि आगे भविष्य में यह योजना बन्द न हो, इसके साथ-साथ अपने 195 जिले इस योजना के अंतर्गत लिए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस योजना को पूरे देश में क्यों लागू नहीं किया जा सकता है? साथ ही, जिस जिले को आपने लिया है, उसके सारे ब्लॉक इसमें शामिल नहीं किए गए हैं? ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के जिन 16 जिलों को आपने लिया है, उन जिलों के साथ-साथ क्या सारे ब्लॉक्स को इसमें शामिल करेंगे और मध्य प्रदेश के क्या सारे जिलों को इस योजना में शामिल करेंगे?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, माननीय संसद सदस्य ने एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम के संबंध में प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आज भारत सरकार "एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम" नामक एक कार्यक्रम चला रही है जो एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को आपस में जोड़ता है। आज केवल एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम जैसी कोई बात नहीं है। मुख्य कार्यक्रम एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम है जो तीन पुराने कार्यक्रमों यथा परती भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम को एक साथ जोड़ता है। मैं माननीय सदस्य को अश्वस्त करना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम जारी है। हम इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को संस्वीकृति दे रहे हैं इसी तरह इस कार्यक्रम को 2012 में बंद कर दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। ये परियोजनाएं जारी रहेंगी।

आज भारत में लगभग 36 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसे कृषि योग्य बंजर भूमि माना जाता है। वर्ष 2000 में, वैसी भूमि जिन्हें कृषि योग्य बंजर भूमि माना जाता था, वह लगभग 51 मिलियन हेक्टेयर थी। अत: पिछले 10 वर्षों में, लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। हमारा उद्देश्य यह है कि समस्त 36 मिलियन हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाना चाहिए।

महोदया, इस संदर्भ में मैं इस देश में बड़ी सफलताओं के प्रसंगों में से एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहता हूं, यह प्रसंग है उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि या क्षरीय भूमि सुधार कार्यक्रम। विगत दस वर्षों में मध्य उत्तर प्रदेश के दस जिलों में लगभग 180,000 हेक्टेयर ऊसर या क्षारीय भूमि का सुधार किया गया है जिससे लगभग 370,000 छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचा है।

इसलिए, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम के तहत विशेषकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मरूभूमि और सूखा प्रवण क्षेत्रों के संबंध में उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिन जिलों को आपने लिया है, क्या उसमें सारे ब्लॉक्स को शामिल करेंगे? क्या मध्य प्रदेश के सारे जिलों को आप इसमें शामिल करेंगे?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदया, उन विकास खण्डों जिनके लिए राज्य सरकारों ने प्रस्ताव तैयार किया है, को स्वत: ही इसमें शामिल कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: अध्यक्ष महोदया, इकॉनामिक रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कुल वेस्ट लैण्ड 638 लाख हेक्टेयर है। इंटीग्रेटिड वेस्ट लैण्ड डेवपलमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे पास केवल 32 लाख हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक चमत्कार हुआ है। लेकिन सच यह है कि टारगेट नहीं बताया गया है कि वेस्ट लैण्ड को डेवलप करने के लिए कितना टारगेट भारत सरकार ने तय किया है। दूसरी बात, मैं यह देख रहा हूं कि फण्ड एलोकेशन लगातार कम होता जा रहा है। आपके

सवाल के जवाब में ही सब कुछ लिखा हुआ है। वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11, लेकिन वर्ष 2010-11 की बात आप 31 जुलाई तक की ही कह रहे हैं। रोजगार सृजित करने की व्यवस्था भी लगातार कम होती जा रही है। एरियावाइज कवरेज भी लगातार कम हो रहा है। एरियावाइज कवरेज भी लगातार कम हो रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि यह बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। मैं यह जानना चाहा था कि अचीवमेंट क्या है? सच यह है कि मंत्री महोदय के विस्तृत जवाब में, जिसमें तमाम आंकड़े और फिगर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका अध्ययन करने के *बाद* महसूस होता है कि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सच यह है कि इस स्कीम को सरकार बहुत गंभीरता से न लेते हुए, फण्ड एलोकेशन, रोजगार सृजन और एरिया कवरेज हर मामले में कम होता चला जा रहा है। इस मामले में मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे तो बेहतर होगा।

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं।

सर्वप्रथम, क्या कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन वास्तव में कम हुआ है। आंकड़े अलग कहानी बताने हैं। वर्ष 2009-2010 समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम हेतु आवंटन लगभग 1800 करोड़ रुपये का। वर्ष 2010-11 में यह लगभग 2500 करोड़ रुपये था।

श्री संजय निरुपम: प्रश्न इस देश की बंजर भूमि के विकास से संबंधित है।

श्री जयराम रमेश: बंजरभूमि विकास जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: उन्हें उत्तर देने है। उन्हें उत्तर देने दें।

श्री जयराम रमेश: यदि अपने मेरा जवाब सुना है, तो मैंने कहा है कि समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

श्री संजय निरूपम: अपने उस प्रश्न का उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदया: उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

श्री जयराम रमेश: माननीय सदस्य, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम था। वर्ष 2009 में, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम को एक समेकित पनधारा प्रबन्धन कार्यक्रम में फिल्म दिया गया था। समेकित पनधारा प्रबन्धन कार्यक्रम का उद्देश्य पनधारा दृष्टिकोण में माध्यम से देश की बंजरभूमि को कृषि योग्य बनाना है। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि 2010 में कृषि योग्य बंजरभूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया अनुमानित क्षेत्र लगभग 36 मिलियन हेक्टेयर है। 2000 में, यह लगभग 51 मिलियन हेक्टेयर था। विगत दस वर्षों में लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर भूमि का सुधार किया गया है। प्रत्येक वर्श, लगभग 15 लाख हेक्टेयर बंजरभूमि को कृषि योग्य बना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदया, मैं विनम्रतापूर्वक श्री जय श्रीराम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छी हिन्दी बोलते हैं तो कृपया मेरे प्रश्न का जवाब हिन्दी में देंगे तो देश के लाखों-करोड़ों किसान आपकी भाषा अच्छी तरह समझ जाएंगे।

मेरा प्रश्न सीधा है। डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में वर्ष 1962 से वर्ष 1967 तक हम लोग इस पर आंदोलन करते थे और कहां करते थे कि उसर, बंजर आबाद करेंगे, भूमि सेना का निर्माण करेंगे। जो हमारे गांव के निर्धान, निर्बल, गरीब किसान हैं, सीमान्त और लघु किसान की श्रेणी में हैं, दलित और वनवासी हैं, जो नौजवान बेरोजगार हैं, उन कृषि क्षेत्र के नौजवानों की भूमि सेना बनाना, उनके हाथ में रोजगार देना, उनको रोजगार भी मिलेगा और वे अपने श्रम से पसीने से जो धरती को माता समझते हुए उन्हें लगाव है तो इस देश की सभी उसर बंजर, पथरीली भूमि को आबाद करके हरियाली में परिवतर्तित कर सकते हैं तो इस योजना को उस रूप में लागू करने में क्या सरकार विचार करेगी जिससे कि देश की सम्पूर्ण उसर, बंजर, और पथरीली भूमि को हरियाली में परिवर्तित करके देश में एक नवनिर्माण कर सके।

श्री जयराम रमेश: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सांसद के जो सुझाव हैं, इस पर जरूर विचार करूंगा। मुझे याद है कि 20-25 वर्ष पहले कई राज्य सरकारों ने, खासतौर से जब श्री राम कृष्ण हेगड़े जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वहां भूमि सेना की स्थापना की गयी थी और अलग-अलग राज्यों में भी यह प्रयास किया गया था। यह सुझाव अच्छा है। उसर और बंजर भूमि के हरियाली के कार्यक्रम में क्या हम ऐसा केन्द्र सरकार की ओर से भूमि सेना की स्थापना कर सकते हैं, हम इस पर जरूर विचार करेंगे। किन्तु मनरेगा कार्यक्रम में मैं यह कहना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं इस अवसर का उपयोग यह बताने के लिए करना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता ने नरेगा के बारे में जो कुछ कहा है, वह पूरी तरह गलत है। वास्तव में, यह बताने के स्पष्ट साक्षम है कि नरेगा के अन्तर्गत कृषि मजदूरी बढ़ी है। कृषि किए जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मनरेगा के अंतर्गत लगभग 68 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण और हरियाली के लिए है जिसके बारे में माननीय सदस्य बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इथेनॉल की खरीद

***165. राजकुमारी रत्ना सिंहः**
श्री एस. अलागिरीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत इथेनॉल की कुल उपलब्धता/खरीद की तुलना में देश में इथेनॉल की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या तेल विपणन कंपनियों ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत इथेनॉल की खरीद में कम रुचि दर्शाई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) अधिसूचित 20 राज्यों और 4 संघ राज्य प्रदेशों में 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 105 करोड़ लीटर एथेनोल की आवश्यकता के संबंध में उपलब्धता की स्थिति और संबंधित राज्य सरकारों से मंजूरी के अनुसार 13 राज्यों और 3 संघ राज्य प्रदेशों में केवल 55.87 करोड़ लीटर एथेनोल के लिए संविदा किया गया है और दिनांक 31.7.2011 तक 28.79 करोड़ लीटर एथेनोल की आपूर्ति की गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार ने दिनांक 16.8.2010 को निर्णय लिया है कि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) सरकार द्वारा तय किए गए घोषित मूल्य पर एथेनोल के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई एथेनोल की पूरी मात्रा खरीदेंगी। सरकार द्वारा 27 रुपए/लीटर का तदर्थ कारखाना मूल्य निर्धारित किया गया था जो ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनोल के मूल्य निर्धारण से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले अंतिम मूल्य के संबंध में समयोजन की शर्त पर है। सरकार के निर्णय के अनुसरण में ओएमसीज सरकार द्वारा निर्धारित तदर्थ कारखाना मूल्य पर घरेलू आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई एथेनाल की पूरी मात्रा की अधिप्राप्ति करके ईबीपी कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं।

(घ) सरकार के दिनांक 16.8.2010 के निर्णय के अनुसार चीनी उद्योग द्वारा एथेनोल की मात्रा और स्थलों के आबंटन के लिए और उपलब्धता की संभावना का पता लगाने तथा अन्य प्रक्रियागत मुद्दों के लिए भी एथेनोल के आबंटन के लिए अधिकारियों का कार्य समूह गठित किया गया है। तदनुसार, कार्य समूह ने कार्यक्रम के स्थिर होने तक कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर नियमित आधार पर निगरानी रखी है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों से ओएमसीज को भंडारण संबंधी अनुमति प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ईबीपी कार्यक्रम के लिए अपेक्षित एथेनोल के आबंटन और एथेनोल के परिवहन के लिए अनुमति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

एथेनोल आपूर्ति के वर्तमान संविदा की अवधि 30.9.2011 तक समाप्त हो जाएगी और ओएमसीज 1.10.2011 से सभी राज्यों और 4 संघ राज्य प्रदेशों को कवर करने के लिए एथेनोल की आपूर्ति हेतु नए प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए नई ईओआई मंगाने की व्यवस्था कर रही हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करना

***166. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नामांकित निष्पादन एजेंसियों को जारी की गई धनराशि परियोजनाओं की लागत से कम थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) बिहार में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम तथा द्वितीय चरण के निर्माण-कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) सड़कों के निर्माण में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) नामित निष्पादन एजेंसियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियां रिलीज की जाती हैं।

(ग) चरण-I और II में मंजूर किए गए 298 और 670 सड़क कार्यों में से क्रमशः 269 और 563 सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं।

(घ) और (ङ) "ग्रामीण सड़क" राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों को निष्पादित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

रेल परिवहन विनियामक

***167. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित पैनल/समितियों/आयोगों की सिफारिशों पर ध्यान देने तथा उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का रेल दुर्घटनाओं के मामलों की जांच करने तथा चूकों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु एक स्वतंत्र रेल परिवहन विनियामक बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) और (ख) जी हां। प्रत्येक रेल दुर्घटना की मॉनीटरिंग करने और इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया है। दुर्घटनाओं को उनके परिणम के आधार पर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 113 के प्रावधानों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार प्रत्येक दुर्घटना के मामले में जांच का स्तर निर्धारित किया जाता है, अर्थात् उसकी जांच नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत रेल संरक्षा आयोग द्वारा की जायेगी या रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों (जोन/मण्डल) स्तर पर इसका निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक क्रियाविधि अर्थात् जांच करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, कार्रवाई करना आदि के लिए समय-सीमा निर्धारित है। छोटी दुर्घटनाओं के लिए मण्डल स्तर पर (कनिष्ठ वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए) अथवा क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/उच्च प्रशासनिक ग्रेड के स्तर की उपयुक्त जांच समिति गठित की जाती है। उन दुर्घटनाओं जिनमें मानव जीवन की क्षति हुई हो या संपत्ति की बड़ी हानि हुई हो, में जांच रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जाती है। कुछ मामलों में "जांच आयोग अधिनियम, 1952" के अंतर्गत गठित एक आयोग द्वारा भी जांच की गई है। इसके अलावा, भारतीय रेलों के संपूर्ण संरक्षा को मॉनीटर करने के लिए और उपयुक्त सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विशेषज्ञ समितियां गठित की जाती हैं।

2008-09 से 2010-11 और चालू वर्ष (जुलाई, 2011 तक) के दौरान रेलवे बोर्ड को 329 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं और बिना चौकीदार वाले समपारों पर 190 घटनाएं रिपोर्ट की गई। प्रत्येक दुर्घटना/घटना की जांच या तो रेल संरक्षा आयोग या विभागीय जांच समिति द्वारा की जाती है। इब तक 501 दुर्घटनाओं/घटनाओं के संबंध में जांच पूरी कर ली गई हैं। अब तक 501 दुर्घटनाओं/घटनाओं के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है। इनमें से 50 मामलों की जांच रेल संरक्षा आयोग द्वारा की गई और शेष की जांच विभागीय जांच समिति द्वारा की गई। बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई सभी 190 दुर्घटनाओं में दुर्घटना की जिम्मेदारी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 131 के अंतर्गत सड़क उपयोगकर्ताओं की पायी गई। शेष 311 मामलों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई। 2008-09 से 2010-11 और चालू वर्ष (जुलाई, 2011 तक) के दौरान अब तक चूक करने वाले 200 कर्मचारियों पर बड़ी शास्ति का और 273 पर छोटी शास्ति का दण्ड लगाया गया। इस अवधि के दौरान इनमें से 80 रेल कर्मचारियों को रेल सेवा से हटा दिया गया/बर्खास्त कर दिया गया।

(ग) और (घ) किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से रेल दुर्घटनाओं की जांच कराने की प्रक्रिया के संबंध में रेल अधिनियम, 1989 में व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। ऐतिहासिक रूप से 1940 में केन्द्रीय विधायिका ने सिफारिश की थी कि "रेलवे के वरिष्ठ सरकारी निरीक्षकों को रेलवे बोर्ड के अलावा भारत सरकार के किसी प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाना चाहिए"। तदनुसार, "रेलवे इन्सपेक्टोरेट" को मई, 1941 में "डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स एण्ड एयर" के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था और उसके बाद लगातार यह जिस किसी मंत्रालय में नागर विमानन विभाग होता है, उसके नियंत्रण में है। पूर्ववर्ती रेलवे इन्सपेक्टोरेट' का नाम 01-11-1961 को बदलकर रेल संरक्षा आयोग कर दिया गया। भारतीय रेल नेटवर्क को नौ सर्किलों में बांटा गया है जिनके प्रधान रेल संरक्षा आयुक्त होते हैं। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त और रेल संरक्षा आयुक्त नागर विमानन मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं।

यद्यपि कि रेल दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र है, फिर भी इस तंत्र को और सुदृढ़ करने पर विचार किया जा रहा है।

तेल कंपनियों की लेखापरीक्षा

***168. श्री के. सुगुमार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों की कुछ तेल कंपनियों ने नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अपने अभिलेख/आंकड़े दिखाने से कथित रूप से इंकार कर दिया है जिससे वित्तीय घाटे के पकिलन हेतु नियंत्रक महालेखापरीक्षक का अधिकार क्षेत्र सीमित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 13 नवंबर, 2007 के पत्र द्वारा आठ ब्लाकों नामत: पन्ना-मुक्ता, ताप्ती, केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 (केजी-डी-6), आरजे-ओएन-90/1, राव्वा, हजीरा, केजी-ओएसएन-2001/3 और पीवाई-3 की विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) से निवेदन किया था।

उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अनुसार, सरकार को अपने प्रतिनिधियों या भारत में पंजीकृत मान्यताप्राप्त चार्टरित लेखाकारों की योग्यता प्राप्त किसी फर्म के जरिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो (2) वर्ष (आपवादिक परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अवधि) के भीतर लेखा परीक्षा कराने का अधिकार है।

तदनुसार, इन उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में सरकार ने वर्ष 2006-07 तक के लिए सरकार द्वारा नियुक्त मान्यताप्राप्त चार्टरित लेखाकारों की योग्यता प्राप्त फर्म के जरिए लेखापरीक्षा कराई थी। तथापि, रायल्टी और लाभ पेट्रोलियम के रूप में इन उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में सम्मिलित अधिक मात्रा में पण पर विचार करते हुए, सरकार ने इन पीएससीज के लिए विशेष लेखा परीक्षा कराने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से अनुरोध किया था।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सूचित किया है कि दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2006-07 तक के लिए सरकार द्वारा नियुक्त मान्यताप्राप्त चार्टरित लेखाकारों की योग्यता प्राप्त फर्म के जरिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो (2) वर्ष (आपवादिक परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अवधि) के भीतर लेखा परीक्षा कराने का अधिकार है।

तदनुसार, इन उत्पादन हिस्सेदारी संविधाओं में सरकार ने वर्ष 2006-07 तक के लिए सरकार द्वारा नियुक्त मान्यताप्राप्त चार्टरित लेखाकारों की योग्यता प्राप्त फर्म के जरिए लेखापरीक्षा कराई थी। तथापि, रायल्टी और लाभ पेट्रोलियम के रूप में इन उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में सम्मिलित अधिक मात्रा में पण पर विचार करते हुए, सरकार ने इन पीएससीज के लिए विशेष लेखा परीक्षा कराने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से अनुरोध किया था।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सूचित किया है कि दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2006-07 और 2007-08 के लिए इन वर्षों के लेन-देन से संबद्ध पूर्ववर्ती वर्षों के रिकार्ड तक पहुंच के साथ प्रारंभ में चार ब्लाकों नामत: पन्ना-मुक्ता, ताप्ती, केजी-डी-6 और आरजे-ओएन-90/1 के रिकार्डों की लेखापरीक्षा की जाएगी। प्रारंभ में प्रचालकों ने, इस आधार पर कि सरकार पीएससी के तहत लेखापरीक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग पहले हीकर चुकी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इन रिकार्डों को सौंपने में आपत्ति जताई थी। तथापि, उसके बाद इन चार ब्लाकों से संबद्ध विशिष्ट दस्तावेजों को सौंपने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विशिष्ट अनुरोध पर इस मंत्रालय ने इन रिकार्डों को सौंप जाने को सुसाध्य बनाने के लिए उक्त चार ब्लाकों के प्रचालकों के साथ इस मामले को उठाया था।

बाद में प्रचालक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाने वाले लेखा परीक्षा को सुसाध्य बनाने के लिए सभी ब्यौरे मुहैया कराने और रिकार्ड सौंपने के लिए सहमत हो गए थे।

(ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने दिनांक 7.6.2011 के पत्र (गोपनीय चिन्हित) द्वारा हाइड्रोकार्बन उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससीज) के संबंध में मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस मंत्रालय ने पीएससी मामलों के संबंध में अपनी तकनीकी शाखा डीजीएच की सहायता से दिनांक 8 जुलाई, 2011 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उत्तर प्रस्तुत कर दिया था। प्रचालकों अर्थात मैसर्स कैर्न, आरआईएल और पीएमटी संयुक्त उधम से क्रमशः आरजे-ओएन-90/1, केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3, पन्ना-मुक्ता और मध्य तथा दक्षिण ताप्ती ब्लाकों से संबंधित मसौदा टिप्पणियों के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों को भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले अग्रेषित कर दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा चार (4) ब्लाकों/क्षेत्रों नामतः आरआईएल, कैर्न, बीजीईपीआईएल और ओएनजीसी के संविदाकारों के साथ तथा डीजीएच और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ भी दिनांक 12 जुलाई, 2011 को एक निष्कर्शण बैठक की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद इसे संसद में सदन के पटल पर रखा जाएगा।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा आरक्षण

***169. श्रीमती ऊषा वर्मा:**
श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशें की नियुक्ति के संबंध में भारतीय विधि आयोग के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार न्यायपालिका में महिलाओं/अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ख) विधि आयोग ने अपनी 214वीं रिपोर्ट (2008) में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का विस्तार से विश्लेषण किया है और यह संप्रेक्षण किया है कि 1993 में न्यायाधीश के मामले और 1998 में सलाहकारी राय द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का सूक्ष्म संतुलन बिगड़ गया है। आयोग ने प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित दो विकल्पों का सुझाव दिया था:

(i) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में स्पष्टता, संगतता और पारदर्शिता लाने के लिए I, II और III न्यायाधीश मामले-एआईआर 1982 उच्चतम न्यायालय 149 में रिपोर्ट किए गए एस. पी.गुप्ता बनाम भारत संघ, 1993 (4) एस.सी.सी. 441 में रिपोर्ट किए गए उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संगम बनाम भारत संघ और 1998(7) एस.सी.सी. 739 में रिपोर्ट किए गए 1998 के विशेष निर्देश 1 पर पूर्ण पुनर्विचार करना।

(ii) नियुक्तियां करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की प्रमुखत और कार्यपालिका की शक्ति को प्रत्यावर्तित करते हुए एक विधि पारित की जाए।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए व्यावहार्य प्रस्ताव तैयार करने के लिए विभिन्न विकल्पों की समीक्षा की जा रही है। तथापि, किसी विनिर्दिष्ट प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

संविधान, उच्चतर न्यायापालिका में स्त्रियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए किसी आरक्षण का उपबंध नहीं करता है। इस सांविधानिक उपबंध में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा

***170. श्रीमती मीना सिंह:**
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा परिणाम क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितनी सफलता मिली;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजन के अंतर्गत सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विलम्ब का पला चला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) मंत्रालय नियमित रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के निष्पादन की समीक्षा करता है। देश भर में इसके निष्पापदन की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था बहाल की गई है। तिमाही आधार पर आयोजित होने वाली निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों में एमजीएनआरईजीए सहित मंत्रालय की सभी योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की जाती है। विशिष्ट शिकायतों के मामले में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं और क्षेत्र अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निगरानी एवं जांच की जाती है। गंभीर किस्म के मुद्दों की छानबीन करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में केन्द्रीय दल भी तैनात किए जाते हैं केन्द्रीय रोजगार गांरटी परिषद के सदस्य भी निष्पादन की समीक्षा करने के लिए दौरा करते हैं।

(ग) और (घ) इस अधिनियम में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मांग के आधार पर अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने के लिए एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गांरटी दी गई है जिसे विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करके पूरा किया जाता है। चूंकि रोजगार मांग के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार रोजगार पाने वाले परिवारों और सृजित श्रमदिवसों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) और (च) देश में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विलंब के संबंध में मंत्रालय को 26.7.2011 तक कुल 43 शिकायतें मिली हैं। ऐसी शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। चूंकि अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार किया जाता है इसलिए मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतों संबंधित राज्यों को कानून के अनुसार मामलें में मंत्रालय शिकायतों की छानबीन करने के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं को तैनात करता है। एनएलएम की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती हैं।

विवरण-I

महात्मा गांधी नरेगा के परिणाम (रोजगार सृजन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (संख्या)			सृजित श्रम दिवस (लाख में)		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	5699557	6158493	6200423	2735.45	4044.30	3351.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	80714	68157	134527	34.98	16.98	31.12
3.	असम	1877393	2137270	1798372	751.07	732.95	470.52
4.	बिहार	3822484	4127330	4738464	991.75	1136.88	1602.62
5.	छत्तीसगढ़	2270415	2025845	2485585	1243.18	1041.57	1110.35
6.	गुजरात	850691	1596402	1096223	213.07	585.09	491.84
7.	हरियाणा	162932	156406	235281	69.11	59.04	84.20

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	445713	497336	444247	205.28	284.94	219.46
9.	जम्मू और कश्मीर	199166	336036	492277	78.80	128.71	210.68
10.	झारखंड	1576348	1702599	1987360	749.97	842.47	830.90
11.	कर्नाटक	896212	3535281	2224468	287.64	2003.43	1097.85
12.	केरल	692015	955976	1175816	153.75	339.71	480.34
13.	मध्य प्रदेश	5207665	4714591	4407643	2946.97	2624.00	2198.18
14.	महाराष्ट्र	906297	591547	451169	419.85	274.35	200.00
15.	मणिपुर	381109	418564	433856	285.62	306.18	295.61
16.	मेघालय	224263	300482	346149	86.31	148.48	199.81
17.	मिजोरम	172775	180140	170894	125.82	170.33	165.98
18.	नागालैंड	296689	325242	350815	202.70	284.27	334.34
19.	उड़ीसा	1199006	1398300	2004815	432.58	554.09	976.57
20.	पंजाब	147336	271934	278134	39.89	77.17	75.40
21.	राजस्थान	6373093	6522264	5859667	4829.55	4498.10	3026.22
22.	सिक्किम	52006	54156	56401	26.34	43.27	48.14
23.	तमिलनाडु	3345648	4373257	4969140	1203.59	2390.75	2685.93
24.	त्रिपुरा	549022	576487	557055	351.12	460.22	374.51
25.	उत्तर प्रदेश	4336466	5483434	6431213	2272.21	3559.23	3348.97
26.	उत्तरांचल	298741	522304	542391	104.33	182.41	230.20
27.	पश्चिम बंगाल	3025854	3479915	4998239	786.61	1551.68	1553.08
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5975	20337	17636	1.00	5.83	4.03
29.	दादरा और नगर हवेली	1919	3741	2290	0.48	0.70	0.47
30.	दमन और दीव	0	0	0	0.00	0.00	0.00
31.	गोवा	0	6604	13897	0.00	1.85	3.70
32.	लक्षद्वीप	3024	5192	4507	1.82	1.41	1.34
33.	पुडुचेरी	12264	40377	38118	1.64	9.07	11.27
34.	चंडीगढ़	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	कुल	45112792	52585999	54947068	21632.48	28359.46	25715.24

विवरण-II

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विलंब से संबंधित शिकायतें

26.7.2011 की रिपोर्ट के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	शिकायतों की सं.
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	4
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	3
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0
11.	झारखण्ड	2
12.	कर्नाटक	0
13.	केरल	0
14.	लक्षद्वीप	0
15.	मध्य प्रदेश	5
16.	महाराष्ट्र	1
17.	मणिपुर	0
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	उड़ीसा	2
22.	पंजाब	1
23.	राजस्थान	4
24.	तमिलनाडु	0
25.	त्रिपुरा	0
26.	उत्तर प्रदेश	13
27.	उत्तराखंड	1
28.	पश्चिम बंगाल	3
29.	सिक्किम	0
	कुल	43

बिना टिकट यात्रा

***171. श्री वीरेन्द्र कुमारः**
श्री एस.सेम्मलईः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में बिना टिकट यात्रा करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने बिना टिकट यात्री पकड़े गए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए जोन-वार कितनी औचक जांचें की गई;

(ङ) इन छापों के परिणामस्वरूप जोन-वार कितना जुर्माना वसूल किया गया और किराये तथा जुर्माने का भुगतान न करने पर ऐसे कितने व्यक्तियों को सजा हुईः और

(च) रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रह हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) और (ख) जी नहीं। बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु इस अपराध के विरूद्ध गहन जांच के परिणामस्वरूप बिना टिकट/अनियमित टिकट के साथ यात्रा करने वाले अधिकाधिक लोगों को पकड़ा जा रहा है।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 2011 से जून, 2011) के दौरान जोनवार की गई जांचों/छापों की संख्या, बिना टिकट/अनुपयुक्त टिकट से साथ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या, उनसे बसूल की गई धनराशि और जुर्माना न चुकाने के कारण जेल भेजे गए व्यक्तियों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(च) गाड़ियों में बिना टिकट प्रवेश को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

* रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेटों के सहयोग से नियमित और औचक जांचें की जाती हैं।
* विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा इन जांचों की मॉनीटरिंग की जाती है और व्यस्त अवधि के दौरान जांचें बढ़ा जी जाती हैं।
* महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अनारक्षित सेगमेंट में बिना टिकट/अनियमित टिकट के साथ यात्रा के मामलों को कम करने के लिए गहन जांच चौकियां स्थापित की गई हैं।
* 01.07.2004 से बिना टिकट/अनियमित यात्रा के लिए न्यूनतम अर्थदण्ड को 50 रूपये से बढ़ाकर 250 रूपये कर दिया गया है।
* निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने से रोकने के लिए उन व्यक्तियों के लिए जिनकी मासिक आमदनी 1500 रूपये से अधिन न हो, 100 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा करने के लिए सभी सरचाजों को मिलाकर 25 रूपये मूल्य का इज्जत मासिक सीजन टिकट शुरू किया गया है।

विवरण-I

(ग) से (ङ) 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (अप्रैल, 2011 से जून, 2011 तक) की अवधि के दौरान जोनवार की गई जांच/मारे गए छापों की संख्या, बिना टिकट/अनुपयुक्त टिकट के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनसे वसूल की गई राशि और जुर्माना व चुकाने के कारण जेल भेजे गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है

रेलें	बिना टिकट/अनियमित यात्रा के विरूद्ध की गई जांचों की संख्या (लाख में)				(बिना टिकट/अनुचित टिकट के साथ यात्रा करने हुए पाये गए व्यक्तियों की संख्या (लाख में)			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-जून 2011)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-जून 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	3.61	3.62	3.96	1.12	9.37	10.65	13.07	3.32
पूर्व	0.19	0.20	0.20	0.05	4.33	4.71	5.50	1.57
पूर्व मध्य	0.05	0.05	0.05	0.01	3.87	4.62	5.75	2.32
पूर्व तट	0.13	0.14	0.15	0.03	1.34	1.60	1.82	0.47
उत्तर	1.11	1.13	1.14	0.29	13.83	15.88	18.75	5.53
उत्तर मध्य	0.72	0.73	0.82	0.18	6.04	7.03	8.08	2.69
पूर्वोत्तर	0.27	0.28	0.29	0.07	3.80	4.58	5.90	1.89
पूर्वोत्तर सीमा	0.25	0.27	0.26	0.07	1.94	2.19	2.30	0.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर पश्चिम	0.22	0.23	0.36	0.09	3.04	3.50	4.05	1.28
दक्षिण	1.44	1.80	1.73	0.37	4.33	5.01	6.14	1.68
दक्षिण मध्य	6.11	6.12	5.80	1.19	7.35	8.65	10.57	2.98
दक्षिण पूर्व	0.48	0.48	0.48	0.11	2.01	2.65	3.14	1.02
दक्षिण पूर्व मध्य	0.01	0.01	0.01	0.003	1.53	1.78	2.09	0.60
दक्षिण पश्चिम	0.02	0.04	0.04	0.003	1.84	2.11	2.33	0.59
पश्चिम	1.12	1.14	1.15	0.28	9.11	10.01	11.14	3.76
पश्चिम मध्य	0.51	0.52	0.73	0.21	3.00	3.43	3.74	1.46
कुल	16.24	16.76	17.17	4.08	76.73	88.40	104.37	31.97

रेलें	बिना टिकट/अनियमित यात्रियों से किराया+जुर्माना के रूप में वसूल की गई राशि (लाख रूपये में)				जुर्माना न चुकाने के कारण जेल भेजे गए व्यक्तियों की संख्या			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-जून 2011)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-जून 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	3865	4541	5822	1646	2281	2087	2595	596
पूर्व	1219	1351	1575	450	1505	10059	7518	1474
पूर्व मध्य	1296	1584	1979	858	2317	1936	1764	521
पूर्व तट	471	360	699	183	342	327	263	49
उत्तर	5452	6402	7578	2300	3391	1192	2467	601
उत्तर मध्य	2502	2956	3450	1203	6061	3425	3308	434
पूर्वोत्तर	1482	1806	2428	797	2585	2500	2067	458
पूर्वोत्तर सीमा	853	1004	1139	430	13	26	24	2
उत्तर पश्चिम	1055	1202	1436	490	509	256	3	0
दक्षिण	1657	2010	2528	659	90	142	147	24
दक्षिण मध्य	2928	3452	4332	1245	205	112	104	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिण पूर्व	705	922	1135	392	515	360	391	42
दक्षिण पूर्व मध्य	537	637	751	227	0	0	0	0
दक्षिण पश्चिम	697	808	925	257	36	11	0	0
पश्चिम	3417	3844	4485	1614	666	380	487	81
पश्चिम मध्य	1184	1386	1552	638	4479	883	524	132
कुल	29320	34265	41814	13393	24995	23696	21662	4446

सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता

***172. डॉ. बलीराम:**
श्री सी. शिवासामी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की कमी वाले गांवों और आदिवासी क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) सरकार द्वारा पेयजल तथा स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत और अधिक गांवों को शामिल करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु क्या तंत्र बनाया गया है;

(ङ) क्या इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी जा रही है/प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन देशों के नाम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार देश में ग्रामीण आबादी को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार के विभाग अपने राज्य, जिला तथा उप जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल गुणवत्ता की जांच करते हैं और मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑन लाईन समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में इसकी जानकारी देते हैं। ऐसी जांच के आधार पर 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार राज्यों ने जानकारी दी है कि 26713 जनजातीय बसावटी सहित 121046 बसावटें ऐसी हैं जिनके कुछ पेयजल स्रोत जल गुणवत्ता से प्रभावित हैं और जिन्हें अभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

भारत सरकार खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) चला रही है जिसे वर्ष 1999 में व्यापक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। टीएससी मांग आधारित, परियोजना आधारित कार्यक्रम है इसमें जिले को एक इकाई माना जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार जिला परियोजना बनाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण जिले में बेसलाइन सर्वेक्षण कराने के लिए केंद्रीय सहायता देती है। इस समय टीएससी भारत के 607 ग्रामीण जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। टीएससी के अंतर्गत ऐसे सर्वेक्षणों के माध्यम से निर्धारित वास्तविक उद्देश्य तथा राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के लिए बजटीय आबंटन को भारत निर्माण से पहले 2004-05 में 2900 करोड़ रू. से बढ़ाकर 2011-12 में 9350 करोड़ रू. कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक बसावटों में पेयजल आपूर्ति की जा सके। 1.4.2009 से एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्य कवरेज तथा जल गुणवत्ता समस्याओं के लिए उनको रिलीज की गई निधियों के 65 प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं।

टीएससी के संबंध में 31 मार्च, 2001 तक कार्यान्वयन के लिए केवल 85 जिला परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से प्रत्येक वर्ष टीएससी के अंतर्गत जिलों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई है जिससे स्वच्छता सुविधाओं की मांग बढ़ी है और इस समय यह देश के 607 ग्रामीण जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) 2010-11 से विभाग ने राज्यों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे वार्षिक कार्य योजनाएं बनाएं और वित्तीय वर्ष के शुरू में ही इसे अनुमोदित कराएं। राज्यों को ऑन लाइन आईएमआईएस में लक्षित बसावटों को चिन्हित करने के लिए भी कहा है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी आईएमआईएस, नियमित वीडियों कान्फ्रेंसिंग, राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों, क्षेत्र अधिकारियों के दौरों, राज्य विशिष्ट कार्यशालाओं और विशेष समीक्षाओं के माध्यम से की जा रही है।

टीएससी में निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा प्रभाव की निगरानी करने की एक व्यापक प्रणाली है जिसमें आवधिक प्रगति रिपोर्ट, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, राज्यों के साथ वीडियों कान्फ्रेंसिंग, क्षेत्र अधिकारी योजना तथा राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां शामिल हैं। इसके अलावा राज्यों को पाँच सूत्रीय प्रणाली अपनाने की सलाह दी गई है जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जानकारी देना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी, (iv) जवाबदेही, सामाजिक लेखा-परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सतर्कता एवं निगरानी करना शामिल हैं। टीएससी के लिए व्यापक वेब आधारित ऑन लाइन निगरानी प्रणाली भी बनाई गई है।

(ङ) तथा (च) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए राज्यों द्वारा प्रारित विदेशी सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-III पर दिए गए हैं।

विवरण-I

कुछ पेयजल स्त्रोतों तथा गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से ग्रस्त शेष बसावटें जिन्हें कवर किया जाना है
(1.4.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल बसावटें	फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	लवणता	नाइट्रेड
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	585	459	0	0	126	0
2.	असम	18683	192	2089	16402	0	0
3.	बिहार	18427	3338	1111	13978	0	0
4.	छत्तीगढ़	7845	188	0	7534	123	0
5.	गुजरात	323	111	0	0	65	147
6.	हरियाणा	30	27	0	0	3	0
7.	जम्मू और कश्मीर	26	2	0	1	23	0
8.	झारखंड	808	93	5	709	0	1
9.	कर्नाटक	7599	3114	42	1813	861	1769
10.	केरल	969	109	0	623	191	46
11.	मध्य प्रदेश	2917	2651	0	4	261	1
12.	महाराष्ट्र	2696	860	1	591	482	762

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मणिपुर	4	0	0	4	0	0
14.	मेघालय	102	0	0	102	0	0
15.	नागालैंड	166	0	0	166	0	0
16.	उड़ीसा	14810	475	0	13190	1117	28
17.	पंजाब	55	22	0	2	31	0
18.	राजस्थान	31698	10319	8	54	20211	1106
19.	तमिलनाडु	509	3	0	428	75	3
20.	त्रिपुरा	6196	0	0	6196	0	0
21.	उत्तर प्रदेश	1038	204	331	53	449	1
22.	उत्तराखंड	14	1	0	11	0	2
23.	पश्चिम बंगाल	5546	939	1752	2351	504	0
	कुल	121046	23107	5339	64212	24522	3866

विवरण-II

क्र.म.	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या	स्वीकृत घटक (एकक)						
			आईएचएचएल बीपीएल	आईएचएचएल एपीएल	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर	स्कूल शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	आरएसएम/ पीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	22	6636229	3629688	10265917	575	115908	14990	220
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	115560	18301	133861	318	3944	1866	39
3.	असम	26	2220017	1161020	3381037	211	34772	16819	115
4.	बिहार	38	6195779	4975535	11171314	2362	76581	6595	364
5.	छत्तीसगढ़	16	1568600	1823853	3392453	618	52338	10211	106
6.	दादरा और नगर हवेली	1	2480	0	2480	12	0	0	1
7.	गोवा	2	17935	27388	45323	150	731	547	3
8.	गुजरात	25	2046857	3331630	5378487	1671	28617	23460	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हरियाणा	20	636940	1458494	2095434	1335	9160	7599	17
10.	हिमाचल प्रदेश	12	218154	632583	850737	1229	17863	10408	59
11.	जम्मू और कश्मीर	21	703071	767732	1470803	1080	27277	1070	103
12.	झारखंड	24	2327306	1402189	3729495	1203	42687	11472	249
13.	कर्नाटक	29	2889224	2981691	5870915	1305	39267	26353	296
14.	केरल	14	961831	111911	1073742	1090	3600	4957	98
15.	मध्य प्रदेश	50	3614346	4852847	8467193	1602	137730	27595	385
16.	महाराष्ट्र	33	3623439	6104904	9728343	8210	87452	60076	355
17.	मणिपुर	9	194887	68367	263254	386	3919	1201	35
18.	मेघालय	7	216333	85500	301833	290	10331	1851	36
19.	मिजोरम	8	89903	18975	108878	560	3219	1543	20
20.	नागालैण्ड	11	1 80092	31254	211346	275	2972	1302	29
21.	उड़ीसा	30	4485050	2571598	7056648	818	70663	25160	289
22.	पुडुचेरी	1	18000	0	18000	0	26	16	3
23.	पंजाब	20	623198	544370	1167568	411	7464	3274	81
24.	राजस्थान	32	1960903	5023430	6984333	1544	68134	21198	317
25.	सिक्किम	4	51302	35712	87014	789	1604	340	12
26.	तमिलनाडु	29	4422133	4244955	8667088	1438	53678	27970	249
27.	त्रिपुरा	4	454757	169017	623774	226	6833	6024	35
28.	उत्तर प्रदेश	71	8303794	12372693	20676487	2366	269860	107302	428
29.	उत्तराखण्ड	13	441631	444670	886301	470	3925	1601	81
30.	पश्चिम बंगाल	19	6619158	4997498	11616656	1140	134081	84168	441
	कुल	**607**	**61838909**	**63887805**	**125726714**	**33684**	**1314636**	**506968**	**4634**

आईएचएचएस - वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय

बीपीएल - गरीबी रेखा से नीचे

एपीएल -गरीबी रेखा से ऊपर

आरएसएम - ग्रामीण स्वच्छता बाजार

पीसी - उत्पादन केन्द्र

विवरण-III

संपार्श्विक वित्तपोषित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाएं

1. 1334 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत पर जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल कॉपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा वित्तपोषि होगेन्नकल जल आपूर्ति एवं फ्लोरोसिस मिटिगेशन परियोजना। जेबीआईसी द्वारा स्वीकृत ऋण 1141. 33 करोड़ रु. है तथा शेष 192.67 करोड़ रु. तमिलनाडु सरकार द्वारा वहन किए जाने हैं।

2. के एफ डब्ल्यू (जर्मन सरकार) द्वारा वित्तपोषित राजस्थान जल आपूर्ति योजना (अपनी योजना) वर्ष 1994 में स्वीकृत की गई थी, जिसके अंतर्गत 325 गांवों एवं 2 शहरों को कवर किया जाना था। कार्यान्वयन के दौरान, नए राजस्व गांवों तथा शेष गांवों को शामिल किया गया था तथा कुल गांवों की संख्या बढ़ाकर 376 कर दी गई थी। इसके अलावा, चरण-I की 40 अन्य बसावटों को भी परियोजना में शामिल किया गया था। परियोजना की लागत 77.1 मिलियन यूरो थी। परियोजना की अंतिम तारीख दिसम्बर 2008 थी, परंतु कुछ कार्यकलाप अभी किए जाने हैं।

3. महाराष्ट्र के एफ डब्ल्यू (जर्मन सरकार) की सहायता वाली ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना एक समुदाय संचालित एक मांग आधारित परियोजना है जिसके लिए जर्मन सरकार ने भारतीय जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत 23.826 मिलियन • सहायता दी है। वित्तीय सहायता में 22.426 मिलियन • का मानक ऋण तथा 1.380 मिलियन • का अनुदान शामिल है। के एफ डब्ल्यू तथा भारत सरकार के बीच ऋण तथा वित्तपोषण समझौता 28.12.2000 को हुआ था। परियोजना को महाराष्ट्र के तीन जिलों नामतः पुणे, अहमदनगर तथा औरंगाबाद में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत लगभग 275 गांवों को कवर किया जाना है। परियोजना को मार्च, 2001 में शुरू किया गया था। कार्यान्वयन अवधि 2007 तक 6 वर्ष की थी। बाद में, इसे बढ़ाकर दिसम्बर, 2009 किया गया।

4. जेबीआईसी सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति परियोजना जून, 97 से लागू है और इसकी अंतिम तारीख मई, 08 है। बाद में इसे अगस्त, 2009 तक बढ़ाया गया था। इस परियोजना की कुल राशि 11997 मिलियन येन है। क्रियान्वयन एजेंसी केरल जल प्राधिकरण है।

विश्व बैंक वित्तपोषित आरडब्ल्यूएसएस परियोजनाएं

1. विस्तारित द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना : परियोजना की अनुमोदित सहायता 150 मिलियन अमरीकी डॉलर है। परियोजना 15.6.2010 को शुरु हो गई थी और इसके 30.6.2013 तक पूरा होने की आशा है। चल रही परियोजना के सभी घटकों के पूरा करने के लिए परियोजना के लिए विश्व बैंक से अतिरिक्त निधियां प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में अवितरित राशि 148.38 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

2. उत्तराखंड ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना : परियोजना की अनुमोदित सहायता 120 मिलियन अमरीकी डॉलर है। परियोजना 30.11.06 को शुरू हुई थी और 30.6.12 तक पूरी होगी। वर्तमान में अतिरिक्त राशि 97.02 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

3. पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना : परियोजना की अनुमोदित सहायता 154 मिलियन अमरीकी डॉलर है। परियोजना पर 26.2.07 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसके 31.3.12 तक पूरा होने की आशा है। वर्तमान में अवितरित राशि 126.80 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

4. 150 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण राशि के लिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (एपीआरडब्ल्यूएसएसपी) परियोजना 23 मार्च, 2010 से प्रभावी है तथा इसे 30.11.2014 तक पूरा किए जाने की आशा है। वर्तमान में अवितरित राशि 129.50 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

राहत तथा बचाव कार्य

***173. श्री कपिल मुनि करवारिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोई रेल दुर्घटना होने पर राहत तथा बचाव कार्य शुरू करने के लिए निर्धारित मानक औसत समय कितना है तथा वास्तव में कितना समय लगता है;

(ख) क्या हाल ही में राहत और बचाव कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलंब होने की घटनाओं का पता चला है;

(ग) यहा हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे का राहत और बचाव कार्यों के लिए एक संगठित तथा आधुनिक कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) रेलवे के पास राहत और बचाव कार्यों के लिए चिह्नित स्थानों पर रखे हुए 208 दुर्घटना राहत गाड़ियों और 163 दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों और 320 स्थैतिक दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरणों का नेटवर्क है जिससे भारतीय रेलों के संपूर्ण रेल नेटवर्क को कवर किया जाता है। किसी दुर्घटना जिसमें चोट लगने या मृत्यु हो जाने या होने की संभावना शामिल हो, के बारे में सूचना प्राप्त होते ही डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मचारियों, बचाव कर्मियों तथा इंजीनियरों के साथ दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों (एआरएमवी) को दुर्घटना स्थल पर भेज दिया जाता है। एआरएमवी को भेजे जाने का लक्ष्य समय उनके लिए आदेश दिये जाने के समय से अधिकतम 60 मिनट हैं। एआरएमवी और एआरटी को दुर्घटना स्थल के लिए भेजते समय अन्य सभी गाड़ियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे कम से कम समय में दुर्घटना स्थल तक पहुंच सकें। कई बार सड़क द्वारा दुर्घटना स्थल तक पहुंचने की सुगम्यता को देखते हुए रेलवे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ और अन्य अधिकारी दुर्घटना स्थल पर सड़क द्वारा पहुंचते हैं।

बहरहाल, राहत और बचाव कार्य ऑन बोर्ड कर्मचारियों, वहाँ उपलब्ध अन्य रेल कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तथा अन्य एजेंसियों आदि द्वारा तुरन्त शुरू कर दिया जाता हैं

(ख) जी नहीं। दुर्घटना स्थल पर या उसके निकट जिस प्रकार की भी सहायता उपलब्ध रहती है, उससे राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया जाता है और तत्काल राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए उपलब्ध रेलवे संसाधनों के साथ कम से कम संभव समय में उस स्थान पर पहुंचने के सभी प्रयास किये जाते हैं। राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और तेजी से राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने के लिए उनकी निगरानी मण्डल/मुख्यालय स्तर पर की जाती है और बहुत से मामलों में सीधे रेलवे बोर्ड द्वारा भी निगरानी रखी जाती है। बड़ी दुर्घटनाओं और अन्य प्रकार की प्राकृतिक और मानवकृत आपदाओं को सम्भालने के लिए सभी मण्डलों, क्षेत्रीय रेलों और रेल मंत्रालय में आपदा प्रबंधन योजनाएं बनायी गई हैं जहाँ त्वरित कार्रवाई करने के लिए विभिन्न रेल अधिकारियों द्वारा सभी क्षेत्रों से जुटाए गए संसाधनों का लेखा-जोखा रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय रेलों के पास राहत और बचाव कार्यों के लिए दुर्घटना राहत गाड़ियों और दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मचारियों, इंजीनियरों आदि सहित समर्पित और प्रशिक्षित अधिकारियों के रूप में एक सुसंगठित कार्य बल हैं। उन्हें ऐसे कार्यों के लिए उनमें वृद्धि करने और उन्हें उन्नत करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबन्धन अधिनियम लागू होने के परिणामस्वरूप पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय आपदा प्रयुत्तर बल (एनडीआरएफ) का गठन किया गया है। एनडीआरएफ देश में सभी प्रकार के आपदाओं में राहत और बचाव अभियानों को संभालने के लिए एक विशेषज्ञ बल है और रेलें, यात्री गाड़ियों की बड़ी दुर्घटनाओं में उनकी सहायता लेती हैं।

[अनुवाद]

मिलावटी पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री

***174. श्री नारनभाई कछाड़िया:**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों के कई खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मिलावटी पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कितने पेट्रोल पंप मालिक ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त पाए गए;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी मिलावट को रोकने के लिए कोई विशेष तंत्र बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) बाजार में पेट्रोल/डीजल और उपलब्ध विभिन्न अपमिश्रकों के बीच मूल्य में अधिक अंतर होने के कारण, कुछ बेइमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल की मिलावट करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि विगत तीन वर्षों 2008-09 से 2010-11 और अप्रैल-जून, 2011 के दौरान मिलावट के सिद्ध मामलों की तुलना में 189 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप समाप्त कर दी गई हैं।

(ग) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट, विपथन आदि जैसी अनियमितताओं/कदाचारों को रोकने के लिए अनेक पहलें की हैं अर्थात् खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन, वैश्विक स्थिति ज्ञान प्रणाली (जीपीएस) आदि के जरिए टैंक ट्रकों की आवा-जाही पर निगरानी।

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज भी खुदरा बिक्री केन्द्रों की नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं और मिलावट और कदाचारों में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) और डीलरशिप करारों के तहत कार्रवाई करती हैं। एमडीजी में मिलावट, मोहरों की छेड़छाड़ और वितरण इकाइयों में अप्राधिकृत फिटिंग/गीयर जैसे गंभीर कदाचारों के लिए पहली बार में ही डीलरशिप समाप्त करने की व्यवस्था है।

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) में उल्लेख किया गया है, उन सभी खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को जहां मिलावट सिद्ध हुई थी, समाप्त कर दिया गया था।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस के भंडार

***175. कुमारी सरोज पाण्डेय**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां विगत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस के भंडाए पाए गए हैं;

(ख) उनमें कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ग) इन स्थानों से गैस का वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या गुजरात के अंकलेश्वर में संभाल शहर से लगा हुआ प्राकृतिक गैस भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन के डी-6 ब्लाक जितना ही समृद्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो पाए गए उक्त गैस भंडारों से देश प्राकृतिक गैस उत्पादन के मामले में कितना आत्मनिर्भर हो सकेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह): (क) उन स्थलों के ब्यौरे, जहां विगत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

राज्य का नाम	खोजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	7
गुजरात	3
असम	5
त्रिपुरा	7
तमिलनाडु	1
पूर्व तट	15
पश्चिम तट	9

(ख) उपर्युक्त खोजों से लगभग 17.15 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) गैस मिलने का अनुमान है।

(ग) इन खोजों से गैस का वाणिज्यिक और बाद में क्षेत्र विकास योजनाओं के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

(घ) कैम्बे क्षेत्र, खम्बात क्षेत्र में 0.273 ट्रिलियन घन फुट (टीसीएफ) के तत्स्थान गैस भंडार, केजी-डी 6 ब्लाक में डी1 और डी3 गैस खोजों की क्षेत्र विकास योजना में अनुमोदित तत्स्थान 12. 59 टीसीएफ के गैस भंडारों से कम है।

(ङ) (घ) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल उपरिपुल

***176. श्री जोसेफ टोप्पो:**
श्री पन्नालाल पुनिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल उपरिपुलों तथा मानवरहित/मानव संचालित रेल समपारों के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों तथा नीतिगत ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर पूर्व राज्यों में उत्तर-पूर्व सीमांत रेल के अंतर्गत पड़ने वाले उन रेल उपरिपुलों और रेल समपारों का ब्यौरा क्या है जो अभी भी निर्माणाधीन है;

(ग) उन निर्माणाधीन रेल उपरिपुलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनका कार्य निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(घ) राज्य-वार ऐसे निर्माणाधीन रेल उपरिपुलों का कार्य पूरा होने में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ङ) पूरे देश में असम तथा उत्तर-पूर्व राज्यों सहित राज्य-वार व्यस्त रेल समपारों पर रेल उपरिपुलों के निर्माण के विचाराधीन प्रस्तावों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त निर्माझा कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): (क) उपरि सड़क पुल और बिना चौकीदार वाले और चौकीदार वाले समपारों के लिए नीतिगत रूपरेखा सहित दिशानिर्देश निम्नानुसार है:

(i) रेलें, समपार के बदले सड़क उपरि पुलों की लागत में वहां भागीदारी करती हैं, जहां यातायात घनत्व अर्थात् गाड़ी वाहन इकाई एक लाख या अधिक होती है।

(ii) राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी पूर्वनिर्धारित औपचारिकताएं जैसे, समपारों को बन्द करने के लिए वचन देना, राज्य के बजट में धनराशि की व्यवस्था करना, भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम कार्रवाई करना आदि पूरा करके उपरि सड़क पुलों के निर्माण के लिए समुचित प्राथिमिकता देकर प्रस्ताव प्रायोजित करती है। वे प्रस्ताव जो मौजूदा नियमों के अंतर्गत तकनीकी रूप से व्यावहारिक पाये जाते हैं उन्हें रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। धनराशि का कार्यवार आबंटन (i) वर्ष के दौरान उपलब्ध धनराशि (ii) कार्य की स्थिति (iii) संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनके वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में दी गई प्राथमिकता (iv) संरक्षा संबंधी मामलों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(iii) बिना चौकीदार वाले नए समपारों की अधिक संख्या संरक्षा की दृष्टि से अवांछनीय है। अत:, नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए चौकीदार वाले समपार, उपरि/नीचले सड़क पुल की व्यवस्था, समायोजन, (एकोमोडेशन) कार्य के रूप में पूर्णत: रेलवे की लागत पर की जाती है।

(iv) नई लाइनों के चालू होने के दस वर्ष बीत जाने के बाद तकनीकी रूप से व्यावहारिक स्थानों पर उपरि सड़क पुल या समपार की व्यवस्था राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के अनुरोध पर उनकी पूर्ण लागत पर की जा सकती है।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में लागत में भागीदारी के आधार पर वर्ष 2011-12 में असम में जोरहाट रेलवे स्टेशन के निकट किलोमीटर 67/0-1 पर समपार संख्या एफएम-58 स्पेशल के बदले एक उपरि सड़क पुल स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार से सामन्य व्यवस्था आरेखण प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है, ताकि विस्तृत अनुमान और अभिकल्प आरेखण तैयार किया जा सके। किसी अन्य पूर्वोत्तर राज्य में लागत में भागीदारी के आधार पर कोई दूसरा उपरि सड़क पुल स्वीकृत नहीं है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी लागत पर 19 उपरि सड़क पुलों तथा 03 निचले सड़क पुलों का निर्माण शुरू किया है, जिनकी प्रत्यक्ष रूप से एन एच ए आई द्वारा योजना बनाई जा रही है और क्रियान्वयन किया जा रहा है और ये कार्य विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में ग्यारह अन्य उपरि सड़क पुलों का कार्य प्रगति पर हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किया जा रहा है और 07 निचले सड़क पुलों का निर्माण एकोमोडेशन कार्य के रूप में रेलों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) कोई भी निर्माणाधीन ऊपरि सड़क पुल निर्धारित कार्यक्रम से पीछे नहीं चल रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) असम और पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में उपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए क्षेत्रीय रेलों के पास विचारधीन लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(च) स्वीकृत उपरि सड़क पुलों के निर्माण कार्यो का पूरा होना इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के पास धन की उपलब्धता, राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त भूमि की व्यवस्था करना, सम्पर्क मार्गों का निर्माण आदि पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम
1	2
1.	जिला-जलगांव, महाराष्ट्र, मध्य रेल में इगतपुरी-भूसावल खंड के बीच कि.मी. 316/26-28, पर समपार सं. 118 के बदले ऊपरी सड़क पुल
2.	जिला-थाने महाराष्ट्र, मध्य रेल में सीएसटी मुंबई-कल्याण खंड के बीच कि.मी. 42/273 पर समपार सं. 29 के बदले ऊपरी सड़क पुल
3.	जिला-थाने, महाराष्ट्र, मध्य रेल में दीवा-वसई खंड के बीच कि.मी. 78/12-14 पर समपार सं. 9 के बदले ऊपर सड़क पुल
4.	जिला-जामतारा, झारखण्ड पूर्व रेलवे में चित्तरंजन-बोडमा खंड के बीच कि.मी. 242/25-27 पर समपार सं. 7ए/टी के बदले ऊपरी सड़क
5.	जिला-जामतारा, झारखण्ड, पूर्व रेलवे में रूपनारायणपुर-चित्तरंजन खंड के बीच कि.मी. 235/1-3 पर समपार सं.5/विशेष के बदले ऊपरी सड़क पुल
6.	जिला-जामतारा, झारखण्ड, पूर्व रेलवे में जामतारा-बोडमा खंड के बीच कि.मी. 251/7-9 पर समपार सं. 9वीं के बदले ऊपर सड़क पुल
7.	जिला-देवघर, झारखण्ड, पूर्व रेलवे में मधुपुर-नवापतरा खंड के बीच पर समपार सं. 20 के बदले ऊपरी सड़क पुल
8.	जिला-दक्षिण 24 परागना, पश्चिम बंगाल, पूर्व रेलवे में बारासात-हसनाबाद के बीच कि.मी. 40/13-15 पर समपार सं. 39/बी/ई के बदले ऊपरी सड़क पुल
9.	जिला-समस्तीपुर, बिहार, पूर्व मध्य रेलवे में दलसिंगसराय-नाजीरगंज खंड के बीच कि.मी. पर समपार सं. 32-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल
10.	जिला-विजयनगरम, आंध्र प्रदेश, पूर्व तट रेलवे में कोमतीपल्ली-गजपतीनगरम खंड के बीच कि.मी. 436/12 पर समपार सं. आरबी-234 के बदले ऊपरी सड़क पुल

1	2
11.	जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, पूर्व तट रेलवे में रायपुर-मंदिराहसौद खंड के बीच कि.मी./ 4/10-11 पर समपार सं. आरबी-1 के बदले ऊपरी सड़क पुल
12.	जिला-बरनाला में पंजाब, उत्तर रेलवे, भटिंडा-धुरी खंड के बीच एनएच-71 पर कि.मी. 110/11-12 पर समपार सं. 92/ए-2 के बदले ऊपरी सड़क पुल
13.	जिला-संगरूर, पंजाब, उत्तर रेलवे में जाखल-धुरी-लुधियाना खंड के बीच एनएच-64 पर कि.मी. 77/1-2 पर समपार सं. ए-66/2 के बदले ऊपरी सड़क पुल
14.	जिला-भटिंडा, पंजाब, उत्तर रेलवे में भटिंडा-फिरोजपुर के बीच एनएच-15 पर कि.मी. 299/4-5 पर समपार सं. 1ए/विशेष के बदले ऊपरी सड़क पुल
15.	जिला फिरोजपुर, पंजाब, उत्तर रेलवे में जालंधर-फिरोजपुर के बीच एनएच-15 पर कि.मी. 76/5-6 पर समपार सं. ए-86 के बदले ऊपरी सड़क पुल
16.	जिला-अमृतसर, पंजाब, उत्तर रेलवे में अमृतसर-खेमकरन के बीच एनएच-15 पर समपार सं. ए-12 के बदले ऊपरी सड़क पुल
17.	जिला-फरीदकोट, पंजाब, उत्तर रेलवे में भटिंडा-फिरोजपुर के बीच एनएच-15 पर कि.मी. 341/9-10 पर समपार सं. 26 विशेष के बदले ऊपरी सड़क पुल
18.	जिला-फिरोजपुर, पंजाब, उत्तर रेलवे में भटिंडा-फिरोजपुर के बीच एनएच-95 पर कि.मी. 381/2-3 पर समपार सं. ए-54/2ई के बदले ऊपरी सड़क पुल
19.	जिला-जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश, उत्तर रेलवे में गाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच कि.मी. 53/19-20 पर समपार सं. 45 के बदले ऊपरी सड़क पुल
20.	जिला-अयोध्या, उत्तर रेलवे में लखनऊ-मुगलसराय के बीच कि.मी. 995/0-1 पर समपार सं. 116-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल
21.	जिला-देहरादून, उत्तराखंड, उत्तर रेलवे में लक्सर-देहरादून के बीच एनएच-72 पर कि.मी. 72/17-18 पर समपार सं. 36-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल

1	2
22.	जिला-कानपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य रेलवे में कानपुर-टुडला खंड के बीच कानपुर में झाकरकट्टी पर दो लेन वाले नए ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करके मौजूदा दो लेन वाले ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना
23.	जिला-मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य रेलवे में मुगलसराय-इलाहाबाद खंड के बीच कि.मी. 680/23-25 पर समपार सं. 114-सी के बदले ऊपरी सड़क पुल
24.	जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य रेलवे में इलाहाबाद-मानिकपुर खंड के बीच कि.मी. 1334/1-2 पर समपार सं. 424 के बदले ऊपरी सड़क पुल
25.	जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य रेलवे में झांसी-मानिकपुर खंड के बीच कि.मी. 1387/7-8 पर समपार सं. 487 के बदले ऊपरी सड़क पुल
26.	जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश, उत्तर रेलवे में झांसी-आगरा, एनएच-25 पर (झांसी-शिवपुरी मार्ग) निचले सड़क पुल
27.	जिला-जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सलसलाबारी-अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच कि.मी. 170/0-1 पर समपार सं. एसके-114 के बदले ऊपरी सड़क पुल
28.	जिला-अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में नौजबारी-चत्तरहाट खंड के बीच कि.मी. 16/15-16 पर समपार सं. 16 के बदले ऊपरी सड़क पुल
29.	जिला-कटीहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में मलहार हाट-सम्सी खंड के बीच कि.मी. 198/8-9, पर समपार सं. एनसी-101 के बदले ऊपरी सड़क पुल
30.	हरियाणा, उत्तर पश्चिम रेलवे, हिसार-भटिंडा खंड के बीच कि.मी. 151/8-9 पर समपार सं. 100 के बदले ऊपरी सड़क पुल
31.	हरियाणा, उत्तर पश्चिम रेलवे, हिसार-भिवानी खंड के बीच कि.मी. 85/0-1, पर समपार सं. 54-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल

1	2
32.	हरियाणा, उत्तर पश्चिम रेलवे, हिसार-भिवानी खंड के बीच कि.मी. 119/6-7 पर समपार सं. 80 के बदले ऊपरी सड़क पुल
33.	जिला-पुड्डुचेरी, दक्षिण रेलवे में विल्लुपुरम-पुड्डुचेरी के बीच कि.मी. 28/16-29-1 पर समपार सं. 34 के बदले ऊपरी सड़क पुल
34.	जिला-पुड्डुचेरी, पुड्डुचेरी, दक्षिण रेलवे में विल्लपुरम-पुड्डुचेरी के बीच कि.मी. 36/8-9, पर समपार सं. 45 के बदले ऊपरी सड़क पुल।
35.	जिला-निजामाबाद, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में सिकंदराबाद-मुदखेड़ के बीच कि.मी. 465/500-600, पर समपार सं. 193 के बदले ऊपरी सड़क पुल के साथ सबवे
36.	जिला-नालगोंडा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में सिकंदराबाद-काजीपेट के बीच कि.मी. 251/11-13, पर समपार सं. 33 के बदले ऊपरी सड़क पुल के साथ सबवे
37.	जिला-वारंगल, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में सिकंदराबाद-काजीपेट के बीच कि.मी. 289/8-10 पर समपार सं. 44 के बदले ऊपरी सड़क पुल के साथ सबवे।
38.	जिला-अदिलाबाद, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में काजीपेट-बल्हारशाह के बीच कि.मी. 191/21-23, पर समपार सं. 80 के बदले ऊपरी सड़क पुल के साथ सबवे
39.	जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में धरमाचरम-गुट्टी के बीच कि.मी. 203/3-4, पर समपार सं. 124 के बदले ऊपरी सड़क पुल
40.	जिला-अदिलाबाद, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में काजीपेट-बलारशाह के बीच कि.मी. 255/16-18, पर समपार सं. 57 के बदले ऊपरी सड़क पुल
41.	जिला-अदिलाबाद, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में अदिलाबाद-पिमपलकुट्टी के बीच कि.मी 161/4-5, पर समपार सं. 30 के बदले ऊपरी सड़क पुल

1	2
42.	जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में धरमावरम-गुत्ती के बीच कि.मी. 210/01-02, पर समपार सं. 127 के बदले ऊपरी सड़क पुल
43.	जिला-चित्तूर, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में कटपाड़ी-तिरूपति के बीच कि.मी. 101/2-3, पर समपार सं. 102 के बदले ऊपरी सड़क पुल
44.	जिला-कडापा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में रेनूगुंटा-गुंटकल के बीच कि.मी 23/2-3, पर समपार सं. 134 के बदले ऊपरी सड़क पुल के साथ सबवे।
45.	जिला-पश्चिम सिंगभूम, झारखंड, दक्षिण पूर्व रेलवे में राजकरस्वान जंक्शन-बाराजमडा जंक्शन के बीच कि. मी. 325/4-6, पर समपार सं. आरबीके-21 के बदले ऊपरी सड़क पुल।
46.	जिला-पश्चिम सिंगभूम, झारखंड, दक्षिण पूर्व रेलवे में राजकरस्यान जंक्शन-बराजामडा जंक्शन के बीच कि. मी. 330/14-12 पर समपार सं. आरबीके-24 के बदले ऊपरी सड़क पुल
47.	जिला-पश्चिम सिंगभूम, झारखंड, दक्षिण पूर्व रेलवे में राजकरस्यान जंक्शन-बाराजामडा जंक्शन के बीच कि. मी. 335/12-14, पर समपार सं. आरबीके-26 के बदले ऊपरी सड़क पुल।
48.	जिला-पश्चिम सिंगभूम, झारखंड, दक्षिण पूर्व रेलवे में राजकरस्वान जंक्शन-बाराजमडा जंक्शन के बीच कि. मी. 339/36-38 पर समपार सं. आरबीके-30 के बदले ऊपरी सड़क पुल
49.	जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मरोदा स्टेशन के निकट कि.मी. 877/7-8, पर समपार सं. डीडी-10 के बदले ऊपरी सड़क पुल।
50.	जिला-चिकमैंगलूर, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कि.मी. 213/500-600, पर समपार सं. 128 के बदले ऊपरी सड़क पुल।
51.	जिला-देवनगेरी, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कि. मी./323/400-500, पर समपार सं. 198 के बदले ऊपरी सड़क पुल
52.	जिला-तुमकूर, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कि. मी. 139/900-140/00, पर समपार सं. 84 के बदले ऊपरी सड़क पुल।
53.	जिला-बेलारी, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कि. मी. 188/4-5, पर समपार सं. 102 के बदले ऊपरी सड़क पुल।
54.	जिला-गडग, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कि. मी. 56/300-400, पर समपार सं. 32 के बदले ऊपरी सड़क पुल।
55.	जिला-गडक, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कि. मी. 185/800, पर समपार सं. 80 के बदले ऊपरी सड़क पुल।
56.	जिला-बैंगलोर, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कि. मी. 332/000-100, पर समपार सं. 131 के बदले ऊपरी सड़क पुल
57.	जिला-बैंगलोर, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कि.मी. 203/100-200, पर समपार सं. 136 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

[हिन्दी]

सुरक्षित पेयजल

***177. डॉ. भोला सिंहः**
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों के ऐसे गांवों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है जहां पेयजल में आर्सेनिक, नाइट्रेट तथा फ्लोराइड तत्वों की मात्रा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं तथा पर्यावरण आदि पर इन रासायनिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार ने पेयजल में इन रासायनिक तत्वों की मात्रा कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता मिली है; और

(च) सरकार द्वारा इन गांवों से शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीब्ल्यूपी) के जरिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार के विभाग अपनी राज्य, जिला और उप-जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के जरिए नियमित रूप से जल गुणवत्ता परीक्षण करते हैं और मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑनलाइन समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली पर इसकी जानकारी देते हैं। 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार राज्यों ने यह बताया है कि पेयजल स्रोत में जल गुणवत्ता की समस्या वाली 1,21,046 बसावटें शेष बची हैं जिन्हें स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जानी है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) अत्यधिक आर्सेनिकयुक्त पेयजल के लंबे समय तक सेवन से आर्सिनीकोसिस, केराटोसिस और मेलानोसिस जैसी बिमारियां जबकि अत्यधिक फ्लोराइडयुक्त पेयजल के सेवन से नाइट्रेट के सेवन से शिशुओं में मेथामोग्लोबीनिमिया या ब्लूबेबी सिन्ड्रोम हो सकता है।

(घ) स (च) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से पेयजल स्रोतों की परीक्षण करवाएं ताकि स्वच्छत पेयजल का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों से यह कहा गया है कि जब कभी भी किसी बसावट में कुछ पेयजल स्रोतों में इन रासायनिक संदूषकों की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई जाती है तब वे विशेषकर आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्याओं के लिए वैकल्पिक सतही जल निकायों से स्वच्छत जल उपलब्ध कराएं। एक्वीफर्स में संदूषकों के लिए वैकल्पिक सतही जल निकायों से स्वच्छ जल उपलब्ध कराएं। एक्वीफर्स में संदूषकों को अपने आप कम करने के लिए मंत्रालय से स्वच्छ जल उपलब्ध कराएं। एक्वीफर्स में संदूषकों को अपने आप कम करने के लिए मंत्रालय ने पुरजोर तरीके से भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण को प्रोत्साहित किया है। यद्यपि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने आर्सेनिक और फ्लोराइड दूर करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाया है फिर भी संचालन एवं रख-रखाव के लिए अपेक्षित कौशल, जल के उत्पादन की उच्च लागत और रिजेक्ट मैनेजमेंअ मुद्दों की वजह से ये प्रौद्योगिकियां स्थायी नहीं पाई गई थीं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को किए गए कुल आबंटन की 65% राशि का उपयोग गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज के लिए किया जा सकता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत बजट आबंटन को 2009-10 में 8000 करोड़ रू. से बढ़ाकर 2010-11 से 9350 करोड़ रू. कर दिया गया है। भारत निर्माण चरण-II के अंतर्गत 1.4.2009 से 30.6.2011 तक 81538 पेयजल योजनाओं के जरिए गुणवत्ता प्रभावित 61275 बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। निम्न ब्यौरा संलग्न विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

कुछ पेयजल स्रोतों में जलगुणवत्ता की समस्या वाली शेष बची बसावटों की संख्या, जिन्हें कवर किया जाना है (1.4.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य कुल	बसावट	फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	खारापन	नाइट्रेट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	585	459	0	0	126	0
2.	असम	18683	192	2089	16402	0	0
3.	बिहार	18427	3338	1111	13978	0	0
4.	छत्तीसगढ़	7845	188	0	7534	123	0
5.	गुजरात	323	111	0	0	-65	147
6.	हरियाणा	30	27	0	0	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	जम्मू और कश्मीर	26	2	0	1	23	0
8.	झारखण्ड	808	93	5	709	0	1
9.	कर्नाटक	7599	3114	42	1813	861	1769
10.	केरल	969	109	0	623	191	46
11.	मध्य प्रदेश	2917	2651	0	4	261	1
12.	महाराष्ट्र	2696	860	1	591	482	762
13.	मणिपुर	4	0	0	4	0	0
14.	मेघालय	102	0	0	102	0	0
15.	नागालैंड	166	0	0	166	0	0
16.	उड़ीसा	14810	475	0	13190	1117	28
17.	पंजाब	55	22	0	2	31	0
18.	राजस्थान	31698	10319	8	54	20211	1106
19.	तमिलनाडु	509	3	0	428	75	3
20.	त्रिपुरा	6196	0	0	6196	0	0
21.	उत्तर प्रदेश	1038	204	331	53	449	1
22.	उत्तराखंड	14	1	0	11	0	2
23.	पश्चिम बंगाल	5546	939	1752	2351	504	0
	कुल	**121046**	**23107**	**5339**	**64212**	**24522**	**3866**

विवरण-II

1.4.2009 से 8.8.2011 तक जल आपूर्ति योजनाओं से कवर की गई गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10 से 2011-12(8 अगस्त तक) के दौरान कवर की गई गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कुल सं.	कॉलम 3 में गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने वाली योजनाएं
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	352	49
3.	अरूणाचल प्रदेश	253	318

1	2	3	4
4.	असम	9185	10218
5.	बिहार	16117	13635
6.	चण्डीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ़	3328	4891
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0
9.	दमन व दीव	0	0
10.	दिल्ली	0	0
11.	गोवा	0	0
12.	गुजरात	809	1312
13.	हरियाणा	105	40
14.	हिमाचल प्रदेश	12	10
15.	जम्मू और कश्मीर	1	1
16.	झारखण्ड	1305	2202
17.	कर्नाटक	3859	6620
18.	केरल	163	49
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1157	3439
21.	महाराष्ट्र	3084	3292
22.	मणिपुर	1	1
23.	मेघालय	24	25
24.	मिजोरम	0	0
25.	नागालैंड	23	24
26.	उड़ीसा	4056	4100
27.	पुडुचेरी	8	8
28.	पंजाब	337	262
29.	राजस्थान	6433	4891
30.	सिक्किम	0	0

1	2	3	4
31.	तमिलनाडु	1010	1406
32.	त्रिपुरा	1667	1442
33.	उत्तर प्रदेश	3409	10975
34.	उत्तराखंड	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	4577	12328
	कुल जोड़	**61275**	**81538**

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कार्य-निष्पादन

***178. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (घ) लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना (2001-02) तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की अखिल भारतीय गणना (2006-07) के अनुसार रजिस्टर्ड क्षेत्र में यूनिटों की संख्या और रोजगार जो 31 मार्च 2002 को क्रमशः 13.75 लाख और 61.63 लाख थी 31 मार्च 2007 तक बढ़कर 15.64 लाख और 93.09 लाख हो गई थी। रजिस्टर्ड क्षेत्र में सकल उत्पादन 2001-02 में 2,03,255 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 के दौरान 7,07,510 करोड़ रुपये हो गया है।

सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्द्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं में क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, परफार्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शामिल हैं।

इस क्षेत्र से संबंधित मामलों को देखने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया गया था और इसने 2010 में की गई अपनी सिफारिशों में देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि के लिए नीति/कार्यक्रम समर्थन, संस्थागत मामलों और विधिक/नियामक उपायों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों में प्रमुख क्षेत्रों जैसे क्रेडिट, कराधान, श्रमिक मामले, अवसंरचना/प्रौद्योगिकी/कौशल विकास, विपणन, पुनरुत्थान और निर्गम नीति तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष उपाय शामिल हैं। इस कार्यबल की अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है तथा बकाया सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समूह कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी कर रहा है।

[हिन्दी]

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

***179. श्री भीष्मशंकर *उर्फ* कुशल तिवारी:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा डिजिटाइजेशन का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसका उद्देश्य क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान आवंटित धनराशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) उन राज्या वक्फ बोर्डों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त कार्य अब तक पूरा किया जा चुका है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में, जिसे राज्य सभा में 23 सहायत से राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा की थी। इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा राजय वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना का शुभारंभ दिसम्बर, 2009 में हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अभिलेखों के रख-रखाव के कार्य को कारगर बनाना, पारदर्शिता लाना तथा राज्य वक्फ बोर्डों की विभिन्न कार्य प्रणालियों को कम्प्यूटरीकृत करना है। योजना के तहत "वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (वामसी) नामक वेब आधारित सॉफटवेयर विकसित किए जाने की परिकल्पना की गयी है। वामसी के तहत एक सेन्ट्रलाइज्म डाटा बेस के तहत सभी राज्य वक्फ बोर्डों की वक्फ परिसंपत्तियों से संबंधित सूचना वार मॉडयूलों अर्थात् वक्फों का पंजीकरण, वक्फ परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टा ब्यौर, वार्षिक लाभों का आकलन तथा कानूनी विवाद संबंधी सूचनाएं समाहित की जानी है। इस प्रणाली के तहत डॉक्युमेंट मेनेजमेंट सिस्टम का भी प्रावधान होगा, जिसके माध्यम से अभिलेखों का रख-रखाव और स्कैनिंग किया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। यह योजना जम्मू कश्मीर राज्य वक्फ बोर्ड सहित 30 राज्य वक्फ बोर्डों के साथ-साथ केन्द्रीय वक्फ परिषद और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के लिए मान्य है।

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), राज्य वक्फ बोर्डों तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) को स्वीकृत एवं जारी धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार है-

वर्ष	स्वीकृत बजट	जारी धनराशि
2009-10	10.00	8.06
2010-11	13.00	3.62
2011-12 (31 जुलाई, 2011 तक)	5.00	0.27
कुल	28.00	11.95

आज की तिथि के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा एनआईसी, 26 राज्य वक्फ बोर्डों तथा सीडब्ल्यूसी को ₹ 11.95 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है। मंत्रालय ने समय-समय पर तथा हाल ही में 25 अप्रैल, 2011 को राजय वक्फ बोर्डों से यह अनुरोध किया है कि वे योजना के तहत जारी धनराशि को उपयोग में लाए जाने के आशय के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

चौदह राज्य वक्फ बोर्डों में सेन्ट्रलाइज्ड कम्प्यूटिंग फेसिलिटी (सीसीएफ) स्थापित कर दी गयी है तथा इन राज्य वक्फ बोर्डों में रजिस्ट्रेशन मॉडयूल में डाटा प्रविष्टि का कार्य कर दिया गया है। जिन शेष राज्य वक्फ बोर्डों को धनराशि जारी की गयी है, उनमें भी सीसीएफ स्थापित किए जाने का कार्य पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति

***180. श्री पी. करुणाकरन:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को पर्याप्त तथा सस्ते आवास उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आवास तथा पर्यावास नीति लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार धनराशि के आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी कच्चे मकानों की जगह टिकाऊ और आपदा-सह मकान बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त नीति के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और इसके अंतर्गत कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने का अनुमान है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं पर्यावास नीति को शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बीपीएल) परिवारों को उनके मकानों के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए देश के पर्वतीय

क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2011-12 में आईएवाई के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों या ऐसे ग्रामीण परिवारों, जिनके पास खुद का मकान नहीं है, को स्थायी मकान का निर्माण करने के लिए सहायता दी जाती है। उन्हें आपदारोधी मकानों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। वर्ष 2010-11 में आईएवाई के अंतर्गत 33.48 लाख बीपीएल परिवारों के लिए मकान मंजूर किए गए थे। वर्ष 2011 में 27.27 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य-वार केन्द्रीय आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आंवटन (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	84762.05
2.	अरूणाचल प्रदेश	3294.85
3.	असम	72857.4
4.	बिहार	250195.44
5.	छत्तीसगढ़	13107.75
6.	गोवा	522.07
7.	गुजरात	41569.23
8.	हरियाणा	5836.35
9.	हिमाचल प्रदेश	2058.51
10.	जम्मू और कश्मीर	6393.85
11.	झारखंड	22316.33
12.	कर्नाटक	32656.5
13.	केरल	18160.05
14.	मध्य प्रदेश	26068.92
15.	महाराष्ट्र	51117.44
16.	मणिपुर	2860.1
17.	मेघालय	4981.27
18.	मिजोरम	1061.56
19.	नागालैंड	3296.27
20.	उड़ीसा	49155.32
21.	पंजाब	7217.84
22.	राजस्थान	20889.15
23.	सिक्किम	630.42
24.	तमिलनाडु	33936.8
25.	त्रिपुरा	6418.13
26.	उत्तर प्रदेश	112377.53
27.	उत्तराखण्ड	5633.93
28.	पश्चिम बंगाल	67805.68
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1075.04
30.	दादरा और नगर हवेली	179.12
31.	दमन और दीव	80.17
32.	लक्षद्वीप	69.47
33.	पुडुचेरी	535.46
	कुल	949120.00

सीआरआरआई के कर्मचारी

1841. श्री पी. के. बिजू: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक कंपनी है, से सेवानिवृत्त कई कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने और संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ और विलंब किए बिना संस्वीकृत करने हेतु कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) ऐसे नौ सेवा-निवृत्त कर्मचारी हैं जिनके सेवा-निवृत्ति लाभ लंबित हैं।

(ख) और (ग) ऐसे कर्मचारियों, उनके लंबित सेवा-निवृत्ति देयों/लाभों के कारण व उनके निपटान हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कारण	लंबित सेवा-निवृत्ति देयों/लाभों के निपटान हेतु उठाए गए कदम
1	2	3	4
1.	श्री ओ. पी. यादव, सेवा-निवृत्ति वैज्ञानिक	सेवा के दौरान श्री यादव के विरूद्ध सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत आरंभ अनुशासनिक मामले को उनकी अधिवर्षिता प्राप्ति पर सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 में परिवर्तित कर दिया गया। चूंकि यह कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है, अतः उनके सेवा-निवृत्ति देयों को नियमानुसार रोक दिया गया है।	जांच अधिकारी की रिपोर्ट/निष्कर्षों को सीएसआईआर में सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है।
2.	श्री दीनदयाल, सेवा-निवृत्त वैज्ञानिक	सेवा के दौरान श्री दीनदयाल के विरुद्ध सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत आरंभ अनुशासनिक मामले को उनकी अधिवर्षिता प्राप्ति पर सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 में परिवर्तित कर दिया गया। चूंकि यह कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है, अतः उनके सेवा-निवृत्ति देयों को नियमानुसार रोक दिया गया है।	जांच बोर्ड की रिपोर्ट को सीएसआईआर में सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है।
3.	सुश्री वी.पी. तातिया, सेवा-निवृत्त वैज्ञानिक	अनेक अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	सभी प्रभागों से सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण 'बेबाकी प्रमाणपत्र' के प्राप्त करने और उसे इस कार्यालय में प्रस्तुत करते ही सुश्री तातिया के रोके गए सेवा-निवृत्ति उपदान को शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

1	2	3	4
4.	श्री भूप सिंह, सेवा-निवृत्त समूह-III कर्मचारी	मेसर्स टू लिंक फिन.लि. बनाम आर.पी. भटनागर एवं अन्य तथा अन्य वसूली मामला आदेश सं. 3815/06-07 और सं. 746/07-08 के मामले में न्यायालय द्वारा चल संपत्ति की कुर्की करने हेतु वारंट जारी करने के अनुसरण में सेवा-निवृत्ति देयों को रोक दिया गया है।	न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में सेवा-निवृत्ति देयों को रोक दिया गया है। इस मामले में न्यायालय के अगले निदेश प्रतीक्षित हैं।
5.	श्री आर.पी. भटनागर, सेवा-निवृत्त समूह-II कर्मचारी	मेसर्स टू लिंक फिन. लि. बनाम अन्य और बड़ौदा बैंक बनाम आर.पी. भटनागर के मामले में न्यायालय द्वारा चल संपत्ति की कुर्की करने हेतु वारंट जारी करने के अनुसरण में सेवा-निवृत्ति देयों को रोका गया है।	न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में सेवा-निवृत्ति देयों को रोका गया है। इस मामले में न्यायालय के अगले निदेश प्रतीक्षित हैं।
6.	श्री देस राज, सेवा-निवृत्त समूह-II कर्मचारी	पांच वर्षों की विभिन्न दीर्घावधियों के लिए सेवा से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण प्रशासनिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	इस कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। उनके द्वारा उत्तर न दिए जाने पर उनके सेवा-निवृत्ति देयों के निपटान से पहले सेवा से उनकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि पर उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई अथवा नियमितीकरण, जैसा भी मामला हो आरंभ की जाएगी।
7.	श्री बी.एस. निगम, सेवा-निवृत्त समूह-II कर्मचारी	सेवा-निवृत्ति के बाद स्टाफ क्वार्टर को बनाए रखने हेतु सीएसआईआर आबंटन नियमावली, 1997 के परंतुक 19.1 के अनुसार सेवा-निवृत्ति उपदान एवं छुट्टी के बदले भुगतान को रोक दिया गया है।	चूंकि उन्होंने अधिवर्षिता प्राप्ति के बाद भी परिषद के आवास को नहीं छोड़ा है, अतः उन्हें सेवा-निवृत्ति देय इस आवास को खाली करने के बाद जारी किए जाएंगे।
8.	श्री सतपाल राणा, सेवा-निवृत्त समूह-II कर्मचारी	सेवा-निवृत्ति के बाद स्टाफ क्वार्टर को बनाए रखने हेतु सीएसआईआर आबंटन नियमावली, 1997 के परंतुक 19.1 के अनुसार सेवा-निवृत्ति उपदान एवं छुट्टी के बदले भुगतान को रोक दिया गया है। इस आवास को खाली करने के बाद जारी किए जाएंगे।	चूंकि उन्होंने अधिवर्षिता प्राप्ति के बाद भी परिषद के आवास को नहीं छोड़ा है, अतः उन्हें सेवा-निवृत्ति देय

1	2	3	4
9.	श्री बधु सिंह, सेवा-निवृत्त समूह-II कर्मचारी	सेवा-निवृत्ति के बाद स्टाफ क्वार्टर को बनाए रखने हेतु सीएसआईआर आबंटन नियमावली, 1997 के परंतुक 19.1 के अनुसार सेवा-निवृत्ति उपदान एवं छुट्टी के बदले भुगतान को रोक दिया गया है	चूंकि उन्होंने अधिवर्षिता प्राप्ति के बाद भी परिषद के आवास को नहीं छोड़ा है, अत: उन्हें सेवा-निवृत्ति देय इस आवास को खाली करने के बाद जारी किए जाएंगे।

[हिन्दी]

के वी आई सी को निर्यात संवर्द्धन परिषद का दर्जा देना

1842. **श्री ओम प्रकाश यादव:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को सुचारू करने और उसमें वृद्धि करने के लिए सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को मानित निर्यात संवर्द्धन परिषद का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को यह दर्जा दिया गया;

(ग) यह दर्जा दिए जाने के बाद क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) यह दर्जा प्रदान किए जाने के कारण आगामी दो वर्षों में महिलाओं तथा ग्रामीण लोगों के बीच रोजगार के कितने अवसर सृजित किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार ने खादी व ग्रामोद्योग (केवीआईसी) को दिनांक 11 दिसंबर 2006 की अधिसूचना के माध्यम से प्रतिष्ठित निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसी) का दर्जा दिया है।

(ग) और (घ) केवीआईसी-ईपीसी से व्यापार संबंधी सूचना प्रदान करने, व्यावसायिक परामर्श देने, विदेशी बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए विदेश में प्रतिनिधिमंडलों के दौरे आयोजित करने, व्यापार मेलों में भागीदारी, भारत तथा विदेशों में प्रदर्शनियों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन, निर्यातक समुदाय और सरकार के बीच संव्यवहार बढ़ाने तथा निर्यातों/आयातकों का एक डाटा बेस तैयार करने की उम्मीद की जाती है। आरईजीपी/पीएमईजीपी इकाइयां और केवीआईसी-ईपीसी में पंजीकृत केवीआई संस्थान विदेशी बाजारों में अपने उत्पादों के एक्सपोजर से लाभान्वित होते हैं।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

1843. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेंशनरों के लिए आयु सीमा कम कर 55 या 60 वर्ष की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केरल सरकार को इस पेंशन योजना के लिए कितनी राशि संस्वीकृत की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) भारत सरकार ने 1.4.2011 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत 80 वर्श या इससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय सहायता 200 रु. से बढ़ाकर 500 रु. कर दी है। वर्तमान में, आईजीएनओए पीएस के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 1.4.2011 से आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पेंशनभोगियों के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से कम करके 60 वर्ष कर दी है। वर्तमान में, पेशनभोगियों के

लिए आयु सीमा 60 वर्ष से और घटाकर 55 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जिसमें आईजीएनओएपीएस शामिल है, के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केरल को रिलीज की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	रिलीज (रु. में)
2008-09	57,79,21,000
2009-10	59,43,00,000
2010-11	66,15,00,000
2011-12 (अप्रैल से जुलाई 2011)	25,65,67,000

[हिन्दी]

दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे द्वारा प्रापण

1844. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव सृजित दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर अभी भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों की उपेक्षा कर छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों की उपेक्षा कर उत्तीसगढ़ से बाहर जैसी कोलकाता तथा अन्य शहरों से मदों की खरीददारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवें द्वारा उक्त रेलवे जोन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन हेतु इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय रेल उत्पादों की खरीद अर्हकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर पूरे भारत से करती है और इसलिए छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियों के उत्पादों की उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(च) एक विशेष क्षेत्र में उद्योग की उद्यमियों की पहल के अनुसार स्थापित किया जाता है। एक विशेष क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए रेलवे की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

परती भूमि का विकास

1845. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए विशेष प्रयास किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान परती भूमि से कृषि योग्य भूमि में बदली गई भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(घ) क्या सरकार ने परती भूमि से कृषि योग्य भूमि में बदली गयी भूमि पर खेती के स्तर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग वर्ष 1995-96 से तीन क्षेत्र विकास योजनाओं अर्थात सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित करता रहा है। वाटरशेड कार्यक्रमों के मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने के लिए श्री एस. पार्थसारथी की अध्यक्षता में डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी संबंधी एक तकनीकी समिति (2006) का गठन किया गया था जिसने इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य कार्यनीतियों एवं तंत्रों की सिफारिशें की। समिति के सुझावों के आधार पर वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने योजना आयोग के समन्वय से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 तैयार किए। समान मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबंधों तथा पार्थसारथी समिति की टिप्पणियों के कारण भूमि संसाधन विभाग की वाटरशेड योजनाओं में परिवर्तन करना अपेक्षित हो गया। तदनुसार, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने हेतु डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी को 26.02. 2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है। आईडब्ल्यूएमपी की मुख्य विशेषताओं में सामूहिक आधार पर माइक्रो-वाटरशेडों के विकास की व्यवस्थाएं; किस्तों की संख्या में कमी; परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्ति का राज्यों को प्रत्यायोजन;

समर्पित संस्थाएं; भागीदारों का क्षमता-निर्माण; निगरानी एवं मूल्यांकन; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विशिष्ट बजट प्रावधान; सम्पत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका; और उत्पादन प्रणाली तथा सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं। नए संशोधित कार्यक्रम आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं को देश में वर्षासिंचित/अवक्रमित भूमि पर कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) भूमि संसाधन विभाग द्वारा स्थानिक आंकड़ों की तुलना के जरिए बंजरभूमि के परिवर्तन का पता लगाने के लिए वर्ष 2005-06 और 2008-09 के बीच बंजरभूमि परिवर्तन विश्लेषण के संबंध में एक अध्ययन राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद को सौंपा गया था। इस अध्ययन से विभाग इन दो अवधियों के बीच कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित बंजरभूमि के क्षेत्र का आकलन कर सकेगा। तथापि, कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित बंजरभूमि के वर्ष-वार क्षेत्र का आकलन इस अध्ययन के जरिए व्यवहार्य नहीं है।

(घ) कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित की गई बंजरभूमि पर खेती के स्तर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गृह राज्य में न्यायधीशों की नियुक्ति

1846. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उनके अपने गृह राज्य में नियुक्ति की नीति को बदलने की प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय तारीख 6 अक्तूबर, 1993 और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी राय तारीख 28 अक्तूबर, 1998 पर आधारित है। वर्तमान में इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार के लिए कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एमपी लैड्स के अधीन निधियां

1847. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक एमपी लैड्स के अधीन विभिन्न राज्यों में विकास कार्यों के लिए संसद सदस्यों की सिफारिशों पर संस्वीकृत और जारी निधियों का संसद सदस्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन निधियों को जारी करने में कोई विलंब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) मंत्रालय, माननीय संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित, संस्वीकृत विकासात्मक कार्यों के संबंध में नोडल जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी निधि से संबंधित सूचना नहीं रखता है। तथापि मंत्रालय में मासिक प्रगति रिपोर्टों (एमपीआर) के माध्यम से अनुशंसित, स्वीकृत किए गए कार्यों, किए गए व्यय आदि से संबंधित संचयी सूचना प्राप्त होती है। अनुशंसित, संस्वीकृत कार्यों, किए गए व्यय आदि से संबंधित राज्यवार, वर्ष-वार तथा संसद सदस्य-वार ब्यौरे मंत्रालय की बेबसाइट www. mplads.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) जैसा कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में प्रावधान है, दस्तावेज़ प्राप्त होने पर मंत्रालय जिला प्राधिकारियों को तुरंत निधियां जारी करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव के दौरान धनराशि जब्त करना

1848. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2011 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम में हुए विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा नकद राशि जब्त किए जाने के कुछ मामलों की मीडिया में रिपोर्ट आयी थी;

(ख) यदि हां, तो जब्त की गयी नकद राशि तथा दोषी व्यक्तियों/राजनीतिक दलों के खिलाफ की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में चुनावों के दौरान काले धन के उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां। तमिलनाडु पश्चिमी बंगाल, असम और केरल के राज्य विधान सभा निर्वाचन-2011 के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य पुलिस और भारत सरकार आय-कर विभाग से मिलकर बनने वाले उसके निर्वाचन व्यय को मानीटर करने वाले तंत्र के माध्यम से निर्वाचन के दौरान प्रयोग में लाई गई निम्नलिखित संदिग्ध रकम को अभिग्रहित कराया था:

राज्य	जब्त की गई रकम
तमिलनाडु	रु. 36,54,48,569
केरल	रु. 1,14,03,620
पश्चिम बंगाल	रु. 8,53,79,867
असम	रु. 2,23,79,570

इसके अतिरिक्त, लगभग रु. 21,62,54,842/–के धातु के माल को अभिग्रहित किया गया था।

अभिग्रहीत की गई नकदी को या तो संबंधित राज्य राजकोष में जमा करा दिया गया है या आयकर विधि के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। जहां कहीं अदावाकृत धन का मतदान अपराधों से संबंध है, वहां मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं। इसके सत्यापन के पश्चात् कि धन मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए नहीं था, रु. 2,52,96,080/ की नकदी और रु. 14,04,87,834 के मूल्य के माल को वापस कर दिया गया था।

(ग) निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि निर्वाचनों के दौरान आयोग, ने विभिन्न निर्वाचन व्यय की मानीटरी करने के उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोलना, प्रत्येक नकदी या उपहार की वस्तुओं के वितरण के ऊपर देख कर बन्द करवाने के लिए सचल दल और निगरानी दलों को लगाए जाने, प्रत्येक जिले में 24 घंटे सातों दिन शिकायत मानीटरी प्रणाली को आरंभ करना, रकम की बड़ी मात्रा के लेन देन पर आय-कर विभाग से सहयोगजन करना, लोक रैलियों, बैनरों, पोस्टरों, होर्डिंग पर व्ययों के लिए वीडीयों निगरानी दलों को लगाना, निर्वाचन क्षेत्र में व्यय पर्यवेक्षकों और सहायक व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्त करना प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए छाया पर्यवेक्षण, रजिस्टर का रखा जाना और "संदत्त समाचारों" के उपांतरणों की रिपोर्ट करने के लिए प्रत्येक जिले में मानीटरी समिति और मीडिया प्रमाणन को लगाना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग ने, नैतिक मतदान के लिए इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान को प्रारंभ किया है।

[अनुवाद]

बीएचईएल का विस्तार

1849. **डॉ. पी. वेणुगोपाल:**
श्री पी. कुमार:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेल (बीएचईएल), त्रिची ने आगामी दो वर्षों में 600 करोड़ रुपए के निवेश का एक बड़ा क्षमता विस्तार कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएचईएल, त्रिची देश में अपने माल के प्रेषण के लिए तमिलनाडु में कराइकल पत्तन की सुविधा का उपयोग कर बड़े पैमाने पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स भी शुरु करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) वर्तमान में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की त्रिची यूनिट स्टीम जेनरेटर और वाल्व फैसिलिटी की अपनी विनिर्माण क्षमता में वृद्धि कर रहा है जो कि पावर संयंत्र उपस्कर विनिर्माझा क्षमता को बढ़ा कर 20,000 मेगावाट प्रति वर्ष करने के कंपनी के कार्यक्रम का एक भाग है। इसके अतिरिक्त, यह तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिला के तिरुमयम में पावर प्लांट पाईपिंग यूनिट की भी स्थापना कर रहा है। दोनों को लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश से मार्च, 2012 तक पूरा किए जाने की योजना है।

(ग) और (घ) बीएचईएल की त्रिची यूनिट तमिलनाडु के कराईकल बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए मैरिन शिपिंग सहित

मल्टी-मॉडल परिवहन विकल्पों का पता लगा रही है ताकि रेल और सड़क के माध्यम से हेवी/ओवर डायमेंसन कन्साईनमेंट (ओडीसी) के आवागमन से संबंधित परिवहन समस्याओं को दूर किया जा सके और फैक्टरी से देश भर में फैले ग्राहक प्रोजेक्ट स्थलों तक बायलरों की डिलीवरी में लगने वाले समय को कम किया जा सके।

लक्जरी रेल सेवाएं

1850. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड विभिन्न देशों के ग्राहकों द्वारा भारत में पैलेस ऑन व्हील्स जैसी लक्जरी रेल सेवाओं का उपयोग करने के लिए आकर्षित करने हेतु रेल यूरोप के साथ समझौता करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय चलायी जा रही इस प्रकार की लक्जरी रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का पश्चिम बंगाल सहित देश में इस प्रकार की और अधिक रेलगाड़ियां चलाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। रेल यूरोप ने इस प्रकार की एक गाड़ी अर्थात् दक्कन ओडिसी लक्जरी पर्यटन गाड़ी के लिए भारतीय खानपान और पर्यटन निगम की पर्यटन वेब सर्विस को एकीकृत किया है।

(ग) वर्तमान में, भारतीय रेलें संबंधित राज्य पर्यटन निगमों/आईआरसीटीसी के सहयोग से पांच लक्जरी पर्यटक गाड़ियों जोकि पैलेस ऑन व्हील्स, दक्कन ओडिसी गोल्डन चेरियट, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस चला रही हैं।

(घ) और (ङ) लक्जरी पर्यटक गाड़ियों को राज्य पर्यटन निगम/आईआरसीटीसी की पहल पर शुरू किया जाता है, जोकि बाजार क्षमता और रेलवे द्वारा परिचालनिक व्यवहार्यता के अध्ययधीन है। एक लक्जरी पर्यटक गाड़ी चलाने के लिए पंजाब हैरिटेज और टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड से एक प्रस्ताव प्रापत हुआ है।

विचारण न्यायालय की अवसंरचना

1851. **श्री उदय सिंह:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार न्यायापालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न रज्य सरकारों को कितनी निधियां दी गयी हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) न्याय विभाग ने, न्याय पालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए 1993-1994 से एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन किया है। पूर्व में स्कीम में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के आवासीय सुविधा और न्यायालय भवनों का संनिर्माण सम्मिलित था। सरकार ने जून, 2011 में न्याय पदिान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के लिए अनुमोदन कर दिया है जिसके अधीन न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक विकास, मिशन के अधीन केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम निधियों के साथ अब केवल अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए सहयोगी अवसंरचना का क्षेत्र है।

परिवर्तित स्कीम के अधीन केन्द्रीय सहायता के अनुपात को सिवाय पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मामले में, जहां केन्द्रीय/राज्य का अंशानुपात 90:10 के आधार पर है 50:50 के आधार से बढ़ाकर 75:25 के आधार पर कर दिया गया है। केन्द्र के पास उपलब्ध संसाधन और पिछले दिए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र की (राज्य के अंश सहित) प्राप्ति पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी मांग के आधार पर दिया जाता है।

वर्ष 2010-2011 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदान की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को उपलब्ध किए जाने वाले निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	रकम (रुपए लाख में)
1.	असम	500.00
2.	चंडीगढ़	400.00
3.	छत्तीसगढ़	400.00
4.	हरियाणा	1320.00
5.	हिमाचल प्रदेश	547.00
6.	जम्मू और कश्मीर	140.00
7.	कर्नाटक	500.00
8.	केरल	606.00
9.	मध्य प्रदेश	1738.20
10.	महाराष्ट्र	1458.52
11.	मणिपुर	209.71
12.	मेघालय	200.00
13.	मिजोरम	155.00
14.	नागालैंड	415.29
15.	उड़ीसा	723.00
16.	पुड्डुचेरी	600.00
17.	राजस्थान	70.00
18.	सिक्किम	220.00
19.	त्रिपुरा	100.00
20.	उत्तराखण्ड	688.20
21.	उत्तर प्रदेश	2858.00
22.	पश्चिम बंगाल	425.35
	कुल	14274.27

इंदिरा आवास योजना के अधीन घरों की लागत

1852. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा आवास योजना के अधीन बीस वर्ग मी. के आपदारोधी घर की अनुमानित लागत 90,000 रुपए से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा लाभार्थी को प्रति इकाई लागत हेतु 45,000 रुपए की सहायता निर्धारित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचारा इंदिरा आवास योजना के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 90,000 रुपए करने का है जैसा कि गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा अनुरोध किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय भवन निर्माण संस्थान (सीबीआरआई), रुड्की द्वारा संचालित अध्ययन के अनुसार, देश के विभिन्न भू-जलवायु वाले क्षेत्रों में भूकम्प से निपटने के उपाय, विद्युतीकरण एवं स्वच्छता सुविधाएं, वर्षा जल संग्रहण संरचना सहित लगभग 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले मकान की निर्माण लागत 94,400 रु. से लेकर 1,17,300 रुपए के बीच है।

(ख) और (ग) आईएवाई के अंतर्गत इकाई सहायता को दिनांक 1.4.2010 से संशोधित कर मैदानी क्षेत्रों के लिए 35,000 रु. से 45000 रु. एवं पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 38,500 रुपए से 48500 रुपए कर दिया गया है। इस सहायता के अतिरिक्त, आईएवाई लाभार्थी विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत 4% ब्याज की दर से 20,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकता है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि वह आईएवाई के अंतर्गत इकाई सहायता में वृद्धि करे। इस मामले को 12वीं पंचवर्षीय योजना संबंधी कार्यकारी समूह के समक्ष भी रखा गया है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों हेतु निधियां

1853. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए चलायी जा रही योजनाओं में मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा 75% सुनिश्चित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजनाओं हेतु निधियां इस मसझौते के अनुसार उक्त राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन निधियों को कब तक उक्त राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ग) भारत सरकार ने 1990 में अनुमोदित भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार की प्रथम कार्य योजना के लिए रु. 258 करोड़ के कुल परिव्यय का अपना 75% हिस्सा जारी कर दिया था। इस कार्य योजना का क्रियान्वयन जुलाई, 1999 में पूरा हो गया था।

जुलाई, 2010 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमा की गई नई कार्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास संबंधी योजनाओं के लिए तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रु. 272.75 करोड़ के कुल अनुमोदित परिव्यय का 75% अपना हिस्सा अर्थात रु. 204.56 करोड़ भी जारी कर दिए हैं।

ईएमयू रेलगाडियां

1854. श्री मुरारी लाल सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोंगरगढ़/राजनंदगांव/दुर्ग/भिलाई/रायपुर/भाटापाड़ा/ बिलासपुर/ कोरबा को जोड़ने वाली ईएमयू रेलगाड़ियों की संख्या तथा इनके द्वारा लगाये जाने वाले फेरों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उक्त ईएमयू रेलगाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बे उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार इस रेल खंड पर तीसरी रेल लाइन बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) डोंगरगढ़/राजनंदगांव/दुर्ग/भिलाई/रायपुर/भाटापाड़ा/बिलासपुर/कोरबा को जोड़ने वाली ईएमयू गाडियां नहीं चलाई जा रही हैं। बहरहाल, डोंगरगढ़/राजनंदगांव/दुर्ग/भिलाई/रायपुर/भाटापाडा/बिलासपुर/कोरबा को सेवित करने वाली निम्नांकित मेमू गाड़ियां चलाई जा रही हैं।

क्र.सं.	स्टेशन	मेमू गाडियों की संख्या	आवृति
1.	डोंगरगढ़	14	प्रतिदिन
2.	राजनंदगांव	10	-वही-
3.	दुर्ग	20	-वही-
4.	भिलाई	18	-वही-
5.	रायपुर	21	-वही-
6.	भाटापाड़ा	4	-वही-
7.	बिलासपुर	14	-वही-
8.	कोरबां	4	-वही-

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2011-12 के रेल बजट में भाटापाड़ा, बिलासपुर के रास्ते रायपुर-कोरबा नई मेमू को चलाने की घोषणा भी की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) दुर्ग-सरोना, बिलासपुर-भाटापाड़ा और बिलासपुर-चांपा के बीच तीसरी लाइन को पहले ही चालू कर दिया गया है। दुर्ग-राजनंदगांव और उरकुरा-भाटापाड़ा के बीच तीसरी लाइन का कार्य प्रगति पर है। राजनंदगांव-नागपुर के बीच तीसरी लाइन के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। चांपा-कोरबा के बीच तीसरी लाइन का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

गुजरात से नई रेलगाड़ियों का प्रस्ताव

1855. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को राजकोट से पोरबंदर वाया जेटालसर तक एक नई रेलगाड़ी शुरू करने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा) : (क) और (ख) जेतलसर होकर राजकोट और पोरबंदर के बीच माननीय संसद सदस्यों/मंत्रियों/संगठनों/समूहों/राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों से गाड़ियों को शुरू करने के लिए रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) 01.07.2011 से जेतलसर-वांसजलिया होकर 19571/19572 पोरबंदर-राजकोट एक्सप्रेस के फेरों को सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, रेल बजट 2011-2012 में राजकोट-जेतलसर-वांसजलिया होकर 12949/12950 पोरबंदर-संतरागाछी कवि गुरू एक्सप्रेस (साप्ताहिक) और राजकोट-वांसजलिया होकर 19261/19262 पोरबंदर-कोचुवेली एक्सप्रेस (साप्ताहिक) की घोषणा की गई है। 2011-2012 के दौरान जेतलसर-वांसजलिया होकर 59297/59298 पोरबंदर-वेरावल पैसेंजर को भी शुरू करने की स्वीकृति दी गई है।

सुपर फास्ट ट्रेन

1856. श्री कादिर राणा: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का मुजफ्फरनगर-दिल्ली खंड पर शताब्दी एक्सप्रेस की तर्ज पर और अधिक सुपर फास्ट रेलगाडियां चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की रेलगाड़ियों के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इथेनॉल को मिलाना

1857. श्री रवनीत सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बायो ईधन कार्य नीति के अनुसार पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस ब्लेंडिंग के कार्य के लिए और भारतीय मानक ब्यूरो की विशिष्टयों का अनुपालन करने के लिए कौन सा तंत्र बनाया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सरकार ने दिनांक 16.8.2010 को निर्णय लिया है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा घोषित मूल्य पर विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई एथेनोल की समग्र मात्रा एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए 10 प्रशित की सीमा तक समाविष्ट कर ली जाएगी।

तथापि, एथेनोल की आपूर्ति की उपलब्धता के अनुसार वर्तमान में 13 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में 5 प्रतिशत ईबीपी योजना कार्यान्वियन के अधीन है क्योंकि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) 5 प्रतिशत की सीमा तक मिश्रण हेतु 20 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों के लिए एथेनोल 105 करोड़ लीटर की आवश्यकता के प्रति 13 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में केवल 55.87 करोड़ लीटर एथेनोल का ठेका कर पाने में सक्षम हुई हैं। 5 प्रतिशत ईबीपी योजना को वहीनता के पश्चात् ही एथेनोल मिश्रण कार्यक्रम को 10 प्रतिशत तक आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में सिंचाई सुविधाएं

1858. श्री हरीश चौधरी: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तानों में सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने के लिए कोई तकनीक विकसित की है या कोई अनुसंधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच.पाला) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ जोधपुर जोधपुर राजस्थान में फसलों की नई किस्मों के विकास, वर्षा जल संरक्षण, छिड़काव एवं टपक सिंचाई जैसी माइक्रो सिंचाई तकनीकों इत्यादि को अपनाकर राजस्थान के मरूस्थल में सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने के लिए अनुसंधान करने हेतु केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएजैडआरआई) की स्थापना की है।

[अनुवाद]

रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

1859. श्री शिवराम गौडा:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंधूनुर से मानवी, कोप्पल से अलामाट्टी और गडग से वाडी को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) लोहारू-भिवानी रेल लाइन (हरियाणा) के सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन लाइनों की लम्बाई तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सर्वेक्षण की मद-वार मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रस्तावित नई लाइन	लंबाई (किमी में)	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति
1.	सिंधनूर-मानवी	40		मुनीराबाद-महबूब नगर नई लाइन परियोजना के एक भाग के रूप में इस नई लाइन पर कार्य शुरू किया गया है। सिंधनूर-मानवी-रायचूर के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
2.	कोप्पल-अलमाटी	170	927.72	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
3.	गडग-वाडी	252	1117.66	सर्वेक्षण पूरा हो गया है और प्रस्ताव लाभप्रद नहीं पाया गया है।
4.	लोहारु-भिवानी	137	–	सर्वेक्षण शुरु कर दिया गया है।

चूंकि यह खंड बड़ी परियोजना का भाग है, विशिष्ट खंड के लिए अशंत: लागत परिकलित नहीं की जा सकती।

(घ) सिंधनूर-मानवी खंड पर कार्य पूरा होने में लगभग 4-5 वर्ष लगेंगे बशर्ते इसके लिए भूमि और निधियां उपलब्ध हों। चूंकि कोप्पल-अलमाटी, गडग-वाडी और लोहारु-भिवानी नई लाइन स्वीकृत परियोजनाएं नहीं हैं इसलिए इन परियोजनाओं के पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

ओएनजीसी अवतटीय तथा अपतटीय ड्रिलिंग

1860. श्री ओ.एस. मणियन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अवतटीय तथा अपतटीय ड्रिलिंग गतिविधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले/उपलब्धियां हासिल हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) वर्ष 2010-11 के दौरान ओएनजीसी द्वारा कुल 125 तेल कूपों का वेधन किया गया है जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

आन्ध्र प्रदेश	10
असम	15
गुजरात	40
मध्य प्रदेश	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	8
त्रिपुरा	6

पश्चिम बंगाल	1
पश्चिमी अपतट	24
पूर्वी अपतट	19

(ख) वर्ष के दौरान वेधन किए गए 125 अन्वेषणात्मक कूपों में से 45 कूप हाइड्रोकार्बन युक्त थे जिनमें से 24 नई खोजें हैं और शेष कूप क्षेत्र वृद्धि कूप हैं।

तेल तथा गैस रिजर्व

1861. **श्रीमती जे. शांता:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तेल तथा गैस रिजर्व की कुल क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल तथा गैस की कंपनी-वार मात्रा कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल तथा गैस की औसत लागत कितनी है;

(घ) लागत प्रभावी तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के अधीन निष्पादित/प्रस्तावित गतिविधियों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) देश में कुल तेल और गैस भंडार क्रमशः 660.94 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और 1110.93 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उत्पादित गैस की मात्रा, औसत लागत सहित निम्नानुसार है:

कम्पनी	वर्ष	तेल उत्पादन की मात्रा (एमएमटी में)	औसत लागत (रु./मीट्रिक टन)	गैस उत्पादन की मात्रा (बीसीएम में)	औसत लागत लाख रु./बीसीएम)
ओएनजीसी	2008-09	25.366	10,776	22.486	45.59
	2009-10	24.671	12,815	23.109	53.73
	2010-11	24.419	12,783	23.095	57.99
ओआईएल	2008-09	3.468	8855	2.268	46.45
	2009-10	3.572	9171	2.415	50.74
	2010-11	3.586	9039	2.353	53.06

(घ) सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) और कोल वेड मीथेन नीति (सीबीएम) के विभिन्न दौरों के तहत प्रस्तावित करने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों को तैयार करना।

(ii) विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरण तकनीकों का उपयोग।

(iii) विद्यमान क्षेत्रों से निकासी घटक को बढ़ाने के लिए बर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का उपयोग।

(iv) पुराने होते जा रहे क्षेत्रों से कमी को नियंत्रित करना।

(ङ) ओएनजीसी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत कुल 184 कार्यक्रम हाथ में लिए हैं और आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल में स्थित स्थलों के लिए 657 करोड़ रुपये (लगभग) का व्यय किया है। ओआईएल ने पिछले तीन वर्षों के दौरान असम और

अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सीएसआर कार्यकलापों के लिए 66.89 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है।

केवीआईसी को आवंटन

1862. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को कितना आवंटन किया गया है;

(ख) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आवंटित की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खादी संस्थाओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में खादी संस्थाओं को बढ़ावा दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को वर्ष-वार जारी योजना निधियों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है–

वर्ष	केवीआईसी को जारी निधियां (करोड़ रु. में)
2008-09	1118.39
2009-10	836.06
2010-11	1452.46
(05.08.2011) की स्थिति के अनुसार)	606.50

(ख) और (ग) केवीआईसी को जारी निधियों का उपयोग अनुमोदित योजनाओं में एक समयावधि में किया जाता है। तथापि, हाल में केवीआईसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उपयोग के लिए पूर्व में जारी खादी अनुदान में से 40.35 करोड़ रुपए की एक रकम वापस की है। केवीआईसी के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी संस्थाओं की कम संख्या द्वारा सीमित उत्पादन की वजह से कम उपभोग क्षमता के कारण इ अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका।

(घ) और (ङ) केवीआईसी के अनुसार देश में खारी संस्थानों की संख्या 2005-06 में 1891 से बढ़कर 2009-10 में 2065 हो गई। देश में खादी कार्यकलापों तथा संस्थानों के संवर्धन के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं।

लघु और विनिर्माण कंपनियों को वित्तीय सहायता

1863. श्री नवीन जिंदल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु औषधि विनिर्माण कंपनियों के संयंत्रों का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों के अनुसार उन्नयन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव पर कितना वित्तीय बोझ आने का अनुमान है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) इस समय, औषध विभाग द्वारा लघु औषध निर्माण कंपनियों को अपने संयंत्रों का विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के अनुरुप उन्नयन करने के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि औषध उपक्षेत्र सहित अनुमोदित 47 उप क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा क्रेडिट लिंक्ड केपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार 1.0 करोड़ रुपए के ऋण तक 15% की पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है। औषध तथा भेषज क्षेत्र में अनुसूची "एम अनुपालन तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए अपेक्षित 178 प्रौद्योगिकियों को दिनांक 13.7.2009 को इस स्कीम के अंतर्गत पात्र प्रौद्योगिकियों की सूची में जोड़ा गया था। इस स्कीम के प्रारंभ से जून, 2011 तक 246 औषधि तथा भेषज सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने 15.50 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) उत्तर के भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे का परिचालन अनुपात

1864. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का परिचालन अनुपात बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त उच्च परिचालन अनुपात के साथ नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेलवे का परिचालन अनुपात 2008-09 में 90.5 प्रतिशत, 2009-10 में 95.3 प्रतिशत और 2010-11 में 94.6 प्रतिशत था। 2011-12 के बजट अनुमानों में 91.1 प्रतिशत के परिचालन अनुपात की परिकल्पना की गई है।

परिचालन अनुपात का 90% से अधिक होने का मुख्य कारण छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन होने से कर्मचारी लागत और पेंशनरी प्रभार में तीव्र वृद्धि होना है। यह वृद्धि 2008-09 में 9.1 प्रतिशत, 2009-10 में 8.6 प्रतिशत और 2010-11 में 8.5 प्रतिशत की आमदनी में वृद्धि के बावजूद है। बहरहाल, 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की साधारण वृद्धि की तुलना में क्रमश: 2008-09 और 2009-10 में 33 प्रतिशत और 21 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है।

(ग) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रभाव को संतुलित करने से थोड़े समय के भीतर परिचालन अनुपात में सुधार होने की संभावना है। यातायात आमदनी बढ़ाने और व्यय को नियंत्रित करने के लिए भी रेलवे विभिन्न उपाय कर रही है।

(घ) आंतरिक संसाधनों में संवर्द्धन करने और वित्त मंत्रालय द्वारा सकल बजटीय सहायता में वृद्धि किए जाने के अलावा रेलवे ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पहली बार कर-मुक्त बांड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण

1865. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **अल्पसंख्यक मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में प्रधान मंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए कोई कार्य योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विन्सेंट एच.पाला) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ, जून, 2006 में हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलाप और जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर निगरानी तंत्र का प्रावधान है। अक्टूबर, 2009 में कार्यक्रम की विषय-वस्तु को तीन नई योजनाओं को शामिल कर सुदृढ़ करने और राज्य तथा जिला स्तरीय समितियों में सांसदों तथा विधायकों को शामिल कर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलसमपार

1866. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल समपारों का जिलावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार इन समपारों पर रेल उपरि पुलों और रेल अधोगामी पुलों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए सर्वेक्षणों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा) : (क) रेलें राष्ट्रीय राजमार्गों के जिले-वार या राज्य-वार आंकड़े नहीं रखती है। भारतीय रेलों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर 621 चौकीदार वाले और 139 बिना चौकीदार वाले समपार हैं। जोन-वार समपारों की संख्या संलग्न विवरण के रूप में है।

(ख) से (घ) समपारों पर गाडी वाहन इकाई (टीवीयू) की गणना (सर्वे) एक सतत् क्रिया है और इसे प्रत्येक तीन साल बाद किया जाता हैं। जिन समपारों पर टीवीयू एक लाख से अधिक होती है, वे लागत में भागीदारी के आधार पर आरओबी/आरयूबी के निर्माण हेतु अर्हक होते हैं। यदि कोई समपार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो आरओबी/आरयूबी का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनी लागत पर किया जाता है। यथा समय, राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी समपारों का आरओबी/आरयूबी से बदलाव किया जाएगा। इस समय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर 393 आरओबी को स्वीकृति दी गई है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 07 आरओबी को लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृति दी गई है।

विवरण

(क) 01.04.2011 को राष्ट्रीय राजमार्गों पर समपारों की जोन-वार संख्या

रेलवे	चौकीदार वाले समपार	बिना चौकीदार वाले समपार
मध्य	10	0
पूर्व	32	0
पूर्व मध्य	55	1
पूर्व तट	15	0
उत्तर	90	0
उत्तर मध्य	27	0
पूर्वोत्तर	47	0
पूर्वोत्तर सीमा	53	136
उत्तर पश्चिम	49	0
दक्षिण	66	0
दक्षिण मध्य	30	0
दक्षिण पूर्व	30	1
दक्षिण पूर्व मध्य	34	1
दक्षिण पश्चिम	34	1
पश्चिम	36	0
पश्चिम	33	0
पश्चिम मध्य	14	0
जोड़	621	139

भारतीय तेल निगम के डिपो में आग

1867. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर स्थित भारतीय तेल निगम के ईंधन डिपो में विनाशकारी आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आग लगने के प्राथमिक कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रारंभिक जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस घटना की कोई जिम्मेदारी तय की गई है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 29.10.2009 को नेमी टैंक लाइन-अप का कार्य करने के दौरान जब एक ऑपरेटर वॉल्व का प्रचालन कर रहा था तब उस समय एक टैंक के वॉल्व से भारी मात्रा में मोटर स्प्रिट (एमएस) का रिसाव हुआ था जिससे वाष्प के बादल बन गए थे। किसी अज्ञात स्रोत से चिंगारी निकलने के परिणामस्वरूप वाष्प के बादल में विस्फोट हो गया था जिससे डिपो के सभी 11 टैंकों में आग लगनी शुरू हो गई थी। इस घटना में लगभग 191 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम उत्पादों का नुकसान हुआ और इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) के भवनों और मशीनरी को बदलने पर 160 करोड़ रुपए से अधिक से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी जिसमें से 6 लोग आईओसी के कर्मचारी थे। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। डिपो में विस्फोटों से नजदीकी कारखानों की छत, खिड़कियों के शीशे और दीवारें, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, कुछ रिहायशी भवनों आदि को क्षति पहुंची।

(ग) और (घ) जी हां। जयपुर की अग्नि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए श्री एम.बी.लाल की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया गया था। समिति ने टर्मिनल और डिपुओं पर कार्यान्वयन के लिए 118 सिफारिशें की हैं जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। दुर्घटना का तत्काल कारण सामान्य सुरक्षा पद्धति का पालन नहीं करना था जिसके अंतर्गत

लाइन अप क्रियाकलाप में वॉल्व के प्रचालन का क्रम और अभियांत्रि की डिजाइन शामिल होती है जिसमें हैमर ब्लाइंड वॉल्ड के प्रयोग की अनुमति थी।

(ङ) अक्तूबर, 2009 के दौरान जयपुर टर्मिनल पर आग लगने की घटना के संबंध में आईओसी ने श्री के.एन.अग्रवाल फोरमैन (एफ) और श्री अशोक गुप्ता, जो उस दिन शिफ्त प्रभारी थे, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान राज्य पुलिस भी घटना की जांच-पड़ताल कर रही है। दिनांक 2.7.2010 को आईओसी के राजस्थान राज्य कार्यालय के तत्कालीन महाप्रबंधक सहित आठ अधिकारियों और एक कामगार को गिरफ्तार किया गया था।

(च) एम.बी.लाल समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यान्वयन समिति (जेआईसी) की नियुक्ति की गई हैं जेआईसी, एम.बी.लाल समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर बारीकी से निगरानी रख रही है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की लेखापरीक्षा

1868. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की सामाजिक और वास्तविक लेखापरीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वियन इकाई द्वारा कार्य आदेश जारी होने की तिथि से निर्धारित नौ महीनों के अंदर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी सड़क परियोजनाएं निष्पादित की गई हैं; और

(घ) कितनी परियोजनाएं विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितनी परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) सड़क कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना राज्य सरकारो की जिम्मेवारी है, जोकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही हैं। पीएमजीएसवाई कार्यों का वास्तविक पर्यवेक्षण राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं तथा अन्य अधिकारियों के जरिए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रस्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को यादृच्छिक आधार पर पीएमजीएसवाई कार्यों के निरीक्षण करने के लिए भी भेजा जाता है।

(ग) और (घ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता

1869. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वित्तीय सहायता (ऋण) प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के माध्यम से राज्यवार अपेक्षित धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़ेपन को देखते हुए इस निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा उन व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं आय सृजक कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है, जो दूनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों। निगम द्वारा सावधि ऋण संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। निगम द्वारा स्वसहायता समूह के सदस्यों को लघु ऋण भी गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। एनएमडीएफसी के लक्षित वर्ग मे अल्पसंख्यक समुदाय के वे व्यक्ति शामिल है, जो दूनी गरीबीरेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं अर्थात् वे व्यक्ति श्दि शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनकी आय प्रति वर्ष रु. 55,000 होनी चाहिए तथा यदि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनकी प्रतिवर्ष आय रु. 40,000 होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति संबद्ध राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी में सीधे आवेदन करके

एजेंसी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। गैर-सरकारी संगठन भी लघु ऋण प्राप्त करने तथा उसे अल्पसंख्यक समुदाय के स्वसहायता समूहों के सदस्यों को उधार देने के लिए सीधे एनएमडीएफसी अथवा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वित्त वर्ष (31.7.2001 तक) के दौरान संवितरित धनराशि एवं सहायता प्रदत्त लाभार्थियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी को वर्ष 2007-08 में रु. 750 कोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 में रु. 850 करोड़, वर्ष 2009-10 में रु. 1000 करोड़ तथा वर्ष 2010-11 में रु. 1500 करोड़ कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा एनएमडीएफसी को इसके कार्य संचालन में वृद्धि करने की दृष्टि से इसकी शेयर पूंजी में अंशदान किया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा एनएमडीएफसी को दिनांक 31 जुलाई, 2011 तक निर्गत की गयी इक्विटी शेयर पूंजी की कुल राशि रु. 875.36 करोड़ है।

विवरण

(31.7.2011 को अद्यतन)

धनराशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.25	637	45.00	704	0.00	0		
2.	असम	0.00	0	12.42	230	200.00	2500		
3.	बिहार	904.50	3357	4.50	60	793.50	1854		
4.	चंडीगढ़	2.00	4	6.00	14	4.00	9		
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	100.00	222	100.00	222		
6.	दिल्ली	17.00	34	45.25	158	17.00	38		
7.	गुजरात	300.00	1009	314.33	957	0.00	0		
8.	हिमाचल प्रदेश	75.00	202	230.00	511	115.00	255	70.00	108
9.	हरियाणा	359.00	777	1,076.00	5474	0.00	0		
10.	जम्मू और कश्मीर	420.00	1641	560.00	2272	1,083.00	2920	300.00	663
11.	झारखंड	110.00	447	0.00	0	0.00	0		
12.	केरल	4,229.50	14729	5,183.50	31010	6,079.91	42200	2,000.00	6290
13.	कर्नाटक	450.00	1426	350.00	1600	0.00	0		
14.	महाराष्ट्र	500.00	1000	500.00	1111	1,040.00	2311		
15.	मणिपुर	1.80	20	0.00	0	0.00	0		
16.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय								
18.	मिजोरम	300.00	910	309.81	790	129.00	287		
19.	नागालैंड	500.00	1836	1,170.00	3114	451.00	2029	100.00	154
20.	उड़ीसा	27.00	382	38.25	553	0.00	0		
21.	पुडुचेरी	100.00	303	200.00	1061	200.00	443		
22.	पंजाब	400.00	1628	469.64	1044	961.13	2135		
23.	राजस्थान	100.00	205	302.25	692	700.00	1555		
24.	तमिलनाडु	965.25	8039	2,134.55	16439	3,220.00	31823		
25.	त्रिपुरा	50.00	206	96.00	213	00.00	222	50.00	77
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	5.40	24		
27.	उत्तराखण्ड	0.00	0	20.00	45	0.00	0		
28.	पश्चिम बंगाल	3,214.49	12406	6,606.75	36320	8,128.00	67683	1,000.00	1538
	कुल	13,072.79	51198	19,774.25	104594	23,326.94	158510	3,520.00	8830

महिलाओं को एलपीजी की डीलरशिप

1870. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एलपीजी डीलरशिप प्राप्त करने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास राजीव गांधी ग्रामीण वितरक योजना के अंतर्गत महिलाओं को कुकिंग गैस डीलरशिप प्रदान करने को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) दिनांक 1.7.2010 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत महिलाओं को 941 एलपीजी डिस्ट्रब्यूटरशिप्स आवंटित की है।

(ख) से (घ) राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) के नाम से जानी जाने वाली योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरशिप, चयनित आवेदक और पति/पत्नी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के/की सह-स्वामी होते/होती हैं, के संयुक्त नाम में होती है। योजना कार्यान्वित की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात और आयात

1871. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निजी तेल कंपनियों द्वारा वर्ष-वार, उत्पादन-वार और कुल मात्रा-वार प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का कितना निर्यात/आयात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा भारत में उत्पाद-वार कितनी मात्रा में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों को बेचा गया था; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में काम कर रही विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा वर्ष-वार किस औसत मूल्य पर पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री की गई थी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों अर्थात् मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आईएल) और मैसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ईओएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निर्यातित/आयातित प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद(दों) का उत्पाद-वार और मात्रा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा, उत्पाद-वार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर औसत खुदरा मूल्य, जिन पर पेट्रोल और डीजल का विक्रय किया गया था, निम्नवत है:

औसत खुदरा मूल्य (रु./लीटर)

	2008-09		2009-10		2010-11	
	ईओएल	आरआईएल	ईओएल	आरआईएल	ईओएल	आरआईएल
एमएस#	45.50	50.93	46.51	48.22	55.52	56.13
एचएसडी^	35.19	37.86	34.69	35.94	40.36	39.94

एमएस-मोटर स्प्रिट

^ एचएसडी-हाई स्पीड डीजल

विवरण I

सारणी 1: वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान निजी तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात*

(हजार मीट्रिक टन में)

	2008-09		2009-10		2010-11	
उत्पाद	ईओएल	आरआईएल	ईओएल	आरआईएल	ईओएल	आरआईएल
नाफ्था	52	2,190	193	2,317	603	4,214
पेट्रोल	1,684	3,295	1,021	8,430	1,763	18,134
एटीएफ	शून्य	3,209	शून्य	3,934	शून्य	2,482
डीजल	73	11837	340	15,807	235	31,822
ईंधन तेल	2434	शून्य	1,990	शून्य	2,507	शून्य

एटीएफ-विमानन टर्बाईन ईंधन

सारणी 2: वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान निजी तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात*

(हजार मीट्रिक टन में)

	2008-09		2009-10		2010-11	
उत्पाद	ईओएल	आरआईएल	ईओएल	आरआईएल	ईओएल	आरआईएल
पेट्रोल	9.8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डीजल	24.9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*उपर्युक्त आंकड़े संबंधित निजि तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा संग्रहीत किए गए हैं।

विवरण-II

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान निजी तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू बिक्री*

(हजार मीट्रिक टन में)

	2008-09		2009-10		2010-11	
उत्पाद	ईओएल	आरआईएल	ईओएल	आरआईएल	ईओएल	आरआईएल
पेट्रोल	53	12	178	18	156	80
एटीएफ	शून्य	शून्य	4	शून्य	शून्य	छपस
डीजील	252	4	694	358	413	673
ईंधन तेल	492	शून्य	657	शून्य	607	छपस
बिटुमन	127	शून्य	509	शून्य	400	छपस

*उपर्युक्त आंकड़े संबंधित निजी तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा संग्रहीत किए गए हैं।

राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा दवाओं के मूल्यों में वृद्धि

1872. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अनेक आवश्यक दवाओं के मूल्यों में भारी वृद्धि करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) आवश्यक दवाइयां औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) में परिभाषित नहीं हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

(एनपीपीए) द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित दवाइयों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन किया जाता है। विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित/संशोधित मूल्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2009-10		2010-11		2011-12 (31.07.2011 तक)	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
मूल्य बढ़े	184	10.08	223	31.28	95	34.80
मूल्य घटे	450	24.67	60	8.42	30	10.99
पहली बार मूल्य निर्धारित किए*	1155	63.33	371	52.03	114	41.76
मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं	35	1.92	59	8.27	34	12.45
कुल	1824*	100	713*	100	273*	100

*इसमें निर्धारित प्रो-रेटा मूल्य भी शामिल हैं।

उपर्युक्त ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2011-12 (31 जुलाई, 2011 तक) 273 अनुसूचित दवा पैकों के मूल्य एनपीपीए द्वारा निर्धारित/संशोधित किए गए हैं जिनमें से केवल 95 मामलों में मूल्य बढ़े हैं जो ऐसे कुल मामलों का 34.80% है, जिनके मूल्य इस वर्श के दौरान निर्धारित/संशोधित किए गए थे। शेष मामलों में मूल्य या तो घटे हैं अथवा पहली बार निर्धारित किए गए हैं अथवा मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के प्रावधानों के अधीन 74 ब्लक औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषधि मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। एनपीपीए मूल्य नियंत्रण के अधीन आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग करता है। औशाधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति एनपीपीए द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी अनुसूचित फार्मूलेशन (दवाई) को उपभोक्ता के पास नहीं बेच सकता है।

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिये बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। आईएमएस स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है।

गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10(ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्यों का निर्धारण किया है, और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वैच्छा से मूल्य घटाए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गैर अनुसूचित औषधियों के 95 पैकों के मूल्य एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामत: घटे हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश से सर्वेक्षण हेतु प्राप्त प्रस्ताव

1873. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का हिमाचल प्रदेश सरकार से हिमाचल प्रदेश के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र को हरियाणा के कालका रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर कालका-बद्दी नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया था। सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरोध, 19.90 किमी लंबी रेल लाइन के निर्माण की लागत 385.45 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ग) फिलहाल यह परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय में जांचाधीन है। इस परियोजना पर अगला निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के पूरा हो जाने के पश्चात् ही लिया जाएगा।

[अनुवाद]

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पाइपलाइन में दुर्घटना

1874. श्री के. सुधाकरण: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2011 को मुंबई में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पाइपलाइन में दुर्घटना के कारण हुई राजस्व क्षति कितनी है;

(ख) क्या इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकी या भारत विरोधी ताकत का हाथ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संपूर्ण देश में ऐसी पाइपलाइनों को भारत विरोधी ताकतों से खतरा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या एतिहात बरती गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) से (ग) पश्चिमी अपतट में बसीन क्षेत्र (तट से 80 कि.मी. दूर) में ओएनजीसी के बीपीबी परिसर के निकट ओएनजीसी की मुंबई-उरण तेल ट्रंक पाइपलाइन (एमयूटी) से 21 जनवरी, 2011 को मामूली तेल रिसाव हुआ था जो पाइप बिछाने के कार्य के लिए लम्पसम टर्नकी (एलएसटीके) संविदाकार द्वारा लगाए गए पाइप ले बार्ज लंगर के खिंचने के कारण हुआ था। मुंबई में ओएनजीसी की पाइपलाइन में जनवरी, 2011 में दुर्घटना के कारण हुई राजस्व हानि लगभग 15 लाख रुपए हैं।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण

1875. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने शेगांव-खामगांव-जालना खंड पर नई लाइनें बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जालना-खामगांव-शेगांव (155 किमी.) नई लाइन का निर्माण करने के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया गया है और इसे 31.08.2011 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

चेरथला में रेलवे वैगन फैक्ट्री

1876. श्री के.पी. धनपालन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में चेरथला में रेलवे वैगन फैक्ट्री की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) अलप्पुझा में परियोजना स्थापित करने की उद्घोषणा कर दी गई है। परियोजना के लिए भूमि स्थल की जांच की जा रही है।

(ख) सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परियोजना को पूरा करने में समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

पारादीप तेलशोधन शाला

1877. श्री तथागत सत्पथी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में पारादीप तेलशोधनशाला के पूरा होने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस तेल शोधनशाला का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) वर्तमान स्थिति के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण और दीर्घावधि सुपुर्दगी वाले उपकरणों के लिए आदेश दे दिए गए हैं और उनकी सुपुर्दगी स्थल पर शुरू हो गई हैं। सभी इकाइयों में निर्माण कार्य और सुविधाएं दिया जाना पूरे जोरों पर है। 31.7.2011 की स्थिति के अनुसार, लगभग 8,332 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है और 77.5 प्रतिशत की योजना की तुलना में कुल मिला कर 60.6 प्रतिशत प्रगति कर ली गई है।

(ख) आईओसीएल ने रिपोर्ट दी है कि इस परियोजना के 2013 की प्रथम तिमाही तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

1878. श्री गोरखप्रसाद जायसवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में किए गए सर्वेक्षण में बरहज बाजार से फैजाबाद बरास्ता दोहरीघाट के बीच नई रेल लाइन को अर्थक्षम नहीं पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार उक्त खंड पर नई रेल लाइन के लिए समीक्षा सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। 2005-06 में दोहरीघाट (194 कि.मी.) से होकर बरहज बाजार से फैजाबाद तक नई लाइन के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 194 किमी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत को (-) 6.06 प्रतिशत के प्रतिफल की दर से 782 करोड़ रूपए आकलित किया गया था। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं का भारी थ्रो फार्वड और संसाधनों की तंगी के कारण इस कार्य को शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) जी नहीं। फिलहाल, एक पुनरीक्षा सर्वेक्षण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेलवे स्क्रैप

1897. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे स्क्रैप के पुनर्चक्रण के लिए प्रभावी और कुशल प्रणाली स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पहले से ही कार्यरत स्क्रैप पुनर्चक्रण इकाइयों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) जी नहीं। रेलवे के पास रेलवे उत्पादन इकाइयों द्वारा स्क्रैप के एक हिस्से की मात्रा का आंतरिक उपयोग करने की एक कार्यकुशल प्रणाली है तथा स्क्रैप का शेष भाग खुली बोली/निविदा के तहत बेच दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों का आयात

1880. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उर्वरकों का उर्वरक-वार कितना आयात किया गया तथा इसका मूल्य कितना है;

(ग) इन उर्वरकों का आयात किन देशों से किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा उर्वरकों के आयात को कम करने तथा देश में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां।

(ख) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है तथा इसे आकलित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को कम करने के लिए राज्य व्यापार उद्यम (एसडीई) अर्थात् एमएमटीसी, एसटीसी और आईपीएल के जरिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कृषि उपयोग के लिए आयात किया जाता है। सरकार ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफ्को) से भी लगभग 20 लाख मी. टन यूरिया का आयात कर रही है जिसे भारत सरकार और मैसर्स ओमिफ्को के बीच हुए दीर्घावधि यूरिया उठान समझौता (यूओटीए) के अंतर्गत मंगाया जाता है। ओमिफ्को से यूरिया का आयात मैसर्स इफ्को और मैसर्स कृभको के माध्यम से किया जाता है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जुलाई 2011 तक) के दौरान यूरिया की वर्ष-वार मात्रा और मूल्य निम्न प्रकार है:

वर्ष	आयातित यूरिया' की मात्रा (लाख मी. टन में)			मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
	ओमान से	एसटीई के जरिए	योग	
2008-09	19.06	37.61	56.67	2416.00
2009-10	20.62	31.48	52.10	1212.65
2010-11	20.64	45.46	66.10	1832.50
2011-12 (जुलाई 11 तक)	7.11	11.29	18.40	680.76

यूरिया के अलावा अन्य उर्वरकों को खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आयात किया जाता है। कंपनियां इन उर्वरकों का अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार आयात करती हैं। सरकार इन आयात के मूल्य को निर्धारित नहीं करती तथापि, सरकार पोषक-तत्व आधारित राजसहायता योजना के अंतर्गत पीएण्डके उर्वरकों पर राजसहायता का भुगतान कर रही है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जुलाई 2011 तक) के दौरान आयातित पीएण्डके उर्वरकों की वर्ष-वार मात्रा नीचे दी गई है:

(मात्रा लाख मी. टन में)

उत्पाद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
डीएपी	61.92	58.89	74.11	20.16
एमएपी	2.67	1.93	1.88	106
टीएसपी	1.73	0.87	0.98	0.00
एनपीके			9.81	6.37
एमओपी	43.46	41.62	45.00	3.05

(कृषि उपयोग)

*जुलाई 11 तक

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जिन देशों से उर्वरकों का आयात किया गया है उनके नाम हैं आस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारुस, चीन, कनाडा, चिली, सीआईएस, मिस्र, एस्टोनिया, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, ईरान, इस्राइल, जार्डन, कोरिया, कुवैत, लातविया, लीबिया, लिथुआनिया, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, ओमान, फिलिपीन्स, कतर, रोमानियां, रूस, दक्षिण अरब, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, स्पेन, तुर्की, तुनिशिया, थाइलैण्ड, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन और वियतनाम।

(घ) सरकार आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में उर्वरकों के उत्पादन को हमेशा से प्रोत्साहन दे रही है। यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 4 सितंबर, 2008 को एक नई नीति घोषित की गई थी/यह नीति आयात सममूल्य (आईपीपी) बैंचमार्क पर आधारित है जिसमें वर्तमान यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, विस्तार, पुनरुद्धार करने और ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के उद्देश्य से उपयुक्त न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं इस नीति का उद्देश्य यूरिया की खपत और घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर में पर्याप्त रूप से कमी लाना है बशर्ते कि वहनीय मूल्यों पर गैस की पर्याप्त उपलब्धता हो। सरकार ने पीएण्डके उर्वरको के स्वदेशी उत्पादकों को वहनीय मूल्य पर इस महत्वपूर्ण आदान को खरीदने में सक्षम बनानें के लिए फॉस्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2% करके पीएण्डके क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी पहल की है। पोषक-तत्व आधारित राजसहायता 01.04.2010 से पीएण्डके उर्वरकों पर भी घोषित की गई है। सरकार पीएण्डके क्षेत्र को उर्वरक आदानों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावना की तलाश करने हेतु निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रही है।

जीनोम अनुसंधान के लाभ

1881. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीनोम अनुसंधान में मिली विशिष्ट उपलब्धियों के परिणामस्वरूप देश के लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकतर जनता के लिए इस नए विकास के लाभ पहुंचाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ किस प्रकार का सहयोग कर रहा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) वर्ष 1990-1991 से मानव आनुवंशिकी तथा जीनोम विश्लेषण के क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। विभाग ने देश भर में रोगी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 21 आनुवंशिक निदान-सह-परामर्शी एककों की स्थापना की है। डीबीटी का सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डॉयग्नास्टिक्स निजाम के इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद के सहयोग से प्रभावित परिवारों को आनुवंशिक निदान-सह-परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। विभाग ने हाल में कल्याणी, पश्चिम बंगाल में नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (एनआईबीएमजी) की स्थापना की है। यह संस्थान स्वास्थ्य और रोग के जीनोमिकी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा पश्चिम बंगाल में जीनोमिकी आधारित सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है।

विभाग स्वास्थ्य से संबंधित जीनोमिक और आनुवंशिक अनुसंधान में 200 से भी अधिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है। प्रमुख संस्थानों, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी; क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, वेल्लोर इत्यादि शामिल हैं, में उत्कृष्टता केन्द्रों को सहायता दी गई है। भारत ओरल कैन्सर पर केन्द्रित इंटरनेशल कैन्सर जीनोमिक्स कन्सोर्टियम में एक प्रमुख प्रतिभागी है।

विभाग ने 11वीं योजना के अंतर्गत अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण को सहायता देने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है जो क्रियान्वयनाधीन है।

(ग) यह विभाग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मानव आनुवंशिकी और जीनोमिकी के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं के नियोजन और निष्पादन के साथ जुड़ा है जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अंग प्रत्यारोपण के लिए एशियन इंडियन डोनर मैरो रजिस्ट्री (एआईडीएमआर) भी शामिल है। स्वास्थ्य रक्षा इत्यादि के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच घनिष्ठ सहयोग से संभवतः अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा।

केयर्न वेदान्ता सौदा

1882. श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में बाड़मेर तेल क्षेत्र के संबंध में केयर्न वेदान्ता सौदे में तय की गई शर्तों से सरकार को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी स्वामित्व वाले तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को इसके कारण नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि इसे पूरी रायल्टी का भुगतान करना पड़ा है जबकि इसके पास 30 प्रतिशत हिस्सेदारी ही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) केयर्न वेदान्ता सौदे को अनुमोदित करने में विलंब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त लगाकर कि पक्षकार इससे सहमत होंगे और यह वचन देंगे कि उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार, संविदा लागत के रूप में आरजे-ओएन-90/1 ब्लाक में ओएनजीसी द्वारा भुगतान की जा रही रॉयल्टी ओएनजीसी द्वारा वसूली योग्य लागत है, कैर्न इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर वेदान्ता रिसोर्सिज पीएलसी को हस्तांरित करने के लिए केयर्न एनर्जी पीएलसी के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। उत्पादन, कच्चे तेल के मूल्य, विनिमय दर इत्यादि के अनुमानों के आधार पर बनाए गए प्रक्षेपणों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) में भारत सरकार की लाभ पेट्रोलियम में हिस्सेदारी 5032 करोड़ रुपए तक, कैर्न की 6272 करोड़ रुपए तक और ओएनजीसी की 2688 करोड़ रुपए तक (1 अमरीकी डालर = 45 रुपए के हिसाब से गणनानुसार) कम हो गई है जो परियोजना की समयावधि अर्थात् 2020 तक है। तथापि, इस स्थिति में उनकी और केयर्न की ओर से राज्य सरकार को उनके द्वारा प्रदत्त रॉयल्टी की लागत परियोजना चलने तक एनपीवी शर्तों के तहत 13,995 करोड़ रुपए की राशि ओएनजीसी वसूल करेगी।

(ग) और (घ) जी नहीं। पीएससी के अनुसार लाइसेंसधारक के रूप में ओएनजीसी का 100 प्रतिशत रॉयल्टी का भार उठाने का दायित्व है। तथापि, पीएससी में निर्धारित लेखाकन प्रक्रिया के अनुसार ओएनजीसी द्वारा प्रदत्त संविदा लागत के रूप में लागत वसूली योग्य है।

(ङ) भारत सरकार ने अनुबंध द्वारा इस शर्त पर कि पक्षकार इससे सहमत होंगे और यह वचन देंगे कि उत्पादन हिससेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार संविदा लागत के रूप में आरजे-ओएन-90/1 ब्लाक में ओएनजीसी द्वारा भुगतान की जा रही रॉयल्टी ओएनजीसी द्वारा वसूली योग्य लागत है, प्रस्तावित केयर्न-वेदान्ता सौदे को सहमति दी है।

(च) केयर्न एनर्जी पीएलसी ने सभी दस्तावेजों के साथ नवम्बर, 2010 के अंत में ही औपचारिक रूप से आवेदन किया था। उसके बाद मामला सीसीईए के विचारार्थ भेजा गया और 30 जून, 2011 को इस पर निर्णय लिया गया। केयर्न-वेदान्ता सौदे को अनुमोदन प्रदान करने मे भारत सरकार की ओर से कोई देरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सहायता

1883. श्री मकनसिंह सोलंकी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के खारगांव-बदवानी जिलों के लिए प्रदान की गई वित्तीय धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिलों में कुल कितने किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पीएमजएसवाई के अन्तर्गत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) एक राज्य के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए स्वीकृत कार्यों हेतु निधियां मंत्रालय द्वारा राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को आबंटित की जाती हे जो आगे जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों को आबंटित की जाती हैं।

(ख) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खारगांव और बदवानी जिलों में पूरी हुई सड़कों की लंबाई क्रमश: 1440 कि.मी. और 1101 कि.मी. है।

(ग) से (ङ) सड़क कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं। पीएमजीएसवाई कार्यों का वास्तविक निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, यादृच्छिक आधार पर पीएमजीएसवाई कार्यों के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं को भी भेजा जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे का आधुनिकीकरण

1884. श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या ऐसा तंत्र तैयार किया गया है जिसके माध्यम से रेल दुर्घटना से बचने के लिए रनिंग स्टॉफ को खराब/टूटे पथ की जानकारी पहले ही मिल जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त तंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रेलवे संरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए सतत् आधार पर सभी संभव प्रयत्न किए जाते हैं। इसमें गतायु परिसंपतियों का समय पर पुनर्स्थापन, रेल पथ के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना, चल स्टॉक, सिगनल प्रणाली और अंतर्पाशन प्रणालियां आदि शामिल हैं। रेल परिसंपत्तियों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

संरक्षा संबंधी गतिविधियों से संबंधित व्यय योजना और गैर-योजना परिव्यय, दोनों का भाग होता है। हालांकि संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर गैर-योजना व्यय 2009-10 में 23,140 करोड़ रु. और 2010-11 में 22,375 करोड़ रु. था, योजना व्यय 2009-10 में 7,516 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 8,327 करोड़ रु. हो गया है। बहरहाल, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से रेलवे के पास संसाधनों की उपलब्धता पर दबाव आया है और इस प्रकार और अधिक आबंटन के लिए रेलवे की क्षमता पर अंकुश लगा है। बहरहाल, उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिए संरक्षा संबंधी कार्यों को उचित प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय रेलवे में कीमैन की दैनिक गश्त के अतिरिक्त, एडवांस में पटरियों और जोड़ों की विफलताओं का पता लगाने और रेल दुर्घटनाओं को टालने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन प्रौद्योगिकी (एूएसएफडी) का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। लोको-माउंटेड ब्रोकन रेल और ट्रैक आक्यूपेशन डिटेक्शन सिस्टम के नाम से एक अन्य प्रौद्योगिकी के लिए अभिरूचि की वैश्विक अभिव्यक्ति के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया गया है और इसकी लखनऊ में भारतीय रेलवे के अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में विकास के लिए जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में जलाशय

1885. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में इस समय कितने बड़े जलाशय हैं:

(ख) उक्त जलाशयों का निर्माण किस तिथि को किया गया था:

(ग) क्या सरकार का विचार इन जलाशयों के सुधार और नवीकरण के लिए कोई योजना (योजनाएं) तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) राजस्थान सरकार के प्राप्त सूचना के अनुसार

राजस्थान में 22 वृहद जलाशय है इन 22 वृहद जलाशयों की सूची और उनके निर्माण का वर्ष विवरण में दिया गया है।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय इन जलाशयों के सुधार और नवीकरण हेतु कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	वृहद परियोजना का नाम	जिले का नाम	परियोजना के पूरा होने की तारीख/वर्ष
1.	बिशालपुर	टोंक	1999
2.	गलवा	टोंक	1960
3.	सिकरी	भरतपुर	स्वतंत्रता पूर्व
4.	छपरवाड़ा	जयपुर	1894
5.	कलख सागर	जयपुर	1883
6.	रामगढ़	जयपुर	1903
7.	मोरल	दौसा	1952
8.	पार्वती	धोलपुर	1963
9.	कोटा बैराज	कोटा	1960
10.	गुधा	बुंदी	1958
11.	जेएस बांध	बुंदी	1973
12.	हरिश चंद्र सागर	झालावाड़	1957
13.	पार्वती पीकअप वेयर	बांरा	1888
14.	सोम कमला अंबा	झुगंरपुर	1997
15.	जयसमंद	उदयपुर	1730
16.	राजसमंद	राजसमंद	1671
17.	जाखम	प्रतापगढ़	1986
18.	माही	बांसवाडा	1985
19.	आरपीएस बांध	चित्तौड़गढ़	1969
20.	मेजा बांध	भिलवाड़ा	1957
21.	जवाई बंध	पाली	1957
22.	सरदार समंद	पाली	1905

[अनुवाद]

किरीट पारीख समिति की सिफारिशें

1886. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किरीट पारीख की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिराजसहायता के भारत को कम करने तथा डीजल वाहन आदि पर करों को कम करने संबंधी कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) किरीट पारीख समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया था कि डीजल की तुलना में पेट्रोल पर उच्च उत्पाद शुल्क डीजल कारों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। यह मानते हुए कि डीजल वाहन की उच्च ईंधन दक्षता को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, समिति ने यात्री परिवहन के लिए डीजल वाहन का उपयोग करने वाले प्रयोक्ताओं से उसी स्तर पर कर वसूली करने की सिफारिश की जिस पर पेट्रोल कार प्रयोक्ता कर का भुगतान करते हैं। तद्नुसार, डीजल चालित वाहनों पर फरवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार, 80,000/-रुपये के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का उद्ग्रहण किए जाने की सिफारिश की गई थी।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विस्तार

1887. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में शुरू किए जाने वाले रेल लाइनों के प्रस्तावित विस्तार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान, देश के विभिन्न राज्यों में 1166 कि.मी. वाली 11 नई रेलवे लाइन परियोजनाएं 7047 करोड़ रु. की लागत पर शुरू की गई हैं। फिलहाल, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कोई भी प्रस्ताव रेलवे के पास बकाया नहीं है।

गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन

1888. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक** गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लखनऊ में अतिरिक्त गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप और पेट्रोल पंपों का आवंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी कब तक आवंटन किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में 14 किसान सेवा केन्द्रों सहित 13 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 46 खुदरा केन्द्रों को स्थापित करने की योजना बनायी है।

(ग) चूंकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप को स्थापित करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें विज्ञापन, आवेदन पत्रों की प्राप्ति, इसकी जांच, उम्मीदवारों का चयन, चयनित उम्मीदवारों के प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, बुनियादी ढांचे की स्थापना, विभिन्न आवश्यक लाइसेंसों और अनुमोदनों को प्राप्त करना और शिकायतों/मुकदमेबाजी यदि कोई हो, का निपटान करना शामिल है, इसलिए उक्त प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् ही आवंटन प्रभावी होगा।

दो पालियों में मामलों की सुनवाई

1889. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयों में दो पालियों में मामलों की सुनवाई की व्यवस्था करने और अनुबंध आधार पर सेवानिवृत न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(क) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायिक मानदंड और जवाबदेही विधेयक

1890. श्री मधुसूदन यादवः क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित न्यायिक मानदंड और जवाबदेही विधेयक में मामले की अंतिम सुनवाई के पश्चात् निर्णय देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का कोई उपबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अन्य बातों के साथ विधेयक, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए, जिसमें व्यष्टियों से शिकायतें भी सम्मिलित हैं, न्यायाधीशों द्वारा आस्तियां और दायित्वों की घोषणा और न्यायाधीशों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले न्यायिक मानकों को अधिकथित करने में समर्थ बनाने के लिए उपबंध करता है।

डीजल/पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

1891. श्री नारायणसिंह अमलाबेः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम मध्य प्रदेश में राजगढ़ के जीरापुर और माचलपुर क्षेत्रों में डीजल/पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोल्लिखित खुदरा बिक्री केन्द्रों की कब तक स्थापना हो जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह) (क) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जीरापुर और माचालपुर प्रत्येक स्थल के लिए एक, कुल दो, खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) के लिए विज्ञापन दिया था।

(ख) और (ग) आरओ डीलरशिप का आंबटन/स्थापना में विभिन्न कदम शामिल हैं जैसे विज्ञापन, साक्षात्कार/डीलरों का चयन, प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, आशय पत्र जारी करना, भूमि प्रापण, आवश्यक सावंधिक अनुमोदनों को प्राप्त करना, निर्माण आदि। अतः विज्ञापन के बाद आरओ आबंटन/चालू करने का कार्य का समय के साथ-साथ मूर्त रूप लेता है। उपरोक्त दोनों स्थलों के लिए अभी साक्षात्कार किए जाने हैं।

[अनुवाद]

दवाइयों की कीमतों में वृद्धि

1892. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दवाइयों की कीमतों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार से किसी दवाई की कीमत को बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कीमत को बढ़ाने के लिए दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है और ये दवाइयां कौन-कौन सी हैं; और

(घ) उन दवाइयों का ब्यौरा क्या है, उक्त अवधि के दौरान जिनकी कीमतें कम हुई हैं अथवा जिनकी कीमतों में कटौती की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अनुसूचित फार्मूलेशनों के संबंध में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित मूल्यों तथा कुल मामलों की तुलना में जिन पैकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है उनकी प्रतिशतता का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (31 जुलाई 2011 तक)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मूल्य बढ़े	190	12.05	184	10.08	223	31.28	95	34.80
मूल्य घटे	89	5.64	450	24.67	60	8.42	30	10.99
पहली बार मूल्य निर्धारित किए*	1256	79.65	1155	63.33	371	52.03	114	41.76
मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं	42	2.66	35	1.92	59	8.27	34	12.45
कुल	1577*	100	1824'	100	713*	100	273*	100

*इसमें निर्धारित प्रो-रेटा मूल्य भी शामिल हैं

(ख) और (ग) एनपीपीए द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनूसूचित दवाइयों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन किया जाता है। किसी भी दवाई के मूल्य को बढ़ाने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अधीन विशिष्ट अनुमति नहीं दी जाती है। अनुसूचित औषधियों अर्थात् मूल्य नियंत्रण के अधीन आने वाली औषधियों के मूल्यों में संशोधन कंपनियों के आवेदनों के आधार पर तथा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 7 में दिए गए सूत्र के द्वारा किया जाता है। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है। जो औषधियां औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात् गैर अनुसूचित औषधियां है उनके संबंध में विनिर्माता सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) जिन दवाइयों के मूल्य कम हुए हैं वे इबूप्रोफेन, रेनीटिडिन, सलबूटामोल सल्फेट, बेटामेथासोन तथा टोलनफटेट, विटामिन ए नामक बल्क औषधियों वाली दवाइयों हैं और इस संबंध में संशोधित मूल्य इन दवाइयों के सभी विनिर्माताओं पर लागू हैं।

पेयजल के संवर्धन के लिए योजनाएं

1893. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से पेयजल के संवर्धन की योजनाओं के राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना का संचालन करता है। भारत सरकार एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों में मदद करती है। राज्यों को अनुमोदित आबंटन मानदंड के अनुसार एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां आबंटित की जाती हैं। राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन तथा मंजूरी की पूरी शक्ति राज्यों को सौंप दी गई है। पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजने की जरूरत नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को गैस की आपूर्ति

1894. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर गैस आबंटन में प्राथमिकता संबंधी मुद्दे को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ग) क्या गुजरात सरकार ने लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (एसएमई) को प्राथमिकता सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। नई अन्वेषण लाइसेन्स नीति (एनईएलपी) के तहत् आबंटित क्षेत्रों से उत्पादित गैस के आबंटन के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक शक्ति प्रदत्त मंत्री समूह (ईजीओएम) गठित किया गया है। ईजीओएम ने निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को गैस आबंटित करने का निर्णय लिया है;

1. राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का उत्पादन कर रहे वर्तमान गैस आधारित उर्वरक संयंत्र।
2. वर्तमान गैस आधारित एलपीजी संयंत्र।
3. वर्तमान गैस आधारित विद्युत संयंत्र और तरल ईंधन संयंत्रों, जो अभी तरल ईंधन से चल रहे हैं और प्राकृतिक गैस का उपयोग शुरू कर सकते हैं, सहित 2009-10 में चालू किए जाने वाले विद्युत संयंत्र।
4. घरेलू और परिवहन क्षेत्र को आपूर्ति करने के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियां।
5. वर्तमान गैस आधारित इस्पात संयंत्र (केवल फीडस्टाक के लिए और निजी विद्युत आवश्यकता के लिए नहीं।
6. वर्तमान गैस आधारित पेट्रोरसायन संयंत्र (केवल फीडस्टाक के लिए और निजी विद्युत आवश्यकता के लिए नहीं)।
7. वर्तमान रिफाइनरियां।
8. 50,000 एससीएमडी (मानक घर मीटर प्रति दिन) तक की खपत करने वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए सीजीडी कंपनियां।
9. निजी विद्युत सयंत्र।

(ग) और (घ) ईजीओएम ने ऐसे लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमईज), जिनकी प्राकृतिक गैस, केजी डी6 गैस की कुल खपत 50,000 मानक घन मीटर प्रति दिन (एससीएमडी) से अधिक नहीं है, को आपूर्ति करने के लिए अन्य के साथ-साथ गुजरात में कार्य कर रही सीजीडी कंपनियों सहित नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को केजी डी6 गैस का आबंटन किया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण सुविधा

1895. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों और स्टेशनों में बेहतर आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) इस समय देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न स्टेशनों और गैर-स्टेशन स्थानों पर 2415 आरक्षण केन्द्र खोले गए हैं। नीति के अनुसार, इस सुविधा को स्टेशनों, जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण पहाड़ी स्टेशनों/पर्यटन, तीर्थयात्रा केंद्रों और जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन स्थानों पर मुहैया कराया जाता है जहां आरक्षण संबंधी कार्यभार प्रतिदिन 100 ट्रांजेक्शन का हो, जिसमें ग्रामीण स्थान भी शामिल है। ऐसे स्थानों पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों/पंचायत समितियों/डाकघरों से स्थान लेकर यह सुविधा मुहैया करायी जाती है।

यात्री भाड़े में वृद्धि

1896. श्री राकेश सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को योजना आयोग द्वारा वित्त मंत्रालय को यात्री भाड़े में वृद्धि करने की सिफारिश संबंधी पत्र भेजे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त के मद्देनजर रेलवे यात्री भाड़े में बढ़ोत्तरी करने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण

1897. श्री कमल किशोर ''कमांडो'': क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में किन-किन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को उनके मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को वर्ष-वार कितना अनुदान प्रदान किया गया है;

(ग) राज्य-वार ऐसे कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन हैं जिन्होंने उक्त अनुदान का उपयोग नहीं किया है और जिन्हें काली सूची में डाला गया है;

(घ) काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) भविष्य में सरकारी अनुदान के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सहित देश में उन गैर-सरकारी संगठनों जिन्हें विगत दो वर्षों के दौरान अनुदान दिए गए हैं, के नाम और प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को दिए गए वर्ष-वार अनुदान विवरण-I एवं II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, कोई नहीं।

(ङ) सरकार निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कपार्ट, जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है, के माध्यम से कड़ी निगरानी कराती है। जब कभी भी स्वैच्छिक संगठन का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो स्वैच्छिक संगठन को अगली सहायता रोक दी गई की श्रेणी (एफएएस) में रखा जाता है। इसके बाद, यदि स्वैच्छिक संगठन की बदनीयत जिसमें निधियों का दुरूपयोग, नैतिक चरित्रहीनता के अन्य अपकृत्यों में दुरभिवेदन अथवा संलिप्तता शामिल है, साबित हो जाती है तो स्वैच्छिक संगठन को काली सूची में रखा जाता है। ऐहतियात के तौर पर कपार्ट ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को निधियां मंजूर नहीं करता है जिन्हें काली सूची में डाला गया है।

विवरण-I

वर्ष 2009-2010 में अनुमोदित स्वैच्छिक संगठनों की सूची

	स्वैच्छिक संगठन का नाम	पता	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
	1	2	3	4
आंध्र प्रदेश				
1.	पिपुल्स ऐक्शन इन डेवलपमेंट	एडमीन.डी.नं०2-158, प्लॉट नं० 136, टीटीडी कॉलोनी, मुथैयालरेड्डीपल्ली, तिरूपति	2280520	1075140
2.	काल्लूमारी रुरल एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी	मुनिमाडुगु विलेज एण्ड पोस्ट, पेनुकौन्डा मंडल, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	920700	379500
3.	इंदिरा प्रियदर्शिनी वूमेन डेवलपमेंट सोसाइटी	एच. नं. 5-9-31/4, द्वितीय तल, हिल फोर्ट रोड, न्यू एमएलए क्वार्टर्स लेन, बशीरबाग, हैदराबाद-29	2786850	1348252

	1	2	3	4
4.	नारायण एजूकेशन एण्ड रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी	गंगा महेश्वरा पुरम, गुराजला, गुंटुर जिला, आंध्र प्रदेश	1889360	935660
असम				
5.	नॉर्थ ईस्ट वॉलन्टरी एसोशिएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट	लाईफ लाईन क्लीनिकल हॉस्पीटल व एएमपी; रिसर्च सेन्टर दोखीगांव, पो० काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी-19, असम	2924196	1461856
6.	तामुलपुर आंचलिक ग्रामदान संघ	पो०-कुमारीकाटा, जिला-बक्सा, असम-781360	3286550	0
7.	ह्यूमन इम्पावरमेंट व डेवलेपमेंट सेन्टर (एचईडीसी)		307100	0
8.	लोंगरी कांगथुर (एनजीओ)		189440	0
9.	असम एजूकेशनल व सोशल वेलफेयर सोसाइटी		205150	0
10.	रिसोर्सेज सेन्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आरसीएसडी)		246640	0
11.	डिकरौंग वैली इम्पावरमेंट व रूरल डेवलपमेट सोसाइटी		208500	0
बिहार				
12.	शाहपुर विकास समिति	ग्रा. शाहपुर पो. सोनीपुर जिला-सारण, बिहार	436500	408500
13.	सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया	ग्रामीक आश्रम, झुनाठी, करपी, जिला-अरवल, बिहार	1232770	0
14.	मानव कल्याण समिति, पटना	शक्तिपुंज, अशोक बिहार, बिस्कोमान कॉलोनी गुलजारबागा, पटना-800007	386512	386512
15.	नालन्दा कल्याण प्रतिष्ठान ब्रांडी	ग्रा.पो.-ब्रांडी, ब्लांक-रहुई, जिला-नालन्दा, बिहार	1458600	694550
16.	सिवान आंचलिक सेवा सदन	ग्रा.पो.-नरेंद्रपुर, जिला सिवान, बिहार	317800	317800
17.	नेचर क्लीन फाउंडेशन	ग्रा. शिवगंज, पो.लखनी, वाया-विदुपुर (आर.एस.) पी.एस. राजापाकाड़, जिला-वैशाली, बिहार	309400	309400

1		2	3	4
चंडीगढ़				
18.	ऐक्शन रिसर्च व एएमपी: ट्रेनिंग इंस्टीटयूट	खोती नं० 824, सेक्टर-38ए, चंडीगढ़	1599950	1439955
दिल्ली				
19.	कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री-सीआईआई	23, इंस्टीच्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	1000000	90000
20.	इंस्टीटयूट ऑफ अप्लाईड सिस्टम्स एण्ड रूरल डेवलपमेंट	रेज, ऑफिस-8, बी/एल, शेखसराय-II, नई दिल्ली	300000	300000
गुजरात				
21.	श्री जलाराम खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट	चुन्नीताल ठक्कर मार्केट, एट-तारापुर, जिला-आनंद	229000	114500
22.	नीता खादी ग्रामोद्योग विकास संघ	54-55, सिद्धिविनायक सोसाइटी, सरोडा रोड, कुलीकुंड, ढोलका	491000	0
23.	सार्वजनिक विकास परिषद	21/ए मयूर को ऑपेरटिव हाउसिंग सोसाइटी, बी/एच.रेलवे स्टेशन, एट-कलोल	121500	0
24.	अखिल भारतीय समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट	234/2/बी श्री रामपुरा डेव चकला, ओपी, बाबूभाई हवेली, खोखरा, मणिनगर (ई)	208000	0
25.	प्रेरणा खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट	सी/टी/3 जय मालव फ्लैट, नियर, हिवेन पार्क रामदेव नगर, सैटेलाइट, अहमदाबाद	144000	0
26.	स्वामी विवेकानन्द खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट	27, जय शिव शक्ति सोसाइटी, बी/एच, ग्यानदा सोसाइटी, जीवराज पार्क अहमदाबाद	264000	0
27.	श्री सरस्वती केलवानी मंडल	प्लॉट नं० 773, पंचशील पार्क सोसाइटी, सेक्टर-21, गांधीनगर	174000	0
28.	श्री चामुंडा सिंघम चर्मोद्योग रचनात्मक समिति, टिम्बा	ग्रा.पो.-टिम्बा, ताल.-वधवान सिटी	134000	0
29.	नैसर्गिक ट्रस्ट, पालनपुर	एण्ड क्वाट; स्नेहकूंज व क्वाट; मीथिवेव, नियर हनुमान टेंपल, पालनपुर, जिला-बनासकांठा	411000	0
30.	सुभाग महिला उत्कर्ष ट्रस्ट	2234-ई, फुलवाडी, हिल ड्राइव, ब्लॉक-हिल ड्राइव, जिला-भावनगर	320462	0
31.	श्री श्रद्धा खाद्यी ग्रामोद्योग ट्रस्ट	शिवम शक्तिनगर सोसाइटी, नियर, घरसाला, घरसाला रोड, वधवान, जिला-सुरेन्द्रनगर	200000	0

1		2	3	4
32.	ईगल केलवानी महिला व एएमपी; शिशु विकास मंडल -चाडोतर	ए-5, त्रुपाटी टाउनशीप, पार्ट-1, दिशा हाईवे, पालनपुर, जिला-बनासकांठा	224000	0
33.	नेहरू युवा क्लब	मेहर मंजील, गोविंदपुरा, पाडरा, जिला-वडोदरा	224000	
34.	श्री भाग्योदय सेवा संघ	लालजीभाई प्लॉट, सुतरिया चावल, गीतामंदिर रोड, अहमदाबाद	451000	225500
35.	श्री संकलन खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट	स्ट्रीट नं०-10, शक्ति क्रुपा, नियर चौड़ा, रतनपुर	234000	0
36.	भारत समाज सेवा समिति	एट, नवापुरा, तालु, सानंद	185600	0
37.	श्री चामुंडा कृपा खादी विकास ट्रस्ट	15, अमरीश सोसाइटी, राधास्वामी रोड, रानिप	423000	0
38.	श्री ग्राम्य भारती विकास ट्रस्ट	रोकडिसर हनुमान, घरशाला रोड, जोरावरनगर, वधावन	288000	0
39.	मातोश्री चन्द्रमती प्रतिष्ठान	411/1 नियर सिल्वरओक् क्लब, गोटा क्रॉस रोड, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद	255000	0
40.	ग्राम विकास सेवा ट्रस्ट	15ए न्यू शाकर सोसाइटी चांदखेडा	263800	0
41.	गायत्री महिला परिवार कल्याण ट्रस्ट	87/2068, जी.एच.बी. कॉलोनी, मेघनीनगर	585000	292500
हिमाचल प्रदेश				
42.	महिला समाज कल्याण समिति	वीपीओ शाया चबरोन, ब्लॉक राजगढ़, जिला: सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	2840063	2556057
43.	ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोलॉजी कंजर्वेशन इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन व एएमपी; डेव.	दुर्गा सदन, लेन नं. 15, सेक्टर-IV, न्यू शिमला	471350	235675
44.	धौलाधर पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी	वीपीओ वाईओएल कैंट, ब्लॉक-नागरोटा बागवान, तह-धरमशाला, जिला-कांगड़ा, हि.प्र.	265375	132688
कर्नाटक				
45.	जीवन ज्योति रुरल डेवलपमेंट व एएमपी; सोशल वेलफेयर सोसाइटी	प्लॉट नं० 67, जाधव नगर, नियर रेल नगर, बेलगाम	1047600	500000

1		2	3	4
46.	ग्रुप फॉर आर्गेनाईजेशन एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी (गुड्स)	डी.नं. 106/1, ओपो. इंडस्ट्रीयल रोड, सी.के. पुरा	1047600	1047600
47.	बुद्धा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	सीसान्द्रा विलेज, केम्बोडी पोस्ट-563101, कोलारतालुक एण्ड जिला	215240	215240
केरल				
48.	बी.जी.एम. सोशल सर्विस सेन्टर	पी.बी. नं०-2, नेयारदम, पो.ओ. त्रिवेन्द्रम-72	523800	523800
49.	कस्तूरबा मेमोरियल महिला समाजम	काचमपझीनी, पो.ओ. तिरूपुरम, नेययाटिन्कारा	317360	317360
50.	विनोबा निकेतन	पो.ओ. नेदुमांगडु, जिला त्रिवेन्द्रम, केरल	846000	846000
महाराष्ट्र				
51.	ग्राम विकास सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक युवक सेवा भावी संस्था	1-11-861, वसंतनगर, नांदेड़	94800	0
52.	पंढरपुर आदिवासी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान	मिस. गौरी किशोर लाली, अम्बेडकर वार्ड, अशोक नगर	1480000	0
53.	आई तुलजाभवानी सेवाभावी संस्था, भोकर	सी/ओ सुनील बजाज, न्यू मोहनदा, भोकर	187000	0
54.	भारतीय सेतकारी (किसान) मंडल, करंजफेन	करंजफेन, ताल राधानगरी, जिला-कोल्हापुर	92000	0
55.	सोशल एक्शन फॉर एसो.एण्ड डेव.	ए-4, शांति गार्डेन, आनंद नगर, सिन्हागढ़ रोड, पुणे, महाराष्ट्र	599000	0
56.	नालन्दा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था	वगाला, पो. कोपारा, सेलु, वर्धा	322400	0
57.	एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट	करवे बंगला, अधिकारगृह के समीप, लक्ष्मीनगर, फलटन, सतारा, महाराष्ट्र	227700	194930
58.	युवा क्रीड़ा व्यायाम एवं शिक्षण प्रसारक मंडल	सी/ओ प्रो. आर.के. मून, राष्ट्रभाषा रोड, बी/एच राठी कॉम्पलेक्स, वर्धा	225600	0
मणिपुर				
59.	सेन्टर ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस	वांगनल कैनल माया, थोबाल जिला, मणिपुर	2108260	1054130

1		2	3	4
60.	द थूथ्स स्टेप फॉरवार्ड सेंटर	वांगजिंग बाजार, वांगजिंग, थोबाल मणिपुर	1920600	0
61.	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस		198670	0
62.	कांगला खोनु वुमन वेलफेयर एसो.		132050	0
मिजोरम				
63.	जोराम ऐंटू पावी		214775	0
उड़ीसा				
64.	उड़ीसा रूरल डेव. एण्ड मार्केटिंग सोसाइटी	एसआईआरडी कैम्पस, यूनिट 8, भुवनेश्वर	319533	319533
65.	द चेतन	बल्लव, पो. बेन्सिया, वाया महिमागढ़ी	594200	297100
66.	सोसाइटी फॉर रूरल एडवांसमेंट एण्ड डेमोक्रेटिक ह्यूमैनीटेरियन एक्शन	पातुसाहु कटेनी, पो० कलौरिया, महिमागढ़ी	1292456	640830
67.	सेंटर फॉर रिहैबिलिएशन सर्विस एण्ड रिसर्च	नेताजी नगर, मधुपटाना, कटक	2403720	1191300
68.	उड़ीसा रूरल डेव एण्ड मार्केटिंग सोसाइटी	एसआईआरडी कैम्पस, यूनिट 8, भुवनेश्वर	327275	327275
69.	गौरीशंकर युवा परिषद	प्लॉट सं० 36, हतियासुनी लेन, टंकापानी रोड, भुवनेश्वर	2334392	1029955
70.	शोलापुआमा यूनाइटेड कल्चरल ऐसो.	आनलो, ब्लॉक नियाली	2526480	1260490
71.	स्वामी विवेकानन्द यूथ क्लब	मैनसमुंदा, पो० श्रीरापुररोड, वाया शिंगला, बलियापल, बालासोर, उड़ीसा	2299550	1035525
तमिलनाडु				
72.	गांधी ग्राम ट्रस्ट	गांधी ग्राम, जिला डिंडिगुल, तमिलनाडु-624302	136350	122715
त्रिपुरा				
73.	नॉर्थ इस्टर्न हैंडीक्राफ्ट रिसर्च सोसाइटी		283200	0
74.	मोटोम वेलफेयर सोसाइटी		167300	0

1		2	3	4
75.	वॉलन्ट्री हेल्थ एसोशिएशन ऑफ त्रिपुरा		172759	9
उत्तर प्रदेश				
76.	सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एनीशिएटिव्स	ओल्ड तहसील लेन, (ओपो. अभिनव कला केन्द्र) वेलेजली गंज, मिर्जापुर	500000	0
77.	ममता ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	एस.एस II-111 सेक्टर-डी, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड	829400	0
78.	मैत्रेयी-साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था	40/1, मोतीलाल नेहरू रोड, प्रयाग इलाहाबाद	2572680	0
79.	इलाहाबाद ग्राम स्वास्थ्य सेवा समिति	54/42 दरभंगा कैशल मोतीलाल नेहरू रोड, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2431242	1160720
पश्चिम बंगाल				
80.	रघुनाथपुर नारी कल्याण समिति	एट. आनंदनगर, पो. सूर्यनगर	3770965	1820775
81.	तुतरंगा इंदिरा व एएमपी; ट्राईबल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	एट. तुतरंगा, पो. मदनमोहनचक	1340000	561000
82.	मिलन मंदिर	ग्रा. दुर्गानगर, पो. कल्पी, जिला 24 परगना, प० बंगाल	2275900	0
83.	महिला सेवायतन	ग्रा.-मोजलिसपुर, पो. पैराचली, वाया विष्णुपुर, ब्लॉक-फालता, जिला साउथ 24 परगना, प० बंगाल	1492947	544500
84.	नबीन संघा	ग्रा.पो. बानेश्वरपुर, वाया-उष्ठी	1361910	647350
85.	भानरू महेशपुर विवेकानन्द जन कल्याण संघ	ग्रा.पो. बी. रामकृष्णपुर, ब्लॉक-बिष्णुपुर-1, जिला-साउथ 24 परगना	1212970	455600
86.	हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर इनवायरनमेंट इकोलॉजी एण्ड डेवलपमेंट	रानीचौरी, जिला-टिहरी गढ़वाल	2790000	
87.	महाविद्या	ग्रामोद्योग परिसर, टावर चौक, जिला-देवघर, झारखंड	92025	45000
88.	ट्राईबल कल्चरल सोसाइटी, जमशेदपुर	सोनारी नॉर्थ, जमशेदपुर, ब्लॉक-जमशेदपुर, जिला-ईस्ट सिंहभूम, झारखंड	861000	832448

विवरण-II

वर्ष 2010-2011 में अनुमोदित स्वैच्छिक संगठनों की सूची

	स्वैच्छिक संगठन का नाम	पता	स्वीकृत की गई राशि	रिलीज की गई राशि
	1	2	3	4
आंध्र प्रदेश				
1.	यूथ क्लब ऑफ बेज्जीपुरम	डी. नं. 04/29-ए, बेज्जीपुरम विलेज, मुरापाका एस.ओ. रानास्तलम तालुका, श्रीकाकूलम जिला, आंध्र प्रदेश-532403	396000	0
2.	चैतन्य युवाजन संघम	एच. नं. 02-3-175/1, अपरपल्ली विलेज, गांधी नगर, बहादुरपुरा, राजेन्द्रनगर मंडली, आरआर जिला, आं.प्र.	1343100	0
3	फोरम फॉर इंटिग्रेटेड डेवलेपमेंट	एच.नं० 3-4-1009ए (एडीजे. बस डिपो) बाराकाटपुरा, हैदराबाद	2067000	1315000
4	चैतन्य एजूकेशनल सोसाइटी	1/169-2, III रोड एक्सटेंशन, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	1032350	0
5	इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	डी.नं. 07-1-34, कोठाकोटावरी एसटी, अमादलवलासा, श्रीकाकूलम जिला, आंध्र प्रदेश	365500	182750
6	इंदिरा प्रियदर्शिनी वुमन्स वेलफेयर एसोसिएशन	8-7-179/1 प्लॉट नं. 51, दूसरा तल समंतानगर, ओल्ड वोवनपल्ली, कुकटपल्ली म्युनिसिपाल्टी	450000	0
7	प्रकृति इन्वायरन्मेंट सोसाइटी	एच. नं. 7-4-167, फिरोजगुडा, बालानगर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	962000	0
8	सेवा भारती	जेड पीप हाईस्कूल के पीछे, तिरूचानुर, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	450000	225000
बिहार				
9	बीबीपुर एरिया स्मॉल फार्मर्स एण्ड रिसोर्सलेस कम्यूनिटीज एसोसिएशन	पो. अनिरूद्ध बेलुहौर, जिला वैशाली, बिहार	1495175	0
दिल्ली				
10	इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी	सीआरडीटी-आईआईटी, हौजखास, नई दिल्ली-16	4535000	0

	1	2	3	4
11	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री-सीआईआई	23, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	2929200	0
12	मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी	मंडौरी रोड, मंडौरा, जिला-तहसील-सोनीपत, हरियाणा	1378300	0
गुजरात				
13	नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन	अहमदाबाद, गुजरात	1045000	0
14	डॉ. अम्बेडकर एजुकेशन	जिला भावनगर, गुजरात	450000	0
15	मालधारी सेवा संघ	अहमदाबाद, गुजरात	450000	0
16	उनिमेक ग्राम्य विकास चैरिटेबल ट्रस्ट	जिला.राजकोट, गुजरात	450000	0
गुवाहाटी				
17.	मोटोम वेलफेयर सोसाइटी	मोहरपाड़ा, त्रिपुरा	167300	77100
केरल				
18	राजगिरी एजुकेशन अल्टरनेटिव्य एण्ड कम्यूनिटी हेल्थ सर्विस सोसाइटी	राजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल सांइसेज, राजागिरी, कल्लामेसेरी	450000	0
19	कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी	सिविल स्टेशन, मालापुरम	450000	0
राजस्थान				
20	शिल्पी संस्थान (पर्यावरण शिक्षा संस्कृति ललितकला विकास संस्थान)	खगाल मोहल्ला, बाड़मेर-344001 (राजस्थान)	439000	329250
21	राजस्थान नवचेतना समिति, कोटपुतली	बजाजों का मोहल्ला, माड़वार मुंडवा, जिला-नागौर, राजस्थान - 341026	439000	0
तमिलनाडु				
22	ए एम एम मुरगप्पा चेटियार रिसर्च सेन्टर	टीआम हाउस, सं०-28, राजाजी सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु	300000	0
23	सेन्टर फॉर सोशल डेवलपमेंट	कुलाला स्ट्रीट, तिरूनैनारकुरची, अमंडीविलाई पो., कुरूंतेनकोड, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	4904000	2452000

1		2	3	4
उत्तर प्रदेश				
24	गोपाल शिक्षण एण्ड ग्रामीण विकास संस्थान	ग्रा./पो.-जोनिहान, जिला-फतेहपुर	450000	0
25	सैनिक महिला प्रशिक्षण संस्थान	जुबली रोड, मोह.-पुरदिलपुर, शहर गोरखपुर	450000	0
26	पूर्वांचल विकास संस्थान	मोह-खौदाईपुरा, पो.सदर गाजीपुर	450000	0
27	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	109, टैगोर टाउन, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	450000	0
28	जनजागृति सेवा संस्थान	डी.एम.कॉलोनी-सुतरखाना-बांदा, जिला-बांदा	450000	0
29	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद	धर्मशाला बाजार गोरखपुर	450000	0
30	आधार	117/507, क्यू-ब्लॉक, शारदा नगर-कानपुर, जिला-कानपुर, यू०पी०	450000	0
31	डा० अम्बेडकर स्वास्थ्य विकास सेवा समिति	पीताम्बरखेड़ा, सी ब्लॉक के पास रेलवे क्रॉसिंग, राजाजीपुरम लखनऊ-17		
32	बाल महिला एवं ग्राम विकास सेवा समिति	58/300/1बी/1 अयोध्याकुंज, अर्जुन नगर, मेन रोड-आगरा	450000	0
33	शारदा समाजोत्थान एवं शिक्षा समिति	2/180, रूचि खंड, शारदा नगर, ब्लॉक-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ, उत्तर	709087	0
34.	मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी	93, अदल सराय, काल्पी, जालौन	450000	0
35.	श्री नागेश्वर जनकल्याण समिति	26, चर्च लेन, इलाहाबाद	450000	0
36.	कृष्णा सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	486/160, लाहौर गंज, डाली गंज-लखनऊ	450000	0
पश्चिम बंगाल				
37.	सर्बिक पल्ली कल्याण केन्द्र	ग्रा.प्रो.कियागेरिया, वाया चंद्रकोना, जिला मिदनापुर प०बंगाल	915838	0
उत्तरांचल				
38.	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विकास समिति	शारदा फैक्ट्री के सामने, निकट शीशमहल, काठगोदाम,-नैनिताल	450000	0
झारखंड				
39.	लाईफटेक डेवलमेट इंस्टीटयूशन	एट,-जी.टी., रोड़, मुगमा मोड़, मुगमा, जिला-धनबाद, झारखंड	449000	3336750

[अनुवाद]

कोंकण रेलवे में दोहरीकरण कार्य

1898. श्री निलेश नारायण राणेः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र और गोआ के बीच कोंकण रेलवे की लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक शुरु और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल सुविधाएं

1899. श्री कौशलेन्द्र कुमारः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को पूर्व-मध्य रेलवे (इसीआर) जोन के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पेयजल सुविधाओं की कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। रेलवे स्टेशनों पर जहां कहीं पीने के पानी की कमी की शिकायत/जानकारी मिलती है, वहां रेलवे अन्य स्रोतों से पीने के पानी की कमी को पूरा करने की कार्रवाई करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइन

1900. श्री के.जी. देशमुखः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश (एमपी) में लाम्टा-पारसवाडा-बैहार-मलाजखंड के नए रेल लाइन खंड पर नई रेल लाइनें बिछाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में लम्टा-पारसवाड़ा-बैहर-मलाजखंड के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की जनगणना

1901. श्री एम. बी. राजेशः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक समीक्षा में यह पाया गया है कि देश के गरीबों को वर्ष 2002 के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों (बीपीएल) की जनगणना में गलत ढंग से गरीबों से इत्तर के रूप में चिन्हित किया गया था;

(ख) क्या उस समीक्षा में वर्ष 2011 की बीपीएल जनगणना के लिए प्रस्तावित कार्य पद्धति मे गंभीर समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारने इस पर काबू पाने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) बीपीएल जनगणना, 2002 के संबंध में अथवा सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 (एसईसीसी, 2011) के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के निर्धारण के लिए प्रस्तावित मानदंड की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों की गणना करने की प्रक्रियाविधि के संबंध में ग्रामीण विकास मत्रालय को सलाह देने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अधिकांश ग्रामीण परिवार बीपीएल जनगणना, 2002 के दायरे से बाहर हो गए हैं।

(ग) और (घ) सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 (एसईसीसी, 2011) के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के निर्धारण के लिए प्रस्तावित मानदंड को विशेषज्ञ समूह की सिफारिश, बीपीएल परिवारों के निर्धारण की प्रक्रियाविधि पर सहमत होने के लिए कराए गए सामाजिक-आर्थिक प्रायोगिक सर्वेक्षण के परिणामों और विशेषज्ञो एवं राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

स्टेशनों पर स्कैनिंग और फ्रिस्किंग

1902. श्री महेश जोशीः
श्री सुरेश अंगड़ीः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्कैनिंग प्रक्रियाएं शुरू करने जा रहा है और यात्रियों से फ्रिस्किंग आदि से गुजरने के लिए एक घंटे पहले आने का अनुरोध कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसी शर्तें लागू की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) उत्तर रेलवे ने यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्कैनिंग प्रणाली शुरू की है।

किसी भी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा यात्रियों की जांच करने के लिए एक घंटा पहले आने की कोई शर्त नहीं रखी गयी है।

बहरहाल, उत्तर रेलवे ने यात्रियों से गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से पहले पहुंचने और सुरक्षा जांच में सहयोग देने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

एकसमान दवाइयों की कीमतों में अंतर

1903. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्राः
श्री गोपीनाथ मुंडेः
श्री हमदुल्लाह सईदः
श्री हरि मांझीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में भिन्न-भिन्न ब्रांडों के अंतर्गत बेची जाने वाली एकसमान दवाइयों की कीमतों में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त दवाइयों की कीमतें निर्धारित की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कीमतों को आसानी से नियंत्रित करने के उद्देश्य से दवाइयों के रैपर पर अधिकतम खुदरा मूल्य और लाभ घटक मुद्रित करने का है;

(च) यदि हां, तो क्या एक कड़ा कानून बनाए जाने का प्रस्ताव है ताकि एक प्रतिशत लाभ से अधिक की मंशा रखने वाले विनिर्माताओं को निषिद्ध किया जा सके और उन्हें समान गुणधर्मों वाली कम कीमत पर उपलब्ध एकसमान औषधि के लिए अधिक राशि प्रभारित करने से रोका जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों तथा इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन किया जाता है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) मूल्य नियंत्रण के अधीन आने वाले सभी आयातित अनूसूचित फार्मूलेशनों सहित सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग करता है। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसी ओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एनपीपीए द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी फार्मूलेशन (दवाई) को उपभोक्ता के पास नहीं बेच सकता है। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पता चलता है कि वह राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाई बेच रही है तो उसके खिलाफ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिये बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। ऐसे मूल्य सामान्यत: विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं यथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषधियों की लागत, एक्सीपिएंटों की लागत, अनुसंधान तथा विकास लागत, उपयोगिता/पैकिंग सामग्री लागत, बिक्री संवर्धन लागत, व्यापार लाभ, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयातों की अवतरण लागत, आदि। इसके परिणामत: गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मामले में विभिन्न ब्रांडों के अधीन बेची जाने वाली एक जैसी दवाइयों के मूल्यों में अंतर हो सकता है।

मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) गैर अनुसूचित फार्मूलशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों को मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) सरकार ने दिनांक 26.06.2006 की अधिसूचना सा.आ. संख्या 946 (अ) जारी करके दवाइयों के सभी विनिर्माताओं को यह निदेश दिया है कि वे 2 अक्तूबर, 2006 से सभी करों सहित दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित करें। इस प्रकार 2 अक्तूबर, 2006 के बाद विनिर्मित सभी दवाइयां, सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्यों (एमआरपी) पर बाजार में उपलब्ध हैं। तथापि दवाइयों के रैपरों/पैकों पर लाभ घटक मुद्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए स्वच्छता सुविधाएं

1904. श्री वरुण गांधी: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत सरकार संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के साथ स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वर्ष 1999 में व्यापक कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया गया था, संचालित करती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक मांग जनित, परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को इकाई रूप में लिया जाता है। टीएससी परियोजनाएं 607 ग्रामीण जिलों के लिए मंजूर की गई हैं। मुख्य घटक हैं: व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन, विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा, सामुदायिक स्वच्छता परिसर/आंगनवाड़ी शौचालय और ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता। अभियान का लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं सहित ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि

1905. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री अर्जुन राय:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जीवन रक्षक औषधियों की कीमतें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच सांठ-गांठ के कारण ऐसी औषधियों की कीमतें आम आदमी विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने मामलों में कीमतें अनुमत्य सीमा से अधिक बढ़ गईं;

(ङ) कीमतों में वृद्धि का देश में औषधियों की आपूर्ति और उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) औषधियों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने क्या कदम उठाए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) जीवन रक्षक औषधियां 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995), में परिभाषित नहीं हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 अनुसूचित बल्क औषधियों तथा इन सूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को नहीं बेच सकता है।

जो औषधियां 'औषधि (मूलय नियंत्रण) आदेश 1995 (डीपीसीओ, 1995)' के अंतर्गत नहीं आती हैं अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियां हैं उनके मामले में विनिर्माता सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित फार्मूलेशनों के निर्धारित/संशोधित मूल्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (31 जुलाई, 2011 तक)		एनपीपीए की स्थापना से (31 जुलाई, 2011 तक)	
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
मूल्य बढ़े	190	12.05	184	10.08	223	31.28	95	34.80	1627	14.37
मूल्य घटे	89	5.64	450	24.67	60	8.42	30	10.99	3389	29.92
पहली बार मूल्य निर्धारित किए गए*	1256	79.65	1155	63.33	371	52.03	114	41.76	5937	52.42
मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं	42	2.66	35	1.92	1.6259	8.27	34	12.45	373	3.29
कुल	1577*	100	1824*	100	713*	100	273*	100	11236*	100

*इसमें निर्धारित प्रो-रेटा मूल्य भी शामिल हैं

वर्तमान वित्त वर्ष 2011-12 (31 जुलाई, 2011 तक) के दौरान 273 अनुसूचित दवाई पैकों के मूल्यों का एनपीपीए द्वारा निर्धारण/संशोधन किया गया है जिनमें से केवल 95 मामलों में मूल्यों में वृद्धि हुई है और ये कुल मामलों का 34.85% हैं जिनके संबंध में इस वर्ष के दौरान मूल्य निर्धारित/संशोधित किए गए थे। शेष मामलों में या तो मूल्य घटे हैं अथवा पहली बार निर्धारित किए गए हैं अथवा मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ओआरजी-आईएमएस रिसर्च प्रा. लि. की खुदरा लेखा परीक्षा रिपोर्टों, जिनमें लगभग 61,000 दवा पैक शामिल हैं, के अनुसार विगत तीन वित्त वर्षों के लिए जिन दवा पैकों के मूल्य मासिक आधार पर बढ़े अथवा घटे अथवा स्थिर रहे उनकी प्रतिशत संख्या का ब्यौरा विवरण के अनुसार है।

आमतौर पर उद्योग तथा व्यापार द्वारा दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि के जो कारण बताए जाते हैं वे इस प्रकार हैं–

* कच्ची सामग्री के मूल्य में वृद्धि जिसमें अन्य के साथ-साथ कच्ची सामग्री की लागत, पैकिंग सामग्री की लागत,

परिवर्तन लागत तथा पैकिंग प्रभाग लागत में वृद्धि भी शामिल हैं।

* उत्पादन/आयात लागत में वृद्धि
* परिवहन लागत, भाडा दरों में वृद्धि
* ईंधन, बिजली, डीजल आदि जैसी उपयोगिताओं की लागत में वृद्धि
* आयातित दवाइयों के मामले में लागत बीमा भाडा मूल्य में वृद्धि तथा रूपए के मूल्य में ह्रास
* करों और शुल्कों में परिवर्तन

(ङ) ऐसा कोई ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है।

(च) एनपीपीए के अधिकारियों द्वारा देश में विभिन्न भागों से दवाइयों के नमूनों की खरीद के अलावा अलग-अलग व्यक्तियों/गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त शिकायतों तथा राज्य औषधि नियंत्रकों से प्राप्त सूचना का उपयोग एनपीपीए/सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित मूल्यों के अनुपालन का सुनिश्चय करने के लिए किया जाता है। कंपनियों द्वारा फॉर्म-V में प्रस्तुत मूल्य सूचियों की इस प्रयोजनार्थ छान-बीन की जाती है। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई अनुसूचित फार्मूलेशन बेच रही है तो ऐसी कंपनी के खिलाफ अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

जो औषधियां औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं उनके मामले में निर्माता सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एनपीपीए गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां 10 प्रशित वार्षिक (1-4-2007 से पूर्व 20%) से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहा। संबंधित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में संबंधित फॉर्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10 (ख) के अधीन 30 फार्ममूलेशन पैकों के मामले में मूल्य निर्धारित किए हैं और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामलें में स्वैच्छा से मूल्य घटाएं हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामत: गैर-अनुसूचित औषधियों के 95 पैकों के मूल्य कम हुए हैं।

1. जिन पैकों के मूल्य बढ़े हैं उनकी प्रतिशत संख्या:

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2007-08	0.77	0.14	0.10	0.02	0.13	0.12	0.01	0.01	0.32	0.33	0.03	0.000
2008-09	0.07	0.12	0.30	0.05	0.11	15.89	1.73	2.44	0.10	0.07	0.02	8.74
2009-10	1.99	0.62	4.75	0.01	0.07	3.21	0.14	0.003	2.92	0.03	0.02	2.66
2009-11	0.09	0.02	1.98	0.22	0.09	2.28	0.08	0.03	2.46	0.30		

2. जिन पैकों के मूल्य बढ़े हैं उनकी प्रतिशत संख्या:

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2007-08	0.22	0.20	0.42	0.02	0.09	0.02	0.12	0.00	0.07	0.12	0.03	0.01
2008-09	0.01	0.03	0.08	0.02	0.09	10.85	1.32	2.41	0.29	0.02	0.03	6.67
2009-10	1.32	0.48	5.15	0.02	0.02	2.96	0.02	0.01	1.31	0.02	0.03	0.87
2010-11	0.06	0.01	1.45	0.14	0.03	1.15	0.01	0.02	0.88	0.15		

3. जिन पैकों के मूल्य बढ़े हैं उनकी प्रतिशत संख्या:

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2007-08	98.99	99.65	99.48	99.96	99.78	99.85	99.87	99.99	99.61	99.55	99.93	99.99
2008-09	99.93	99.85	99.62	99.92	99.80	73.26	96.95	95.15	99.61	99.91	99.95	84.59
2009-10	96.69	98.90	90.10	99.96	99.92	93.83	99.81	99.99	95.76	99.95	99.96	96.47
2010-11	99.85	99.97	96.57	99.65	99.88	96.57	99.91	99.95	96.66	99.55		

चक्रधरपुर के निकट रेल उपरिपुल

1906. **श्री मधु कोडा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 से विस्तार कार्य के अंतर्गत "चक्रधरपुर-चाईबासा" खंड में चक्रधरपुर के निकट रेल उपरिपुल के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस तत्संबंधी में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल उपरिपुल के लिए संपर्क सड़क का निर्माण पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(घ) उक्त पुल के दोनों ओर संपर्क सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) चक्रधरपुर में समपार संख्या 170 के बदले ऊपरी सड़क पुरल (आरओबी) के निर्माण कार्य को स्वीकृत कर दिया है। रेल पथ के ऊपर पुल के हिस्से को रेलवे द्वारा निर्मित किया जा रहा है और इसका 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस ऊपरी पुल के शेष हिस्से का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उपरी पुल के शेष हिस्से में निर्माण कार्य देरी से होने की वजह से ऊपरी पुल का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। राज्य सरकार को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

बीपीएल व्यक्तियों हेतु योजना

1907. **श्री पूर्णमासी राम:**
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बीपीएल परिवारों की संख्या कितनी है जो कि उनके उत्थान के लिए बनी योजनाओं का लाभ प्राप्त करके बीपीएल रेखा से ऊपर आ गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास गरीबी रेखा से ऊपर जाने वाले बीपीएल परिवारों के आंकड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो अपेक्षित आंकड़े प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) महत्वपूर्ण आंकड़ों के अभाव में सरकार अपनी योजनाओं की उपलब्धियों का पता किस प्रकार लगाती है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) नामक एक प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य सहायता-प्राप्त निर्धन ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। वर्ष 2008 के दौरान स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के माध्यम से एसजीएसवाई के बारे में कराए गए अखिल भारत समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि एसजीएसवाई के अंतर्गत दी गई सहायता के फलस्वरूप गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले संबंधित स्वरोजगारियों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 17.46% एवं गुजरात मे 33.33% हो गया है। इसी प्रकार, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का प्रतिशत उत्तरांचल में 16.28% एवं मेघालय में 33.86% हो गया है।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में निधियों के उपयोग सहित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं उनके प्रभाव की निगरानी

करने के लिए एक व्यापक प्रणाली मौजूद है जिसमें प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के उपयोग के माध्यम से आवधिक प्रगति रिपोर्टें, कार्य निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य/जिला स्तर सूत्री कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है, जिसमें ये शामिल हैं–(i) योजनाओं के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना (ii) पारदर्शिता (iii) लोगों की सहभागिता (iv) जवाबदेही, सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता एवं निगरानी। मंत्रालय निचले स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने तथा सुधारात्मक उपाय करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन भी करवाता है।

भूजल स्तर में गिरावट

1908. **शेख सैदुल हकः**
श्री पी. करुणाकरनः
डॉ. रामचन्द्र डोमः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री वरुण गांधीः
श्री उदय सिंहः
श्री आर. थामराईसेलवनः
श्री इज्यराज सिंहः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन ने हाल ही में उपग्रह डाटा के जरिए भारत के भूजल स्तर के बारे में टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित राज्य-वार भूजल स्तर में कितनी कमी आई है;

(ग) क्या निजी कंपनियों द्वारा भूजल का बेतहाशा दोहन भूजल के कम होने का एक प्रमुख कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार भूजल के दोहन की निगरानी करने के लिए एक विनियामकनिकाय की स्थापना करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) "भारत में भूजल स्तर में गिरावट के सेटेलाइट-आधारित अनुमान" संबंधी एक लेख राष्ट्रीय वैज्ञानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक पत्रिका नेचर के अगस्त, 2009 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

(ख) उपर्युक्त अध्ययन के लिये इन वैज्ञानिकों द्वारा वास्तव में भूजल स्तर का मानचित्रण किये बिना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों को शामिल करते हुए लगभग 4.4 लाख वर्ग किमी. के क्षेत्र को एकल इकाई के रूप में लिया गया था। वैज्ञानिकों ने अगस्त, 2002 से अक्टूबर, 2008 तक नासा ग्रेविटी रिकवरी एण्ड क्लाइमेंट एक्सपेरिमेंट (जीआरएसीई) सेटेलाइट आंकड़ों से स्थलीय जल भंडारण (टीडब्ल्यूएस) परिवर्तन प्रेक्षणों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर भारत में भूजल गिरावट का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि इन चार राज्यों में भूजल 4.0 ± 1. 0 से.मी./वर्ष की औसत दर से गिरावट हो रही है जिसके समान जल की ऊंचाई (17.7 ± 4.5 घन कि. मी./वर्ष) है। उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य इस अध्ययन में शामिल नहीं किये गए थे।

(ग) किसी क्षेत्र में भूजल स्तर के विभिन्न पुनर्भरण पैरामीटरों जैसे वर्षझा, सतही जल निकायों से अंतर्वाह, विभिन्न स्रोतों से रिसाव आदि और निस्सरण पैरामीटरों जैसे सिंचाई, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोगों सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिये जल की निकासी और सतही जल निकायों से बहिर्वाह पर निर्भर करता है।

(घ) वर्ष 2004 में सभी उपयोगों के लिये भूजल निकासी 231 बीसीएम प्रति वर्ष अनुमानित की गई है, जिसमें से सिंचाई के लिये 213 बीसीएम और घरेलू एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 18 बीसीएम जल की निकासी की गई है।

(ङ) और (च) सरकार ने देश में भूजल के विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय ने भूजल के विकास विनियमन एवं नियंत्रण के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को 'मॉडल बिल' परिचालित किया है। अभी तक आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल राज्यों और चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं पुड्डुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल विधान अधिनियमित किया है।

[हिन्दी]

गंगा नदी द्वारा अपरदन

1909. श्री अशोक अर्गल:
श्री रामकिशुन:
श्री सोमेन मित्रा:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गंगा, नदी द्वारा अपरदन के कारण पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों में लोगों को बेघर कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) चंबल और यमुना नदियों के अपरदन के कारण कम हुई कृषि योग्य भूमि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मृदा अपरदन के कारण पंप कैनल खतरे में है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच.पाला) : (क) से (ग) बाढ़ मैदानों की भूमि या गंगा, चम्बल, यमुना इत्यादि जैसी घुमावदार नदियों के मार्ग में आने वाली भूमिका बाढ़ के दौरान अनेक स्थानों पर नदियों द्वारा कटाव होता है जिसके परिणामस्वरूप घरों तथा सम्पति का नुकसान होता है। भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नदियों के कटाव की वजह से बेघर हुए व्यक्तियों तथा कृषि-योग्य भूमि के नुकसान संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। XIवीं योजनावधि के दौरान, "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)" नामक एक राज्य क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण तथा कटाव-रोधी कार्यों हेतु समस्त बाढ़ प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) जल संसाधन मंत्रालय में किसी भी राज्य सरकार से भूमिकटाव के कारण पम्प कनालों में खतरे संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त पैरा (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आईपीएल टीमों द्वारा लेखापरीक्षा मानदण्डों का उल्लंघन

1910. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने पिछले दो मौसमों में प्रत्येक इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) द्वारा लेखाओं में अनियमितताएं तथा प्रत्येक लेखापरीक्षा के मानदण्डों में उल्लंघन और सभी क्रिकेटरों द्वारा आयकर के अपवंचन के बारे में संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योग

1911. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है.

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में लागू की गई योजनाओं/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (ग) सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के नियंत्रणाधीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) नामक एक संवैधानिक निकाय के माध्यम से 2008-09 से प्रधानमत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी

कार्यक्रम कार्यान्वित करके गैर-फार्म क्षेत्र में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को बढ़ाया दे रही है। पीएमईजीपी का उद्देश्य विशेषकर पारंपरिक कारीगरों एवं बेरोजगार युवाओं को संगठित करके कृषि आधारित औद्योगिक यूनिटों सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना, उनकी आय अर्जन क्षमता में वृद्धि करने के अलावा उनका पलायन रोकने में सहायता करना है। यह स्कीम राज्य/संघ शासित स्तर पर केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य/संघ शासित क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डो (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों और बैंकों की सहभागिता से कार्यान्वित की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत, सामान्य वर्ग के लाभार्थी कार्यान्वयन एजेंसियों तथा बैंकों से ऋण आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिटों की परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. तक की प्रत्येक परियोजना तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. तक की प्रत्येक परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त करके सूक्ष्म उद्यम, जिनमें कृषि आधारित यूनिटें शामिल हैं, स्थापित कर सकते हैं, विशेष वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं तथा अन्य के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग तथा विशेष वर्गों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी की मात्रा क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

वृद्धावस्था पेंशन

1912. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः**
श्री पन्ना लाल पुनियाः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीपीएल सूची के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बहुत पहले तैयार की गई बीपीएल सूची के नवीयन करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार बैंकों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हाल ही में 1 अप्रैल, 2011 से भारत सरकार ने इंदरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत वृद्धावस्था के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से कम करके 60 वर्ष कर दी है और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि 200 रु. प्रति मास से बढ़ाकर 500 रु. प्रति मास कर दी है।

(ख) से (घ) लाभार्थियों का निर्धारण और पेंशन का संवितरण संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। लाभार्थियों का चयन वर्तमान बीपीएल सूची से किया जाता है जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। इस समय चल रही सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर नई बीपीएल सूची उपलब्ध होने पर पात्र लाभर्थियों के निर्धारण के समय उसे ध्यान में रखा जाएगा।

(ङ) और (च) जीं, हां। राज्य सरकारों को जहां संभव हो पेंशन का संवितरण, लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से करने की सलाह दी गई है। इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वर्तमान में, लगभग 77 लाख लाभार्थी बैंक खातों के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण

1913. **श्री पी. टी. थॉमसः** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य की क्या स्थिति है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस कार्य को पूरा कर लिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु प्रदान की गई और व्यय की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो कार्यक्रमो अर्थात् भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) और राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) के अंतर्गत किया जाता है। वर्ष 2008 से सी.एल.आर. का एन.एल.आर.एम.पी. में विलय किया गया है। गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ मुहैया कराई गई और उपयोग में लाई गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

विवरण I

भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

(31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर.ओ.आर. पूरे किए गए	आर.ओ.आर. की हस्तलिखित प्रतियां जारी करना बंद किया गया	आर.ओ.आर की कम्प्यूटरीकृत प्रतियों को विधिक मान्यता प्रदान की गई	कम्प्यूटरों का उपयोग करते हुए नामांतरण शुरू किया गया	भू-कर मानचित्रों का अंकीकरण शुरू किया गया	आर.ओ.आर आंकड़ों को वेबसाइट पर डाल गया
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	✓		✓	✓	✓	✓
2.	अरूणाचल प्रदेश	✓				✓	
3.	असम			✓	✓	✓	
4.	बिहार					✓	
5.	छत्तीसगढ़	✓	✓	✓	✓		✓
6.	गुजरात	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	गोवा	✓	✓	✓	✓		✓
8.	हरियाणा	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	हिमाचल प्रदेश	✓		✓	✓	✓	
10.	जम्मू और कश्मीर						
11.	झारखंड						
12.	कर्नाटक	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	केरल					✓	
14.	मध्य प्रदेश	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15.	महाराष्ट्र	✓		✓	✓	✓	✓
16.	मणिपुर					✓	
17.	मेघालय					✓	
18.	मिजोरम	✓					
19.	नागालैंड	✓				✓	
20.	उड़ीसा	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब		✓	✓		✓	
22.	राजस्थान	✓		✓	✓	✓	✓
23.	सिक्किम	✓	✓	✓	✓		
24.	तमिलनाडु	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25.	त्रिपुरा	✓		✓	✓	✓	✓
26.	उत्तर प्रदेश	✓	✓	✓		✓	✓
27.	उत्तराखण्ड	✓	✓	✓			✓
28.	पश्चिम बंगाल	✓	✓	✓	✓	✓	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30.	चंडीगढ़	✓	✓				
31.	दादरा और नगर हवेली	✓					
32.	दिल्ली	✓					
33.	दमन और दीव	✓				✓	
34.	लक्षद्वीप					✓	
35.	पुड्डुचेरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	कुल	26	16	21	18	26	16

विवरण II

भूमि अभिलखों के कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों, उपयोग में लाई गई तथा बकाया राशि को दिखाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योजना को लागू किए जाने से लेकर जारी निधियां	31.3.2011 तक उपयोग में लाई गई निधियां	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3708.31	3378.59	329.72
2.	अरूणाचल प्रदेश	75.30	75.30	0.00
3.	असम	2010.30	480.50	1529.80
4.	बिहार*	3105.72	2688.23	417.49

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	3257.67	2149.38	1108.29
6.	गोवा	243.90	240.83	3.07
7.	हरियाणा	1575.30	1400.41	174.89
8.	हिमाचल प्रदेश	1445.51	1029.56	415.95
9.	जम्मू और कश्मीर	1828.00	286.00	1542.00
10.	कर्नाटक	3831.71	2650.36	1181.35
11.	केरल	1261.94	1079.23	182.71
12.	मध्य प्रदेश	5168.46	4372.69	795.77
13.	महाराष्ट्र	4247.40	3312.58	934.82
14.	मणिपुर	348.77	149.00	199.77
15.	मेघालय	28.00	28.00	0.00
16.	मिजोरम	569.96	569.96	0.00
17.	नागालैंड	213.55	168.40	45.15
18.	उड़ीसा	4321.07	3590.82	730.25
19.	पंजाब	562.25	429.61	132.64
20.	राजस्थान	3612.27	3133.27	479.00
21.	सिक्किम	210.73	207.23	3.50
22.	तमिलनाडु	3698.34	2855.82	842.52
23.	त्रिपुरा	738.03	638.67	99.36
24.	उत्तर प्रदेश	3609.45	2186.24	1423.21
25.	पश्चिम बंगाल	3934.16	3103.64	830.52
26.	छत्तीसगढ़**	1061.50	1061.50	0.00
27.	झारखंड	1701.50	725.76	975,74
28.	उत्तराखंड	1874.55	660.08	1214.47
29.	दादरा और नगर हवेली	12.38	0.22	12.16
30.	दिल्ली	101.13	4.31	96.82

1	2	3	4	5
31.	पुड्डुचेरी	189.09	77.15	111.94
32.	चंडीगढ़	15.00	0.00	15.00
33.	दमन और दीव	50.00	6.58	43.42
34.	लक्षद्वीप	50.00	0.00	50.00
	कुल	58661.25	42739.92	15921.33

*इसमें झारखंड जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा आबंटित 217.50 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है।

**इसमें झारखंड जिले के लिए बिहार सरकार द्वारा आबंटित 217.50 लाख रुपये की राशि शामिल है।

**इसमें मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त 406.00 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है।

*इसमें छत्तीसगढ़ सरकार को अंतरित 406.00 लाख रुपये की राशि शामिल है।

एनएलआरएमपी के अंतर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान वित्तीय प्रगति
(जारी की गई निधियां और सूचित उपयोग)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष						योग		सूचित उपयोग	अव्ययित बकाया राशि
		2008-09		2009-10		2010-11					
		जारी निधियां	शामिल जिले	जारी निधियां	शामिल जिले	जारी निधियां	शामिल जिले	जारी निधियां	शामिल जिले		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	3356.600	5			117.640		3474.240	5	18.75	3455.490
2.	अरूणाचल प्रदेश					48.600	1	48.600	1		48.600
3.	असम			1806.120	20	329.625	7	2135.745	27		2135.745
4.	बिहार	748.480	2	720.600	3	744.428	5	2213.708	10	860.12	1353.588
5.	छत्तीसगढ़			553.860	2	414.705	3	968.565	5		968.565
6.	गुजरात	715.445	3			5527.240	12	6242.685	15	140.10	6102.585
7.	गोवा							0.000	0		0.000
8.	हरियाणा	285.060	2	1374.940	8	2101.480	11	3761.480	21	1024.00	2737.480
9.	हिमाचल प्रदेश	488.950	3	326.820				815.770	3		615.770
10.	जम्मू और कश्मीर	65.625	2			235.280		300.905	2		300.905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	झारखंड					162.250	4	162.250	4		162.250
12.	कर्नाटक							0.000	0		0.000
13.	केरल			700.790	3			700.790	3		700.790
14.	मध्य प्रदेश	1266.330	5	4168.040	15	3031.830		8466.200	20		8466.200
15.	महाराष्ट्र	3693.010	6	788.780		117.640	10	4599.430	16	30.08	4569.350
16.	मणिपुर	168.530	4					168.530	4		168.530
17.	मेघालय	431.430	3	192.320	2			623.750	5		623.750
18.	मिजोरम					323.720	1	323.720	1		323.720
19.	नागालैंड	58.970	2			181.625	2	240.595	4	58.97	181.625
20.	उड़ीसा	924.27225	4	1467.22000	3	147.05000		2538.54225	7		2538.54225
21.	पंजाब	814.170	2			585.613	3	1399.783	5		1399.783
22.	राजस्थान			3901.940	4	235.270		4137.210	4		4137.210
23.	सिक्किम	9.360	3			65.700	1	75.060	4		75.060
24.	तमिलनाडु							0.000	0		0.000
25.	त्रिपुरा	271.680	4			385.653		657.333	4		657.333
26.	उत्तर प्रदेश	1346.500	5	70.860		435.128	3	1852.488	8	25.99	1826.498
27.	उत्तराखण्ड							0.000	0		0.000
28.	पश्चिम बंगाल	3991.550	10	3264.540	9			7256.090	19	5.60	7250.490
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25.710	1	28.390		12.150		66.250	1	46.91	19.340
30.	चंडीगढ़							0.000	0		0.000
31.	दादरा व नगर हवेली	24.290	1	33.680		33.680		91.650	1	24.29	67.360
32.	दिल्ली							0.000	0		0.000
33.	दमन और दीव			103.720	2			103.720	2		103.720
34.	लक्षद्वीप			4.210	1	162.200		166.410	1		166.410
35.	पुड्डुचेरी	190.000	2	36.930				226.930	2		226.930
	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	18875.96225	69	19543.96000	72	15398.507	63	53818.42925	204	2234.81	51583.61925

[हिन्दी]

परमाणु परियोजनाओं हेतु रिएक्टरों की आपूर्ति

1914. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (वीएचईएल) ने ऐसा दावा किया है कि वह घरेलू रिएक्टर टैक्नोलॉजी पर आधारित परमाणु परियोजनाओं हेतु रिएक्टरों की आपूर्ति कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या बीएचईएल इस संबंध में देश की आवश्यकता को पूरा कर सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीएचईएल द्वारा घरेलू परियोजनाओं में अब तक किए गए योगदान का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) महोदया, अब तक बीएचईएल ने न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) हेतु प्रेशराईज्ड ऐवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित 220 एमडब्ल्यूई और 540 एमडब्ल्यूई रिएक्टरों के लिए स्टीम जनरेटर, रिएक्टर हेडर, एंड शील्ड्स जैसे कुछ न्यूक्लियर रिएकटर कंपोनेट का विनिर्माण और आपूर्ति किया है। यदि एनपीसीआईएल संपूर्ण तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराती है, तो बीएचईएल घरेलू रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के लिए रिएक्टरों की आपूर्ति करने पर विचार कर सकता है क्योंकि घरेलू रिएक्टर प्रौद्योगिकी का विकास एनपीसीआईएल द्वारा किया गया है।

(ख) एनपीसीआईएल ने प्रेशरईज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित अपने 220 एमडब्ल्यूई, 540 एमडब्ल्यूई और 700 एमडब्ल्यूई रेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए घरेलू रिएक्टरों हेतु डिजाइन विकसित किए है। एनपीसीआईएल के कार्यक्रम अनुसार 700 एमडब्ल्यूई की लगभग 20 इकाइयों की रूपरेखा बना ली गई है, जिनमें से चार इकाइयां विनिर्माणाधीन है। बीएचईएल 2 इकाइयों के लिए स्टीम जेनरेटर और 4 इकाइयों के लिए रिएक्टर हेडर असेम्बली की आपूर्ति कर रहा है।

(ग) जी हां, बीएचईहएल, एनपीसीआईएल द्वारा घरेलू रिएक्टर प्रौद्योगिकी से विकसित की जा रही परियोजनाओं के लिए देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

(घ) वर्तमान में बीएचईएल अपनी विनिर्माण क्षमता को 15,000 मेगावाट प्रतिवर्ष से 20,000 मेगावाट प्रतिवर्ष कर रहा है। इस पहल के रूप में बीएचईएल की त्रिची इकाई ने स्टीम जेनरेटर और प्रेशर वेसल्स जैसे रिएक्टर साइड उपस्कर की आपूर्ति के लिए अपनी विनिर्माण क्षमता को स्थापित किया है।

(ङ) देश की न्यूक्लियर पावर क्षमता से बीएचईएल का लगभग 67% योगदान है। बीएचईएल ने 10 स्टीम जेनरेटर, 12 स्टीम टरबाईन जेनरेटर सेट तथा संबंधित सहायक उपकरणों की आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त कुल 5300 एमडब्ल्यूई न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की 7 इकाइयां विनिर्माणधीन है जिनमें बीएचईएल 1400 एमडब्ल्यूई (700 एमब्ल्यूई के 2 सेट) के लिए स्टीम जेनरेटर और 1900 एमडब्ल्यूई (700 एमडब्ल्यूई की 2 इकाइयां और 500 एमडब्ल्यूई की 1 इकाई) के लिए स्टीम जेनरेटर सेट की आपूर्ति कर रहा है। कंपनी रूस के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे 100 एमडब्ल्यूई सेट सहित सभी 5 इकाइयों के लिए परंपरागत आइलैंड की स्थापना तथा चालू करने का कार्य भी कर रही है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

1915. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं पूरी नहीं की गई हैं;

(ख) क्या परियोजनाओं में विलंब का संबंध निधियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी माडल के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के निर्माण का प्रस्ताव करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों की वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

(घ) तथा (ङ) राज्यों के साथ शुरूआती दौर की बातचीत चल रही है।

(च) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लम्बाई की राज्य-वार प्रगति, राज्य-वार विवरण में दी गई है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (जून, 2011 तक) के दौरान पूरी की गई सड़कों की लंबाई

(लंबाई किमी में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1885.00	3092.00	2121.48	256.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	317.43	622.55	366.87	76.73
3.	असम	1985.11	2095.88	2057.11	569.41
4.	बिहार	2532	2843.27	2515.13	1439.33
5.	छत्तीसगढ़	2427.08	4020.44	1570.66	497.58
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1262.07	1511.02	605.97	343.13
8.	हरियाणा	969.87	785.35	389.24	43.15
9.	हिमाचल प्रदेश	1360.10	1505.61	661.82	155.20
10.	जम्मू और कश्मीर	469.80	661.54	474.00	159.01
11.	झारखंड	214.97	1530.90	1599.25	356.22
12.	कर्नाटक	2099.13	3019.75	1848.93	668.26
13.	केरल	240.22	264.10	245.87	89.91
14.	मध्य प्रदेश	7893.72	10398.01	9163.26	515.75
15.	महाराष्ट्र	4138.65	3111.50	3718.27	860.42
16.	मणिपुर	78.95	879.68	487.42	184.43

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	30.80	97.92	83.31	10.07
18.	मिजोरम	195.18	202.71	252.13	39.87
19.	नागालैंड	298.53	273.66	86.00	9.69
20.	उड़ीसा	2641.00	3838.43	4941.90	1120.45
21.	पंजाब	751.62	710.00	622.72	41.73
22.	राजस्थान	10349.93	4350.11	3019.47	218.46
23.	सिक्किम	308.57	98.82	85.72	18.70
24.	तमिलनाडु	609.59	1940.49	2229.01	422.40
25.	त्रिपुरा	361.27	519.93	432.11	13.96
26.	उत्तर प्रदेश	6461.02	9526.81	3593.79	241.39
27.	उत्तराखण्ड	645.60	764.49	551.88	140.64
28.	पश्चिम बंगाल	1877.11	1452.04	1385.20	207.80
	कुल जोड़	52404.31	60116.99	45108.53	8700.59

[अनुवाद]

रावी व्यास जल बंटवारा

1916. राव इन्द्रजीत सिंह:
श्री भरत राम मेघवाल:
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के बीच रावी और व्यास के जल का बंटवारा संबंधी मुद्दा कई दशकों से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि हरियाणा सहित उक्त राज्यों के वे क्षेत्र जहां पेयजल और कृषि हेतु जल की आपूर्ति की जानी थी, इसके परिणामस्वरूप गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की है/क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) रावी-व्यास जल के अधिशेष जल का पुन:आवंटन करने के लिए दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते में निम्नानुसार आवंटन किया गया है:

पंजाब का हिस्सा	:	4.22 मि. एकड़ फीट (एमएएफ)
हरियाणा का हिस्सा	:	3.50 एमएएफ
राजस्थान का हिस्सा	:	8.60 एमएएफ

दिल्ली जल आपूर्ति हेतु निर्धारित मात्रा	:	0.20 एमएएफ
जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा	:	0.65 एमएएफ

समझौते में निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए हैं:

"जब तक राजस्थान अपने पूर्ण हिस्से का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है तब तक पंजाब राजस्थान की आवश्यकताओं से फालतू जल का उपयोग करने के लिए मुक्त है। चूंकि राजस्थान अपने हिस्से के जल का उपयोग शीघ्र करने लगेगा, अत: जब तक राजस्थान अपने पूर्ण हिस्से के जल का उपयोग करने की स्थिति में आए, पंजाब को अपनी भूमि की सिंचाई हेतु शीघ्र पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इसके परिणामस्वरूप, यह संभावना है कि इस परिवर्ती अवधि के दौरान जब राजस्थान की आवश्यकता 8.0 एमएएफ से अधिक नहीं होगी अत: जब जल की उपलब्धता 17.17 एमएपएफ होगी तब पंजाब को एक वर्ष में औसतन 4.82 एमएएफ जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए''।

रावी-व्यास जल का वितरण भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1981 समझौते के अनुसार परिवर्ती अवधि के लिए रावी व्यास के अधिशेष जल के वितरण का निरूपण बीबीएमबी द्वारा अपनी 99वीं, 100वीं और 101वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था परन्तु रावी व्यास के अधिशेष जल के वितरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। तत्पश्चात् मामले को 3.12.1982 को आयोजित बीबीएमबी की 105वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि सदस्यों के बीच विस्तृत बातचीत के बाद कोई सहमति नहीं हो सकी, बीबीएमबी के अध्यक्ष ने वितरण हेतु एक तदर्थ अंतरिम व्यवस्था का प्रस्ताव किया जिसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 49 प्रतिशत अर्थात् 8 एमएएफ निर्धारित किया गया। यद्यपि इसके बाद राजस्थान 0.6 एमएएफ बकाया हिस्से की पुन: प्राप्ति हेतु अनुरोध करता रहा है परंतु पंजाब अभी तक इससे सहमत नहीं है। पंजाब ने वर्ष 1981 के समझौते में स्वीकार की गई रावी व्यास के अधिशेष जल के औसत प्रवाह की अनुमानित मात्रा पर सवाल उठाया है। दिनांक 12.07.2004 को पंजाब ने वर्ष 1981 के समझौते, रावी तथा व्यास से संबंधित अन्य सभी समझौतों को समाप्त करते हुए पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 भी अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी विद्यमान प्रणालियों के तहत सभी विद्यमान और वास्तविक उपयोगिताओं को सुरक्षित और अप्रभावित रखा जाएगा तथा राजस्थान अपने हिस्से का केवल 8 एमएएफ जल प्राप्त करता रहेगा।

उपर्युक्त समझौते में यह भी व्यवस्था है कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर का कार्यान्वयन समयबद्ध ढंग से किया जाएगा। इस नहर के पूरा होने से हरियाणा अपने हिस्से के 3.5 एमएएफ जल में से 3.45 एमएएफ जल में से ले सकेगा। चूंकि पंजाब ने नहर को पूरा नहीं किया अत: हरियाणा ने इसको शीघ्र पूरा करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण ली। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.01.2002 और 04.06.2004 के अपने आदेशों में नहर को पूरा करने का निदेश दिया। लेकिन 12.07.2004 को पंजाब राज्य ने समझौतों के दायित्वों से अपने आप को मुक्त करते हुए 1981 का समझौता तथा रावी-व्यास जल संबंधी यथा उल्लिखित अन्य सभी समझौतों को समाप्त कर दिया। अधिनिपयम की वैधता संबंधी एक राष्ट्रपतीय सन्दर्भ अब माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख है। हरियाणा सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के माध्यम से रावी-व्यास से अपने पूरे हिस्से में से 3.45 एमएएफ जल की तुलना में बीबीएमबी की पहले हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भाखड़ा मुख्य लाईन (बीएमएल) के माध्यम से केवल 1.62 एमएएफ जल ले रहा है।

1981 के समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में 15.1.1982 को तत्कालीन सचिव, सिंचाई मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान अपनी पुन:प्राप्ति क्षमता के आधार पर बरास्ता हरियाणा बीएमएल के माध्यम से 0.17 एमएएफ जल लेने का पात्र था। परिस्थितियों के आलोक में हरियाणा, राजस्थान को यह 0.17 एमएएफ जल छोड़ने के लिए अभी तक सहमत नहीं हुआ है।

दिल्ली को बीएमएल और नरवाना शाखा के माध्यम से उसके हिस्से के 02 एमएएफ जल की आपूर्ति की जा रहीहै।

जम्मू कश्मीर अपने हिस्से 0.65 एमएएफ का पूरा जल लेने के लिए शाहपुर कांडी बांध के निर्माण पर निर्भर है। चूंकि शाहपुर कांडी बांध अभी बनना है अत: जम्मू-कश्मीर इस समय अपने हिस्से के जल का केवल एक भाग, बसंतपुर और लखनपुर में स्थित पपिंग स्टेशनों के माध्यम से ले रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) रावी-व्यास के जल की पूरी आपूर्ति से दक्षिणी क्षेत्र और हरियाणा के सूखा प्रवण क्षेत्रों के साथ-साथ राजस्थान के सिद्धमुख नोहर कमान क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

(ङ) से (छ) रावी-ब्यास में इस समय उपलब्ध जल के समान बंटवारे की परिकल्पना करते हुए हरियाणा द्वारा बीएमएल-हांसी शाखा-बुटाना शाखा बहुउद्देशीय संपर्क चैनल के निर्माण का मामला,

पंजाब और राजस्थान द्वारा इसके निर्माण के खिलाफ दायर मुकदमों के चलते माननीय उच्चतम न्यायालय में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने दिनांक 22.7.2004 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में सन्दर्भ प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 की वैधता के बारे में पूछा है। हरियाणा ने भी पंजाब द्वारा शाहपुर कांडी बांध के निर्माण के खिलाफ मुकदमा दायर किया है तथा बीबीएमबी द्वारा इसके निर्माण और संचालन का आग्रह किया है। रावी-ब्यास जल की समय पर आपूर्ति न मिल पाने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए राजस्थान ने भी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 19966 में अभिनिर्धारित बीबीएमबी के कार्यों के अनुपालन में रोपड़, हारिक और फिरोजपुर में शीर्ष कार्यों का नियंत्रण पंजाब से बीबीएमबी को हस्तांतरित करने का आग्रह करते हुए मुकदमो दायर किया है। भारत की माननीय उच्चतम न्यायालय में इन मुकदमों को देखते हुए इस समय सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई सम्भव नहीं है।

वर्षा जल का संचयन

1917. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री रघुवीर सिंह मीणा:
श्री वरुण गांधी:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी राज्यों में वर्षा जल के संचयन को अनिवार्य बनाने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस बात की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है कि जिन राज्य सरकारों द्वारा वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया गया है उन राज्यों में सभी पात्र भवनों में वर्षा जल संचय संबंधी प्रणाली मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों-आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा पुड्डुचेरी ने अपने संबंधित राज्यों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड राज्यों तथा लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों ने भी ऐसे प्रावधान करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों की अधिसूचनाओं के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली हेतु प्रावधान सहित भवन योजनाओं का अनुमोदन सम्बद्ध नगर-निगम/राज्य विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार इस बात की निगरानी करने हेतु कि प्रत्येक भवन जो वर्षा जल संख्यन के योग्य है, मैं वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने हेतु निम्नलिखित तंत्र हैं:

क्र.सं.	राज्य	कार्य कर रहा प्रबोधन तंत्र
1	2	3
1.	हरियाणा	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त प्रशासकों/सम्पदा कार्यालय को निदेश जारी किए गए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि जब तक छत के वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन न किया जाए तब तक कोई व्यावसायिक प्रमाण-पत्र जारी न करें।
2.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भूमि जल अधिनियम, 2005 में प्राधिकरण द्वारा वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान तथा इसके निदेशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में यथानिर्धारित दंड सहित इसकी लागत की वसूली का प्रावधान है।
3.	मध्य प्रदेश	समस्त शहरी स्थानीय निकायों को भवन में वर्षा जल संचयन प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए भवन संबंधी अनुमति चाहने वाले व्यक्ति से जमा राशि प्राप्त करने का निदेश दिया गया है। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जा

1	2	3
		चुकी है तथा जमाराशि वापस की जा चुकी है, एक निरीक्षण किया जाता है।
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में, भवन उपविधि में यह प्रावधान है कि उपविधि के अंतर्गत यशोपेक्षित वर्षा जल संरचनाओं को उपलब्ध कराने या उनके रखरखाव के लिए स्वामियों द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में प्रत्येक 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र हेतु कर लगाने का प्रावधान है जोकि प्रति वर्ष 1000/- रु. से अधिक न हो।
4.	तमिलनाडु	तमिलनाडु नगर पालिका नियम अध्यादेश, 2003 में आयुक्त या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा भवन के स्वामी या इसमें रहने वाले को नोटिस जारी करने तथा ऐसे भवनों में नियमानुसार वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण तथा सम्पदा कर की भांति ही इस पर होने वाले व्यय सहित ऐसी व्यवस्था की लागत की वसूली करने का प्रावधान है। चेन्नई में, वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापनना के पश्चात ही नया जल एवं सीवर कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य/ जीवन रक्षक औषधियां

1918. **श्री हेमानंद बिसवाल:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री पी.के. बिजू:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री अधीर चौधरी:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) के अंतर्गत सम्मिलित अनिवार्य औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश में सरकार से सभी अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधियों को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए समुचित मानदंड निर्धारित करने का अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) इन औषधियों के मूल्यों में परिवर्तन लाने और उन्हें मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 1995 में विहित "जनहित" खंड को लागू करने की संभावना तलाश रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार ने ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं जो कि औषधियों/संपाकों के तत्वों के वितरण में हेर-फेर करके मूल्य नियंत्रण तंत्र को निष्प्रभावी बनाने के कार्य में संलग्न हैं और अपनी औषधियों के लिए अत्यधिक मूल्य वसूलती हैं?

सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3668/2003 में दिनांक 10 मार्च, 2003 के अपने अंतरिम आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को यह निदेश दिया कि वह 'विचार करके समुचित मानदंड तैयार करे ताकि आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियां मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर न जाने पाएं और यह भी निदेश दिया कि 2 मई, 2003 तक उन औषधियों की समीक्षा करे जो आवश्यक तथा जीवनरक्षक स्वरूप की औषधियां हैं। उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची, 1996 की समीक्षा करके राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2003 (एनएलईएम, 2003) प्रकाशित की। उच्चतम न्यायालय के निदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप राष्ट्रीय औषधि नीति, 2006 जो निर्णय हेतु इस समय मंत्रियों के समूह के समक्ष विचाराधीन है, में यह प्रस्ताव किया गया है कि इस समय औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली 74 औषधियों के अतिरिक्त मूल्य नियंत्रण हेतु वे औषधियां (कतिपय शर्तों तथा छूटों के अधीन) भी होंगी जो राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2003 में निहित हैं।

(ग) से (ङ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)/सरकार द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति एनपीपीए/सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को नहीं बेच सकता। आवश्यक/जीवनरक्षक औषधियां डीपीसीओ, 1995 में परिभाषित नहीं हैं।

जो औषधियां 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995' के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही निर्माताओं द्वारा स्वयं मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। सामान्यत: ऐसे मूल्यों का निर्धारण निम्नलिखित कारकों के आधार पर किया जाता है तथा फार्मूलेशनों में प्रयुक्त बल्क औषधियों की लागत, एक्सीपिएंटों की लागत, अनुसंधान तथा विकास की लागत, उपयोगिता/पैकिंग सामग्री की लागत, बिक्री संवर्धन लागत, व्यापार लाभ, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयात अवतरण लागत आदि।

मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एनपीपीए गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्यों में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। आईएमएस स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनो के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो वहां सम्बन्धित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा चलता है तो वहां सम्बन्धित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वैच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में संबंधित फॉर्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10(ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्य निर्धारित किए हैं और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वैच्छा से मूल्य घटाएं हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

अल्पसंख्यक अध्ययन क्षेत्र की स्थापना

1919. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अल्पसंख्यकों के लाभ हेतु अल्पसंख्यक अध्ययन क्षेत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

नर्मदा नहर परियोजना

1920. डॉ. ज्योति मिर्धा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूलत: त्वरित कृषि लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत नर्मदा नहर परियोजना को क्षेत्र में उच्च घनत्म वाले पोलीईथिलीन (एचडीपीई) पाइप बिछाने के लिए वित्त पोषण संघटक मौजूद है जैसा कि परियोजना अनुमान में परिकल्पना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 'दिग्गी' से किसानों के खेतों तक पाइप लाइन संघटक का वित्त पोषण करने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 09.07.2010 को नर्मदा नहर परियोजना के 2481.49 करोड़ के संशोधित प्राक्कलन को निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। संशोधित प्राक्कलन के अनुसार उपशीर्ष यू-वितरिकाओं के अंतर्गत लागत में सम्प वेल एवं पंप कक्षों तथा वी-जल मार्ग का निर्माण शामिल है, जिसमें एचडीपीई पाईप लाइनों, पंपिंग यूनिटों तथा स्प्रिंकलर प्रणाली हेतु विद्युत लाइनों को बिछाने संबंधी घटक सम्मिलित हैं।

(ग) से (ङ) नर्मदा नहर परियोजना को वर्ष 1998-99 में एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किया गया था। एआईबीपी के दिशानिर्देशों और अभी तक अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार परियोजनाओं के विस्तृत लागत प्राक्कलन में उपशीर्ष कार्यों के अंतर्गत उल्लिखित उपशीर्ष यू (वितरिकाएं एवं लघु संरचनाएं) तक एआईबीपी के अंतर्गत निधियां जारी की जा रही हैं। प्रेशर पाइप लाइनों हेतु उपशीर्ष v-जलमार्ग के लिए उपर्युक्त की भांति एआईबीपी के तहत निधियां जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

फास्ट ट्रैक अदालतें

1921. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री सी.आर. पाटील:
डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फास्ट ट्रैक अदालतों की योजना 100 प्रतिशत केन्द्र प्रयोजित योजना के बतौर शुरु की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सहायता की राशि को बहुत कम कर दिया गया है;

(ग) क्या गुजरात को इस योजना को वर्ष 2010 तक इस योजना को विस्तरित करने पर 856.80 लाख प्रतिवर्ष की दर से लगभग 4284 लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च करनी पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार गुजरात और अन्य राज्यों को राज्य-वार इस राशि की प्रतिपूर्ति करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) त्वरित निपटान न्यायालय (एफ टी सी) की स्कीम वर्ष 2000 में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए आरंभ की गई थी। राज्यों को केन्द्रीय सहायता, अनावर्ती व्यय के लिए 5.00 लाख रुपये प्रति न्यायालय की दर से उपलब्ध कराई गई थी जिसमें सन्निर्माण के लिए 3.4 लाख रुपये और कंप्यूटर तथा पुस्तकालय के लिए 1.6 लाख रुपये सम्मिलित थे। आवर्ती व्यय के लिए प्रतिवर्ष 4.8 लाख रुपये की रकम प्रति न्यायालय उपलब्ध कराई गई थी।

(ख) स्कीम को 31.5.2005 से आगे अर्थात् 31.3.2010 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया गया था। विस्तारित अवधि के लिए, त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए अनुमोदित सन्नियम में 8.6 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम का उपबंध किया गया है जिसे न्यायालय कक्ष में अतिरिक्त स्थान के लिए सन्निर्माण की लागत के मद्दे पहले दो वर्षों में राज्यों को प्रदान किया जाना है और आवर्ती व्यय के मुद्दे 4.8 लाख रुपये प्रति न्यायालय प्रतिवर्ष प्रदान किया जाना है। स्कीम, केन्द्रीय सहायता के उसी स्तर पर एक वर्ष की अवधि अर्थात 31.3.2011 तक के लिए और बढ़ाई गई थी। इस प्रकार, केन्द्रीय सहायता की रकम विस्तारित अवधि के दौरान कम नहीं की गई थी।

(ग) विस्तारित अवधि (2005-06 से 2010-11) के दौरान गुजरात राज्य सरकार को 43.48 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। तथापि, राज्य सरकार ने केन्द्रीय अनुदान से अधिक व्यय को रिपोर्ट किया है।

(घ) राज्यों को केन्द्रीय अनुदान, सरकार द्वारा अनुमोदित सन्नियम के अनुसार जारी किया गया है और इस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा जिनमें गुजरात सरकार भी हैं, उपगत किसी अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह विनिश्चय किया गया है कि त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए केन्द्रीय सहायता स्कीम को 31.3.2011 से आगे विस्तारित न किया जाए।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

युवा वकीलों को प्रशिक्षण

1922. श्री एम. के. राघवन:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री पी. कुमार:
श्री सी. शिवासामी:
श्री प्रदीप माझी:
श्री निलेश नारायण राणे:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने युवा वकीलों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां। "राजीव गांधी अधिवक्ता प्रशिक्षण योजना (राजीव गांधी एडवोकेट्स ट्रेनिंग स्कीम)" के नाम से ज्ञात एक स्कीम, युवा वकीलों को प्रेरणा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए और उनको वृत्तिक प्रशिक्षण देने के लिए, आरंभ की गई है। उक्त स्कीम इस मंत्रालय की वेबसाइट (lawmin.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) उक्त स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य से, दस से अनधिक और राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करते हुए वृत्तिक प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों का चयन करते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से नि:शक्त अधिवक्ताओं को वरीयता दी जानी चाहिए।
- वांछित अभ्यर्थियों से आवेदन, प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किए जाएंगे। स्कीम और आवेदन के आमंत्रण का व्यापक प्रचार किया जाएगा। आवेदनों की पात्रता शर्तों के सत्यापन की समीक्षा की जाएगी।
- प्रशिक्षण दो माह का होगा। चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक मास का वृत्तिक प्रशिक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए राष्ट्रीय विधि विद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। अन्य एक माह के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को, ऐसे जिले में जहां उक्त अभ्यर्थी व्यवसाय कर रहा है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता/मुख्य अधिवक्ता के अधीन तीन युवा अधिवक्ता से अनधिक, किसी वरिष्ठ अधिवक्ता/मुख्य अधिवक्ता की निगरानी में रखा जाएगा।
- राष्ट्रीय विधि विद्यालय में वृत्ति प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत व्यवसाय का व्यावहारिक पक्ष है जैसे मामले को प्रस्तुत करने की कला, प्रतिपरीक्षा, सौदा अभिवाक, विवादों के निपटान एडीआर तंत्र, आदि भी हैं, और उसमें साइबर विधि, प्रतिस्पर्धा विधि, जैसे विधि के नए विकासशील क्षेत्र भी हैं।
- स्कीम को प्रशासित करने के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया है।

(ग) चयन का आधार निम्नानुसार है:

(i) वह एक अधिवक्ता के रूप में नामनिर्दिष्ट होना/होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट या किसी मुन्सिफ न्यायालय में वास्तविक व्यवसाय में नियुक्त किया गया हो/की गई हो।

(ii) वह 30 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना/होनी चाहिए।

(iii) उसका/उसकी मासिक आय रु. 15,000 प्रतिमास से अधक नहीं होनी चाहिए/तथापि, इसको उचित मामलों में चयन समिति द्वारा शिथिल किया जा सकता है।

(iv) वह चयन समिति की राय में एक दक्ष और प्रशंसनीय अधिवक्ता होना/होनी चाहिए, और

(v) वह, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के अधीन विधिक सहायता कार्यक्रमों के लिए अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर और इच्छुक होना चाहिए/होनी चाहिए।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रेनों में चिकित्सा सुविधाएं

1923. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंबी दूरी की ट्रेनों में अपर्याप्त प्रथमोचार सुविधाओं के अभाव को देखते हुए विशेष रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने और एक सामान्य ड्यूटी डाक्टर की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। फिलहाल लंबी दूरी की नामित गाड़ियों पर संवर्द्धित प्रबल उपचार बॉक्स सहित उपलब्ध प्राथमिक उपचार सुविधाएं पर्याप्त हैं। बहरहाल, एक पॉयलट परियोजना के रूप में अधिकांश

लंबी दूरी की दूरांतों गाड़ियों में जीवन रक्षक दवाइयों के साथ चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मचारियों को मुहैया कराया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण ग्रस्तता

1924. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों के अनुसार आज की तिथि के अनुसार देश में ऋण ग्रस्त शहरी और ग्रामीण परिवारों का राज्य-वार प्रतिशत क्या है; और

(ख) सरकार ने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा वर्ष 2003 में कराए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार देश तथा प्रमुख राज्यों में शहरी और ग्रामीण परिवारों की ऋण ग्रस्तता की व्यापकता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस विषय पर वर्ष 2003 के बाद एनएसएसओ द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

(ख) सरकार, गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिए मजदूरी पर रोजगार एवं आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि (i) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) (ii) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) तथा (iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) आदि चला रही है।

विवरण

ऋण ग्रस्तता की व्यापकता

राज्य	ऋण ग्रस्तता की व्यापकता (परिवारों का प्रतिशत)	
	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	42.3	29.8
असम	7.5	6.0
बिहार	21.8	9.5
झारखंड	12.0	6.6
गुजरात	28.1	21.4
हरियाणा	27.3	16.0
हिमाचल प्रदेश	15.3	10.1
जम्मू और कश्मीर	3.6	5.0
कर्नाटक	31.3	18.6
केरल	39.4	37.3
मध्य प्रदेश	26.1	17.7
छत्तीसगढ़	19.8	13.2
महाराष्ट्र	27.5	15.5
ओडिशा	26.4	19.2
पंजाब	25.7	13.1
राजस्थान	33.8	16.5
तमिलनाडु	31.3	25.5
उत्तराखण्ड	5.5	6.8
उत्तर प्रदेश	23.4	13.0
पश्चिम बंगाल	21.8	17.1
भारत	26.5	17.8

रेल औद्योगिक पार्क

1925. श्री अमरनाथ प्रधान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में रेल औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु चिन्हित स्थानों का उड़ीसा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पार्कों की स्थापना करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 2011-12 के रेल बजट में यह घोषणा की गयी थी कि रेलवे पश्चिम बंगाल में जेलिंघम में और असम में न्यू जलपाईगुडी में रेलवे औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। उड़ीसा के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इन औद्योगिक पार्कों को स्थापित करने के लिए कार्य प्रणाली और समय-सीमा तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

भेषज निर्माता कंपनियों का लाभ

1926. डॉ. संजय सिंह:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भेषज निर्माता कंपनियों के लाभ की सीमा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अनुसूचित औषधियां राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाएं और गैर अनुसूचित औषधियों के मूल्यों में आईएमएस हैल्थ द्वारा निर्धारित मूल्य से दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि न हो?

सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)/सरकार द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलशनों के मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। डीपीसीओ के अधीन कोई भी व्यक्ति एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर मूल्य नियंत्रित श्रेणी की किसी भी फार्मूलेशन (दवाई) को उपभोक्ता को नहीं बेच सकता। यदि किसी कंपनी के संबंध में यह पाया जाता है कि वह एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाइयां बेच रही हैं तो औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

उर्वरकों कंपनियों द्वारा गोल्ड प्लेटिंग

1927. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ उर्वरक निर्माण कंपनियों द्वारा 'गोल्ड प्लेटिंग' किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें वे जाली बिल प्रस्तुत करके अधिक राजसहायता के दावे पेश करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस कदाचार पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र को केजी डी6 गैस की आपूर्ति

1928. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों को केजी डी6 गैस के आवंटन हेतु प्राथमिकता को अंतिम रूप दे दिया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) को गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्योगों को आपूर्ति करने से पहले प्राथमिकता प्राप्त उपयोगकर्ताओं की पूरी मांग को पूरा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) और (घ) प्रभावित ग्राहकों से मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रभावित और इच्छुक पक्षों की बात भी सुनी गई थी। गैस के उत्पादन और शक्ति प्रदत्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सरकार की नीति के मद्देनजर गैर-मुख्य क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति कम करने के निर्णय की पुन: पुष्टि की गई थी।

कंटेनर डिपो

1929. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
डॉ. किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बनासकांठा जिले सहित गुजरात में और कंटेनर डिपों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) हजीरा, गुजरात में रेल इंजन फैक्ट्री की स्थापना किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) गुजरात में समय से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे द्वारा किसी भी कंटेनर डिपो की स्थापना नहीं की जाती है। कंटेनर डिपो को बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर कंटेनर गाड़ी परिचालकों और अन्य निजी पार्टियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। फिलहाल, गुजरात के सानंद (अहमदाबाद जिला), सुखपुर (सुरेन्द्रनगर जिला) और लकोदडा (बडोदरा जिला) में निजी पार्टियों द्वारा नए कंटेनर टर्मिनलों की स्थापना के लिए तीन प्रस्ताव हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, गुजरात में हजीरा पर एक रेल इंजन फैक्ट्री की स्थापना के लिए कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) गुजरात राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 2 नई लाइन 7 आमान परिवर्तन और 7 दोहरीकरण की चालू परियोजनाएं हैं। रेलवे के पास संसाधन सीमितता के साथ-साथ जारी परियोजनाओं का भारी थ्रो फारवर्ड है। परिणामस्वरूप, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाएं प्रगति कर रही हैं।

अब 2011-12 के दौरान अभी तक परियोजनाएं योजना के अनुसार प्रगति कर रही हैं। रेलवे उपलब्ध सकल बजटीय समर्थन और टैक्स-फ्री बॉडों के जरिए मुहैया कराने का प्रयत्न करेगी।

भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सिंचाई

1930. श्री जयंत चौधरी:
श्री संजय निरूपम:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई हेतु कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं और अब तक कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(ख) क्या सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) भारत निर्माण कार्यक्रम के सिंचाई घटक के लिए निधियों का कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है। जल राज्य का विषय होने के नाते जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वियन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार स्कीमों को शीघ्र पूरा कराने के लिए "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1996-97 में स्कीम के प्रारंभ से 2010-11 तक राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 48,566.58 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अनुदान दिया गया है।

(ख) जी, हां। दसवीं योजना के अंत तक 102.7 मि. हे. सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था जिसमें से 87.2 मि. हे. सिंचाई क्षमता का उपयोग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच का अंतर पता लगाने के मद्देनजर जल संसाधन मंत्रालय ने अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता और लखनऊ के भारतीय प्रबंधन संस्थानों द्वारा एक अध्ययन करवाया था। भारतीय प्रबंधन संस्थानों द्वारा अभिज्ञात किए गए महत्त्वपूर्ण कारणों में (क) समुचित प्रचालन और अनुरक्षण की कमी (ख) अपूर्ण वितरण प्रणालियों, (ग) कमान क्षेत्र विकास कार्यों का पूरा न किया जाना (घ) प्रारंभ में अभिकल्पित फसल चक्र में परिवर्तन और (ङ) सिंचाई योग्य भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए डायवर्जन करना शामिल हैं। भारतीय प्रबन्धन संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों को परिचालित की गई है। संबंधित

राज्य सरकारों द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर पर्याप्त बल दिया है। इसके परिणामस्वरूप xवीं योजना के दौरान जल संसाधन क्षेत्र हेतु परिव्यय 95,743.00 करोड़ रुपये से बढ़कर XIवीं योजना के दौरान 2,32,311.00 करोड़ रुपये हो गया है। भारत सरकार कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम) के माध्यम से भी राज्यों को वित्तीय सहायता जारी करती है जिससे सृजित सुविधाओं के इष्टतम उपयोग में तथा सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के अंतर को कम करने में भी सहायता मिलती है। वर्ष 1974-75 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने तथा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सतत आधार पर सुधार करने के लिए सीएडी एवं डब्ल्यूएम कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। अभी तक राज्यों को 4722.496 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है तथा किसानों को सिंचाई जल की आपूर्ति करने हेतु सूक्ष्म स्तर पर अवसंरचना के विकास के जरिए 19.69 मि.हे. भूमि लाभान्वित हुई है।

[हिन्दी]

पीएसयू द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

1931. श्री अर्जुन राय:
श्री हर्षवर्धन:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्रीमती दीपा दास मुंशी:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार क्षेत्र के उपक्रम विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) प्राथमिक रूप से देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु उत्तरदायी है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन पीएसयू द्वारा उत्पादन की औसत लागत कितनी रही है; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान तेल शोधनशालाओं को उक्त उत्पादन बेचे जाने का औसत मूल्य क्या था और प्रति बैरल कितनी छूट दी गई/लाभांश अर्जित किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पेरेशन (ओएनजीसी) के मुख्य उद्देश्यों में से एक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है। इंडियन ऑयल कॉपरेशन (आईओसी) मुख्यत: पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन में संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों में ओएनजीसी द्वारा कच्चे तेल और गैस का उत्पादन और औसत लागत अथवा उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	तेल उत्पादन की मात्रा (एमएमटी में)	औसत लागत (रु./मीट्रिक टन)	गैस उत्पादन की मात्रा (बीसीएम में)	औसत लागत (लाख रु./बीसीएम)
2008-09	25.366	10.776	22.486	45.59
2009-10	24.671	12.815	23.109	53.73
2010-11	24.419	12.783	23.095	57.99

(ग) औसत बिक्री मूल्य, कच्चे तेल पर दी गई छूट और ओएनजीसी द्वारा तेल पर अर्जित सकल मार्जिन निम्नानुसार है-

वर्ष	सकल मूल्य (छूट पूर्व)	छूट	तेल पर सकल मार्जिन (अमरीका डालर/बैरल)
2008-09	86.15	38.45	16.49
2009-10	71.65	15.71	20.00
2010-11	89.41	35.64	16.47

प्राकृतिक गैस के औसत बिक्री मूल्य और ओएनजीसी द्वारा गैस पर अर्जित सकल मार्जिन निम्नानुसार है-

वर्ष	बिक्री मूल्य (रु./एमएससीएम)	प्रति एमएससीएम रुपए में सकल मार्जिन
2008-09	3191	-1368
2009-10	3215	-2158
2010-11	6216	417

एटीएफ का मूल्य

1932. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों ने चार महानगर के हवाई अड्डों के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) के मूल्य में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में वृद्धि के दृष्टिगत एटीएफ के मूल्य में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एटीएफ के मूल्यों की पड़ताल के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह): (क) से (ङ) दिनांक 01.04.2001 से विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) का मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था। तदनुसार, अंतरराष्ट्रीय उत्पादन मूल्यों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में एटीएफ के मूल्य की समीक्षा की जाती है और उसे निर्धारित किया जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चार महानगरों के विमानन ईंधन स्टेशनों (एएफएस) में हाल ही में किए गए मूल्य संशोधनों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

(रूपए प्रति किलोलीटर)

घरेलू एटीएफ मूल्य
(बिक्री कर पूर्व)

दिनांक	एटीएफ मूल्य				वृद्धि/कमी (पिछले पखवाड़े के ऊपर)			
	दिल्ली (टी3)	कोलकाता	मुंबई	चेन्नै	दिल्ली (टी3)	कोलकाता	मुंबई	चेन्नै
01.07.11	46872.38	51373.02	45571.20	46949.75	(-)1330.05	(-)1374.65	(-)1309.70	(-)1374.65
16.07.11	46937.33	51405.49	45625.32	46993.05	64.94	32.47	54.12	43.30
01.08.11	48203.74	52673.84	46902.56	48260.24	1266.41	1268.34	1277.23	1267.19

[अनुवाद]

उर्वरकों की आवश्यकता

1933. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में यूरिया का तत्काल आयात नहीं किए जाने की स्थिति में लगभग तीन मिलियन टन यूरिया की कमी हो सकती है जिससे रबी फसलों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या जारी रबी मौसम के लिए भारत की उर्वरक जरूरत में पिछले वर्ष के शीत फसल मौसम के मुकाबले 1.5 मिलीयन टन से 27.4 मिलियन टन वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान का राज्य-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में राज्यों की लंबित मांगें क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन एकमात्र उर्वरक है और इसे सरकारी खाते पर आकलित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को दूर करने के लिए सीधे कृषि उपयोग के लिए आयातित किया जाता है। वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में देश में आकलित आवश्यकता और उपलब्धता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख मी. टन में)

वर्ष	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता
2006-07	249.46	254.79
2007-08	271.70	274.26
2008-09	281.33	270.88
2009-10	281.89	265.97
2010-11	290.79	284.62

रबी 2011-12 फसल (अक्टूबर-मार्च)

उर्वरक ग्रेड	अनुमानित आकलित	अनुमानित स्वदेशी आवश्यकता	अनुमानित आयात उत्पादन	कुल
यूरिया	142.16	112.79	45.00	157.79

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है पिछले पांच वर्षों के दौरान यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त रही है और रबी 2010-12 के दौरान स्थिति संतोषजनक रहेगी।

(घ) और (ङ) खरीफ 2011 (अप्रैल से सितम्बर) के दौरान यूरिया की राज्य-वार आवश्यकता (मांग) संलग्न विवरण में है। उर्वरक विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि यूरिया की आपूर्ति खरीफ 2011 के दौरान माह-दर-माह के आधार पर बिक्री को जारी रखने के लिए पर्याप्त है।

विवरण

खरीफ 2011 हेतु यूरिया की राज्य-वार आकलित आवश्यकता

000 मी. टन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	यूरिया
1	2
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	1500.00
कर्नाटक	800.00
केरल	90.00
तमिलनाडु	450.00
पुड्डुचेरी	16.50
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.30
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	1100.00
मध्य प्रदेश	625.00
छत्तीसगढ़	475.00
महाराष्ट्र	1500.00

1	2
राजस्थान	575.00
गोवा	4.41
दमन और दीव	0.21
दादर और नगर हवेली	0.93
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	850.00
पंजाब	1250.00
उत्तर प्रदेश	2500.00
उत्तराखण्ड	125.00
हिमाचल प्रदेश	36.00
जम्मू और कश्मीर	67.50
दिल्ली	2.20
चंडीगढ़	0.00
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	925.00
झारखंड	160.00
उड़ीसा	450.00
पश्चिम बंगाल	500.00
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	
असम	140.00
त्रिपुरा	28.00
मणिपुर	37.50
मेघालय	4.00
नागालैंड	0.90
अरूणाचल प्रदेश	0.57
मिजोरम	2.24
सिक्किम	0.00
अखिल भारत	14216.25

[हिन्दी]

नीमयुक्त यूरिया का उत्पादन

1934. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मृदा का रासायनिक उर्वरकों से संरक्षण करने के लिए नीमयुक्त यूरिया का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नीमयुक्त यूरिया का उत्पादन करने तथा इसका उपयोग बढ़ाने के लिए कोई जन-जागरुकता अभियान चलाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) नीम लेपित यूरिया के लाभकारी प्रभावों जैसे धीरे स्रावित होने की प्रकृति तथा परिणामस्वरूप विक्षालन में कमी, पर्यावरण को लाभ पहुंचाना और फसल पैदावार पर पड़ने वाले समग्र लाभकारी प्रभाव को देखते हुए, जैसा कि कृषि मंत्रालय ने सिफारिश की है, सरकार ने नीम लेपित यूरिया के उत्पादन की अधिकतम सीमा को संबंधित राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के कुल उत्पादन की मौजूदा सीमा को 20% से बढ़ाकर 35% प्रतिशत कर दिया है।

पेट्रोलियम उत्पादों की शोधन लागत

1935. श्री जयवंतराव गंगाराम आवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति बैरल शोधन की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर शोधन लागत का अनुमान किस आधार पर किया जाता है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल शोधनशालाओं में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की शोधन लागत निजी क्षेत्र की तेल शोधनशालाओं से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों की शोधन लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) कच्चे तेल का परिशोधन एक प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें कच्चे तेल की लागत कुल लागत का लगभग 90% होती है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण अनेक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू), वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (वीडीयू), फ्लूइड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट (एफसीसी), हाइड्रोक्रैकर, कोकर यूनिट, ल्यूब यूनिट आदि के माध्यम से किया जाता है। इन इकाइयों में से प्रत्येक में मध्यवर्ती उत्पादों का उत्पादन किया जाता है जिसके लिए व्यापक तौर पर पुनर्प्रसंस्करण और मिश्रण अपेक्षित होता है। तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन विभिन्न मध्यवर्ती उत्पादों के मिश्रण से किया जाता है अत: अलग-अलग परिशोधित उत्पादों की उत्पादन लागत समनुदेशित नहीं की जाती है।

तथापि, तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए रिफाइनरियों को व्यापार समता मूल्य का भुगतान करती है। व्यापार समता मूल्य 80:20 के अनुपात में आयात समता मूल्यों और निर्यात समता मूल्यों का भारित औसत मूल्य है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ तेल रिफाइनरियों में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की औसत परिशोधित लागत निम्नलिखित घटकों के कारण अधिक है:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियां पुरानी हैं और उन्हें अवस्थिति संबंधी नुकसान हो रहा है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियां आकार में छोटी हैं। रिफाइनरी के उप इष्टतम आकार होने के परिणामस्वरूप उत्पादन की इकाई लागत अधिक होती है।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियों को कच्चे तेल पर चुंगी, प्रवेश कर जैसे गैर वसूलनीय करों को वहन करना पड़ता है जिससे उत्पादन की लागत काफी बढ़ जाती है।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियां सीमित बुनियादी सुविधाओं वाले पत्तनों पर कच्चे तेल का आयात करती हैं जो कच्चे तेल की परिवहन लागत में कमी करने के लिए बड़े जहाजों की बर्थिंग की अनुमति नहीं देते हैं।

(ङ) रिफाइनरियों के जीआरएम्स में सुधार करने और उससे समग्र लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां क्षमता बढ़ाने, मूल्यवर्धन, ऊर्जा दक्षता में सुधार, उत्पादन गुणवत्ता में सुधार आदि के लिए उपलब्ध अवसरों की लगातार तलाश करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के मानक के आधार पर कुछ रिफाइनरियों में परिशोधन मार्जिन में वृद्धि करने के लिए निष्पादन सुधार कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

दक्षिण रेलवे के प्रस्ताव

1936. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की दक्षिण रेलवे (एसआर) से नयी रेलगाड़ियां चलाने, वर्तमान रेलगाड़ियों का विस्तार करने, कुछ रेलों में अतिरिक्त यात्री डिब्बे लगाने संबंधी विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। दक्षिण रेलवे से नई रेलगाड़ियां शुरु किए जाने, मौजूदा रेलगाडियों का विस्तार, कुछ रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे मुहैया कराना आदि सहित रेलवे को बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं।

नई रेलगाडियां शुरू किए जाने, मौजूदा रेलगाड़ियों का विस्तार करने आदि जैसी प्रतिस्पर्धात्मक मांगों की परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधन उपलब्धता और यातायात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के परिणाम रेलवे बजट में नई रेलगाड़ी सेवओं की शुरुआत, मौजूदा सेवाओं का विस्तार आदि के रूप में घोषणा की जाती है। इसके अलावा, दक्षिण रेलवे के प्रस्तावों सहित, भारतीय रेलवे में रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे यातायात पैटर्न, परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

1937. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में आज की तिथि तक जारी/नई रेल परियोजनाओं, आमान परिवर्तन, नयी लाइनों आदि की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस हेतु आवंटित/उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य में 17 नई लाइन और 4 आमान परिवर्तन की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	मार्च, 2011 तक व्यय (करोड़ रु. में)	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइनें					
1.	अजीमगंज (नसीरपुर)-जियागंज से घाट तक	101.17	71.17	10	पुल संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं और मिट्टी/आरओबी/आरयूबी संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं
2.	बलूरघाट-हिल्ली	242.22	20	100	पूर्व-निर्माणकारी गतिविधयों के लिए आंशिक अनुमानों की स्वीकृति दे दी गई है।
3.	रामपुरहाट-मुरारै तीसरी लाइन हेतु एमएम सहित दुमका के रास्ते मंदारहिल-रामपुरहाट	900.05	330.98	60	कार्य को विभिन्न चरणों में शुरू किया गया है। मंदारहिल-कामराडोल (17 किमी.) और रामपुरहाट-पिनारगढ़िया (19 किमी.) का कार्य पूरा हो गया है। दुमका-शिकारीपाड़ा को 2011-12 में पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	धानीखाली तक विस्तार सहित तारकेश्वर-बिष्णुपुर, आरामबाग-इरफाला और इरफाला-घाटल (11.2 किमी.) के लिए नया एमएम और आरामबाग-चंपाडांगा (23.3 किमी.)	1147.6	372.92	300	कार्य को चरणों में शुरू किया गया है। (i) गोकुलनगर-तलपुर 21.40 किमी. का कार्य पूरा हो गया है। (ii) तलपुर-मयानपुर (11.40 किमी.) और गोकुलनगर-मयानपुर (5.75 किमी.) खंड को 2011-12 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6
5.	लालगढ़ के रास्ते भादुतोला-झारग्राम (54 किमी.)	289.64	0	1	कार्य को 2011-12 में स्वीकृति दी गई है।
6.	बोवाईचंडी-आरामबाग (31 किमी.)	274.86	20	122	भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है और मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
7.	न्यू माल-मयानगुढी रोड और न्यू चगराबंधा-चंगराबंधा (3 किमी.) का आमान परिवर्तन सहित न्यू मायनगुढ़ी-जोगीघोपा	1497.74	748.85	400	कार्य को विभिन्न चरणों में शुरू किया गया है। न्यू कूच बेहर, गोलकगंज (57.6 किमी.) खंड का कार्य पूरा हो गया है। न्यू माल-चंगराबंधा (62 किमी.) को 2011-12 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
8.	सिवोक-रांगपो	1339.48	121.42	200	इस कार्य को निष्पादन के लिए मैं. इरकॉन को सौंपा गया है। अंतिम स्थान निर्धारण और भू-तकनीकी जांच का कार्य शुरू हो गया है।
9.	हावड़ा-आमटा और बड़गछिया-चंपाडंगा-तारकेश्वर, आमटा-बगनान और जंघीपाड़ा-फुरूरा शरीफ (12.3 किमी.) के लिए एमएम	499.16	156.92	250	(i) हावड़ा-बाड़गछिया का कार्य पूरा हो गया है। (ii) बाड़गछिया-चंपाडांगा (32 किमी.) के कार्य को भूमि की कमी के कारण रोक दिया गया है।
10.	एकलाखी-बालुरघाट (87.11 किमी.) और गजोले-ईटाहार (28 किमी.) और रायगंज-ईटाहार (21.8 किमी.) के लिए नया एमएम।	415.23	253.1	80	एकलाखी से बालुरघाट (87 किमी) को यातायात के लिए खोल दिया गया है। गजोले-ईटाहार (26 किमी.) भूमि अधिग्रहण और मिट्टी/पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
11.	दीघा-इग्रा (31 किमी.) के लिए नए एमएम सहित दीघा-जलेश्वर (41 किमी.)।	533.63	2	150	भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
12.	हसनाबाद-हिंगलगंज (14 किमी.)	172.03	20	100	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।
13.	जलालगढ़-किशनगंज (50.07 किमी)	359.86	0.72	1	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।
14.	कलियागंज-बुनियादपुर (33.13 किमी.)	222.21	20	100	पूर्व-निर्माणकारी गतिविधियों के लिए आंशिक अनुमानों की स्वीकृति दे दी गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के लिए फील्ड वर्क पूरा हो गया है।
15.	काकद्वीप-बुदाखाली (5 किमी.) और चंदनगढ़-बखाली (17.2 किमी.) के लिए नऐ एमएम सहित लक्ष्मीकांतपुर-नमखाना (61.5 किमी)।	458.31	125.46	250	लक्ष्मीकांतपुर-नमखाना का कार्य पूरा हो गया है। शेष खंड का कार्य प्रगति पर है।
16.	तारकेश्वर-मगरा (51.95 किमी.)	365.17	20	100	धानीखाली-मगरा के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।
17.	कंठी-इंग्रा (26.2 किमी.) के लिए नया एमएम सहित तुमलक-दीघा, देशप्राण-नंदीग्राम।	723.71	383.48	100	तुमलक-दीघा (88.98 किमी.) का कार्य पूरा हो गया है। देशप्राण-नंदीग्राम (17 किमी.) को 2011-12 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
आमान परिवर्तन					
1.	बुवाईचंदी-खाना (22 किमी.), रायनगर-चिंचाई (20.9 किमी), बांकुरा-मुकुटमोनीपुर (57 किमी.) सहित बांकुरा-दामोदर वेली और मुकुटमोनीपुर-	1176.4	387.48	90	बांकुरा-रायनगर-मतनाशिवपुर (106-5 किमी) का कार्य पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। मतनाशिवपुर-मासाग्राम (11 किमी.) को 2011-12 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6
	अपरसोल (26.7 किमी.) और बांकुरा (कालाबड़ी-पुरूलिया बरास्ता हुड़ा नई लाइन (65 किमी. के लिए नए एमएम				
2.	कटवा-बाजार साउ डीएल (30.59 किमी.), कटवा (बेनहाट-मटेश्वर 34.4 किमी.), निगुण-मंगलकोट (8.60 किमी.) और मटेश्वर-मेमारी नई लाइन (35.6 किमी.) के लिए एमएम सहित बर्द्धमान-कटवा (51.52 किमी.)	106.62	66.81	176.5	मिट्टी, पुल और रेलपथ संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। बर्द्धमान-बालगोना (25 किमी.) को 2011-12 में पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	राधिकापुर, कटिहार-तेजनारायणपुर तक विस्तार सहित कटिहार-जोगबनी और रायगंज-डालखोला नई लाइन (43.43 किमी.) के लिए नया एमएम	1041.79	724.02	25	कटिहार-राधिकापुर (93 किमी.) का कार्य पूरा हो गया है। शेष खंड का कार्य प्रगति पर है।
4.	शाखा लाइनों सहित न्यू जलपाईगुढ़ी-सिलिगुडी-न्यू बनगांव नई लाइन और चालसा-नक्सलबाड़ी (16 किमी.) के लिए नए एमएम	1327.93	1032.5	25	(i) न्यू जलपाईगुढ़ी-न्यू बोंगांव (279 किमी.) का कार्य पूरा हो गया है। (ii) अलीपुरद्वार-बामनघाट (75.58 किमी.) शाखा लाइन का कार्य पूरा हो गया है। (iii) कार्य पूरा हो गया है। (iv) गोलकगंज-गौरीपुर खंड (15 किमी.) का कार्य पूरा हो गया है।

(ग) रेलवे के पास संसाधनों की सीमित उपलब्धता सहित चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफारवर्ड है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं की प्रगति होती है। परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकारों और अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्तपोषण जैसे गैर-बजटीय उपायों के जरिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भूमि की उपलब्धता, सुरक्षा मामलों और वन्य विभाग की स्वीकृति के कारण होने वाले विलंब को कम करने के लिए राज्य/केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती है। संविदा प्रबंधन को कुशल बढ़ाने के लिए संविदा शर्तों में संशोधन किए गए और फील्ड यूनिटों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

सीएजी द्वारा एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. की लेखापरीक्षा

1938. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु एक पृथक निदेशालय का गठन करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 24 के अनुसार, केन्द्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के परामर्श से सभी स्तरों पर योजनाओं के खातों की लेखा परीक्षा की उचित व्यवस्था निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से 30 जून, 2011 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा-परीक्षा नियमावली, 2011 की अधिसूचना जारी की थी। मंत्रालय ने सीएजी से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राज्यों की लेखा परीक्षा करने के लिए अनुरोध किया था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा-परीक्षा नियमावली, 2011 के नियम 2 के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए योजना के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक जिले के साथ-साथ राज्य रोजगार गारंटी निधि हेतु निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अथवा समकक्ष प्राधिकरण अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाएगी, जो रिपोर्टों को राज्य सरकार को सौंप देगा, जो राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और केन्द्र सरकार को अग्रेषित कर दी जाएगी। नियम 3 के अनुसार राज्य सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा छह माह से कम से कम एक बार नियमों में विहित तरीके के अनुसार शुरू किए गए कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा कराने में सहायता करेगी तथा एक वित्तीय वर्ष के दौरान कराई गई ऐसी सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों का सारांश राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा जाएगा।

बंद पड़े/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार

1939. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला:**
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री अरूण कुमार वुंडावल्ली:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के बंद पड़े/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उनके बंद होने/रुग्ण होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए अंतिम निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अंतर्गत रामगुंडम उर्वरक निर्माण कंपनी को उसके पुनरुद्धार तथा उर्वरक आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए किसी निजी या सरकारी कंपनी को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	बंद/रुग्ण उर्वरक इकाई का नाम	स्थिति	उनके बंद होने/रुग्णता के कारण
1.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)	बंद	पुरानी तकनीक, डिजाइन और उपस्कर की खामियां बिजली की कमी, औद्योगिक संबंधों में कठिनाइयां, अत्यधिक जनशक्ति, संसाधनों की कमी, प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता और नेफ्था व ईंधन तेल/एलएसएचएस की लागत में तीव्र वृद्धि के कारण लगातार हानि में चलना।
2.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)	बंद	
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	रुग्ण	2003-04 से यूरिया और 2002-03 से मिश्रित उर्वरकों के मूल्य निर्धारण की नीति में परिवर्तन करने तथा अमोनिया व यूरिया संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए पहले किए गए निवेश को मान्यता नहीं देने के कारण हानि में चल रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) मंत्रिमंडल ने एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के विचार करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें तैयार करने के लिए अक्टूबर 2008 में सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में सचिवों की अधिकारप्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन करने का अनुमोदन किया था। ईसीओएस ने विभिन्न विकल्पों पर विचार कर लिया है और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। ईसीओएस की सिफारिशों के आधार पर, एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार का एक प्रस्ताव सीसीईए के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। सीसीईएने 4 अगस्त, 2011 को हुई अपनी बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

एमएफएल मार्च 2007 से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में पंजीकृत है। बीआईएफआर ने एमएफएल के पुनर्गठन के प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर विचार करने और कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और एफएफएल के बोर्ड ने इसका अनुमोदन कर दिया है। एमएफएल के बोर्ड और प्रचालन एजेंसी अर्थात् एसबीआई की राय पर विचार करने के बाद एक बीआरपीएसई नोट को अंतिम रूप दिया गया है तथा इसे अंतर मंत्रालयी परामर्शों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है। बीआरपीएसई के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार एफसीआईएल की रामागुंडम इकाई का पुनरुद्धार करने के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के परिसंघ को नामांकन आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में जल

1940. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनन्दराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा बेसिन में स्थित राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा दिल्ली आदि राज्यों से जल को राष्ट्रीय परिसंपत्ति घोषित करने का अनुरोध किया है ताकि इसका प्रबंधन निष्पक्ष एवं सक्षम तरीके से किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल को राष्ट्रीय परिसंपत्ति घोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ जल को अनमोल राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में घोषित किया गया है। सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय जल नीति की तर्ज पर अपने संबंधित राज्यों मे राज्य जल नीति बनाने के लिए कहा गया है।

मनमदुरई-विरुदुनगर आमान परिवर्तन

1941. श्री माणिक टैगोर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनमदुरई-विरुदुनगर लाइन के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक आवंटित/उपयोग की गयी धनराशि कितनी है; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मनमदुरई-विरुदुनगर आमान परिवर्तन परियोजना (66.55 कि.मी.) पर विरूदुनगर-अरूप्पूकोट्टाय आमान परिवर्तन (21.50 कि.मी.) पहले ही पूरा कर दिया गया है और शेष भाग को मार्च, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां मिट्टी कार्य पुल कार्य और रेलपथ जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

मार्च, 2011 तक 138.99 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और 2011-12 के दौरान इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

[हिन्दी]

ई-टिकटिंग के लिए निजी एजेंसियां

1942. श्री राधा मोहन सिंह:
श्रीमती जे. शांता:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-टिकटिंग के लिए भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के साथ सूचीबद्ध निजी कंपनियों की मंडल-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि आईआरसीटीसी प्रत्येक ई-टिकट पर सेवा शुल्क का पचास प्रतिशत प्राप्त करती है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2010-11 के दौरान सेवा शुल्क साझा करने की मद में आईआरसीटीसी द्वारा अर्जित राजस्व कितना है; और

(घ) महानगरों में संचालित सचल आरक्षण वैन का महानगर-वार ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इस समय, ई-टिकटिंग के लिए आईआरसीटीसी के पास 68 निजी कंपनियां सूचीबद्ध हैं और इसके अलावा, राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्रों से 15 एजेंसियां भी सूचीबद्ध हैं। आईआरसीटी द्वारा इन्हें जोन-वार सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, बहरहाल, अधिकृत कंपनियों/एजेंसियों को देशभर में अपनी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए अपने सब-एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई हैं।

(ख) जी नहीं, आईआरसीटीसी द्वारा द्वितीय/शयनयान श्रेणी के लिए 10 रु/ई-टिकट और अन्य सभी मामलों (1एसी, 2एसी, 3एसी, सीसी, 3ई, एफसी) में, एक ई-टिकट पर बुक किए गए यात्रियों की संख्या का ध्यान किए बगैर 20 रु./ई-टिकट का सेवा-प्रभार लिया गया है।

आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटी के जरिये टिकट बुक कराने के मामले में गैर-वातानुकुलित श्रेणी (सेकेंड/स्लीपर श्रेणी) के लिए रु. 10/ई-टिकट और अन्य श्रेणियों (1एसी, 2एसी, 3एसी, सीसी, 3ई, एफसी) के मामले में 20रू./ई-टिकट का सेवा-प्रभार लिया जाता है।

(ग) आईआरसीटीसी द्वारा 2010-11 के दौरान, सेवा प्रभाव के रूप में 136 करोड़ रु. (अनंतिम) अर्जित किए गए हैं।

(घ) जनवरी, 2010 में कोलकाता और दिल्ली में एक-एक मोबाइल टिकटिंग वेन की शुरूआत की गई थी। ऐसी 25 और मोबाइल टिकटिंग वेन को स्वीकृति दी गई हैं।

[अनुवाद]

डबल डेकर/स्टैक कंटेनर रेलगाडियां

1943. श्री हरिन पाठक:
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डबल डेकर/डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ियां प्रारंभ करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे ने देश में उक्त सेवा प्रारंभ करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है या करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अहमदाबाद-मुंबई कांडला-भटिंडा, कांडला-भिल्डी-जोधपुर-भंटिडा, कांडला-मुंद्रा पत्तनों तथा मुंबई में एवं चेन्नई में उक्त सेवा प्रारंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके प्रारंभ हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) डबल स्टैक कंटेनर गाडियों के चालन के लिए सर्वप्रथम उक्त मार्ग पर ऐसी गाड़ियों के अधिकतम गतिमान परिमाप को समाहित करने के लिए पर्याप्त क्लीयरेंस का होना और दूसरा इनके चालन ग्राहको की मांग पर निर्भर करता है।

(ख) डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। बहरहाल, इस समय, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सेवाएं जयपुर-मुंद्रा पत्तन और जयपुर-पिपावाव पत्तन मार्ग पर उपलब्ध हैं। कुछ तकनीकी जानकारियों के बाद गुड़गांव क्षेत्र से मुंद्रा और पिपावाव तक इन सेवाओं को मुहैया कराया जाएगा। पश्चिमी समर्पित माल गलियारे का निर्माण हो जाने के बाद, उत्तरी भारत और पश्चिमी पत्तनों के बीच के उपरोक्त मार्ग पर इन सेवाओं को चलाया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लंबित मुकदमों का निपटान

1944. श्री सुदर्शन भगत:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा निचले न्यायालयों में निपटाए गए मुकदमों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सभी लंबित मुकदमों का तीन साल में निपटान करने की योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) उच्च न्यायलयों की रजिस्ट्रियों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों की संख्या को उपदर्शित करने वाला ब्यौरा विवरण-I और II में हैं। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायाल में निपटान किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

31 दिसंबर को समाप्त होने वाला वर्ष	निपटान
2008	67459
2009	71179
2010	79509

(ख) और (ग) सरकार ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है कि वे 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2011 तक छह मास की अवधि के लिए लंबित मामलों की संख्या में कमी करने के लिए अभियान आरंभ करें।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए सरकार ने नीचे वर्णित अनेक अन्य उपाए किए हैं;

1. सभी को समय पर न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ने, 23.06.2011 को राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रीय मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

* प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करना।
* संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और निष्पादन मानकों तथा क्षमताओं को नियत करके जवाबदेही में अभिवृद्धि करना।

2. अधीनस्थ न्यायपालिका के अवसरंचनात्मक विकास के प्रति मिशन पद्धति का दृष्टिकोण राष्ट्रीय न्याय परिदान मिशन के अधीन मुख्य पहलों में हैं, जिसकों सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना की अपर्याप्तता, न्याय के शीघ्र परिदान में एक अड़चन रही है। इसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 में अवसंरचनात्मक विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के लिए आबंटन में 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए तक पांच गुणा वृद्धि की गई है। राज्यों के लिए

वित्तपोषण पैटर्न में भी 50:50 से 75:25 तक की वृद्धि की गई है और उसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 जारी रखा गया है।

3. सरकार ने, पांच वर्ष की अवधि 2010-2015 के दौरान देश में न्याय प्रदान प्रणाली में सुधार करने के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वर्ष, 2010-11 के दौरान राज्यों को पहले ही रु. 1000 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य इन अनुदानों की सहायता से, लंबित मामलों को कम करने के लिए, प्रातः कालीन/सायंकालीन/पाली/विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय, स्थापित कर सकते हैं, न्यायालय प्रबंधकों, की नियुक्ति, एडीआर केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं और मध्यकताओं/मध्यस्थों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, अधिक लोक अदालतें आयोजित कर सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, राज्य न्यायिक अकादमियों को सशक्त करने के लिए, लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण और हेरिटेज न्यायालय भवनों के रखरखाव के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

4. न्याय परिदान प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए, सरकार, 935 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ई-न्यायालय परियोजना तथा वरिष्ठ न्यायालयों में आई सी टी अवसंरचना के उन्नयन को कार्यान्वित कर रही है। 31 मार्च, 2012 तक 12000 और 31 मार्च, 2014 तक 14,249 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य है।

तेरहवें वित्त आयोग ने, 5000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश करते समय राज्य मुकदमा नीति तैयार करने के पश्चात ही दूसरे वर्ष की किस्त जारी किए जाने के लिए शर्त बनाई है। राज्य मुकदमा नीति तैयार की जानी है जिसका उद्देश्य सरकार को दक्ष और जिम्मेदार मुकदमेबाज में बदलना है। यदि ऐसे मामलों, जिनमें सरकार अंतर्वलित है, कम हो जाते हैं तो न्यायालयों के पास लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मामलों की बड़ी संख्या का निपटान करने के लिए समय होगा।

6. ग्राम पंचायत अधिनियम, 2008 का अधिनियम, जो निचले स्तर के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध करता है। चालू वर्ष में आबंटन को 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी तक 151 ग्राम न्यायालय राज्यों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

विवरण-I

उच्च न्यायालयों में निपटान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	मामला प्रकार	वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	इलाहाबाद	सिविल	141311	95928	123316	-
		आपराधिक	102007	63811	78093	-
2.	आंध्र प्रदेश	सिविल	51549	42946	38221	45198
		आपराधिक	10137	8573	10737	16155
3.	बम्बई	सिविल	109500	109500	119488	-
		आपराधिक	21065	21065	26033	-
4.	कलकत्ता	सिविल	47351	52841	33155	51917
		आपराधिक	20403	18672	20298	21876

1	2	3	4	5	6	7
5.	दिल्ली	सिविल	32484	28974	8410	29203
		आपराधिक	13267	13594	3442	12366
6.	गुजरात	सिविल	49066	46886	38221	53089
		आपराधिक	19816	19816	10737	21407
7.	गुवाहाटी	सिविल	8410	19299	8643	-
		आपराधिक	3442	8470	1887	-
8.	हिमाचल प्रदेश	सिविल	3192	15038	22793	-
		आपराधिक	757	3409	2881	-
9.	जम्मू-कश्मीर	सिविल	18006	18006	9325	-
		आपराधिक	1926	1926	678	-
10.	कर्नाटक	सिविल	41664	70927	85978	113551
		आपराधिक	7949	15631	17532	18086
11.	केरल	सिविल	61912	64175	59384	51741
		आपराधिक	21857	20038	19574	20547
12.	मद्रास	सिविल	162436	162849	189890	190859
		आपराधिक	70115	59086	80433	67305
13.	मध्य प्रदेश	सिविल	68672	59427	48943	16133
		आपराधिक	35693	37202	39689	8670
14.	उड़ीसा	सिविल	40298	40298	49549	40340
		आपराधिक	22611	22611	32794	39407
15.	पटना	सिविल	22227	20774	26820	34947
		आपराधिक	58325	51545	46991	49353
16.	पंजाब और हरियाणा	सिविल	33427	54344	63846	68719
		आपराधिक	33301	45382	43307	50347
17.	राजस्थान	सिविल	37642	48008	42143	12095
		आपराधिक	28241	33892	29581	7607

1	2	3	4	5	6	7
18.	सिक्किम	सिविल	31	31	61	106
		आपराधिक	40	40	32	32
19.	उत्तराखण्ड	सिविल	20867	11924	6275	7344
		आपराधिक	5065	2576	3991	5841
20.	छत्तीसगढ़	सिविल	22134	16350	16878	16133
		आपराधिक	8037	9633	8186	8670
21.	झारखंड	सिविल	7714	8786	8205	7934
		आपराधिक	15183	13885	16689	16092

–जानकारी प्राप्त नहीं हुई है

विवरण-II

अधीनस्थ न्यायालयों में निपटान को दर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	मामला प्रकार	वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	सिविल	324787	311148	308274	281497
		आपराधिक	316927	345278	323164	304321
2.	अरूणाचल प्रदेश	सिविल	449	287	*	*
		आपराधिक	1866	2069	*	*
3.	असम	सिविल	28487	28992	*	*
		आपराधिक	141659	161562	*	*
4.	बिहार	सिविल	43367	46973	49767	56836
		आपराधिक	209545	228139	252428	259667
5.	छत्तीसगढ़	सिविल	42222	2209	37717	30628
		आपराधिक	205330	13349	192575	198636
6.	गोवा	सिविल	11061	11061	10178	*
		आपराधिक	13405	13405	21951	*

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुजरात	सिविल	251375	237964	308274	205575
		आपराधिक	1451488	1451488	323164	929827
8.	हरियाणा	सिविल	124105	145643	78160	145170
		आपराधिक	245508	302523	138066	287978
9.	हिमाचल प्रदेश	सिविल	50059	48644	49762	*
		आपराधिक	116149	102973	121381	*
10.	जम्मू-कश्मीर	सिविल	43107	43107	25548	*
		आपराधिक	177537	177537	98405	*
11.	झारखंड	सिविल	19021	15538	14947	14329
		आपराधिक	107467	108289	98944	82899
12.	कर्नाटक	सिविल	252094	283504	338921	308534
		आपराधिक	449475	493527	629621	747108
13.	केरल	सिविल	271571	270819	259040	253273
		आपराधिक	644520	742064	823314	893166
14.	मध्य प्रदेश	सिविल	173564	208805	233297	*
		आपराधिक	704547	924593	1112409	*
15.	महाराष्ट्र	सिविल	344338	344338	346830	*
		आपराधिक	1409798	1409798	1375279	*
16.	मणिपुर	सिविल	1973	2302	*	*
		आपराधिक	5359	6559	*	*
17.	मेघालय	सिविल	1387	1372	*	*
		आपराधिक	3124	850	*	*
18.	मिजोरम	सिविल	*	601	*	*
		आपराधिक	*	4327	*	*
19.	नागालैंड	सिविल	486	493	*	*
		आपराधिक	1697	990	*	*

1	2	3	4	5	6	7
20.	उड़ीसा	सिविल	46099	42466	42080	45386
		आपराधिक	196083	200009	193830	250281
21.	पंजाब	सिविल	128604	162619	68083	135742
		आपराधिक	419056	364628	154824	354480
22.	राजस्थान	सिविल	158112	159215	161710	42923
		आपराधिक	642058	624908	764185	176393
23.	सिक्किम	सिविल	171	171	46	482
		आपराधिक	978	978	476	1205
24.	तमिलनाडु	सिविल	733073	737663	789015	936249
		आपराधिक	830960	750304	687859	756980
25.	त्रिपुरा	सिविल	5945	5131	*	*
		आपराधिक	50775	75729	*	*
26.	उत्तर प्रदेश	सिविल	459188	446540	443369	*
		आपराधिक	1875679	1973547	2215396	*
27.	उत्तराखंड	सिविल	20672	26570	*	33094
		आपराधिक	100247	120869	*	228099
28.	पश्चिमी बंगाल	सिविल	126482	116885	45388	108588
		आपराधिक	582296	821014	379826	751398
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	सिविल	*	*	*	572
		आपराधिक	*	*	*	7654
30.	चंडीगढ़	सिविल	10487	9165	4314	9931
		आपराधिक	50462	107531	57460	113228
31.	दादरा और नगर हवेली	सिविल	*	*	202	*
		आपराधिक	*	*	579	*
32.	दमण और दीव	सिविल	*	*	537	*
		आपराधिक	*	*	710	*
33.	दिल्ली	सिविल	74868	76379	61165	114726
		आपराधिक	1925686	1199449	176455	895863

1	2	3	4	5	6	7
34.	लक्षद्वीप	सिविल	48	33	*	*
		आपराधिक	240	122	*	*
35.	पुडुचेरी	सिविल	17475	14525	13825	19149
		आपराधिक	25974	18974	16106	17918

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में सुविधाएं

1945. श्री समीर भुजबल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का विचार लंबी दूरी की प्रत्येक रेलगाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड एवं स्वर उद्घोषक यंत्र लगाने के लिए प्रायोजित परियोजना प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वास्तविक जानकारी प्रदान करने के लिए उक्त रेलगाड़ियों को मुंबई एवं दिल्ली महानगरों की स्थानीय रेलगाड़ियों के प्रथम श्रेणी डिब्बों की तर्ज पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से जोड़ा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) से (घ) ऐसी तीन परियोजनाएं हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली-गुवाहाटी एक्सप्रेस के एक रेक में ग्लोबल पोजिशनिंग सेटेलाइट (जीपीएस) आधारित इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और वॉयस एनाउंसमेंट सिस्टम मुहैया कराने की योजना बनाई है। इससे सवारी डिब्बों में यात्रियों को गाड़ी की गति, अगले आने वाले ठहराव स्टेशन आदि की वास्तविक सूचना मुहैया कराई जाएगी।

(ii) पूर्व रेलवे ने हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। इस प्रणाली में वॉयस एनाउंसमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(iii) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) ने भी ग्लोबल पोजिशिनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित अनुसंधान एवं अभिकल्प परियोजना शुरू की है जिसमें कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के पांच सवारी डिब्बों में इलैक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड मुहैया कराए गए हैं जिसमें गाड़ी की गति, अगले आने वाले ठहराव स्टेशन आदि की वास्तविक सूचना दी जाएगी। इस प्रणाली में वॉयस एनाउंसमेंट का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) उत्तर रेलवे की परियोजना को वित्त वर्ष 2011-12 में और पूर्व रेलवे की परियोजना को 30.09.2011 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

सीवर डिस्पोजल सिस्टम

1946. श्री प्रदीप माझी:
श्री किशनभाई वी. पटेल:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की सहायता से सीवर डिस्पोजल सिस्टम को बेहतर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान सीवर डिस्पोजल सिस्टम की व्यवस्था करने के लिए निर्धारित लक्ष्य और हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अब तक अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं को प्रदत्त सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के किन राज्यों में लघु लघु मल-जल निकास संयंत्र स्थापित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। भारत सरकार संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के साथ स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वर्ष 1999 में व्यापक कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया गया था, संचालित करती है। ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) टीएससी का एक अभिन्न घटक है जिसमें परियोजना परिव्यय के 10 प्रतिशत हिस्से तक व्यय का प्रावधान है। इस घटक के अंतर्गत सामान्य कम्पोस्ट गड्ढा, किफायती नाला, सोख्ता नाली/गड्ढा, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, घरेलू कूड़े के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान के लिए तंत्र आदि जैसे क्रियाकलाप शुरू किए जा सकते हैं। तथापि, गांवों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्र निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ङ) पिछले प्रत्येक तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा संलग्न-II पर है।

(च) देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लघु सीवेज शोधन यंत्र स्थापित किया गया हो।

विवरण-I

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या	परियोजना की लागत (लाख रु. में)	अनुमोदित हिस्सा (लाख रु. में)			स्वीकृत घटक (एकक)						
				केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	आईएचएचएल बीपीएल	आईएचएचएल एपीएल	आईएचएचएल कुल	एससीडब्ल्यू	स्कूल शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	आरएसएम/ पीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	178187.67	114766.51	43841.36	19579.80	6636229	3629688	10265917	575	115908	14990	220
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	6700.94	4662.35	1562.98	475.61	115560	18301	133861	318	3944	1866	39
3.	असम	26	92814.80	65248.07	20582.96	6983.77	2220017	1161020	3381037	211	34772	16819	115
4.	बिहार	38	242946.57	161632.24	60051.31	21263.02	6195779	4975535	11171314	2362	76581	6595	364
5.	छत्तीसगढ़	16	67877.81	45596.64	16475.61	5805.56	1568600	1823853	3392453	618	52338	10211	106
6.	दादरा और नगर हवेली	1	91.00	80.69	0.00	10.31	2480	0	2480	12	0	0	1
7.	गोवा	2	1059.43	634.96	292.25	132.22	17935	27388	45323	150	731	547	3
8.	गुजरात	25	65921.67	41025.70	15942.19	8953.78	2046857	3331630	5378487	1671	28617	23460	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	हरियाणा	20	23087.84	13922.67	5687.00	3478.17	636940	1458494	2095434	1335	9160	7599	17
10.	हिमाचल प्रदेश	12	17696.55	11721.88	4500.44	1474.23	218154	632583	850737	1229	17863	10408	59
11.	जम्मू और कश्मीर	21	40598.74	28374.07	9628.36	2596.31	703071	767732	1470803	1080	27277	1070	103
12.	झारखंड	24	90728.43	60485.48	22185.77	8057.18	2327306	1402189	3729495	1203	42687	11472	249
13.	कर्नाटक	29	108474.68	70077.23	26898.26	11499.19	2889224	2981691	5870915	1305	39267	26353	296
14.	केरल	14	22189.92	11873.91	5544.08	4771.93	961831	111911	1073742	1090	3600	4957	98
15.	मध्य प्रदेश	50	170288.99	113086.85	41987.69	15214.45	3614346	4852847	8467193	1602	137730	27595	385
16.	महाराष्ट्र	33	148969.04	97771.77	36414.52श्र	14782.75	3623439	6104904	9728343	8210	87452	60076	355
17.	मणिपुर	9	11274.03	7908.73	2579.50	785.80	194887	68367	263254	.386	3919	1201	35
18.	मेघालय	7	14008 99	9562.87	3411.07	1035.05	216333	85500	301833	290	10331	1851	36
19.	मिजोरम	8	5040.99	3448.71	1161.45	430.83	899000	18975	108878	560	3219	1543	20
20.	नागालैंड	11	7957.58	5607.04	1759.75	590.79	ि8009पद	31254	211346	275	2972	1302	29
21.	उड़ीसा	30	156204.83	104509.10	37841.95	13853.78	4485050	2571598	7056648	818	70663	25160	289
22.	पुदुचेरी	1	572.56	481.72	0.00	90.84	18000	0	18000	0	26	16	3
23.	पंजाब	20	24134.47	15139.89	6532.40	2462.18	623198	544370	1167568	411	7464	3274	81
24.	राजस्थान	32	95210.03	64174.80	23651.23	7384.00	1960903	5023430	6984333	1544	68134	21198	317
25.	सिक्किम	4	2053.82	1338.56	440.74	274.52	51302	35712	87014	789	1604	340	12
26.	तमिलनाडु	29	114367.01	69366.01	28683.56	16317.44	4422133	4244955	8667088	1438	53678	27970	249
27.	त्रिपुरा	4	9838.52	6120.24	2400.50	1317.78	454757	169017	623774	226	6833	6024	35
28.	उत्तर प्रदेश	71	294726.00	192171.80	71925.16	30629.04	8303794	12372693	20676487	2366	269860	107302	428
29.	उत्तराखंड	13	15091.07	9993.12	3641.26	1456.69	441631	444670	886301	470	3925	1601	81
30.	पश्चिम बंगाल	19	174147.94	111799.51	43820.36	18528.07	6619158	4997498	11616656	1140	134081	84168	441
	कुल	607	2202261.90	1442583.10	539443.71	220235.09	61838909	63887805	125726714	33684	1314636	506968	4634

विवरण II

पिछले प्रत्येक तीन वर्ष और चालू वर्ष (31.07.2011 तक) के दौरान सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1391.81	11078.44	14218.46	4828.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	1530.16	404.97	119.26	102.44
3.	असम	8310.66	6729.84	9437.36	6125.59
4.	बिहार	7150.57	9046.72	11259.76	8609.55
5.	छत्तीसगढ़	1144.14	5018.42	5479.58	2702.42
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	000	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	978.81	3036.91	4692.36	2154.29
9.	हरियाणा	1069.09	718,15	2361.49	335.27
10.	हिमाचल प्रदेश	778.76	1017.74	2939.78	469.57
11.	जम्मू और कश्मीर	1115.82	332.90	2792.51	912.17
12.	झारखंड	3188.20	3941.66	546698	3632.46
13.	कर्नाटक	3176.18	5571.00	4458.66	4354.64
14.	केरल	388.99	975.45	2286.34	158.89
15.	मध्य प्रदेश	9767.83	9987.48	14402.60	7538.00
16.	महाराष्ट्र	3526.29	9894.05	12911.70	5799.94
17.	मणिपुर	99.83	1177.54	80.30	0.00
18.	मेघालय	578.30	1378.78	3320.20	557.86
19.	मिजोरम	694.27	412.98	653.40	31.38
20.	नागालैंड	99.78	1059.27	1229.45	174.06
21.	उड़ीसा	7204.33	5031.55	6836.73	5585.85

1	2	3	4	5	6
22.	पुड्डुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	223.13	116.02	1116.39	283.18
24.	राजस्थान	2516.85	4352.64	5670.74	3443.79
25.	सिक्किम	254.86	0.00	112.86	0.00
26.	तमिलनाडु	473.31	6166.18	7794.35	3831.03
27.	त्रिपुरा	158.76	836.66	925.14	133.92
28.	उत्तर प्रदेश	38284.24	11579.77	22594.00	8389.68
29.	उत्तराखण्ड	861.89	773.98	1707.61	402.38
30.	पश्चिम बंगाल	3047.06	3246.26	8327.50	6625.33
	कुल	98013.97	103885.36	153195.51	77182.131

दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण कार्य

1947. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण से संबंधित घोषित, पूरे किए गए तथा लंबित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने झांसी-मानिकपुर रेल लाइन के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) लंबित परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले तीन वर्षों (2008-09, 2009-10 और 2010-11) के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित खंडों का दोहरीकरण/विद्युतीकरण किया गया है:

वर्ष	खंड	लंबाई किमी में
1	2	3
दोहरीकरण		
2008-09	गढ़मुक्तेश्वर-कंकाठेर	12
	अमरोहा-कंकाठेर	31
	भीमसेन-जूही	11
	कानपुर-पनकी चौथी लाइन	09
	मनकापुर-भबनान	30

1	2	3
	गोरखपुर-बैतालपुर (आंशिक)-गोरखपुर-कैण्ट कुसमी	10
	एकमा-जीरादेई (आंशिक)	08
	भबनान-गौर	07
2009-10	साहिबाबाद-आनंद विहार	11
	मुंडेरवा-भबनान 'गौर-गोविंद नगर)	17
	सहजनवा-खलीलाबाद	17
	गोरखपुर-बैतालपुर का कुसमी-चौरी चौरा	06
	जीरादेई-भटनी (आंशिक)	17
	सीवान-जीरादेई	11
2010-11	टुंडला-यमुना ब्रिज	21
	पनकी-भाउपुर तीसरी लाइन	11.38
विद्युतीकरण		
2008-09	अगवानपुर-हर्थला	08
	खुर्जा-बरल	27
	काना-रोसा	63
	उतरेतिया-दिलकुशा	06
	कानपुर सैन्ट्रल-कानपुर अनवरगंज	02
2009-10	मुगलसराय-श्री कृष्णपुर	104
	उतरेतिया-अकबरगंज	61
	रोसा-बरेली	81
	बरल-मेरठ सिटी-सखोटी	84
	बाराबंकी-बुढवल	27
	मुरादाबाद यार्ड	08
	पनकी पर बीओसीएल साईडिंग	03
	आनंद विहार-साहिबाबाद	07

1	2	3
2010-11	सखोटी टांडा-सहारनपुर	83
	मेरठ-मुहीउद्दीनपुर	10
	बरेली-नगारिया सादत	33
	मुरादाबाद-रामपुर	19
	झांसी-ऐंट	87
	अकबरगंज-सुल्तानपुर	64
	वाराणसी और उतरेतिया यार्ड	04
	बुढवल-गोण्डा	61

इसके अलावा, ऐंट-भूआ (13 किमी) और मुहीउद्दीनपुर-मोदीनगर (8 किमी) खंडों का विद्युतीकरण भी 2011-12 में पूरा हो गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णत: एवं आंशिक रूप से पड़ने वाले निम्नलिखित दोहरीकरण/विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर हैं:

क्र.सं.	खंड	लंबाई किमी में
1	2	3
दोहरीकरण		
1.	अलीगढ़-गालियाबाद तीसरी लाइन	106.15
2.	भबनान-मनकापुर कहीं-कहीं दोहरीकरण	30.15
3.	उतरेतिया सुल्तानपुर-जाफराबाद का शेष खंड	148.00
4.	बाराबंकी-बुढवल	29.00
5.	भदोही-जंघई	89.1
6.	भटनी-बैतालपुर	35.27
7.	भटनी-जीरादेई	38.11
8.	घाघराघाट-चौकाघाट	5.63
9.	गोरखपुर-बैतालपुर	34.13
10.	गोरखपुर-सहजनवा	17.7
11.	लोहटा-भदोही चरण-I	39.00
12.	मऊ-इन्दारा	8.00

1	2	3
13.	मुंडेरवा-भबनान	45.25
14.	पलवल-भूतेश्वर तीसरी लाइन	81.00
16.	फाफामऊ-इलाहाबाद	12.9
17.	सहजनवा-मुंडेरवा कहीं-कहीं दोहरीकरण	32.19
विद्युतीकरण		
1.	गाजियाबाद-मुरादाबाद	140
2.	फाफामऊ-प्रयाग-इलाहाबाद सहित वाराणसी-जंघई-ऊंचाहार	207
3.	मुरादाबाद-लखनऊ-उतरेतिया (शेष भाग)	37
4.	उतरेतिया-सुल्तानपुर-मुगलसराय (शेष भाग)	66
5.	गाजियाबाद-मेरठ सहित खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर (शेष भाग)	41
6.	ऐंट-कोंच और कानपुर-अनवरगंज-कल्याणपुर सहित झांसी-कानपुर (शेष भाग)	141
7.	बाराबंकी-गोरखपुर-बनकाटा	341
8.	रोसा-सीतापुर-बुढवल	181
9.	मथुरा-गोवर्धन	24

(ख) और (ग) कानपुर-मानिकपुर दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत हो गया है और सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है। इस खंड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उत्तर प्रदेश में सभी चालू दोहरीकरण परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है। 2011-12 के दौरान निम्नलिखित दोहरीकरण खंडों के पूरा हो जाने की संभावना है:

क्र.सं.	खंड	लंबाई किमी में
1.	डोमिनगढ़-सहजनवा	11
2.	चौरी चौरी-बैतालपुर	18
3.	बैतालपुर-भटनी-नौनकर	28
4.	बुढवल-झांगिराबाद	19
5.	भाटपार रानी-भटनी	12

उत्तर प्रदेश में सभी स्वीकृत की गई रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान पूरा किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

ओडिसा में रेलवे नेटवर्क

1948. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिसा के मयूरभंज जिले में रेलवे नेटवर्क को पूर्वतट रेलवे जोन के अंतर्गत लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी क्षेत्र विशेष को किसी मंडल/जोन विशेष के तहत रखने का निर्णय क्षेत्रीयता का ध्यान किए बिना प्रशासनिक/परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाता है।

मयूरभंज का रेलवे नेटवर्क दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है और इसमें किसी प्रकार का बदलाव फिलहाल जरूरी नहीं समझा गया है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किए गए कार्यो संबंधी शिकायतें

1949. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत घटिया कार्य किए जाने के बारे में राज्य सरकारों से कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) निर्माण की गुणवत्ता सड़कों के रख-रखाव, निर्माण में विलंब आदि के संबंध में जनता तथा जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। मंत्रालय को वर्ष 2010-11 के दौरान 92 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) राज्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायतें अग्रेषित की जाती हैं। कुछ मामलों में, राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्यों को उनकी रिपोर्टें भेजी जाती हैं।

[अनुवाद]

असामान्य मौसम पैटर्न

1950. **श्री सी. राजेन्द्रन:**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में सरकार को देश में व्याप्त असामान्य मौसम पैटर्न की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी स्थितियों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन-से हैं तथा उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या असामान्य मौसम दशा के इस प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) सरकार मौसम परिघटना की परिवर्तनशीलता और सूखा, बाढ़, आकस्मिक बाढ़, चक्रवात, वर्षा के कारण होने वाले भू-स्खलन, लू और शीत लहरें आदि जैसे असमान्य मौसम पैटर्नो के बनने को लगातार मॉनीटर कर रही है। मौसम संबंधी घटनाओं के पिछले रिकॉर्डो से पता चलता है कि कई मामलों में भारी वर्षा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, ऋतुकालिक वर्षा आदि अधिकतम मान से ऊपर नहीं थी। असामान्य मौसम पैटर्न से प्रभावित क्षेत्र अंतर्वार्षिक और अन्तराऋतुकालिक मौसम तथा जलवायु परिवर्तनीयता के अनुरुप बदलते रहते हैं।

मध्य भारत में पिछले 50 वर्षों में भारी वर्षा की घटनाएं (>10 सेमी./दिन) लगभग 1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हैं, जबकि कम और साधारण वर्षा की घटनाएं लगभग इसी दर से कम हो रही हैं। हाल के वर्षों में और तीव्र हो रही अत्यधिक वर्षा की घटनाएं कुछेक स्थानों तक ही सीमित हैं और इसे मानसून प्रणाली की प्राकृतिक परिवर्तनशीलता का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अन्य मौसम परिघटना के संबंध में इस प्रकार का कोई पैटर्न नहीं देखा गया है।

(ग) जी हां।

(च) भारत मौसम-विज्ञान विभाग (आईएमडी) असामान्य मौसम पैटर्नों को मॉनीटर करने तथा अपनी पूर्वानुमान क्षमताओं को अपग्रेड करने के लिए आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत डॉप्लर मौसम रेडार (डीडब्ल्यूआर), स्वचालित मौसम केन्द्र (एडब्ल्यूएस), स्वचालित वर्षामापी केन्द्रों (एआरजीएस) आदि का नेटवर्क स्थापित कर अपने प्रेक्षणात्मक नेटवर्क को बढ़ा रहा है ताकि प्रतिकूल और तीव्र मौसम परिघटना के प्रभावों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृह मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय को अग्रिम चेतावनी दी जा सके।

बदलते मौसम की विशेषताओं को वास्तविक समय में ग्रहण करने के लिए अगरतला, चेन्नै, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मछलीपट्टनम, मुंबई, नागपुर, पटना और विशाखापट्टनम स्थित 10 डॉप्लर मौसम रेडार युक्त चौबीसों घंटे और सातों दिन मॉनीटर करने वाली अत्याधुनिक तकनीक वाली मॉनीटरिंग प्रणाली को चालू किया गया। लखनऊ, पटियाला तथा मोहनबाड़ी में लगाए गए अतिरिक्त डॉप्लर मौसम रेडारों को चालू किया जा रहा है। वर्तमान में मौसम की सूचना पूरे देश में कार्यरत 605 एडब्ल्यूएस तथा 360 एआरजी के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

मनरेगा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी

1951. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में मुसलमानों की भागीदारी उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम या नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मनरेगा में सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में प्रति परिवार 100 दिनों के रोजगार की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को कम से कम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। यह अधिनियम सभी ग्रामीण परिवारों पर समान रूप से लागू होता है चाहे वे किसी भी समुदाय के हों। महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है। जॉब कार्ड उन परिवारो को जारी किए जाते हैं जो उसे जारी करने के लिए अपना नाम पंजीकृत कराता है। उसके बाद उन्हें कार्य के लिए आवेदन करना होता है और उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार मिलता है। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों को जारी किए गए जॉब कार्ड अथवा उपलब्ध कराए गए रोजगार के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

1952. **श्री जगदानंद सिंह:**
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री गणेश सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सहित राज्यों से प्राप्त बाढ़ नियंत्रण प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं हेतु किए गए व्यय तथा इस संबंध में हुई प्रगति कितनी है;

(घ) विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सहित जल संरक्षण एवं संचयन के लिए आवंटित धनराशि राज्य-वार कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन के 11वीं योजना के कार्यदल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, देश में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) 11वीं योजना के दौरान, बाढ़ प्रबधन कार्यक्रम (एफएमपी), नामक एक राज्य क्षेत्रक योजना के अंतर्गत संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन/बाढ़ नियंत्रण कार्य आरभ करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। एफएमपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर लागत प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता मे अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है। 11वीं योजना के दौरान 'एफएमपी' के अंतर्गत 6796.93 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत वाले 22 राज्यों के कुल 353 कार्य शामिल किए गए हैं। 353 अनुमोदित कार्यों में से, 557.19 करोड़ रु. की कुल लागत वाले 21 कार्य उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। एफएमपी के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य से बाढ़ नियंत्रण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुआ है।

(ग) से (घ) 31.07.2011 तक सम्बद्ध राज्यों के एफएमपी के अंतर्गत 11वी योजना के दौरान 2669.01 करोड़ रु. (10वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों हेतु 89.79 करोड़ रु. सहित) की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। 31.03.2011 तक कुल 218 कार्यों के वास्तविक रूप से पूर्ण होने की सूचना प्राप्त हुई है। अनुमोदित कार्यों, जारी की गई निधियों तथा पूर्ण किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

11वीं योजना कार्यदल को राज्यों द्वारा सूचित किए गए बाढ़ प्रवण क्षेत्र

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	बाढ़ प्रवण क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.480
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.082
3,	असम	3.820
4.	बिहार	6.880
5.	छत्तीसगढ़	–
6.	दिल्ली	0.070
7.	गोवा	–
8.	गुजरात	2.050
9.	हरियाणा	2.350
10.	हिमाचल प्रदेश	0.231
11.	जम्मू और कश्मीर	0.514
12.	झारखंड	–
13.	कर्नाटक	0.900
14.	केरल	1.470
15.	मध्य प्रदेश	0.337
16.	महाराष्ट्र	0.330
17.	मणिपुर	0.080
18.	मेघालय	0.095
19.	मिजोरम	0.054
20.	नागालैंड	0.009
21.	उड़ीसा	3.340
22.	पंजाब	4.050
23.	राजस्थान	3.260
24.	सिक्किम	0.020
25.	तमिलनाडु	0.450
26.	त्रिपुरा	0.330
27.	उत्तर प्रदेश	7.340
28.	उत्तराखण्ड	–
29.	पश्चिम बंगाल	3.766
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
31.	चंडीगढ़	–
32.	दादरा और नगर हवेली	–
33.	दमन और दीव	–
34.	लक्षद्वीप	–
35.	पुडुचेरी	0.050
	कुल	45.358

विवरण II

अनुमोदित कार्यों, जारी निधियों तथा पूर्ण किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एफएमपी के अंतर्गत अनुमोदित कार्य			11वीं योजना के दौरान जारी निधियां (31.07.2011 तक)						पूर्ण किए गए कार्य
		सं.	कुल लागत	केन्द्र का अंश	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अरूणाचल प्रदेश	11	67.80	61.02	–	16.39	12.93	28.52	–	57.85	11
2.	असम	85	817.79	736.01	–	219.87	100.86	188.20	–	508.92	65
3.	बिहार	41	1226.51	919.88	46.81	117.08	210.94	127.17	–	502.00	26
4.	गोवा	2	22.73	17.05	–	1.82	2.41	5.76	–	9.98	1
5.	गुजरात	1	7.94	5.96	–	–	–	2.00	–	2.00	–
6.	हरियाणा	1	173.75	130.31	–	–	46.91	–	–	46.91	–
7.	हिमाचल प्रदेश	2	218.94	197.04	–	–	43.20	74.25	–	117.45	–
8.	जम्मू और कश्मीर	20	308.79	277.91	6.75	30.02	41.18	58.09	–	136.05	–
9.	झारखंड	1	20.12	15.09	–	6.00	4.53	–	–	10.53	–
10.	केरल	2	143.61	107.71	–	–	–	22.43	–	22.43	–
11.	मणिपुर	22	109.34	98.41	-	17.16	7.16	28.34	–	52.65	12
12.	मिजोरम	2	9.13	8.22	–	–	–	2.06	–	2.06	–
13.	नागालैंड	5	13.90	12.51	–	6.95	2.73	1.53	–	11.21	5
14.	उड़ीसा	70	204.02	153.02	–	45.90	25.87	22.98	–	94.74	59
15.	पुड्डुचेरी	1	139.67	104.75	–	–	–	7.50	–	7.50	–
16.	पंजाब	4	142.38	106.78	–	21.51	13.08	–	–	34.59	–
17.	सिक्किम	24	86.21	77.59	–	15.76	29.96	17.85	–	63.57	22
18.	तमिलनाडु	5	635.54	476.66	–	–	1.11	58.71	–	59.82	–
19.	त्रिपुरा	11	26.57	23.92	–	5.00	2.98	8.24	–	16.22	2
20.	उत्तर प्रदेश	21	557.19	417.89	5.25		128.94	69.50	–	203.68	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	उत्तराखण्ड	5	42.92	36.83	3.47	8.22	4.70	10.25	1.37	28.01	3
22.	पश्चिम बंगाल	17	1822.08	1366.57	1.00	10.08	221.40	358.60	–	591.08	7
	कुल	353	6796.93	5351.13	63.28	521.76	900.86	1091.95	1.37	2579.22	218
	10वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्य				44.54	39.31	1.30	4.64	–	89.79	
	कुल योग			5351.13	107.82	561.07	902.16	1096.59	1.37	2669.01	

विवरण III

'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)' तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) नामक राज्य क्षेत्रक योजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण एवं भंडारण हेतु जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान 'एआईबीपी' एवं जल निकायों की आरआरआर' नामक राज्य क्षेत्रक योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियां		
		एआईबीपी	'जल निकायों की आरआरआर'	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2178.700	189.000	2367.700
2.	अरूणाचल प्रदेश	113.373	0.000	113.373
3.	असम	1402.330	0.000	1402.330
4.	बिहार	243.370	25.000	268.370
5.	छत्तीसगढ़	428.736	0.000	428.736
6.	गोवा	79.480	0.000	79.480
7.	गुजरात	626.110	0.000	626.110
8.	हिमाचल प्रदेश	253.519	0.000	253.519
9.	जम्मू और कश्मीर	720.828	0.000	720.828
10.	झारखंड	246.607	0.000	246.607
11.	कर्नाटक	1834.006	121.510	1955.516

1	2	3	4	5
12.	केरल	14.734	0.000	14.734
13.	मध्य प्रदेश	1891.220	7.330	1898.550
14.	महाराष्ट्र	5722.283	0.000	5722.283
15.	मणिपुर	514.210	0.000	514.210
16.	मेघालय	157.498	1.780	159.278
17.	मिजोरम	138.260	0.000	138.260
18.	नागालैंड	175.884	0.000	175.884
19.	उड़ीसा	2187.692	147.120	2334.812
20.	पंजाब	172.066	0.000	172.066
21.	राजस्थान	378.117	0.000	378.117
22.	सिक्किम	16.969	0.000	16.969
23.	त्रिपुरा	127.384	0.000	127.384
24.	उत्तर प्रदेश	986.093	29.080	1015.173
25.	उत्तराखण्ड	658.724	0.000	658.724
26.	पश्चिम बंगाल	112.824	0.000	112.824
	कुल	21381.017	520.820	21901.837

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना

1953. श्री तूफानी सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने कृष्णा गोदावरी (केजी) डीडब्ल्यूएन 98/2 ब्लॉक में अपनी कुछ हिस्सेदारी को कुछ विदेशी कंपनियों को बेचा है या बेचने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संपूर्ण ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी हां। ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ने केजी-डीडब्ल्यूएन- 98/2 ब्लाग में क्रमशः 15% और 10% के अपने भागीदारी हित (पीआई) को बचेने के लिए दिनांक 27.9.2007 को पेट्रोब्रॉस इंअरनेशनल ब्रॉसपेट्री बीवी (पीआईवी बीवी) के साथ तथा दिनांक 29.8.2007 को हाइड्रो ऑयल एण्ड एनर्जी इंडिया बीवी (एचओईआई) के साथ फार्म-आउट करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने 22.07.2008 से दो कंपनियों के लिए पीआई का समनुदेशन अनुमोदित कर दिया है और समनुदेशन के बाद, ब्लॉक का पीआई वितरण-ओएनजीसी (प्रचालक)-65%, कैर्न एनर्जी इंडिया पीटीवाई लिमिटेड (सीईआईएल)-10%, पीआईबी बीवी-15% तथा एचओईआई-10% होगा। तथापि, दोनों कंपनियों ने ब्लाक से हटने का प्रस्ताव दिया है। ओएनजीसी पीआई के पुनः समनुदेशन के लिए दस्तावेज निष्पादित करेगा और उसने यह सूचित किया है कि आगामी वियुक्ति की योजना पर विचार किया जा रहा है।

देश में नई रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण

1954. श्री जगदीश शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिहार सहित विचारधीन नयी रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) बिहार में उन नयी रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है; और

(घ) इन लाइनों को बिछाने का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा उन पर कार्य पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा) : (क) 01.04.2011 को, बिहार राज्य सहित भिन्न-भिन्न राज्यों में देश भर में विभिन्न रेलवे जोनों में कुल 356 अदद सर्वेक्षण प्रगति पर हैं। चालू सर्वेक्षणों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	राज्य का नाम	सर्वेक्षणों की संख्या जो प्रगति पर है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	41
2.	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	40
3.	बिहार	10
4.	छत्तीसगढ़	10
5.	दिल्ली	0
6.	गुजरात	33
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	7
9.	जम्मू और कश्मीर	3
10.	झारखंड	15
11.	कर्नाटक	13
12.	केरल	9
13.	मध्य प्रदेश	7
14.	महाराष्ट्र	20
15.	उड़ीसा	18
16.	पंजाब	8
17.	राजस्थान	15
18.	तमिलनाडु	20
19.	उत्तर प्रदेश	23
20.	उत्तरांचल	7
21.	पश्चिम बंगाल	41
22.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2
23.	नागालैण्ड	2

(ख) भू-भाग पर निर्भर रहते हुए, सामान्यत: सर्वेक्षण को पूरा होने में 6 महीने से एक वर्ष तक का समय लगता है। बहरहाल, सर्वेक्षणों की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता और अनुकूल स्थानीय स्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए, इनके पूरा हो जाने तक कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

(ग) और (घ) 01.04.2011 को बिहार राज्य में 10 चालू नई लाइन परियोजनाएं हैं जिनके सर्वेक्षण पहले ही पूरे हो गए हैं और उनकी रिपोर्टें जांचाधीन हैं। रेलों के पास संसाधनों की सीमित उपलब्धता सहित चालू परियोजनाओं का भारी थ्रो-फॉरवर्ड है। इसलिए, इन परियोजनाओं को शुरू किए जाने का निर्णय इनकी रिपोर्टों की जांच के बाद ही लिया जाएगा।

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1955. श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री पी. के. बिजू:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गांवों का तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और विकास हेतु शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम पूरे नहीं किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वित कर रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण अवसंरचना सृजन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा गांवों में गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हैं। ये सभी कार्यक्रम मिलकर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में सहायता करते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माननीय ग्रामीण विकास मंत्रियों, क्षेत्र अधिकारियों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, सतर्कता एवं निगरानी समितियों, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं, मासिक प्रगति रिपोर्टों और कार्यक्रमों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की ऑन लाइन रिपोर्टिंग के माध्यम से व्यापक निगरानी तंत्र बनाया है ताकि परियोजना और योजनाओं का तीव्र तथा समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) तथा (च) उपुर्यक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किए जाते हैं और ये सभी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं चूंकि राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों को निष्पादित करने के प्रति उत्तरदायी हैं इसलिए उन्हें संबंधित दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित चल रहे कार्यों को पूरा करने की सलाह दी जा रही है।

[अनुवाद]

गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता

1956. श्री निशिकांत दुबे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधिक सहायता योजना के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता हेतु प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्यों ने प्रभावी रूप से निधियों का प्रयोग किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 39) धारा 12 के अधीन निम्नलिखित व्यक्ति, निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए हकदार हैं:

> "12 विधिक सेवा देने के लिए मानदंड–प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाइल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति–"

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्यापार या बेगार का शिकार है;

(ग) स्त्री या बालक है;

(घ) निःशक्ति व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में परिभाषित निःशक्त व्यक्ति है;

(ङ) अनर्ह अभाव की दशाओं के अधीन व्यक्ति है, जैसे बहुविनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट का शिकार है; या

(च) औद्योगिक कर्मकार है; या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में की अभिरक्षा भी है; या

(ज) यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो नौ हजार रुपये से या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, कम और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो बारह हजार रुपये से या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, कम वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2008-09, 2009-10, और 2010-11 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण, में दिया गया है।

(ङ) जी हां। निधियों का, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वे मंजूर की गई थी, प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है।

(च) राज्य प्राधिकरणों से, उनको प्रदान किए गए अनुदानों के संबंध में, साधारण वित्तीय नियम, 2005 में यथा अंतर्विष्ट सदायता अनुदान के शासी उपबंधों के अनुसार उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य प्राधिकरणों ने संबंधित महालेखाकार कार्यालय सेउनके संपरीक्षत लेखा विवरण प्रस्तुत किए है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा संपरीक्षत लेखा विवरण को प्रस्तुत करने में विलंब की दशा में वे, साधारण वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उनके सम्यक रूप से संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करेंगे।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, नाल्सा और संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के ऐसे अन्य माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालयों के ज्येष्ठ न्यायाधीश हैं और ऐसे जिला न्यायाधीश जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष हैं, संपूर्ण देश में विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किए जा रहे विधिक सेवा कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करते हैं और उनको मानीटर करते हैं। विधिक सहायता कार्यक्रमों और उसको जारी किए गए अनुदानों का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 7 में उल्लिखित विधिक सेवा क्रियाकलापों और अधिनियम की धारा 4 के अधीन विरचित नाल्सा की स्कीमों क्रियान्वयन के लिए ही राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुदानों का उपयोग किया जाता है।

नाल्सा, प्रत्येक वर्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करता है और इस सम्मेलन में निधियों के उपयोग पर चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के क्षेत्रीय सम्मेलन भी कार्यक्रमों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निश्चित लक्ष्य देने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कार्रवाई योजना का भी प्रारूपण किया जाता है और उनके कार्यान्वयन को नाल्सा द्वारा मानीटर किया जाता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा निधियों के उचित उपयोग पर निगरानी करने के लिए एक वेब आधारित मानीटरिंग प्रणाली भी नाल्सा द्वारा प्रयोग में लाई गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के नाम	2008-09 रु.	2009-10 रु.	2010-11 रु.
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1748000	3700000	10667983
2.	अरूणाचल प्रदेश	1256000	2200000	3100000

1	2	3	4	5
3.	असम	2224000	3700000	9750000
4.	बिहार	3668000	5200000	9600000
5.	छत्तीसगढ़	2148000	3700000	7600000
6.	गोवा	152000	1900000	1875163
7.	गुजरात	4100000	5000000	9100000
8.	हरियाणा	6180000	7200000	8183395
9.	हिमाचल प्रदेश	3752000	4200000	9950000
10.	जम्मू और कश्मीर	1784000	3200000	5704000
11.	झारखंड	5512000	8320000	9100000
12.	कर्नाटक	. 1948000	4200000	8600000
13.	केरल	4064000	9600000	8600000
14.	मध्य प्रदेश	7128000	6700000	10100000
15.	महाराष्ट्र	3320000	6200000	8600000
16.	मणिपुर	844000	2835899	3100000
17.	मेघालय	812000	2200000	2600000
18.	मिजोरम	1328000	3600000	3600000
19.	नागालैंड	1328000	2700000	3100000
20.	उड़ीसा	8940000	6600000	8600000
21.	पंजाब	5180000	9200000	7950000
22.	राजस्थान	3272000	6700000	8600000
23.	सिक्किम	584000	2800000	3600000
24.	तमिलनाडु	1980000	4700000	8600000
25.	त्रिपुरा	704000	3300000	4100000
26.	उत्तर प्रदेश	8080000	9700000	4600000
27.	उत्तराखण्ड	1768000	3200000	4100000
28.	पश्चिम बंगाल	7148000	8200000	10600000

1	2	3	4	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	228000	1700000	1000000
30.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	1000000	2500000	1300000
31.	दादरा और नगर हवेली	–	1400000	1000000
32.	दमन और दीव	–	1400000	1000000
33.	दिल्ली	–	4200000	6000000
34.	लक्षद्वीप	–	1950000	1000000
35.	पुडुचेरी	1304000	3200000	3000000
36.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	12500000	16000000	13000000

[हिन्दी]

दिल्ली में रेलवे समपार

1957. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में रेल समपारों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में कुल निर्माणाधीन अंडरपासों की संख्या का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन अंडरपासों का निर्माण रेलवे द्वारा स्वयं किया जा रहा है अथवा किसी अन्य एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या अंडरपासों के निर्माण में कुछ अन्य एजेंसियां शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ अंडरपासों को लोगों के लिए खोल दिया गया है परन्तु उनके 'लूप' का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो उन अंडरपासों का ब्यौरा क्या है जिनका 'लूप' कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) ब्यौरे इस प्रकार हैं:

विवरण

क्र.सं.	समपार संख्या	स्टेशनों के बीच	किमी. पर स्थान	गेट का वर्गीकरण	टीवीयू की गणना का वर्ष	गाड़ी वाहन इकाई
1	2	3	4	5	6	7
01.	01	सब्जी मंडी-आदर्श नगर दिल्ली	3/29-30	सी	3/2007	2246320
02.	03	सब्जी मंडी-आदर्श नगर दिल्ली	5/27-6/0	सी	2007	367280
03.	08	न्यू आजाद पुर-बादली	12/9-11	स्पेशल	2007	468977
04.	10	बादली-होलंबी कलां	14/29-31	स्पेशल	2010	874348
05.	11	बादली-होलंबी कलां	16/7-9	सी	2010	1281

1	2	3	4	5	6	7
06.	12	बादली-होलंबी कलां	17/15-17	स्पेशल	2011	1292828
07.	13	बादली-होलंबी कलां	19/29-31	स्पेशल	2011	1664235
08.	14	होलंबी कलां-नरेला	21/19/21	स्पेशल	2011	1415925
09.	15	होलंबी कलां-नरेला	23/25-27	सी	2010	190365
10.	16	होलंबी कलां-नरेला	25/13-15	स्पेशल	2011	2533711
11.	18	नरेला-रथधना	27/27-29	सी	2010	43251
12.	03	दिल्ली किशनगंज दयाबस्ती	4/23-25	बी	1/2011	700
13.	05	दयाबस्ती-शकूरबस्ती	7/15-17	बी	1/2011	1424200
14.	08	शकूरबस्ती-नांगलोई	15/15-17	बी	1/2011	31760
15.	11	शकूरबस्ती-नांगलोई	15/9-10	स्पेशल	10/2009	613938
16.	12	नांगलोई यार्ड	16/7-8	स्पेशल	10/2009	643930
17.	14	नांगलोई-घेवरा	18/9-10	स्पेशल	10/2009	95201
18.	15	नांगलोई-घेवरा	19/6-7	सी	10/2009	7774
19.	17	घेवरा यार्ड	22/2-3	सी	09/2009	1533
20.	18	घेवरा यार्ड	23/5-6	स्पेशल	10/2009	493165
21.	19	घेवरा-बहादुरगढ़	25/1-2	सी	09/2009	3592
22.	20	घेवरा-बहादुरगढ़	25/9-10	स्पेशल	09/2009	91439
23.	02	दिल्ली शाहदरा जंक्शन	3/1-2	स्पेशल	09/2009	110212
24.	04	दिल्ली शाहदरा जंक्शन	4/3-4	स्पेशल	09/2009	39140
25.	04	दिल्ली सराय रोहिल्ला-पटेल नगर	6/6-7	सी	10/2009	14925
26.	12	दिल्ली कैंट यार्ड	14/1-2	ए	08/2009	42802
27.	15	पालम यार्ड	18/0-1	स्पेशल	02/2005	472240
28.	16	पालम-बिजवासन	19/9-10	सी	02/2005	0
29.	17	पालम-बिजवासन	20/9-10	स्पेशल	02/2005	1120306

1	2	3	4	5	6	7
30.	18	पालम-बिजवासन	21/7-8	ए	01/2008	48972
31.	580	तुगलकाबाद-ओखला	1523/4-6	बी	12/2010	42815
32.	582	ओखला-हजरत निजामुद्दीन	1529/30-32	बी	12/2010	246354
33.	01	हजरत निजामुद्दीन जंक्शन-लाजपत नगर	1/15/17	सी	12/2010	52365
34.	092	लाजपत नगर-दिल्ली सफदरजंग	2/5-7	बी	12/2010	398246
35.	06	दिल्ली सफदरजंग-बराड़ स्केयर	11/3-5	सी	01/2011	25126
36.	07	दिल्ली सफदरजंग-बराड़ स्केयर	12/13-15	सी	01/2011	9955
37.	08	शकूरबस्ती-पटेल नगर	17/29-31	बी	12/2010	246354
38.	07	दिल्ली सफदरजंग-बराड़ स्केयर	12/13-15	स्पेशल	09/2007	16795
39.	08	दिल्ली सफदरजंग-बराड़ स्केयर	13/6-8	स्पेशल	09/2007	105196
40.	01	तिलक ब्रिज-ईपीएच साइडिंग राजघाट	PH181-PH17	स्पेशल	2010	4261104
41.	04	दयाबस्ती-पटेल नगर	20/5-7	सी	01/2009	14925

(ख) से (ङ) दिल्ली में 18 अंडर/अंडरपास निर्माणाधीन है। स्थानावार स्थिति और रेलवे और निष्पादन एजेंसी द्वारा निष्पादित किए जा रहे भाग को पूरा करने के लिए लक्षित तिथियां निम्नानुसार है:

क्र.स.	कार्य का नाम	निष्पादन करने वाली एजेंसी		कार्य की स्थिति
		रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा	पहुंच मार्ग का हिस्सा	
1	2	3	4	5
(क) लागत में भागीदारी वाले कार्य				
1	दिल्ली-यूएमबी खंड पर सावन पार्क के नजदीक समपार संख्या 3 के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
2.	मुंडका-मुंडका रेलवे क्रासिंग पर समपार संख्या 16 के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्य प्रगति पर है।
3.	आजादपुर उद्योग नगर के नजदकी समपार संख्या 7-विशेष के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	सार्वजनिक निर्माण विभाग/दिल्ली	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग पीडब्ल्यूडी द्वारा पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है।
4.	दिल्ली-आर ओके खंड पर रामपुरा-दयाबस्ती के नजदीक समपार संख्या 4-बी के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग दिल्ली नगर निगम द्वारा रोहतक साइड पर यू-थ्रू का निर्माण और टाइल कार्य प्रगति पर है।
5.	मुंडका-मुंडका रेलवे रोड को बादली से जोड़ने वाले समपार संख्या 9 के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्य प्रगति पर है।
6.	दिल्ली-आर ओके खंड पर राम पुरा-दयाबस्ती के नजदीक समपार संख्या 5-बी के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा ठेका सौंप दिया गया है अभी भी दिननि/दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा समपार को बंद करना है। पूरा करने की तिथि-12 फरवरी पहुंच मार्ग कार्य को अभी भी एमसीडी द्वारा शुरू किया जाना है।
7.	बादली समपार संख्या के बदले निचला सड़क पुल 8, बादली की ओर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग दिल्ली द्वारा पहुंच मार्ग का कार्य निर्माणाधीन

1	2	3	4	5
8.	मंगोल पुरी- मंगोलपुरी को रोहतक रोड से जोड़ने वाले समपार संख्या 10 के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग दिननि द्वारा उद्योग नगर की ओर पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति पर है।
9.	लाजपत नगर-समपार संख्या 2 के बदले संख्या 16 के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली विकास प्राधिकरण	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग डीडीए द्वारा पहुंच मार्ग के एक तरफ का कार्य प्रगति पर है।
10.	कीर्ति नगर-समपार संख्या 8 सी के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर-रेलवे	दिल्ली नगर निमग	रेल पथ के अंतर्गत-हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्य प्रगति पर है।
11.	शकूरबस्ती-समपार संख्या 7 बी के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त पहुंच मार्ग दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्य प्रगति पर है।
12.	नरेला-समपार संख्या 17-बी के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य समाप्त। पहुंच मार्ग दिननि द्वारा नरेला की ओर कार्य समाप्त, लामपुर साइड का कार्य प्रगति पर है
13.	दिल्ली-अंबाला खंड पर	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की लक्षित तिथि 11 सितंबर पहुंच मार्ग दिननि द्वारा कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
14.	नंदनगरी-शाहदरा-समपार संख्या 1 के बदले निचला सड़क पुल	दिल्ली ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	दिल्ली ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा रेलवे के हिस्से वाले कार्य के सहित दिल्ली ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
15.	बिजवासन में समपार संख्या 21 के बदले निचला सड़क पुल	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा कार्य प्रगति पर है। पूरा करने की लक्षित तिथि -12 फरवरी पहुंच मार्ग दिननि द्वारा अतिक्रमणों को हटाया जाना है।
(ख) निक्षेप कार्य				
1.	दिल्ली किशनगंज-दिल्ली जंक्शन एवं दिल्ली किशनगंज के बीच किमी. 2.343 पर आरयूबी संख्या 3 को चौड़ा करना (2×9.5 + 2×9.0मी.)	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा ठेका सौंप दिया गया है। सामान्य आरेखण प्रबंध स्वीकृति किए जाने हैं। पूरा करने की लक्षित तिथि-12 जून पहुंच मार्ग दिल्ली नगर निगम द्वारा बाधाओं को हटाया जा रहा है।
2.	निक्षेप आधार पर 9.00×3.00 मी. वाले किमी. 1529/9-11 पर जंगपुरा बी. को सिद्धार्थ नगर से जोड़ने वाले रेल पथों के अंतर्गत अतिरिक्त (आरयूबी) बॉक्सों का निर्माण/प्रावधान	उत्तर रेलवे	दिल्ली नगर निगम निगम	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा ठेका सौंप दिया गया है। सामान्य आरेखण प्रबंध स्वीकृत। एचपीएल भूमि के द्वारा थ्रस्ट बेड और साइट का आकलन करने के लिए दिननि को भूमि का प्रबंध करना है। पूरा करने की लक्षित तिथि -12 जून पहुंच मार्ग कार्य अभी तक शुरू किया जाना है।

1	2	3	4	5
3.	सरिता विहार के नजदीक तिलक ब्रिज-तुगलकाबाद पर किमी. 1523/17-21 पर निचले सड़क पुल का निर्माण/प्रावधान	उत्तर रेलवे	दिल्ली विकास प्राधिकरण	रेल पथ के अंतर्गत हिस्सा ठेका सौंप दिया गया है। सामान्य आरेखण प्रबंध स्वीकृत। बॉक्स कॉस्टिंग प्रगति पर है। पूरा करने की लक्षित तिथि-11 दिसंबर पहुंच मार्ग ओखला साइड पर कार्य समाप्त होने वाला है। हालांकि सरिता विहार की तरफ कार्य को डीडीए द्वारा शुरू किया जाना है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

एमपीलैड के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु निधियां

1958. **डॉ संजय जायसवाल:** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के चिकित्सा उपचार हेतु एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दिशानिर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, एमपीलैड्स निधि को, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के उपचार हेतु खर्च करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी तेल अन्वेषकों को लाभ पहुंचाना

1959. **श्री यशवीर सिंह:**
डॉ. रामचन्द्र डोम:
श्री पी.के. बिजू:
श्री पी. करुणाकरन:
शेख सैदुल हक:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री एम.बी. राजेश:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री के. सुगुमार:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही के वर्षों में के.जी. बेसिन, बारमेड़ तेल क्षेत्र और पनना-भुक्ता-ताप्ती गैस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की तीन कंपनियों को लाभ पहुंचाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने यह इंगित किया है कि परियोजना लागत में मूल अनुमानित लागत से ढाई गुना से भी अधिक वृद्धि हो गई है जिसमें हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय की मिलीभगत से कंपनियों द्वारा हेर-फेर की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा किस तरह दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया, के लिए जांच बैठाई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में जांच का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने अपनी रिपोर्ट के मसौदे में केजी बेसिन में केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लाक, आरजे-ओएन-90/1 ब्लाक बाड़मेर में और मुंबई अपतट क्षेत्र में पन्ना-मुक्ता-ताप्ती क्षेत्र पर कुछ टिप्पणियां की थीं। सी एंड एजी से प्राप्त मसौदा लेखा परीक्षा अभिमतों का केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक के संबंध में संविदाकार से प्राप्त संगत टिप्पणियों के साथ 8 जुलाई 2011 को इस मंत्रालय द्वारा उत्तर दे दिया गया है। दिनांक 12 जुलाई 2011 को सी एंड एजी कार्यालय की संविदाकार और महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) और इस मंत्रालय के साथ भी एक निष्क्रमण बैठक हुई थी। सीएजी से अनुरोध किया गया है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले इन उत्तरों पर विचार कर ले। चूंकि रिपोर्ट अभी मसौदा अवस्था में है और अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और सदन-परल पर रखा जाना है, इसलिए इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर टिप्पणी नही की जा सकती।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

आटोमोबाइल कंपनियों को डीजल पर राजसहायता

1960. श्री पी.सी. मोहन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) आटोमोबाइल कंपनियों को डीजल पर राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश की विभिन्न आटोमोबाइल कंपनियों को डीजल पर प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे सरकार को हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

देश में नदियां

1961. डॉ. राजन सुशान्त: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बहने वाली प्रमुख नदियों और उनके उद्‌गम का ब्यौरा क्या है;

(ख) अपने उद्‌गम से समुद्र में मिलने तक प्रत्येक नदी द्वारा तय की गयी दूरी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक नदी से सिंचित क्षेत्रफल का राज्य-वार और विशेषकर हिमाचल प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं राज्यों के बीच सतलुज नदी के जल के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच.पाला) : (क) और (ख) भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों, उनके उद्‌गम स्थलों और इन नदियों द्वारा अपने उद्‌गम स्थल से समुद्र तक तय की गई राज्य-वार दूरी का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। प्रत्येक नदी द्वारा सिंचित राज्य-वार क्षेत्र का परिकलन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि सकल सिंचित क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया।

(ग) और (घ) सतलुज नदी के जल के वितरण के संबंध में किन्हीं राज्यों के बीच किसी विवाद की कोई सूचना नहीं है।

विवरण-I

प्रमुख नदियों का विवरण

क्र.सं.	नदियों के नाम	उद्रम स्थल	जिन राज्यों से नदियां गुजर रही हैं, वहां इनकी लम्बाई
1	2	3	4
1.	गंगा	देवप्रयाग नदी से निकली गंगोत्री को गंगा के रूप में जाना जाता है	कुल लम्बाई-2525 कि.मी. उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश-1450 कि.मी. उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा के साथ-साथ 110 कि.मी. बिहार - 445 कि.मी. बंगाल - 520 कि.मी.
2.	यमुना	यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपुंच	कुल लम्बाई 1376 कि.मी. हिमाचल और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ 30 कि.मी. उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के साथ 328 कि.मी. दिल्ली-48 कि.मी. और उत्तर प्रदेश - 970 कि.मी.
3.	ब्रह्मपुत्र	हिमालयी क्षेत्र में मानसरोवर	कुल लम्बाई - 2900 कि.मी. तिब्बत - 1700 कि.मी. भारत - 900 कि.मी. बांग्लादेश - 300 कि.मी.
4.	बराक	नागा पहाड़ियों की दक्षिणी ढलान	कुल लम्बाई - 560 कि.मी. नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, असम से बहने वाली
5.	कोसी	इसकी तीन सहायक नदियां नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं और नेपाल में चतरा में मिलती हैं जहां से यह कोसी के रूप में जानी जाती हैं।	कुल लंबाई - 468 कि.मी. नेपाल - 35 कि.मी. बिहार - 433 कि.मी.
6.	गंडक	दक्षिणी तिब्बत, तिब्बत नेपाल सीमा के निकट	तिब्बत और नेपाल - 380 कि.मी. उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा के साथ-45 कि.मी. बिहार-205 कि.मी
7.	सोन	बिलासपुर जिले में माइकला श्रेणी में अमरकंटक उच्च भूमि	कुल लम्बाई - 881 कि.मी.
8.	घाघरा	हिमालयी ग्लेशियर में मानसरोवर के 60 कि.मी. दक्षिण पश्चिम	कुल लम्बाई - 1080 कि.मी. नेपाल - 540 कि.मी. भारत (उत्तर प्रदेश) - 540 कि.मी. उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा-बिहार

1	2	3	4
9.	गोदावरी	महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाटें, ट्रीम्बकेश्वा में	कुल लम्बाई - 1465 कि.मी. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से बहने वाली
10.	कृष्णा	महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर	कुल लम्बाई - 1401 कि.मी. महाराष्ट्र - 306 कि.मी. कर्नाटक - 483 कि.मी. आंध्र प्रदेश - 612 कि.मी.
11.	कावेरी	कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मागिरी श्रेणी पर कुर्ग जिले में तककावेरी	कुल लंबाई - 800 कि.मी कर्नाटक - 320 कि.मी. तमिलनाडु - 416 कि.मी. तमिलनाडु और कर्नाटक सीमा के साथ-64 कि.मी.
12.	सुवर्णरेखा	झारखण्ड के रांची जिले में नांगरी गांव	कुल लम्बाई - 395 कि.मी. झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल
13.	ब्राह्मणी	रांची में नागरी गांव	कुल लम्बाई - 799 कि.मी.
14.	बैतरणी	मानाकरांची गांव के निकट उड़ीसा का क्योंझर जिला	कुल लम्बाई - 355 कि.मी. उड़ीसा - 355 कि.मी.
15.	महानदी	छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में नागरी शहर के निकट फरसिया गांव	कुल लम्बाई - 851 कि.मी. उत्तीसगढ़ - 357 कि.मी. उड़ीसा - 494 कि.मी.
16.	पेन्नार	कर्नाटक के नदी श्रेणी की चेन्नाकेशवा पहाड़ियां	कुल लम्बाई - 597 कि.मी.
17.	माही	मध्य प्रदेश के धार जिले में गांव सरदारपुर	कुल लम्बाई - 583 कि.मी. मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहने वाली
18.	साबरमती	राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ियां	कुल लम्बाई - 300 कि.मी. राजस्थान और गुजरात से बहने वाली
19.	नर्मदा	मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में माइकल जिले में अमरकंटक पहाड़ी	कुल लम्बाई - 1312 कि.मी. मध्य प्रदेश - 1079 कि.मी. महाराष्ट्र - 35 कि.मी. महाराष्ट और गुजरात - 39 कि.मी. गुजरात - 159 कि.मी.
20.	तापी	मुलतई (मध्य प्रदेश का बेतुल जिला)	कुल लम्बाई - 724 कि.मी.

1	2	3	4
21.	सिंधु	तिब्बत में मानसरोवर	कुल लम्बाई - भारत में 1100 कि.मी. (लगभग) जम्मू और कश्मीर - 1100 कि.मी. (लगभग)
22.	झेलम	कश्मीर घाटी के दक्षिणी-पूर्वी भाग में पीर पंजाल के तलहटी में स्थित वेरीनाग	कुल लम्बाई - 813 कि.मी. (लगभग) भारत (जम्मू और कश्मीर) और पाकिस्तान से बहने वाली
23.	चेनाब	हिमाचल प्रदेश में बारा लच्छा दर्रा	कुल लम्बाई - 960 कि.मी. (लगभग) भारत (हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) और पाकिस्तान से बहने वाली
24.	गोमती	उत्तर प्रदेश में पिलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील में मैनकोट	कुल लम्बाई - 940 कि.मी. उत्तर प्रदेश - 940
25.	पुर्णा (तापी से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी)	सतपुरा पर्वत श्रेणी	कुल लम्बाई - 142
26.	हालादी (ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी)	सोमेश्वरा, पश्चिमी घाट, कर्नाटक	कुल लम्बाई - 70 कि.मी.
27.	लूनी (कच्छ से सौराष्ट्र के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी)	अरावली पहाड़ी की पश्चिमी ढलान	कुल लम्बाई - 511 कि.मी. राजस्थान और गुजरात से बहने वाली
28.	स्वर्णमुखी (महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदी)	चित्तौड़ जिले में पलकला के निकट पूर्वी घाट श्रेणी	कुल लम्बाई - 130 कि.मी.

1	2	3	4
29.	वम्सधारा (महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां)	लांजीगढ़ गांव, कालाहांडी	कुल लम्बाई - 254 कि.मी.

विवरण II

वर्ष 2008-09 के लिए कुल सिंचित क्षेत्र का राज्य-वार विवरण

(हजार हेक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/वर्ष	कुल सिंचित क्षेत्र
1	2
आंध्र प्रदेश	6741
अरूणाचल प्रदेश	56
असम	150
बिहार	4752
छत्तीसगढ़	1537
गोवा	36
गुजरात	5278
हरियाणा	5528
हिमाचल प्रदेश	184
जम्मू और कश्मीर	471
झारखंड	164
कर्नाटक	3942
केरल	458
मध्य प्रदेश	6714
महाराष्ट्र	4202
मणिपुर	52
मेघालय	73
मिजोरम	11
नागालैण्ड	82
उड़ीसा	3177
पंजाब	7724
राजस्थान	7910
सिक्किम	11
तमिलनाडु	3393
त्रिपुरा	104
उत्तरांचल	570
उत्तर प्रदेश	19522
पश्चिम बंगाल	5509
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
चण्डीगढ़	1
दादरा और नगर हवेली	7
दमन और दीव	अनुपलब्ध
दिल्ली	31
लक्षद्वीप	1
पुडुचेरी	27
अखिल भारत में कुल	**88419**

रेलमार्गों का विद्युतीकरण

1962. श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपये के व्यय से 3500 कि.मी. रेल मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अभी तक कुल कितने कि.मी. मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और अभी तक इस पर कितनी राशि व्यय की गयी है; और

(ग) मध्य प्रदेश में इंदौर-उज्जैन रेलमार्ग के विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 3500 मार्ग किलोमीटर का प्रारंभिक लक्ष्य निश्चित किया गया था। उसके बाद योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में योजना अवधि के लिए 4500 मार्ग किमी. के मध्य को पुनर्निधारित किया गया था।

(ख) योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 3391 मार्ग किमी. को विद्युतीकरण किया गया है और 2621.18 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। योजना के अंतिम एवं और पांचवें वर्ष के दौरान अर्थात 2011-12 में 4500 मार्ग किमी. के संशोधित योजना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 978 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 1110 मार्ग किमी. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश में देवास होकर इंदौर-उज्जैन का विद्युतीकरण कार्य पूरे होने के अग्रिम चरण में है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

1963. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरक उत्पादन इकाइयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में सभी उर्वरक इकाइयों ने निर्धारित उर्वरक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन इकाइयों द्वारा किए गए उत्पादन का कंपनी-वार और राज्य-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए इन कंपनियों का उत्पादन पर्याप्त नहीं है और कुछ राज्य, जहां कोई भी उर्वरक संयंत्र नहीं है, अपनी मांग के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता में अत्यधिक कठिनाई का सामना करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या देश में उर्वरकों के अंतर-राज्य आवंटन का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) वर्तमान में देश में सार्वजनिक निजी और सहकारी क्षेत्र के यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का उत्पाद करने वाले उर्वरक संयंत्रों का राज्य-वार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं, देश में कुछ उर्वरक इकाइयां (i) पर्याप्त प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता (ii) संयंत्रों का अप्रत्याशित रूप से बंद होना और (iii) कच्ची सामग्री की कमी के कारण अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पाद नहीं कर पा रही हैं। तथापि, वर्ष 2010-11 में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन संस्थापित क्षमता से अधिक रहा है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान उत्पादन का संयंत्र-वार/राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के आंशिक संचलन और वितरण नियंत्रण में है। अन्य सभी उर्वरक जैसे डीएपी, एमओपी और एनपीके आदि अगस्त, 1992 से नियंत्रणमुक्त हैं।

देश में प्रमुख उर्वरक नामतः यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की मांग में कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही है और मौजूदा वर्ष 2010-11 में यह अब तक की सर्वाधिक मांग रही है। उर्वरकों की बढ़ती मांग को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। इस प्रकार जिन राज्यों में कोई भी उर्वरक संयंत्र नहीं है उन राज्यों में उर्वरकों की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

देश में प्रचालनरत प्रमुख उर्वरक इकाइयों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	प्रचालनरत इकाइयों की संख्या	क्षेत्र			
			सार्वजनिक	सहकारी	निजी	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	4			4	4
2.	असम	2	2			2
3.	बिहार					
4.	छत्तीसगढ़					
5.	गोवा	1			1	1
6.	गुजरात	8		3	5	8
7.	हरियाणा	1	1			1
8.	झारखंड					
9.	कर्नाटक	1			1	1
10.	केरल	2	2			2
11.	मध्य प्रदेश	2	2			2
12.	महाराष्ट्र	5	4		1	5
13.	उड़ीसा	2		1	1	2
14.	पंजाब	2	2			2
15.	राजस्थान	3			3	3
16.	तमिलनाडु	4	1		3	4
17.	उत्तर प्रदेश	7		5	2	7
18.	पश्चिम बंगाल	1			1	1
	कुल	45	14	9	22	45

विवरण-II

वर्ष 2008-09 से 2010-2011 तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2011 से जुलाई 2011) के दौरान यूरिया का संयंत्र-वार उत्पादन

संयंत्र का नाम	....उत्पादन....('000' मी. टन)			
	2008-09	2009-10	2010-11	योग अप्रैल-जुलाई 11
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र				
एनएफएल : नंगल-II	514.5	474.0	478.5	137.7
एनएफएल : बठिण्डा	537.5	514.7	553.0	137.5
एनएफएल : पानीपत	488.3	512.9	470.0	178.3
एनएफएल : विजयपुर	865.9	878.5	916.6	322.3
एनएफएल : विजयपुर विस्तार	937.9	949.6	961.5	312.1
कुल (एनएफएल)	3344.1	3329.7	3379.6	1087.9
बीवीएफसीएल : नामरूप-II	60.7	79.2	86.1	28.3
बीवीएफसीएल : नामरूप-III	128.5	230.4	198.9	34.5
कुल (बीवीएफसीएल)	189.2	309.6	285.0	62.8
आरसीएफ ट्राम्बे-V	0.0	306.9	341.1	51.6
आरसीएफ : थाल	1903.3	1782.2	1783.4	550.4
कुल (आरसीएफ):	1903.3	2089.1	2124.5	602.0
एमएफएल : चेन्नै	405.7	435.9	477.9	178.8
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	5842.3	6164.3	6267.0	1931.5
सहकारी क्षेत्रः				
इफको : कलोल	559.8	601.2	600.1	193.6
इफको : फूलपुर	662.7	722.6	745.1	203.7
इफकोः फूलपुर विस्तार	840.6	1000.1	1026.2	374.6

1	2	3	4	5
इफको: आंवला	986.8	1000.3	988.5	312.0
इफको: आंवला विस्तार	1018.1	1000.3	1042.6	350.7
कुल (इफको)	4068.0	4324.5	4402.5	1434.6
कृभको: हजीरा	1743.2	1779.6	1840.3	593.2
कुल सहकारी क्षेत्र:	5811.2	6104.1	6242.8	2027.8
कुल (सार्वजनिक + सहकारी):	11653.5	12268.4	12509.8	3959.3
निजी क्षेत्र:				0.0
जीएसएफसी वडोदरा	236.3	281.5	245.5	92.2
एसएफसी: कोटा	395.5	382.2	403.4	134.9
डीआईएल: कानपुर	0.0	0.0	0.0	0.0
जेडआईएल: गोवा	412.4	387.5	396.8	128.8
स्पिक तूतीकोरिन	0.0	0.0	300.9	222.1
एमसीएफ: मंगलौर	379.3	379.5	379.4	145.8
जीएनएफसी:भरूच	592.3	601.7	643.2	192.5
आईजीएफ: जगदीशपुर	1068.6	1096.1	1098.5	391.2
एनएफसीएल काकीनाडा-I	768.9	757.0	831.6	236.7
एनएफसीएल काकीनाडा-II	609.1	723.1	824.0	233.2
सीएफसीएल: गडेपान-I	909.8	1019.6	1032.2	352.2
सीएफसीएल: गडेपान-II	1008.3	1011.2	1068.0	315.6
टीसीएल: बबराला	1023.8	1231.7	1116.7	397.3
केएसएफएल: शाहजहांपुर	864.3	972.8	1030.5	308.5
कुल निजी क्षेत्र:	8268.6	8843.9	9370.7	3151.0
कुल (सार्वजनिक + सहकारी + निजी):	19922.1	2112.3	21880.5	7110.3

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2011 से जुलाई 2011 तक) के दौरान यूरिया का राज्य-वार उत्पादन

('000' मी. टन)

राज्य/क्षेत्र का नाम	...उत्पादन....			
	2008-09	2009-10	2010-11	अप्रैल-जुलाई 11
1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	1378.0	1480.1	1655.6	469.9
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	379.3	379.5	379.4	145.8
तमिलनाडु	405.7	435.9	778.8	400.9
कुल (दक्षिणी क्षेत्र):	2163.0	2295.5	2813.8	1016.6
पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	412.4	387.5	396.8	128.8
मध्य प्रदेश	1803.8	1828.1	1878.1	634.4
महाराष्ट्र	1903.3	2089.1	2124.5	602.0
गुजरात	3131.6	3264.0	3329.1	1071.5
राजस्थान	2313.6	2413.0	2503.6	802.7
कुल (पश्चिमी क्षेत्र):	9564.7	9981.7	10232.1	3239.4
पूर्वी क्षेत्र				
झारखंड	0.0	0.0	0.0	0.0
बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0
उड़ीसा	0.0	0.0	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	189.2	309.6	285.0	62.8
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	189.2	309.6	285.0	62.8
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	488.3	512.9	470.0	178.3
पंजाब	1052.0	988.7	1031.5	275.2

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	6464.9	7023.9	7048.1	2338.0
कुल (उत्तरी क्षेत्र):	8005.2	8525.5	8549.6	2791.5
सकल योग	19922.1	21112.3	21880.5	7110.3

वर्ष 2008-09 से 2010-2011 तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल से जुलाई 2011 तक) के दौरान डीएपी का संयंत्र-वार उत्पादन

....उत्पादन.... ('000' मी. टन में)

संयंत्र का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	कुल अप्रैल-जुलाई 11
सहकारी क्षेत्र:				
इफको: कांडला	214.7	722.7	60.1	94.9
इफको: पारादीप	436.5	402.3	916.5	286.5
कुल सहकारी क्षेत्र	651.2	1125.0	976.6	381.4
निजी क्षेत्र:				
जीएसएफसी: बडोदरा	43.5	0.0	0.0	0.0
जेडआईएल: गोवा	205.0	351.8	151.6	104.9
स्पिक: तूतीकोरिन	0.0	0.0	30.4	63.6
एमसीएफ: मंगलौर	158.3	198.1	177.8	50.2
टीसीएल: हल्दिया	147.8	183.7	190.3	78.3
जीएसएफसी: सिक्का-I	630.5	921.8	706.1	187.9
जीएसएफसी: सिक्का-II	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (सिक्का-I और II)	630.5	921.8	706.1	187.9
सीआईएल: काकीनाडा	518.2	520.6	402.5	113.3
सीआईएल: विजाग	0.0	0.0	31.8	0.0
हिण्डालको इंडस्ट्रीज: दाहेज	168.6	181.8	214.2	58.3
पीपीएल: पारादीप	470.2	763.7	655.6	205.3
कुल निजी क्षेत्र	2342.1	3121.5	2560.3	861.8
कुल (सहकारी + निजी)	2993.3	4246.5	3536.9	1243.2

जीएसएफसी: सिक्का-I और II का उत्पादन संयुक्त है।

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2011 से जुलाई 2011 तक) के दौरान डीएपी का जोन/राज्य-वार उत्पादन

('000' मी. टन)

क्षेत्र/राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	अप्रैल-जुलाई 11
दक्षिणी-क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	518.2	520.6	434.3	113.3
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	158.3	198.1	177.8	50.2
तमिलनाडु	0.0	0.0	30.4	63.6
कुल (दक्षिणी क्षेत्र):	676.5	718.7	642.5	227.1
पश्चिमी-क्षेत्र				
गोवा	205.0	351.8	151.6	104.9
गुजरात	1057.3	1826.3	980.4	341.1
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	1262.3	2178.1	1132.0	446.0
पूर्वी-क्षेत्र				
उड़ीसा	906.7	1166.0	1572.1	491.8
पश्चिम बंगाल	147.8	183.7	190.3	78.3
कुल (पूर्वी क्षेत्र):	1054.5	1349.7	1762.4	570.1
सकल योग:	2993.3	4246.5	3536.9	1243.2

वर्ष 2008-09 से 2010-11 और वर्तमान वर्ष (अप्रैल 11 से जुलाई 2011) के दौरान मिश्रित उर्वरक का संयंत्र-वार उत्पादन

कंपनी का नाम/इकाई	उत्पाद	...उत्पादन... ('000' मी. टन)			
		2008-09	2009-10	2010-11	अप्रैल से जुलाई 11
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र					
फैक्ट: उद्योगमण्डल	20:20	115.8	181.3	147.6	43.0
फैक्ट: कोचीन-II	20:20	489.5	576.8	496.2	105.1
कुल (फैक्ट)		605.3	758.1	643.8	148.1

1	2	3	4	5	6
आरसीएफ: ट्राम्बे	15:15:15	471.0	490.4	446.0	138.4
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ: ट्राम्बे-IV	20.8:20.8	0.0	12.9	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	157.9	46.0
कुल (आरसीएफ):		471.0	503.3	603.9	184.4
एमएफएल: चेन्नई	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0
	19:19:19	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (एफएफएल):		0.0	0.0	0.0	0.0
कुल सार्वजनिक क्षेत्र:		1076.3	1261.4	1247.7	332.5
सहकारी क्षेत्र:					
इफको: कांडला	10:26:26	1041.1	1191.1	1610.1	161.7
	12:32:16	538.0	460.6	846.2	332.5
	20:20	0.0	0.0	0.0	89.4
कुल (इफको/कांडला):		1579.1	1651.7	2456.3	583.6
इफको (ओसीएफ): पारादीप	20:20	869.5	1097.7	745.3	338.5
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल इफको: पारादीप		869.5	1097.7	745.3	338.5
कुल (इफको)		2448.6	2749.4	3201.6	922.1
निजी क्षेत्र					
जीएसएफसी: बडोदरा	20:20	197.3	292.9	280.3	91.7
सीआईएल: विजाग	28:28	207.1	290.1	129.3	82.4
	14:35:14	67.2	175.7	137.0	56.3
	20:20	434.0	563.7	592.5	227.1
	10:26:26	31.4	23.9	0.0	0.0
कुल (सीआईएल):		739.7	1053.4	858.8	365.8

1	2	3	4	5	6
जेडआईएल: गोवा	19:19:19	32.1	0.0	0.0	0.0
	28:28	0.0	0.0	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	0.0	0.0	0.0
	10:26:26	270.1	208.9	332.8	0.0
	20:20	3.3	22.6	0.0	0.0
	12:32:16	67.7	134.7	176.7	10.9
कुल (जेडआईएल):		373.2	366.2	509.5	105.9
स्पिक: तूतीकोरिन	20:20	0.0	174.4	175.4	74.6
	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (स्पिक):		0.0	174.4	175.4	74.6
एमसीएफ: मंगलौर	20:20	74.3	84.1	45.7	18.1
	16:20	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (एमसीएफ):		74.3	84.1	45.7	18.1
सीआईएल: इन्नौर	16:20	158.4	212.6	248.3	83.3
	20:20	0.0	0.0	12.5	0.0
कुल (सीएफएल):		158.4	212.6	260.8	83.3
जीएनएफसी: भरूच	20:20	134.0	166.5	166.2	50.2
कुल (जीएनएफसी):		134.0	166.5	166.2	50.2
टीसीएल: हल्दिया	28:28	0.0	0.0	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	0.0	0.0	0.0
	15:15:15	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	104.9	30.2	9.8	0.0
	10:26:26	308.5	363.8	351.4	124.9
कुल (टीसीएल):		413.4	394.0	361.2	124.9
जीएसएफसी सिक्का-I	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	49.9	0.0	0.0	0.0
जीएसएफसी सिक्का-II	12:32:16	0.0	0.0	0.0	0.0
सीआईएल: काकीनाडा	20:20	48.9	4.2	0.0	28.0
	14:35:14	102.1	478.1	515.4	167.2
	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	23.0	17.0	36.1	2.9
	14:28:14	0.0	0.0	0.0	4.0
	10:26:26	399.4	236.3	407.3	49.8
कुल (जीएफसीएल):		573.4	73.6	958.8	251.9
हिण्डालको इण्ड: दाहेज	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0
डीएफपीसीएल: तलोजा	23:23	57.9	100.6	123.5	44.2
पीपीएल: पारादीप*	20:20	176.0	242.7	304.7	82.7
	28:28	0.0	0.0	0.0	0.0
	16:20	0.0	0.0	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	0.0	30.0	0.0
	15:15:15	0.0	0.0	0.0	7.6
	12:32:16	98.5	33.0	53.3	0.0
	10:26:26	277.5	171.5	149.5	13.4
कुल (पीपीएल):		552.0	447.2	537.5	103.7
कुल निजी क्षेत्र:		3323.5	4027.5	4277.7	1314.3
कुल (सहकारी+सहकारी+ निजी):		6848.4	8038.3	8727.0	2568.9

वर्ष 2009-09 से 2010-11 तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2011 से जुलाई 2011 के दौरान मिश्रित उर्वरकों का राज्य/जोन-वार उत्पादन

('000' मी. टन)

क्षेत्र/राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	अप्रैल से जुलाई 11
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	1313.1	1789.0	1817.6	617.7
केरल	605.3	758.1	643.8	148.1
कर्नाटक	74.3	84.1	45.7	18.1
तमिलनाडु	158.4	387.0	436.2	157.9
कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	2151.1	3018.2	2943.3	941.8
पश्चिमी-क्षेत्र				
गोवा	373.3	366.2	509.5	105.9
महाराष्ट्र	528.9	603.9	727.4	228.6
गुजरात	1960.3	2111.1	2902.8	725.5
कुल (पश्चिमी क्षेत्र):	2862.4	3081.2	4139.7	1060.0
पूर्वी-क्षेत्र				
उड़ीसा	1421.5	1544.9	1282.8	442.2
पश्चिम बंगाल	413.4	394.0	361.2	124.9
कुल (पूर्वी क्षेत्र):	1834.9	1938.9	1644.0	567.1
सकल योग:	6848.4	8038.3	8727.0	2568.9

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों का रखरखाव

1964. श्री सज्जन वर्मा: क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के अनेक भागों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें इस संबंध में निर्धारित गुणवत्ता मानकों की तुलना में घटिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों के रखरखाव की जिम्मेवारी भी राज्य सरकारों की है।

(ङ) सड़क कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, जो कार्यक्रम को कार्यान्वित करती हैं। राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से

राज्य सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई कार्यों का वास्तविक निरीक्षण होता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता भी यादृच्छिक आधार पर कुछ पीएमजीएसवाई कार्यों के निरीक्षण के लिए भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

उर्वरकों की आपूर्ति

1965. डॉ. गिरिजा व्यास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें बफर स्टाक के माध्यम से किसानों को वर्तमान में उर्वरकों की आपूर्ति कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सरकार के आंशिक संचलन और वितरण नियंत्रण के अधीन हैं। सभी अन्य उर्वरक अर्थात् डीएपी, एमओपी, एसएसपी और एनपीके आदि 1992 से नियंत्रणमुक्त/असरणीबद्ध हैं। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की उपलब्धता पर निर्णय मांग और आपूर्ति की बाजार ताकतों के आधार पर किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी करती है और राज्य सरकारें राज्य के अंदर आगे के वितरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। यूरिया का बफर स्टॉक मांग के कम होने के दौरान रखा जाता है और मांग के अत्यधिक बढ़ने पर राज्य सरकार द्वारा उसे तात्कालिकता के आधार पर जारी किया जाता है।

बहुकार्यात्मक परिसर

1966. श्री संजय दिना पाटील:
श्री एस. अलागिरी:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निजी निवेश/भागीदारी के माध्यम से बहुकार्यात्मक परिसर (एमएफसी)/विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित देशभर में इस प्रयोजन हेतु चिन्हित स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) निजी निवेश/भागीदारी के माध्यम से 120 स्टेशनों पर बहुउद्देशीय कांप्लैक्स (एमएफसी) को विकसित करने की योजना है, तदनुसार, तीन स्टेशनों पर बहुउद्देशीय कांप्लेक्सों को विकसित करने लिए ठेका दे दिया गया है और अन्य स्टेशनों के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं, 50 स्टेशनों को स्टेशन के आसपास की भूमि और उसके ऊपर के एयर स्पेस की वास्तविक सम्पदा क्षमता उगाही द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए पहचान की गई है। मास्टर प्लान और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार हो जाने और स्थानीय एजेंसियों से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद ही पीपीपी के माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नई दिल्ली, सीएसटी मुंबई और पटना के लिए मास्टर प्लान और व्यावहार्यता रिपोर्ट को तैयार करने हेतु परामर्श कार्य आरंभ कर दिए गए हैं। सिकंदराबाद, पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद, सियालदह, चंडीगढ़ तथा चेन्नई सैंट्रल के लिए परामर्श हेतु कार्रवाई भी शुरू की गई है। अन्य स्टेशनों के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं, इन परियोजनाओं की उच्च लागत के कारण बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है। इस संबंध में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की नीति की समीक्षा शुरू की गई है।

बहुउद्देशीय कांप्लैक्सों और विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए स्टेशनों की राज्य-वार सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	बहुउद्देशी कांप्लैक्स	विश्व स्तरीय स्टेशन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	धर्मावरम, करीमनगर, कुरनूल टाउन, नेललोर, निजामाबाद, सिकंदराबाद, श्रीकाकूलम रोड (अमूदलवालसा), विजयवाड़ा, विजयनगरम, जहीराबाद	सिकंदराबाद, तिरूपति

1	2	3	4
2.	असम	डिब्रूगढ़ टाउन	गुवाहाटी
3.	बिहार	भागलपुर, गया, हाजीपुर, जमालपुर, कटिहार, पटना साहिज जं., रक्सोल जं., सासाराम	गया, पटना
4.	छत्तीसगढ़	भिलाई	–
5.	दिल्ली		आनंद विहार, ब्रिजवासन, नई दिल्ली
6.	गोवा		गोवा
7.	गुजरात	आनंद, भावनगर ट्रमिनस, भुज, जूनागढ़, नादियाड, सोमनाथ	अहमदाबाद, पोरबंदर, सूरत
8.	हरियाणा	हिसार, पानीपत, रोहतक, सोनीपत	अंबाला कैंट
9.	जम्मू और कश्मीर	कटरा, श्रीनगर, उधमपुर	जम्मू
10.	झारखंड	देवघर (वैद्यनाथधाम), धनबाद जं., टाटानगर	
11.	कर्नाटक	अरसीकेरे, बंगारपेट, बेल्लारी, दावनगीर, गुलबर्ग, शीमोगा टाऊन, तुमकुर, यशवंतपुर	व्यापनहल्ली, बेंगलोर सिटी मंगलोर
12.	केरल	कसारगुड, मावेलिकरा, तिरूवनंतपुरम	एर्नाकुलम, कोझीकोड (कालीकट), तिरूवनंतपुरम
13.	मध्य प्रदेश	छिदंवाड़ा, नीमच, रतलाम, रीवा, सांची उज्जैन	भोपाल, हबीबगंज
14.	महाराष्ट्र	हजूर साहिब नांदेड, लोकमान्य तिलक ट्रमिनस (कुर्ला), मिरज, नासिक रोड, शेगांव, वासी रोड, वर्धा	सीएसटी मुंबई, नागपुर, पुणे, थोणे
15.	नागालैंड	दीमापुर	
16.	ओडिसा	भुवनेश्वर, बालासोर, ब्रह्मपुर, कटक, झारसुगडा, रायगडा, सम्बलपुर	भुवनेश्वर, पुरी
17.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, लुधियाना, पटियाला	अमृतसर, लुधियाना
18.	राजस्थान	आबू रोड, अजमेर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सीकर	अजमेर जं., जयपुर, कोटा
19.	तमिलनाडु	ईरोड, नगरकोइल जं., सेलम, तिरूची फोर्ट, तिरूत्तनी	चेन्नई सैंट्रल

1	2	3	4
20.	त्रिपुरा	अगरतला	
21.	उत्तर प्रदेश	अमेठी, आजमगढ, बरेली, गोरखपुर जं., झांसी, झुसी, ओरई, राजा-की-मंडी, वाराणसी	आगरा कैंट, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर सैंट्रल, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी
22.	उत्तराखंड	देहरादून, रामनगर	
23.	पश्चिम बंगाल	अनारा, आसनसोल, बालूरघाट, बांकुरा, बरकपुर, बोलपुर, धकुरिया, डायमंड, हार्बर, दुर्गापुर, झारग्राम, कल्याणी, कंचरापाड़ा, कृष्णानगर सिटी, मदारहाट, मझेरहाट, मालदा टाउन, मिदीनापुर, मुर्शीदाबाद, नबाद्वधाम, नयीहट्टी, न्यू फरक्का, न्यू माल जं., पुरूलिया, सियुरी, ठाकुर नगर	बोलपुर, कोलकाता, हावड़ा खड़गपुर, माजेरहाट, न्यू जलाईगुडी, सियालदह
24.	संघ प्रदेश	चंडीगढ़	चंडीगढ़

रेल डिब्बे/रेल संरक्षा

1967. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि रेल संरक्षा संवृद्धि प्रक्रिया के आधुनिकीकरण में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने पुराने रेल डिब्बे/वैगनों के स्थान पर नए डिब्बे/वैगन समय पर लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पुराने रेल डिब्बों/वैगनों के स्थान पर कितने नए रेल डिब्बे लगाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। रेलवे संरक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए सतत् आधार पर हर संभव कदम उठाए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपतियों का समय पर बदलाव तथा रेलपथ, चल स्टोंक, सिगनल प्रणाली और इंटरलोंकिंग प्रणालियों आदि के अपग्रेडेशन एवं अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल हैं। रेल परिसंपतियों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) जी हां। रेलवे आयु एवं दशा के आधार पर गतायु सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटा रही है और अपेक्षित किस्म के सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों को सेवा में शामिल कर रही है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, भारतीय रेलों पर बड़ी लाइन के गतायु 2562 बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों और 7911 बड़ी लाइन के माल डिब्बों को सेवा से हटाया है और 8195 नए सवारी डिब्बों और 37417 नए माल डिब्बों को सेवा में शामिल किया गया है। इस अवधि के दौरान, 587 गतायु ईएमयू सवारी डिब्बों को नकारा घोषित करके उनके स्थान पर नए सवारी डिब्बें शामिल किए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें

1968. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य में उच्चतम न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ स्थापित करने हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड और प्रावधान क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक उच्चतम न्यायालय की स्थापित की गई सर्किट न्यायपीठों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक विचाराधीन अथवा लंबित प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गांधीनगर और कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की सर्किट उच्चतम न्यायालय न्यायपीठ स्थापित करने हेतु कोई विशेष प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ये न्यायपीठें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) संविधान का अनुच्छेद 130 यह नियत करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या अन्य स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।

(ख) अब तक उच्चतम न्यायालय की कोई सर्किट न्यायपीठ स्थापित नहीं की गई है।

(ग) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ गांधीनगर और कोलकाता में स्थापित करने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से रेलवे विनिर्माण परियोजनाएं

1969. श्री आर. के. सिंह पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेल और दक्षिण पूर्व रेल में सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से अनेक रेल विनिर्माण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक आवंटित/व्यय निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक उत्पादन/प्रचालन आरम्भ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) पूर्व रेलवे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी माडल के अंतर्गत केवल एक चालू रेलवे विनिर्माण योजना है;

(ख) आबंटित निधियों के साथ परियोजना का ब्यौरा और इस पर अब तक किया गया व्यय नीचे दिए अनुसार है:

क्र.सं.	रेलवे	परियोजना का विवरण	प्रत्याशित लागत	2011-12 के दौरान आबंटित धन	मई, 2011 तक का व्यय
1.	पूर्व	कांचरापाड़ा-रेल सवारी डिब्बा निर्माण इकाई	860.16	1.22	5.06

(ग) ठेकें दिए जाने के पश्चात् परियोजना 3 वर्षों में स्थापित कर दी जाएगी।

अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति

1970. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **अल्पसंख्यक मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य विशेषकर पश्चिम बंगाल में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मुसलमानों सहित अन्य अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करवाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं हेतु आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच.पाला): जी हां।

(ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अल्पसंख्यकों, जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, से संबंधित कोई सर्वेक्षण नहीं कराया जाता। तथापि, सरकार ने मई, 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित पद्धति एवं कार्यान्वयन संबंधी तौर-तरीकों को स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा आदेश दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की प्रस्तावित गणना का कार्य दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण कर लिया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित किया है कि जनगणना कार्य के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गयी है, जिसमें धर्म आधारित सूचना/आंकड़ा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। योजना आयोग द्वारा जून, 2011 में विशेषज्ञ दल की अंतरिम रिपोर्ट शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान करने संबंधी विस्तृत पद्धति की अनुशंसा करने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजी गयी है। विशेषज्ञ दल के प्रारूप प्रश्नावली में अल्पसंख्यकों के धर्म से संबंधित एक कॉलम है।

(ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा उन व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं आय सृजक कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है, जो दूनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों, निगम द्वारा साविध संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। निगम द्वारा स्वसहायता समूह के सदस्यों को लघु ऋण भी गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। एनएमडीएमसी द्वारा शैक्षिक ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है तथा संवर्धनात्मक स्कीमों जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण विपणन सहायता गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान संवितरित एवं लघु ऋण के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) एनएमडीएफसी की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली इसकी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां संबद्ध राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती हैं, जिन पर राज्य सरकारों द्वारा विशेष तौर पर इसलिए निगरानी रखी जाती है क्योंकि राज्य सरकारें एनएमडीएफसी की इक्विटी शेयर पंजी में अंशदान करती है। एनएमडीएफसी को योजनाओं के तहत वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण केन्द्र सरकार और एनएमडीएफसी के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में किया गया होता है तथा कम्पनी की उपलब्धियों की प्रगति पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा तिमाही समीक्षा बैठकों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।

विवरण

(31.7.2011अद्यतन) धनराशि (लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008.09		2009.10		2010.11		2011.12	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	47.25	637	45.00	704	0.00	0		
2.	असम	0.00	0	12.42	230	200.00	2500		
3.	बिहार	904.50	3357	4.50	60	793.50	1854		
4.	चंडीगढ़	2.00	4	6.00	14	4.00	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	100.00	222	100.00	222		
6.	दिल्ली	17.00	34	45.25	158	17.00	38		
7.	गुजरात	300.00	1009	314.33	957	0.00	0		
8.	हिमाचल प्रदेश	75.00	202	230.00	511	115.00	255	70.00	108
9.	हरियाणा	359.00	777	1,076.00	5474	0.00	0		
10.	जम्मू और कश्मीर	420.00	1641	560.00	2272	1,083.00	2920	300.00	663
11.	झारखंड	110.00	447	0.00	0	0.00	0		
12.	केरल	4,229.50	14729	5,183.50	31010	6,079.91	42200	2,000.00	6290
13.	कर्नाटक	450.00	1426	350.00	1600	0.00	0		
14.	महाराष्ट्र	500.00	1000	500.00	1111	1,040.00	2311		
15.	मणिपुर	1.80	20	0.00	0	0.00	0		
16.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
17.	मेघालय								
18.	मिजोरम	300.00	910	309.81	790	129.00	287		
19.	नागालैंड	500.00	1836	1,170.00	3114	451.00	2029	100.00	154
20.	उड़ीसा	27.00	382	38.25	553	0.00	0		
21.	पुडुचेरी	100.00	303	200.00	1061	200.00	443		
22.	पंजाब	400.00	1628	469.64	1044	961.13	2135		
23.	राजस्थान	100.00	205	302.25	692	700.00	1555		
24.	तमिलनाडु	965.25	8039	2,134.55	16439	3,220.00	31823		
25.	त्रिपुरा	50.00	206	96.00	213	100.00	222	50.00	77
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	5.40	24		
27.	उत्तरांचल	0.00	0	20.00	45	0.00	0		
28.	पश्चिम बंगाल	3,214.49	12406	6,606.75	36320	8,128.00	67683	1,000.00	1538
	योग	**13,072.79**	**51198**	**19,774.25**	**104594**	**23,326.94**	**158510**	**3,520.00**	**8830**

[अनुवाद]

तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात

1971. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में नाइजीरिया से और अधिक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैस का किस प्रकार से उपयोग किया जाना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) भारत की परिशोधन क्षमता 185 मिलियन मिट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की वर्तमान क्षमता से बढ़कर 2012-13 तक लगभग 240 एमएमटीपीए हो जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की मांग भी आगामी वर्षों में पर्याप्त रूप से बढ़ने की संभावना है। इस समय कच्चा तेल और एलएनजी का आयात नाइजीरिया से भी किया जा रहा है। भारत ने कच्चे तेल और एलएनजी की अतिरिक्त मांग के एक भाग को नाइजीरिया से प्राप्त करने में अपनी रुचि व्यक्त की है।

(ग) देश में प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, विभिन्न ग्राहकों को पुनर्गेसीकृत एलएनजी (आरएलएनजी) की आपूर्ति की जाएगी।

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत निधियों का आवंटन

1972. **श्री नीरज शेखर:**
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री मधु कोडा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री जगदीश ठाकोर:
श्री संजय निरूपम:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु चिन्हित किए गए अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यक्रम, निर्धारित निधियों, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा नई जनगणना परिणामों के मद्देनजर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक जिलों के चयन हेतु 25 प्रतिशत जनसंख्या मानदंड को कम कर 15 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितने जिलों को अल्पसंख्यक जिलों के रूप में शामिल किए जाने की संभावना है;

(च) क्या उक्त कार्यक्रम का धीमी गति से कार्यान्वयन हो रहा है;

(छ) यदि हां, तो कार्यक्रम के धीमी गति से कार्यान्वयन के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत आकलन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के कार्यान्वयन के लिए अभिनिर्धारित 90 जिलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) एमएसडीपी के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान किए जा रहे विभिन्न कार्यों हेतु आवंटित और उपयोग में लायी गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) जी, नहीं। एमएसडीपी के तहत शुरू किए गए कार्य मुख्यत: निर्माण कार्य से जुड़े है, जिन्हें पूरा होने में अधिक समय लगता है। मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्यान्वयन की प्रगति की लगातार समीक्षा कर रहा है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	जिले
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	1.	खीरी
		2.	बाराबंकी
		3.	बरेली
		4.	बागपत
		5.	बिजनौर
		6.	मुजफ्फरनगर
		7.	ज्योतिबा फूले नगर
		8.	सिद्धार्थ नगर
		9.	शाहजहांपुर
		10.	बुलंदशहर
		11.	रामपुर
		12.	सहारनपुर
		13.	बलरामपुर
		14.	गाजियाबाद
		15.	बहराइच
		16.	बदायूं
		17.	मुरादाबाद
		18.	लखनऊ
		19.	पीलीभीत
		20.	श्रावस्ती
		21.	मेरठ
2.	पश्चिमी बंगाल	22.	मालदा
		23.	बीरभूम
		24.	बर्द्धवान

1	2	3	4
		25.	मुर्शिदाबाद
		26.	नाडिया
		27.	हावड़ा
		28.	दक्षिण 24 परगना
		29.	कूच बिहार
		30.	उत्तर 24 परगना
		31.	कलकत्ता
		32.	दक्षिण दिनाजपुर
		33.	उत्तर दिनाजपुर
3.	हरियाणा	34.	मेवात
		35.	सिरसा
4.	असम	36.	बरपेटा
		37.	कामरूप
		38.	दारंग
		39.	बोगायीगांव
		40.	गोलपाड़ा
		41.	धुबरी
		42.	मेरीगांव
		43.	नगांव
		44.	करीमगंज
		45.	कछार
		46.	हैलाकांडी
		47.	नोर्थ कछार हील्स
		48.	कोकराझार
5.	मणिपुर	49.	सेनापति
		50.	उखरूल

1	2	3	4
		51.	चूरा चांदपुर
		52.	थौबाल
		53.	चंदेल
		54.	तमेंगलांग
6.	बिहार	55.	कटिहार
		56.	अररिया
		57.	दरभंगा
		58.	किशनगंज
		59.	पुर्णिया
		60.	सीतामढ़ी
		61.	पश्चिम चम्पारन
7.	मेघालय	62.	पश्चिम गारो हील्स
8.	अंडमान और निकोबार	63.	निकोबार
9.	झारखंड	64.	पकौर
		65.	साहिबगंज
		66.	रांची
		67.	गुमला
10.	उड़ीसा	68.	गजापति
11.	मध्य प्रदेश	69.	भोपाल
12.	केरल	70	वेयनाद
13.	कर्नाटक	71.	गुलबर्ग
		72.	बिदर
14.	महाराष्ट्र	73.	परभनी
		74.	हिंगोली
		75.	वासीम
		76.	बुलदाना

1	2	3	4
15.	मिजोरम	77.	लॉगंटलायी
		78.	ममीत
16.	सिक्किम	79.	नोर्थ सिक्किम
17.	दिल्ली	80.	नोर्थ ईस्ट
18.	जम्मू और कश्मीर	81.	लेह (लद्दाख)
19.	उत्तराखंड	82.	हरिद्वार
20.	अरूणाचल प्रदेश	84.	ईस्ट कमांग
		85.	लेवर सुबंसरी
		86.	चांगलोंग
		87.	तिरप
		88.	तवांग
		89.	पश्चिम कमांग
		90.	पपूम पारे

विवरण II

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित/निर्धारित धनराशि	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		
			केन्द्र द्वारा जारी द्वारा उपयोग में लायी गयी	राज्य/संघ राज्य	केन्द्र द्वारा जारी राज्य द्वारा उपयोग में लायी गयी	राज्य/संघ स्वीकृत/जारी	केन्द्र द्वारा राज्य द्वारा 31.7 2011 तक उपयोग में लायी गयी	राज्य/संघ स्वीकृत/ जारी	केन्द्र द्वारा द्वारा 31.7.2011 तक उपयोग में लायी गयी	राज्य/संघ राज्य	किए जा रहे विभिन्न कार्यों का विवरण
		I	I	III	V	VI	VIII	IX			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	उत्तर प्रदेश	101570.00	12442.11	12393.39	29436.33	14965.1	21106.29	12.00	1437.16		इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, पेय जल आपूर्ति अतिरिक्त कक्षा, पोलीटेक्नीक, इंटर कॉलेज, आईटीआई, हाई स्कूल में पेय जल आपूर्ति एवं शौचालय

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	पश्चिम बंगाल	68610.00	4327.59	4311.09	23539.13	16910.52	23105.55	1252.47			इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, पेय जल आपूर्ति, अतिरिक्त कक्षा, छात्रावास, आईटीआई, पोलीटेक्नीक, स्कूल भवन
3.	हरियाणा	4920.00	1401.23	951.55	460.45	450.45	1186.17	600			इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, पेय जल आपूर्ति, अतिरिक्त कक्षा, छात्रावास, आईटीआई, पोलीटेक्नीक, स्कूल भवन छात्रावास
4.	असम	70350.00	4226.65	4226.65	15192.08	9623.95	9611.71		0.84		इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र पेय जल आपूर्ति, अतिरिक्त कक्षा, स्कूल भवन, छात्रावास
5.	मणिपुर	13910.00	3011.78	3011.75	6004.25	2701.18	371.25	137.61			इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, पेय जल आपूर्ति, स्कूल भवन, समन्वित वाटर सेड विकास कार्यक्रम, छात्रावास, आईटीआई
6.	बिहार	52320.00	1675.20	536.91	10503.92	5793.58	12250.15	539.86			इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, पेय जल, आपूर्ति, स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्षा, प्रयोगशाला उपकरण, छात्रावास, सौर लालटेन/सोलर स्ट्रीट लाइट
7.	मेघालय	3050.00			1066.82	798.17	1519.83				इंदिरा आवास योजना, पेय जल, आपूर्ति, सकूल भवन, अतिरिक्त कक्षा, प्रयोगशाला उपकरण, छात्रावास, सौर लालटेन/सोलर स्ट्रीट लाइट
8.	अंडमान और निकोबार	1500.00			1.04		621.71				आंगनवाड़ी केन्द्र, आधुनिक शिक्षण सहायता, आईटीआई
9.	झारखंड	18140.00			4429.83	4168.38	5533.46	2328.46	150.00		इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त कक्षा, सोलर स्टीट लाइट, छात्रावास, आईटीआई
10.	उड़ीसा	3130.00			1041.24	1026.92	1517.24	751.35			इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त कक्षा, आईटीआई,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	केरल	1500.00			76.5	52	641.63				स्वास्थ्य केन्द्र, प्रयोगशाला सुविधा सहित अतिरिक्त कक्षा, पेय जल आपूर्ति
12.	कर्नाटक	3990.00			580.18	507.76	2129.39	126.84			इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त कक्षा, छात्रावास
13.	महाराष्ट्र	6000.00			2227.11	1536.47	2953.59				इंदिरा आवास योजना, आंगनवाड़ी केन्द्र
14.	मिजोरम	4590.00			403.04	403.04	1456.78				इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त कक्षा, छात्रावास,
15.	जम्मू और कश्मीर	1500.00			599.58	446.02					आंगनवाड़ी केन्द्र पेय जल आपूर्ति, अतिरिक्त कक्षा, आईटीआई
16.	उत्तराखण्ड	5950.00			811.85	609.30	2229.65				स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, पेय जल आपूर्ति, अतिरिक्त कक्षा, इंटर कॉलेज
17.	मध्य प्रदेश	1500.00			645.6	645.60	752.7	263.75			इंदिरा आवास योजना, आंगनवाड़ी केन्द्र छात्रावास
18.	दिल्ली	2210.00			155		48.75				अतिरिक्त कक्षा, पेय जल आपूर्ति,
19.	सिक्किम	1500.00					568.88				स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त कक्षा, स्कूल भवन
20.	अरूणाचल प्रदेश	11800.00					4319.50	845.76			इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त कक्षा, स्कूल भवन
	सकल योग	378040.00	27084.56	25431.34	97193.95	60638.44	91924.23	6858.10	1588.00		

स्वास्थ्य क्षेत्र में समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र, वार्ड हेल्थ युनिट, प्रसूति कक्ष तथा महिला वार्ड शामिल है।

मनरेगा के अंतर्गत कार्यों को स्थगित करना

1973. श्री मोहम्मद असरारूल हक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य रोक दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस योजना को पुन: आरम्भ करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

1974. श्री भरत राम मेघवाल:
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **पेयजल और स्वच्छता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए जनसंख्या मुख्य मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मानदंडों के कारण छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल सुदूरवर्ती क्षेत्र अलाभ की स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों के आवंटन हेतु निर्धारित मानदंडों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ये परिवर्तन कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों को निधियों के आबंटन के मानदंड इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	मानदंड	वेटेज (प्रतिशत में)
(i)	ग्रामीण आबादी	40
(ii)	ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी	10
(iii)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में विशेष श्रेणी वाले पर्वतीय राज्य	40
(iv)	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं प्रबंधित करने वाली ग्रामीण आबादी	10
	कुल	100

आबादी राज्यों के लिए आबंटन निर्धारित करने के मानदंडों में से एक है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। एनआरडीडब्ल्यूपी के पूर्ववर्ती आबंटन मानदंड में ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वेटेज नहीं दिया गया था। तथापि, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत संशोधित आबंटन मानदंड में, दिनांक 25.02.2010 से ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 10 प्रतिशत वेटेज दिया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ जैसे राज्य निधियों के आबंटन में उपेक्षित नहीं हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल परियोजनाएं

1975. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रनाहिता-छेवेला और पोलावरम परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने क्रमश: जुलाई, 2010 ओर अप्रैल, 2009 में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रनाहिता-छेवेला सुजल स्रावंती परियोजना और इन्दिरा सागर पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं संबंधी स्कीम में शामिल करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

(ग) इन्दिरा सागर पोलावरम परियोजना के प्रस्ताव हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी), राष्ट्रीय परियोजना संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति और अंत में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति लेनी होगी।

राज्य सरकार से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर प्रनाहिता-छेवेला सुजला स्रावंती परियोजना को योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय परियोजना संबंधी स्कीम में शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

किसी नई परियोजना को सहायता हेतु पात्रता एवं निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद और तत्पश्चात केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया जाता है।

[हिन्दी]

बांधों का निर्माण

1976. श्री दारा सिंह चौहान:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित यमुना नदी पर निर्माणाधीन बांधों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्य आरम्भ होने का वर्ष और बांध-वार इन बांधों का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) इन पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है;

(घ) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच.पाला): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विनियामक प्रक्रिया में सहवर्तिता और पारदर्शिता

1977. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र से संबंधित विनियामक प्रक्रिया में सहवर्तिता और पारदर्शिता लाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विनियामक प्रक्रिया मेल क्षेत्र विनियमन और विकास (ओआरडी) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के अनुसार अभिशासित होती है। इस अधिनियम और नियमावली में पेट्रोलियम प्रचालनों के विनियमन और अन्वेषण तथा पेट्रोलियम कार्यकलापों के विकास के लिए पारदर्शी ढंग से लाइसेंस और पट्टे प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। नई अन्वेषण नीति (एनईएलपी) के तहत तेल और गैस के लिए ब्लाक और सीबीएम नीति के तहत कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के लिए ब्लाक एक पारदर्शी अतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे।

(i) एनईएलपी अथवा सीबीएम दौर शुरू करने से पहले बोली प्राचलों में सुधार करने के लिए सुझाव आमंत्रित करने हेतु निवेशक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(ii) बोली से पहले ही बोली प्राचलों को अंतिम रूप दिया जाता है और इन्हे पहले ही सभी बोलीदाताओं को उपलब्धत करवा दिया जाता है और प्राप्त बोलियां बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाती हैं।

(ii) अन्वेषण संविदाओं की प्रचालकों द्वारा सरकार के साथ निष्पादित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं तथा अन्य संबंधित नीतियों/दिशा-निर्देशों, जो पब्लिक डोमेन में हैं, के आधार पर निगरानी रखी जाती है।

नये गैस कनैक्शन

1978. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं को नये गैस कनैक्शन देने से इन्कार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैस एजेंसियां नए गैस कनैक्शन देते समय ग्राहकों को अनिवार्य रूप से नया गैस चूल्हा खरीदने के लिए बाध्य करती है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) लगातार नए एलपीजी ग्राहकों का नामांकन करती रहती हैं और मांग के अनुसार नए एलपीजी कनेक्शन जारी करती हैं, बशर्ते आवेदक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन क्षेत्र में रहा हो तथा विधिवत् सत्यापन के बाद नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए वह अपेक्षित प्रलेखन पूरा करता हो।

(ग) और (घ) ग्राहकों पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि वे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों से किसी ब्रांड का एलपीजी चूल्हा या कोई अन्य मद की खरीद करें। ग्राहको को यह छूट है कि वे अपनी पसंद के किसी स्रोत से एलपीजी चूल्हा खरीद सकते हैं।

इस संबंध में प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देकर ग्राहकों को इसकी सूचना दी जा रही है, इसके अलावा उक्त संदेश को एलपीजी रीफिल कैश मेमो के साथ-साथ भावी ग्राहकों को भेजने जाने वाले सूचना पत्रों पर भी मुद्रित कराया जाता है। इस आशय की एक सूचना डिस्ट्रीब्यूटर के शोरुम पर भी प्रदर्शित की जाती है।

(ङ) सरकार ने विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी) तैयार किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भावी ग्राहक को गैस के चूल्हे की जबरदस्ती बिक्री पर डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की व्यवस्था है:

- प्रथम अपराध के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना तथा ऐसे प्रति ग्राहक की दर से 2000 रुपए की वसूली जिन्हें जबरदस्ती गैस का चूल्हा बेचा गया है।
- दूसरे अपराध के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना तथा ऐसे प्रति ग्राहक की दर से 2000 रुपए की वसूली जिन्हें जबरदस्ती गैस का चूल्हा बेचा गया है।
- तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

जब कभी ओएमसीज को नए नामांकित या प्रतीक्षा सूचीबद्ध ग्राहकों को जबरदस्ती स्टोव/गैस के चूल्हे की बिक्री की शिकायतें प्राप्त होती हैं, इनकी जांच की जाती है। यदि शिकायत सिद्ध होती है, तो एमडीजी के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार चूक करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

फास्टट्रैक न्यायालय और वीडियो कान्फ्रेंसिंग

1979. श्री वैजयंत पांडा:
श्री पी. के. बिजू:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार कुल कितने फास्ट ट्रैक न्यायालय चल रहे हैं;

(ख) फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्यवार कुल कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) देश में लंबित मामलों के बैकलॉग को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की क्या स्थिति है; और

(घ) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयों में मामलों के निपटान के लिए क्या कार्य योजना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) मार्च, 2011 तक उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्यों में कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना और उनके प्रचालन के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने दीर्घकाल से लंबित सेशन और अन्य मामलों के निपटान के लिए देश में 1734 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) के सृजन के लिए के लिए एक स्कीम की सिफारिश की थी। सरकार ने 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों के बने रहने के लिए जो 31.03.2005 तक कार्यरत थे पांच वर्ष की

एक और अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक उसके अनुमोदन को सहमति प्रदान की थी। यह स्कीम एक वर्ष की और अवधि अर्थात् 31.03.2011 तक के लिए और विस्तारित की गई थी। यह विनिश्चय किया गया था कि 31.03.2011 से आगे त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए कोई केन्द्रीय वित्तपोषण नहीं होगा।

उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार, त्वरित निपटान न्यायालयों को अंतरित किए गए 38.90 लाख मामलों का निपटारा किया गया था और मार्च, 2011 तक त्वरित निपटान न्यायालयों में 6.56 लाख मामले लंबित थे।

(घ) सरकार को ऐसी कोई योजना नहीं है।

विवरण I

त्वरित निपटान न्यायालयों की प्रास्थिति (मार्च, 2011)

क्र.सं	राज्य	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	आरंभ के समय से अंतरित कुल मामले	आरंभ के समय से निपटाए गए कुल मामले	लंबित मामलों की संख्या	यथाविद्यमान
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	108	236928	199953	36975	मार्च, 11
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	4162	1660	2502	मार्च, 11
3.	असम	20	72191	55811	16380	मार्च, 11
4.	बिहार	179	239278	159105	80173	मार्च, 11
5.	छत्तीसगढ़	25	94670	76575	18095	मार्च, 11
6.	गुजरात	61	536163	428941	107222	दिसंबर 10
7.	गोवा	3	5208	4114	1094	अगस्त 07
8.	हरियाणा	6	38359	33590	4769	दिसंबर, 10
9.	हिमाचल प्रदेश	9	40126	33427	6699	मार्च, 11
10.	झारखंड	39	110027	87789	22238	मार्च, 11
11.	कर्नाटक	87	218402	184067	34335	अगस्त, 10
12.	केरल	38	109160	95367	13793	मार्च, 11
13.	मध्य प्रदेश	84	348213	298571	49642	सितंबर, 10
14.	महाराष्ट्र	67	438435	377421	61014	दिसंबर, 10
15.	मणिपुर	2	3059	2861	198	मार्च, 11
16.	मेघालय	3	1031	843	188	मार्च, 11
17.	मिजोरम	3	1868	1635	233	मार्च, 11
18.	नागालैंड	2	845	716	129	मार्च, 11

1	2	3	4	5	6	7
19.	उड़ीसा	35	66199	60441	5758	मार्च, 11
20.	पंजाब	15	58570	46347	12223	दिसंबर, 10
21.	राजस्थान	83	140304	112685	27619	जून, 10
22.	तमिलनाडु	49	411957	371336	40621	दिसंबर, 08
23.	त्रिपुरा	3	5812	5591	221	मार्च, 11
24.	उत्तराखण्ड	20	98797	89791	9006	मार्च, 11
25.	उत्तर प्रदेश	229	467818	394639	73179	अगस्त, 10
26.	पश्चिम बंगाल	108	142940	111202	31738	दिसंबर, 10
	कुल	1281	3890522	3234478	656044	

विवरण-I

2000-01 से 2010-11 तक त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान

(रुपए लाख में)

क्र.स.	राज्य का नाम	न्याय विभाग द्वारा जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान							
		2000-01 से 2004-05 तक जारी*	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	2250.00	550.50	412.80	412.80	142.40	–	1096.00	4864.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	52.69	19.20	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	143.89
3.	असम	530.10	128.00	96.00	96.00	91.20	96.00	96.00	1133.30
4.	बिहार	4766.40	960.30	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	9326.70
5.	छत्तीसगढ़	791.10	198.40	129.60	129.60	148.80	148.80	129.60	1675.90
6.	गोवा	125.10	32.00	24.00	24.00	19.20	14.40	24.00	262.70
7.	गुजरात	3226.68	1062.80	1355.90	571.20	580.80	–	777.60	7574.98
8.	हरियाणा	422.31	102.40	33.60	67.20	38.40	76.80	67.20	807.90
9.	हिमाचल प्रदेश	108.59	57.60	43.57	0	38.40	43.20	43.20	334.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर	300.60	–	–	–	–	–	–	300.60
11.	झारखंड	2319.30	569.80	226.00	190.17	249.60	196.80	192.00	3943.67
12.	कर्नाटक	2431.80	595.40	610.80	230.40	182.40	446.40	441.60	4938.80
13.	केरल	815.25	198.40	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	1757.65
14.	मध्य प्रदेश	2223.90	422.50	215.40	259.80	312.00	316.80	316.80	4067.20
15.	महाराष्ट्र	4352.40	1197.20	1101.60	782.40	417.60	412.80	537.60	8801.60
16.	मणिपुर	90.00	12.80	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	150.80
17.	मेघालय	90.00	19.20	14.40	0	26.80	–	28.80	181.20
18.	मिजोरम	90.00	19.20	17.68	14.40	14.40	14.40	14.40	184.48
19.	नागालैंड	54.90	12.80	18.18	9.60	9.60	9.60	9.60	124.28
20.	उड़ीसा	1866.60	262.40	196.80	158.40	158.40	168.00	168.00	2978.60
21.	पंजाब	746.10	115.20	48.00	51.20	0	163.20	81.60	1205.30
22.	राजस्थान	2238.05	531.40	753.64	398.40	398.40	398.40	398.40	5116.69
23.	सिक्किम	29.70	–	–	–	–	–	–	29.70
24.	तमिलनाडु	1151.90	313.70	235.20	235.20	0	470.40	235.20	2641.60
25.	त्रिपुरा	73.80	19.20	3.80	0	0	11.56	0	108.36
26.	उत्तर प्रदेश	6319.80	288.00	3075.69	495.52	1161.60	1161.6 0	1094.40	13596.61
27.	उत्तराखण्ड	1173.60	1549.80	216.00	129.60	0	–	99.62	3168.62
28.	पश्चिम बंगाल	3972.60	761.80	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	7590.40
	कुल	42613.27	10000.00	70292,66	5719.89	5456.00	5613.16	7315.62	87010.60

*वित्त मंत्रालय द्वारा 2000-01 से 2004-05 तक राज्यों को जारी किए गए अनुदान।

[हिन्दी]

पाइपलाइन द्वारा एलपीजी की आपूर्ति

1980. श्री प्रेमदास: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी मेगा शहरों में एलपीजी के माध्यम से एलपीजी आपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा विहित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी नहीं। देश के सभी बड़े शहरों में पाइपलाइन द्वारा एलपीजी की आपूर्ति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद

1981. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानें अपने उत्पादों को बेचने में समस्या का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इन औद्योगिक इकाइयों को बंद होने से बचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (घ) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा ली गई समीक्षा बैठकों के दौरान कुछ खादी व ग्रामोद्योग संस्थानों ने बताया है कि बिक्री केन्द्रों के पुराने होने और साथ ही उपलब्ध वस्तुओं के वर्तमान बाजार मांग के अनुरूप न होने की वजह से उनके केन्द्र वांछित स्तर तक ग्राहकों को आकृष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार ने केवीआईसी के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में और सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं (1) 'विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना के सशक्तीकरण और विपणन तंत्र हेतु सहायता' नामक एक योजना का आरंभ, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, संस्थानों, केवीआईसी या राज्य/संघ शासित प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों के स्वामित्व वाले खादी बिक्री केन्द्रों के पुनरुद्धार का प्रावधान है। (2) गुणवत्ता, डिजाइन और पैकेजिंग में सुधार के द्वारा खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों की विपणन क्षमता में सुधार के लिए 'उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) नामक एक परियोजना आधारित योजना का कार्यान्वयन और (3) 2009-10 से तीन वर्षों की अवधि में 300 चुनिंदा खादी संस्थानों में एशियाई विकास बैंक कार्यक्रम' लागू करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, व्यावसायिक सहयोग के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एक विपणन संगठन की स्थापना के अलावा, महानगरों और राज्यों की राजधानियों में नए बिक्री केन्द्र खोलने और संस्थागत बिक्री कंद्रों के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण का प्रावधान है।

रेल डिब्बों में जैव शौचालय

1982. **चौधरी लाल सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे का प्रत्येक रेलगाड़ी के डिब्बे में जैव शौचालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि देशभर में रेलवे में हाथ से मैला ढोने को समाप्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को देश भर में कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे के परिवेश के लिए उपयुक्त टायलेट के डिजाइन विकसित करने की दृष्टि से गाड़ी के सवारी डिब्बों में बायो-टायलेट स्थापित किए गए हैं। भारतीय रेलवे के लगभग 130 सवारी डिब्बों में बायो-टायलेट स्थापित किए गए हैं और वे परीक्षाधीन है।

(ग) बायो-टायलेट सहित विभिन्न तकनीकियों के विकल्प ट्रायल के विभिन्न स्तरों पर हैं। इस समय दीर्घकालीन कार्य योजना को अंतिम रूप देना संभव नहीं है क्योंकि तकनीकी विकास चक्र अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण

1983. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कैट) में कितनी अपीलें हुई हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायाधिकरण के तहत राज्य-वार कितने मामलों का निपटान किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) दिनांक 20 मई, 2009 तक अपनी स्थापना के बाद से प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (कैट) को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णयों के विरुद्ध 36 अपीलें प्राप्त हुई हैं। प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल नई दिल्ली से कार्य करता है और बाहर इसका कोई खंडपीठ नहीं है।

(ख) प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल ने जुलाई, 2011 के अंत तक 24 अपीलों का निपटान किया है। इसके अतिरिक्त, कैट ने पहले के एकाधिकार प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग के 1825 मामलों, जो उसे अंतरित किए गए थे, में से 1426 मामलों का निपटान किया। इन निपटाए गए 1426 मामलों में से 114 मामलों को पुनरावलोकन आवेदनों के कारण पुनर्स्थापित किया गया है।

नई रेल लाइनों की स्थिति

1984. **श्री राजू शेट्टी:**
श्री के.पी. धनपालन:
डॉ. थोकचोम मैन्या:
श्री शरीफुद्दीन शारिक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल्हापुर-वैभववाडी (कोंकण रेलवे), थिरुनावाया-गुरुवापुर (केरल), जिरीबाम-इम्फाल (तुपुल) तथा काजीगुंड-उधमपुर लाइनों पर नई रेल लाइनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन लाइनों पर कार्यों को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए अब तक परियोजनावार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं/जारी की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ग) चालू वर्ष के दौरान, व्यय और परिव्यय सहित निम्नांकित चालू परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मार्च, 2011 तक व्यय	2011-12 के दौरान परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कोल्हापुर-वैभववाडी			कार्य को अभी स्वीकृत नहीं है।
2.	थिरूनावया-गुरूवयूर	11.30	6.66	14 वर्ष के विलंब के बाद केरल सरकार ने संरखण को स्वीकृति दे दी है। पहले आठ किमी. के लिए अपेक्षित भूमि का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।
3.	जीरिबाम-इंफाल (तुपुल)	395.19	100	जीरिबाम-तुपुल खंड पर मिट्टी, सुरंग, और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तुपुल-इंफाल (26.5 किमी.) के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने वाला है। आर्थिक तंगी और सुरक्षा समस्याओं के कारण प्रगति बाधित हुई है। परियोजना स्थलों पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ की एक बटालियन तैनात की जा रही है।

1	2	3	4	5
4.	काजीगुंड-उधमपुर	7129.00	1100	उधमपुर-कटरा (25 किमी.) का कार्य अग्रिम चरण में है और इसे 2012-13 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काजीगुंड-बनिहाल (17. 428 किमी.) खंड का कार्य प्रगति पर है और इसे 2012-13 तक पूरा करने की योजना है। कटरा-बनिहाल खंड पर कार्य प्रगति पर है और इसके वर्ष 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) रेलवे के पास संसाधनों की सीमित उपलब्धता सहित चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफारवर्ड है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं की प्रगति की जाती है। परियोजनाओं का शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकारों और अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्तपोषण जैसे गैर-बजटीय उपायों के जरिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। भूमि की उपलब्धता, सुरक्षा मामलों, वन्य विभाग की स्वीकृति के कारण होने वाले विलंब को कम करने के लिए राज्य/केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। संविदा प्रबंधन कुशलता लाने के लिए संविदा शर्तों में आशोधन किए गए हैं और फील्ड यूनिटों को अधिक शक्तियों प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

नई शताब्दी एक्सप्रेस

1985. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का दिल्ली-मुरादाबाद बरेली-शाहजहांपुर-लखनऊ रेल लाइन पर नई शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली-मुरादाबाद-बरेली-शाहजहांपुर-लखनऊ मार्ग पर नई शताब्दी एक्सप्रेस चलाना फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

रेलगाड़ी में विलम्ब की स्थिति में निःशुल्क भोजन

1986. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने राजधानी/शताब्दी रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने की स्थिति में यात्रियों को निःशुल्क भोजन तथा जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इस सुविधा को कतिपय अन्य रेलगाड़ियों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। 27.05.2011 को हाल ही में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जब कभी भी राजधानी/शताब्दी/दूरांतो एक्सप्रेस गाड़ियां अपने निर्धारित समय से दो घंटे से अधिक विलंब से चलती हैं तो अपने सामान्य चालन के लिए मुहैया सेक्टरवार सर्विस सेवाओं पर ध्यान दिए बिना इन गाड़ियों के ऑन-बोर्ड पैसेंजरों के समय के अनुसार बिना किसी लागत के डिब्बाबंद पीने के पानी सहित भोजन मुहैया कराया जाएगा जोकि व्यावहारिक व्यवहार्यताओं के अध्ययधीन है।

(ग) और (घ) इस सुविधा को केवल इन सभी राजधानी/शताब्दी/दूरांतों एक्सप्रेस गाड़ियों में ही मुहैया कराया जाता है जहां टिकट किरायों में खानपान प्रभार शामिल हो।

स्वजलधारा योजना

1987. श्रीमती रमा देवी:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वजलधारा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वजलधारा योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया तथा पूरा किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में स्वजलधारा योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) स्वजलधारा समुदाय के नेतृत्व वाला भागीदारीपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है:

(i) समुदाय के पूर्ण स्वामित्व से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना;

(ii) स्वास्थ्य संबंधी बेहतर प्रक्रियाओं सहित पेयजल परियोजनाओं के प्रबंधन के संबंध में ग्रामीण समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना; तथा

(iii) वर्षाजल एकत्रीकरण के साथ-साथ जल संरक्षण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना।

(ख) वर्ष 2007-08 से स्वजलधारा योजना केन्द्र स्तर पर बंद कर दी गई है और उसके बाद से कोई परियोजना मंजूर नहीं हो गई। उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा स्वजलधारा योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाएं यदि कोई हो, के ब्यौरे राज्य स्तर पर रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाओं हेतु लिए गए अधिक मूल्यों की वसूली

1988. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने मूल्य नियंत्रण कानून के तहत दवाओं के अधिक मूल्य वसूले जाने के लिए 2328 करोड़ रुपए की वसूली करने हेतु भेषज कंपनियों को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त धनराशि की वसूली की क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भेषज कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही इस पद्धति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अगस्त, 1997 में अपनी स्थापना से 31 जुलाई, 2011 तक अधिप्रभार के मामलों का पता लगाए जाने के आधार पर 812 मामलों में मांग नोटिस जारी किए हैं जिनमें औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अधीन निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर दवाइयां बेचने के कारण 2357.24 करोड़ रुपए (ब्याज सहित अधिप्रभार) की रकम ग्रस्त है।

(ख) 2357.24 करोड़ रुपए की कुल रकम में से 31 जुलाई, 2011 तक 211.25 करोड़ रुपए की रकम वसूल हो चुकी है। 2145.99 करोड़ रुपए की शेष रकम में से 1936.14 करोड़ रुपए की रकम से संबंधित मामले अभियोजन के अधीन हैं और विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा 33.71 करोड़ रुपए की रकम विभिन्न राज्यों के कलेक्टरों के पास वसूली हेतु लंबित है। 176.14 करोड़ रुपये की रकम विभिन्न राज्यों के कलेक्टरों के पास वसूली हेतु लंबित है। 176.14 करोड़ रुपए की रकम से संबंधित मामलों में संबंधित औषधि कंपनियों के साथ कार्यवाही की जा रही है।

(ग) कई औषधि कंपनियों के बारे में यह पाया गया है कि वे उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य पर दवाइयां बेच रही हैं। इन मामलों में एनपीपीए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार इन कंपनियों के खिलाफ अधिप्रभार की वसूली

हेतु कार्यवाही करता है। अधिसूचित अधिकतम मूल्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनपीपीए उन फार्मूलेशनों के संबंध में परवर्ती बैचों के नियंत्रण नमूने तथा कंपनियों की मूल्य सूची मंगवाता है जिनके संबंध में कंपनियों के बारे में यह पाया गया हो कि उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया है। एनपीपीए कंपनियों द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूचियों की सतत आधार पर जांच भी करता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित फार्मूलेशन पैकों के अपनी ओर से नमूनों की खरीद करके बाजार निगरानी भी करता है ताकि एनपीपीए द्वारा निर्धारित तथा संशोधित मूल्यों का कोई उल्लंघन नहीं हो।

[हिन्दी]

सम्बल-गजरौला लाइन

1989. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हसनपुर बरास्ता सम्बल-गजरौला नई रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन को विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के कब आरंभ/पूर्ण हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) और (ख) सम्भल-गजरौला (हसनपुर के रास्ते) नई लाइन सर्वेक्षण 2008.09 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 42 किमी लंबी नई लाइन के निर्माण की लागत 175.16 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस परियोजना को स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि योजना आयोग ने इस परियोजना के लिए उचित वित्त पोषण और परिचालनिक व्यवस्था किए जाने के लिए रेलवे को वापस भेज दिया था। गजरौला-मैनपुरी (सम्भल के रास्ते) नई लाइन के लिए एक और सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 167 किमी लंबी नई लाइन के निर्माण की लागत 881.40 करोड़ रुपए आंकी गई है। फिलहाल यह परियोजना रिपोर्ट मंत्रालय में जांचाधीन है। इस परियोजना पर अगला निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के पूरा हो जाने के पश्चात् ही लिया जाएगा।

(ग) इस परियोजना को अभी स्वीकृत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मणिपुर में पृथक उच्च न्यायालय

1990. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर राज्य सरकार एक पृथक उच्च-न्यायालय बनाने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय से इम्फाल खण्डपीठ को अलग करने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) मणिपुर सरकार ने मणिपुर में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं सृजित की हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 का संशोधन एक पृथक उच्च न्यायालय की औपचारिक स्थापना और कार्यकरण के लिए अपेक्षित है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एमजीएनआरईजीएस के तहत स्मार्ट कार्ड

1991. श्री संजय धोत्रे:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीएस) के लाभार्थियों को मजदूरी भुगतान हेतु पूर्णरूप से एक स्मार्ट कार्ड आधारित इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) प्रणाली में परिवर्तन की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग विस्तार पटल (आउट पोस्ट) स्थापित किये जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बैंकों द्वारा अब तक कितने बैंकिंग विस्तार पटल स्थापित किए गए;

(च) क्या पहाड़ी और पहुंच से परे क्षेत्रों जहां डाकघर उपलब्ध नहीं हैं उन्हें योजना के तहत जोड़ा जाएगा; और

(छ) ईबीटी प्रणाली के तहत ये क्षेत्र कब तक लाभन्वित हो जायेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) कामगारों को बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से मजदूरी के संवितरण को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि मजदूरी का सही तरीके से संवितरण सुनिश्चित किया जा सके। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) में यह व्यवस्था है कि मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर अथवा अधिक से अधिक कार्य पूरा करने की तारीख से 15 दिन के भीतर किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे बिजनेस कोरेसपोंडेंट, ग्रामीण एटीएम, हस्तचालित उपकरण, स्मार्ट कार्ड, बायोमीट्रिक्स, मोबाइल बैंकिंग आदि जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित मॉडलों का उपयोग करें जिससे महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों को आसानी से मजदूरी का भुगतान किया जा सके।

(ग) से (छ) ग्रामीण क्षेत्रों तथा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में बैंकों को 2000 से अधिक आबादी वाली बसावटों (2001 की जनगणना के अनुसार) में मार्च, 2012 तक उपयुक्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की सलाह दी गई थी और इसके लिए उचित प्रौद्योगिकी बैक अप सहित बिजनेस कोरसापोंडेंट तथा अन्य मॉडल्स का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था। देश भर में लगभग 73000 ऐसी बसावटों का निर्धारण किया गया है और उन्हें मार्च, 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, निजी क्षेत्र बैंकों तथा सहकारी बैंकों को आबंटित किया गया है। बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार 29569 गांवों को कवर कर लिया गया है।

बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क

1992. **श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और बांग्लादेश के बीच प्रचालनाधीन रेल संपर्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का दोनों देशों के बीच रेल संपर्क को बहाल करने का प्रस्ताव है जिन्हें हपूर्व में बंद कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या रेलवे का गंगासागर बारास्ता बांग्लादेश में अखोरा का अगरतला के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही दोनों देशों के बीच वित्तीय भार/लागत सहभागिता का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच गेडे (भारत)-दरसाना (बांग्लादेश), पेट्रापोल (भारत)-बेनापोल (बांग्लादेश) और सिंहाबाद (भारत)-रोहणपुर (बांग्लादेश) रेल संपर्क परिचालन में है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जनवरी, 2010 में बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान भारत से अनुदान सहित एक नए अगरतला (भारत)-अखुरा (बांग्लादेश) रेल संपर्क निर्माण के लिए सहमति हुई थीं रेलवे बोर्ड (भारत) और बांग्लादेश सरकार ने गंगासागर स्टेशन होकर प्रस्तावित संरेखण गलियारे को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा तैयार विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट के अनुसार 15.064 किमी. के प्रस्तावित संरेखण की कुल दूरी में से 5.050 किमी. भारत में है और शेष 10.014 किमी. बांग्लादेश में है। भूमि की लागत सहित परियोजना की अनुमानित लागत 267.49 करोड़ रुपए हैं। संपूर्ण परियोजना की निर्माण की लागत को भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

पंजाब में हंसी बुटाना नहर

1993. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने हंसी बुटाना नहर पर दीवार खड़ी करने के कार्य को रोकने हेतु तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) पंजाब के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 03.07.2011 को माननीय प्रधान मंत्री को लिखे पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि हरियाणा का हंसी-बुटाना नहर के बायें तटबंध की बाहा ढलान पर लगभग 3.5 कि.मी. लंबी ठोस टो-वाल/सरेखन का निर्माण करने का विचार है जिससे बाढ़ के जल के प्रवाह में रुकावट होगी और पंजाब के सैंकड़ों गांव जलमग्न हो जाएंगे। उन्होंने सही स्थिति का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने तथा हरियाणा सरकार कोप्रस्तावित टो-वाल तथा अन्य उपायों के लिए इस एकतरफा कार्रवाई को करने से रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया क्योंकि इससे पंजाब राज्य में विकराल त्रासदी हो सकती है।

(ग) मामला, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है तथा पंजाब और हरियाणा ने इस मामले में अपने उत्तर/प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए हैं।

[हिन्दी]

खुर्जा जंक्शन पर आरक्षण/कोटा

1994. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जनप्रतिनिधियों से खुर्जा जंक्शन (उत्तर प्रदेश) में ब्रह्मपुत्र मेल तथा कालिदी एक्सप्रेस में रेल आरक्षण/कोटा बहाल किये जाने और 'ट्रेन एट ए ग्लांस' पुस्तिका में खुर्जा जंक्शन को शामिल किये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जंक्शन पर अनेक महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के ठहराव की मांग के संबंध में जनप्रतिनिधियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) से (घ) जी हां। ब्रह्मपुत्र मेल और कालिंदी एक्सप्रेस में खुर्जा जंक्शन पर आरक्षण सुविधा की बहाली करने के लिए दो संसद सदस्यों और विधान सभा के एक सदस्य सहित कुछ पत्र प्राप्त हुए थे।

इसी प्रकार, रेलगाड़ियां एक नजर में खुर्जा स्टेशन को शामिल करने और खुर्जा स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव देने के लिए माननीय संसद सदस्यों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) खुर्जा जंक्शन पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण पी आर एस सुविधा उपलब्ध है जहां खुर्जा के यात्री स्टेशनों के समूह के लिए उपलब्ध आरक्षण कोटा, जिसमें खुर्जा स्टेशन शामिल हैं, 14055/14056 ब्रह्मपुत्र मेल और 14723/14724 कालिंदी एक्सप्रेस में बर्थों को बुक करा सकते हैं।

खुर्जा जंक्शन पर अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव और रेलगाड़ियां एक नजर में खुर्जा जंक्शन को शामिल करने से संबंधित मांगों की जांच की गई है लेकिन फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

जसवंत सिंह आयोग

1995. प्रो. रामशंकर: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने हेतु जसवंत सिंह आयोग का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) वर्ष 1981 में, भारत सरकार ने,

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के गठन की मांग से उत्पन्न सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जसवंत सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग के निर्देश की शर्तो का, वर्ष 1983 में सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने के साधारण प्रश्न के सभी पहलुओं की और इस संबंध में अनुसरित किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदंड की समीक्षा करने और रिपोर्ट की उससे अपेक्षा करते हुए, विस्तार किया गया था।

आयोग ने, 30 अप्रैल, 1985 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायापीठ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा में और उसकी दो सर्किट न्यायापीठों की नैनीताल और देहरादून में स्थापना करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट, 20.04.1987 को राज्य सभा के तथा 21.04.1987 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी।

आयोग की सिफारिशें, 1986 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उनके विचारों और टीका टिप्पणियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श में कोई विनिर्दिष्ट या पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति से संप्रषित किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दो राज्यों में उत्तर प्रदेश के विभक्त होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले उत्तरांचल उच्च न्यायालय की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में चले गए है और अत: वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ के सृजन के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

जल संसाधन पर विश्व बैंक रिपोर्ट

1996. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में देश में जल संसाधन के क्षेत्र में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त उल्लिखित रिपोर्ट के अनुसार भूजल के अधिक दोहन के कारण जलापूर्ति पर्याप्त नहीं होगी;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने जल संसाधन क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(च) यदि हां, तो नाम तथा स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) विश्व बैंक ने "भारत में भूमि जल के अतिदोहन का समाधान करने के लिए व्यावहारिक कार्रवाई करने हेतु-गहरे कुएं एवं विवेकशीलता" नामक अध्ययन किया था और इसे वर्ष 2010 में प्रकाशित किया गया।

(ग) रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रदूषण और अतिदोहन किए जाने के कारण भूमि जल की गुणवत्ता और मात्रा में संबंध में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके मुख्य कारण निम्न सार्वजनिक जल आपूर्ति सेवा प्रदान करना, घटिया पंपों का इस्तेमाल, भूमि जल को जब-तब पंप करने में छूट और विद्युत सब्सिडी हैं। देश के अर्द्ध गंभीर, गंभीर अथवा अति-दोहन श्रेणियों में स्थित एक तिहाई ब्लाकों में स्थिति तेजी से बिगड़ी है।

(घ) वर्षा जल संचयन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और भूमि जल के विकास का विनियमन करने के लिए प्रारंभ किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

* भूमि जल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समुचित कानून बनाने के लिए मॉडल विधेयक परिचालित करना। आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि जल कानून का अधिनियम कर लिया है।
* वर्ष 2007-2010 के दौरान सात राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, जहां भूमि के नीचे कठोर चट्टानें हैं, में भूमि जल संसाधनों के संवर्धन के लिए "डगवेलों के

माध्यम से भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण'' संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन करना।

* राज्यों को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने की सलाह दी गई है। इसके अनुपालन में 18 राज्यों एवं 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्षा जल संचयन को भवन उप नियमों के अंतर्गत शामिल कर लिया है।

* भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए अतिदोहित 13 राज्यों के मुख्य सचिवों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा निदेश जारी किया जाना।

* सीजीडब्ल्यूए द्वारा देश में अतिदोहित और गंभीर क्षेत्रों (जल जमाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर) के अंतर्गत आने वाले सभी रिहायशी सामूहिक आवासीय सोसाइटियों/संस्थाओं/विद्यालयों/होटलों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसरों में छत के वर्षा जल संचयन की प्रणालियों को अपनाने हेतु सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्देश जारी करना।

* केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे बोर्ड, खेल प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन, युवा मामले एवं खेलकूद के प्रमुखों को सभी राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों तथा अन्य सड़कों, रेलवे ट्रैकों तथा रेलवे की अन्य स्थापनाओं, सभी स्टेडियम तथा हवाई अड्डों पर भूमि जल पुनर्भरण स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा निदेश जारी करना।

* केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूमि जल विकास और प्रबंधन के विनियमन के लिए 43 क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाना।

* सीजीडब्ल्यूए द्वारा देश के अतिदोहित और गंभीर क्षेत्रों में (जल ग्रसित क्षेत्रों को छोड़कर) भूमि जल का इस्तेमाल करने वाले वृहद और मध्यम उद्योगों को भूमि जल के पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण उपायों को प्रारंभ करने तथा उनके परिसर में अपशिष्ट जल के उपचार, पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग करने की पद्धति अपनाने हेतु निर्देश जारी करना।

(ङ) और (च) जी हां, विश्व बैंक ने जल संसाधन क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। ब्यौरा विवरण में दिया गया है:

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	समझौते/पूर्ण होने की तारीख	सहायता राशि (आईबीआरडी/आईडीए)	31.07.2011 तक संचयी संवितरण
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना 4750 आईएन	30.11.2004/ 31.12.2011	387.40 (आईबीआरडी)	171.32
2.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना 3602 आईएन	08.03.2002/ 31.10.2011	111.00 (आईबीआरडी)	116.49
3.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना 3603 आईएन	15.3.2002/ 31.3.2013	119.00 (आईबीआरडी)	111.56
		राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त 4709-आईएन	21.5.2010/ 31.03.2013	19.00	0.18
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट जल क्षेत्र सुधार परियोजना 4796-आईएन	19.08.2005/ 31.03.2013	325.00 (आईबीआरडी)	209.53

1	2	3	4	5	6
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना 7897-आईएन	14.08.2010/ 31.07.2013	450.60 (आईबीआरडी)	43.34
6.	उड़ीसा	उड़ीसा समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 4499-आईएन	27.01.2009/ 31.08.2014	56.00 (आइडीए)	3.13
		उड़ीसा समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 7576-आईएन	27.01.2009/ 31.12.2014	38.47 (आईबीआरडी)	3.32
7.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना .4872-आईएन	02.11.2007/ 31.01.2012	32.00 (आईबीआरडी)	4.72
		कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 3635-1-आईएन	02.11.2007/ 31.01.2012	32.00 (आईडीए)	6.83
8.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 3635-1-आईएन	04.06.2002/ 31.01.2012	75.02 (आईडीए)	56.38
9.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 4291-आईएन	08.06.2007/ 31.12.2012	94.50 (आईडीए)	27.94
		आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 4857-आईएन	08.06.2007/ 31.12.2012	94.50 (आईडीए)	28.19
10.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण एवं जल निकाय पुनरूद्धार एवं प्रबंधन परियोजना 4846	12.2.2007/ 31.3.2013	335.00 (आईबीआरडी)	54.70
		तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण एवं जल निकाय पुनरूद्धार एवं प्रबंधन परियोजना 4255-आईएन	12.2.2007/ 31.3.2013	150.00 (आईडीए)	139.00
11.	बहु-राज्यीय*	जल विज्ञान परियोजना (फेज-II) 4749-आईएन	19.1.2006/ 30.6.2012	104.98 (आईबीआरडी)	41.32

*आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश।

आईबीआरडी: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्सरचना एवं विकास बैंक।

आईडीए: अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था।

[अनुवाद]

पीएमईजीपी

1997. **श्री हरिभाऊ जावले: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु कितने उद्यमियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कितने आवेदनों को अनुमति प्रदान की गई तथा कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) इन आवेदनों को शीघ्र अनुमति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का इन उद्यमियों हेतु परियोजना लागत को 25 लाख रु. से बढ़कर 50 लाख रुपये करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ख) जिला स्तरीय कार्यबल समिति (डीटीएफसी) द्वारा अनुशंसित तथा बैंकों को स्वीकृति के लिए अग्रेषित किए गए आवेदनों तथा बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित आवेदनों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	डीटीएफसी द्वारा अनुशंसित एवं बैंकों को अग्रेषित किए गए आवेदनों की संख्या	उन आवेदनों की संख्या जिन्हें बैंकों द्वारा स्वीकृति दी	बैंकों द्वारा संवितरित मामलों की संख्या
2008-09	217762	83454	36287	25507
2009-10	319702	162606	67473	39335
2010-11	309780	155979	70346	48023
2011-12 (2 अगस्त 2011 तक)	91981	11926	25642*	12993*

*वर्ष 2010-11 में स्वीकृति के लिए बैंकों को अग्रेषित आवेदनों की संख्या सहित।

(ग) पीएमईजीपी के तहत ऋण की समय पर स्वीकृति तथा बैंकों द्वारा समय पर स्वीकृति तथा बैंकों द्वारा समय पर उसके संवितरण में शीघ्रता लाने के लिए डीटीएफसी तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर प्रक्रिया की निगरानी की जाती है। केवीआईसी तथा सू.ल.म.उ. मंत्रालय ने भी क्रेडिट के समय पर संवितरण के लिए बैंक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए इस मुद्दे को बैंकों के सीएमडी के साथ उठाया है। इस प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर पीएमईजीपी के लिए निगरानी समिति द्वारा तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तरी बैंकर्स मीट के द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पीएमईजीपी के तहत उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों की सख्या का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा

		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (02.08.2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	213	175	101	0
2.	दिल्ली	196	1326	2703	0
3.	हरियाणा	3187	4039	3570	491

1	2	3	4	5	6
4.	हिमाचल प्रदेश	1654	2841	3405	2060
5.	जम्मू और कश्मीर	11697	13272	5642	1210
6.	पंजाब	3595	4424	3504	9
7.	राजस्थान	6309	10414	13762	8004
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	38	252	335	0
9.	बिहार	26259	17634	18161	439
10.	झारखंड	6406	4366	4706	2895
11.	उड़ीसा	14465	23471	18044	20456
12.	पश्चिम बंगाल	19090	42036	64342	0
13.	अरूणाचल प्रदेश	1085	357	1728	0
14.	असम	21404	26251	27307	30959
15.	मणिपुर	195	10128	1125	649
16.	मेघालय	2093	4698	2440	1954
17.	मिजोरम	803	2723	1416	729
18.	नागालैंड	3188	3724	9613	0
19.	त्रिपुरा	1575	1680	2751	1964
20.	सिक्किम	123	255	243	0
21.	आन्ध्र प्रदेश	9642	15078	17904	1040
22.	कर्नाटक	16759	18124	10840	0
23.	केरल	3874	5856	5155	2979
24.	लक्षद्वीप	49	74	75	0
25.	पुड्डुचेरी	400	690	510	14
26.	तमिलनाडु	11032	23335	19812	1874
27.	गोवा	64	175	162	37
28.	गुजरात	5097	10853	10537	4068
29.	महाराष्ट्र	13030	17289	15813	7698

1	2	3	4	5	6
30.	छत्तीसगढ़	6058	5954	7360	142
31.	मध्य प्रदेश	2900	5348	7377	431
32.	उत्तराखण्ड	1300	3526	2988	1108
33.	उत्तर प्रदेश	23982	39334	26349	771
	कुल	217762	319702	309780	91981

कल्याण कार्यक्रम स्वयंसेवी

1998. **श्री बलीराम जाधव:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को सार्वजनिक सेवा प्रदान करने हेतु प्रत्येक 40 ग्रामीण परिवार के लिए एक कल्याण कार्यक्रम स्वयंसेवी को तैनात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत निर्माण के स्वयंसेवकों के ग्राम आधारित संवर्ग के क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए लेब टू लेण्ड इनीशिएटिव शुरु किया है। प्रत्येक भारत निर्माण स्वयंसेवक विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 40 ग्रामीण परिवार से संबद्ध है। प्रथम चरण में, देशभर में 79 ब्लॉकों में यह इनीशिएटिव कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

'कोल बैड मीथेन' गैस का उत्पादन

1999. **श्री यशवंत लागुरी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल बैड मीथेन गैस के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचालकों की वार्षिक कार्य योजना बनाम वास्तविक कोल बैड मिथेन (सीबीएम) के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य निम्नानुसार है:

(मिलियन घन मीटर)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत उपलब्धि
2008-09	38.75	13.10	33.8
2009-10	57.73	38.40	66.5
2010-11	33.29	41.36	124.2

[अनुवाद]

नई रेलगाड़ियां

2000. **श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का मालिया, मोरबी, वाकानेर, सुरेन्द्रनगर होते हुए भुज-बांदरा एक्सप्रेस चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, रेल बजट 2011-12 में घोषित 12959/12960 दादर-भुज एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) गांधीधाम-समख्याली-राधानपुर-भिलड़ी-पालनपुर-मेहसाणा-अहमदाबाद होकर चलेगी।

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों को उर्वरकों की आपूर्ति

2001. **कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को उर्वरकों का निर्यात करने की कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ख) नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को उर्वरकों का निर्यात इन देशों के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार करार के अंतर्गत मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। तथापि, वर्ष 2010-11 के दौरान नेपाल को 45000 मी.टन यूरिया का निर्यात किया गया है। बांग्लादेश और म्यांमार को कोई निर्यात नहीं किया गया है।

नई लाइन हेतु प्रस्ताव

2002. **श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, परियोजना-वार रतनलाम मंडल/मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्वीकृति/शुरू की गई परियोजनाएं जैसे नई रेलवे लाइन बिछाना, विद्युतीकरण, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) अभी तक इस पर आवंटित/व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली रतलाम-महु-खंडवा-अकोला आमान परिवर्तन परियोजना स्वीकृत हो गई है। रतलाम-महु (159.45 किमी.) और अकोला-अकोट (43.50 किमी.) का आंशिक विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है। महु-खंडवा के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण और रतलाम-महु के लिए भूमि जांच शुरू हो गई है। छोटे पुलों, भूमि संबंधी, प्री-कोस्ट तत्वों की कॉस्टिंग, स्टील गर्डरों के पारवहन एवं खड़ा करने और गिट्टी आपूर्ति के लिए निविदाएं सौंप दी गई हैं। मार्च, 2011 तक 1.07 करोड़ रुपए का व्यय वहन किया जा चुका है। वर्ष 2011-12 के लिए 30 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजना का कार्य प्रगति पर है। रेलवे के पास संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण चालू परियोजनाओं का भारी बकाया है। रेलवे सकल बजटीय सहायता और टैक्स-फ्री बांडों के परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगी।

[अनुवाद]

राजस्व व्यय

2003. **श्री बाल कुमार पटेल:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रेलवे को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष-वार पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान रेलवे के राजस्व और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे, जो पहले भारी लाभ अर्जित कर रही थी, उसे घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे को लाभकारी इकाई बनाने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे को कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) पिछले दो वर्षो के दौरान रेलवे की राजस्व आमदनी और राजस्व व्यय (लाभांश सहित) निम्नानुसार है:

करोड़ रुपयों में

वर्ष	राजस्व	व्यय
2009-10	89,299.29	89,228.54
2010-11 (अनंतिम)	96,681.02	95,276.13

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ)प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, रेलें अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने के उद्देश्य से यातायात आमदनी बढ़ाने और व्यय पर नियंत्रण रखने का सतत् प्रयास करती है। आमदनी में और सुधार करने के लिए मालभाड़ा संव्यवहार सेगमेन्ट के अंतर्गत किए गए प्रयासों में, संवर्द्धित उत्पादकता एवं कुशलता के माध्यम से थुपुट में सुधार, वैगन टर्न राउण्ड समय में कमी, वैगनों की बहुल कमता बढ़ाना, थोक पण्यों हेतु अतिरिक्त यातायात वहन के लिए उच्च क्षमता वाले (25 टन) मार्गों की अधिसूचना, आधार श्रेणी-100 को कम करने का आशोधन, लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित निर्यात के लिए लौह-अयस्क पर दूरी आधारित अधिभार, व्यस्त अवधि प्रभार, विकास प्रभार टर्मिनल प्रभार, पाकिस्तान एवं बंगलादेश आदि के यातायात के लिए व्यस्त मार्ग अधिभार और यातायात को बनाए रखने एवं अतिरिक्त यातायात को आकर्षित किए जाने के लिए अधिक आकर्षक मालभाड़ा प्रोत्साहन योजना आदि जैसे यातायात के लिए मांग में परिवर्तन का लाभ लेने के लिए डायनामिक कीमत निर्धारण नीति शामिल हैं। यात्री और पार्सल संव्यवहार सेगरमेन्ट के अंतर्गत उठाए गए कदमों में अधिक से अधिक स्थानों पर यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) सुविधाओं का विस्तार, गाड़ियों की गति बढ़ाना, कम लोकप्रिय गाड़ियों की समीक्षा, लोकप्रिय गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ना, बिना टिकट यात्रा करने वालों की गहन जांच कतिपय नामित रेलगाड़ियों में अतिरिक्त पार्सल स्थान को पट्टे पर देना, एसएलआर कोच आदि के सामने गार्ड के खाली कंपार्टमेन्ट को पट्टे पर देना शामिल है।

व्यय पक्ष की ओर, रेलें बेहतर श्रम शक्ति योजना, परिसंपत्तियों का उपयोग, सूची प्रबंधन, इंधन खमपत आदि और मितव्ययिता/आर्थिक उपायों आदि के माध्यम से व्यय नियंत्रण द्वारा प्रयास कर रही हैं।

पश्चिम बंगाल के लिए विकास योजनाएं

2004. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा देश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं क्या हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल के गांवों में विकास हेतु वर्ष 2011-12 में कितनी निधि आवंटित की गई;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए पिछले वर्ष आवंटित निधि का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में वास्तव में निधि का उपयोग किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तथा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) केवल एसीजएसवाई/एनआरएलएम, आईएवाई, पीएमजीएसवाई और एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आवंटन किया जाता है। अन्य योजनाएं अर्थात एमजीएनआरईजीए, आईडब्ल्यूएमपी और टीएससी मांग आधारित/परियोजना आधारित है इसलिए, राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता। पश्चिम बंगाल के गांवों के विकास के संबंध में आवंटन आधारित ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन वर्ष 2011-12 के दौरान 1246.46 करोड़ रु. है।

(ग) से (ङ) कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने उपलब्ध निधियों में से 6274.51 करोड़ रु. की राशि (जिसमें अवशेष + केन्द्र और राज्य रिलीजें + विविध प्राप्तियां शामिल हैं) की राशि का उपयोग किया गया। ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान पश्चिम बंगाल के गांवों के विकास के संबंध मे केन्द्रीय आवंटन 1351.08 करोड़ रु. था।

तेल के कुएं की ड्रिलिंग की लागत में वृद्धि

2005. श्री रामसिंह राठवा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिग्स की दरों में दैनिक वृद्धि के कारण भारत में तेल कुओं की ड्रिलिंग की लागत भी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र के अपतटीय गैस फिल्ड्स में कतिपय प्रमुख घटकों जैसे 'सबसी कंट्रोल सिस्टम' 'डीप वाटर पाइपलाइन' तटीय टर्मिनलों और 'साइट ग्रेडिंग' आदि में भारी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार कैयर्न इंडिया, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के साथ हस्ताक्षरित अन्वेषण ठेके की कीमत बढ़ाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) रिगों की दैनिक दरें, मांग और रिगों की उपलब्धता, संविदा की अवधियां, रिगों की किस्म, समुद्र की गहराई, वेधन स्थलों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं। काफी दिनों से भारत और अन्तर्राष्ट्रीय वेधन रिग बाजार भी वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद स्थिर है।

(ग) और (घ) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड-नाइको रिसोर्सेज लि. के परिसंघ द्वारा प्रचालित कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्री ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 में डी-1 और डी-3 की क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) का अनुमोदन प्रबंधन समिति द्वारा किया गया था। संविदाकार द्वारा गैस के उत्पादन, निकासी और 80 एमएमएससीएमडी की अधिकतम दर से संसाधित करने के लिए, उप समुद्री नियंत्रण प्रणालियों, गहरे समुद्र में पाइपलाइनों, तटीय टर्मिनल आदि जैसी विभिन्न उत्पादन सुविधाएं एफडीपी में प्रस्तावित की गई थीं जो अनुमोदित एफडीपी का भाग थीं। अन्य संविदाओं के लिए, संविदाकार के एफडीपी प्रस्ताव प्रबंधन समिति द्वारा जांचे जाते हैं/उनकी समीक्षा की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अपर गंगा लीड से जल की आपूर्ति

2006. श्री शीश राम ओला: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झुनझुनु जिले और चुरू जिले के राजगढ़ तहसील के कुछ गांवों को पीने और सिंचाई के प्रयोजन के लिए अपर गंगा लीड से पानी उपलब्ध कराने की योजना अनुमोदन के लिए 15 वर्षों से अधिक समय से लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक उक्त योजना के क्रियान्वित होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) राजस्थान के झुंझुनू और चुरू जिलों की सिंचाई एवं पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ताजेवाला शीर्ष कार्यों से लगभग 391 एमसीएम जल की निकासी की परिकल्पना करते हुए 934.70 करोड़ रूपये (हरियाणा के हिस्से में 326 करोड़ रूपये सहित) की राजस्थान के झुंझुनू और चुरू जिलों में यमुना जल का उपयोग नामक एक स्कीम जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा 7.2.2003 को आयोजित की गई इसकी 80वीं बैठक में कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृत की गई थी। जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) की सलाहाकार समिति द्वारा उल्लिखित टिप्पणियों की अनुपालना की सूचना राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन एवं वित्तापोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। परियोजना को स्वीकृति देने में लगने वाला समय परियोजना प्राधिकारियों द्वारा जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालना की सूचना देने और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रलय सहित अन्य अभिकरणों से अन्य अनिवार्य सांविधिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करने में दर्शाई गई तत्परता पर निर्भर करता है।

पीएसयू में रिक्त पद

2007. श्री यशवंत सिन्हा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों में बहुत से उच्च पद खाली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वहां कितने पद खाली हैं और ये कब से खाली हैं;

(ग) क्या सरकार का इन पदों को भरने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक इन पदों को भरे जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 31 जुलाई, 2011 तक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के 60 पूर्णकालिक पद रिक्त थे। इन 60 रिक्त पदों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) निदेशक मण्डल स्तर के उपर्युक्त 60 रिक्त पदों में से 32 पदों के संबंध में पीईएसबी की अनुशंसाएं प्राप्त हो चुकी हैं और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। शेष 28 पदों के मामले में पीईएसबी की अनुशंसाएं प्राप्त होनी हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित औपचारिकता पूरी करने के बाद उम्मीदवारों द्वारा पदभार ग्रहण कर लेने पर निदेशक मण्डल स्तर के उपर्युक्त रिक्त पदों को नियमित आधार पर भर दिया जाएगा।

(ङ) पीईएसबी ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के चयन की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है और मई, 2011 में दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर का पद रिक्त होने के एक वर्ष पूर्व उसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और अधिवर्षिता के कारण रिक्त होने वाले पदों के मामले में संबंधित मंत्रालय को पीईएसबी की अनुशंसाएं वर्तमान पदधारी का कार्यकाल समाप्त होने के छः महीने पहले भेज दी जाएंगी। इन दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि अप्रत्याशित रिक्तियों की स्थिति में पीईएसबी, पद के रिक्त होने के चार माह के अंदर, अपनी अनुशंसाएं भेज देगा।

विवरण

दिनांक 31.7.2011 के अनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों में रिक्त निदेशक मण्डल स्तर के पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	पद का नाम	केंद्रीय सरकारी उद्यम का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3	4
1.	निदेशक (मार्केटिंग)	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पो, ऑफ इंडिया लि.	11.02.2009
2.	निदेशक (सीपी)	हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट कॉर्पो.लि.	11.06.2009
3.	निदेशक (सी एंड एच आर)	वापकोस लि.	23.02.2009
4.	निदेशक (इंजीनियरिंग)	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	01.09.2010
5.	निदेशक (सीएंडएम)	इंडिया टूरिज्म डवलपमेंट कॉर्पो.लि.	01.08.2010
6.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सेन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि.	16.09.2010
7.	निदेशक (वित)	भारत संचार निगम लि.	18.02.2010
8.	प्रबंध निदेशक	राइट्स लि.	01.11.2011
9.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पो लि.	01.02.2011
10.	निदेशक (डीडी)	कंटेनर कॉर्पो, ऑफ इंडिया लि.	30.12.2009
11.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कोल इंडिया लि.	01.03.2011

1	2	3	4
12.	निदेशक (वित)	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पो लि.	26.07.2010
13.	निदेशक (इंजीनियरिंग)	नेशनल प्रोजेक्टस कन्सट्रक्शन कंपनी लि.	01.04.2011
14.	निदेशक (शिप)	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.	01.01.2011
15.	निदेशक (मार्केटिंग)	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	0.02.2011
16.	निदेशक (ऑपरेशन्स)	एन्नौर पोर्ट लि.	01.05.2011
17.	प्रबंध निदेशक	सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लि.	20.04.2011
18.	निदेशक (वित्त)	भारत डायनामिक्स लि.	01.07.2011
19.	निदेशक (मार्केटिंग)	कोल इंडिया लि.	01.05.2011
20.	निदेशक (वित्त)	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पो इंडिया लि.	01.04.2011
21.	निदेशक (सीपी एंड एम)	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	09.09.2010
22.	निदेशक (तकनीकी)	भारत कुकिंग कोल लि.	24.10.2010
23.	निदेशक (कार्मिक)	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	22.08.2010
24.	निदेशक (वित्त)	सीमेण्ट कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	26.11.2010
25.	निदेशक (मार्केटिंग)	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पो.लि.	02.10.2010
26.	प्रबंध निदेशक	मुंबई रेलवे विकास कॉर्पो लि.	01.05.2011
27.	निदेशक (ऑपरेशन्स)	कोचीन शिपयार्ड लि.	01.01.2011
28.	निदेशक (इंटर)	भारत संचार निगम लि.	01.06.2010
29.	निदेशक (वित्त)	एमएमटीसी लि.	11.02.2011
30.	निदेशक (तकनीकी)	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	08.02.2011
31.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	24.02.2011
32.	प्रबंध निदेशक	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	01.03.2011
33.	निदेशक (तकनीकी)	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	01.08.2008
34.	प्रबंध निदेशक (सीडब्ल्यू)	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	19.01.2009
35.	निदेशक (वित्त)	वापकोस लि.	23.02.2009
36.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.	23.02.2009
37.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि.	28.04.2010
38.	निदेशक (वित्त)	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	14.09.2010

1	2	3	4
39.	निदेशक (ओ एंड सी)	कोंकण रेलवे कॉर्पो लि.	25.11.2010
40.	प्रबंध निदेशक	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	19.01.2011
41.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पो लि.	01.02.2011
42.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	एसजेवीएन लि.	26.02.2011
43.	निदेशक (वित्त)	नेशनल टैक्सटाइल्स कॉर्पो. लि.	11.03.2011
44.	निदेशक (वित्त)	स्कूटर्स इंडिया लि.	18.03.2011
45.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पो लि.	16.04.2011
46.	निदेशक (वित्त)	एन्ड्यू यूले एंड कंपनी लि.	20.04.2011
47.	निदेशक (तकनीकी)	मेकॉन लि.	21.04.2011
48.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	29.04.2011
49.	प्रबंध निदेशक	होटल कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	29.04.2011
50.	प्रबंध निदेशक	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.	29.04.2011
51.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.	01.05.2011
52.	निदेशक (एचआर एंड सीए)	बामर लारी एंड कंपनी लि.	03.05.2011
53.	निदेशक (कार्मिक)	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पो लि.	25.05.2011
54.	निदेशक (तकनीकी)	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.	09.06.2011
55.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	एनएचपीसी लि.	22.06.2011
56.	निदेशक (कार्मिक)	एयर इंडिया लि.	23.06.2011
57.	निदेशक (तकनीकी)	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	25.06.2011
58.	निदेशक (डीडी)	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	01.07.2011
59.	निदेशक (तकर्शियल)	एयर इंडिया लि.	14.07.2011
60.	प्रबंध निदेशक	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	22.07.2011

[अनुवाद]

घटते तेल भंडार

2008. **श्री महाबल मिश्रा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेल के भण्डार कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भेल द्वारा उपस्करों की आपूर्ति में विलंब

2009. **श्री जगदम्बिका पाल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत संयंत्र जिनमें चीन के गियर लगे हैं ने सरकार द्वारा संचालित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों का उपयोग कर रहे विद्युत संयंत्रों की तुलना में बेहतर कार्य निष्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेल को उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों हेतु उपस्करों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए ठेका दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आपूर्ति तथा रख-रखाव प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भेल की ओर से विलंब हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) प्रतिबद्धता को शीघ्र पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। जिन विद्युत संयंत्रों में चीन के उपकरण लगे हैं, वे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों का उपयोग कर रहे विद्युत संयंत्रों से बेहतर निष्पादन नहीं दे रहे हैं।

वस्तुतः चीन द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरण की हीट रेट (एफिशिएंशी) घटिया है और सहायक उपकरण बीएचईएल के उपकरणों की तुलना में अधिक विद्युत खपत करते हैं। दूसरी बात यह है कि ईंधन तेल खपत भी अधिक है। सिंक्रोनाइजेशन से वाणिज्यिक प्रचालन तक का समय भी बीएचईएल के उपकरणों द्वारा लिए जाने वाले समय की तुलना में अधिक है। बीएचईएल के तीन वर्षों के औसत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 79% की तुलना में चीन निर्मित इकाइयों का औसत प्लांट लोड फैक्टर 68% है। चीन निर्मित इकाइयों की प्रचालनात्मक उपलब्धता भी बीएचईएल द्वारा निर्मित इकाइयों की तुलना में कम है। इन तथ्यों की पुष्टि सीईए के पास उपलब्ध रेकार्ड के साथ-साथ सीईए/एनटीपीसी टीम के मार्च, 2009 में चीन दौरे की रिपोर्ट, जेएम फाइनेन्शियल और सीएलएसए एशिया पेसिफिक मार्केट्स की स्वतंत्र रिपोर्टों से होती है।

(ग) बीएचईएल को उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों के रखरखाव हेतु ठेका नहीं दिया है। तथापि, बीएचईएल को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के ताप विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) के लिए ऑर्डर मिले हैं जिसमें निम्नलिखित उपकरणों की आपूर्ति शामिल हैं:

(i) ओबरा टीपीएस- 5 x 200 मेगावाट इकाई # 9 से 13 का आरएण्डएम और अपरेटिंग

(ii) हरदुआगंज टीपीएस- 1 x 110 मेगावाट ईकाई # 7 आरएण्डएम और अपरेटिंग, और

(iii) आबरा टीपीएस- 2 x 100 मेगावाट इकाई # 7 और 8 का आरएण्डएम

(घ) से (च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस)	बीएचईएल कार्य का क्षेत्र	नियत तिथि	पूर्ण होने की तिथि समाप्ति	वास्तविक/ अनुमानित	टिप्पणियां/विलंब के कारण और किए गए उपाय
1	2	3	4	5	6
(i) ओबरा टीपीएस	5 x 200 मेगावाट इकाई #9	20.06.2006	(क) इकाई # 9:24.04.2008	इकाई # 9 15.09.2010 को सिंकोनाइज्ड किया	ग्राहक के आदेश पर इकाई # 9 02.11.2008 को और इकाई #11 13.07.2011 को बंद की

1	2	3	4	5	6
	से 13 का आरएण्डएम और अपडेटिंग			गया और 27.06.2011 को 205 मेगावाट पर पहुंचा। फिलहाल स्थायीकरण में है।	गई। ग्राहक द्वारा आरएण्डएम के लिए इकाई # 9 को बंद करने में (13 माह) और इलेक्ट्रो स्टेटिक पार्टिसिपेटर (ईएसपी) की डिसमेंटलिंग और ग्राहक के कार्य क्षेत्र में आने वाले ईएसपी फाउण्डेशन को पूरा करने में विलंब हुआ।
			(ख) इकाई # 10 20.08.2008	इकाई # 10 लागू नहीं।	
			(ग) इकाई # 11 20.12.2008	इकाई # 11 : यूपीआरवीयूएनएल /बीएचईल द्वारा टरबाइन कलपुर्जो के रेडियूअल लाइफ ऐसेसमेट (आरएलए) के बाद।	ओबरा आरएण्डएम पर कार्य का क्षेत्र 200 मेगावाट से मशीन को 216 मेगावाट तक अपरेट करना था। बीएचईएल ने मैसर्स पावर मशीन्स ऑफ रशिया जिसके पास मशीन को 216 मेगावाट तक अपरेट करने की प्रौद्योगिकी है, को टरबाइन जेनरेटर (टीजी) के लिए नियुक्त किया। टीजी हेतु बीएचईएल का साझेदार मैसर्स पावर मशीन्स ऑफ रशिया कार्य
			(घ) इकाई # 12 20.8.2008	इकाई # 12: लागू नहीं।	को पूरा किए बिना बीचएईएल के साथ अनुबंध समाप्त करके (अगस्त, 09 में) कार्य के दौरान चला गया और इसने टरबाइन
			(ङ) इकाई # 13 20.12.2008	इकाई # 13: लागू नहीं।	जेनरेटर (टीजी) की अपरेटिंग के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान भी नहीं दिया। इस हानि तथा इससे विलंब के बावजूद, बीएचईएल रिवर्स इंजीनियरिंग क्षरा अपने संसाधनों से आगे बढ़ा और सीमेस, जर्मनी, जो टरबाइन जेनरेटर के लिए सहयोगी है, के सहयोग से इकई# 9 का आरएण्डएम कार्य पूरा किये। इकाई #10, 12 और 13 को ग्राहक/यूटिलिटी द्वारा इन इकाइयों

1	2	3	4	5	6
					को बंद करना उपलब्ध कराने पर क्रमिक रुप से उठाया जाएगा।
(ii) हर दुआगंज टीपीएस	1 x 110 मेगावाट इकाई # 7 आरएण्डएम और अपरेटिंग	12.6.2009	इकाई # 7 12.7.2011	इकाई # 7 मई, 2012	05.03.2011 को इकाई # 7 को शक्ति से बंद करने पर बीएचईएल कार्य प्रारंभ कर सका। ग्राहक के कार्य क्षेत्र में आने वाला सिविल फाउण्डेशन वर्ष अभी प्रारंभ होना है (7 महा का विलंब)।
(iii) ओ ब्रा टीपीएस	2 x 100 मेगावाट इकाई # 7 और 8 का आरएण्डएम	04.12.2009	इकाई # 7 03.11.2011 को इकाई # 8 03.07.2012 को।	इकाई # 7 मार्च, 2012 में। इकाई #8 के लिए लागू नहीं।	इकाई # 7 01.07.2010 को शक्ति से बंद की गई और इकाई #8 को शक्ति से बंद किया जा रहा है। बीएचईएल मार्च, 2011 में इकाई # 7 में कार्य प्रारंभ कर सका। ग्राहक की ओर से निम्नलिखित कारणों से देरी हुई: (i) टर्बो जेनरेटर (टीजी) की रेसिडयूअल लाइफ एसेसमेंट (आरएलए) को अंतिम रूप देना। (ii) ईओटी क्रेन उपलब्ध कराना। (iii) कंडेंसर ट्यूब का प्रतिस्थापन।

बीएचईएल नियमित रूप से आरएण्डएम वर्क के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल के प्रचालन और निष्पादन की समीक्षा और पर्यवेक्षण भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा और सुधार करने की दृटि से किया जाता है।

ग्राम न्यायालय

2010. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार देश में ग्राम न्यायालयों के समक्ष कितने मामले उठाए गए और उनके द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ग) देश में राज्य-वार कितने चल न्यायालय हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में कार्यरत ग्राम न्यायालयों की संख्या नीचे वर्णित रूप में 47 हैं:

क्र.सं.	राज्य	ग्राम न्यायालयों की संख्या	
		अधिसूचित	कार्यरत
1.	मध्य प्रदेश	89	40
2.	राजस्थान	45	1
3.	उड़ीसा	8	1
4.	महाराष्ट्र	9	6
	कुल	151	47

(ख) और (ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से जानकारी नहीं रखी जाती है।

गैस चौरी की रोकथाम

2011. **श्री अब्दुल रहमानः**
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री चंद्रकांत खैरेः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पारदर्शी सिलेण्डरों का प्रयोग शुरु करने तथा गैस की बहुतायात चोरी को रोकने के लिए विशेष रेगुलेटर के प्रयोग हेतु निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो योजना का क्रियान्वयन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पारदर्शी सिलेण्डर और विशेष रेगुलेटर का प्रयोग शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) जी हां। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को कंपोजिट सिलेंडरों (फाइबर ग्लास) का घरेलू रूप से निर्माण संबंधी सुविधाओं को स्थापित करने हेतु, वैश्विक रुचि की अभिव्यक्ति मंगाने की सलाह दी है।

गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अनुसार देश में एलपीजी सिलेंडरों के विपणन के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) का अनुमोदन अपेक्षित है। वर्तमान समय में ऐसा कोई भारतीय विनिर्माता नहीं है जिसे कंपोजिट सिलेंडरों के निर्माण के लिए पीईएसओ का अनुमोदन प्राप्त है।

जहां तक विशेष विनियामकों का संबंध है, ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने बहु-कार्यात्मक विनियामक की शुरुआत की है जिसमें लेवल संकेतक (इंडिकेटर), चाइल्ड लॉक, अधिक प्रवाह को रोकने वाला वॉल्व और रिसाव का पता लगाने जैसी अतिरिक्त सुरक्षा विशिष्टताएं हैं। इस बहु-कार्यात्मक विनियामक (रेगुलेटर) को प्रायोगिक तौर पर वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया है।

महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर गैस आवंटन

2012. **श्री जोस के. मणिः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केजी-डी-6 बेसिन से गैस उत्पादन में गिरावट के कारण सरकार ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर गैस आवंटन आवश्यक कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात और स्पांज-आयरन क्षेत्र ने केजी-डी-6 बेसिन से केवल महत्वपूर्ण क्षेत्र को गैस आपूर्ति के लिए सरकार की प्राथमिकता पर चिंता व्यक्त की है और इस कदम के परिणामस्वरूप इस्पात और स्पांज-आयरन क्षेत्र जिसमें भारी निवेश किया गया है, को वंचित करने से यह क्षेत्र खतरे में पड़ जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) ऐसी संकल्पना की गई थी कि केजी डी6 क्षेत्र में गैस का उत्पादन 60 मीलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) तक जाएगा, किन्तु जब उत्पादन कम होकर 50 एमएमएससीएमडी तक रह गया तो संविदाकार को पाइपलाइन प्रचालन के लिए आवश्यक गैस के अलावा केजी डी6 गैस का पूरा पुष्ट आबंटन महत्वपूर्ण क्षेत्रों नामतः उर्वरक, एलपीजी, विद्युत और नगर गैस वितरण (घरेलू और परिवहन) को करने का निदेश दिया गया था।

(ग) और (घ) मैसर्स वेलस्पन मैक्सस्टील लिमिटेड और मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज ने माननीय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.07.2011 के अपने निर्णय के अनुसार सरकार की नीति को बरकरार रखा। इसी प्रकार के मुद्दे पर मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड द्वारा दायर एक अन्य मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

न्यायाधिकरण में न्यायाधीशों की कमी

2013. **श्री रमेन डेकाः** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी में न्यायाधीशों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जीआरपी कार्मिकों द्वारा दुर्व्यवहार

2014. श्री भूदेव चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कार्मिक ट्रेनों के जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों से अवैध रूप से धन ऐंठने हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या अनुदेश जारी किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इटारसी-नागपुर रेल मार्ग के बीच यात्रियों से धन ऐंठते कुछ जीआरपी कार्मिक पकड़े गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(ङ) ऐसी बुरी प्रथा को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राजकीय रेलवे पुलिस संबद्ध राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कार्य करती हैं, यदि इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो मामले में दोषी पाए गए राजकीय रेलवे पुलिस प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) दिनांक 01/06/2011 को गाड़ी संख्या 12295 (संघमित्रा एक्सप्रेस) के साधारण सवारों डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों ने गाड़ी के गार्ड को दो राजकीय रेलवे पुलिस कर्मियों के खिलाफ राजकीय रेलवे थाना/इटारसी के विरूद्ध शिकायत की थी, उपर्युक्त शिकायत के आधार, पर राजकीय रेलवे पुलिस प्राधिकारियों द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था और उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।

(ङ) राजकीय रेलवे पुलिस प्राधिकारियों के साथ गहन संपर्क बनाए रखा जाता है, इस प्रकार के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के साथ समन्वयन बैठकें आयोजित की जाती हैं, गाड़ियों/स्टेशनों में रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है।

तेल अन्वेषण

2015. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तेल अन्वेषण में सलग्न कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि में अन्वेषण कार्य के दौरान प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, देश में तेल अन्वेषण में लगी कम्पनियों द्वारा सर्वेक्षणों और अन्वेषण कार्य पर किया गया कुल व्यय लगभग 54,992 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत इन कम्पनियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों और अन्वेषण कार्यों से प्राप्त आंकड़ों और सूचना का महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) तकनीकी समिति और प्रबंधन समिति की बैठक में नियमित आधार पर विचार किया जाता है।

(घ) तकनीकी और प्रबंधन समिति की बैठकों के दौरान किए गए विश्लेषण के आधार पर, अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन सहित आगे अन्वेषण कार्य कार्यक्रम पर निर्णय लिया जाता है। किसी वाणिज्यिक खोज के मामले में, प्रबंधन समितियों द्वारा मूल्यांकन योजना, वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) क्षेत्र विकास योजना का अनुमोदन (एफडीपी) आदि की भी समीक्षा की जाती है/अनुमोदित किया जाता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण नीति

2016. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत ही उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति करने का है;

(ख) न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके कार्यकरण को पारदर्शी बनाने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उनकी स्थानांतरण नीति पर पुन: विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है तथा मुख्य न्यायमूर्ति सहित न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों सहित न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ, के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तारीख 6 अक्तूबर, 1993 और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी राय तारीख 28 अक्तूबर, 1998 पर आधारित है। वर्तमान में, इस प्रक्रिया के पुनर्विचार के लिए कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य देखभाल स्मार्ट कार्ड

2017. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में स्वास्थ्य देखभाल स्मार्ट कार्ड योजना अभी तक सफल नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सुविधा का लाभ लेने वाले रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। यह उत्तर रेलवे द्वारा शुरू की गई एक सतत् पायलट परियोजना है, जो अभी भी चल रही है, और इसमें स्मार्ट कार्डधारकों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास कर रहे रेलवे के सेवानिवृत्त लाभार्थियों को शामिल किया गया है और इसका आगे और मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्मार्ट कार्ड योजना के लिए 4511 रेलवे सेवानिवृत्त लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है, जिसमें से 19 ने इमरजेंसी में उपचार कराने का लाभ उठाया है।

एसएफआईओ द्वारा दवा कम्पनियों की जांच

2018. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के अंतर्गत पता लगाए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सिप्ला और सन जैसी फार्मा की कम्पनियों की जांच एसएफआईओ द्वारा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 (दिनांक 5.8.2011 तक) एसएफआईओ द्वारा 33 मामलों की जांच की गई है।

(ख) और (ग) एसएफआईओ द्वारा सिपला एवं सन जैसी दवा कम्पनियों की जांच नहीं की गई है, क्योंकि इन कंपनियों के विरुद्ध किसी जांच का आदेश नहीं दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एम पी लैड हेतु दिशानिर्देश

2019. श्री राधे मोहन सिंह:
श्री शरीफुद्दीन शारिक:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम पी लैड के अंतर्गत निधियों की स्वीकृति और व्यय के लिए नियम और शर्तो/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अभी तक उन कार्यों का भौतिक सत्यापन/सर्वेक्षण किया है जिन्हें देश के विभिन्न जिलों/निर्वाचन क्षेत्रों में वास्तव में किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अभी तक एम पी लैड की स्वीकृति/व्यय में कोई अयिमितता पाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत कुमार जेना): (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का संचालन दिशानिर्देशों के सेट के माध्यम से किया जाता है। एमपीलैड्स के दिशानिर्देश एवं संबंधित परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट www.mplads.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) जी हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक स्वतंत्र एजेंसी, नैबकॉन्स द्वारा कवर किए गए/वास्तविक मॉनीटरिंग के लिए चुने गए जिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) नमूना कार्यों की वास्तविक मॉनीटरिंग में, एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनमें एमपीलैड्स कार्यों की संस्वीकृति एवं निष्पादन में विलंब, अयोग्य कार्यों की संस्वीकृति आदि शामिल हैं। चुने गए प्रत्येक जिले की रिपोर्ट की जांच के बाद, प्रेक्षणों/खामियों को, संबंधित जिला प्राधिकारियों को अवगसत कराया जाता है तथा उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अनियमितताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करें।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 में कवर किए गए जिले	2009-10 में कवर किए गए जिले	2010-11 में कवर किए गए जिले
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	महबूबनगर	कर्नूल
	चित्तूर	प्रकासम	खम्माम
	गुंटूर	आदिलाबाद	मेडक
	–	अनंतपुर	विशाखापत्तनम
	–	श्रीकाकुलम	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	पापमपारे
असम	कछार (पूर्वोत्तर)	कामरुप शहरी (पूर्वोत्तर)	बारपेटा
	–	सोनितपुर (पूर्वोत्तर)	कामरूप ग्रामीण
	–	डिब्रूगढ़ (पूर्वोत्तर)	धुबरी
बिहार	मधुबनी	गोपालगंज	भोजपुर
	गया	भागलपुर	मुजफ्फरपुर

	–	रोहतास	अररिया
	–	सहरसा	मुंगेर
	–	–	मधेपुरा
छत्तीसगढ़	रायगढ़	सरगुजा	दुर्ग
	–	राजनंदगांव	महासमुन्द
	–	–	बिलासपुर
गोवा	दक्षिण गोवा	–	–
गुजरात	सूरत	अमरेली	राजकोट
	दाहोद	वडोदरा	पंचमहल
	–	बनासकांठा	पाटन
	–	–	नवसारी
हरियाणा	सिरसा	हिसार	करनाल
	कुरुक्षेत्र	फरीदाबाद	गुड़गांव
	–	–	भिवानी
हिमाचल प्रदेश	शिमला	कांगड़ा	मंडी
			कुल्लू
जम्मू और कश्मीर	कठुआ	श्रीनगर	अनंतनाग
झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	धनबाद	चतरा
	–	–	पूर्वी सिंहभूम
	–	–	देवघर
कर्नाटक	बंगलौर ग्रामीण	दक्षिण कननड़	मांड्या
	बीजापुर	बेल्लारी	दावणगेरे
	–	चामराजनगर	गुलबर्गा
	–	–	कोलार
केरल	मल्प्पुरम	कोट्टायम	तिरुवनंतपुरम
	कन्नूर	त्रिशूर	वयानाड

मध्य प्रदेश	भोपाल	विदिशा	ग्वालियर
	रीवा	इंदौर	दमोह
	उज्जैन	जबलपुर	छिंदवाड़ा
	–	–	शाजापुर
	–	–	शहडोल
		–	मांडला
महाराष्ट्र	अहमदनगर	नासिक	नांदेड़
	चन्द्रपुर	परबानी	अमरावती
	मुंबई उपनगर	कोल्हापुर	सोलापुर
	–	उस्मानाबाद	धुले
	–	नागपुर	थाणे
मणिपुर	इम्फाल पश्चिम (पूर्वोत्तर)	–	चूड़ाचान्दपुर
मेघालय	–	–	पश्चिमी खासी हिल्स
मिजोरम	–	ऐजॉल (पूर्वोत्तर)	कोलासिब
नागालैंड	–	दीमापुर (पूर्वोत्तर)	–
ओडिशा	बोलनगीर	जगतसिंहपुर	कटक
	पुरी	मयूरभंज	नबरंगपुर
	–	–	संबलपुर
	–	–	फूलबनी
पंजाब	जालंधर	अमृतसर	पटियाला
	–	फतेहगढ़ साहिब	गुरदासपुर
राजस्थान	अलवर	झुंझनू	हनुमानगढ़
	उदयपुर	बाड़मेर	जैसलमेर
	–	कोटा	जालौर
	–		बांसवाड़ा

सिक्किम	पूर्वी जिला (सिक्किम) (पूर्वोत्तर)	–	
तमिलनाडु	रामनाथपुरम	इरोडे	तूतुक्कुडी
	कांचीपुरम	तिरुनेलवेली	तिरुचरापल्ली
	–	तंजावूर	नागपट्टिनम
	–	–	शिवगंगा
	–	–	–
त्रिपुरा	–	पश्चिम त्रिपुरा (पूर्वोत्तर)	–
उत्तर प्रदेश	बरेली	कानपुर (देहात)	मेरठ
	एटा	वाराणसी	मथुरा
	–	बलरामपुर	रायबरेली
	गाजियाबाद	सीतापुर	हरदोई
	गोरखपुर	मुजफ्फरनगर	इलाहाबाद
	–	बलिया	कुशीनगर
	–	–	बाराबंकी
	–	–	झांसी
	–	–	बहराइच
उत्तरांचल	अल्मोड़ा	टिहरी गढ़वाल	पिथौरागढ़
पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	दक्षिण दीनाजपुर	बीरभूम
	मुर्शिदाबाद	मिदनापुर पश्चिम	जलपाईगुड़ी
	हावड़ा	बर्धमान	–
	–	दार्जिलिंग	–
दिल्ली	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	–	–
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–

दमन और दीव	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–
पुडुचेरी	–	–	–
कुल	43 जिले	60 जिले	75 जिले

[अनुवाद]

भूमि अतिक्रमण

2020. **श्री प्रबोध पांडा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि रेलवे ने उत्तर रेलवे के अंतर्गत दिल्ली में और उसके आस-पास रेलवे की भूमि के पुराने अतिक्रमणकर्ताओं पर सख्ती न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर सहित देश के अन्य भागों में पुराने अतिक्रमणकर्ताओं के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी नहीं। रेलवे एक कार्यक्रमबद्ध तरीके से अति संवेदनशील स्थानों पर चारदीवारी, बाड़, पौधों को लगाकर अन्य अतिक्रमण से रेल भूमि/संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सतत् प्रक्रिया में है। जहां तक खड़गपुर सहित पूरे देश में रेलवे भूमि पर मौजूदा अतिक्रमणों का संबंध है, रेलवे ने एक मानवीय तरीके से मुद्दे को निपटाने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों को भूमि का आबंटन

2021. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:**
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के जनजातीय लोगों को कृषि उपज के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए वन भूमि को आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित देश में जनजातीय लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वन भूमि आबंटित की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय लोगों को आबंटित वन भूमि की सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 देश में जनजातीय लोगों को वन भूमि के आबंटन सहित वनेतर प्रयोग के लिए वन भूमि के उपयोग को कठोरता से नियंत्रित और विनियमित करता है। तथापि, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन में वास करने वाली अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन क्षेत्रों, जहां वे रहे हैं, पर अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है तथा उसके लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

आदर्श स्टेशन

2022. **श्री इज्यराज सिंह:**
श्री हरीश चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के जनजातीय लोगों को कृषि उपज के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए वन भूमि को आबंटित किया गया है;

(ख) राजस्थान और तमिलनाडु सहित देश में राज्यवार स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनका आदर्श स्टेशन के रूप में पहले ही उन्नयन कर दिया गया है तथा जिनके आदर्श स्टेशन के रूप में पहले ही उन्नयन कर दिया गया है तथा जिनके उन्नयन की प्रक्रिया चल रही है;

(ग) क्या राजस्थान और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों से रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशन के रूप में उन्नयन के लिए रेलवे के पास कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशन के रूप में चयन सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए पहचानी गई आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

(ख) पहले से ही अपग्रेड किए गए स्टेशनों के राज्य-वार नाम तथा जो आदर्श स्टेशन के रूप में अपग्रेड होने की प्रक्रिया में हैं उनके ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अभी तक आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने के लिए राजस्थान से 12 स्टेशनों की और तमिलनाडु से 28 स्टेशनों की पहचान की गई है। राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों सहित विभिन्न राज्यों से संबंधित स्टेशनों को अपग्रेड किए जाने का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण-I

(ख) आदर्श स्टेशनों के रूप में पहले से ही उन्नत स्टेशनों के राज्यवार नाम निम्नानुसार है:

राज्य	स्टेशन का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अंनतपुर, बापतला, भोंगीर, चित्तूर, गुडुर, गुंटकल जंक्शन, काकीनाडा टाऊन, कमरेड्डी, कुरनूल टाऊन, लिंगमपल्ली, महबूब नगर, नलगोंडा, नांदयाल, नरसरापेट, नेल्लोर, निजामाबाद, रामागुंडम, रेणिगुंटा, श्रीककुलम रोड, तंदूर, विकाराबाद, विजयनगरम जंक्शन और जहीराबाद।
असम	बदरपुर जंक्शन, रंगपाड़ा नार्थ और सिल्चर
बिहार	अनुग्रह नारायण रोड, बिहार शरीफ, छपरा जंक्शन, जहानाबाद, मधुबनी, नौगछिया, पटना साहिब, रफीगंज, सासाराम जंक्शन, सीतामढ़ी और सुल्तानगंज।
गुजरात	दाहोद, हिम्मतनगर, जामनगर, कोशंबा, ओखा और ऊना
हरियाणा	भिवानी, कलनुर, कोसली और सिरसा
जम्मू और कश्मीर	उधमपुर
झारखंड	बौरिया जंक्शन, चित्तरंजन, गोमोह जं., मधुपुर जं., पारसनाथ, साहिबगंज और टाटानगर
कर्नाटक	बीदर, चामराजनगर, गुलबर्ग, लौंडा जं. और वाडी
केरल	अलाप्पुझा (एल्लेप्पी), अंबलाफुझा, बदगरा (वडकरा), चेंगनस्सरी, चेरथला (शेरतलै), धनुवचपुरम, हरपद, जगन्नाथ टेंपल गेट, कन्नूर, करुवट्टा, कसरगोड, कायनकुलम जं., कोचुवेली कोट्टयम, मवेलीकरा, ओचिरा, पट्टिकड, थलस्सेरी, तिरूर, तिरूवेला, तिरूविझा और वयलर
मध्य प्रदेश	अशोक नगर, इटारसी, मैहर, रतलाम, सतना और सौगोर

1	2
महाराष्ट्र	अंधेरी, बांद्रा, बेलापुर, भांडुप, भयंदर, बोरीवली, चेंबूर, चिंचवाड, करीं रोड, दादर, (मरे) दादर (परे), दहानु रोड, देवलाली, डॉक यार्ड रोड, डॉबिवाली, घाटकोपर, करजत, कसरा, खडकी, किंग्स सर्कल, कुर्ला, लातुर, मलाड, माटुंगा, मीरा रोड, मिराज, मुलुंड मुंबई (चर्नी रोड), मुंबई (चर्चगेट), मुबई (मेरीन लाइंस), मुंबई सेंट्रल (एल), नाईगांव, नासिक रोड, पर्ली वैजनाथ, पुर्ना, सांगली, सानपाडा, सांताक्रुज, सफ्हला, सेवरी, शिवराजनगर, शोलापुर, तिलक नगर, तुर्भे एपीएम, कॉम्पलेक्स, उल्हासनगर, वनगांव, वाशी, विरार, विश्रामबाग और वर्धा।
ओडिसा	बगनान, बलनगीर, बालुगांव, बाढ़गढ़ रोड, धेनकनल, हौर, जाजपुर-क्योंझर रोड, झारग्राम, कांताबेनजी, केसिंगा, खरीयर रोड, खुर्दा रोड जं., कोरापुट, मुनिगुडा, पुरूलिया जं., रायगढ़ा और टिटलागढ़ जं.।
पंजाब	अबोहर, फरीदकोट और गुरदासपुर।
राजस्थान	चित्तौगढ़ जं., दौसा, जोधपुर, लालगढ़, जं., और सवाई-माधोपुर जं.।
तमिलनाडु	अवडी, चेन्नै बीच जं., चेन्नै चेटपेट, चेन्ने पार्क, क्रोमेपेट, कोरूक्कुपेट, मनवुर, पेरंबूर कैरिज डब्ल्यूकेएस, सेंजीपनकंबकम हाल्ट, सेंट थोंमस मऊ जं., मुगलसराय, प्रताप गढ़ जं., पीलीभीत जं., प्रयाग, सलेमपुर, जं, शिकोहाबाद जं., सीतापुर और सुल्तानपुर।
उत्तराखंड	कोटद्वारा, रामनगर और ऋषिकेश।
पश्चिम बंगाल	आदि सप्तग्राम, आद्रा जं., अगरपाडा, अहमदपुर, अकरा, अलीपुरद्वार, अलुआबाड़ी रोड, आमटा, अंदुल जं., अरंघटा, आसनसोल जं., अजीमगंज सिटी, बीबीडी बाग, बाडकुला, बागबाज़ार, बगहाजाटिन, बैद्यबाटी, बालासोर, बल्लीचक, बालीगंज, बालुरघाट, बंडेल जं., बांकुरा, बनपुर, बंश, बेरिया, बांसपानी, बराकर, बारानगर रोड, बर्द्धमान, बड़गछिया, बैरकपुर, बरुईपाडा, बरुईपुर, बासीरहाट, बेगमपुर, बेलानगर, बेलदा (कोन्टई रोड), बेलेरहाट, बेलघोरिया, बेलूर, बेलूरमठ, बेरहामपुर कोर्ट, बेठुडहरी, भद्रेश्वर, भासिला, भाटर, बिधान नगर रोड, बिमान बंदर, बीरा, बिराती, बीरनगर, बिरशिबपुर, बोलपुर, बोनगांव जं., ब्रेस ब्रिज बज बज, बडा बाजार, केनिंग, चकदा, चक्रधरपुर, चंपा पुकुर, चंपाहाटी, चंदन नगर, चांदपाडा, चंद्रकोना रोड, चंगरबांधा, चास रोड, चेंगेल, छतना, चुचुरा, कूचबिहार, दक्षिणेश्वर, डालकोल्हा, दानकुनी, दानतन, देबग्राम, देउला, धाकुरिया, धनियाखली, धापधापी, धूपगुडी, डायमण्ड हार्बर रोड, दिनहाटा, डोमजूर, दम दम कैण्ट, दम दम जं., दुर्गा नगर, दुर्गापुर, दत्तापुकुर, ईडन गार्डन, गंगनापुर, गारबेटा, गरिया, गेडे, घुटियारी शरीफ, गोबरडांगा, गोपालनगर, गौरीनाथधाम, गुमा, गुप्तीपाडा, घुसकारा, हबीबपुर, हाबरा, हल्दीबाड़ी, हालीसहर, हरीपाला, हरुआ रोड, हसनाबाद, हिज्जी, हुगली, इच्छापुर, जादबपुर, जगदल, जलेश्वर, जलपाईगुडी, जंगीपुर रोड, जियागंज, जीरत, जायनगर, माजिलपुर, काकद्वीप, कलईकुंडा, कलिकापुर, कालीनारायणपुर, कालना (अंबिका कालना), कल्याणी, कल्याणी घोषपाडा, कल्याणी सिल्पांचल, कल्याणपुर, कमारकुंडू जं., कांचरापाडा, कांकीनाडा, काशीनगर हॉल्ट, कटवा जं., खाना जं., खरदाह,, कीरनहर, कोलाघाट कोचिंग, कोननगर, कृष्णनगर सिटी जं., कुलगछिया कुल्टी, लेक गार्डन, लक्ष्मीकांतपुर, लालगोला, लिलुआ, मदनपुर, मध्यमग्राम, मगरहाट, महिसादल, माजेरग्राम, मालदा, टाऊन, मलिकापुर, मानकुंडू, मासाग्राम, मसलंदपुर, मेचेदा, मेमारी, मिदनापुर, मौरीग्राम, मुरागाछा, मुर्शिदाबाद, नबद्वीपधाम, नैहाटी जं., नालहाटी जं., नालीकुल, नामखाना, नारायण पकुरिया मुरैल, नसीबपुर, नेतरा, न्यू अलीपुर (कोलकाता), न्यू बैरकपुर, न्यू दोमोहनी, न्यू फरक्का, न्यू मैनागुडी, निश्चिंदापुर मार्केट, पगलाचण्डी, पालपाड़ा, पालटा, पंडुआह, पांसकुडा जं., पार्क सर्कस, पातीपुकुर, फुलेश्वर, फुलिया, पलासी, प्रिंसेपघाट, पूर्बास्थली, राधामोहनपुर (देबरा), रायगंज, रामपुरहाट, राणाघाट, जं., रानीगंज, रसूलपुर, रिसरा,

1	2
	राउरकेला, सैंथिया जं., सामसी, समुद्रगढ़, संग्रामपुर हॉल्ट, संतोषपुर, शक्तिगढ़, शांतिपुर जं., शिवओरफुल्ली जं., श्यामनगर, सिलीगुडी जं., सिमुराली, सिंगूर, सीतारामपुर जं., सिउरी, सोदपुर, सोनारपुर जं., सोनडलिया, श्रीरामपुर (एच), सुभाषग्राम, सूर्यापुर टाकी रोड, टाला, तामलुक, तारकेश्वर, तारापीठ रोड, ठाकुरनगर, टिकियापाडा, टीटागढ़, टॉलीगंज, त्रिबेणी, उलूबेरिया और उत्तरपाड़ा।

विवरण-II

(ख) उन स्टेशनों के राज्य-वार नाम, जो 'आदर्श स्टेशन' के रूप में अपग्रेड होने की प्रक्रिया में हैं, निम्नानुसार हैं

राज्य	स्टेशन का नाम
1	2
आंध प्रदेश	अलेर, बोबिली, द्वारपुडी, घनपुर, गुंटूर, हिंदुपुर, जमीकुंटा, जनगांव, करीमनगर, काजीपेट, खम्मम, मलकाजगिरी, रघुनाथपल्ली, शंकरपल्ली एवं वारंगल।
असम	बारपेटा रोड, बसुगांव, बिजनी, फकीरगाम, गोरेश्वर, गोसाईगांव हाट, होजाई, जाखलबांधा, जोरहाट टाउन, रंगिया, राउटा, बगान, सलाकाटी, श्रीरामपुर, असाम, टंगला, टीहू, टीपकाई एवं उदलपुरी।
बिहार	अभयपुर, बरौनी, बारसोई जं., भागलपुर, जमालपुर, कहलगांव, किशनगंज, मानसी एवं थाना बिहपुर।
छत्तीसगढ़	अंबिकापुर, बिलासपुर रोड, चांपा, चिरीमिरी, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, रायपुर एवं राजनंदगांव।
दिल्ली	दिल्ली किशनगंज एवं सब्जी मंडी।
गोवा	वास्को-डी-गामा।
गुजरात	गांधीग्राम, मनीग्राम, मनीनगर, नवसारी, न्यू भुज, साबरमती, उधना एवं व्यारा।
हरियाणा	अंबाला कैंट, बहादुरगढ़, गुडगांव, कुरूक्षेत्र, पानीपत, रोहतक जं. एवं सोनीपत।
हिमाचल प्रदेश	ज्वालाजी (ज्वालामुखी रोड)।
जम्मू और कश्मीर	कठुआ।
झारखंड	जगदीशपुर एवं फुसरो।
कर्नाटक	बागलकोट, चिकबल्लापुर, चिंतामनी, देवनहल्ली, डोडबल्लापुर, गौरीबिदनौर, गोकाक रोड, हुबली, कोलार, कोप्पल, नांजनगुड टाउन, साम्बरी, सिडलाघट्टा, श्रीनिवासपुरा एवं येलहंका जं.।
केरल	अलुवा, अंगामाली, चलाकुडी, चेंगन्नूर, इत्तूमनूर, कांजीरामीट्टम, करूनागपल्ली, कोट्टाराकारा, कुरूप्पानतारा, मरारीकुलम, मुलानतुरूत्ती, नीलाम्बर रोड, पिरावम रोड, पुनालूर क्वाईलंडी, सस्थानकोट्टा, वैकम रोड एवं वेल्लाराक्कड।
मध्य प्रदेश	अनूपपुर, छिदवाडा जं., घटेरा (पथरिया), जबलपुर, मेघनगर, मुलतई, रूठियाई, शाहडोल, शिवपुरी, सिंगरौली एवं उमरिया।

1	2
महाराष्ट्र	अजनी, अंबेरनाथ, दीवा, डॉगरगढ़ कमलेश्वर, काम्पटी, कटोल, खोपोली, कोपरगांव, लोअर, परेल, नागरसोल, नाहूर, नारकेड, पांधुरना पनवेल, परभनी, रामटेक, शिरडी, उदगीर एवं उमरेर।
नागालैंड	दीमापुर
उड़ीसा	अंगुल, बारीपाडा, बेलपहाड़, भद्रक, डोईकल्लू, जखापुरा, लांजीगढ़ रोड, लपांगा, मेरामानडोली, पारादीप, रघुनाथपुर, रेंगाली एवं तालचेर।
पुडुचेरी	माहे
पंजाब	बरनाला, धुरी, होशियारपुर, लेहरागागा, मालेरकोटला, मोगा, संगरूर, सोहावाल, सुनाम, तापा और तरंतारा.
राजस्थान	बाडमेर, चुरू, धोलपुर, जालौर, रतनगढ़, रिंगस और सादुलपुर
तमिलनाडु	कुंभकोणम, मैयलादुतुरै, नागपट्टिनम, नागोर, राजापालायम, सेलम, संकराकोइल, श्रीवील्लिपूथूर, तेनकाशी, तिरूप्पूर, तूतीकोरिन और विरूद्धनगर.
उत्तर प्रदेश	आचार्य नरेंद्र देव नगर, अछनेरा, अलीगढ़, अटारा, बहराईच, बालामऊ, बडागांव, ब्रहनी भदीयन, भारवाडी, चित्रकूट धाम कर्वी, दापसौरा, दरयाबाद, देवरिया सदर, दिलदारनगर, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फिरौजाबाद, हरदोई, कलपी, खजुराओ, खलीलाबाद, खुर्जा जं., किरौली, कुण्डा, हरनाम गंज, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मिर्जापुर, मोठ, नैमिशरनया, नौगढ़ (सिद्धार्थ नगर), औरई, परतापुर, पतरंगा, पोखरयान, रूदौली, सकोती टांडा, संदिला, शाहगंज, सिराथू, सीतापुर कैंट और टुंडला.
उत्तराखंड	काठगोदाम
पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार कोर्ट, अलीपुरद्वार जं., अंबालग्राम, अंकारा, अंडाल, अशोक नगर रोड, अजीमगंज जं., बागडोगरा, बगुला, बहादुरपुर बहारू, बहीरगाछी, बहीरपुया, बकराबाद, बालागढ़, बलरामबेटी, बालगोना, बल्लालपुर, बेल्ली, बैल्लीघाट, बामनगाछी, बामनग्राम हाट, बामनहाट, बनेश्वर, बांका, पासी, बंकीमनगर, बंसटाला, बाराभूम, बरासात जं., बसुदेवपुर, बसूलडांगा, बतासी, बथनाक्रित्तीबा, बेलाकोबा, बेलडांगा, बेलाईघाटा रोड, बेलियातोर, बेटबेरिया घोला, भगवानगोला, भेडिया (औसग्राम), भीमगढ़, विद्याधरपुर, विष्णुपुर, बोइंची, बृंदाबनपुर, बुनियादपुर, बर्नपुर, चामग्राम, चंचई, चंदनपुर, चतरा, चतेरहाट, चौरीगाछा, देनहाट, दार्जिलिंग, दासनगर, देओलती, धात्रीग्राम, धुबुलिया, धुलाबाडी, धूबराजपुर, ढूमरदाहा, दुर्गाचक, इकलाखी, फलकाता, गदधारपुर, गलसी, गजौल, घोकसदंगा, घोराघाट, घूम, गिधनी, गिरीमैदान, गोबरा, गोकुलपुर, गुरप, हरीशचंद्रपुर, हरिशदादपुर, हंसीमारा, हिंदमोटर, होतार, हृदयपुर, जलपाईगुडी रोड, जमुरिया, जनाई रोड, जैसोर रोड, झंतीपहाड़ी, झारसूगुडा रोड, जमुरिया, जनाई रोड, जैसोर रोड, झंतीपहाड़ी, झारसूगुडा जं., जोंयचांदीपहाड़, केकाला, कालचीनी, कालिन अगर, कालियागंज, कामख्यागुडी, कंथी, खागड़ाघाट रोड, खालतीपुर, खेमासूली, खिदीरपुर, कोडालिया-बिसोरेपाडा, कोटशिला, कुलपी, लैबपुर, लोहापुर, लोकनाथ, मदारीहाट, मधुसूदनपुर, मझदिया, मालतीपुर, मालदाकोट, मतिगाडा, मोल्लारपुर, मुरारई, नवादीप घाट, नवाग्राम, नागराकाता, नंदकुमार, नरायणगढ़, नरेंद्रपुर, नेकूरसेनी, न्यू अलीपुरद्वार, न्यूकूचबिहार, ओल्ड मालदा, पाल्ला रोड, पालसित, पानागढ़, पांडेश्वर, पंजीपाडा, पतुली, पिरताला, प्रांतिक, राजबंद, राजगौडा, रामराजतला, रेमाउंट रोड, रूपनारायणपुर, सागरदिघी, सेलनपुर, सलार, सल्बोनी, संक्रैल, संतालदीह, सरडीहा, शालीमार, सिली, सिमलगढ़, सिवोक, सोनादा, सोनामुखी, सुकना, तालडी, तालित और तिलडांगा।

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे पीएसयू

2023. श्रीमती भावना गवली पाटील:
श्री एस. आर. जेयदुरई:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री के. सुगुमार:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएसयू को हुई कुल हानि वर्षवार कितनी है;

(ग) क्या घाटे में चल रहे कुछ पीएसयू अपने कर्मचारियों को कार्य निष्पादन से जुड़ा लाभ दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनका औचित्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा घाटे में चल रहे पीएसयू को उबारने तथा उनके कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) दिनांक 24.02.2011 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण-2009-10 के आधार पर पिछले 03 वर्षों के दौरान घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सं.	राशि (रुपये लाख में)
2009-10	59	15842
2008-09	55	14621
2007-08	54	10303

(ग) और (घ) यद्यपि लोक उद्यम विभाग कार्यपालकों एवं असंगठित पर्यवेक्षकों हेतु कार्य निष्पादन प्रोत्साहन सहित वेतन आदि के लिए मार्गनिर्देश जारी करता है और कर्मियों हेतु कार्य निष्पादन प्रोत्साहन सहित मंजूरी प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी उद्यम के प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के मध्य आपसी बातचीत पर निर्भर करती है और यह प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी उद्यम से भिन्न हो सकता है। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.06.1999 (वेतन संशोधन 1997) के का.ज्ञा. में यह उल्लेख है कि अनुलाभ और भत्तों का भुगतान मूल वेतन का अधिकतम 50% हो सकता है; 50% हो सकता है; 50% से अधिक का भुगतान पूर्णरूप से कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) प्रकृति का है और जो किसी उद्यम में वितरण योग्य लाभ का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग के दिनांक 27.03.2000 के का.ज्ञा. में यह स्पष्ट किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में कार्य निष्पादन प्रोत्साहन मूल वेतन के 50% के भीतर होना चाहिए यदि यह कर्मियों के कार्य हेतु पुरस्कार के लिए पर्याप्त नहीं समझी जाती तो केन्द्रीय सरकारी उद्यम मूल वेतन के 50% से अधिक दे सकता है लेकिन वितरण योग्य लाभों के 5% की सीमा के भीतर हो।

जबकि पीआरपी पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकारी उद्यम के लाभ पर निर्भर/आधारित होती है लेकिन पीएलआई इस पर निर्भर नहीं होती। इसलिए पीएलआई को पीआरपी के स्थान पर नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई पीएलआई है तो उसे वैयक्तिक कार्यपालक के मूल वेतन के परिलाभ और भत्तों की 50% की सीमा तक दिया जा सकता है। उक्त के संदर्भ में पीएलआई के अंतर्गत भुगतान निर्णय संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम लोक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशानुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन से लिया जाता है। तथापि, लोक उद्यम विभाग के पास इस संबंध में केन्द्रीय आधार पर कोई सूचना नहीं रखी जाती।

(ङ) सरकार ने, रुग्ण और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन हेतु दिसम्बर, 2004 में अन्य बातों के साथ-साथ, एक परामर्शी निकाय के रुप में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की थी। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव तैयार करके सिफारिश हेतु बीआरपीएसई को भेजते हैं। सरकार ने मामला दर मामला आधार पर पुनरुद्धार हेतु संभाव्य कम्पनियों के आमूलचूल परिवर्तन के लिए निजी क्षेत्र खुला आमंत्रण दिया है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान सरकार ने 14 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन हेतु कुल रु. 14,757 करोड़ की परिकल्पित सहायता (निधियों के निवेश के रूप में रु.1321 करोड़ की नकद और ब्याज/ऋणों में छूट/समाप्त करने के रूप में रु.13,436 करोड़ की गैर नकद सहायता) दी गई है।

बेनामी/जाली एलपीजी कनेक्शन

2024. डॉ. एम.तम्बिदुरई:
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में कुल कितने एलपीजी के कनेक्शन हैं;

(ख) क्या बड़ी संख्या में एलपीजी कनेक्शन जाली/बेनामी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जाली एलपीजी कनेक्शनों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बेनामी/जाली एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने में संलिप्त एलपीजी वितरकों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) दिनांक 01.07.2011 को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां ओएमसीज) देश में 1279.71 लाख एलपीजी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

(ख) से (घ) अत्यधिक सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के विपथन को बढ़ावा देने वाले एक से अधिक कनेक्शन जारी करने की जांच करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 10.09.2009 की अधिसूचना के तहत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में संशोधन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रति आवास केवल एक एलपीजी कनेक्शन का प्रावधान है।

दोहराव दूर करने की प्रक्रिया पर आधारित एक सॉफ्टवेयर द्वारा उसी नाम और/अथवा उसी पते पर एक से अधिक कनेक्शनों की पहचान करने के लिए ओएमसीज द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान किए गए ऐसे कनेक्शनों को, ग्राहकों को सूचना देने के पश्चात, बंद/समाप्त कर दिया जाता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सहयोग से हैदराबाद और मैसूर में एलपीजी वितरण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की जा रही है जिसमें सभी ग्राहकों और उनके परिवार के सदस्यों की यूआईडीएआई संख्याओं को एकत्रित किया जाएगा और बिना यूआईडी वाले और एक कनेक्शन से अधिक यूआईडी वाले कनेक्शनों को बंद/समाप्त कर दिया जाएगा।

(ङ) बेनामी/झूठे एलपीजी कनेक्शन जारी करने, अंतरणवाउचर (टीवी)/समाप्ति अंतरणवाउचर (टीटीवी) का नामांकन सहित विभिन्न अनाचार रोकने के लिए सरकार ने 'विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश, 2001' बनाए हैं जिसमें एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध शास्तिक कार्रवाई करने का प्रावधान है।

आमान परिवर्तन/नयी लाइनें/दोहरीकरण

2025. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री एस.आर.जेयदुरई:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री ओ.एस. मणियन:
श्री पी. कुमार:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गत तीन वर्षों में चालू वर्ष के दौरान आमान परिवर्तन, नयी लाइनों को बिछाए जाने तथा रेलवे लाइनों के दोहरीकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक क्या उपलब्धि अर्जित की गयी है;

(ग) देश में छोटी लाइन/मीटर गेज की राज्य/जोन-वार कुल लंबाई कितनी है;

(घ) यूनी गेज परिवर्तन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) देश में चल रही आमान परिवर्तन परियोजनाओं का राज्य/जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) निधारित समय के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण को

पूरा किए जाने के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं जो परियोजना की प्रगति, उनकी सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण को पूरा किए जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां नीचे दी गई हैं-

वर्ष	नई लाइन		आमान परिवर्तन		दोहरीकरण	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	350	357	1550	563	600	363
2008-09	250	258	1400	1516	500	448
2007-08	1000	709	834	437	767	769

2011-12 के दौरान 1075 किमी नई लाइन, 1017 किमी आमान परिवर्तन और 867 दोहरीकरण को पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) चुनिंदा मार्गों को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने के लिए एक आमान परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। 01.04.1992 को भारतीय रेल के नेटवर्क में 26,609 किमी की मीटर लाइन तथा छोटी लाइन थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान 6897 किमी को परिवर्तित किया गया था, नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान 2103 किमी को परिवर्तित किया गया था और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4289 किमी को परिवर्तित किया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के प्रथम चार वर्षों के दौरान 4465 किमी को पहले ही परिवर्तित किया जा चुका है और 869 किमी को 2011-12 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। 01.04.2011 को 8555 किमी मीटर लाइन/छोटी लाइन विद्यमान हैं। इस समय 5857 किमी. कार्य प्रगति पर है। 01.04.2011 को पूरे देश में मौजूद छोटी आमान/मीटर आमान रेल लाइनों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्यों के नाम	लंबाई (किमी में) जो स्वीकृत की गई हैं और जो प्रगति पर हैं।	जो स्वीकृत नहीं की गई हैं (किमी में)			
			मीटर लाइन	छोटी लाइन	अस्वीकृत लाइनों की किमी में कुल लंबाई	कुल किमी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	0			0	0
2.	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	1016	21		21	1037
3.	बिहार	595			0	595
4.	छत्तीसगढ़	90		0	0	90
5.	गुजरात	529	866	544	1410	1939
6.	हरियाणा			5	5	5
7.	हिमाचल प्रदेश			232	232	232
8.	कर्नाटक	0			0	0

1	2	3	4	5	6	7
9.	केरल	81			0	81
10.	मध्य प्रदेश	994	39		39	1033
11.	महाराष्ट्र	158		406	406	564
12.	पंजाब			24	24	24
13.	उड़ीसा	0			0	0
14.	राजस्थान	921	231		231	1152
15.	तमिलनाडु	568	45		45	613
16.	उत्तर प्रदेश	728	369		369	1097
17.	उत्तराखण्ड	59			0	59
18.	पश्चिम बंगाल	118	129	87	216	334
	कुल	5857	1700	1298	2998	8855

(ङ) 01.04.2011 को कुल 45 चालू आमान परिवर्तन परियोजनाएं हैं, जिनका जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	रेलवे जोन	चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	मध्य	–
2.	पूर्व	1
3.	पूर्व तट	–
4.	पूर्व मध्य	4
5.	उत्तर	–
6.	उत्तर मध्य	2
7.	पूर्वोत्तर	6
8.	पूर्वोत्तर सीमा	5
9.	उत्तर पश्चिम	4
10.	दक्षिण	6
11.	दक्षिण मध्य	–
12.	दक्षिण पूर्व	3
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	3
14.	दक्षिण पश्चिम	3
15.	पश्चिम	8
16.	पश्चिम मध्य	–

(च) चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने और लागत तथा समय में भी कमी करने के लिए रेलें सकल बजटीय सहायता के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से अतिरिक्त निधियां जुटाने का प्रयास कर रही हैं। सार्वजनिक निजी साझेदारी, राज्य सरकारों/लाभार्थियों द्वारा भागीदारी, रेल विकास निगम लिमिटेड के कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों जैसे अपनाए गए उपायों से भी धनात्मक परिणाम आने शुरु हो गए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय पीएसयू द्वारा विदेशों में तेल और गैस अन्वेषण

2026. श्री राम सुन्दर दासः
श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारीः**
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि अनुसार विदेशों में तेल और गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी परिसंपतियों से भारतीय पीएसयू द्वारा देश-वार कितनी मात्रा में तेल और गैस का उत्पादन किया गया;

(ग) तेल और गैस के क्षेत्र में किन क्षेत्रों में भारतीय पीएसयू की हिस्सेदारी है तथा उनके हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है: और

(घ) वर्ष 2011-12 के लिए अन्य क्षेत्रों में तेल और गैस के उत्पादन अथवा निवेश के लिए देश-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) दिनांक 30 जून, 2011 को विदेश में अन्वेषण और उत्पादन परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए तेल क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) नामतः ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा कुल 64,832.35 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ख) विदेशी परिसम्पतियों के अर्जन में संलग्न छह पीएसयूज में से केवल ओवीएल के पास विदेश में उत्पादनरत परिसम्पतियां हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ओवीएल द्वारा उत्पादित किए गए तेल और गैस का ब्यौरा निम्नानुसार है:

देश	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
तेल (एमएमटी)			
सूडान	2.728	2.373	2.027
कोलम्बिया	0.370	0.409	0.468
वेनेजुएला	0.671	0.704	0.757
रूस	1.929	2.075	2.244
वियतनाम	0.046	0.042	0.038
सीरिया	0.812	0.718	0.649
ब्राजील	-	0.192	0.573
कुल तेल	**6.556**	**6.513**	**6.756**
गैस (बीसीएम)			
रूस	0.372	0.390	0.415
वियतनाम	1.848	1.967	2.249

1	2	3	4
सीरिया	-	-	0.015
ब्राजील	-	-	0.013
कुल गैस	**2.220**	**2.357**	**2.692**
योग (एमएमटी-ओईजी)	**8.776**	**8.870**	**9.448**

एमएमटी-मिलियन मीट्रिक टन, बीसीएम-बिलियन घन मीटर, ओईजी-तेल समतुल्य गैस

(ग) तेल और गैस के क्षेत्र में भारतीय पीएसयूज का जिन देशों में हिस्सेदारी हित (पीआई) है, उसका ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2011-12 में ओवीएल की विदेशी परिसम्पतियों से तेल और गैस उत्पादन करने का निर्धारित लक्ष्य तेल का 6.496 एमएमटी और गैस का 2.254 बीसीएम है। वर्ष 2011-12 के लिए देश-वार उत्पादन के लक्ष्य विवरण-II में दिए गए हैं। तेल पीएसयूज द्वारा विदेश में तेल और गैस परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए देश-वार आधार पर निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं है। वर्ष 2011-12 में निवेश के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

पीएसयू	2011-12 के लिए निवेश के लक्ष्य (करोड़ रुपए में)
ओवीएल	8.687
ओआईएल	800.15
आईओसी	304
गेल	224.84
बीआरपीएल	824
एचपीसीएल	शून्य

विवरण I

देश में तेल और गैस परिसम्पत्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के भागीदारी हित का विवरण

क्र.सं.	देश	ब्लाक/परियोजना का नाम	भागीदारी हिस्सा
1	2	3	4
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल)			
1.	वियतनाम	ब्लाक 06.1	ओआईएल-45%,
		ब्लाक 128	ओआईएल-100%,
2.	रूस	सखालिन-1	ओआईएल-20%,
		इम्पीरियल एनर्जी	ओआईएल-100%,
3.	सूडान	जीएनओपी ब्लाक 1,2 एवं 4	ओआईएल-25%,
		ब्लाक 5 ए	ओआईएल-24.125%,
		खारतूम-पोर्ट सूडान पाइपलाइन	ओआईएल-90%,
4.	म्यांमार	ब्लाक ए-1	ओआईएल-17%,

1	2	3	4
		ब्लाक ए-3	ओआईएल-17%,
		श्वे अपतट मिड-स्ट्रीम परियोजना	ओआईएल-17%,
		तटवर्ती गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन	ओआईएल-8.347%,
5.	इराक	ब्लाक 8	ओआईएल-100%,
6.	ईरान	फारसी अपतट ब्लाक	ओआईएल-40%,
7.	लीबिया	ब्लाक 43	ओआईएल-100%,
8.	सीरिया	ब्लाक 24	ओआईएल-60%,
		अल फुरात (4 पीएसए)	ओआईएल-16.67%, से 18.75%
9.	क्यूबा	ब्लाक एन-25, 26, 27, 28, 29 तथा एन-36	ओआईएल-30%,
		ब्लाक एन-34 तथा एन-35	ओआईएल-100%,
10.	ब्राजील	ब्लाक बीसी-10	ओआईएल-15%,
		ब्लाक ईएस-42	ओआईएल-100%,
		ब्लाक बीएम-एस-73	ओआईएल-43.5%,
		ब्लाक बीएम-सील-4	ओआईएल-25%,
		ब्लाक बीएम-बीएआर-10	ओआईएल-25%,
		ब्लाक एस-74	ओआईएल-43.5%,
11.	कोलंबिया	मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड (एमईसीएल)	ओआईएल-50%,
		ब्लाक आरसी-8	ओआईएल-40%,
		ब्लाक आरसी-9	ओआईएल-50%,
		ब्लाक आरसी-10	ओआईएल-50%,
		ब्लाक आरसी-5	ओआईएल-70%,
		ब्लाक आरसी-7	ओआईएल-50%,
12.	नाइजीरिया	ओपीएल-279	ओआईएल-23.21%,
		ओपीएल-285	ओआईएल-32.81%,
13.	वेनेजुएला	सान क्रिस्टोबल परियोजना	ओआईएल-40%,
		काराबोबी-1 परियोजना	ओआईएल-11%,
14.	कजाखिस्तान	सतपाये परियोजना	ओआईएल-25%,

1	2	3	4
आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी)			
1.	ईरान	फारसी ब्लाक	ओआईएल-20%, आईओसी-40%
2.	लीबिया	एरिया 86	ओआईएल-50%, आईओसी-50%
		एरिया 102/4	ओआईएल-50%, आईओसी-50%
		एरिया 95/96	ओआईएल-25%, आईओसी-25%
3.	गेबोन	शक्ति	ओआईएल-45%, आईओसी-45%
4.	नाइजीरिया	ओपीएल-205/ओएमएल-142	ओआईएल-17.5%, आईओसी-17.5%
5.	यमन	ब्लाक 82	ओआईएल-12.75%, आईओसी-15%
		ब्लाक 83	ओआईएल-12.75%, आईओसी-15%
6.	सूडान	पाइपलाइन परियोजन	ओआईएल-10%
7.	तिमोर लेस्टे	ब्लाक के	ओआईएल-12.5%, आईओसी-12.5%
8.	मिश्र	ब्लाक 3	ओआईएल-25%
		ब्लाक 4	ओआईएल-25%
9.	वेनेजुएला	परियोजना काराबोबो-1	ओआईएल-3.5ऊ, आईओसी- 3.5%
			गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल)
1.	म्यांमार	ब्लाक-ए-1	गेल-8.5%
		ब्लाक-ए-3	गेल-8.5%
		ब्लाकों का विकास ए1 तथा ए3	गेल-8.5%?
2.	ओमान	ब्लाक-56	गेल-25%
भारत पेट्रो रिसोर्सिस लिमिटेड (बीपीआरएल)			
1.	ब्राजील	एसपिरिटी सांतो (बीएम-ईएस-34:589,661,663)	बीपीआरएल-15%
		कैम्पोस (बीएम-सी-30:101)	बीपीआरएल-12.5%
		सर्जीपाई (बीएम-सील-16: 349, 426, 497, 569	बीपीआरएल-20%
		पोटीगुआर (बीएम-पीओटी-16:663, 760)	बीपीआरएल-10%
2.	ओमान	ब्लाक 56	बीपीआरएल-12.5%

1	2	3	4
3.	आस्ट्रेलिया	एसी/पी32	बीपीआरएल-20%
		डब्ल्यूए-338-पी	बीपीआरएल-8.4%
		ईपी-413	बीपीआरएल-27.8%
		टीपी-15	बीपीआरएल-50%
4.	पूर्वी तिमोर	जेपीडीए 06-103	बीपीआरएल-20%
5.	यू.के.	उत्तरी समुद्र 48/3सी	बीपीआरएल-25%
6.	मोजांबीक	एरिया-1	बीपीआरएल-10%
7.	इंडोनेशिया	नूनूकान (बादिक-1)	बीपीआरएल-12.5%
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)			
1.	ओस्ट्रेलिया	डब्ल्यूए 388 पी	एचपीसीएल-8.4%
2.	ओमान	ब्लाक-56	एचपीसीएल-12.5%
3.	मिश्र	दक्षिण सिनाइ	एचपीसीएल-25%
		दक्षिण क्यूसीर	एचपीसीएल-25%

विवरण-II

वर्ष 2011-12 के लिए उत्पादन का लक्ष्य (ओवीएल का हिस्सा)

क्र.सं.	देश का नाम	इकाई	2011-12
1	2	3	4
तेल			
1.	सूडान	एमएमटी	1.765
2.	कोलंबिया	एमएमटी	0.546
3.	वेनेजुएला	एमएमटी	0.868
4.	रूस	एमएमटी	2.299
5.	वियतनाम	एमएमटी	0.034
6.	सीरिया	एमएमटी	0.556
7.	ब्राजील	एमएमटी	0.428
	योग-तेल	एमएमटी	6.496

1	2	3	4
गैस			
1.	रूस	बीसीएम	0.365
2.	वियतनाम	बीसीएम	1.889
	योग-गैस	बीसीएल	2.254
	योग (एमएमटी-ओईजी)		**8.750**

[अनुवाद]

आरपीएफ का उन्नयन

2027. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री पी. करुणाकरन:
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उन्नयन के क्षेत्र में की गयी प्रगति की पद-वार वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनकी रिक्तियों की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित अखिल भारतीय हैल्पलाइन को अब तक शुरु नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) (i) रेलवे सुरक्षा बल की संख्या में वृद्धि करने के लिए 6107 नए अराजपत्रित पद स्वीकृत किए गए हैं।

(ii) भारतीय रेलों के संवेदनशील स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(iii) डाटा/फिडबैक शिकायतों के तत्काल प्रचार-प्रसार के लिए रेलवे सुरक्षा बल की चौकियों और सुरक्षा नियंत्रण कक्षों की नेटवर्किंग प्रक्रियाधीन हैं।

(iv) रेल सुरक्षा बल द्वारा अपेक्षित 30 आधुनिक सुरक्षा संबंधित उपकरण के मानदण्ड और अनुपात मानदंड समिति द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं और आधुनिक सुरक्षा संबंधी उपकरणों की खरीद का कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

(v) रेल सुरक्षा विशेष बल की प्रत्येक 12 वाहिनियों में से एक कम्पनी को कमांडों कंपनी के रूप में निर्धारित किया गया है जो रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों को कमांडों प्रशिक्षण देगी।

(vi) रेल सुरक्षा बल को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आधुनिक हथियार खरीदे गए हैं।

(vii) रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्रों में सुविधाओं का चरणबद्ध आधार पर अपग्रेडेशन किया जा रहा है। प्रथम चरण में सात प्रशिक्षण केन्द्रों को नामित किया गया है। रेल सुरक्षा बल में आंतरिक प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने के लिए, एक कमांडों प्रशिक्षण केन्द्र भी अनुमोदित किया गया है।

रेल सुरक्षा बल की स्वीकृत संख्या 74537 है। इनमें से आज की तारीख में 13455 पद रिक्त हैं। पदों का रिक्त होना और उनको भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। 11952 कांस्टेबल के और 511 उपनिरीक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पदोन्नति रिक्तियां विभागीय चयन के माध्यम से भरी जा रही हैं।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय सुरक्षा हेल्प लाइन अनुमोदित कर दी गई है। तकनीकी ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

टक्कररोधी उपकरण

2028. श्री इन्दर सिंह नामधारी:
श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों की दुर्घटना को रोकने हेतु टक्कररोधी उपकरण (एसीडी) को देश में ही बनाया गया अथवा आयात किया जा रहा है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त उपकरण का सफल परीक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन उपकरणों को रेलवे के सभी जोनों में लगाया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। टक्कर रोधी उपकरणों (एसीडी) उपस्करों का देश में ही निर्माण किया जा रहा है।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर शुरू की गई पायलट परियोजना के अनुसार, 1736 मार्गकिमी. और 548 रेल इंजनों में एसीडी लगाए जाने की लागत 94.91 करोड़ रु. है।

(ग) प्रारंभिक परीक्षण के बाद पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एसीडी लगाए गए थे। यह एकल/दोहरी लाइन का गैर-विद्युतीकृत बड़े आमान वाला खंड था। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से प्राप्त अनुभव के आधार पर एसीडी की विश्वसनीयता और उस पर निर्भरता को बढ़ाने और विद्युतीकृत लाइनों के साथ-साथ बहुल लाइनों पर इसकी कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए इसकी विशिष्टताओं और डिजाइन विन्यास की समीक्षा की गई थी और इसके आधार पर तैयार की गई प्रणाली का 2010-11 में दक्षिण रेलवे के विद्युतीकृत बहुल लाइनों वाले स्वचालित सिगनल प्रणाली वाले खंडों पर परीक्षण किया गया था। दक्षिण रेलवे परपरीक्षण के दौरान अनुभव की गई परिचालनिक और तकनीकों समस्याओं को ध्यान में रखा जा रहा है और सफल वैधीकरण और प्रमाणन के बाद नए एसीडी वर्जन-II को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर लगाया जाएगा।

(घ) और (ङ) परिभाषित मानदंडों के अनुसार, स्वीकार्य निष्पादन सहित सफल वैधीकरण, प्रमाणन और तैनाती के बाद बेहतर एसीडी वर्जन-II के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, पूर्व, पूर्व मध्यम, पूर्व तट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण मध्य, और दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत 8486 किमी. मार्ग के लिए एसीडी कार्यों को स्वीकृति दे दी गई है। इसके पश्चात् इस प्रणाली की अन्य रेलों में उत्तरोत्तर व्यवस्था करने की योजना है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों की लंबाई

2029. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री राजू शेट्टी:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी लंबी सड़कों का निर्माण किया गया तथा इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित थे;

(ख) इस योजना के अंतर्गत किन एजेंसियों को सड़क निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था तथा सड़कों की गुणवत्ता हेतु कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या सरकार को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुछ स्थानों पर पहले ही बना ली गई सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण की जा रही सड़कों के संबंध में तुरंत जानकारी प्रदान करेगी ताकि जनता को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा निर्मित सड़कों की राज्य-वार लंबाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का निष्पादन राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। एसआरआरडीए के अलावा बिहार, झारखंड और त्रिपुरा में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नामित कार्यकारी एजेंसियों को भी लगाया गया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजा के अंतर्गत सड़क कार्यों के निष्पादन और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) एक वेब आधारित अनुप्रयोग साफ्टवेयर- ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखा-व्यवस्था विकसित की गई है

और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाक ी निगरानी के लिए लगाई गई है। वेबसाइट http://omms.nic.in निधियों को जारी करने, निधियों के उपयोग, कार्य की प्रगति की स्थिति, गुणवत्ता निगरानी इत्यादि के संबंध में सूचना उपलब्ध कराती है।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लक्ष्य और पूरी हुई सड़कों की लंबाई

(लम्बाई कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11	
		2008-09 के लिए लक्ष्य	मार्च, 2009 तक पूरी हुई लम्बाई	2009-10 के लिए लक्ष्य	मार्च, 2010 तक पूरी हुई लम्बाई	2010-11 के लिए लक्ष्य	मार्च, 2011 तक पूरी हुई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2500	1885.00	2980	3092.00	2150	2121.48
2.	अरूणाचल प्रदेश	290	317.43	500	622.55	178	366.87
3.	असम	2730	1985.11	2585	2095.88	2008	2057.11
4.	बिहार	5857	2532	5200	2843.27	4644	2515.13
5.	छत्तीसगढ़	4250	2427.08	3500	4020.44	906	1570.66
6.	गोवा	5	0.00	0	0.00	0	0.00
7.	गुजरात	1000	1262.07	1500	1511.02	596	605.97
8.	हरियाणा	750	969.87	700	785.35	200	389.24
9.	हिमाचल प्रदेश	1660	1360.10	1500	1505.61	693	661.82
10.	जम्मू और कश्मीर	1550	469.80	1450	661.54	367	474.00
11.	झारखंड	1200	214.97	1950	1530.90	1482	1599.25
12.	कर्नाटक	1820	2099.13	2600	3019.75	1000	1848.93
13.	केरल	480	240.22	300	264.10	156	245.87
14.	मध्य प्रदेश	7000	7893.72	8000	10398.01	4488	9163.26
15.	महाराष्ट्र	4000	4138.65	2950	3111.50	1292	3718.27
16.	मणिपुर	900	78.95	200	879.68	335	487.42
17.	मेघालय	150	30.80	100	97.92	64	83.31
18.	मिजोरम	280	195.18	200	202.71	150	252.13

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	430	298.53	150	273.66	150	86.00
20.	उड़ीसा	6000	2641.00	2980	3838.43	3800	4941.90
21.	पंजाब	1000	751.62	365	710.00	500	622.72
22.	राजस्थान	8200	10349.93	3750	4350.11	1700	3019.47
23.	सिक्किम	280	308.57	300	98.82	147	85.72
24.	तमिलनाडु	938	609.59	1170	1940.49	1020	2229.01
25.	त्रिपुरा	750	361.27	800	519.93	400	42.11
26.	उत्तर प्रदेश	7610	6461.02	6850	9526.81	3207	3593.79
27.	उत्तराखण्ड	750	645.60	700	764.49	320	551.88
28.	पश्चिम बंगाल	2060	1877.11	1720	1452.04	2137	1385.20
	कुल योग	64440	52404.31	55000	60116.99	34090	45108.53

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

2030. **श्री अरुण यादवः**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः
श्री महेश जोशीः

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा कारपोरेट को यह निदेश दिया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के वहन के लिए अपना 2 प्रतिशत लाभ खर्च करें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे दिशा-निर्देश को जारी करने के बाद सरकार ने यह पता लगाने के लिए क्या कंपनियां सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन कर रही हैं या नहीं, इस हेतु कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए अप्रैल, 2010 में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में सीपीएसई को बोर्ड संकल्प के द्वारा अनिवार्य रूप से पिछले वर्ष के निवल लाभ के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में सीएसआर बजट का सृजन करना होता है। सीपीएसई जिनका लाभ 100 करोड़ रुपए से कम है उनके मामले में सीएसआर हेतु व्यय सीमा किसी वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष के निवल लाभ का 3-5% है; जहां लाभ की सीमा 100 करोड़ से 500 करोड़ है वहां यह सीमा 2-3% (न्यूनतम 3 करोड़ रुपए होने पर) है तथा उन सीपीएसई के लिए जिनमें पिछले वर्ष निवल लाभ 500 करोड़ रुपए से अधिक हुआ यह सीमा 0.5-2% है। सीपीएसई हेतु सीएसआर दिशा-निर्देश में इस बात का भी प्रावधान है कि हानि उठाने वाली कंपनियों के लिए सीएसआर गतिविधियों हेतु निर्दिष्ट फंड की व्यवस्था करना अपेक्षित नहीं है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अभी तक तुल्य निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) से (ङ) सीपीएसई में सीएसआर दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी सीपीएसई से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है तथा एमओयू कार्य दल सीपीएसई एवं प्रशासनिक मंत्रालय के बीच एमओयू समझौते की बातचीत हेतु आयोजित बैठकों में सीपीएसई

के सीएसआर संबंधी कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है। प्रत्येक सीपीएसई के वार्षिक एमओयू मूल्यांकन के लिए गैर-वित्तीय मानकों हेतु आबंटित 50 अंकों में से 5 अंक सीपीएसई द्वारा सीएअसार परियोजनाओं के कार्यान्वियन हेतु निर्धारित हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

2031. श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक उद्यम विभाग ने सरकारी क्षेत्र उद्यमों (पीएसई) हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर अप्रैल, 2010 में कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ पीएसई सीएसआर पर निर्धारित धनराशि खर्च करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत पीएसई-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) एकदर्शन के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के क्रियाकलापों व प्रचालन का ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों तथा पर्यावरण के सभी पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव का दायित्व स्वीकार करते हुए सरकारी उद्यमों द्वारा समाज के हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाता है। लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने कॉर्पोरेट व्यापारिक हितों तथा समाज के सतत विकास में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। सीएसआर के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से इस प्रकार कार्य करना अपेक्षित होता है कि कम्पनी के प्रचालन तथा उसकी संसाधन क्षमता के अनुसार लाभ लघुतम एककों अर्थात ग्राम, पंचायत, ब्लॉक अथवा जिला स्तर तक पहुंच सके।

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अनिवार्य तौर पर अपने निदेशक मण्डल के संकल्प के जरिए पूर्ववर्ती वर्ष के निवल लाभ का एक विशिष्ट प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप में रखना होता है। रु. 100 करोड़ से कम लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के लिए किसी वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय की सीमा पूर्व वर्ष के निवल लाभ के 3-5% तक, रु. 100 करोड़ से रु. 500 करोड़ तक लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के मामले में 2-3% (परन्तु न्यूनतम रु. 3 करोड़) तथा 500 करोड़ रुपए से अधिक निवल लाभ वाले उद्यमों के मामले में 0.5-2% है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सीएसआर बजट का निर्धारण करना होता है और इससे संबंधित कोष व्यपगत नहीं होता है। सीएसआर के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई परियोजनाओं के समुचित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है। सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल उत्तरदायी होते हैं तथा इन क्रियाकलापों को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन का भाग बनाया जाता है।

सीएसआर दिशानिर्देशों मे यह प्रावधान है कि घाटा उठाने वाली कम्पनियों को सीएसआर हेतु विशेष कोष निर्धारित करने का अधिदेश नहीं दिया जाए। उन्हें यथाव्यवहार्य मामलों में व्यापारिक प्रक्रियाओं को सामाजिक प्रक्रियाओं से एकीकृत करके और नकद परिव्यय के बिना की जाने वाली पहल के जरिए सीएसआर उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है।

(ग) और (घ) दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्येक वर्ष सीएसआर कार्यों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के निवल लाभ का कुछ प्रतिशत आबंटित करना होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित यह सीएसआर कोष व्यपगत नहीं होता है और यदि कोई राशि खर्च नहीं हो पाती तो उसे अगले वर्ष के सीएसआर कोष में अग्रेनीत कर दिया जाता है।

(ङ) सीएसआर के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को कोई क्षेत्र-वार राशि आबंटित नहीं की जाती है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने पूर्ववर्ती वर्ष के निवल लाभ के आधार पर प्रत्येक वर्ष सीएसआर के लिए राशि का आबंटन स्वयं करना होता है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

2032. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार रेलवे के पास अनुकंपा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए आगरा मंडल सहित जोन-वार/मंडल-वार कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए, अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे आवेदनों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 30.06.2011 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मंडल	लंबित आवेदनों की संख्या
1	2
मुंबई	63
भुसावल	13
नागपुर	07
पुणे	14
सोलापुर	01
मुख्यालय एवं अन्य	70
कुल	168
पूर्व मध्य रेलवे	
समस्तीपुर	60
सोनपुर	64
दानापुर	20
धनबाद	17
मुगलसराय	03
मुख्यालय एवं अन्य	32
कुल	196
पूर्व रेलवे	
हावड़ा	61

1	2
सियालदह	76
आसनसोल	22
मालदा	07
मुख्यालय एवं अन्य	27
कुल	193
पूर्व तट रेलवे	
वाल्तेरू	23
संबलपुर	03
खुरदा रोड	16
मुख्यालय एवं अन्य	22
कुल	64
उत्तर रेलवे	
दिल्ली	18
मुरादाबाद	08
फिरोजपुर	12
अंबाला	07
लखनऊ	14
मुख्यालय एवं अन्य	29
कुल	88
उत्तर मध्य रेलवे	
इलाहाबाद	27
झांसी	21
आगरा	02
मुख्यालय एवं अन्य	00
कुल	50
पूर्वोत्तर रेलवे	
लखनऊ	27

1	2
वाराणसी	15
इज्जतनगर	13
मुख्यालय एवं अन्य	33
कुल	88
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
अलीपुरद्वार	01
लमडिंग	31
कटिहार	02
तिनसुकिया	16
रंगिया	09
मुख्यालय एवं अन्य	30
कुल	89
उत्तर पश्चिम रेलवे	
जयपुर	15
अजमेर	06
जोधपुर	34
बीकानेर	23
मुख्यालय एवं अन्य	36
कुल	114
दक्षिण रेलवे	
चेन्नै	17
त्रिची	14
मदुरै	34
पालघाट	04
त्रिवेन्द्रम	57
सेलम	12

1	2
मुख्यालय एवं अन्य	09
कुल	147
दक्षिण मध्य रेलवे	
सिकंदराबाद	04
हैदराबाद	43
विजयवाड़ा	94
गुंतकल	88
गुंटूर	12
नांदेड	28
मुख्यालय एवं अन्य	32
कुल	301
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	
रायपुर	52
बिलासपुर	33
नागपुर	33
मुख्यालय एवं अन्य	10
कुल	128
पश्चिम रेलवे	
मुंबई	17
वडोदरा	09
अहमदाबाद	07
रतलाम	06
राजकोट	19
भावनगर	03
मुख्यालय एवं अन्य	24
कुल	85

1	2
दक्षिण पूर्व रेलवे	
आद्रा	26
चक्रधरपुर	35
खड़गपुर	10
रांची	10
मुख्यालय एवं अन्य	33
कुल	114
दक्षिण पश्चिम रेलवे	
हुबली	54
बैंगलुरू	31
मैसूर	22
मुख्यालय एवं अन्य	41
कुल	148
पश्चिम मध्य रेलवे	
जबलपुर	05
भोपाल	36
कोटा	00
मुख्यालय एवं अन्य	07
कुल	48

(ख) 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (30.06.2011 तक) की अवधि के दौरान कुल 34447 उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं।

(ग) पूर्व कर्मचारी के परिवार को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के प्रत्येक मामले को शीघ्रता से निपटाया जाता है। अनुकंपा के आधार पर शीघ्र नियुक्ति किए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) आवेदन प्राप्त होने के साथ ही परिवार के सदस्यों से संपर्क करने और ब्यौरों की जांच किए जाने के लिए कल्याण निरीक्षकों को तैनात कर दिया जाता है।

(ii) मंडल स्तर पर मंडल कार्मिक अधिकारियों/वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारियों और मुख्यालय स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारियों तथा अन्य इकाइयों में भी कार्मिक शाखा के प्रमुखों द्वारा इस संबंध में सतत् निगरानी रखी जाती है।

(iii) आवेदकों की उपयुक्तता निर्धारण के लिए नियमित रूप से चयन किया जाता है।

(iv) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में शिकायतों के निपटान के लिए अनुकंपा नियुक्ति अदालते भी आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं।

(v) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा रेलवे बोर्ड द्वारा भी नियमित रूप से की जाती है।

[हिन्दी]

नयी रेलगाड़ियों के प्रस्ताव

2033. श्री संजय सिंह चौहानः
श्री पन्ना लाल पुनियाः
श्री कादिर राणाः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि अनुसार उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार रेलवे के पास नयी रेलगाड़ी सेवाओं को शुरू करने के कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) मुजफ्फरनगर सहित स्टेशनों के आधुनिकीकरण तथा टिकट काउंटरों के कंप्यूटरीकरण हेतु उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी;

(घ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में नयी रेल लाइनों को बिछाए जाने हेतु शुरू किए गए तथा लंबित सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्यों को कब तक पूरा किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) नई गाड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बहरहाल, भारतीय रेलवे नई गाड़ी सेवाएं राज्य-वार आधार पर नहीं चलाती हैं क्योंकि रेलवे नेटवर्क राज्य की सीमाओं के बाहर तक फैला हुआ है।

(ख) और (ग) अपग्रेड की गई यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मॉडल स्टेशन योजना जून 1999 से नवंबर, 2008 के बीच प्रचलित थी। मॉडर्न स्टेशन की योजना वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में प्रचलित थी। फिलहाल, आदर्श स्टेशन योजना लागू है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य से अभी तक 63 स्टेशनों की पहचान की गयी है। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से संबंधित स्टेशनों को अपग्रेड करना/आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है। मुजफ्फरनगर स्टेशन की फिलहाल इस योजना के अंतर्गत पहचान नहीं की गयी है।

भारतीय रेलों पर सभी स्टेशनों के लिए हाल्ट स्टेशनों को छोड़कर अनारक्षित टिकट काउंटरों को कंप्यूटरीकरण हेतु अनुमोदित किया गया है। सभी स्टेशनों पर जहां मानवीय कोटा उपलब्ध है, कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। यह एक चालू प्रक्रिया है। मुजफ्फरनगर पर आरक्षित और अनारक्षित टिकटों के लिए कंप्यूटरीकृत काउंटरों की व्यवस्था की गई है।

(घ) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में आंशिक/पूर्णतः पड़ने वाली निम्नलिखित नई लाइनों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है-

क्र.सं.	नई लाइन के सर्वेक्षण का नाम	अनुमानित लागत	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	फैजाबाद-लालगंज	653.70	सर्वेक्षण रिपोर्ट मंत्रालय में जांचाधीन है।
2.	गजरौला-मैनपुरी	881.40	
3.	पानीपत-मेरठ	855.57	
4.	दौराला-बिजनौर	755.80	
5.	अलीगंज-छाता	736.39	
6.	खुर्जा-राया	583.09	
7.	एटा-कासगंज	213.28	
8.	बुडवल-बहराइच	-	
9.	माझी-लार रोड	-	
10.	सीतापुर-बहराइच	-	
11.	नैनीताल-काठगोदाम	-	
12.	फर्रूखाबाद शाहजहांपुर	-	
13.	कुशीनगर-कपिलवस्तु	-	
14.	घुघुली-आनंदनगर	-	
15.	बलरामपुर-खलीलाबाद	-	
16.	इटावा-कासगंज	-	
17.	बाराबंकी-फतेहाबाद	-	सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है।
18.	रेवाड़ी-पलवल-खुर्जा	-	

1	2	3	4
19.	फफुंद-कोंच	–	
20.	हमीरपुर-हमीरपुर रोड	–	
21.	भरतपुर-कोशीकलां	–	
22.	कोंच-जालोन ओरई	–	
23.	झांसी-सवाईमाधोपुर	–	
24.	अटा-रगोल तथा जलालपुर भरवा सुमेरपुर	–	
25.	हस्तिनापुर-मेरठ नई लाइन	259.86	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्थगित कर दी गई है।
26.	लालगंज-बछरवान	233.63	योजना हटा दी गई है।
27.	सम्भल-गजरौला	175.16	योजना आयोग द्वारा प्रस्ताव लौटा दिया गया है।
28.	गोवर्धन-कोशीकलां	195	योजना हटा दी गई है।
29.	कासगंज-खुर्जा	462.59	योजना हटा दी गई है।

(ङ) नई लाइन के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाने के बाद, पहले मंत्रालय में सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जाती है। वित्तीय दायिता, परिचालनिक आवश्यकताओं और अन्य विचारणीय मामलों के आधार पर परियोजना प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजा जाता है। योजना आयोग, रेलवे के लिए विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) और अवसंरचना पर मंत्रीमंडल समिति (सीसीआई) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद परियोजना को रेलवे बजट में शामिल किया जाता है। इसलिए, किसी भी परियोजना प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया के लिए कोई भी निर्धारित समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास हेतु ठोस योजना

2034. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** विकास बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने ग्रामीण आवास हेतु ठोस योजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सीमित द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस नयी योजना से बीपीएल परिवारों को किस हद तक लाभ होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण आवास हेतु ठोस बैकिंग योजनाएं तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(i) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों को इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत दी जाने वाली इकाई सहयता को बढ़ाकर 75,000/- रु. किया जाए।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत उक्त परिवारों के लिए स्वीकार्य ऋण की राशि बढ़ाकर 50,000 रु. की जाए तथा पुनर्भुगतान अवधि भी बढ़ाकर 15 वर्ष की जाए।

(ii) गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों को निम्नानुसार ऋण दिए जा सकते हैं:

5% ब्याज सब्सिडी सहित नए मकान के निर्माण के लिए 2 लाख रु. तक की राशि तथा पुराने मकान को बढ़ाने/उसके उन्नयन/मरम्मत के लिए 1 लाख रु. तक की राशि।

4% ब्याज सब्सिडी सहित नए मकान के निर्माण के लिए 3 लाख रु. तक और पुराने मकान को बढ़ाने/उसके उन्नयन/मरम्मत के लिए 1.5 लाख रु. तक की राशि।

(iii) बीपीएल तथा एपीएल दोनों परिवारों को 5% ब्याज सब्सिडी सहित (क) आवास एवं (ख) आय सर्जक कार्यकलापों के लिए ऋण दिए जा सकते हैं।

(iv) ग्रामीण आवास के लिए समूह आधारित ऋण व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए।

(ग) समिति की सिफारिशों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उनकी टिप्पणी हेतु भेजा गया है। इन्हें योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु गठित ग्रामीण आवास संबंधी कार्य दल को भी प्रस्तुत किया गया है।

(घ) यदि इन सिफारिशों को स्वीकार एवं कार्यान्वित किया जाता है तो इनसे बीपीएल एवं एपीएल परिवारों को अपनी इच्छानुसार स्थायी एवं सुन्दर आवास निर्मित करने के लिए वित्तीय संस्थानों से निधियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

रेल संरक्षा निधि

2035. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में सुरक्षा उपाय हेतु धनराशि को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूंजीगत विकास निधि के अंतर्गत आबंटन को कम कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय रेल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो नुकसान की भरपाई करने तथा सुरक्षा उपाय और विकास क्रियाकलापों हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। भारतीय रेल द्वारा संरक्षा को हमेशा से उच्चतम प्राथमिकता दी गई है और संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय योजनागत और गैर-योजनागत दोनों के परिव्यय के भाग के रूप होता है।

(ख) और (ग) संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर गैर-योजनागत व्यय 2009-10 में 23,140 करोड़ रुपए और 2010-11 में 22,375 करोड़ रुपए था, जबकि योजनागत व्यय को 2009-10 में 7,516 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 8,327 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बहरहाल, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से रेलवे के पास संसाधनों की उपलब्धता पर दबाव पड़ा है, इस प्रकार आबंटन और बढ़ाने में रेलवे की क्षमता सीमित हो गई है। बहरहाल, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए संरक्षा संबंधित कार्यों को उचित रूप से प्राथमिकता दी गई है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। बहरहाल, लाभांश के पश्चात रेलवे द्वारा सृजित आधिक्य 2008-09 में 4,456.78 करोड़ रुपए से घटकर 2009-10 में 0.75 करोड़ रुपए हो गया है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभाव स्थिर हो जाने से तथा रेलवे की आमदनी में सुधार होने से आधिक्य 2010-11 में सुधरकर 1,405 करोड़ रु. हो गया है, क्योंकि 2010-11 में आमदनी 8.5 प्रतिशत की अच्छी खासी वृद्धि दर्ज हुई है। आगामी वर्षों में आंतरिक संसाधनों के बेहतर होने की आशा है जिससे रेलवे संरक्षा तथा विकास संबंधी खर्चों सहित अधिक धन आबंटित कर पाएगा।

परियोजनाओं का पूर्ण होना

2036. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री रमेन डेका:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम तथा ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र से सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की पूर्ण होने की क्या स्थिति है;

(ख) क्या राज्यों में केन्द्र से सहायता प्राप्त लगभग 50 प्रतिशत परियोजनाओं में विलंब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रक्रिया को गति देने के लिए क्या कार्य-योजना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) 30 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार, 150 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की 560 परियोजनाएं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की निगरानी में थी। परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 30 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय की निगरानी वाली 560 परियोजनाओं में से 251 परियोजनाओं में विलंब उनके समापन की मूल समय-सीमा के संबंध में है।

(ग) विलंब से चलने वाली परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है। परियोजनाओं में विलंब और लागत में बढ़ोतरी रोकने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- द्वि-स्तरीय क्लियरेंस प्रणाली अपनाना तथा निवेश के अनुमोदन से पूर्व परियोजनाओं का एकदम सही-सही मूल्यांकन करना;
- निधियों की पूर्णत: व्यवस्था के बाद ही परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लेना;
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 150 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत वाली परियोजना की समय तथा लागतवृद्धि की मासिक एवं त्रैमासिक निगरानी।
- संबंधित अवसंरचना मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर परियोजनाओं की गहराई से समीक्षा करना;
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास से संबंधित मामलों, वन अनुमतियों, पर्यावरण/वन्य जीव अनुमतियों, अतिक्रमण हटाना, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की उपलब्धता, परियोजना स्थलों पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना। इस मंत्रालय ने राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं को सुसाध्य बनाने के लिए संबंधित मुख्य सचिवों के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी) गठित करने हेतु राज्यों को सलाह दी है;
- पीआईबी के बजाय विस्तारित रेलवे बोर्ड जैसी विभागीय समितियों के माध्यम से तीव्र मूल्यांकन;
- समय और लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु संबंधित अपर सचिवों की अध्यक्षता में मंत्रालयों/विभागों में सरकार द्वारा स्थायी समितियों का गठना करना;
- कार्यकाल की निरंतरता के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति;
- कंप्यूटर नेटवर्क आधारित मॉनीटरिंग अपनाना; और
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सीपीएसयू के परियोजना प्रबंधकों के लिए परियोजना नियोजन, मॉनीटरिंग एवं परियोजना प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं संगोष्ठियां आयोजित करना।

विवरण

		कुल परियोजनाएं				लंबित परियोजनाएं				
क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत	अनुमानित लागत	संचयी व्यय	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत	अनुमानित लागत	संचयी व्यय	सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	31	30947.82	36480.33	17698.96	31	18204.57	21712.38	13158.30	3.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	9512.22	9610.51	6689.45	4	8782.23	8782.23	6342.90	37.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	37	22540.13	28005.68	14567.38	37	13500.96	18868.76	11921.42	12.120
4.	बिहार	27	27513.33	31452.72	18284.07	27	24388.22	25272.73	15288.83	6.82
5.	छत्तीसगढ़	19	22504.86	37937.78	14025.71	19	12238.37	13921.62	9847.18	5.48
6.	दिल्ली	2	8925.00	19123.77	17614.64	2	8925.00	19123.77	17614.64	12.54
7.	गोवा	1	204.73	204.73	32.50	0	0.00	0.00	0.00	
8.	गुजरात	26	19491.34	20457.76	4298.87	7	4941.91	5315.33	2014.17	1.70
9.	हरियाणा	10	4821.32	6546.83	4064.07	2	776.49	78[illegible]	854.71	12.13
10.	हिमाचल प्रदेश	7	15023.26	15105.54	11545.59	7	15023.26	15105.[illegible]	11545.59	11.58
11.	जम्मू और कश्मीर	8	8293.37	18455.56	11085.25	8	8293.37	18455.56	11085.25	4.201
12.	झारखंड	21	9612.58	14445.17	5777.78	7	2223.18	2329.77	572.07	17.44
13.	कर्नाटक	21	27652.42	35040.98	13846.95	8	9134.50	14236.21	5471.69	6.82
14.	केरल	6	5235.00	6482.11	5239.77	3	1244.50	1142.00	1523.00	26.52
15.	मध्य प्रदेश	25	18938.72	18543.21	6488.83	15	13630.23	12534.71	5608.38	8.38
16.	महाराष्ट्र	49	70088.08	84094.96	33007.78	25	40994.14	51470.20	23224.63	2.54
17.	मिजोरम	2	988.06	3343.04	230.48	1	368.72	913.63	227.58	90
18.	बहुराज्य	106	120189.48	130154.23	44401.90	26	19115.56	24482.05	11887.24	2.213
19.	नागालैंड	1	850.00	850.00	7.98	0	0.00	0.00	0.00	
20.	उड़ीसा	26	51981.30	59843.75	13060.68	11	12514.95	18689.25	4621.98	12.114
21.	पंजाब	9	5163.69	6509.65	2962.00	4	2300.63	2430.63	1090.16	1.51
22.	राजस्थान	16	13438.03	14167.15	7924.26	6	7739.56	8150.53	5784.70	6.31
23.	सिक्किम	2	1603.77	3644.86	189.57	1	309.40	264.29	136.56	17
24.	तमिलनाडु	36	43747.83	52878.94	34441.99	18	33643.55	39601.90	30297.16	6.72
25.	त्रिपुरा	3	1522.39	2018.86	277.02	1	421.01	623.44	64.92	18
26.	उत्तर प्रदेश	31	15876.67	18071.40	9897.13	20	11561.00	11743.39	7912.77	12.81
27.	उत्तराखण्ड	7	8777.62	11457.08	4088.77	6	8628.47	11298.36	4063.10	20.83
28.	पश्चिम बंगाल	27	38340.33	43472.86	19917.88	13	20330.66	22108.27	15817.59	2.93
	कुल	560	603783.35	728399.46	321667.26	251	272247.64	338867.02	198475.32	

आय की असमानता

2037. श्री ए. गणेशमूर्तिः
श्री विजय बहादुर सिंहः

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा जारी 66वें घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार आय असमानता में अंतर बढ़ गया है और देश के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के 10 प्रतिशत शीर्ष तथा निम्न स्तर पर व्यापक अंतर व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सेर्वक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) पारिवारिक आय से संबंधित सूचना एकत्र नहीं करता। तथापि, यह परिवार के उपभोग व्यय संबंधी सूचना एकत्र करता है।

(ख) रा.प्र.सर्वे. के 66वें दौर के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) के सबसे निचले 10% वर्ग का मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 377.06 रु. और एमपीसीई के सबसे ऊपर के 10% वर्ग का मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 2394.66 रु. था। शहरी क्षेत्रों के मामले में यह आंकड़े क्रमशः 521.32 रु. और 5673.16 रु. थे।

(ग) सरकार गरीबी निवारण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, जिनका उद्देश्य मजदूरी पर रोजगार तथा अनुपूरक आय उपलब्ध कराकर गरीबों की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है, साथ ही सरकार ऐसी बुनियादी सुविधाएं तथा अन्य परिसंपत्तियों का सृजन कर रही है जो विकास दर को प्रभावित करके गरीबी में कमी ला सकती हैं। सरकार कई कार्यक्रमों में विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लक्ष्य बनाया गया है। इनमें (i) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) (ii) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), (iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), (iv) समन्वित बाल विकास योजना (आईसीडीएस), (v) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और (vi) राजीव आवास योजना (आरएवाई) उल्लेखनीय हैं।

आपराधिक घटनाएं

2038. श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्री पी.टी. थामसः
श्री जगदीश शर्माः
श्रीमती प्रिया दत्तः
श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री कौशलेन्द्र सिंहः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को अप्रैल, 2011 में नई दिल्ली से पलवल ई.एम.यू. के महिला डिब्बों में महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लापरवाही के लिए उक्त रेलगाड़ी में तैनात सुरक्षा कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) जनवरी, 2010 से रेलगाड़ियों में चोरी, सेंधमारी, छेड़छाड़, लूटपाट और हत्याओं की कुल दर्ज की गई घटनाओं का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 07.04.2011 को दैनिक जागरण समाचारपत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि 05.04.2011 को नई दिल्ली से पलवल तक की ईएमयू गाड़ी के महिला कंपार्टमेंट में महिला यात्रियों के साथ छेड़खानी और दुर्व्यवहार की घटना हुई थी। राजकीय रेल पुलिस/फरीदाबाद द्वारा जांच के दौरान समाचारपत्र में बताए गए नाम वाली महिला यात्री ने घटना होने से इंकार कर दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में रख दिया गया है।

(घ) अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी छानबीन करना और रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस का सांविधिक उत्तरदायित्व है जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से करते हैं। अतः रेलों पर होने वाले अपराध के मामले राजकीय रेल पुलिस को रिपोर्ट किए जाते हैं, उनके द्वारा इन मामलों को दर्ज एवं छानबीन की जाती है।

बहरहाल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. विभिन्न राज्यों के राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन 2200 गाड़ियों का मार्ग रक्षण करने के अलावा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा भी प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियों का मार्ग रक्षण किया जाता है।

2. 202 संवेदनशील और भेद्य रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक समेकित सुरक्षा प्रणाली स्वीकृत की गई जिसमें क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा नेटवर्क द्वारा भेद्य स्टेशनों की इलैक्ट्रॉनिक निगरानी रखने, एक्सेस कंट्रोल, तोड़फोड़रोधी जांच करना शामिल हैं।

3. राजकीय रेल पुलिस द्वारा अपराधों का समुचित पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलि के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. स्टेशनों और गाड़ियों में नियमित घोषणाओं द्वारा यात्रियों को नशीले पदार्थ खिलौने जैसे अपराधों के विरुद्ध जन जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं।

5. यात्रियों से संबंधित अपराधों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए रेल सुरक्षा बल को सशक्त बनाने के लिए रेल सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

विवरण

जनवरी, 2010 से जून, 2011 की अवधि के दौरान गाड़ियों में सूचित किए गए चोरी, डकैती, महिलाओं से छेड़खानी, लूटपाट और हत्या की घटनाएं

रेलवे	वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामले				
		चोरी	लूटपाट	महिलाओं से छेड़खानी	लूट	हत्या
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	2010	845	0	5	29	5
	2011	615	0	1	16	1
पूर्व	2010	322	0	1	28	1
	2011	175	0	1	4	1
पूर्व मध्य	2010	510	0	0	40	4
	2011	304	0	0	20	4
पूर्व तट	2010	262	0	0	1	0
	2011	98	0	0	4	0
उत्तर	2010	500	0	18	18	4
	2011	284	0	6	8	4
उत्तर मध्य	2010	505	0	6	7	0
	2011	360	0	2	8	0

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर	2010	54	0	0	16	1
	2011	30	0	0	8	0
पूर्वोत्तर सीमा	2010	115	0	0	10	0
	2011	59	0	0	5	0
उत्तर पश्चिम	2010	227	0	7	0	0
	2011	145	0	0	0	0
दक्षिण	2010	408	0	20	2	0
	2011	186	0	24	04	0
दक्षिण मध्य	2010	463	0	5	20	1
	2011	259	0	3	5	0
दक्षिण पूर्व	2010	145	0	0	1	1
	2011	63	0	0	4	0
दक्षिण पूर्व मध्य	2010	336	0	1	9	0
	2011	136	0	0	2	0
दक्षिण पश्चिम	2010	175	0	0	5	0
	2011	127	0	0	12	0
पश्चिम	2010	589	0	0	13	1
	2011	422	0	0	2	0
पश्चिम मध्य	2010	861	0	11	8	0
	2011	439	0	5	2	2
जोड़	2010	5995	0	74	207	18
	2011	3527	0	42	104	12

रूग्ण/बंद भेषज कंपनियां

2039. योगी आदित्यनाथ: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रूग्ण/बंद भेषज कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके कारण देश में आम आदमी को सस्ते औषध और दवाइयों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों को पुनरुद्धार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) देश में रुग्ण/बंद औषध कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

1.	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)	रूग्ण	महाराष्ट्र
2.	बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	रूग्ण	पश्चिम बंगाल में माणिकतला और पानीहाटी उत्तर प्रदेश में कानपुर महाराष्ट्र में मुंबई
3.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	रूग्ण	गुडगांव
4.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि., (आईडीपीएल की सहायक	रूग्ण	तमिलनाडु
5.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (सरकारी उद्यम)	रूग्ण	ओडिशा
6.	बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिल्स लि. (आईडीपीएल की सहायक कंपनी)	रूग्ण	बिहार
7.	बंगाल इम्यूनिटी लि. (बीआईएल), कोलकाता,	बंद	पश्चिम बंगाल
8.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (एसएसपीएल), कोलकाता	बंद	पश्चिम बंगाल
9.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. नागपुर (एचएएल का संयुक्त उद्यम)	बंद	पश्चिम बंगाल
10.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (एमएसडीपीएल) इम्फाल (एचएएल का संयुक्त उद्यम)	बंद	मणिपुर

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने दिनांक 09 मार्च, 2006 को एचएएल के लिए पुनर्वास स्कीम का अनुमोदन किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 137.59 करोड़ रुपए की नकद सहायता तथा 259.43 करोड़ रुपए के विगत ऋणों और उनपर ब्याज (दिनांक 31.03.2005 की स्थिति के अनुवार) को माफ करने का प्रावधान है। इसी प्रकार भारत सरकार ने दिनांक 21.12.2006 को बीसीपीएल के लिए पुनरूद्धार स्कीम का भी अनुमोदन किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 207.19 करोड़ रुपए की नकद सहायता तथा 233.41 करोड़ रुपए तक के विगत ऋणों और उन पर ब्याज (दिनांक 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार) को माफ करने का प्रावधान है। आईडीपीएल के लिए पुनरुद्धार स्कीम औषध विभाग के सक्रिय विचाराधीन है।

सीधी सब्सिडी योजनाएं

2040. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री यशवीर सिंह:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री नीरज शेखर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई सीधी सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) सीधी सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु कौन-सा मानदण्ड अपनाया गया है;

(घ) क्या सरकार के पास केरोसीन के उपयोगकर्ताओं के बारे में कोई डाटाबेस है जैसाकि एलपीजी उपभोक्ताओं के मामले में है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार सीधी सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की पहचान कैसे करेगी; और

(छ) उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित राज्य-वार, कंपनी-वार ऐसे बीपीएल परिवारों की संख्या क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (च) वित्त मंत्री के अपने बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के बाद, सरकार द्वारा फरवरी, 2011 में एक कार्य बल का गठन किया। अध्यक्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की अध्यक्षता में, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर राजसहायताओं के सीधे अंतरण हेतु अमल में लाए जाने योग्य समाधान की सिफारिश की है।

कार्य बल हकदार लाभार्थियों को नगदी के समतुल्य राजसहायता अंतरण की प्रणाली की सिफारिश करेगा।

जहां तक पीडीएस मिट्टी तेल का संबंध है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वार्षिक आवंटन जारी करता है। राज्य के अंदर राशन की दुकानों/खुदरा विक्रेताओं द्वारा राशनकार्ड धारकों को पीडीएस मिट्टी तेल के आगे का वितरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। लाभार्थी की पहचान और लाभार्थियों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए हकदारी पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकार/संघ शासित प्रदेश सरकार की है।

दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 12.54 करोड़ है, जो राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी का लाभ उठा रहे हैं।

(छ) दिनांक 01.07.2011 की स्थिति के अनुसार, देश में बीपीएल परिवारों के पास 72,37,560 एलपीजी कनेक्शन हैं, इनमें से 54,950 बीपीएल एलपीजी ग्राहक उत्तर प्रदेश राज्य में हैं।

न्यायालयों में लंबित मामले

2041. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री उदय सिंह:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई 2011 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, सत्रीय न्यायालय, निचली अदालतों तथा स्थानीय अदालतों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देशभर में आगामी छह महीने में लंबित न्यायालय के मामलों में 40 प्रतिशत के निपटान हेतु विशेष कार्यक्रम आरंभ करने अथवा नेशनल एरियर ग्रिड आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों के निपटान हेतु राज्यवार क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निधियां उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30.06.2011 तक फाइल किए गए कुल 57179 मामलों में से, यदि संबद्ध मामलों को अपवर्जित कर दिया जाता है तो लंबित मामलों की संख्या केवल 33538 है। 30.06.11 तक इन 57179 मामलों में से 20253 मामले वर्तमान में फाइल किए गए हैं जो एक वर्ष से कम पुराने हैं और इस प्रकार 30.06.2011 तक बकाया मामले (एक वर्ष से अधिक लंबित मामले) केवल 36926 मामले हैं। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में 30.09.2010 तक मामलों की कुल संख्या क्रमशः 42,17,903 और 2,79,53,070 थी।

(ख) जी हां। सरकार ने, न्यायालयों में मामलों की लंबित संख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित विशेष पहल आरंभ की हैं:

(i) सरकार ने, जुलाई से दिसम्बर, 2011 तक न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक अभियान आरंभ करने हेतु उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है।

(ii) सरकार ने 'राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन' की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करना।
- संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और निष्पादन मानकों तथा क्षमताओं को नियत करके जवाबदेही में अभिवृद्धि करना।

राष्ट्रीय बकाया मामले ग्रिड, ई-न्यायालय परियोजना के अधीन उसके पूरे हो जाने पर ही स्थापित की जाएगी। ग्रिड, न्यायालयों के मामलों के तुरंत निपटान के लिए नहीं हैं बल्कि बकाया मामलों और न्यायिक आंकड़ों की मानिटरी के लिए है।

(ग) से (च) सरकार द्वारा, न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए अनेक अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए बजट उपबंध में भी काफी वृद्धि की गई है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1. अधीनस्थ न्यायपालिका के अवसंरचनात्मक विकास के प्रति मिशन पद्धति का दृष्टिकोण राष्ट्रीय न्याय परिदान मिशन के अधीन मुख्य पहलों में है, जिसको सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना की अपर्याप्तता, न्याय के शीघ्र परिदान में एक अड़चन रही है। इसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 में अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के लिए आबंटन में रु. 100 करोड़ से रु. 500 करोड़ तक पांच गुणा वृद्धि की गई है। अविशेष राज्यों के लिए वित्तपोषण पैटर्न में भी 50:50 से 75:25 तक की वृद्धि की गई है और उसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के आधार पर जारी रखा जाना है।

2. सरकार ने, पांच वर्ष की अवधि 2010-2015 के दौरान देश में न्याय प्रदान प्रणाली में सुधार करने के लिए राज्यों को रु. 5000 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वर्ष, 2010-11 के दौरान राज्यों को पहले ही रु. 1000 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है। अन्य बातों के साथ राज्य, इन अनुदानों की सहायता से, लंबित मामलों को कम करने के लिए, प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली/विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय, स्थापित कर सकते हैं, न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति, एडीआर केन्द्रों की स्थापना कर सकते हैं और मध्यकताओं/मध्यस्थों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, अधिक लोक अदालतें आयोजित कर सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, राज्य न्यायिक अकादमियों को सशक्त करने के लिए, लोक अभियोजक के प्रशिक्षण और हेरिटेज न्यायालय भवनों के रखरखाव के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

3. न्याय परिदान प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए, सरकार, रु. 935 करोड़ की अनुमानित लागत पर देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ई-न्यायालय परियोजना तथा वरिष्ठ न्यायालयों में आई सी टी अवसंरचना के उन्नयन को कार्यान्वित कर रही है। 31 मार्च, 2012 तक 12000 न्यायालयों और 31 मार्च, 2014 तक 14,249 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य है।

4. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का अधिनियमन, जो निर्धन व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध करता है। चालू वर्ष में आबंटन को रु. 40 करोड़ से बढ़ाकर रु. 150 करोड़ कर दिया गया है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत धनराशि

2042. श्री रेवती रमण सिंह:
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु किस हद तक इस धनराशि का राज्यवार उपयोग किया गया है;

(ग) इस संबंध में धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या निगरानी की गयी/अनुवर्ती कार्यवही की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों की तुलना में इस योजना के अंतर्गत धनराशि के आवंटन को कम कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) वर्ष 2011-12 के दौरान (जून, 2011 तक) राज्यों को रिलीज की गई निधियों और किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धि की निगरानी एवं उसका मूल्यांकन, राज्यों से प्राप्त मासिक, तिमाही, छमाही एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, परियोजनाओं की प्रगति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी अन्य पहलुओं के संदर्भ में पीएमजीएसवाई की राज्यों के साथ नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जा रही है। यह समीक्षा कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं (राज्यों के समूह के साथ) तथा अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से की जाती है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के लिए बजटीय आबंटन निम्नानुसार है:

2008-09	–	7,780.15 करोड़ रु.
2009-10	–	11,340 करोड़ रु.
2010-11	–	22,399.5 करोड़ रु.
2011-12	–	बजट अनुमान 20,000 करोड़ रु.

विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) वर्ष 2011-12 के दौरान रिलीज की गई निधियां तथा व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	की गई रिलीज 2011-12 (जून, 2011 तक)	किया गया व्यय 2011-12 (जून, 2011 तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	54.85	70.06
2.	अरूणाचल प्रदेश	83.27	30.66
3.	असम	547.75	303.51
4.	बिहार	1308.73	533.69
5.	छत्तीसगढ़	0.00	76.63
6.	गोवा	-	-
7.	गुजरात	40.00	152.26
8.	हरियाणा	60.00	8.12
9.	हिमाचल प्रदेश	5.00	27.93
10.	जम्मू और कश्मीर	450.00	60.75
11.	झारखंड	0.00	101.2
12.	कर्नाटक	0.00	201.54
13.	केरल	0.00	18.38
14.	मध्य प्रदेश	635.00	264.18
15.	महाराष्ट्र	5.00	209.8
16.	मणिपुर	59.69	110.63
17.	मेघालय	0.00	11.81
18.	मिजोरम	93.63	13.24
19.	नागालैंड	0.00	0.82
20.	उड़ीसा	559.00	342.12
21.	पंजाब	90.00	11.27
22.	राजस्थान	7.76	103.98
23.	सिक्किम	0.00	0.52
24.	तमिलनाडु	45.00	282.91
25.	त्रिपुरा	0.00	70.48
26.	उत्तर प्रदेश	5.00	70.41
27.	उत्तराखण्ड	260.00	71.27
28.	पश्चिम बंगाल	5.00	103.36
	कुल	4314.68	3251.53

बाढ़ का पूर्वानुमान

2043. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इन्सैट उपग्रहों का प्रयोग कर तत्समय बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ पूर्वानुमान निगरानी निदेशालय ने यह रिपोर्ट दी है कि असम और बिहार में कुछ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) जल मौसम विज्ञानी आंकड़े के संग्रहण और संचार हेतु वास्तविक समय टेलीमीटर प्रणाली पर आधारित इनसेट उपग्रहों का प्रयोग करके अपने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क को आधुनिक बना रहा है। अब तक 223 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा 222 केन्द्र और स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस मॉनसून के दौरान, असम में अभी तक ब्रह्मपुत्र, जियाभराली, बेकी, धनसिरी (दक्षिण), बराक, कटारवाल, कपिली, देसांग, दिखौ, बूढ़ी दीहिंग, पुठिमारी, सुबनसिरी, संकोश, मानस नदियां खतरे के निशान से ऊपर बही हैं। बिहार में गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कोसी, महानंदा, सोन, कमला बालन खतरे के निशान से ऊपर बही हैं।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग, विभिन्न प्रयोक्ता अभिकरणों जैसे संबंधित राज्यों के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभागों, जिला प्रशासन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा रेलवे, रक्षा, गृह मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे केन्द्रीय अभिकरणों को भी आयोजना/समुचित उपाय करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता रहा है।

ओएनजीसी, ओ.आई.एल. और गेल द्वारा दर्ज लाभ

2044. श्री हर्ष वर्धन:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री अनन्त कुमार हेगड़े:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), भारतीय गैस प्राधिकारण लिमिटेड (गेल) और निजी क्षेत्र की गैस कंपनियों ने लाभ दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ओएनजीसी, ओ.आई.एल. और गेल द्वारा शुल्कों, करों, रॉयल्टी और लाभांशों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी खजाने को कितना योगदान दिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुई वृद्धि के बोझ को कौन-सी एजेंसी अथवा एजेंसियां उठाएंगी यह निर्णय करने हेतु कोई सिद्धांत तैयार किया है तथा ये एजेंसियां किस हद तक बोझ को उठाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) विगत तीन वर्षो के दौरान ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा दर्ज लाभ निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपए में/पूर्ण अंकों में)

तेल कंपनी	2008-09	2009-10	2010-11
ओएनजीसी	16,126	16,768	18,924
ओआईएल	2,162	2,611	2,888
गेल	2804	3140	3561

निजी क्षेत्र की गैस कंपनियों के लाभ न तो इस मंत्रालय द्वारा दर्ज किए जाते हैं और न ही उन पर निगरानी रखी जाती हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी, ओआईएल और गेल का शुल्कों, करों, रायल्टी और लाभांश द्वारा केन्द्रीय राजकोष में किया गया अंशदान निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपए में/पूर्ण अंकों में)

तेल कंपनी	2008-09	2009-10	2010-11
ओएनजीसी	23,688	22,780	24,495
ओआईएल	4,177	4,359	4,652
गेल	2902	2796	2921

(घ) और (ङ) वर्ष 2004-05 से अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में भारी वृद्धि और अधिक अस्थिरता के कारण, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के स्फीतिकारी प्रभाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामत: डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में हुई वृद्धि का भार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक भार हिस्सेदारी व्यवस्था तैयार की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पणधारकों द्वारा नीचे बताए अनुसार भार समान रूप से बांट लिया जाए:

- सरकार, तेल बाण्ड के निर्गम/नकद सहायता के माध्यम से।
- ओएमसीज की घरेलू अपस्ट्रीम तेल कंपनियां, मूल्य रियायतों के माध्यम से।
- ओएमसीज, अल्प वसूलियों का एक भाग वहन करते हुए, तथा
- उपभोक्ता, मामूली मूल्य वृद्धि झेलने के द्वारा।

[हिन्दी]

एलपीजी की आपूर्ति

2045. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश एलपीजी की आपूर्ति में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में एलपीजी की आपूर्ति की गयी है;

(ग) इस आपूर्ति को पूरा करने हेतु आयातित एल.पी.जी. का स्वेदशी एलपीजी उत्पादन की तुलना में वर्ष-वार प्रतिशत कितना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान एलपीजी की आपूर्ति के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कितनी अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में 38,312 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) एलपीजी की आपूर्ति की है। ब्यौरे निम्नवत् हैं:

वर्ष	बिक्रियां (टीएमटी में)
2008-09	11772
2009-10	12683
2010-11	13857

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देशी उत्पादन की तुलना में आयातित एलपीजी का प्रतिशत निम्नवत् है:

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (टीएमटी में)	वास्तविक आयात (टीएमटी में)	देशी उत्पादन के आयात का प्रतिशत
2008-09	9287	2592.162	27.9%
2009-10	10299	2527.456	24.5%
2010-11	9490	4624.381	48.7%

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान एलपीजी आपूर्ति के संबंध में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए ओएमसीज द्वारा किया गया पूंजीगत निवेश निम्नवत् है:

वर्ष	पूजीगत निवेश (रुपये करोड़ में)
2008-09	1125.46
2009-10	2098.65
2010-11	3153.97

आईएवाई के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि

2046. श्री भूपेन्द सिंह:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बीपीएल परिवारों के आवासों सहित इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की धनराशि बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटियों द्वारा भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनी भूमि को बंधक रखने के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के तहत प्रदान की जा रही सहायता को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत राज्य-वार और जिले-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इकाई सहायता की वृद्धि का मुद्दा योजना आयोग के समक्ष उठाया गया था। इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण आवास संबंधी कार्यदल के समक्ष भी रखा गया है।

(ग) ऐसा कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(घ) से (ङ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इकाई सहायता की वृद्धि का मुद्दा योजना आयोग के समक्ष उठाया गया था।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यूरिया को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना

2047. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री तथागत सत्पथी:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया सहित उर्वरकों पर से सरकारी नियंत्रण को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) नयी व्यवस्था के कब से अस्तित्व में आने की संभावना है;

(घ) क्या नए निर्णय से उक्त उर्वरकों के खुदरा मूल्य-पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में कृषक समुदाय की चिंता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (च) यूरिया क्षेत्र के लिए पोषक-तत्त्व आधारित राजसहायता का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उर्वरक नीति की सीमाक्षा के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने डॉ. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया है। वर्तमान में, एनबीएस योजना को यूरिया पर कार्यान्वित नहीं किया गया है और इसे नई मूल्य-निर्धारण योजना-III (एनपीएस-III) द्वारा अधिशासित किया जा रहा है जिसे अगला आदेश होने तक अनंतिम रूप से बढ़ाया गया है।

2. जहां तक फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों का संबंध है, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों, एसएसपी, आदि जैसे उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं। तथापि, पीएण्डके उर्वरकों की 20% मात्रा का संचलन सरकार द्वारा नियंत्रित है।

3. नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति को 1. 4.2010 से कार्यान्वित किया गया है।

4. एनबीएस, पीएण्डके उर्वरकों के 22 ग्रेडों पर लागू है जिसमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी 18.46.0), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो अमानियम फॉस्फेट (एमएपी 11-5-0), ट्रिपल सुपर फॅास्फेट (टीएसपी 0-46-0), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), मिश्रित उर्वरकों और अमोनियम सल्फेट (एएस-(जीएसएफसी तथा फैक्ट द्वारा कैप्रोलेक्टम ग्रेड) के 15 ग्रेड शामिल हैं। ऊपर उल्लिखित उर्वरकों में निहित नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), और पोटाश (के) तथा द्वितीयक पोषक-तत्व सल्फर (एस) नामक प्राथमिक पोषक तत्व एनबीएस के लिए पात्र हैं।

5. एनबीएस के अंतर्गत, नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों पर राजसहायता को प्रति कि.ग्रा. आधार पर प्रत्येक पोषक-तत्व के लिए निर्धारित किया जाता है तथा उसे सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर तय किया जाता है। एनबीएस को किसानों की वहनीयता तथा उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों तथा उर्वरकों के आदानों के मौजूदा मूल्य स्तर पर विचार करके निर्धारित किया जाता है। चूंकि उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड के लिए राजसहायता एक वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है अत: फार्म गेट स्तर पर उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) खुला रखा गया है। तदनुसार, पीएण्डके उर्वरकों को एमआरपी पर निर्णय लिया जाता है तथा उसे उर्वरक का उत्पादन करने वाली कंपनियों या आयातकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि, उन्हें प्रत्येक उर्वरक बैग पर राजसहायता की विद्यमान राशि सहित एमआरपी मुद्रित करनी होती है। मुद्रित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होता है।

6. चूंकि एनबीएस के अंतर्गत राजसहायता एक वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है अत: उर्वरकों तथा उनकी कच्ची सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि या कमी का इन उर्वरकों की एमआरपी पर प्रभाव पड़ता है जिसे कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2011 में उर्वरकों तथा उनकी कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वर्ष 2010 के मूल्यों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उर्वरकों तथा उनकी कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को वर्ष

2011-12 के लिए एनबीएस योजना के अंतर्गत राजसहायता दर निर्धारित करते समय ध्यान में रखा गया है। तथापि, उर्वरकों तथा उनकी कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में आगे कोई वृद्धि या कमी होने से इसका इन उर्वरकों की एमआरपी में कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसे कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

चालू सिंचाई परियोजनाएं

2048. श्री भक्त चरण दास:
श्री वरूण गांधी:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी परियोजना-प्रस्तावों की राज्य-वार स्वीकृति मिल चुकी है;

(ग) केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन के लिए लम्बित परियोजना प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं को अनुमोदन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) शेष परियोजना प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) देश में अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(छ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) केन्द्रीय जल आयोग में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मूल्यांकन हेतु विभिन्न राज्यों से 194 परियोजना प्रस्ताव 107 नई परियोजनाएं और 87 संशोधित अनुमान प्राप्त हुए हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ख) 194 परियोजना प्रस्तावों (107 नई परियोजनाओं और 87 संशोधित अनुमान) में से 38 परियोजनाएं (56 नई परियोजनाएं एवं 82 संशोधित अनुमान) जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ग) वर्तमान में 51 नए परियोजना प्रस्ताव (29 वृहद एवं 22 मध्यम) और 5 संशोधित अनुमान (3 वृहद एवं 2 मध्यम) केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं को स्वीकृत करने में लगने वाला समय परियोजना प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा की गई टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने तथा आवश्यकतानुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि की अन्य अनिवार्य स्वीकृतियां प्रस्तुत करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है।

(च) केन्द्रीय जल आयोग में उपलब्ध सूचना के अनुसार 553 परियोजनाओं (182 वृहद, 273 मध्यम एवं 98 ईआरएम) का कार्य xवीं योजना से xiवीं योजना में ले जाया गया। इनमें से 82 परियोजनाएं (10 वृहद, 41 मध्यम एवं 31 ईआरएम) पूरी कर लिए जाने की सूचना दी गई थी और मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 471 परियोजनाओं (172 वृहद 232 मध्यम एवं 76 ईआरएम) का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(छ) सिंचाई विकास राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और प्रचालन एवं रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय जब आवश्यक हो, राज्य सरकारों को सहायता एवं दिशानिर्देश देता है।

केन्द्रीय मंत्रालय एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता पूरी करने वाली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता देता आ रहा है। राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के प्रारंभ से अब तक एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में 48747.806 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

विवरण I

केन्द्रीय जल आयोग में 2008 से प्राप्त नई परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं			मूल्यांकनाधीन परियोजनाएं			कुल जोड़
		वृहद	मध्यम	कुल	वृहद	मध्यम	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	0	2	6	1	7	9
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	1	0	1	1
5.	छत्तीसगढ़	3	2	5	3	0	3	8
6.	गोवा, दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	2	0	2	2
8.	हरियाणा	1	0	1	1	0	1	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	1	1	2	3
10.	जम्मू और कश्मीर	1	4	5	0	0	0	5
11.	झारखंड	0	2	2	1	5	6	8
12.	कर्नाटक	1	5	6	1	0	1	7
13.	केरल	2	0	2	0	0	0	2
14.	मध्य प्रदेश	2	7	9	2	5	7	16
15.	महाराष्ट्र	5	7	12	3	0	3	15
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18..	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1	0	1	3	6	9	10
21.	पंजाब	3	0	3	0	0	0	3
22.	राजस्थान	1	0	1	1	2	3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	1	0	1	1
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	6	0	6	0	0	0	6
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	3	2	5	5
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	28	28	56	29	22	51	107

विवरण II

केन्द्रीय जल आयोग में 2008 से प्राप्त संशोधित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

		जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं			मूल्यांकनाधीन परियोजनाएं			कुल जोड़
क्र.सं.	राज्य का नाम	वृहद	मध्यम	कुल	वृहद	मध्यम	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	0	3	1	0	1	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	0	1	0	0	0	1
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1	2	3	0	0	0	3
6.	गोवा, दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1	0	1	0	0	0	1
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	2	2	0	0	0	2
10.	जम्मू और कश्मीर	1	2	3	0	1	1	4
11.	झारखंड	2	3	5	0	0	0	5
12.	कर्नाटक	5	1	6	0	0	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	केरल	0	0	0	0	1	1	1
14.	मध्य प्रदेश	13	3	16	0	0	0	16
15.	महाराष्ट्र	10	4	14	1	0	1	15
16.	मणिपुर	1	2	3	0	0	0	3
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	6	1	7	0	0	0	7
21.	पंजाब	3	0	3	0	0	0	3
22.	राजस्थान	3	0	3	0	0	0	3
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	3	0	3	0	0	0	3
26.	उत्तर प्रदेश	6	0	6	0	0	0	6
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	2	3	1	0	1	4
	कुल	60	22	82	3	2	5	87

विवरण III

11वीं योजना के दौरान चालू परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

राज्य	10वीं योजना से 11वीं योजना में आगे ले जाये जाने वाली संभावित परियोजनाएं				11वीं योजना में पूर्ण सूचित की गई परियोजनाएं (01.04.2010 की स्थिति के अनुसार)				11वीं योजना में जारी रखने वाली संभावित परियोजनाएं (01.04.2010 की स्थिति के अनुसार)			
	वृहद	मध्यम	आरएन	कुल	वृहद	मध्यम	आरएन	कुल	वृहद	मध्यम	आरएन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	30	24	6	60	2	7		9	28	17	6	51
अरूणाचल प्रदेश								0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
असम	2	3	2	7	0	1	1	2	2	2	1	5
बिहार	10	3	5	18	0	0	1	1	10	3	4	17
छत्तीसगढ़	4	8	1	13	1	3		4	3	5	1	9
गोवा	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
गुजरात	3	20	13	36	0	5	4	9	3	15	9	27
हरियाणा	4	0	1	5				0	4	0	1	5
हिमाचल प्रदेश	1	3	0	4	0	0	0	0	1	3	0	4
जम्मू और कश्मीर	0	6	4	10	0	0	0	0	0	6	4	10
झारखंड	6	19	0	25	1	2	0	3	5	17	0	22
कर्नाटक	15	31	5	51	1	4	1	6	14	27	4	45
केरल	3	4	2	9	1	1	1	3	2	3	1	6
मध्य प्रदेश	19	9	6	34	1	1	2	4	18	8	4	30
महाराष्ट्र**	58	109	3	170	0	12	1	13	58	97	2	157
मणिपुर	2	1	4	7	0	0	4	4	2	1	0	3
मेघालय	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
मिजोरम								0	0	0	0	0
नागालैंड	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
उड़ीसा	8	10	15	33	1	3	7	11	7	7	8	22
पंजाब	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
राजस्थान	2	8	3	13	0	0	0	0	2	6	3	13
सिक्किम					0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	2	3	5	0	2	3	5	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
उत्तराखण्ड	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
उत्तर प्रदेश	11	0	15	26	2	0	5	7	9	0	10	19
पश्चिम बंगाल	2	8	6	16	0	0	0	0	2	8	6	16
कुल	182	273	98	553	10	41	31	82	172	232	67	471

एल.पी.जी. एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

2049. श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री संजय धोत्रे:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को एल.पी.जी. एजेंसियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी असंतोषजनक सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए कौन-से तंत्र उपलब्ध हैं; और

(ग) एल.पी.जी. सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने तथा एल.पी.जी. एजेंसियों को उपभोक्ता उन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के 4697 सिद्ध मामलों पर कार्रवाई की गई है।

(ख) ओएमसीज ने ग्राहकों की शिकायतों को सुनने के लिए राज्य कार्यालय के साथ-साथ मंडल कार्यालय/क्षेत्र कार्यालय के अधिकारियों को समनुदेशित किया है। प्रत्येक एलपीजी डिस्ट्र्यूटर के पास शिकायत/सुझाव पुस्तिका होती है, जिसकी उपलब्धता एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित रहती है। ग्राहकों की सूचना के लिए संबंधित क्षेत्र अधिकारी का नाम, पता और संपर्क टेलीफोन नम्बर तथा मंडल कार्यालय/क्षेत्र कार्यालय से संपर्क ब्यौरे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

शिकायत प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए, ओएमसीज ने 02 अक्टूबर, 2008 से देश भर में शिकायतों को दर्ज कराने के लिए विशिष्ट टोल फ्री नम्बर 155233 के प्रयोग की सेवा की शुरुआत की है। ग्राहकों को स्थानीय भाषा में अपनी शिकायतों को सरलता से दर्ज कराने के उद्देश्य से कॉल सेन्टर क्षेत्र-वार कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इनका प्रदर्शन संबंधित नैगम वेबसाइट के साथ-साथ सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के कार्यालय पर भी किया जाता है। ग्राहक ओएमसीज की वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

(ग) घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी/विपथन को रोकने के लिए, सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन), आदेश 2000) को अधिनियमित किया है और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश, 2001" तैयार किए हैं, जिनमें एलपीजी के विपथन/कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने वाले एलपीजी डिस्ट्रब्यूटरों के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की व्यवस्था है।

एमडीजी में अन्य बातों के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की व्यवस्था है:

- प्रथम अपराध के लिए 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- दूसरे अपराध के लिए 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

ओएमसीज द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी/विपथन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त बनाया गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस सिलिंडरों का फटना

2050. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न स्थानों पर रसोई गैस सिलिंडरों के फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं;

(ख) क्या वर्ष 2004 से आज तक कंपनियां बड़ी संख्या में सिलिंडरों के फटने की घटनाओं के होने तथा सैंकड़ों लोगों की मृत्यु तथा घायल होने के बावजूद सुरक्षा उपायों की अनदेखी कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सिलिंडरों की नियमित सुरक्षा जांच तथा सिलिंडरों के फटने की उक्त घटनाओं को रोकने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने ग्राहक परिसरों आदि में अनुचित तरीके से सिलेंडर की साज संभाल, ग्राहक की लापरवाही, रबड़ के ट्यूब से रिसाव, गैर-मानकीकृत उपस्कर के प्रयोग, सिलेंडर को अत्यधिक गर्मी में छोड़ देने, ज्वलशील सामग्रियों के दबाव के कारण एलपीजी सिलेंडरों के फटने की कुछ घटनाओं की सूचना दी है। तथापि, वर्ष 2004 से जुलाई, 2011 तक देश में सिलेंडरों की प्रत्यक्ष और प्रारंभिक खराबी के कारण एलपीजी सिलेंडरों के फटने से संबंधित किसी एलपीजी दुर्घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

एलपीजी सिलेंडरों के वितरण से पूर्व ओएमसीज द्वारा सुरक्षा संबंधी सभी सावधानियां बरती जाती हैं। नियमित ग्राहक निदानगृहों के माध्यम से ग्राहकों को जानकारी दी जाती है और उन्हें जागरूक बनाया जाता है।

(ग) और (ख) एलपीजी सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है-

(i) बीआईएस विनिर्देशनों के अनुसार विनिर्मित और उनके द्वारा प्रमाणित एलपीजी सिलेंडरों में एलपीजी भरी जाती है।

(ii) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), भारत सरकार ने मानकों के अनुसार एलपीजी सिलेंडरों की सुरक्षा के लिए आवधिक जांच की जाती है।

(iii) एलपीजी भरण संयंत्रों से सिलेंडरों को भेजने से पूर्व रिसाव की जांच के लिए भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों की जांच की जाती है।

(iv) ओएमसीज के एलपीजी वितरकों द्वारा ग्राहकों को सिलेंडर की सुपुर्दगी के समय सिलेंडर की सुपुर्दगी पूर्व जांच की जाती है।

(v) एलपीजी के प्रयोग में सुरक्षा में सुधार लाने के लिए ओएमसीज द्वारा इस्पात से बने तार वाले मजबूत सुरक्षा एलपीजी होस, जो चूहों का आक्रमणरोधी है और आग को रोकने का कार्य करता है, के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(vi) ग्राहकों को नया एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय प्रदर्शन के माध्यम से सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जाती है। ग्राहकों को प्रदान किए गए गैस ग्राहक कार्ड और सुरक्षा पुस्तिका पर भी अनुदेशों का मुद्रण किया जाता है।

(vii) ओएमसीज द्वारा ग्राहकों के परिसरों पर एलपीजी संस्थापन की दो वर्षों में एक बार अनिवार्य रूप से जांच की जाती है।

(viii) वितरकों द्वारा नियुक्त किए गए प्रशिक्षित मैकेनिकों द्वारा रिसाव की शिकायतों पर तत्काल पहुंच कर कार्रवाई की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के कार्य के घंटों के बाद और अवकाश के दिनों में रिसाव की शिकायतों को दूर करने के लिए आपात सेवा प्रकोष्ठ भी प्रचालित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

नियंत्रित डिस्चार्ज टॉयलेट प्रणाली

2051. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा समेकित रेल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2010 तक नियंत्रित डिस्चार्ज टॉयलेट प्रणाली (सी.डी.टी.) लगाई जाने वाली थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सभी रेलगाड़ियों में पर्यावरण अनुकूल शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलों द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रयासों में सवारी डिब्बों में पर्यावरण सुरक्षा, साफ-सफाई और स्वच्छता के हित में कंट्रोल्ड डिस्चार्ज टाइप टॉयलेट प्रणाली (सीडीटीएस) के रूप में थी। 2010 के अंत तक, कंट्रोल्ड डिस्चार्ज टाइप टॉयलेट प्रणाली (सीडीटीएस) को लगभग 1760 सवारी डिब्बों में फिट किया गया था।

(ग) सवारी डिब्बों में वृहद पैमाने पर फिटमेंट के बारे में विचार करने से पूर्व भारतीय रेलें विभिन्न किस्म के पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन शौचालय' विकसित करने और फील्ड परीक्षण करने की प्रक्रिया में है।

गुजरात से प्रस्ताव

2052. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद-मेहसाणा-जयपुर, राजकोट-वेसावल, राजकोट-विरमगाम और राजकोट-ओरवा रेल लाइन के दोहरीकरण का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। मांगें गए प्रस्तावों मे से निम्नलिखित खंडों का दोहरीकरण पहले ही शुरू/पूरा हो चुका है:

(i) अहमदाबाद-महेसाणा-जयपुर: इस मार्ग पर, अहमदाबाद-महेसाणा, गुरिया-बनगुरग्राम और रानी-मारवाड़ खंडों को छोड़कर पालनपुर-अजमेर का दोहरीकरण शुरू हो गया है। केशवगंज-सिरोही और बनास-स्वरूपगंज खंडों (16.34 किमी.) को 2011-12 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। अजमेर-जयपुर खंड का दोहरीकरण पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ii) राजकोट-वीरमगाम: इस मार्ग पर सुरेन्द्रनगर-वीरमगाम खंड का दोहरीकरण शुरू हो गया है।

(iii) राजकोट-ओखा और राजकोट-वेरावल: परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण इन खंडों के लिए दोहरीकरण पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह औचित्यपूर्ण नहीं था।

[हिन्दी]

दुर्ग से सीधी रेलगाड़ी

2053. **श्री मुरारी लाल सिंह:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुर्ग जंक्शन से चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) क्या दुर्ग से पड़ोसी राज्यों को सीधी यात्री गाड़ी उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में रेलवे की विचारधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान दुर्ग जंक्शन पर यात्री गाड़ियों की सफाई/मरम्मत के लिए वर्ष-वार आवंटित तथा खर्च की गई राशि कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच.मुनियप्पा): (क) दुर्ग से चलने वाली/टर्मिनेट होने वाली गाड़ियों की संख्या और नाम नीचे दिए अनुसार हैं-

1.	12069/12070	रायगढ़-दुर्ग/गोंदिया जन शताब्दी एक्सप्रेस
2.	12549/12550	दुर्ग-जम्मू तवी एक्सप्रेस
3.	12823/12824	दुर्ग-निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
4.	12853/12854	दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस
5.	13287/13288	दुर्ग-दानापुर-दक्षिण बिहार एक्सप्रेस
6.	15159/15160	दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस
7.	18201/185202	दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस
8.	18203/18204	दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस
9.	18205/18206	दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस

10.	18207/18208	दुर्ग-जयपुर एक्सप्रेस
11.	18241/18242	दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस सह पैसेंजर
12.	18425/18426	दुर्ग-पुरी एक्सप्रेस
13.	58529/58530	दुर्ग-विशाखापट्टनम पैसेंजर
14.	68701/68702	दुर्ग-रायपुर मेमू
15.	68703/68704	दुर्ग-रायपुर मेमू
16.	68707/68708	दुर्ग-रायपुर मेमू
17.	68717/68718	दुर्ग-रायपुर मेमू
18.	68725/68726	दुर्ग-रायपुर मेमू
19.	58703/58704	दुर्ग-गोंदिया पैसेंजर
20.	78815/78816	दुर्ग-दल्लीराजहरा डेमू
21.	78817/78818	दुर्ग-दल्लीराजहरा डेमू

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न अनुरक्षण गतिविधियों के लिए निधियां मण्डलीय आधार पर आबंटित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में जिसमें दुर्ग एक स्टेशन है, पर यात्री गाड़ियों की सफाई/मरम्मत के लिए आबंटित और व्यय किए गए धन का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार हैं:

वर्ष	परिव्यय	वास्तविक खर्च
2008-09	रु. 61,11,000	रु. 1,07,10,000
2009-10	रु. 1,53,56,000	रु. 2,29,23,000
2010-11	रु. 3,24,60,000	रु. 3,57,48,000

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

2054. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल्लम-तेनकासी में पुनालूर-सेनगोलटाई खंड पर आमान परिवर्तन के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पुनालुर-सेनगोट्टी घाट खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए मेगा ब्लॉक पहले ही शुरु हो गया है और कार्य प्रगति पर है। इस पर कार्य के मार्च, 2015 तक पूरा होने की संभावना है।

पंजाब में रेल नेटवर्क

2055. श्री रवनीत सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में रेल नेटवर्क की वर्तमान स्थिति तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार पंजाब में इसके नेटवर्क को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पंजाब में निर्माणाधीन रेल उपरि पुल, अंडर-पास आदि का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पंजाब में रेल नेटवर्क का घनत्व क्षेत्रफल के 1.95 किमी प्रति 100 वर्ग किमी के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 4.26 किमी प्रति 100

वर्ग किमी है। जनसंख्या के संदर्भ में, राज्य में राष्ट्रीय औसत 6.18 की तुलना में जनसंख्या के प्रति लाख रेल नेटवर्क का 8.76 किमी है।

(ख) और (ग) जी हां। पंजाब में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली निम्नलिखित नई लाइन कार्यों को शुरू कर दिया गया है/हाल ही में पूरा हो गया है:

क्र.सं.	नई लाइन के कार्य का नाम	स्थिति
1.	अबोहर-फाजिल्का (42.72 किमी)	कार्य पूरा हो गया है और चालू किए जाने के लिए तैयार है।
2.	तरन तारन-गोइंदवाल (21.5 किमी)	कार्य पूरा हो गया है और चालू किए जाने के लिए तैयार है।
3.	चंडीगढ़-लुधियाना (112 किमी)	चरण-I (चंडीगढ़-मोरिंडा खंड) और चरण-III (लुधियाना-साहनेवाल खंड) पूरा हो गया है। चरण-II न्यू मोरिंडा-साहनेवाल खंड) पर कार्य प्रगति पर है।
4.	चंडीगढ़-बद्दी (33.23 किमी)	भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए पंजाब राज्य सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अस्वीकृति दिए जाने के कारण कार्य रुक गया है।
5.	नंगल डैम-तलवाड़ा (83.74 किमी)	कार्य चरणबद्ध आधार पर प्रगति पर है। नंगल डैम-अम्ब अंदौरा (44 किमी) खंड पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।

इसके अलावा, पंजाब में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाले 11 नई लाइन सर्वेक्षण भी शुरु कर दिए गए हैं, इनमें से 5 सर्वेक्षण पहले ही पूरे हो गए हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट मंत्रालय में जांचाधीन है। शेष 6 सर्वेक्षण प्रगति पर हैं।

(घ) पंजाब में निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुलो, भूमिगत पैदल पर पथों आदि का स्थान-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य का नाम
1	2
1.	जीटी रोड को जोड़ते हुए समपार सं. 145-बी के स्थान पर खन्ना ऊपरी सड़क पुल
2.	मानसा-समपार सं.बी-206 पर निचला सड़क पुल
3.	चावापैल-खन्ना के निकट अंबाला-लुधियाना खंड पर समपार सं.सी-161 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल
4.	जालंधर-दो मोरिया पुल (निचला सड़क पुल सं. 28) के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (स्पैन 1 × 21.5 मी + 1 × 11.25 मी)
5.	दिल्ली-बठिन्डा खंड पर किमी 290/13/14 पर समपार सं.बी-240 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल
6.	खन्ना-समपार सं. 155-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल
7.	शम्भू रेलवे स्टेशन के निकट अंबाला-लुधियाना खंड पर किमी 279/19-21 पर समपार सं. 131-सी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल
8.	बुढलाढा पर जाखल-बठिंडा खंड पर किमी 228.8 पर समपार सं. 194 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल
9.	गुरनी-जाखल, बुढलाढा-जाखल खंड पर किमी 124/9-10 पर समपार सं. 104-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल
10.	सुनाम यार्ड पर धुरी-जाखल खंड पर समपार सं. सी-78 बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण
11.	तरन तारन-समपार सं.बी-27 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल
12.	साहनेवाल-अमृतसर खंड-चौकीदार वाले समपार सं. 73 के स्थान पर निचला सड़क पुल
13.	साहनेवाल-अमृतसर खंड-किमी 637/9-10 पर समपार सं. 61 के स्थान पर सीमित ऊंचाई वाले भूमिगत पैदल पारपथ/निचला सड़क पुल

1	2
14.	मुकेरियां पर जालंधर-पठानकोट खंड पर किमी 73/9-74/10 पर समपार सं.बी-110 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल
15.	लुधियाना-फिरोजपुर खंड पर शास्त्री नगर लुधियाना पर किमी 4/1-2 पर समपार सं.सी-2-बी के स्थान पर निचला सड़क पुल
16.	फैजाबाद यार्ड-समपार सं.-120 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल
17.	धुरी-जाखल खंड पर समपार सं.-84 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण
18.	मलेर कोटला स्टेशन के निकट लुधियाना-धुरी खंड पर समपार सं.बी-40 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण
19.	जालंधर सिटी-फिरोजपुर खंड पर कपूरथला के पास समपार सं.ए-16 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण
20.	जालंधर-अमृतसर खंड पर करतारपुर स्टेशन के पास समपार सं.ए-59 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण
21.	साहनेवाल स्टेशन के निकट अंबाला-लुधियाना खंड पर किमी 361/3-5 पर समपार सं.-169-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण

[हिन्दी]

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैंड) के अंतर्गत आवासों के पुनर्निर्माण के लिए निधियां

2056. श्री हरीश चौधरी: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगजनी की स्थिति में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत लोगों को उनके आवासी के पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) फिलहाल, आग में नष्ट हुए मकानों के निर्माण हेतु निधियां आबंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का उद्देश्य, संसद सदस्यों को विकासात्मक स्वरूप के कार्यों के लिए सिफारिश करने का अधिकार देना है, जिसमें सामान्य जनता के उपयोग के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियां सृजित करने पर जोर दिया जाता है। योजना में व्यक्तिगत/परिवार के लाभ के लिए परिसंपत्तियां बनाने की अनुमति नहीं है।

[अनुवाद]

सी.पी.सी.एल. को बंद करना

2057. श्री ओ.एस. मणियन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के नारिमनम में स्थित चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बंद किए जाने की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसे बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) नागापट्टिनम के नारिमनम में स्थित चेन्नै पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) की कावेरी बेसिन रिफाइनरी इकाई को बंद नहीं किया गया है। तथापि, इस इकाई को उपयुक्त जहाजों, जिनसे कच्चा तेल लाने के लिए केजी बेसिन प्लेटफार्म और कावेरी बेसिन तेल जेट्टी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता था, के उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 11.05.2011 से 03.06.2011 तक बंद किया गया था। इस इकाई को दिनांक 04.06.2011 को दोबारा शुरू कर दिया गया है और वर्तमान समय में यह प्रचालन में है। बंद किए जाने की अवधि के, इकाई के रख-रखाव संबंधी उन कार्यों को रोकने में सदुपयोग किया गया जिन्हें सितंबर, 2011 में किए जाने का कार्यक्रम था।

हाई स्पीड डीजल की खरीद पर छूट

2058. श्रीमती जे. शांता: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियां भारतीय रेल को हाई स्पीड डीजल की खरीद पर कोई छूट प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल द्वारा खरीदी गई डीजल की मात्रा कितनी है; और

(घ) विशेषकर घाटे में चल रही तेल विपणन कंपनियों द्वारा रेलवे को छूट देने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) भारतीय रेलवे को हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की खरीद के लिए 315/-रुपये प्रति किलो लीटर की छूट देती हैं। यह छूट, रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 01.10.2010 से 31.12.2011 तक के लिए की गई एक दर संविदा के प्रति दी गई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन रेलवे द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज से प्राप्त किए गए डीजल के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मात्रा (हजार किलो ली. में)
2008-09	2583
2009-10	2699
2010-11	2864
योग	8146

(घ) रेलवे को एचएसडी की आपूर्ति के लिए छूट और आपूर्ति की शर्तों को सार्वजनिक निविदा के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है और ये शर्तें वाणिज्यिक दृष्टिकोणों और बाजार परिस्थितियों पर आधारित होती हैं। आगे, ओएमसीज सीधे बिक्री के मामले में वितरण लागत पर बचत करती हैं।

लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

2059. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अर्जित औसत वार्षिक राशि कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में निवेश की गई पूंजी कितनी है; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) जी हां। दिनांक 24.02.2011 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण (2009-10) के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या 158 थी। गत तीन वर्षों के दौरान लगातार लाभ अर्जित करने वाले तथा इन केन्दीय सरकारी उद्यमों में निवेशित पूंजी (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण के रूप में) का ब्यौरा संलग्न विवरण पर है। इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में दिनांक 31.03.2010 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 8.45 लाख थी। इन कर्मचारियों का केन्द्रीय सरकारी उद्यम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान लगातार लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का लाभ, पूंजी निवेश और कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

वर्ष 31.3.2010 के अनुसार

क्र.सं	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	लाभ			पूंजी निवेश			कर्मचारियों की संख्या
		2009-10	2008-09	2007-08	2009-10	2008-09	2007-08	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया लि.	712.29	687.20	1081.87	1017.48	653.81	542.98	18514
2.	एन्ड्रयू यूले एंड कंपनी लि.	75.38	29.36	5.33	177.29	109.51	102.28	15291

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लि.	108.40	150.39	168.52	1.00	1.00	1.00	19
4.	आर्टीफिशल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	4.62	4.26	1.70	41.49	41.50	1.97	416
5.	बामर लारी एंड कंपनी लि.	117.29	101.61	86.93	16.29	16.29	22.71	1415
6.	बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लि.	21.11	17.96	13.97	22.20	22.20	22.20	1
7.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.	2.76	2.53	1.62	36.02	35.62	31.96	98
8.	बीईएमएल लि.	222.85	268.84	225.65	41.77	41.77	41.77	12052
9.	भारत भारी उद्योग निगम लि.	0.41	0.13	0.26	2069.31	1927.13	1910.71	32
10.	भारत डायनामिक्स लि.	33.77	47.67	47.65	116.51	115.00	115.00	2894
11.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	720.87	745.76	826.74	80.73	81.21	81.38	14596
12.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	4310.65	3138.21	2859.34	617.27	489.52	489.52	46274
13.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	1537.62	735.90	1580.56	3283.15	2126.49	1043.58	13900
14.	भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लि.	25.65	18.56	30.47	131.93	164.41	194.14	1077
15.	बीको लारी एंड कंपनी लि.	1.73	2.23	3.22	57.09	57.49	81.65	406
16.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	1.75	1.50	0.55	26.04	26.45	22.36	444
17.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	42.00	21.68	6.18	63.99	69.99	75.99	1531
18.	ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लि.	1.52	5.08	14.49	1.37	1.37	1.37	30
19.	सीमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	52.75	52.55	40.89	1280.16	1252.24	1256.59	1079
20.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	965.79	489.93	625.58	1052.05	1233.97	1362.88	54090
21.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	0.12	1.29	1.02	76.28	74.91	73.84	652
22.	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	11.46	4.84	2.85	19.04	19.04	19.04	3156
23.	सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी लि.	8.15	3.22	2.44	113.47	97.47	40.56	40
24.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	130.52	110.46	136.91	68.02	68.02	68.02	5765
25.	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.	8.93	9.67	6.47	1.00	1.00	1.00	50
26.	कोल इंडिया लि.	3779.92	3295.38	2453.80	7780.66	8102.99	7827.19	3868
27.	कोचीन शिपयार्ड लि.	223.04	160.07	93.85	192.42	232.42	232.42	1907

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	786.69	791.20	752.21	129.98	129.98	64.99	1126
29.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	8.18	66.78	22.55	25.00	25.00	25.00	1233
30.	डोन्यी पोलो अशोक होटल लि.	0.07	0.26	0.44	1.00	1.00	1.00	43
31.	ड्रेलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	70.05	46.37	154.82	28.00	33.51	44.53	722
32.	ईडीसीआईएल (इंडिया) लि.	4.02	3.16	2.70	1.50	1.50	1.25	81
33.	इलैक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	42.01	13.48	134.14	163.37	290.63	239.38	4694
34.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	40.01	22.44	17.53	35,42	35.42	35.42	431
35.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	435.58	344.53	194.60	56.16	56.16	56.16	3301
36.	एन्नौर पोर्ट लि.	48.66	41.46	34.88	716.93	318.50	300.00	86
37.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	53.73	283.39	479.44	900.27	900.00	900.00	586
38.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.	8.67	9,04	7.54	7.33	7.33	7.33	97
39.	फेरो स्क्रेप निगम लि.	4.32	2.23	1.88	2.00	2.00	2.00	1132
40.	गेल (इंडिया) लि.	3139.84	2803.70	2601.46	2748.86	2368.48	1945.65	3703
41.	गार्डन रीच शिपबिल्डिर्स एंड इजीनियर्स लि.	114.42	51.65	74.47	123.84	145.63	146.41	4345
42.	गोवा शिपयार्ड लि.	130.72	81.96	69.97	29.10	29.10	29.10	1701
43.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.	44.03	18.37	7.01	606.08	606.08	594.20	2870
44.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	1967.41	1739.86	1631.88	120.50	122.48	122.53	33990
45.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.	3.06	0,56	39.96	59.71	55.58	50.14	156
46.	हिंदुस्तान इन्सेकिटसाइड्स लि.	3.06	2.71	6.52	126.40	100.42	103,05	1462
47.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	1301.37	574.98	1134.88	3899.90	3511.84	3069.10	11291
48.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	0.03	0.64	0.03	43.20	35.26	29.47	107
49.	एचएलएल लाइफकेयर लि.	14.93	7.58	14.28	28.51	33.57	33.36	1923
50.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	2.66	1.06	0.85	0.72	0.72	0.72	61
51.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.	0.02	0.04	0.03	2.76	2.88	3.02	60
52.	हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	495.31	400.99	373.73	17302.38	21251.23	20904.89	1006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	एचएससीसी (इंडिया) लि.	8.60	9.70	8.36	2.40	2.40	1.60	135
54.	इंडिया इन्फ्रास्टक्चर फाइनेंस कंपनी लि.	153.76	100,65	24,81	20274.38	15719.36	4000.24	30
55.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	77.57	85.64	68.59	0.25	0.25	0.25	1109
56.	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लि.	0.39	0.24	1.84	7.00	7.00	7.51	126
57.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	10220.55	2949.55	6962.58	20877.57	16971.46	12584.47	34363
58.	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉपोरेशन लि.	63.05	46.50	20.75	20.00	20.00	20.00	2645
59.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.	442.69	180.79	421.51	33250.58	26442.55	22287.57	19
60.	इंडियन रेयर अर्थ्स लि.	23.07	56.77	155.57	108.51	119.57	130.64	2453
61.	इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डवलपमेंट एजेन्सी लि.	72.69	56.21	47.96	3294.41	2776.97	2333.45	121
62.	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	182.10	140.18	113.80	9.90	9.90	9.90	1751
63.	कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	11.50	6.00	5.19	15.00	7.71	8.40	715
64.	कुमारकुप्पा फ्रंटियर होटल्स लि.	7.46	8.04	10.98	0.97	0.98	0.98	4
65.	एमएमटीसी लि.	216.24	140.22	200.48	50.00	50.00	50.00	1838
66.	एमएसटीसी लि.	86.10	85.05	92.20	2.20	2.20	2.20	311
67.	मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.	0.72	0.07	0.28	5.33	1.60	1.60	56
68.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	1946.69	1718.03	1633.26	337.19	370.37	343.69	20978
69.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि.	47.90	40.89	36.32	24.00	24.00	24.00	714
70.	मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिल्स लि.	1112.38	1192.54	1272.23	3258.92	3743.97	3770.62	1312
71.	मेंगनीज ओर (इंडिया) लि.	466.35	663.79	479.82	168.00	28.00	28.00	6734
72.	मझगांव डॉक लि.	240.19	270.73	240.86	243.78	270.02	295.49	7009
73.	मेकॉन लि.	82.62	65.89	33.32	223.16	259.51	273.32	1913
74.	मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.	14.47	1.24	6.11	119.55	119.55	119.55	1947
75.	मिश्र धातु निगम लि.	44.61	41.06	35.54	227.72	155.41	137.34	1191

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.	मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.	25.80	17.63	22.61	259.40	233.75	284.48	192
77.	नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	212.30	306.16	329.61	4445.89	3736.75	4861.75	520
78.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	814.22	1272.27	1631.52	644.31	644.31	644.31	7467
79.	नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डवलपमेंट- कंपनी	15.87	18.82	17.85	562.35	527.35	491.35	48
80.	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.	116.50	159.16	279.83	90.00	90.00	90.00	2372
81.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	171.51	97.46	108.65	490.58	490.58	490.58	4760
82.	नेशनल हेंडलूम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	3.04	3.94	1.05	19.00	19.00	19.00	207
83.	नेशनल इन्फ्रोमेंटिक्स सेंटर सर्विसिज इन्कार्पोरेटिड	31.39	31.35	47.36	2.00	2.00	2.00	54
84.	नेशनल माइनोरिटीज डवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन	15.13	6.44	12.17	791.34	643.78	555.43	33
85.	नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कॉर्पोरेशन	0.12	0.32	0.30	4.42	4.42	4.42	87
86.	नेशनल सफाई कर्मचारीज फाईनेंस एंड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1.91	0.52	1.02	259.99	229.99	199.99	23
87.	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाईनेंस एंड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन	19.76	10.60	8.36	521.80	476.80	431.80	83
88.	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाईनेंस एंड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन	5.84	7.11	10.23	230.50	230.50	230.50	56
89.	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लि.	52.19	26.54	22.73	20.62	20.62	20.62	764
90.	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.	24.27	6.02	4.06	291.58	301.64	297.18	867
91.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.	1247.46	821.09	1101.57	5755.07	5735.41	4443.54	18356
92.	एनएचपीसी लि.	2090.50	1075.22	1004.09	26168.96	22616.52	21138.82	11712
93.	एनएमडीसी लि.	3447.26	4372.38	3250.98	396.47	396.47	132.16	5895
94.	नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लि.	289.38	296.97	258.31	3869.79	4032.00	4146.43	3042
95.	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्री. मार्केटिंग कार्पो. लि.	1.12	0.14	0.04	7.62	7.62	7.62	92
96.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि.	2325.10	1960.93	1771.66	967.64	1141.48	992.71	16373
97.	एनटीपीसी इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	26.59	18.48	12.67	0.08	0.08	0.08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.	एनटीपीसी लि.	8728.20	8201.30	7414.81	46042.48	42813.15	35436.06	24718
99.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	28.39	49.53	19.05	20.00	20.00	20.00	40
100.	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	416.42	441.28	1078.49	25607.23	24164.55	22228.17	11864
101.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	232.08	235.64	372.81	775.52	783.50	811.48	820
102.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	16767.55	16126.31	16701.65	2143.87	2165.63	2175.83	32826
103.	ऑयल इंडिया लि.	2610.52	2161.68	1788.93	240.45	214.00	214.00	8771
104.	ओएनजीसी विदेश लि.	1171.13	1442.68	849.42	19705.68	16429.01	12373.78	231
105.	पीईसी लि.	67.72	72.17	41..38	20.00	20.00	2.00	197
106.	पवन हंस हैलीकाप्टर्स लि.	35.59	25.12	23.17	128.77	113.77	113.77	850
107.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.	0.09	0.38	0.46	0.60	0.60	0.60	38
108.	पॉवर फाईनेंस कॉर्पोरेशन	2357.25	1969.96	1206.76	65931.06	52816.86	39315.58	324
109.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2040.94	1690.61	1448.47	37375.63	31924.27	25722.32	9162
110.	प्रोजेक्ट्स एंड डवलपमेंट इंडिया लि.	14.48	14.82	7.80	17.30	17.30	17.30	504
111.	रेल विकास निगम लि.	51.91	40.83	28.43	7311.08	5995.02	4460.02	245
112.	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लि.	112.29	102.04	56.14	404..94	509.26	551.10	361
113.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	0.99	0.04	2.60	6.62	7.56	4.92	191
114.	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लि.	1.83	1.11	2.68	8.55	9.52	8.51	217
115.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लि.	0.10	0.20	1.06	0.72	2.68	2.68	48
116.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	234.87	211.58	158.15	551.69	685.53	713.98	4351
117.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	796.67	1335.57	1942.74	7885.24	7827.32	7827.32	17830
118.	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	1.04	1.42	1.78	0.05	0.05	0.05	10
119.	राइट्स लि.	111.95	94.28	103.82	40.00	40.00	40.00	3002
120.	रूरल इलैक्ट्रोफिकेशन कॉर्पोरेशन लि.	2327.18	1272.08	860.14	53854.57	43199.61	34013.44	673
121.	सांभर साल्ट्स लि.	0.02	1.57	0.75	19.07	16.87	15.16	473
122.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लि.	542.25	433.83	199.70	350.05	525.05	700.05	14951
123.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	376.91	940.67	813.90	3120.31	2895.12	1736.50	5305

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124.	एसजेवीएन लि.	972.74	1015.32	764.51	5773.77	5955.14	6090.82	1787
125.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	2117.21	1031.12	1342.94	674.50	751.89	697.00	79781
126.	स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	21.53	9.77	12.29	31.49	148.61	150.39	1843
127.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	106.95	78.51	47.55	60.00	60.00	60.00	892
128.	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि.	6754.37	6170.40	7536.78	11713.32	6812.68	6914.83	116950
129.	तमिलनाडु ट्रड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	0.44	8.61	8.53	0.01	0.01	13.63	5
130.	टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कार्पो. लि.	479.95	325.20	323.58	7751.57	3297.58	7675.82	2260
131.	टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि.	14.46	13.90	13.05	98.20	85.82	42.09	850
132.	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	46.26	18.01	14.63	1347.93	1077.65	841.65	4406
133.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.	1.71	1.31	1.12	2.79	2.79	2.79	202
134.	वापकोस लि.	30.03	13.76	15.14	2.00	2.00	2.00	508
135.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	645.61	335.43	611.78	297.10	297.10	297.10	60870
	कुल	98518.79	81672.09	85662.68	473177.3	407498.5	341581.1	844637

[हिन्दी]

आई.आई.डी.सेंटर

2060. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से समेकित अवसंरचना विकास केंद्र (आई.आई.डी.सेंटर) की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में चार अवसंरचना विकास केंद्र (आई.आई.डी.) स्वीकृत किए हैं, नामत: (i) बिरकोनी, महासमुंद (ii) गिरवरगंज, सरगुजा (iii) हरिंछापरा और (पट) तिफ्रा, बिलासपुर।

ग्राम टेन्दुआ रायपुर तथा ग्राम टेंकर, दांतेवाड़ा में भी दो प्रस्तावों को सिद्धांतत: अनुमोदित किया गया है। अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त कापन, चम्पाजनगीर में एक नए आई.आई.डी.केंद्र केन्द्र की स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, कार्यान्वयन एजेंसी से मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

हाट-बाजार

2061. श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण कारीगरों को ग्रामीण हाट में अपने उत्पादों को बेचने के लिए विपणन सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो अब तक निर्मित तथा संचालित हाट-बाजारों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली हाट के तर्ज पर राज्यों की राजधानियों में हाट-बाजार के निर्माण की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत ग्राम, जिला तथा राज्य स्तर पर सभी राज्यों में स्थाई विपणन केंद्रों को बनाने तथा हाटों को शुरू करने का प्रावधान है। इस घटक के अंतर्गत ग्रामीण हाटों के निर्माण के लिए 15 लाख रू. जिला स्तरीय हाट के लिए 1.5 करोड़ रू. तथा राज्य की राजधानी के लिए 3.00 करोड़ रू. तक निधियां अनुमेय हैं। केन्द्र के मामले में इन निधियों की केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 अनुपात में हिस्सेदारी की जाती है तथा पूर्वोत्तर राज्यों में, निधियों की 90:10 अनुपात में हिस्सेदारी की जाती है।

इस मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण हाटों के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 9462.375 लाख रू. रिलीज किए। राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। तदनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान अब तक दूसरी किस्त के रूप में कुल 2795. 63 लाख रु. रिलीज किए हैं। ये हाट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में जिला हाट के निर्माण के लिए दूसरी किस्त के रूप में 28.12 लाख रू. रिलीज किए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीआरडी एजेंसियों की संख्या	ग्रामीण हाटों की संख्या	वर्ष 2008-09 के दौरान पहली किस्त के रूप में रिलीज की गई निधियां (रू. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	66	371.250
2.	बिहार	29	87	489.375
3.	छत्तीसगढ़	16	48	270.000
4.	गोवा	1	3	16.875
5.	गुजरात	25	75	421.875
6.	हरियाणा	20	60	337.500
7.	हिमाचल प्रदेश	12	36	202.500
8.	जम्मू और कश्मीर	9	27	151.875
9.	झारखंड	22	66	371.250
10.	कर्नाटक	29	87	489.375
11.	केरल	14	42	236.250
12.	मध्य प्रदेश	48	144	810.000
13.	महाराष्ट्र	33	99	556.875
14.	उड़ीसा	30	90	506.250

1	2	3	4	5
15	पंजाब	20	60	337.500
16.	राजस्थान	32	96	540.000
17.	तमिलनाडु	30	90	306.250
18.	उत्तर प्रदेश	70	210	1181.250
19.	उत्तराखंड	13	39	219.375
20.	पश्चिम बंगाल	16	48	270.000
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.000
22.	दमन और द्वीव	0	0	0.000
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.000
24.	लक्षद्वीप	0	0	0.000
25.	पुडुचेरी	1	3	22.500
	कुल	492	1476	8308.125
पूर्वोत्तर राज्य				
1.	अरूणाचल प्रदेश	5	15	101.250
2.	असम	27	81	546.750
3.	मणिपुर	0	0	0.000
4.	मेघालय	1	3	20.250
5.	मिजोरम	8	24	162.00
6.	नागालैंड	11	33	222.750
7.	सिक्किम	1	3	20.250
8.	त्रिपुरा	4	12	81.000
	कुल	57	171	1154.25
	कुल जोड़	549	1647	9462.375

नई रेलगाड़ियां और ठहराव

2062. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू की गई नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त क्षेत्र से नई रेलगाड़ियो से संबंधित रेलवे के पास लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार राजस्थान के सोजात रोड, पार्ली, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना और गवाई बांध जैसे स्टेशनों पर देश के उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में चलने वाली रेलगाड़ियों का ठहराव देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 के दौरान देश के विभिन्न भागों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे से 33 जोड़ी रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं।

(ख) रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर नई रेलगाड़ियों के शुरू किए जाने के प्रस्ताव बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं और व्यवहारिक एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) जी हां। पाली, फालना या मारवाड़ जंक्शन पर ठहरावों वाली रेल बजट 2011-12 में घोषित की गई नई रेलगाड़ियां निम्नानुसार हैं-

(i) 19027/19028 बांद्रा (टी)-जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(ii) 22451/22452 मुंबई-चंडीगढ़ एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

(iii) 19407/19408 वाराणसी-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

बहरहाल, उल्लिखित सभी स्टेशनों पर उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों को जाने वाली सभी रेलगाड़ियों के ठहराव को परिचालनिक रूप से व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण

2063. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) सरकार ने कुछ मुस्लिम समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत पहले ही आरक्षण प्रदान कर रखा है।

(ख) दिनांक 24 अगस्त, 2010 की स्थिति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों के केन्द्रीय सूची में शामिल किए गए मुस्लिम समुदाय के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्र और राज्यों की ओबीसी सूची में शामिल सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मुस्लिम जातियों के नाम

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय सूची में प्रविष्ट सं.	जाति का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	मेहतर (मुस्लिम)
2.	असम	13	मणिपुरप (मुस्लिम)
3.	बिहार	130	बाखो (मुस्लिम)
		84	भतियारा (मुस्लिम)
		38	चिक (मुस्लिम)

1	2	3	4
		42	चुड़िहार (मुस्लिम)
		46	डफांली (मुस्लिम)
		57	धोबी (मुस्लिम)
		58	धुनिया (मुस्लिम)
		119	इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)
		5	कसाब (मुस्लिम)
		91	मदारी (मुस्लिम)
		92	मेहतर लालबेगी हलालखोर भंगी (सभी मुस्लिम)
		93	मिरियासिन (मुस्लिम)
		102	मिरसिकार (मुस्लिम)
		103	मोमिन (मुस्लिम)
		99	मुकरी (मुस्लिम)
		67	नालबंद (मुस्लिम)
		63	नट (मुस्लिम)
		68	पनरिया (मुस्लिम)
		109	रंगरेज (मुस्लिम)
		111	रवीन या कुंजर (मुस्लिम)
		116	साईस (मुस्लिम)
		131	ठकुराई (मुस्लिम)
		129	सैकालगर (मुस्लिम)
4.	चंडीगढ़	शून्य	
5.	दादरा और नगर हवेली	9	मकराना (मुस्लिम)
6.	दमन और दीव	शून्य	
7.	दिल्ली	शून्य	
8.	गोवा	शून्य	
9.	गुजरात	3	बफान (मुस्लिम)

1	2	3	4
		17	दफर (हिन्दू और मुस्लिम)
		19	फकीर (मुस्लिम)
		20	गधाई (मुस्लिम)
		22	गलियारा (मुस्लिम)
		23	गांची (मुस्लिम)
		24	हिंगोरा (मुस्लिम)
		28	जाट (मुस्लिम)
		27	जुलाया, गराना, तरिया, तारि और अंसारी (सभी मुस्लिम)
		32	खटकी या कसाई चमादिया खटकी हलारी खटकी (सभी मुस्लिम)
		43	मजोठी कुम्भार दरबान या बदान मजोठी (सभी मुस्लिम)
		44	मकरानी (मुस्लिम)
		45	मतवा या मतवा-खुरेशी (मुस्लिम)
		40	मिर, धाबी, लंघा, मिरासी (सभी मुस्लिम)
		49	मियाना (मुस्लिम)
		54	पिंजारा गांची-पिंजारा मंसुरी-पिंजारा (सभी मुस्लिम)
		59	साधी (मुस्लिम)
		65	सिपाई पाथी जमात या तुर्क जमात (सभी मुस्लिम)
		70	थेबा (मुस्लिम)
		73	हजाम, (मुस्लिम), खलीफा (मुस्लिम)
		76	वंजारा (मुस्लिम)
		76	वधेर (हिंदू और मुस्लिम)
10.	हरियाणा	शून्य	
11.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	
12.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	

1	2	3	4
13	कर्नाटक	13	चापर बंद (मुस्लिम)
		179	(i) कुटची मेनन
			(ii) नवायत
			(iii) बोहरा या भोरा या बोरा
			(iv) सईद
			(v) शेख
			(vi) पठान
			(vii) मुगल
			(viii) महदिविया/महदावी
			कोकड़ी या जमायती मुस्लिम को छोड़कर अन्य मुस्लिम
14.	केरल	39ए	(i) बोहरा
			(ii) कुटची मेनन
			(iii) नवायत
			(iv) तुरकन
			(v) दखनी मुस्लिम को छोड़कर सभी मुस्लिम
15.	मध्य प्रदेश	59	इस्लाम वर्ग
			1. रंगरेज
			2. भिस्टी-अब्बासी
			3. चिप्पा
			4. हेला
			5. भटियारा
			6. धोबी
			7. मेवाती, मिव
			8. पिंजारा, नदारा, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकाल मंसूरी
			9. कुंजारा, रैन
			10. मनिहार

1	2	3	4
			11. कसाई, कसाब-कुरेशी
			12. मिरासी
			13. बढ़ई
			14. हजाम, नाई, सलमानी
			15. जुलाहा-मोमिन, जुलाहा-अंसारी, मोमिन-अंसारी
			16. लुहार, सैफी, नगौरी लोहार, मुल्तानी लोहार
			17. तदावी
			18. बंजारा, मुकेरी, मकरानी
			19. मोची
			20. तेली नयाता, पिंदारी
			21. कलाईगर
			22. पेमदी
			23. नलबंद
			24. मिरदा (जाट मुस्लिम को छोड़कर)
			25. नट
			26. नियारगर, नियारगर मुल्तानी, नियारिया
			27. गद्दी
16.	महाराष्ट्र	187	छप्परबंद (मुस्लिम सहित)
17.	मणिपुर	शून्य	
18.	उड़ीसा	शून्य	
19.	पुड्डुचेरी	शून्य	
20.	पंजाब	शून्य	
21.	राजस्थान	23	जुलाहा (हिन्दू और मुस्लिम)

1	2	3	4
22.	सिक्किम	शून्य	
23.	त्रिपुरा	शून्य	
24.	तमिलनाडु	26	देक्कनी मुस्लिम
25.	उत्तर प्रदेश	44	मुस्लिम कायस्थ
		22	तेली मालिक (मुस्लिम)
26.	उत्तराखंड	शून्य	
27.	पश्चिम बंगाल	शून्य	
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	
29.	मिजोरम	कोई पिछड़ा वर्ग नहीं	
30.	नागालैंड	कोई पिछड़ा वर्ग नहीं	

चुनाव सुधार

2064. श्री मनीष तिवारी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चुनाव सुधार के संबंध में देश-भर में परामर्श कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न वर्गों के लोगों जिन्होंने इस परामर्श प्रक्रिया में भाग अथवा जिन्हें भागीदारी के लिए आमंत्रित किया, का ब्यौरा क्या है;

(घ) महत्त्वपूर्ण और सुस्पष्ट सुझाव और सिफारिशें क्या हैं जिनके संबंध में अभी तक आम सहमति बन पायी है; और

(ङ) राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श के अनुपालन में सरकार के मस्तिष्क में इस संबंध में क्या रूपरेखा है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) अपर महासालिसिटर की अध्यक्षता में व्यापक निर्वाचन सुधारों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से 1 अक्टूबर, 2010 को केन्द्र समिति का गठन किया है। विधायी विभाग के तत्वाधान में और भारत निर्वाचन आयोग के सह-प्रायोजन में समिति ने सात प्रादेशिक परामर्श संचालित किए हैं। जो निम्नानुसार हैं।

बैठक का स्थान	तारीख
भोपाल	12 दिसंबर, 2010
कोलकाता	9 जनवरी, 2011
मुंबई	16 जनवरी, 2011
लखनऊ	30 जनवरी, 2011
चंडीगढ़	5 फरवरी, 2011
बंगलूरू	13 फरवरी, 2011
गुवाहाटी	12 जून, 2011

जिनमें ऐसे पणधारियों से परामर्श किया गया है, जिनमें, अन्य बातों के साथ, राजनैतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता, विधायक, विधिवेत्ता, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विख्यात व्यक्ति सिविल सेवक (सेवारत और सेवानिवृत्त), विधि छात्र, अधिवक्ता आदि सम्मिलित थे और उनके विचार एकत्रित किए गए थे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इन परामर्शों में भाग लिया है, अधिक संख्या में हैं, प्रत्येक भाग लेने वाले का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) इन परामर्शों के दौरान विभिन्न मुद्दे लाए गए जो मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित हैं (i) राजनीति का अपराधीकरण; (ii) निर्वाचनों का वित्तपोषण; (iii) निर्वाचनों का संचालन और बेहतर प्रबंध; (iv) राजनीतिक दलों का विनियमन; (v) राजनीतिक दलों की लेखा परीक्षा और वित्त व्यवस्था; (vi) दल बदल विरोधी विधि का पुनर्विलोकन। जैसे कि मामले में गहन अध्ययन और किसी विनिश्चय पर पहुंचने से पूर्व राजनैतिक दलों के परामर्श से ध्यान पूर्वक विचार किया जाना अंतवर्लित है, इस संबंध में किसी निश्चित समय को अधिकथित करना कठिन है। तथापि परामर्श प्रक्रियाओं के पूरा होते ही, रूपरेखा तैयार की जाएगी।

केरोसिन का कोटा

2065. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चोरी और मिलावट को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन के कोटा को कम करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसिन का लगभग 40 प्रतिशत लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता तथा दी गई राजसहायता को मध्यस्थ हड़प जाते हैं; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा केरोसिन की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वाले मिट्टी तेल का आबंटन पूर्वाधार पर किया जा रहा है। तथापि, एलपीजी कवरेज उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को पीडीएस मिट्टी तेल के प्रति व्यक्ति आबंटन के राष्ट्रीय औसत, संभारतंत्रीय बाधाओं के मद्देनजर द्वीपीय प्रदेशों और जम्मू तथा कश्मीर पर विचार करते हुए समायोजन किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कोटे की मात्रा जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर नहीं उठाया गया हो उसे आगामी वर्ष के लिए आबंटन के कोटे से कम किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने अपनी रिपोर्ट में पीडीएस के अंतर्गत वितरण हेतु मिट्टी तेल का कुल रिसाव/विपथन 38.6% होने का अनुमान लगाया है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एक्स-एमआई विपणन संस्थापन आधार पर मिट्टी तेल डीलरों को पीडीएस मिट्टी तेल की आपूर्तियां की जाती हैं। राशन की दुकानों/खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को पीडीएस मिट्टी तेल का वितरण करने का कार्य राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन है।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.)

2066. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री बी.बी. पाटील:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के साथ छेड़-छाड़ करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई.वी.एम. के साथ छेड़-छाड़ की संभावना के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार/चुनाव आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों (ईवीएम) की छेड़छाड़ का अभिकथन करने वाले कतिपय परिवाद कुछ व्यक्तियों तथा समूहों और साथ ही कुछ राजनैतिक दलों के सदस्यों से प्राप्त किए गए थे। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना का अभिकथन करने वाली याचिकाएं भी कुछ व्यष्टियों/गैर सरकारी संगठनों/राजनैतिक दलों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई और मध्यम प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई थीं। माननीय बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों ने याचियों को इस संबंध में निर्वाचन आयोग से अनुरोध करने के लिए निदेश किया था। न्यायालय के मामलों में सभी व्यष्टिक परिवादों से छेड़छाड़ करने का प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान किया

था। कुछ परिवादी/याची, आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे किन्तु परंतु उनमें से कोई भी व्यक्ति इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की छेड़छाड़ के अपने अभिकथित आरोप को किसी भी रीति में प्रदर्शित करने में समर्थन नहीं था।

(ग) और (घ) निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि वह इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के कार्यकरण से संतुष्ट है। यद्यपि कुछ व्यक्तियों द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है किन्तु अभी तक कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष यह प्रदर्शित करने या साबित करने में समर्थ नहीं रहा है कि देश की निर्वाचन प्रक्रिया में उपयोग की गई इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के साथ किसी अभिकल्पित रीति में कार्य करने के लिए उसे छलयोजित किया जा सकता है या उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, यद्यपि आयोग ने कोई इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों (ईवीएम) की छेड़छाड़ का अभिकथन करने वाले व्यक्तियों को एक से अधिक बार अवसर प्रदान किए हैं।

उर्वरक क्षेत्र में क्षमता अभिवर्धन

2067. श्री पी. लिंगमः
श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्री एस. श्रीनिवासुलु रेड्डीः
श्री के. सुगुमारः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई वर्षों से उर्वरक क्षेत्र में क्षमता नहीं बढ़ाए जाने के अभाव में उर्वरकों के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्वरक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा उर्वरक निर्माता कम्पनियों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) 2000-01 से ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से यूरिया उर्वरक क्षेत्र में कोई क्षमता नहीं बढ़ाई गई है। तथापि, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुछ विद्यमान यूरिया इकाइयों के पुनरुद्धार करने/गत्यावरोध दूर करने से 17 लाख मी. टन के स्तर तक यूरिया क्षमता का अतिरिक्त विस्तार हुआ है;

(क्षमता आंकड़े मी. टन में)

क्र.सं.	यूरिया इकाई	पुनः आकलित क्षमता	पुनरुद्धार/गत्यावरोध दूर करने के पश्चात् क्षमता	क्षमता में वृद्धि
1.	इफको-आंवला-।	864600	999900	135300
2.	इफको-आंवला-।।	864600	999900	135000
3.	इंडो-गल्फ-जगदीशपुर	864600	1072500	207900
4.	एनएफएल-विजयपुर-।	864600	999900	135300
5.	एनएफएल-विजयपुर-।।	864600	1066230	201630
6.	एनएफसीएल-काकीनाड़ा-।	597300	767250	169950
7.	एनएफसीफल-काकीनाड़ा-।।	597300	752730	155430
8.	टीसीएल-बबराला	864600	1155000	290400
9.	इफको-फूलपुर-।।	551100	697950	146850
10.	इफको-फूलपुर-।।	864600	999900	135300
	कुल			1713360

(ग) उर्वरक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और उर्वरक उत्पादक कंपनियों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उर्वरक नीति की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों का समूह (जीओएम) गठित किया गया था, जिन्होंने श्री सौमित्र चौधुरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया था जिसके सदस्य सचिव (उर्वरक), सचिव (व्यय) सचिव (डीएसी) और सचिव (पेट्रोलियम) हैं। समिति निवेश नीति से संबंधित मुद्दों और उसमें प्रस्तावित संशोधनों की जांच करेगी तथा उपयुक्त सिफारिशें करेगी। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत घोटाले

2068. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में जहां कथित रूप से चेक डैम का निर्माण किया जाना था और बांध का निर्माण किए बिना मजदूरी का भुगतान किया गया है, मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हुई अनियमितताओं का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मामले की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) इस घोटाले के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) दांतेवाड़ा जिले में गैर-मौजूद रोक बांधों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में अनियमितताओं के संबंध में कोई सूचना/शिकायत इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं में विलंब

2069. **श्री रमेश बैस:**
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री सुदर्शन भगत:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री हर्ष वर्धन:
श्रीमती जे. शांता:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री बाल कुमार पटेल:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री ई. जी. सुगावनम:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परियोजना-वार कारण क्या है;

(ग) इन अवसंरचना परियोजनाओं के अंतर्ग्रस्त कुल धनराशि कितनी है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं में विलम्ब तथा लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) 30 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार, 150 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की 560 परियोजनाएं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की निगरानी में थीं, जिनमें से 251 परियोजनाएं अपने समापन होने की अनुमानित समय-सीमा की तुलना में विलंब से चल रही थीं।

(ख) विलंब के क्षेत्र-वार कारणों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन देरी से चल रही परियोजनाओं में शामिल कुल अनुमानित लागत 369,361.6 करोड़ रु. है।

(घ) परियोजनाओं में विलंब और लागत में बढ़ोत्तरी रोकने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:

- द्वि-स्तरीय क्लियरेंस प्रणाली अपनाना तथा निवेश के अनुमोदन से पूर्व परियोजनाओं का एकदम सही-सही मूल्यांकन करना;

- निधियों की पूर्णत: व्यवस्था के बाद ही परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लेना;
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 150 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत वाली परियोजना की समय तथा लागतवृद्धि की मासिक एवं त्रैमासिक निगरानी;
- संबंधित अवसंरचना मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर परियोजनाओं की गहराई से समीक्षा करना;
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास से संबंधित मामलों, वन अनुमतियों, पर्यावरण/वन्य जीव अनुमतियों, अतिक्रमण हटाना, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की उपलब्धता, परियोजना राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना। इस मंत्रालय ने राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं को सुसाध्य बनाने के लिए संबंधित मुख्य सचिवों के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी) गठित करने हेतु राज्यों को सलाह दी है;
- पीआईबी के बजाय विस्तारित रेलवे बोर्ड जैसी विभागीय समितियों के माध्यम से तीव्र मूल्यांकन;
- समय और लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु संबंधित अपर सचिवों की अध्यक्षता में मंत्रालयों/विभागों में सरकार द्वारा स्थायी समितियों का गठन करना;
- कार्यकाल की निरंतरता के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति;
- कंप्यूटर नेटवर्क आधारित मॉनीटरिंग अपनाना; और
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सीपीएसयू के परियोजना प्रबंधकों के लिए परियोजना नियोजन, मॉनीटरिंग एवं परियोजना प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं संगोष्ठियां आयोजित करना।

विवरण

क्र.सं.	सेक्टर	समय तथा लागत वृद्धि के सेक्टर-विशिष्ट कारण
1	2	3
1.	परमाणु ऊर्जा	परमाणु ऊर्जा में, परियोजनाओं में लागत वृद्धि विनिमय दर परिवर्तन एवं विदेशी विक्रेताओं से पूर्ति में विलंब के कारण है। स्थानीय समस्याओं के कारण सिविल कार्यों में विलंब है।
2.	नागर विमानन	नागर विमानन क्षेत्र की अधिकतर परियोजनाएं आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाएं हैं। विलंब के मुख्य कारण पर्याप्त भूमि एवं निधियों की अनुपलब्धता है जिसके कारण गैर लाभकारी एयरपोर्टों के आधुनिकीकरण में विलंब हो रहा है।
3.	कोयला	अनेक कोयला परियोजनाओं को विस्तार दिया जा रहा है और उन परियोजनाओं को कोयला कंपनियों के आंतरिक संसाधनों से वित्त-पोषित किया जा रहा है जिसके कारण विस्तार परियोजनाओं को समय पर पूग्र करने में समस्याएं पैदा हो रही हैं। चूंकि कोयला परियोजनाएं स्थान विशिष्ट हैं, इसलिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की समस्या भी एक मुख्य मजबूरी है।
4.	इस्पात	इस्पात क्षेत्र में, वर्तमान संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक आधुनिकीकरण कार्यकलाप शुरु किए गए हैं। संपूर्ण विश्व में वृहद् निर्माण कार्यकलापों के कारण विक्रेताओं एवं पूर्तिदाताओं पर बने भारी दबाव के कारण पूर्तियों में विलंब हो रहा है। मुख्य कार्यकलापों को करने के लिए उपयुक्त ठेकेदारों की अनुपलब्धता और ठेका प्रदान करने में देरी के कारण भी कार्यान्वयन विलंब हो रहा है।
5.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	जिन परिष्करण-शालाओं को विस्तार दिया जा रहा है उन्हें देशी एवं विदेशी विक्रेताओं से पूर्ति प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं। जिन परिष्करण-शालाओं को साक ईंधन उत्पादन के लिए विस्तार दिया जा रहा है उन्हें अपने फ्लूडाइज्ड के केटालिटिक यूनिटों के पुन:

1	2	3
		अभिकल्पन में समस्याएं आ रही हैं जिसके कारण उनके संयंत्रों को लंबी अवधि तक बंद करने की आवश्यकता है। तेल अनुसंधान के विकास में भौगोलिक समस्याओं के कारण परियोजनाओं में विलंब है।
6.	विद्युत	उत्तर पूर्व और कश्मीर में कानून व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण विद्युत परियोजनाओं, विशेष तौर से हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। कुछ परियोजनाएं अप्रत्याशित भौगोलिक समस्याओं का सामना कर रही है। दुर्गम क्षेत्रों में ठेकेदारों की अनुपलब्धता के कारण विद्युत क्षेत्र मेंपरियोजनाओं को समय पर समाप्त करने का खतरा बना हुआ है।
7.	रेलवे	रेलवे क्षेत्र की मुख्य समस्या, बड़ी संख्या में नई लाइन, गॉज कनवर्शन, डबलिंग परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता का होना है। अनेक परियोजनाएं, राज्य सरकारों से उचित प्रतिक्रिया के अभाव में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास समस्याओं का भी सामना कर रही है।
8.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग	जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति लाइन इत्यादि जैसी जन सुविधाओं को अन्यत्र स्थान पर ले जाने, भूमि अधिग्रहण जैसे बुनियादी कारणों से परियोजनाओं में विलंब हुआ है। राज्य सरकार प्राधिकारियों से उचित प्रतिक्रिया के अभाव में अनेक परियोजनाएं प्रभावित हुई है। कुछ परियोजनाएं ठेकेदारों द्वारा की गई धीमी प्रगति के कारण विलंबित हुई हैं जिनके लिए नया ठेका दिए जाने की आवश्यकता है।
9.	दूरसंचार	समुचित तालमेल की कमी और कुछ मामलों में उपकरणों तथा सामग्री की समय पर उपलब्धता न होने के कारण दूरसंचार क्षेत्र की परियोजनाओं में विलंब होता है। चूंकि, दूरसंचार क्षेत्र गहन रूप से प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, इसलिए अपेक्षित विशेषज्ञता और सामग्री की उपलब्धता भी विलंब का कारण बन रही है।
10.	शहरी विकास	शहरी विकास क्षेत्र की परियोजनाएं ज्यादातर सिविल निर्माण स्वरूप की हैं और इन्हें प्रशासनिक मंत्रालय की तरफ से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। अनुबंधों की समुचित निगरानी तथा इन पर अनुवर्ती कार्रवाई न होने के कारण सिविल कार्यों से संबंधित परियोजनाओं में देरी होती है।

[हिन्दी]

नदियों को आपस में जोड़ना

2070. **श्री मंगनी लाल मंडल:**
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री जगदानन्द सिंह:
श्री सज्जन वर्मा:
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री पी. कुमार:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कोई कार्य बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में कार्य बल द्वारा कौन-से कार्य शुरू किए गए हैं;

(घ) इस संबंध में राज्य-वार तथा राष्ट्रीय स्तर पर कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई में शीघ्रता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में दिसंबर, 2002 में तत्कालीन संसद सदस्य (लोक सभा) श्री सुरेश पी. प्रभु की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित किया गया था।

(ग) कार्य बल ने अपना कार्य पूरा करके अप्रैल, 2003 में कार्य योजना-I प्रस्तुत की जिमसें व्यवहार्यता रिपोर्टें, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को पूरा करने की समय सीमा, प्राक्कलित लागत, कार्यान्वयन अनुसूची, परियोजना के वास्तविक लाभों और फायदों को रेखांकित किया था। कार्य योजना-II में परियोजनाओं के निधियन और निष्पादन हेतु विकल्प तथा लागत वसूली की विधियों इत्यादि के संबंध में सुझाव भी अप्रैल, 2004 में प्रस्तुत किए थे। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्य बल (टीएफ-आइएलआर) को उसका अपेक्षित कार्य पूरा हो जाने पर दिनांक 31.12.2004 से समाप्त कर दिया गया था। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने कार्यक्रम के संबंध में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्य बल के शेष दैनिक कार्यो की देखभाल तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

(घ) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की स्थापना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्थापित करने और इसे अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी अध्ययन करने हेतु 1982 में की गई थी। किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने हेतु 30 संपर्को (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 तथा हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्को तथा हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्को (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं। व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए पता लगाए गए नदी संपर्कों की वर्तमान स्थिति विवरण-I में दी गई है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत पांच नदी संपर्को नामत: (i) केन-बेताव, (ii) पार्वती-कालीसिंध-चंबल, (iii) दमनगंगा-पिंजाल (iv) पार-तापी-नर्मदा एवं (v) गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) की प्राथमिकता वाले नदी संपर्क के रूप में पहचान की गई थी। प्राथमिकता वाले एक नदी संपर्क अर्थात केन-बेतवा (चरण-I) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, एनडब्ल्यूडीए ने संबंधित राज्यों की सहमति के बाद दो और प्राथमिकता वाले नदी संपर्कों अर्थात पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करनी प्रारंभ कर दी हैं। दिनांक 3.5.2010 को गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने इन दोनों नदी संपर्कों की विस्तृत, परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनपर हस्ताक्षर किए थे। प्राथमिकता वाले अन्य नदी संपर्क नामत: पार्वती-कालीसिंध-चंबल की विस्तृत किए जा रहे हैं प्राथमिकता वाला अन्य नदी संपर्क अर्थात गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा), आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना का हिस्सा है। पोलावरम परियोजना के लिए योजना आयोग ने निवेश स्वीकृति दे दी है तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्ताव के अनुसार संपर्क घटक सहित उपर्युक्त परियोजना प्रारंभ कर दी है।

एनडब्ल्यूडीए को सात राज्यों नामत: महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु से 36 अंत: राज्यीय नदी संपर्क प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त में से एनडब्ल्यूडीए ने 15 अंत: राज्यीय नदी संपर्कों की व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त अंत: राज्यीय नदी संपर्क प्रस्तावों का ब्यौरा, उनकी स्थिति और उनकी व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्टें तैयार करने लक्ष्य सहित, विवरण-II में दिया गया है। एनडब्ल्यूडीए ने बिहार के कोसी-मेची संपर्क तथा बूढ़ी-गंडक-नोन-बाया-गंगा नामक 2 अंत: राज्यीय नदी संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी प्रारंभ कर दी है।

(ङ) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी प्रस्तावों को पूरा करना, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति और सहयोग तथा पड़ोसी देशों के साथ समझौतों (हिमालयी घटक के तहत नदी संपर्क प्रस्तावों के मामले में पर निर्भर करता है।)

(च) अधिशेष जल के बंटवारे के विषय में सहमति बनाने और एनडब्ल्यूडीए द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए सरकार ने एक सहमति दल का गठन किया है। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग इसके अध्यक्ष हैं तथा संबंधित राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन विभागों के सचिव, इसके सदस्य हैं। अभी तक, सहमति दल की दस बैठकें हो चुकी हैं। महानदी-गोदावरी-कृष्णा, पेन्नार-कावेरी-बेगई-गुंडार संपर्क प्रणाली के अंतर्गत आठ और नदी संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रारंभ करने हेतु संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए बातचीत शुरू की गई है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत अंतर-बेसिन जल अंतरण संबंधी मुद्दों पर एनडब्ल्यूडीए ने शासी निकाय और सोसाइटी की बैठक में राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित चर्चा की जाती है। अब तक शासी निकाय की 56 बैठकें और सोसाइटी की 26 बैठकें हो चुकी हैं।

विवरण I

अंतर बेसिन जल अंतरण संपर्क स्कीम से लाभान्वित राज्य (एफआर/पीएफआर/डीपीआर के अनुसार)

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	संबंधित राज्य	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	महानदी (मणिभ्रदा) गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क	उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा	एफ आर पूरी की गई
2.	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क*	उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश	एफ आर पूरी की गई (राज्य द्वारा उनके स्वयं के प्रस्ताव के अनुसार शुरू की गई)
3.	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क	उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश	एफ आर पूरी की गई
4.	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर) संपर्क	उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश	एफ आर पूरी की गई
5.	कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्ना (सोमासिला) संपर्क	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	आंध्र प्रदेश	एफ आर पूरी की गई
6.	कृष्णा (श्री सैलम)-पेन्नार संपर्क	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	आंध्र प्रदेश	एफ आर पूरी की गई
7.	कृष्णा (अलमट्टी)-पेन्नार संपर्क	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	एफ आर पूरी की गई
8.	पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैण्ड एनीकट) संपर्क	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तम्मिलनुड, केरल और पुदुचेरी	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी	एफ आर पूरी की गई
9.	कावेरी (कट्टालाई)-वैगई गुन्डार संपर्क	कर्नाटक, तमिनाडु, केरल और पुदुचेरी	तमिलनाडु	एफ और पूरी की गई
10.	पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क*	मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश ने सहमति बनाने के दौरान चर्चा करने का अनुरोध किया)	मध्य प्रदेश एवं राजस्थान	एफ आर पूरी की गई

1	2	3	4	5
11.	दमनगंगा-पिंजाल संपर्क*	महाराष्ट्र एवं गुजरात	महाराष्ट्र (केवल मुंबई) जो जलापूर्ति)	एफ और पूरी की गई एवं डीपीआर शुरू की गई
12.	पार-तापी-नर्मदा संपर्क*	महाराष्ट्र एवं गुजरात	गुजरात	एफ और पूरी की गई डीपीआर शुरू की गई
13.	केन-बेतवा संपर्क*	उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश	चरण-I की डीपीआर पूरी की गई
14.	पंबा-अचनकोविल-वैपार संपर्क	केरल एवं तमिलनाडु	तमिलनाडु	एफ और पूरी की गई
15.	बेदती-वर्दा संपर्क	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक	कर्नाटक	पीएफ आर पूरी की गई
16.	नेत्रावती-हेमावती संपर्क	कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल	कर्नाटक	एफ आर प्रारंभ की गई
		हिमालयी घटक		
1.	कोसी-मेची संपर्क	बिहार, पश्चिमी बंगाल	बिहार	पूरी तरह से नेपाल में स्थित
2.	कोसी-घाघरा संपर्क	बिहार, उत्तर प्रदेश	बिहार, उत्तर प्रदेश	एस एवं आई कार्य शुरू किये गये
3.	गंडक-गंगा संपर्क	बिहार, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	एस एवं आई कार्य पूरे किये गये
4.	घाघरा-यमुना संपर्क	बिहार, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	एफ आर पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)
5.	सारदा-यमुना संपर्क	बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	एफ आर पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)
6.	यमुना-राजस्थान संपर्क	उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान	हरियाणा एवं राजस्थान	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
7.	राजस्थान-साबरमती संपर्क	उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान	राजस्थान एवं गुजरात	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
8.	चुनार सोन बराज संपर्क	बिहार, उत्तर प्रदेश	बिहार, उत्तर प्रदेश	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
9.	सोन बांध-गंगा संपर्क की दक्षिणी वितरिकाएं	बिहार एवं झारखंड	बिहार एवं झारखंड	एस एवं आई कार्य शुरू किये गए
10.	मानस-संकोश-तीस्ता गंगा (एम-एस-टी-जी) संपर्क	असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार	असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार	एस एवं आई कार्य शुरू किये गए
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का (एम-एस-टी-जी प्रत्यावर्ती) संपर्क	असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार	असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार	एस एवं आई कार्य शुरू किये गए

1	2	3	4	5
12.	फरक्का-सुन्दरवन संपर्क	पश्चिमी बंगाल	पश्चिमी बंगाल	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
13.	गंगा-फरक्का दामोदर-सुवर्ण रेखा संपर्क	पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड	पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
14.	सुवर्ण रेखा-महानदी संपर्क	पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा	पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए

*प्राथमिकता वाले संपर्क एस एवं आई भारतीय भाग में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण।

विवरण-II

राज्य सरकारों से प्राप्त हुए अंत: राज्यीय संपर्क प्रस्तावों की स्थिति

क्र.सं.	अंत:राज्यीय संपर्क का नाम	पीएफआर की वर्तमान स्थिति/पूर्ण होने का लक्ष्य
1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.	वेनगंगा (गोसीखुर्द)-नलगंगा (पूर्णा तापी) [वेनगंगा-पश्चिमी विदर्भ एवं प्राणहिता-वर्धा संपर्कों का आमेलन किया गया और कानन-वर्धा संपर्क के माध्यम से विस्तारित किया गया]	पूर्ण
2.	वेनगंगा-मंजरा घाटी	पूर्ण (व्यवहार्य नहीं पाई गई)
3.	ऊपरी कृष्णा-भीमा (छह संपर्कों की प्रणाली)	2011-12@
4.	ऊपरी घाट-गोदावरी घाटी (दमन गंगा (एकदार) गोदावरी घाटी)	पूर्ण
5.	ऊपरी वैतरणा-गोदावरी घाटी	पूर्ण
6.	उत्तरी कोंकण-गोदावरी घाटी	पूर्ण
7.	कोयना-मुंबई सिटी	2011-12@
8.	श्रीराम सागर परियोजना (गोदावरी)-पूर्णा-मंजिरा	*
9.	वेनगंगा (गोसीखुर्द)-गोदावरी (एसआरएसपी)	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस ली गई
10.	मध्य कोंकण-भीम घाटी	*
11.	कोयना-नीरा	*
12.	मुल्सी-भीमा	2011-12@
13.	सावित्री-भीमा	*
14.	कोल्हापुर-सांगली-संगोला	2011-12@

1	2	3
15.	तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदी संपर्क परियोजनाएं	*
16.	नार-पार-गिरना घाटी	2011-12@
17.	नर्मदा-तापी	*
18.	खरियागुट्टा-नवाथा सतपुड़ा फुट हिल्स	*
19.	खरिया घुटी घाट-तापी	*
20.	जिगांव-तापी-गोदावरी घाटी	*
	गुजरात	
21.	दमनगंगा-साबरमती-चोरवाड	2011-12
	उड़ीसा	
22.	महानदी-ब्राह्मणी	पूर्ण
23.	महानदी-रूसीकुल्या (बरमुल परियोजना)	2011-12
24.	बम्सधारा-रूसीकुल्या (नंदिनी नल्ला परियोजना)	2011-12
	झारखंड	
25.	दक्षिणी कोयल-सुवर्णरेखा (झारखंड)	पूर्ण
26.	शंख-दक्षिणी कोयल	पूर्ण
27.	बराकर-दामोदर-सुवर्णरेखा	पूर्ण
	बिहार	
28.	कोसी-मेची (पूर्ण रूप से भारत में स्थित)	पूर्ण
29.	बाढ़-नवादा	पूर्ण
30.	कोहरा-चन्द्रावत (अब कोहरा-लालबेगी)	पूर्ण
31.	बूढ़ी गंडक-नोन-बया	पूर्ण
32.	बूढ़ी गंडक-बागमती (बेलवाघर)	पूर्ण
33.	कोसी-गंगा	पूर्ण
	राजस्थान	
34.	माही-लूनी संपर्क	2011-12 प्रगति पर है
35.	वाकल-साबरमती-सेई-पश्चिमी बनास-कामेरी संपर्क	2011-12 प्रगति पर है
	तमिलनाडु	
36.	पेन्नार-पालर संपर्क	2011-12@

*लक्ष्य, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके निर्धारित किये गए हैं।

@पीएफआर तैयार की गई और टिप्पणियों हेतु राज्य सरकारों को भेजी गई हैं।

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदया: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4743/15/11]

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4744/15/11]

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4745/15/11]

(7) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4746/15/11]

(8) केयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत केयर उद्योग (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2011 जो 1 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1252(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4747/15/11]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4748/15/11]

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4749/15/11]

(तीन) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (समनुषंगी) तथा हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4750/15/11]

(चार) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4751/15/11]

(पांच) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4752/15/11]

(छह) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4753/15/11]

(सात) नेपा लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4754/15/11]

(आठ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4755/15/11]

(नौ) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4756/15/11]

(दस) राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4757/15/11]

(ग्यारह) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4758/15/11]

(बारह) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4759/15/11],

(तेरह) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योगों और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4760/15/11]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4761/15/11]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजनाओं के लेखापरीक्षा नियम, 2011 जो 30 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 495(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4762/15/11]

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत का.आ. 1484(अ) जो 30 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधनियम, 2005 की अनुसूची-एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4764/15/11]

(दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4765/15/11]

(तीन) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4766/15/11]

(चार) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4767/15/11]

(पांच) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4768/15/11]

(छह) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4769/15/11]

(सात) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझाता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4770/15/11]

(आठ) फर्टिलाइजर्स एण्ड फेमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4771/15/11]

(नौ) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4772/15/11]

(दस) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4773/15/11]

(ग्यारह) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायनों और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4774/15/11]

(बारह) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4775/15/11]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 का उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 28(अ) जो 7 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खरीफ-2011 के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाने वाले आदेश के बारे में है।

(दो) का.आ. 2838(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खरीफ-2010 के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाने वाले आदेश के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4776/15/11]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4777/15/11]

(दो) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4778/15/11]

(तीन) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4779/15/11]

(चार) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4780/15/11]

(2) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकों भर्ती में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4781/15/11]

(4) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेलवे रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 2011 जो 12 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4782/15/11]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखे है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4783/15/11]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4784/15/11]

(ख) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4785/15/11]

(ग) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4786/15/11]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4787/15/11]

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4793/15/11]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4794/15/11]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4795/15/11]

(दो) डब्ल्यूएपीसीओएस (वैपकॉस) लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4796/15/11]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[मंत्रालय में रखे गये *देखिए* संख्या एल.टी. 4797/15/11]

लोक लेखा समिति

35वें से 39वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): अध्यक्ष महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग से संबंधित 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)' के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(2) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2007-08) से अधिक व्यय' के संबंध में समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(3) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित 'स्टोर सामान की खरीद और मालसूची नियंत्रण' के संबंध में समिति के 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

(4) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'संसाधनों की अव्यप्रगत केन्द्रीय पूल योजना' के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(5) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'एडीजीईएस राडार के कार्यकरण, विशेष वस्त्र और पर्वतारोहण उपकरण की खरीद और पट्टे पर देने/पट्टे के नवीकरण में विलंब' के संबंध में समिति के 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01 ½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए.के.एल. विजयन (नागापट्टिनम): मैं 'एमपीलैड कार्यों के निष्पादन में होने वाले विलंब से बचने के लिए एमपीलैड योजना की प्रभावी निगरानी विषय पर एमपीलैड संबंधी समिति (2010-11) के चौथे प्रतिवेदन* (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं।

---

*सभा के सत्र में न होने के कारण यह प्रतिवेदन निदेश 71क के अधीन 4 मई 2011 को माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अपराह्न 12.02 बजे

वाणिज्यिक संबंधी समिति

28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर): मैं प्रीमियम गैर बासमती चावल और गेहूं खाद्यानों के निर्यात के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 98वें प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 ½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

168वें से 170वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री महेश जोशी (जयपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)–मुद्दे और चुनौतियों के बारे में *168वां प्रतिवेदन।

(2) भारत में हैलीकॉप्टर प्रचालन के बारे में *169वां प्रतिवेदन।

(3) महापत्तनों के आधुनिकीकरण के बारे में 170वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अपराह्न 12.03¾ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं कार्यमंत्रणा समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

---

*सभा के सत्र में न होने के कारण यह प्रतिवेदन निदेश 71क के अधीन 4 मई 2011 को माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अपराह्न 12.03½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2009-10 तथा 2010-11) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 7वें और 12वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मैं, सभा की कार्रवाई और प्रक्रिया नियमावली के नियम 389 के तहत माननीया लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश सं. 73-ए के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विषय से सम्बद्ध स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की सातवीं रिपोर्ट में उल्लिखित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वर्ष 2009-10 की मांग अनुदानों से संबंधित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी यह वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विषय से संबंधित स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की मांग अनुदानों से संबंधित अपनी सातवीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 19 अगस्त, 2010 को प्रस्तुत की थी। अनुशंसाओं पर विचार किया गया तथा सरकार द्वारा इन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, समिति को 14 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत की गई थी।

रिपोर्ट में कुल 5 अनुशंसाएं थीं। इन सभी 5 अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख अनुलग्न में है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्यों मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): मैं, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगों (2010-11) पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति की 214वीं (दो सौ चौदहवीं) रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर कुल कार्रवाई के बारे में सम्माननीय सदन को सूचित करने के लिए लोक सभा (11वीं संस्करण) में कार्यविधि और कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के अधीन माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में यह वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

214वीं रिपोर्ट, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगों (2010-11) पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति की 205वीं रिपोर्ट, जिसे 13 दिसम्बर, 2010 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था, में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर विभाग संबंधी स्थाई समिति की टिप्पणियों से संबंधित है। यह वक्तव्य विभाग संबंधी संसदीय समिति की 214वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर कृत कार्रवाई के बारे में 205 वीं रिपोर्ट के पैरा 4.3, 5.5, 5.6, 6. 0, 7.3, 7.4, 8.3, 9.4, 11.5, 12, 13.4, 14 से संबंधित है। ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं जिसे सभापटल पर रखा गया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ है। ....*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है, दो मिनट का समय दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह विषय राज्य का है, मंत्री जी ने सुन लिया है, वे बात करेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः सिर्फ श्री बसुदेव आचार्य जी बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः सिर्फ बसुदेव आचार्य की बात रिकार्ड में जायेगी। यह मामला राज्य का है, मंत्री जी ने सुन लिया है, वे राज्य सरकार से बात करेंगे।

...*(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एल.टी. सं. 4798/15/11।

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एल.टी. सं. 47989/1511।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के आयतन निर्णय के अनुसार चूंकि भारत ने एन पीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत को संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकी नहीं मिलसकती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह राज्य सरकार का मामला है, इसका यहां तो जवाब मिलेगा नहीं। यह राज्य सरकार का कानून और व्यवस्था का मामला है, इसलिए जवाब तो मिलेगा नहीं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, आप बोलिये।

उपाध्यक्ष महोदय: हम देखेंगे, जीरो ऑवर खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। जीरो ऑवर के बाद देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी जगह पर जाइये, हम बाद में देखेंगे। अभी नहीं बाद में देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

इसी समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय संसद सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जीरो ऑवर खत्म होने दीजिए, आपको बाद में सुनेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: पहले हम बता दें, उसके बाद नेताजी बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी।

आप इनके बाद में बोलना। जीरो ऑवर के बाद हम लोग आपको सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमको बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

महोदय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के अद्यतन निर्णय के अनुसार भारत को संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं हो सकती है। भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते के समय हमने यह बतलाया था कि प्रधानमंत्री जी के दावे के उलट भारत परिष्कृत और पुनर्प्रसंस्करण करने की प्रौद्योगिकी हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। किन्तु हमें इस सदन में कई बार बताया गया–प्रधानमंत्री ने हमें बार-बार कहा कि यह छूट पूर्ण छूट हैं। किन्तु अमेरिका ने भारत को यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने पर स्पष्टत: प्रतिबंध लगा दिया था।

संप्रग सरकार ने उस समय दावा किया था कि एन एस जी से छूट मिलने पर भारत को अन्य देशों से ऐसी प्रौद्योगिकी हासिल होगी। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के अद्यतन निर्णय के पश्चात् भारत को अन्य देशों से भी ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं मिल सकेगी। इसके परिणामस्वरूप, उस समय हमने जो आशकाएं व्यक्त की। कि व्यक्ति हमें वह प्रौद्योगिकी हासिल नहीं होगी और हम परमाणु संबंधी प्रौद्योगिकी के तीसरे चरण तक पहुंचने में समर्थ नहीं होंगे, सही साबित हुई। यदि हम तीसरे चरण तक नहीं पहुंच सकते तो हम थोरियम का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। हमारे देश में थोरियम का प्रचुर भंडार है किन्तु हम तीसरे चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे।

अमेरिका ने ऐसी प्रौद्योगिकी के निर्यात के किए कभी प्रतिबद्धता नहीं जतायी है। उस समय सरकार द्वारा जो दावे किए गए वे तथ्य पर आधारित नहीं थे। जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत को साफ छूट मिल गयी है तो उन्होंने संसद और राष्ट्र दोनों को गुमराह किया। यह स्पष्ट छूट नहीं थी।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री जी को यहां आना चाहिए और यह वक्तव्य देना चाहिए कि हमारी परमाणु प्रौद्योगिकी का क्या होगा। हमें यह बार-बार क्यों कहा गया कि स्पष्ट छूट मिलेगी? इसके अतिरिक्त महोदय एक साल भी बीत गया है। हमने परमाणु दायित्व विधेयक पारित कर दिया है। सरकार को नियमों को अभी अधिसूचित करना है। इन नियमों की अधिसूचना में विलंब क्यों किया जा रहा है? हाल ही में श्रीमती हेलरी क्लिन्टन भारत आयी और उन्होंने परमाणु दायित्व अधिनियम जिसे इस संसद द्वारा पारित कर दिया गया था, में और संशोधन करने के लिए सरकार पर दबाव डाला। परमाणु दायित्व अधिनियम के कारण ही जिस कानून को अधिनियमित किया गया था, उससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के गैर सरकारी परमाणु उपकरण निर्माता घाटे की स्थिति में है।

इसीलिए मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट छूट मिलने की बात को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देना चाहिए तथा परमाणु दायित्व अधिनियम के नियमों के संबंध में अधिसूचना को अविलंब जारी किया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एम. बी. राजेश अपने आपको श्री बसुदेव आचार्य के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

मुलायम सिंह जी, आप जानते हैं कि कानून एवं व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, इसलिए आप केवल दो मिनट में यह बतायें कि आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, एक गंभीर मामले पर मैं आपके सामने और सदन के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश दंगा हुआ है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको दो मिनट का समय दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: क्या दो मिनट हो गए? वहा दंगा हुआ है। जब मुरादाबाद का दंगा होता है तो बहुत गंभीर और खतरनाक दंगा हो जाता है। वर्ष 1980 का मुरादाबाद का दंगा हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा दंगा था।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सरकार कार्रवाही कर रही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: महोदय, जब यह स्टेट का मैटर है, तो बोलने की अनुमति कैसे दी गयी? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनको बोलने दीजिए। हमने कहा है, वह दो मिनट से अपनी बात खत्म कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह समय दो मिनट में नहीं जोड़ा जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: यूपी सरकार पूरी तरह सतर्क है कि वहां स्थिति बिगड़ने न पाए।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस संबंध में चर्चा हो चुकी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बता दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह की बात के अलावा और कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री मुलायम सिंह यादव: वहां दंगा कराया गया है। वहां अत्याचार हो रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके नेता बोल रहे हैं। उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: वहां पर पुलिस पूरी तरह लोगों को परेशान कर रही है।...*(व्यवधान)*

लोगों के साथ मार-पीट कर रही है। वह ऐसा दंगा है जो पूरे देश में फैल सकता है।...*(व्यवधान)* यह क्या बाता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, इसे गंभीरता से लिया जाए। मैं गृहमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर तत्काल बयान दें कि उन्होंने क्या-क्या उपाय किए हैं। अखबारों एवं चैनलों के ऊपर सैंसर लगा दिया गया। कोई भी यह सूचना नहीं दे सकता है कि मुरादाबाद में क्यों दंगा हो गया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: देश के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ...*(व्यवधान)* मुरादाबाद में मुसलमानों पर अत्याचार हो

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहा है। मुसलमानों को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। यह खतरनाक है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के नवादा जिले में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना जिले की चेतना बन गई है।. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सिर्फ भोला सिंह जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

डॉ. भोला सिंह: यहां नवादा, हिसुआ, तिलैया, बारसलीगंज, काशीचक्र रेलवे सब स्टेशनों में सैंकड़ों केन्द्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं। ..*(व्यवधान)* उनकी संख्या 500 से अधिक है पर उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। इससे उनमें गहरा अंसतोष है। जिले में सैंकड़ों डाकघर हैं। उनमें केन्द्रीय कर्मचारियों का ठहराव है उनके बच्चे भी ऐसे विद्यालय में पढ़ने से वंचित रहते हैं। वर्ष 2003 में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बोल चुके हैं। अब बैठ जाइए। आपकी पार्टी के सदस्य ही बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. भोला सिंह: वह किराए के मकान में चलने लगा था, फिर वह बन्द कर दिया गया। एक वर्ष पूर्व श्री संगीत सिंह ने स्वेच्छा से केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए 8 एकड़ जमीन दान में निबंधन कर दिया है जिसकी सूचना केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दी जा चुकी है।...*(व्यवधान)* अस्थायी तौर से निजी भवनों में केन्द्रीय विद्यालय चलाने के लिए स्थान का चयन भी किया जा चुका है, पर अभी तक इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है जो चिंता का विषय है। मैंने लगातार संसदीय प्रक्रिया का अनुगमन करते हुए नवादा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार का ध्यान खींचा है पर वह भी फलित नहीं हो पा रहा है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इनको समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ भोला सिंह: अत: मैं मानव संसाधन विकास विभाग के माननीय मंत्री से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार ने जो मानक तैयार किए हैं नवादा उसकी अभिपूर्ति करता है जिसकी मान्यता मिलनी चाहिए। अत: नवादा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार अतिशीघ्र कार्रवाई करे। इस ओर सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: योगी जी, आप एक मिनट में अपनी बात बोलिए।

अपराह्न 12.19 बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): मुरादाबाद में पिछले 4 दिनों से लगातार दंगे ही रहे हैं।...*(व्यवधान)*

हिंदुओं को धार्मिक कार्यक्रम से वंचित किया गया। जलाभिषेक के कार्यक्रम के लिए जाने वाले हजारों कांवड़ियों पर हमले किए गए। ये हमले पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुए हैं। वहां पर शासन और प्रशासन दोनों पूरी तरह फेल हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: इसलिए मैं मांग करता हूं कि हिन्दुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। वहां पर हमले तीन-चार दिन से लगातार चल रहे हैं।...*(व्यवधान)* मुरादाबाद के समाचारों को पूरी तरह सैंसर कर दिया गया, रोक लगा दी गई। वहां की खबरों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)* मुरादाबाद पहले से ही संवेदनशील जगह है। इसलिए हम आप के माध्यम से मांग करते हैं कि मुरादाबाद में हिंदू धार्मिक कांवडियों एवं श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए।

वहां के विभिन्न मोहल्लों में जो हिन्दु अल्पसंख्यक हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाए। वहां केन्द्रीय दल भेजा जाए और मुरादाबाद की स्थिति को नियंत्रित किया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भारत सरकार के मेगा फूड पार्क की स्थापना के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 के बजट में पांच मेगा फूड पार्क स्वीकृत करने की योजना बनाई थी। इस साल के बजट में भी मेगा फूड पार्क स्थापित करने की योजना है। बीकानेर मुख्यालय मेगा फूड पार्क स्थापित करने की पूरी पात्रता रखता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री से मांग करता हूं कि बीकानेर मुख्यालय पर मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाए ताकि वहां पशुपालकों को लाभ मिले, गृह उद्योगों में कार्यरत लोगों को लाभ मिल सके और औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकें। हमारे वहां स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। उसमें यह तकनीकी विषय भी शुरू हो सकता है जिससे युवा वर्ग को रोजगार मिलेगा।...*(व्यवधान)* मैं मांग करता हूं कि बीकानेर मुख्यालय में फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री द्वारा एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाए जिससे गृह उद्योग जैसे पापड़, भुजिया, नमकीन आदि के काम को बल मिले और जो महिलाएं इन्हें बनाती हैं, उन्हें भी रोजगार मिले। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) महोदय, मैं अत्यधिक लोक महत्व के इस मामले को उठाने का अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं जो अपना बोडो लैण्ड राज्य के अविलंब सृजन की कई दशक पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग से जुड़ा है। ज्वलंत बोडो लैण्ड राज्य ने ज्वलंत मुद्दे का सम्मानजनक और स्थायी राजनीतिक समाधान करने की तात्कालिक आवश्यकता से जुड़ी पुरानी और लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने में बहुत विलंब हो गया है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.24 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: आज, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की इस दूसरी सरकार ने अलग तेलंगाना राज्य के सृजन से संबंधित बहुप्रशीक्षित मांग के संबंध में नीतिगत निर्णय करने की घोषणा की है लेकिन भारत सरकार अलग बोडोलैंड राज्य के सृजन के बहुप्रतीक्षित मामले में भी ऐसी घोषणा की जानी चाहिए थी। अलग बोडो लैन्ड राज्य की प्राप्ति बोडो मूल निवासियों का जन्म दिवस अधिकार है।

अत: मैं भारत सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह बहुप्रतीक्षित अलग बोडोलैण्ड राज्य था। भारत के सांविधानिक ढांचे के अंतर्गत अविलंब सृजन करने हेतु समुचित कदम उठाए। जब तक बोडोलैण्ड नहीं बनेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आप से जल्द बोडो लैंड बनाया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं पूरे देश और पूरी संसद से अपील करता हूं कि आप बहुप्रतीक्षित अलग बोडोलैंड के सृजन की अविलम्बनीय आवश्यकता का स्पष्ट समर्थन करें। यह बोडो लोगों की सच्ची मांग है। अलग बोडो लैंड राज्य के सृजन की मांग बोडो लोगों का ऐतिहासिक विशेषाधिकार हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।

[अनुवाद]

यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अलग बोडो लैण्ड राज्य के बिना उस क्षेत्र के बोडो मूल निवासी अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकेंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब इनकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर): जैतापुर परमाणु विद्युत संयंत्र परियोजना की प्रारंभिक जांच यह दर्शाती है कि इस परियोजना का कोई वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्र आर्थिक औचित्य नहीं है और यह हजारों लोगों की आजीविका पर दुष्प्रभाव डालने तथा क्षेत्र की जैव-विविधता और पर्यावरण को कल्पनातीत क्षति पहुंचाने जा रही

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। यह स्पष्ट है कि भारत-अमरीका के लिए साखविहीन परमाणु-समझौते, को ध्यान में रखते हुए जले पूरी तरह राजनीतिक आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना के लिए भूमि-अधिग्रहण हेतु महाराष्ट्र सरकार और परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जिस प्रकार बल प्रयोग किया गया। और जिस तरह से सरकार ने परियोजना से जुड़े लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए लोगों को दबाने के लिए नृशंस लाठी-चार्ज और गोलीबारी की है, मैं उसकी पुरजोर भर्त्सना करता हूं। पिछले कुछ महीनों में यहां पहले ही दो लोग शहीद हो चुके हैं और महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों सहित बहुत से लोग घायल हुए हैं। सबसे निंदनीय तथ्य तो वह खबर है जिसके अनुसार केंद्र सरकार जैतापुर परमाणु संयंत्र के क्षेत्र और आस-पास की भूमि के अधिग्रहण के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन की योजना बना रही है। जिसके द्वारा केन्द्र को मात्र एक आदेश जारी करके।

किसान को उसको ऐसी भूमि, जो परमाणिक अनुसंधान, उत्पादन और निपटान व्यवस्थापन के नजदीक है, के इस्तेमाल और स्वामित्व से वंचित करते हुए उसमें निर्बाध प्रवेश करने का अधिकार मिल जाएगा।

इस प्रस्तावित संशोधन से केन्द्र सरकार को किसी क्षेत्र को निषिध क्षेत्र घोषित करने की भी शक्ति मिल जाएगी जिसके अंदर और बाहर सैन्य बलों को तैनात किया जा सकेगा। जापान के युकोशिमा में हुई परमाणु-विभीषिका के मद्देनजर पूरे विश्व में परमाणु विद्युत-संपर्कों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर शंका उत्पन्न हो गयी है।

मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि जैतापुर में बनने जा रहे परमाणु विद्युत संयंत्र को तुरंत रोका जाए क्योंकि इससे वहां और (आस-पास रहने वाले लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है तथा यह पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अत: मैं सरकार से जैतापुर परमाणु विद्युत संयंत्र परियोजना को रोकने का पुन: आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल के दौरान इस विषय पर अपने विचार व्यक्त यकरने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह विषय सामयिक एवं जनहित में है। देश में बच्चों के गुम होने की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कई सूचनाओं के अनुसार देश में हर घंटे एक बच्चा गुम हो रहा है। दिल्ली में रोजाना सात बच्चे गायब हो रहे हैं। एक बच्चे के गायब होने के बाद उस परिवार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जो लोग बाहर से रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं या अन्य शहरों से जाते हैं, उनके बच्चों के गुम होने की संख्या ज्यादा होती है। मुझे खेदपूर्वक सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि गायब बच्चों की बरामदी दर आधे से भी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 921 गुम हुए बच्चों में से केवल 315 बच्चों का पता ही सरकार चला पायी है। पिछले साल गुम हुए 500 बच्चों को कुछ पता नहीं चला। ये बच्चे किसी षडयंत्र का शिकार हो सकते हैं, शरीर के अंग निकालने वाले अपराधियों या गुमराह करने वाले शिकारियों के शिकार हो सकते हैं। पुलिस की भूमिका इस संबंध में बड़ी ही निराशाजनक है। बच्चा गायब होने के एक साल बाद अखबारों में सूचना दी जाती है। इस संबंध में पुलिस भी कोई समन्वय कार्य संतोषजनक नहीं कर पाती है। इससे पुलिस के कार्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न उठ सकते हैं। न्यायालयों के माध्यम से भी पुलिस को कई बार फटकार भी मिल चुकी है। न्यायालय ने एक विशेष दल का गठन करने का भी निर्देश दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चों के गुम होने की घटनाओं की सघनता से जांच की जाये और इस संबंध में समन्वयकारी कार्यों की समीक्षा की जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः निम्नलिखित सदस्यों को श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा किए गए निवेदन के साथ स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाय श्री सी.आर. पाटिल, देवजी एस पटेल श्रीमती ज्योति धुर्वे तथा श्री शिव कुमार उदासी।

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के कई राज्यों में व्याप्त महत्वपूर्ण एवं आम समस्या को उठाना चाहूंगा।

देश के कई राज्यों में प्रत्येक वर्ष असंख्य बच्चे लापता हो जाते हैं। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित यह किया प्रत्येक वर्ष औसतन 44,000 बच्चों के गायब होने सूचना प्राप्त होती है तथा उनमें से 11,000 बच्चों का पता नहीं चल पाता। कई एन जी ओ यह दावा करते हैं कि सूचित किए बच्चों की तुलना में अधिक बच्चों के लापता होने का अनुमान है।

समाज विरोधी तत्वों द्वारा कई तरह से बच्चों को लालच दिया जाता है। ऐसे भी मामले हैं जहां नवजातों को अस्पतालों से उठा लिया जाता है तथा युवा बच्चों का परित्याग माता-पिता द्वारा कर

दिया जाता है। लापता हो जाने वाले बच्चों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए शोषित तथा प्रताड़ित किया जा सकता है। ऐसे भी मामले हैं जहां नवजातों को औलाद विहीन दंपत्तियों को बेचा जाता है, चाय की दुकानों में काम पर लगाया जाता है, उनसे भीख मंगवायी जाती है तथा वेश्यावृत्ति करायी जाती है। इनका अंतिम उद्देश्य रुपये की उगाही करना होता है।

इनमें से अधिकतर बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं जिनकी पहुंच पुलिस तक नहीं होती है तथा यदि उनकी रिपोर्ट की भी जाती है, तो उन्हें पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार 800 से अधिक गिरोह बच्चों की उठाइगिरी में लिप्त हैं तथा वे पूरे देश में कार्यरत हैं। प्रत्येक बच्चा मूल्यवान है तथा बच्चों के गायब होने की समस्या को रोकने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मुद्दे पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को कई सिफारिशें की हैं।

मैं यह आग्रह करता हूं कि देश के बच्चों की सुरक्षा तथा गायब होने से उनका बचाव करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए तथा कठोर कानून बनाए जाएं। सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को कठोर कार्रवाई करने का निदेश दे सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.टी. थामस तथा श्री एंटो एंटोनी को श्री रामासुब्बू द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सहबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी: महोदय, बुंदेलखण्ड में कई करोड़ रुपये खा गयी उत्तर प्रदेश की सरकार...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री घनश्याम अनुरागी: उपाध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है। इसकी जांच कराने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 49 करोड़ के पेड़ लगाए...(व्यवधान यह बहुत गंभीर मामला है, इसकी जांच कराने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न सदन के सम्मुख आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। हमें मालूम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और यूरोप के अनेक देशों में फिर से एक नया आर्थिक संकट पैदा हो गया है। यह संकट केवल अमेरिका या अन्य दो-तीना देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ है, ह बहुत गंभीर है और उसके परिणाम अमेरिका के निवासियों को तो भुगतने ही पड़ रहे हैं, लेकिन वहां जो भारतीय गए हैं और जो वहां हजारों की संख्या में हैं, उनको भुगताना पड़ रहा है। यहां की जो आईटी कंपनीज हैं, जो वहां से बीपीओ कर रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, जैसे ही अमेरिका के बाजार में गिरावट आती है, उन कंपनीज को नुकसान होता है, कंपनीज बंद होती हैं, उसका सीधा असर हमारे यहां की आईटी कंपनी पर आता है। अब अमेरिका में एक नई मांग हुई है, जो इंग्लैंड में भी हो रही है और जो अन्य देशों में भी होगी कि अगर वहां बेरोजगारी हुई हैं, तो वहां जो बेरोजगार उस देश के निवासी नहीं हैं, जैसे गैर-अमेरिकन हैं, गैर-ब्रिटिश हैं, उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए, उन्हें नौकरी न दी जाए। यह संकट लंदन में खड़ा हो गया है। सारे इंग्लैंड के अंदर आज आग लगी हुई है और उसका मुख्य कारण यही है कि भारतवासियों, एशियावासियों, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, के बारे में वहां यह मांग की जा रही है कि वापस भेजे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ग्रीस में, इटली में, स्पेन में जर्मनी में, फ्रांस में बौखलाहट है। जर्मनी और फ्रांस डरे हुए हैं कि ये सारे लोग अब वहां से इनके यहां न आ जाएं।

आज सारी यूरोपीय यूनियन के सामने संकट आ गया है कि वह इस बढ़ते हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या करे। यूरोपीय यूनियन के सामने यह सामूहिक संकट खड़ा हो गया है चीन घबरा रहा है, क्योंकि चीन का बहुत सारा पैसा अमेरिका के पास रखा हुआ है। भारत के सामने भी यह गम्भीर संकट है। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे डालर्स, सब के सब अमेरिकन ट्रेज़री में हैं। अमेरिका कर्ज भुगतान करने में असमर्थ हो रहा है। अभी आपने देखा कि उनके यहां क्राइसेज़ ही इसी बात का था कि अमेरिका कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हो रहा है। वहां के देश में अंदरूनी गड़बड़ हो रही है, वहां की पार्टीज के बीच में मतभेद है। बड़ी मुश्किल से ओबामा उस समझौते को करा पाए हैं। नतीजा यह है कि इसका सारा दुष्परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। रुपए की कीमत गिरने और उठने से आयात और निर्यात पर प्रभाव पड़ता है। अगर रुपया बहुत ज्यादा गिर जाए तो इम्पोर्ट पर असर पड़ता है। एक्सपोर्ट वाला खुश होगा, लेकिन वह निर्यात करेगा किसे, क्योंकि आज अमेरिका और यूरोपीय बाजारों की खरीदने की ताकत कम हो गई है, खर्च करने की ताकत कम हो गई है। वे पहले ही इतना खर्च कर चुके हैं कि उसका भुगतान कहां से करेंगे। कई ट्रिलियन डालर्स का अमेरिका ने कर्ज लिया है और वह सबसे बड़ा कर्जदार देश है। तीन पीढ़ियों तक का कंज़म्पशन

उन्होंने कर लिया है। उनके सामने सवाल यह है कि कर्ज तो इन्होंने लिया है, अब चुकाएगा कौन, पूरा कौन करेगा?

यह बड़ा गम्भीर सवाल है। यह इस बात की तरफ इंगित करता है कि जो डवलपमेंटल इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने स्वीकार किया है, वह गलत है। वह सारी दुनिया के लिए खतरनाक है। मुझे आज प्रसन्नता हुई जब हमारे एक मंत्री जी ने बयान दिया कि हम इसलिए बचे हुए हैं कि हम सेव करते हैं। अमेरिका और यूरोप इसलिए फंसे हुए हैं कि वे सिर्फ खर्च करते हैं। इसलिए इकोनॉमिक डवपमेंटल का जो मॉडल है, सेविंग का और पर्यावरण का, अभी शायद जयराम रमेश जी वहां मौजूद नहीं हैं, सारा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। यह अर्थव्यवस्था का सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। इस संकट को सिर्फ अखबारों तक ही सीमित न समझें। एक और संकट पैदा हो रहा है। सोने का और चांदी का दाम बढ़ रहा है। इन्वैस्टमेंट बजाय किसी रचनात्मक काम के इस तरफ जा रहा है। लोग बुरे दिनों के लिए सोना खरीद कर रख रहे हैं, चांदी खरीद कर रख रहे हैं। ये सवाल गहरे हैं और केवल यह कह देने से कि हमारी ग्रोथ ठीक होगी, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। रंगराजन साहब ने कहा है कि बहुत मुश्किल है ग्रोथ को बनाए रखना। मंत्री जी कहते हैं कि ग्रोथ मुकम्मिल रहेगी। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि ग्रोथ मुकम्मिल रहेगी। जबकि बाजार कहता है कि यह खत्म नहीं होगी। इसलिए यह गम्भीर प्रश्न है। इस पर भारत की समस्त अर्थव्यवस्था संकट में पड़ने वाली है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है और ग्रोथ के सारे कयास नष्ट होने वाले हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर मंत्री जी सदन में बयान दे और सदन इस पर पूरे तौर पर चर्चा करे कि जो हमने आज का इकोनॉमिक डवलपमेंटल का मॉडल ले रखा है, वह बिल्कुल गलत है। उसके स्थान पर एक नए भारतीय मॉडल के विकास करने की जरूरत है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, मैं जोशी जी की बात से पूरी तरफ सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप संबंध हो जाएं और अपना नाम भेज दें।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री शिव कुमार उदासी, श्री देवजी एम. पटेल, श्री सी. आर. पाटिल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री रमेन डेका को डॉ. मुरली मनोहर जोशी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सहबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी): उपाध्यक्ष महोदय मैं उस सभा में एक गंभीर मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: जोशी जी ने जो सवाल उठाया है,

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि बहस होनी चाहिए। सरकार इस पर सोचेगी।

श्री शरद यादव: आज जो ब्रिटेन में हो रहा है, उसका भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं जोशी जी की बात से सहमत हूं कि आज वहां जो आग लगी है उससे पश्चिमी सभ्यता का पतन शुरू हो गया है। उस पतन का नतीजा यह होगा कि हम तो डूबेंगे ही आपको भी ले डूबेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकार्ड में आ गई है इसलिए अब आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र कुमार राय: मैंने आपको सूचना दी थी कि पश्चिम बंगाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र जलपाईगुड़ी में तराई एवं डूआर्स क्षेत्र के चाय बागान कामगारों की एक भारी समस्या है। पिछला तीन वर्षीय मजदूरी समझौता 31 मार्च, 2011 को समाप्त हो गया था...*(व्यवधान)* पर, चार बैठकें पहले ही हो जाने के बावजूद नया समझौता नहीं किया गया। अब आई एन टी यू सी, सी आई टी यू आदि सहित सभी मजदूर संघों ने 10 से 12 अगसत, 2011 तक तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल जारी है तथा 15 लाख चाय बागान कामगार इसमें शामिल हो गए हैं।

वर्तमान समय में एक स्थायी चाय कामगार को तरई एवं डूअर्स क्षेत्र में प्रति दिन महज 67 रुपये मिलते हैं। मनरेगा के अनुसार, कामगारों को न्यूनतम 130 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए। चाय बागान मालिकों द्वारा वंचित रखा गया है। मजदूर संघों की समन्वय चाय बागान कामगारों को वंचित रखा गया है। मजदूर संघों की समन्वय समिति जिसमें सी आई टी यू, आई एन टी यू सी जैसे 20 से अधिक संगठन शामिल हैं, ने 4 और 5 अगस्त 2011 को समझौता करने की असफल कोशिश के बाद हड़ताल का निर्णय किया। राज्य, बागान मालिकों तथा मजदूर संघों के बीच मजदूरी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए राज्य श्रम विभाग द्वारा कोलकाता में बुलायी गयी द्विपक्षीय बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। इस

द्विपक्षीय बैठक का कोई परिणाम नहीं निकला। प्लांटर्स एसोसिएशन की समन्वय समिति मजदूर संघों की मांगों के बाद चाय कामगारों के लिए मजदूरी बढ़ाने के प्रति आनाकानी कर रही थी। इससे क्रुद्ध होकर मजदूर संघ नेताओं ने 10 से 12 अगस्त 2011 तक तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल शुरू हो गयी है तथा यह 10 अगस्त से जारी है। चाय बागान कामगारों की मांग 67 रुपये की बजाय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते महंगाई भत्ते के साथ 167 रुपये प्रति दिन पर मजदूरी दर निर्धारित करने की है। पर चाय बागान मालिकों ने इसका हल करने की ओर ध्यान नहीं दिया। भारतीय आदिवासी विकास परिषद समर्थित मजदूर संघों ने 9 अगस्त से ही तरई एवं डूअर्स क्षेत्र में कारखानों एवं भांडागारों से चाय भेजना पहले ही बंद कर दिया है तथा 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है।

चाय बागान कामगारों की मजदूरी में वृद्धि की मांग के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता हनी है। सभी मजदूर संघों ने तब हड़ताल का आह्वान किया जब प्लांटर अडिग थे तथा उन्होंने मजदूरों की मांगों को स्वीकार करने से इंकार किया।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह चाय कामगारों के इस वर्तमान संकट का समाधान करे। मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे श्रमिक मजदूरी बोर्ड का तत्काल गठन करे।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष जी, शरद यादव जी जब बोल रहे थे, तब माइक ही नहीं चला।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शरद यादव जी, ये जो बोल रहे हैं इनके भाषण के बाद आप बोलिये।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि जब शरद यादव जी बोल रहे थे तो इनका माइक क्यों नहीं चला?

उपाध्यक्ष महोदय: माइक चलेगा, आप बैठ जाइये। शरद यादव जी, आप इनके बाद बोलियेगा, अभी बैठ जाइये।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष जी, इस विषय पर सभी दलों को बोलने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभी लोग अपने को इनके कथन से सम्बद्ध कर दीजिए। शरद यादव जी, आप बोलिये।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष जी, यह विषय क्योंकि नियम 377 में उठाया गया है इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। यह जीरो आवर है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल संक्षेप में, एक-डेढ़ मिनट में, अपनी बात को रखूंगा। मैं माननीय जोशी जी की सारी बातों के साथ संपूर्ण तौर पर सहमत हूं। एक बात और मैं उसमें जोड़ना चाहता हू। कि इस सभ्यता के बारे में डा. लोहिया कहते थे कि यह जो इतिहास चक्र है इससे कभी हम लोग बहुत ऊपर थे, कभी कोई सभ्यता पीक पर जाती है और फिर नीचे आ जाती है। उनका कथन विंडिकेट हो रहा है क्योंकि वह सभ्यता, ब्रितानिया सभ्यता, अब पतन की ओर है। ब्रितानिया में जो कुछ हो रहा है, वह इस तरह से हो रहा है कि वहां का और भारत का जो मीडिया है वह कुछ समझ नहीं पा रहा है। वहां कुछ इस तरह से सेंसरशिप चल है कि सच्चाई और हकीकत बाहर आ नहीं रही है कि वहां क्या हो रहा है? मैं मानता हूं कि आपने सारे मूल्यों और नैतिकता को खत्म कर दिया, मौज करो, खाओ, पीयो और लूटो और वहीं लोग हैं जो एसएमस कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): वैलेंटाइन-वैलेंटाइन करके सब नाश कर दिया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: लालू जी, आपको जब बुलाएंगे, तभी बोलियेगा, अभी आप बैठ जाइये।

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, नई सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, इस विस्तार को करने में उनकी सभ्यता का हाथ है, यह उन्हें ही समझ नहीं आ रहा है। आज ब्रिटानिया की संसद बैठकर माथा मार रही है कि क्या हो रहा है। अगर वे एक जगह खड़े होते हैं, तो दूसरी जगह हो जाता है और दूसरी जगह खड़े रहते हैं तो तीसरी जगह हो जाता है। हम उस सभ्यता को अपना आदर्श मान रहे थे और उसके चलते पूरे देश में एसएमएस तथा तमाम दूसरी तरह की चीजें चल रही हैं। जिस सभ्यता को हमने पकड़ा है, वह पतन की ओर जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव: वे तो डूबेंगे, उनके साथ हम भी डूबेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी नकल छोड़ो और देश बचाओ। जिस चीज में आपने उनकी नकल नहीं की, उस चीज में आप बच गए हैं। आपने बैंक में उनको नहीं माना, इसलिए बच गए। यदि उन्हीं को देखकर बैंक को भी खोल देते, तो आपकी भी बैसी ही दुर्दश होती। मैं जोशी जी का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदय, सभा में सर्व सम्मति है। इस सभा में सभी सदस्य सरकार को यह कहने में सर्वसम्मत है: "आर्थिक सुधारों के अमेरिकी मॉडल का शिकार न बनें तथा भारत में विश्व बैंक मॉडल का शिकार न बनें" यदि आप ऐसा करते हैं तो वही सब भारत में हो रहा होगा जो लंदन में हो रहा है। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी छँटनी, गरीबी और वंचन-इन सब का परिणाम है सामाजिक हलचल ...*(व्यवधान)* भारत सरकार और डॉ. मनमोहन सिंह को अपने आर्थिक सुधारों को जरूर छोड़ देना चाहिए तथा भारत को भारतीय मॉडल पर वापस ले आना चाहिए ताकि भारत उस अवनति से सुरक्षित रहे जिसने पश्चिमी दुनिया को पूरी तरह प्रभावित कर रखा है। हमें जरूर ही भारतीय मॉडल अपनाना चाहिए–अमेरिकी मॉडल नहीं, विश्व बैंक मॉडल नहीं। हमें जरूर परोपकारी होना चाहिए। हमें मानवीय समस्याओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा वैसा ही भारत में भी घटेगा। हम ज्वालामुखी पर बैठे हैं...*(व्यवधान)* इसलिए सरकार को इस आर्थिक नीति को जरूर बंद कर देना चाहिए। मैं आर्थिक नीति, निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण पर चर्चा की मांगों के संबंध में डॉ. मुरली मनोहर जोशी के साथ शामिल हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, शरद यादव जी ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया था। ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है, उसके कारण लाखों हिन्दुस्तानी वहां से भाग रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि वहां से कैसे भागें। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। हिंदुस्तान भी इसकी चपेट से बच नहीं सकता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है? आप तो हमेशा अमरीका के पिछलग्गु बने रहे हैं और हम विरोध करते रहे हैं। आप हर समय अमरीका-अमरीका ही करते रहे हैं। अब अमरीका दिवालिया हो गया है। आज हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और हिंदुस्तान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर अमरीका पर किसी ने भरोसा किया है और उसके पिछलग्गू बनी है, तो यह सरकर बनी है। देश पर खतरा है तथा हमें आशंका है कि अमरीका की वजह से कहीं हिंदुस्तान पर भी असर न हो जाए।

सवाल यह है कि सरकार वहां क्या कर रही है? भारत के लोग अमेरिका से भाग रहे हैं। उनका क्या इंतजाम किया है? भारतीय अमेरिका और इंग्लैंड से भाग रहे हैं।...*(व्यवधान)* उन लोगों के लिए...*(व्यवधान)* सरकार क्या व्यवस्था कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, अब आपकी बात पूरी हो गई। अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: उन लोगों के लिए जो हिन्दुस्तान के हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? यदि उन पर संकट आएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सब लोग अपने को सम्बद्ध कर रहे हैं। मामला गंभीर है।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने जो गंभीर सवाल उठाया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप गंभीर हैं न?

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: हमारी बात सुनिए। अगर आपको इन चीजों में रुचि नहीं है तो हम बैठ जाएंगे।...*(व्यवधान)* सारा देश रो रहा है, साधु-संत रो रहे हैं, ऋषि-महर्षि रो रहे हैं, क्या हमारा देश बनने जा रहा है? मुरली मनोहर जोशी जी ने पाश्चात्य देशों का अंधाधुंध अनुकरण जो हम करते चले गय हैं और हम यह मानते गये कि हम एडवांस्ड हो गये हैं, हम दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। जिन बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया है, खुलकर बात नहीं हो रही है। यह सवाल गरीबी और अमीरी का नहीं है, मारकाट का सवाल नहीं है। हमारा देश क्या बनने जा रहा है? भारत की भूमि स्वर्ण से भी बड़ी है और यह धरती ऋषि-मुनियों की मानी गई है जिसे भारत माता कहते हैं। आज हमारी भारत माता के सामने क्या हो रहा है? इसी दिल्ली में जिस सभ्यता का अनुकरण करने के कारण ये सारी परेशानी हो रही है, नंगे होकर हजारों लोग सड़कों पर निकले, जश्न बनाया और अपने चेहरे पर रंग-बिरंगे टैटूस बनवाए। बहुत गंभीर बात है। यह देश अब इन सब बातों से बचा नहीं है और न बचने वाला है। हम इस पर बहस चाहते हैं चाहे देश के सामने जो कुछ भी नतीजा आए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आपकी बात समाप्त हो गई न?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: लालू जी, आप हमसे बात कीजिए। इधर देखकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: समलैंगिक का कानून आपने एडॉप्ट कर लिया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आपका हो गया न? आपने सिर्फ सम्बद्ध करने की बात कही थी। अब आपकी बात समाप्त हो गई।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: महोदय, महिला महिला से शादी करेगी... *(व्यवधान)* इसको आपने चुपचाप बैठकर एडॉप्ट कर लिया।... *(व्यवधान)* आईपीसी की धारा 377 के तहत पुरुष पुरुष से शादी करेगा। देश की जनता को अभी सारी बात का खुलासा नहीं हुआ है और शर्म के कारण हम लोग बातों को नहीं बता रहे हैं। धारा 377 है जिसमें अननैचुरल ऑफेंस जिसे कहते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया और लोग यहां हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह गये, आगे नहीं गये। यह ऋषियों-महर्षियों का देश है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री लालू प्रसाद: बहुत गंभीर मामला है। कृपया हमारी बात सुनिए।

चाहे अनचाहे जो भी है, हमारी बात रिकॉर्ड में रहेगी, आप इसे मानिए या न मानिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकॉर्ड में रहेगी।

श्री लालू प्रसाद: आप इन्टरस्ट मत लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप ज्यादा इन्टरस्ट मत जगाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आप सुनिए आपका काम सुनना है। हम सबसे पहले सूर्य मंदिर गए थे, वहां हमने चारों तरफ नंगी तस्वीरें देखी। हमें काफी आश्चर्य हुआ कि भगवान के मंदिर में नंगी तस्वीर क्यों हैं, तरह-तरह के आसन क्यों हैं? खजुराहों मंदिर पर आसन क्यों हैं? तब हमें किसी ने बताया कि एक समय था कि सैक्स के प्रति लोगों की विरक्ति हो गई थी, जनसंख्या घट रही थी। भारत की लाज है कि भारत की बेटियां और महिलाएं आंख उठाकर नहीं देखती हैं। हमें बताया गया कि सैक्स के प्रति तब लोगों की विरक्ति हो रही थी, मंदिर के प्रति, रिलीजन के प्रति लोग भीरु हो गए थे। जब जनसंख्या का खतरा होने लगा तब नंगी तस्वीरें दिखाई गई ताकि सैक्स के प्रति लोगों के मन में भावना आए, तब ये बनाया गया था। लेकिन अब कितने मंदिर बनाएंगे? नंगापन, चैटिंग, वैलेनटाइन, इन्टरनेट, आई-पोट, फेसबुक अमेरिका से लाए और आज चारों तरफ नग्नता हो रही है। क्या हमारा देश बचा है? हम जीतकर आते हैं, यहां हाथ पर हाथ रखकर टुकुर-टुकुर देखते हैं। जोशी जी ने ठीक कहा है कि यह भारत है, भारत की भूमि है, हमारी संस्कृति बरबाद की जा रही है, चौपट की जा रही है, हमारी विरासत चरमरा रही है। इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है, ध्यान दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: हमने आपका नाम नहीं बोला है। लालू जी, आपकी बात हो गई है, संक्षेप में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस स्थान से बोलने की इजाजत दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको इजाजत है।

श्री विजय बहादुर सिंह: मैं संबद्ध करते हुए सिर्फ डेढ़ मिनट में बात समाप्त करना चाहता हूं। मेरा कहना है कि जब-जब भारत में दूसरे मॉडल की नकल की गई है, तब-तब धड़ाम से गिरा है। 1954 और 1957 के बीच हम समझते थे की यूएसएसआर बहुत बड़ी चीज है। हम एक लैफ्टिस्ट माडल को यहां ले आए। कोई भी अधिकारी अगर कालमार्क्स की किताब लेकर, कैपिटल की किताब लेकर खाकी फुल पैंट पहनकर घूमता था तो लगता था बहुत संपन्न है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। हम उस मॉडल में आए, जहां से वह मॉडल शुरू हुआ, यूएसएसआर के साथ बहे और धड़ाम से गिर गए। आप जानते हैं कि कजाखिस्तान से चेचेन्या सात भाग हुए। नव लैफ्टिस्ट मॉडल, इस समय इंडस्ट्रियल अनरैस्ट आदि इसकी देन है। जब हम वहां से नकल नहीं कर पाए तो अमेरिका की तरफ चले गए। इसका नतीजा हो रहा है कि हमारे देश में कारें और मोटर के पुर्जे ज्यादा बन रहे हैं जबकि गेहूँ और दाल कम पैदा हो रहा है। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान की असली ताकत एग्रीकल्वर बेस, गांव की सभ्यता बेस है, उस पर फोकस किया जाए। आप जान लीजिए, एक टैक्ट 2010 में हुआ था, 12 साल तक के बच्चों को अमेरिका में व्हाइट हाउस दिखाया गया तो 87 परसेंट बच्चे व्हाइट हाउस नहीं पहचान पाए जबकि हिन्दुस्तान के 97 परसेंट पहचान गए।

अपराह्न 1.00 बजे

लेकिन जो हिंदुस्तान के बच्चे थे, उनमें से 97 परसैन्ट पहचान गये। इससे सिद्ध होता है कि हमारे यहां की इंडस वैली सिविलाइजेशन उनसे ज्यादा बुद्धिमान है, उनसे ज्यादा पढ़ी-लिखी है। इसलिए हमें अपना ही मॉडयूल अपनाए रखना होगा।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): उपाध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अपनी हिलोरी से भिगोने वाला अरब सागर समुद्री दुर्घटनाओं का केन्द्र बनता जा रहा है। पिछले डेढ़ साल में ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से मुंबई महानगर के साथ-साथ देश के लिए भी खतरा पैदा होने की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी हैं।

पिछले डेढ़ साल में मुंबई के इर्द-गिर्द तरह की समुद्री दुर्घटनाएं देखी जा सकती हैं। 23 मार्च, 2010 को भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज आईसीजीएस विवेक के साथ मर्चेंट नेवी के जहाज एमवी ग्लोबल प्यूरिटी की टक्कर हुई।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जिन लोगों ने नाम लिखकर दिये हुए हैं, हम उन्हें बुला रहे हैं। आपने अपना नाम लिखकर नहीं दिया है, इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: 7 अगस्त, 2010 को मर्चेंट नेवी के दो जहाज एमवी चित्रा एवं एमवीआई खलीजिया-3 की टक्कर से समुद्र में फैले तेल से मुम्बईवासियों को काफी परेशानी हुई। 31 जनवरी, 2011 को भारतीय नौसेना का एक जहाज साइप्रस देश के मर्चेन्ट नेवी के जहाज को टक्कर मारने के बाद विंध्यगिरी मुम्बई बंदरगाह के पास डूब गया। इसके अलावा 26 साल पुराने जहाज एमवी विजडम को तोड़ने के लिए श्रीलंका के बंदरगाह से खींचकर गुजरात ले जाया जा रहा था, परंतु बीच में ही यह खींचकर ला रहे जहाज से अलग हो गया।

यदि मुम्बई या देश में यह सब होता रहा तो यह देश की सुरक्षा के साथ-साथ जलीय जीव-जंतुओं एवं पर्यटकों के लिए भी खतरा है।

मेरी मांग है कि इन सबकी रोकथाम के लिए सरकार को उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग): महोदय, चर्चा की अनुमति दी गयी थी तथा आपने सभा के मात्र एक पक्ष को सुना। कृपया आप दूसरे पक्ष को भी सुनने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया यूरिया की कीमत को नियंत्रण मुक्त करने के अपने कदम को वापस ले। नियंत्रण मुक्त व्यवस्था उर्वरक विनिर्माताओं को यूरिया की कीमत को निर्धारित करने की अनुमति देती है। इससे यूरिया के मूल्य बढ़ेंगे, विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित यूरिया की कीमतें अलग होंगी। विभिन्न उर्वरक विनिर्माताओं में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी तथा नेपन्था जो कम मूल्य प्रभावी फीडस्टाक है, का इस्तेमाल करने वाली सरकारी क्षेत्र की उर्वरक विनिर्माण इकाइयां बंद हो जाएंगी परन्तु कीमत को नियंत्रण मुक्त करने का अधिक खतरनाक प्रभाव कृषक समुदाय तथा खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा।

अप्रैल, 2010 में गैर-यूरिया उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने से उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि किसानों की प्रमुख चिंता रही है।

गैर-यूरिया उर्वरकों के मूल्यों में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अनुमान है कि यूरिया की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने से इसकी कीमत में 15 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। चूंकि भारत की कुल उर्वरक खपत में 60 प्रतिशत यूरिया शामिल है, इसलिए इसकी कीमत को नियंत्रण मुक्त करने से किसानों, जो देश में सबसे कमजोर समुदाय हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देश के लगभग 60 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनका जीवन-निर्वाह कृषि पर आधारित हैं और वे यूरिया की मूल्य वृद्धि का भारत वहन नहीं कर सकते। फलस्वरूप, देश में कृषि उत्पादों की मात्रा खतरनाक स्तर तक कम हो सकती है तथा इसका खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह सिद्ध हो गया है कि कृषि उत्पादों की मूल्य वृद्धि की मुद्रास्फीति जिसका हम आज सामना कर रहे हैं में प्रमुख भूमिका रहती है। यूरिया की कीमत को नियंत्रण मुक्त करने से स्थिति और बिगड़ेगी।

कीमत को नियंत्रण मुक्त करने के बाद नेफ्था से बने यूरिया तथा गैस से बने यूरिया का बाजार में अलग-अलग मूल्य होगा। चूंकि नेफ्था आधारित इकाईयों में उत्पादन की लागत गैस आधारित इकाईयों से अधिक होती है इसलिए नेफ्था आधारित इकाईयों द्वारा उत्पादित यूरिया के मूल्य गैस आधारित इकाईयों द्वारा उत्पादित यूरिया से अधिक होंगे।

यह भी सिद्ध हो गया है कि यूरिया की कीमत के विनियमन से सरकारी क्षेत्र की उन उर्वरक विनिर्माण इकाईं पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ेगा जो नेफ्था का इस्तेमाल फीडस्टाक के रूप में करते हैं। केरल में फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) सहित दक्षिण भारत में अधिकांश यूरिया उत्पादन इकाईया नाप्था पर आधारित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री एंटो एंटनी: महोदय मैं समाप्त कर रहा हूं।

सरकार मांग करती है कि नाप्था पर आधारित सभी यूरिया उत्पादन इकाईयां अगले तीन वर्षों में गैस आधारित उत्पादन इकाईयों में परिवर्तित की जाए। परन्तु इन इकाईयों के लिए निर्धारित अवधि में गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवसंरचना सुविधाएं तथा साथ ही निवेश संबंधी आवश्यकताए सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना नहीं है।

इसलिए तीन वर्षों के पश्चात नाप्था पर आधारित यूरिया विनिर्माता गैस आधारित यूरिया विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और अन्ततः इन्हें अपनी इकाईयां बन्द करनी पड़ेगी। वर्तमान में 70 प्रतिशत घरेलू यूरिया उत्पादन गैस पर आधारित हैं और शेष नाप्था और भट्टी तेल पर आधारित है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में आगे यूरिया की कमी होगी और इस प्रकार आप विदेशी विनिर्माताओं को भारतीय उर्वरक बाजार यह आधिपत्य जमाने की अनुमति देने जा रहे हैं।

इन सभी प्रभावों को देखते हुए मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि यूरिया की कीमतों को विनियंत्रित न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शिवकुमार उदासी की देवजी एम. पटेल श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री सी.आर. पाटिल और श्रीमती ज्योति धुर्वे को श्री एंटो एंटनी द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मानसून सत्र चल रहा है और मानसूत्र सत्र का आज आठवां दिन है। पूरे देश में 60% आबादी किसानों की है। मैं सदन के सामने किसानों की समस्या को रख रहा हूं। पूरे देश और विशेष कर महाराष्ट्र राज्य में किसानों की समस्या उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर है। उर्वरकों में पोटाश खाद पूरे देश में कहीं भी नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र राज्य ने केन्द्र सरकार से 2.6 लाख मिट्रिक टन पोटाश की मांग की थी। अभी केन्द्र सरकार में उर्वरक मंत्री कौन हैं, हमें यह भी मालूम नहीं है। हमने 2.6 लाख मिट्रिक टन पोटाश की डिमांड की थी, जिसमें से केवल 50 हजार मिट्रिक टन पोटाश ही मिला है। अगर महाराष्ट्र के किसानों को 20 प्रतिशत पोटाश मिलेगा तो वहां कोई भी उत्पादकता नहीं होगी। जब सदन में मांगों के ऊपर चर्चा होती है तो सभी ओर से खाद्यान्नों की मंहगाई पर अटैक होता है। लेकिन किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता है। किसानों को उर्वरक मिलता नहीं है। उर्वरकों की शार्ट सप्लाई है, शार्ट से कालाबाज़ारी होती है और कालाबाजारी होने से महंगाई होती है। इसी वजह से हमारा किसान मर रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह मांग रखता हूं कि महाराष्ट्र राज्य में पोटाश की त्वरित उपलब्धता कराई जाए। 4 अगस्त को हमारा तारांकित प्रश्न था। हमारी सरकार ने भी यह मान्यता दी है कि पोटाश की उपलब्धता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: संक्षिप्त करें।

श्री हरिभाऊ जावले: उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है जो कि किसानों से संबंधित है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे थोड़ा टाईम दीजिए। पोटाश खाद कहीं भी नहीं मिल रही है। जलगांव जिला, जो मेरा संसदीय क्षेत्र रावेर है, वहां से पूरे देश में केला सप्लाई होता है। केला गरीबों और आम आदमी का फल माना जाता है। अगर केले के लिए पोटाश खाद नहीं मिलेगी तो जलगांव के किसानों को हजारों-करोड़ों रूपयों का नुकसान हो सकता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हू। कि जलगांव जिले में पोटाश खाद की त्वरित उपलब्धि कराई जाए। अगर पोटाश नहीं मिलती है तो किसान वॉटर सॉल्युएबल पोटाश को महंगा होने के कारण इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए वॉटर सॉल्युएबल फर्टीलाइज़र पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए। अगर पोटाश नहीं मिली तो सिगाटोगा नाम की डिज़ीज़ जो कि केले के ऊपर होती है, वह होगी। अभी कृषि मंत्रालय ने उसके ऊपर 90 करोड़ रूपये खर्च करने के लिए कहा है। अगर पोटाश नहीं मिली तो 90 करोड़ रूपये पानी में जाने वाला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सूचित करना चाहता हू महाराष्ट्र में पोटाश त्वरित दी जाए। अगर पोटाश नहीं दे सकते हैं तो वॉटर साल्युबल पोटाश पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए। मेरी यही डिमान्ड है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री सी.आर.पाटिल, श्री शिवकुमार उदासी एवं श्रीमती ज्योति धुर्वे स्वयं को श्री हरिभाऊ जावले से संबद्ध करते हैं।

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): महोदय, अभी हम सारे भारतवासी अमरीका के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी कर अभिमान महसूस कर रहे हैं, वहीं अमरीका ने पिछले तीन वर्षों में एक भी न्यूक्लियर प्लॉन्ट नहीं लगाया है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम, जो कि न्यक्लियर प्लॉन्ट में यूज़ होता है वह आस्ट्रेलिया में मिलता है। आस्ट्रेलिया में एक भी परमाणु बिजलीघर नहीं है। अपने देश में

अलग-अलग हिस्सों में करीब 20 न्यूक्लियर प्लॉन्ट हैं। इन प्लॉन्टों के बारे में बहुत गोपनीयता बरती जाती है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। परंतु इसी कारण इन प्लॉन्टों में जो छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उनकी जानकारी भी लोगों को नहीं मिलती है। एक आकलन के अनुसार बीते दौर में 3000 से ज्यादा कर्मचारियों में रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा या खतरनाक पाई गई है। भाभा परमाणु केन्द्र में 14 साल में करीब 70 कर्मचारियों की कैंसर के कारण मौत हुई है। मैं गुजरात राज्य से आता हूँ।

वहां काकरापार न्यूक्लियर प्लान्ट हैं, जिसकी क्षमता 440 मेगावाट है। मिठीविर्दी में प्रस्तावित पावर प्लान्ट है, जिसकी क्षमता 6000 मेगावाट है। काकरापार प्लान्ट में पिछले दिनों 30 मई 2011 को एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात के काकरापार एटोमिक पावर स्टेशन में पिछली 30 मई 2011 के दिन कंट्रोल रूम द्वारा सफाई करने हेतु सात कर्मचारियों को मरम्मत करने हेतु अन्दर भेजा गया। उनका समय सुबह 9.30 बजे से 1.00 बजे दोपहर तक था। एकाएक 11:45 बजे कंट्रोल रूप के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने टनल शुरू कर दिया और रेडिएशन की जानकारी देने वाली 500 की रेंज वाली डी.और डी. अचानक बंद हो गयी और रेडिएशन की मात्रा बढ़ गयी। टनल के अन्दर जो मजदूर मरम्मत कर रहे थे, वे जान बचाकर बाहर तो आ गये, लेकिन दूसरे दिन उनके शरीर में 941 से 9000 तक रेडिएशन की मात्रा पायी गयी। विभाग द्वारा असरग्रस्त मजदूरों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा न देने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गयी है। अभी पिछले सप्ताह उनके द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देने के बाद उन्हें मुम्बई में इलाज के लिए भेजा गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इन मजदूरों को उचित न्याय मिले, संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाये, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाये और इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए किसी कानून का प्रावधान किया जाये। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल और श्रीमती ज्योति धुर्वे अपने आप को श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला जी के विषय के साथ एसोसिएट करते हैं। शून्यकाल के बाकी विषय शाम को लिये जायेंगे। आज लंच ब्रेक नहीं किया जायेगा।

अपराह्न 1.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे जाएंगे। ऐसे माननीय सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा-पटल पर पर्चियां सौंप दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा-पटल पर रखा माना जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय-सीमा में पटल पर प्राप्त होंगी और शेष मामलों को व्यापगत माना जाएगा।

(एक) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत धनराशि का उचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है उसमें अनियमितताएं फैली हुई हैं। इस योजना के अंतर्गत हर साल गरीब परिवार के व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, परंतु उत्तर प्रदेश में केवल 14% गरीब परिवार को ही इस योजना से रोजगार मिल रहा है। मजूदरी, नियमानुसार नहीं दी जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन पर काफी अपव्यय हो रहा है और उससे जो काम होना चाहिए; नहीं हो रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा में हुए कार्यों की समीक्षा की जाये और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाये जिससे भारत सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब तबके को मिल सके।

[अनुवाद]

(दो) केरल के कोल्लम जिले में मुंद्रोथुरुयु द्वीप के चहुंमुखी विकास हेतु विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मवेलीकारा): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान केरल के कोल्लम जिले के मुन्द्रोथुरुथु ग्राम पंचायत में विकास

---

*सभा-पटल पर रखे माने गये।

के अभाव की ओर दिलाना चाहता हूं। यह ग्राम पंचायत केरल में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मवेलीकारा से संबंधित है।

मुन्द्रोथुरुथु में लगभग 25,000 लोग रहते हैं और यह प्रसिद्ध अष्टमुंडी झील और कलादा नदी के संगम पर स्थित है। यहां लोगों के रहने की परिस्थितियां दयनीय हैं क्योंकि व्यवहारिक रूप से ग्राम पंचायत का विकास नहीं हुआ है।

मुन्द्रोथुरुथु में सड़क संपर्क की स्थिति दयनीय है और अनेक क्षेत्रों में कोई पक्की सड़क नहीं है। सड़क निर्माण के लिए आवश्यक निधियों की पूर्ति न तो मुन्द्रोथुरुथु ग्राम पंचायत और न ही राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, द्वीप को झील और नदी को भू-भाग से जोड़ने के लिए संपर्क को सुकर बनाने के लिए पुलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है। पेयजल, स्वच्छता, विद्युत और सड़क परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहां के निवासियों की प्रगति और विकास बाधित हो रहा है। मुन्द्रोथुरूथु रेलवे स्टेशन पर लोगों को पूर्ण रूप से सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं क्योंकि लम्बी दूरी की रेलगाड़िया यहां नहीं रुकती हैं इस द्वीप में बैकवाटर पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं और उन सम्भावनाओं को उचित रुप से पता नहीं लगाया गया है। मुन्द्रोथुरुथु के व्यापक विकास के लिए विशेष परियोजनाओं के अभाव में यहां के लोग अनिश्चितता की स्थिति में है।

इसलिए, इन परिस्थितियों में मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि वहां रहने वाले लोगों के विकास और प्रगति के लिए मुंद्रोथुरुथु द्वीप के लिए विशेष पैकेज पर विचार किया जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में मिड डे मील योजना को नियमानुसार नहीं चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा की ओर उत्साहित करने हेतु मिड डे मील योजना का आरंभ किया गया एवं इसका शुरू में अच्छा प्रभाव पड़ा। परन्तु अब उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का पालन केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन्स के अनुसार नहीं हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तो गुणवत्ता रहित मिड डे मील से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं जिसके कारण लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया गया परन्तु इस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई एवं जितना मिड डे मील पर खर्च बताया जा रहा है उतना नहीं हो रहा है। स्कूल में कम बच्चे आते हैं परन्तु मिड डे मील पूरे बच्चों को वितरित दिखा दिया जाता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में मिड डे मील योजना में हो रही अनियमितताओं की जांच की जाये और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाये।

(चार) रेल दुर्घटनाओं के दौरान मृत्यु अथवा घायल व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम करने के लिए रेल के डिब्बों के भीतर संरक्षा उपाए किए जाने की आवश्यकता।

श्री महेश जोशी (जयपुर): रेलवे सुरक्षा को लेकर हम सभी चिंतित हैं और चाहते हैं कि रेलों की दुर्घटनाओं को पूरी तरह से रोका जाये और इसके लिए जिन उपयोगी यंत्रों अथवा साधनों की आवश्यकता है उन्हें जल्द से जल्द लगाया जाये।

लेकिन यह दावा नहीं किया जा सकता कि कभी रेल दुर्घटना होगी ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रेल दुर्घटना रोकने के उपायों के साथ-साथ रेल यात्रियों के जान माल की सुरक्षा के लिए कुछ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। रेल दुर्घटना के समय रेलों के अंदर जो जान माल का नुकसान होता है उसको रोकने के लिए ठीक उसी प्रकार इंतजाम किये जाने चाहिए जैसे कार एक्सीडेंट के समय कार में सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए किये जाते हैं मसलन सीट बैल्ट।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि रेलों में अंदर ऐसे इंतजाम किये जाने चाहिएं कि किसी दुर्घटना के समय यात्री एक दूसरे से अथवा किसी अन्य चीज से टकराने की बजाय अपने ही स्थान पर स्थिर रह सकें एवं साथ ही सामानों को रखने का भी ऐसा इंतजाम हो जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुँचे। आशा है माननीय रेल मंत्री जी इस संबंध में विचार करेंगे।

(पांच) तमिलनाडु में डिंडीगुल और पलानी नगरों के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): दक्षिण रेलवे में डिंडीगुल और पलानी के बीच आमान परिवर्तन का कार्य लगभग चार वर्ष

पहले शुरु हुआ था। दोनों नगरों के बीच की दूरी केवल 62 किलो मीटर है। पलानी भगवान मुरगा के पांच प्रसिद्ध वासों में से एक है। पूरे विश्व से लाखों श्रद्धालु पिलानी शहर में आते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा सूचित किया गया कि आमान परिवर्तन 31 मार्च 2011 से पहले पूरा हो जाएगा। चूंकि आमान परिवर्तन का कार्य अभी भी अपूर्ण है इसलिए आमान परिवर्तन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि इस वर्ष के अंत तक यातायात बहाल किया जा सके।

(छह) आपदा राहत कोष के अंतर्गत अर्हता के लिए पाला और बर्फीली हवाओं को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): मैं पाला एवं शीत लहर को सीआरएफ की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किये जाने के संबंध में अनुरोध कर रहा हूं। राजस्थान राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ किसान बारिश की कमी से अकाल की मार झेलते हैं वहीं प्रत्येक वर्ष सर्दी में पाले व शीत लहर के प्रकोप से रबी की फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं जिसके कारण राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले में रबी के समय जीरा, रायड़ा मुख्य रूप से होने वाली फसलें हैं लेकिन पाले व शीत लहर के कारण हजारों हेक्टेयर में होने वाली ये फसलें अस्सी प्रतिशत तक खराब हो जाती हैं।

राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में उक्त मुद्दा अनेक बार भारत सरकार के विचाराधीन रखा गया है। सरकार से अनुरोध है कि पाला व शीतलहर को सीआरएफ की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किये जाने तथा प्रभावितों को अकाल, ओलावृष्टि, बाढ़ इत्यादि अन्य आपदाओं के अनुरूप सहायता मुहैया करवाये जाने का प्रावधान किया जाए।

(सात) आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में भूमिगत जल निकासी योजना और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के निर्माण हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 118.42 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भूमिगत जल निकासी योजना और 70.31 करोड़ की अनुमानित लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति की जानकारी सरकार के संस्थान में लाना चाहता हूं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं विजयनगरम आंध्र प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिन्दा है। मानसून और चक्रवात के दौरान, यह बुरी तरह प्रभावित होता है। और निचले क्षेत्र पानी से भर जाते हैं क्योंकि भूमिगत जल निकासी और स्टार्म वाटर ड्रेनेज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। पर्याप्त साफ-सफाई न होने के कारण लोग वेक्टर जनित बिमारियों से भी प्रभावित होते हैं। अधिकतर दुकानों में पानी भर जाता है। उनके सामान पूरी तरह खराब हो जाते हैं और जो मनुष्य के उपयोग लायक नहीं रह जाता है। वे मशीनों की सहायता से पानी निकालते हैं। विजयनगरम में तीन लाख से अधिक लोग रहते हैं। इतना ही नहीं पड़ोसी राज्य ओडिशा से लोग व्यापार करने विजयनगरम आते हैं। समुचित जल निकासी प्रणाली के अभाव में विजयनगरम की जो भी व्यापार की व्याप्ति थी, वह मिट जाएगी।

दोनों योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारियों को भेजा गया है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विजयनगरम को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के हेतु निधि जारी करें।

(आठ) महाराष्ट्र में सूत के लाभकारी मूल्य नियत किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): महाराष्ट्र का कपास उत्पादक किसान आज फिर बदहाली के कगार पर है। महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कपास उत्पादक किसानों को उचित दाम दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र का कपास पैदा करने वाला किसान परेशान है। फिलहाल कपास के 55 लाख गांठ के निर्यात की अनुमति है। कपास की शुरुआती कीमत 7000 रु. प्रति क्विंटल थी जो बाद में 3000 रु. हो गयी। अधिक दाम पाने की उम्मीद में कपास न बेचने वाले किसान आज बहुत निराश है। मेरा सरकार से निवेदन है कि कपास की उच्च मूल्य दर सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

(नौ) असम के संवेदनशील और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित होने के दृष्टिगत पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांधों के निर्माण में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता।

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): असम भूवैज्ञानिक और भूकंपीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है। असम के लोग यह

जानने के लिए चिन्तित हैं कि अरूणाचल प्रदेश में बने बाधों का असम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह पता नहीं है कि क्षेत्र में कितनी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। ब्रहमपुत्र नदी असम की जीवन रेखा है। ब्रहमपुत्र के उपरिनद या ब्रहमपुत्र में मिलने वाली सहायक नदियों के उपरिनद में निर्मित बांध का ब्रहमपुत्र की निचली जल घाटों पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। चीन थी ग्रेट बेन्ड, ब्रहमपुत्र की उपरिनद में पानी को मोड़ने का प्रभाव कह रहा है।

इसे ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता है कि वह अरूणाचल प्रदेश में चल रही विद्युत परियोजनाओं पर और कोई भी क्षति होने से पूर्व असम की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों के बारे में श्वेत पत्र लाए। सरकार इस संबंध में मामले के चीन के साथ प्राथमिकता के आधार पर उठाए।

(दस) मध्य प्रदेश के बेतुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खिरकिया रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने तथा इस रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित खिरकिया शहर में रेलवे सुविधाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। आजादी के 64 साल पहले जो सुविधा थी, वही सुविधा आज भी है। पिछले 10 वर्ष पूर्व 6 एक्सप्रेस ट्रेन एवं 2 सवारी गाड़ी (पैसेन्जर ट्रेन) चलती थी आज भी वही गाड़ियां चल रही हैं।

पिछले 10 वर्षों की राजस्व की तुलना में अभी अच्छी साखी वृद्धि हुई है। पहले 8 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 53,000 से 55000 रुपये राजस्व की प्राप्ति हो रही है। यानि अभी उस क्षेत्र से 5 गुना अधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वहाँ पर रेलवे ने राजस्व का विकास किया उसके अनुरूप खिरकिया रेलवे स्टेशन में गाड़ियों के स्टॉपेज में वृद्धि नहीं हुई है और उस स्टेशन पर विकास भी नहीं हो पाया है। इस स्टेशन के इर्द-गिर्द छोटे गांवों के लोगों की रोजी-रोटी भी इसी स्टेशन पर आधारित हैं।

(ग्यारह) सूरत विमानपत्तन को विकसित किए जाने और देश के सभी बड़े शहरों से सूरत के बेहतर हवाई संपर्क का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): मेरा क्षेत्र सूरत, गुजरात सदियों से व्यापार के लिए जाना जाता है। आज दुनिया के तीव्र गति से विकास कर रहे शहरों में सूरत शहर का प्रमुख स्थान है।

सूरत शहर हीरा, टैक्सटाइल्स, जरी आदि उद्योगों का प्रमुख केन्द्र है। उद्योग संबंधी गतिविधियों के कारण यहां विभिन्न राज्यों एवं शहरों से लोगों का भारी आवागमन होता है। ये लोग रेल या सड़क मार्ग से मुंबई जाते हैं और फिर वहां से देश और दुनिया के अन्य भागों की ओर हवाई मार्ग से जाते हैं।

वर्तमान में सूरत में स्थित एयरपोर्ट में केवल दिन के समय हवाई सेवा का परिचालन होता है। यहां पर सुबह एवं शाम को भी हवाई-सेवा चलाई जाएं। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सूरत एअरपोर्ट को देश के विभिन्न शहरों से सीधा जोड़ा जाये, हवाई सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाई जाए एवं यहां पर रात्रि में भी हवाई जहाजों की नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान की जाये। सूरत एयरपोर्ट के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसका उपयोग कर सूरत एअरपोर्ट का विकास तथा विस्तार किया जाये।

(बारह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संदीला-बिल्हौर-कछोना नगरपालिका के अंतर्गत रेलवे समपार पर एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): उत्तर प्रदेश राज्य के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सण्डीला-बिल्हौर-कछोना नगरपालिका/नगर पंचायत हैं। इन क्षेत्रों से निकलने वाली रेलवे लाईन क्रॉसिंग पर भारी यातायात होने के कारण कई-कई घण्टों तक ट्रैफिक अवरुद्ध रहता है, जिस कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों को पिछले काफी समय से रेलवे क्रासिंग प ओवर ब्रिज बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, जिस कारण उनमें भारी शेष व्याप्त है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के सण्डीला-बिल्हौर-कछोना नगरपालिका/नगर पंचायत के अन्तर्गत रेलवे लाईन क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाए जाने हेतु जनहित में आवश्यक कदम उठाए।

(तेरह) जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर एक चिकित्सा संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डॉ. मिर्जा महबूब नेग (अनंतनाग): अफिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की तर्ज पर अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में एक

आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। दक्षिण कश्मीर में चार जिले-अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोदियां हैं तथा रामबन गेग और किश्तवाड़ जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों से भी मरीज उपचार के लिए अनंतनाग आते हैं। दक्षिण कश्मीर में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जैसे पहलगाम कोकरनाग, वेरिनाग, अचबल, दक्सुम, अहरबल हैं और लाखों पर्यटक इन स्थानों का भ्रमण करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि लाखों श्रद्धालु हर वर्ष प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा का दर्शन करते हैं। अनंतनाग में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के अलावा इसका यहां रह रहे लोगों पर स्वस्थ्य राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा।

(चौदह) पश्चिम बंगाल के बलूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बलूरघाट के लोगों को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्य भाग बंग्लादेश सीमा से लगा है। कभी-कभी मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विशेष रूप से तपन ब्लाक के लोग को पेयजल लाने के लिए बांग्लादेश जाते हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पेयजल में फ्लूराइड की मात्रा अधिक है। गर्मी के दिनों में कोई भी मार्क II नलकूप ठीक से काम नहीं करता है। जल जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। अत: केन्द्र सरकार लोगों की मांग को पूरा करने के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फ्लोराइड, मुक्त जल की आपूर्ति के लिए तत्काल कदम उठाए।

अपराह्न 1.13 बजे

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009-*जारी*

उपाध्यक्ष महोदय: अब इस मद सं. 17 पर चर्चा करेंगे। श्री निशिकांत दुबे।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं यहां से बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री निशिकांत दुबे: महोदय, एक तारीख से यह स्टेट बैंक का बिल लगा हुआ है और आज 11 तारीख को शायद ऐसा लगता है कि यह खत्म हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: शायद आज खत्म हो जाये।

श्री निशिकांत दुबे: पार्लियामेंट किस तरह से चल रही है, आप इसकी बानगी देखिये और इसके दोषी कौन हैं, यह जनता देख रही है। उस दिन चूंकि मेरा भाषण अधूरा रह गया था तो जैसे सिनेमा में होता है कि फ्लैश बैक स्टार्ट होता है, मुझे लगता है कि अपना भाषण री-काल करने के लिए मुझे फ्लैश बैक में जाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आज ज्यादा फ्लैश बैक में मत जाइये।

श्री निशिकांत दुबे: महोदय, फ्लैश बैक में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि उस दिन भाषण देते-देते मैं डीरेल हो गया था। मेरी डीरेलमेंट यह थी, जो आज माननीय जोशी जी कह रहे थे कि अलौकिका: पण्डिता: की तरह, जिस तरह से जो पंडित हैं, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, प्रणब बाबू, जो वित्त मंत्री हैं, मोंटेक सिंह जी हैं, सुब्बराव जी हैं या रंगाराजन जी हैं, वे किस तरह से किताब देखकर नीतियां बना रहे हैं और वे नीतियां किस तरह से देश को बर्बाद कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि एक कहानी हम पढ़ते थे कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। उसकी पहचान यह है कि जब हम प्राइज राइस पर चर्चा कर रहे थे तो लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि महंगाई का मतलब क्या है, चावल का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है, दाल का भाव क्या है और फर्टिलाइजर का भाव क्या है? अभी तक रिपोर्ट आयी कि इस देश में 82 परसेंट किसान मार्जिनल हैं, उन किसानों के पास एक हैक्टेयर से कम भूमि हैं। इसका मतलब यह है कि वह जो पैदा करते हैं, वे खरीद नहीं पाते हैं, वे बेच नहीं पाते हैं और सरकार कह रही है कि हमने मिनिमम रिपोर्ट प्राइज बढ़ा दिया। जिस तरह से पूरी लोक सभा में यह चर्चा होती है कि दस परसेंट व्हाइट कॉलर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए आप योजना बनाते हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि 10 परसेंट जो किसान है, आप उन्हीं के लिए यह नियम बना रहे हैं। गरीबी और किसान की चर्चा करते हुए आप इन चीजों का ध्यान रखें और अगला बजट बनाते समय इसे देखे कि 82 परसेंट मार्जिनल किसान हैं और उनके पास एक हैक्टेयर से कम जमीन है।

एक हैक्टेयर से कम जमीन यदि है तो उसके चार आदमी का परिवार क्या खाता होगा, क्या कमाता होगा, क्या बेचता होगा? आप देखें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। खाद की कीमत आज क्या है? पिछले साल जो डीएपी 470 रुपये में मिल रहा था, इस बार 770 रुपये में मिल रहा है। पिछले साल आप 650 रुपये सबसिडी दे रहे थे, इस साल 966 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी भी बढ़

रही है, डीएपी का दाम भी बढ़ रहा है। आम किसान का क्या होगा, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से देश में कोर्ट अपनी सीमा को लांघ रहा है, जिस तरह से मीडिया अपनी सीमा को लांघ रहा है, माननीय शत्रुघ्न जी यहां बैठे हैं, एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है। फिल्म की कहानी और नाम मुझे नहीं पता है। उसमें कादर खान थे। कादर खान का नाम उसमें दुभाषिया था। वे नेता ट्रेन से जा रहा है और जनता मर रही है। यदि हैलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ से जाते थे तो कहते थे कि जनता मर रही है और इसको कुछ चिन्ता नहीं है, यह हैलीकॉप्टर से चल रहा हैं यह जो हालत हो गई है, जिस तरह से मनीष तिवारी जी उस दिन चर्चा कर रहे थे, हम जिस ढंग से कॉस्टीटयूशन अथॉरिटी को चैलेन्ज कर रहे हैं, वह हमें चैलेन्ज कर रहा है, इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए।

अपराह्न 1.16 बजे

[**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन* हुई]

सभापति महोदया, उस दिन जहां मेरा भाषण रुका था, उसके आगे का मेरा पॉइंट है कि मैं एसबीआई के संबंध में यह जो संशोधन आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है और वही सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

मेरा 17वाँ प्रश्न था कि प्रैफरैन्शियल शेयर और प्राइवेट प्लेसमैंट के बारे में सरकार का क्या रुख है। मेरा 18वाँ प्रश्न था कि जो पैंशन रूल्स एसबीआई ने अमैन्ड किये हैं, ये कब तक लागू हो जाएँगे। मेरा 19वाँ सवाल था कि वह जो मर्जर हुआ है, इसमें जो ब्रांचेज़ हैं, कई बैंकों की ब्रांचेज़ एकदम नज़दीक-नज़दीक हैं। ब्रांचेज़ का क्या करेंगे? यदि एक ही बैंक की ब्रांच अगल-बगल रहेंगी, चूंकि एक ही अथॉरिटी आप दे रहे हैं, तो उस ब्रांच को यदि आप बंद करेंगे तो किस तरह से लोगों का ध्यान रखेंगे?

माननीय सभापति जी, आप इंदौर से सांसद हैं और आप बता रही थीं कि बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज करने के समय इंप्लाइज़ के साथ जो-जो वायदे किये थे, जिस तरह से था, उसमें लोगों की छँटनी की गई है। यदि इन ब्रांचेज़ को आप मर्ज करेंगे तो उनका क्या होगा? मेरा 21वॉ सवाल था कि जो सबसीडियरी बैंक का शेयरहोल्डिग है, उसका स्टेट बैंक पर क्या असर पड़ेगा। जो चेन्ज ऑफ ओनरशिप है।

[अनुवाद]

वर्ष 2007 में स्वामित्व में बदलाव किया गया था और परिणामी बदलावों के लिए समनुषंगी बैंकों के अधिनियम में तीन वर्ष पश्चात् संशोधन किए जा रहे हैं। इस तीन वर्ष की अवधि के दौरान यह बताया जाए कि वे क्या भारतीय स्टेट बैंकों के समानुषंगी बैंकों के प्रबंधन पृष्ठभूमि नोट में क्या विनिर्दिष्ट मुद्दों पर प्रशासनिक समस्याएं थीं।

[हिन्दी]

वह बैकग्राउंड नोट मैनेजमेंट ऑफ सबसीडियरीज ने दिया है।

[अनुवाद]

यदि नहीं तो यह बताया जाए कि इस समय इस अधिनियम में संशोधन के क्या कारण हैं। अंत में है कि ये सारे जो बैंक हैं, बैंकों के विलय के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

[हिन्दी]

फाइनली कोई पॉलिसी तो होगी, क्योंकि आप बैंकिंग अमैंडमैंट लेकर आ रहे हैं, उसमें आप कंपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसके लिए आप नया बिल इंट्रोडयूस करने वाले हैं, उससे आप सोचते हैं कि बैंकिंग का मर्जर सीसीआई के परव्यू से ऊपर हो जाए, बाहर हो जाए। तो आपके पास क्या ऐसी पॉलिसी है, क्या ऐसी चीज़े हैं जो आप इस रूल के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं? इसके बाद हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आ रहे हैं। क्योंकि जो एनपीए हैं, वह बढ़ रहा है। इंटरस्ट रेट जब आप बढ़ा रहे हैं, आरबीआई का कहना है कि इंटरस्ट रेट बढ़ेगा तो एनपीए होगा। उस दिन बड़ा अच्छा जवाब दे रहे थे। यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि 44 बिलियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने बाहर इनवैस्ट किया है और 17 बिलियन लोगों ने यहा। इनवैस्ट किया है। आपने कहा कि कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि यह जो इतना ग्रोथ देश में हुआ है, वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी थी, एनडीए की पॉलिसी थी कि हम इंडस्ट्री के लिए अपने लोन को धीरे-धीरे नीचे लेकर आए थे। सात-आठ परसेंट पर वह लोन मिल रहा था इंडस्ट्री को। आज इसके इंटरस्ट का रेट फिर से 14-15 परसेंट पर चला गया है। इससे क्या हो रहा है कि एनपीए बढ़ रहा है, इससे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का प्रोसैस बंद हो रहा है। आप किसके ऊपर जा रहे हैं कि जो एजुकेशन लोन है, प्रायॉरिटी सैक्टर की लैन्डिग है, उसको बंद कर दो। आप कह रहे हैं कि हाउसिंग लोन को टाइट कर दो। यह इंटरस्ट बढ़ने से जो एनपीए बढ़ेगा, क्या इसके बारे में सरकार ने कभी सोचा है?

महोदया, स्टेट बैंक आफ इंडिया दो सौ साल पुराना बैंक है। इसकी 12567 ब्रांच हैं। 150 इंटरनैशनल ब्रांच हैं और 155 मिलियन इसके कस्टमर्स हैं। आपको इसका मर्जर कर रहे हैं, लेकिन इसके रिक्स फैक्टर्स कौन से हैं? वर्ष 2008-09 में हम 55वें स्थान पर थे आज स्टेट बैंक आफ इंडिया की क्या पोजीशन है? रिस्क फैक्टर्स क्या हैं-

[अनुवाद]

विशेषकर ब्याज दर जोखिम में बैंकिग कारबार दोषपूर्ण है। तथा ब्याज दरों में अस्थिरता से इसके निवल ब्याज मार्जिन को पर प्रतिकूल प्रभावित पड़ सकती है। इसकी निर्धारित आय पोर्टफोलियो के मूल्य ट्रेजरी परिचालन से इसकी आय और इसके वित्तीय कार्यनिष्पादन का क्या होगा? परि बैंक ग्राहकों की जमा राशि अथवा ऋणों के अपेक्षित स्तर को बनाए रखने में असफल रहता है तो इसका कारोबार परिचालन बहुत अधिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियों का बड़ा पोर्ट फोलियो है।

[हिन्दी]

सरकार का 55 प्रतिशत पोर्टफोलियों है।

[अनुवाद]

और यह निधि को उच्च उत्पादन वाले निवेश में लगाने की क्षमता का सीमित कर सकता।

[हिन्दी]

आप ज्यादा निवेश नहीं कर पा रहे हैं, यह आपको रोक रहा है, चूंकि सरकारी सिक्योरिटीज हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना हैं?

[अनुवाद]

आधार दर प्रणाली ऋण के मूल्य का नया तरीका है; और बैंक के भावी परिणाम पर इसका प्रभाव अस्पष्ट है।

[हिन्दी]

आपने यह सोचा है कि बेस रेट का बैंक पर क्या असर होगा?

[अनुवाद]

बैंक की आय का एक बड़ा भाग इसके सरकारी परिचालन से आता है, इसमें कभी आने से बैंक के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

अभी माननीय जोशी जी बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में स्लोडाउन होगा। जब एसबीआई के ऊपर होगा और आप इसका मर्जर कर रहे हैं, इसका एनपीए बहुत ज्यादा है, इस बारे में आपने क्या सोचा है?

[अनुवाद]

यदि बैंक अपने पोर्टफोलियों में एनपीए के स्तर को नियंत्रित करने, कम करने में समर्थ नहीं हो तो क्या इसका कारोबार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा या नहीं। बैंकों के एनपीए पोर्टफोलियों में और ह्रास और सकल एनपीए के प्रतिशत के रूप में प्रोविजनिंग कवरेज में सुधार की असमर्थता से बैंकों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[हिन्दी]

यदि एक रीजन का एनपीए बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस बारे में आपने क्या सुना है?

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की आवश्यकता यह थी कि सभी भारतीय बैंक सकल एनपीए के प्रतिशत के मूल्य में अपनी प्रोविजनिंग कवरेज को बढ़ाएं। क्या इसके बैंकिंग कारोबार को अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदया, एक भी कैबिनेट मंत्री सदन में मौजूद नहीं है।

श्री निशिकांत दुबे: महोदया, यह तो प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। हम इतनी सीरियस चर्चा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* जब तक कैबिनेट मंत्री नहीं आएंगे, तब तक मैं नहीं बोलूंगा।...*(व्यवधान)* हम इतने सीरियस डिफाल्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* वह प्वाइंट ऑफ आर्डर भी है।

सभापति महोदया: इस बिल से संबंधित मंत्री बैठे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदया, सरकार यह चर्चा करती है कि वह संसद के प्रति गंभीर है, लेकिन संसद के प्रति सरकार की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? जब हम लोगों की सरकार के समय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं

होता था तो ये लोग हल्ला कर देते थे, आज एक कैबिनेट मंत्री नहीं है, जबकि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा चल रही है।. ..*(व्यवधान)*

रूलिंग पार्टी के लोग गंभीर नहीं है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्य इतनी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। रूलिंग पार्टी कहती है कि संसद नहीं चल रही है। जब संसद चलती है तो मंत्री लोग गायब हो जाते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मंत्री महोदय आ गए हैं। अब शुरू करें। आप अच्छी तरह से अपनी बात रख रहे हैं।

श्री निशिकांत दुबे: सभापति महोदया, मैं माननीय श्री पवन कुमार बंसल साहब का बहुत सम्मान करता हूं। इनका बयान आज सुबह-सुबह पढ़ा कि विपक्ष इस बिल को पास कराने में इंटेरेस्टेड नहीं है और हम किसी तरह से बिल पास कराएंगे। मैं इनको कह रहा हूं कि मैं बिल पास कराऊंगा। इनकी ट्रेजरी बेंच कहां हैं, इनको ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदया: मंत्री महोदय ध्यान दे देंगे। वे इसे नोट कर लेंगे।

श्री निशिकांत दुबे: मेरा अगला सवाल है कि

[अनुवाद]

जब उधारकर्ता बैंक के प्रति अपने दायित्व में चूक करे तो बैंक को अपने संपार्श्विक को लागू करने में देरी हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप संपार्श्विक प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य की वसूली में असफलता में लोगों और संभावित क्षति का जोखिम होता है।

[हिन्दी]

यह कॉल्लेटरल सिक्यूरिटी के बारे में भारतीय स्टेट बैंक ने कोई चर्चा की है या सरकार

[अनुवाद]

भारतीय बैंक उद्योग बड़ा प्रतिस्पर्धी है और बैंक की संवृद्धि नीति उसकी इसी क्षमता पर निर्भर करता है ताकि वह प्रभावी तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सके। मैंने पहले कहा हम वर्ष 2008-09 में 55वें नम्बर पर थे, आज 100 से भी ज्यादा पार कर गए हैं।

[हिन्दी]

मैंने पहले कहा हम वर्ष 2008-09 में 55वें नम्बर पर थे, आज 100 से भी ज्यादा पार कर गए हैं। क्या यह कम्पीटिशन हम इफेक्टीवली कर पा रहे हैं? क्या भारतीय स्टेट बैंक उसको कर पा रही है?

[अनुवाद]

बैंक ऋण, बाजार और नौकरी जोखिम के अध्यधीन है, जिसका इनके ऋण रेटिंग और निधि लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

[हिन्दी]

कॉस्ट ऑफ फंड या क्रेडिट रेटिंग के बारे में क्या भारतीय स्टेट बैंक ने कोई बात रखी है या सोची है? क्या सरकार के बारे में बात हुई है? इसके बाद मुद्दा है कंसेंट्रेशन ऑफ लोन्स। सभापति महोदया, आज के इस डिप्रेसएशन में यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज अमेरिका या यूरोप में हो रहा है।

[अनुवाद]

कुछ ग्राहकों और कुछ क्षेत्रों में बैंक ऋण का संकेद्रण अधिक है और यदि ये अधिकांश ऋण अद्रप्रयोज्य आस्तियां बन जाएं तो इसके ऋण पोर्ट फोलियो की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[हिन्दी]

इनका ट्रेडिंग किस-किसमें है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आयरन एण्ड स्टील में, पेट्रोलियम में, और इंजीनियरिंग में इनकी ट्रेडिंग है। इनका हाई कंसेंट्रेशन इसी में है। वह लगभग 2633 बिलियन है और यह 48.4 प्रतिशत है। इसके बारे में बैंक ने क्या सोचा है?

[अनुवाद]

बैंक ऋण के काफी बड़े भाग की अवधि एक वर्ष से अधिक होती है जो आर्थिक चक्र एवं परियोजना की सफलता दर से जुड़े बैंक के जोखिम के बारे में बताता है क्या इसके बारे में बैंक ने कुछ सोचा है। बैंक का वित्त-पोषण मुख्यत: लघु विधि है। यदि जमाकर्ता परिपक्वता पर जमा की गई राशि को रौल ओवर नहीं करे तो बैंक का कारोबार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है या नहीं? लघु विधि या दीर्घाविधि।

[हिन्दी]

शॉर्ट टर्म और लौंग टर्म में शॉर्ट टर्म में ज्यादा है। यदि हम उनको सही समय पर मैच्युरिटी नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या इसके बारे में बैंक ने सोचा है?

[अनुवाद]

बैंक को विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का खतरा होता है।

[हिन्दी]

जो अभी मार्केट की इकॉनोमी चल रही है, जिस तरह से तेल के भी दाम ऊपर-नीचे हो रहे हैं, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? आप दाम घटा रहे हैं या नहीं? आप जब दाम बढ़ाते हैं तो 10 रुपया ले रहे हैं।

[अनुवाद]

बैंक मनी लाउण्ड्रिंग का पता लगाने में सक्षम नहीं है।

[हिन्दी]

आज मनीलॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी बहुत बड़ा मुद्दा है।

[अनुवाद]

बैंक मनीलाउण्ड्रिंग और गैर कानूनी अथवा अनुचित कार्यों का समय पर पूरी तरह से पता नहीं लगा सकता है जिससे उन पर अतिरिक्त देनदारी आ सकती है और उसके कारोबार या प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।

[हिन्दी]

महोदया, अभी हमने आई.पी.एल. की जांच की थी और उसमें अचानक बिना आर.बी.आई. के आदेश के बैंक एकाउन्ट खुल गया तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भारतीय स्टेट बैंक ने क्या सोचा है?

[अनुवाद]

क्या महत्वपूर्ण सुरक्षा उल्लंघन से बैंक का कारोबार प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो सकता है? क्या भारत व अन्य क्षेत्राधिकार में विनियामक बदलाव, जिनके तहत बैंक परिचालन करता है, उसके कारोबार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता।

[हिन्दी]

जब आपकी इच्छा होती है, आप सी.आर.आर., रेपो रेट, और बेसिस प्वायंट बढ़ाते-घटाते हैं? इसका इंटरनेशनल मार्केट में क्या इम्पेक्ट होगा? आपकी जो 150 ब्रांचेज हैं, उनका क्या होगा?

[अनुवाद]

बैंक को घरेलू बैंकों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपेक्षित न्यूनतम पूंजी पर्याप्त अनुपात को बचाए रखना अपेक्षित होता है। ऐसा कोई बीमा नहीं हो सकता कि वृद्धि के लिए जब कभी आवश्यक हो बैंक पूंजी ले सकने में सक्षम हो।

[हिन्दी]

क्या बैंक को हम लिवरेज देने वाले हैं।

[अनुवाद]

बैंक के प्रमुख शेयरधारक के रूप में सरकार बैंक को नियंत्रित करती है और बैंक से कार्रवाई कराती है जो बैंक और बैंक के धारकों के हित में नहीं होता है।

[हिन्दी]

आपने सरकार के ऊपर जो इतनी डिपेंडेबिल्टी दे दी है, उसमें आप कितनी ऑथोरिटी बैंक को देना चाहते हैं क्योंकि 59, 60 परसैंट आपकी शेयर होडिंग है।

[अनुवाद]

यदि बैंक अपने विदेशी परिचालन को प्रभावी तौर से नियंत्रित नहीं करे तो इस परिचालन से उन्हें घाटा होगा अथवा बैंक कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसका क्या होगा? नए बाजारों में प्रवेश संबंधी अपनी संवृद्धि नीति के कार्यान्वयन में सफल नहीं हो सकता है।

[हिन्दी]

हमारा कंसर्न है कि हम जो नयी मार्केट और नयी चीजों में जाना चाहते हैं, उसमें बैंक के पास कोई विजन नहीं है। इसके बारे मे क्या है।

[अनुवाद]

यदि बैंक किसी भावी कारोबार को करने में सक्षम नहीं हो, तो बैंक कारोबार में बाधा आएगी या नहीं। यदि बैंड त्वरित बदलाव को अपनाने में सक्षम नहीं हो तो इसके कारोबार का नुकसान होगा या नहीं।

[हिन्दी]

क्योंकि टैक्नोलॉजी बहुत जल्दी साल-साल, दो-दो साल में हो रही है, उसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सोचा है या नहीं सोचा है।

सभापति महोदया: निशिकांत जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखिए।

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबे: यदि इस बैंक की प्रोत्साहन योजना अन्य बैंकों के समान आकर्षण नहीं है जिनसे उसकी प्रतिस्पर्धा है तो इससे कुशल और प्रतिबद्ध कामगारों को आकर्षित करने और बनाए रखने की बैंक की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

[हिन्दी]

लोग प्राइवेट बैंक की तरफ जाने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी बैंक इस तरह की सेवा देने में परेशान हैं, अक्षम हैं आपने जो बात कही उनमें यह है।

[अनुवाद]

बैंक अपने कई कर्मचारियों को बनाए रखने और धीरे-धीरे कम करने में सक्षम नहीं होगा, जिससे उसके कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा।

[हिन्दी]

इसके आधार पर वे क्या कर रहे हैं कि पुराने जो स्टेट बैंक के एम्लाइ हैं, उन्हें कंटीन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब्सिडरी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको उसके आधार पर कर रहे हैं। उस वर्क फोर्स के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बैंक के पास कंटीजेंट लायबिल्टी है। इसके बारे में बैंक क्या सोच रहा है?

[अनुवाद]

भारत में वस्तु के मूल्यों में बढ़ी अस्थिरता अथवा मुद्रास्फीति से बैंक का कारोबार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

[हिन्दी]

ये जो इनफ्लेशन है, इसके कारण बैंक का जो बिजनैस डाउन होगा, इसके बारे में बैंक ने क्या सोचा है?

[अनुवाद]

और कच्चे तेल की कीमत में हुई अत्यधिक वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंक का कारोबार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

[हिन्दी]

कई चीजें हैं, मैं उन पर बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस बिल का हम सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा केवल यह कहना है, गीता में एक श्लोक है-"शमो दमस्तप: शौचं क्षान्तिरार्जवमेवच। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्" हमें जो ये मौका मिला है, ये अंत: करण को शुद्ध करने का मौका मिला है, इंद्रियों को ठीक करने का, धर्म का पालन करने का, बाहर-भीतर शुद्ध करने का, आम गरीबों एवं जनता का साथ देने का, उनके लिए कुछ काम करने का और हमारा जो परसेप्शन जा रहा है, जिसके आधार पर विरोध हो रहा है, एम्प्लाइज लोग विरोध कर रहे थे।

रामायण की एक छोटी-सी पंक्ति कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब राम और लक्ष्मण सीता हरण के बाद एक तालाब के किनारे जाते हैं और वहां उनको बगुला दिखाई देता है। वह बड़े धीरे-धीरे तालाब में विचरण कर रहा है तो राम अपने भाई से कहते हैं कि देखो, ये कितना शुद्ध बगुला है। ये चाहता है कि मेरे पैर से कोई जीव मर न जाए, इसलिए धीरे-धीरे चलता है। वे जिस पहाड़ पर तालाब के किनारे जिस पत्थर पर बैठे हुए थे, उधर से मेंढक चिल्लाता है, वह कहता है कि आप बाहर से देख रहे हो। मैं उससे डरकर छिपा बैठा हूं और वह मुझे ढूंढ रहा है। मेरे पूरे परिवार का उसने खात्मा कर दिया है। इसलिए जो परसेप्शन है, वह यह है कि आप किस चीज से उसे देखना चाहते हैं। परसेप्शन यह जा रहा है कि रिफार्म्स गरीबी, भ्रष्टाचार ला रहा है, यह आम आदमी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस परसैप्शन को खत्म करिये। हम आपका साथ देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं।

सभापति महोदया: धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे पाइंट्स रखे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव (एलूरू): महोदया, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, उसे नहीं लगता कि इसके अनेक खंडों पर लम्बे समय तक चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है—केवल स्वामित्व अंतरण करने से संबंधित है। एक समय स्वामित्व भारतीय रिजर्व बैंक के पास था अब इसमें परिवर्तन हो रहा है और अब स्वामित्व आज सरकार का होगा। स्वाभाविक रूप से खंडों में जहां पहले रिजर्व बैंक को स्वामित्व शक्तियां प्राप्त थीं अब हम बही विशेषकर, अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने समनुषंगी बैंकों को निर्गमित जारी पूंजी का निर्धारण अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति में प्रधिकार इसी तरह अनुचित कार्य बोर्ड का अधिक्रमण आवश्यक होने पर निदेशकों को हटाने, और इन सब के अतिरिक्त नियम और विनियम बनाने के संबंध में भारत सरकार को सशक्त बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि खंडों और विधेयक के बारे में अधिक चर्चा की आवश्यकता है। और हम

विधेयक का प्रत्येक सदस्य स्वत: ही समर्थन करेगा। इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया जाना चाहिए था।

इस संदर्भ में, देश की बैंकिंग और अर्थव्यवस्था में सुधार के संबंध में अपने मत व्यक्त करना चाहूंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कोई कार्पोरेट क्षेत्र नहीं था और उस समय हम विदेशी निवेशों पर निर्भर थे उस समय बैंकों के लिए विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और साथ ही कार्पोरेट क्षेत्र जो आगे समनुषंगी आय का वित्तपोषण करना आवश्यक हो गया था। अधिकांश धन उन कार्पोरेट क्षेत्रों और धनी लोगों तक ही पहुंचता था जो उद्योग और व्यापार में निवेश कर रहे थे। परन्तु आज परिस्थिति बदल गई है। आज कॉर्पोरेट क्षेत्र एक ऐसी स्थिति में है जिसने वह न केवल देश में बल्कि अमरीका और यूरोप सहित अन्य देशों में भी निवेश कर सकता है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी को विगत सुझाव देना चाहता हूं कि वे बड़े उद्योग क्षेत्र के उग्र ऋण देने पर विचार करे जिसके लिए उनके पास करोड़ों रु. हैं। इस प्रकार हमें धनी व्यक्ति के ऋण देने में करोड़पतियों को पुन: ऋण देने के प्रयोजन से बैंको में जमा के रूप में हुए लगभग 43 लाख करोड़ रु. के सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी धन को समाज के निर्धनतम वर्ग को दिया जा सकता है जिसे वे न केवल अपनी जीविका में सुधार करने बल्कि राष्ट्र की सम्पदा में बढ़ोत्तरी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। कृपया इस बिन्दु पर विचार करे कि क्या हम बैंकों के द्वारा बड़े औद्योगिक क्षेत्र जो अधिक सफल रहे हैं विशेषकर लाभ अर्जित करने वाले कार्पोरेट क्षेत्र, को वित्त पोषण करना बंद कर सकते हैं। हम नए निवेशकों और व्यावसायिकों जिन्होंने कुछ अनुसंधान और विकास कार्य किया है और जिनके पास नवोन्मेषी विचार हैं को निधियों का विपथन कर सकते हैं। यदि उनके पास धन नहीं है परन्तु यदि परियोजनाओं की समझता के वस्तुत: उनके उच्च विचारों पर निर्भर करती है तो उनकी सहायता की जा सकती है।

हमने देखा भी है और आकड़े भी यही दर्शाते है कि अधिकांश निर्यात लघु और मध्यम उद्यमों के द्वारा किया जा रहा है इसलिए हम इसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिक्रिया वाले क्षेत्र का वित्त पोषण करने के संबंध में हम कुल ऋण योग्य जमा में से लगभग दस प्रतिशत आवंटित कर रहे थे। यह दशकों पूर्व इस समय किया गया जब कार्पोरेट क्षेत्र विकसित नहीं हुआ था। परन्तु भाड़ा 70 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं और 58 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। हमें चाहिए कि प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण आवंटन अनुपात 40 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 60 प्रतिशत किया जाए जिससे कि लघु उद्योग क्षेत्र तथा साथ ही कृषि क्षेत्र और समाज के निर्धनतम वर्गों के व्यवासियों को धन उपलब्ध होगा।

हम पाते हैं कि जब कभी भी हम संसदीय समिति की बैठकों में जाते हैं तो यह पाते है कि अनेक बैंक 40 प्रतिशत अथवा 18 प्रतिशत तथा कृषि ऋण देने के दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। अत: मैं चाहता हूं कि सरकार को प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जिससे कि हम निर्धनतम वर्गों की वास्तविक आवश्यकता का ध्यान रख सकेंगे और हम इस देश की अर्थव्यवस्था का पुनर्निधारण करेंगे जो आज मुख्यत: कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है।

लघु ऋण के संबंध में हम अनेक प्रकार की बातें सुनते हैं, आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की कुछ माइक्रो-फाइनेंस कंपनियां समाज के निर्धग्राम वर्गों से लगभग 50 से 60 प्रतिशत तक ब्याज वसूल करती आ रही हैं। उनके पास वह धन कहां से आया? क्या यह हमारा धन नहीं है। कुछ बैंकों में हम पाते हैं कि इनकी संव्यवहार लागत अधिक है और वे करोड़ों रु. माइक्रो-फाइनेंस कंपनियों को दे रहे हैं। मुख्य बैंकों द्वारा यह धन प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिशत अथवा कभी-कभी 10 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर उपयोगकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। वे इसे माइक्रो-फाइनेंस कंपनियों को हस्तांरित कर रहे हैं क्योंकि वो (माइक्रो फाइनेंस कंपनियां) प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण दे रही है।

मैं यह समझ सकता हूं यदि वे लोग गैर-लाभ की मंशा से आए थे, परन्तु फिर भी ये सूक्ष्म-वित्त निजी कंपनियां लाभ प्रेरित हैं। अत: ये समाज के गरीब वर्गों से ब्याज की वसूली कर रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस तथ्य को संज्ञान में ले कि कोई भी प्रमुख बैंक प्राथमिकता क्षेत्र निधियों को सूक्ष्म वित्त कंपनियों को उधार नहीं देगा यह केवल उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए या यह ऐसे संस्थान को दिया जाना चाहिए जो लाभ अर्जन करने वाला न हो।

हमारे देश में अनेक धर्मार्थ संस्थान हैं, जो समाज के गरीब वर्ग की सेवा करना चाहते हैं और यदि उन्हें इस देश में प्रमुख धर्मार्थ संस्थान नहीं मिल पाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं तो फिर हमारे कुछ नए क्षेत्र हैं विशेषकर इस देश में महिला स्वयं-सहायता समूह (एस एच जी) हैं, जो इन निधियों का बेहतर प्रयोग कर रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में उन महिलाओं के चेहरे की चमक देख सकते हैं, जो प्रतिमाह 3000 रुपये कमा रही हैं, जोकि उनके लिए एक बड़ी धनराशि है, जिसे वह पहले कमाने में सक्षम नहीं थी। इसलिए इन स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और यह धनराशि स्वयं सहायता समूहों को अंतरित की जा सकती है, जहां विनिमय लागत भी न्यूनतम होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से सोंचे और इस संबंध में समय की बर्बादी

भी नहीं होनी चाहिए, अर्थात सूक्ष्म वित्त निगमों को बैंकों से धनराशि प्रदान किए जाने को रोकने में यह सार्वजनिक धन है, और इसे सीधे स्वयं सहायता समूहों को दिया जा सकता है, जो इसे अपने गरीब साथियों को प्रदान करेंगे।

इसी प्रकार, अधिकतर निजी क्षेत्र के बैंक अपनी शाखाओं को केवल शहरी क्षेत्रों में खोलते है, जहां अधिक मात्रा में लेनदेन होता है अर्थात वह कई मिलियन और करोड़ों रुपयों में होता है इनकी गांवों में समाज के गरीब वर्गों को ऋण देने की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है। इसलिए, वे ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं नहीं खोलते हैं। इसका अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और निजी क्षेत्र के बैंक समान-स्तर पर कार्य नहीं करते हैं। इनका स्तर-समान होना चाहिए और एक समान दिशा निर्देश लागू होने चाहिएं और इनका कड़ाई से प्रवर्त्तन होना चाहिए। निजी क्षेत्र के बैंक मुख्यत: इस प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण प्रदान करने से बचते हैं और सूक्ष्म कि संसाधनों को इस धनराशि का अंतरण करते हैं जोकि समाज के गरीब वर्गों को अत्यधिक हानि पहुंचा रहे हैं।

वर्ष 1985 से ही, मैं इस सभा को बता रहा हूं कि बैंकों की भूमिका उत्कृष्ट रही है। यदि हम बजट में 10 लाख करोड़ रुपये प्रदान करते हैं तो बैंक समाज के लिए और इस देश की अर्थव्यवस्था हेतु बजटीय उपबंधों की बजाए अच्छा कार्य कर सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि हम केवल एक ही बार बजटीय उपबंध करेंगे, परन्तु बैंक इसे ऋण लेने वाले को ऋण के रूप में देकर और इसे 10 बार पुनचक्रित कर सकते हैं, इसका अर्थ है यदि उन्हें सही ऋण लेने वाले की पहचान करनी है और वह भी छोटे ऋण लेने वाले की, बैंकों के पास जो 43 लाख करोड़ रुपये है उसके लिए तो उन्हें केवल सब्जी विक्रेता की आवश्यकता है। यदि वह 2,000 रुपये का ऋण प्राप्त करता है तो वह केवल दो दिन में इसे पुनर्चक्रित कर सकता है, इसे वापस कर सकता है और पुन: ले सकता है।

इस 2000 रु0 में वह अपना जीवन निर्वाह करेगा; वह यदि अधिक नहीं तो 200 से 300 रुपये कमा सकता है। अत: उन्हें बेहतर लाभांश कौन देगा? इस देश में कौन अधिक समृद्धि सृजित करेगा? वह गरीब आदमी होगा या आम आदमी ऐसा करेगा। जब तक वह कुछ बेइमानी न करें, कोई बड़ी कंपनी इतनी लाभ नहीं प्रदान कर सकती, मैं आशा करता हूं कि ये बैंक सही ऋण लेने वाले की पहचान करेंगे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि उनकी सम्पत्ति बढ़े और जीवन स्तर ऊपर उठे और इसके साथ ही देश की संपत्ति, देश का सकल घरेलू उत्पादन बढ़े।

इस संबंध में यदि सरकार को यह लक्ष्य दिया जाता है कि इस प्राथमिकता क्षेत्र को इतने करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जाए तो वे तत्काल मतदान सूची लेकर और ऋण लेने वालों के नाम तैयार करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण दिए जाते हैं, उन सभी ऋण लेने वालों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें जहां वे इच्छुक हो वहां व्यवसायिक ढंग में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और इसके बाद ही ऋण को उन्हें दिया जाना चाहिए। ऐसे ढंग से उन्हें दी गई संपूर्ण धनराशि केवल उनके व्यापक प्रयोग के लिए ही उपभोग की जा सकती है और लाभ भी अधिक होगा। केवल यह कह देने मात्र से कि हमने समाज के गरीब वर्गों को इतने हजार करोड़ रुपये दिए हैं, का कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि वे इस पूरी प्रक्रिया से नहीं जुड़े हों।

इस संदर्भ में एक उदाहरण देता हूं जो शायद मैंने आपको पहले भी बताया है। मैं सन् 1985 से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा हूं जिसमें लोगों को विभिन्न पेशों में मुफ्त में कौशल-प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जब मेरे लोगों ने कुछ मुस्लिम परिवारों से यह अनुरोध किया कि वे कोई कार्य कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षण हेतु अपनी महिलाओं को भेजें तो उन्होंने अपनी महिलाओं को भेजने से मना कर दिया। उन्होंने इसे 'इज्जत' अथवा 'इज्जत की बात' बताया और कहा कि वे भूखे रहने के लिए तैयार हैं किन्तु कार्य कौशल सीखने के लिए अपनी महिलाओं को बाहर नहीं भेजेंगे। जब मेरे लोगों ने उन्हें समझाया तो वे अन्तत: उन्हें इस शर्त पर भेजने के लिए तैयार हुए कि उन्हें अलग कमरे में पृथक् रूप में प्रशिक्षण दिया जाए। हम इस पर सहमत हो गए और उनमें से कुछ ने फिनाइल बनाना सीख लिया। अंत में जब वे पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो गयी तो मैंने जिला कलेक्टर को प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र देने के लिए बुलाया।

तत्पश्चात, कलेक्टर जो स्वयं भी एक महिला थीं, ने ऐसे ही अनौपचारिक ढंग से एक मुस्लिम महिला से पूछा कि उन्हें किस पेशे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उस मुस्लिम महिला ने उत्तर दिया कि उसे फिनाइल बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कलेक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह किसी की सहायता के बिना अपने-आप फिनाइल बना लेने के प्रति आश्वस्त है, तो उसने 'हां' में उत्तर दिया। जब उससे यह पूछा गया कि क्या वह इससे धन कमा सकती है तो उसने फिर 'हां' में उत्तर दिया। फिर जब उससे आगे यह पूछा गया कि वह धन यह काम अपने घर में क्यों नहीं कर रही है तो उसने यह कहा कि उसके पास पैसा नहीं है और इस वास्ते किसी ने उसे धन नहीं दिया। उससे यह पूछा गया कि इसके लिए उसे कितने पैसे की आवश्यकता है। अब यदि उसकी जगह किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होती अथवा सदस्य होता तो शायद कहता कि इसे फिनाइल बनाने के लिए कम से कम एक लाख रुपए की जरूरत है। किन्तु आश्चर्यजनक रूप से जिन मुस्लिम महिला ने फिनाइल बनाना सीखा था। उसने कहा कि उसे

मात्र 150 रुपये की आवश्यकता है। फिर जब कलेक्टर ने पूछा कि वे इससे कितना पैसा कमा लेगी तो उसने जवाब दिया कि वह प्रतिदिन आसानी से 100/- रुपए कमा लेगी। ऐसी है उन क्षेत्रों की दशा!

इन मामलों में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और यह देखना है कि सत्तासीन सरकार द्वारा किस प्रकार की नीतियां बनाए। हमें यहीं यह निर्णय करना हैं। यह सर्वोच्च निर्मात्री संस्था है और हम जो भी कानून, जो भी अधिनियम, जो भी कार्यक्रम और जो भी नीति बनाएं वे लोगों को प्रेरणा देने वाले हों और इस राष्ट्र की उन्नति के लिए उन्हें समर्थ और संसाधन संपन्न बनाने वाले हों। केवल भाषण देने भर से यह नहीं होगा बल्कि सही नीतियां, कार्यक्रम और अधिनियम बनाने से होगा। मैं चाहता हूं कि विशेषकर माननीय मंत्री जी और सरकार गांवों की इस स्थिति पर ध्यान दें और देखें कि अमीर वर्गों की अपेक्षा गरीब वर्गों के लिए अधिक से अधिक धन मिले।

महोदया, इस संदर्भ में मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं।

हमें निजी बैंकों में भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। मैं निजी बैंको के खिलाफ नहीं हूं। किन्तु उन्हें अलग से अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। निजी बैंक केवल दिल्ली, हैदराबाद और बम्बई में ही अपनी शाखाएं खोल रहे हैं। यह सही नहीं है। आज जब 70 प्रतिशत लोग अन्य क्षेत्रों में रहते हैं तो हमें उन क्षेत्रों में जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बैंकों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनका काम केवल लाभ कमाना है। उनका कार्य सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी है। धन कमाते समय उन्हें सोचना चाहिए कि वे इस सम्पत्ति के न्यासी हैं। वे लाभ कमाएं; हम उनके रास्ते में नहीं आ रहे हैं। किन्तु उन्हें सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस अहं की तुष्टि के सिवा उन्हें क्या लाभ होता है कि वे लाखों-करोड़ों कमा रहे हैं? पर उसके पश्चात वे क्या करते हैं? मेरी इच्छा है कि इस संबंध में नीतियों को भी बदला जाए।

ऐसा करते हुए यह भी देखा जाए कि जो लोग बैंक खोलने करने के लिए आते हैं, वे हमारी जमाराशि पर ही निर्भर न रहें। उनके पास अपना धन और पर्याप्त शेयर होना चाहिए। इस सिलसिले में सीमाओं को भी बढ़ाया जा सकता है। पूर्व में, जहां तक मुझे याद है, एक बैंक को खोलने के लिए शुरूआत में 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती थी। किन्तु अब इसे 500 करोड़ रुपए अथवा 1000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। तब बैंकों के लिए भी सुरक्षा होगी। सबसे बड़ी बात तो यह और मैं प्रारंभ से ही इसके लिए लड़ता भी रहा हूं, कि इस देश में प्रभारित की जा रही ब्याज-दर इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर रही हैं तथा चिंता की बात तो यह है कि माननीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मनुष्यों के परिश्रम की समुचित कीमत नहीं दी जा रही है। मान लें, कि मेरे पास एक करोड़ रुपये हैं, तो यदि, में अपने घर बैठा रहूं तथा इस रुपये को उधार दूं तो मुझे हर वर्ष 50 लाख रुपये मिलेंगे। तो मैं स्वयं को कष्ट क्यों दूं? फिर मैं क्यों कड़ी मेहनत करूं? पर, यदि यह नागरिक द्वारा किए जाने वाले कड़े परिश्रम पर आधारित हो और ब्याज-दर पर नहीं, तो यदि मुझे 15 प्रतिशत ब्याज-दर नहीं मिलकर मात्र 2 प्रतिशत ब्याज मिले तब फिर यह राशि मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगी। तब तो मुझे कठोर श्रम करना पड़ेगा। फिर मैं कड़ी मेहनत करूंगा पसीना बहाऊंगा और तब इस राष्ट्र में संपदा सृजित होगी। इसलिए संपदा का स्रोत धन से होकर परिश्रम होना चाहिए। पर यह केवल तभी संभव है जब आप इस देश में ब्याज-दर कम करें। मैं नहीं जानता कि नीति-निर्माता कैसे यह सोच रहे हैं कि ब्याज-दर बढ़ाकर वे इस देश में धन के परिचालन पर नियंत्रण कर सकते हैं तथा ऐसा करके वे महंगाई कम कर सकते हैं। वही देश के लिए एकमात्र हल नहीं है। मैं इस देश में खासकर वित्तीय मामलों में विचारकों को देश की स्थिति पर फिर से सोचने-विचार करने का अनुरोध करता हूं। अमेरिका केवल दो प्रतिशत ब्याज क्यों ले रहा है? क्यों वहां मुद्रास्फीति महज तीन प्रतिशत हैं? यूरोप में भी क्यों यही चल रहा है? मुसलमान समुदाय में वित्तीय व्यवस्था का सिद्धांत क्या है? वे तो कोई ब्याज नहीं लेते। यदि किसी को लाभ होता है तो उसे बैंक को ही पाने देते हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे देखें कि ऐसी सभी कंपनियां जो बैंकों से वित्त पोषण प्राप्त करके भारी लाभ अर्जित कर रही हैं, उन्हें लाभ का यदि पूरा नहीं तो कुछ अंश बैंकों के साथ जरूर साझा करना चाहिए।

यदि कोई बड़ी कंपनी, मानिए कि 100 करोड़ रुपये के निवेश से लाभ अर्जित करती हैं जिसमें से 50 करोड़ रुपये बैंक से लिए गए हैं जो कि जनता का पैसा है, तथा यदि वह कंपनी प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करती हैं तो उसे पूरा लाभ लेने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? मैं मानता हूं कि क्यों कंपनियां बैंकों की ब्याज का भुगतान कर रही हैं, पर उसकी दर तो केवल 8 प्रतिशत या 10 प्रतिशत है जबकि अपने निवेश पर 100 प्रतिशत लाभ कमा रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसे हरेक कंपनी पर लागू किया जाना चाहिए। पर कम से कम उन कंपनियों पर तो जरूर लागू किया जाना चाहिए जो भारी लाभ अर्जित कर रही हैं। उनका हिस्सा जरूर प्राप्त किया जाना चाहिए। हमें इस सभा में इस आशा का विधान जरूर लाना चाहिए।

इस संबंध में मैं यह भी कहता हूं कि सट्टेबाजी से जुड़े किसी भी व्यवसाय को कोई उधार बिलकुल नहीं दिया जाना चाहिए। मेरी

समझ से दिल्ली में पृथ्वी रोड या जोर बाग में आज भूमि की कीमत 10 से 12 लाख रुपये प्रति वर्ग गज है। यह अचानक बात है। कोई यहां अपने घर के लिए दस वर्ग गज जमीन खरीदने की बाद कैसे सोच सकता है!

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): बंजारा हिल्स में कीमत कितनी है?

डॉ. के.एस. राव: ऐसा पूरे देश में है। मेरा कहना यह है कि जनता के पैसे को भू-संपत्ति व्यवसाय या वायदा कारोबार जैसे सट्टेबाजी से जुड़े किसी व्यवसाय या ऐसे किसी भी बाजार के लिए नहीं दिया जाना चाहिए।

यदि कोई धनार्जन करना चाहता है तो करे। पर ऐसा होते हुए भी साधारण चीजों के मूल्य जनता की विशेषकर गरीब लोगों की पहुंच से बाहर न जाएं। क्या कोई भी गरीब आदमी भले ही कि पृथ्वीराज रोड़ में न सही, इस शहर के बाहरी इलाके में 10 गज जमीन भी लेने की सोच सकता है? यह उसके बूते को नहीं, जब तक सरकार उसे सहायता न करे। इसी कारण मैं इन सभी बातों का ध्यान रख कर इस देश में नागरिकों विशेषकर गरीब लोगों की न्यूनतम जरूरतों चाहे वह खाद्यान्न का सस्ता मूल्य रखना हो या उसके लिए आप्रवसान की व्यवस्था हो-के लिए संघर्ष करता रहा हूं। यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उसी प्रकार अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य परिचर्या आदि का जरूरतों का ध्यान भी सरकार द्वारा ही रखा जाना चाहिए।

इससे भी जरूरी यह कि यदि कोई गरीब आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो कठिन श्रम करके दूसरों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हुए धन कमाना चाहिए। जब तक उसकी बुनियादी जरूरत पूरी न होगी उसे आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं अभी बल्कि आने वाले सौ या हजार वर्षों में भी नहीं मिलेगा।

मैं इस संबंध में केवल यही कहना चाहता था, और इसकी आलोचना तो होगी, कि यदि कोई कंपनी दो-चार दशकों तक सफलतापूर्वक काम करती रहे तथा किसी कारण या संयोगवश किसी वर्ष विशेष में घाटे का सामना करे तो बैंकों को उसके बचाव हेतु जरूर आगे आना चाहिए तथा उसका पुनरुद्धार करना चाहिए क्योंकि उसमें जनता का पैसा लगा है यदि बैंक उसका बचाव करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो वह कंपनी जो 40-50 साल से काम कर रही है वह खत्म हो जाएगी जो किसी मनुष्य के मरण के ही तुल्य है। इसलिए, मेरी इच्छा है कि बैंकिंग प्रणाली में एक तार्किकता, एक दृष्टिकोण और एक विचार होनी चाहिए कि वह स्थापित की गई ऐसी कंपनियों-चाहे वह व्यक्तिगत ही क्यों नहीं हो, की रक्षा करे और उसे बचाए।

जानबूझकर और जालसाजी करने के इरादे से ऐसी नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु यदि यह सही हो तो ऐसी किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सरकार और उच्चाधिकारियों की ओर से एक आवश्वासन होना चाहिए कि यदि कोई निष्कपट गलती की जाती है तो कोई नुकसान नहीं और इसके लिए कोई सजा नहीं हो। किन्तु अगर जानबूझकर गलती की जाए तो उन्हें तत्काल सजा दी जाए। किन्तु इस देश में ऐसी प्रणाली है कि न्यायपालिका अथवा सतर्कता जैसी जांच प्रणाली-मामलों के निर्णय आने में वर्षों लग जाते हैं। यदि किसी अधिकारी ने जानबूझ कर कोई जालसाजी की और यदि कोई विभागीय जांच की जानी थी तो दस वर्षों में भी इसका निर्णय पूरा नहीं होगा; यदि वह न्यायालय जाएगा तो भी उसका निर्णय नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जालसाजी करने के उसके साहस में वृद्धि हो रही है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि मेरे साथी मंत्री इस देश में एक ऐसा कानून लेकर आए जिससे अपराध करने वाले लोगों के दिमाग में भय उत्पन्न करे। कानून इतना सख्त हो कि जो लोग अपराध करते हैं, उसे छोड़ा नहीं जाए।

आज हर कोई सोचता है कि हत्या कर दे और कानून के साथ आंख-मिचौली खेले; हर कोई यह सोचता है कि वह रातों-रात 1000 करोड़ रुपए कमा सकता है और कानून के साथ आंख-मिचौली खेल सकता है। अगर यही रास्ता है तो हम लोकतंत्र के नाम पर इसे नहीं रोक सकते हैं; हम स्वतंत्रता दे सकते हैं किन्तु लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति जालसाजी करे अथवा अपराध करे और बच कर निकल जाए। लोकतंत्र के नाम पर हमें इस देश के विकास को लूटना नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है कि हमें इन पर विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार का कानून बनाना चाहिए और यह कितना सख्त हो।

हम सबको यह पता है कि लालफीता शाही अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। यदि कोई निर्णय एक दिन में लिया जा सकता है तो इसमें महीना लगा दिया जाता है और अत्यधिक घाटा होता है। यदि कोई उत्पादन 100 रुपए की लागत में किया जा सकता है तो इस वजह से इसकी लागत 200 रुपए हो जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस संदर्भ में मैं पुन: सरकार को कहना चाहता हूं कि-मैंने सुना है कि यदि किसी अमेरिकी अथवा यूरोपवासी को चीन में निवेश करना हो तो वे उन्हीं दूसरी बार वापस नहीं आने देते। वे टेबल पर बैठ कर ही मसला सुलझा देंगें और वे वहां निवेश करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति भारत में नहीं है। यदि कोई विदेशी कंपनी भारत आकर यहां निवेश करना चाहती है तो उनके लिए निर्णय लेने में महीनों लग जाता है।

इसलिए मेरी इच्छा है कि एक प्रणाली अवश्य हो। मुझे खुशी है कि एफडीआई पर निर्णय लेने के लिए एक समिति है, किन्तु उन्हें भी निर्णय लेने में अत्यधिक समय नहीं लेना चाहिए। वे सही ढंग से निर्णय लें। यदि वे चाहते हैं तो उस समिति में विशेषज्ञ रखे जो मामले पर निर्णय ले सके, वे उस निवेशक के इतिहास को देख सके और यह देखे कि वह निष्कपट निवेशक है या नहीं अथवा वह निवेश करने में सक्षम है या नहीं। उन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है।

अपराह्न 2.00 बजे

इस संदर्भ में, सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक जब कभी भी ब्याज-दर को बढ़ाने अथवा घटाने के संबंध में सोचती है तो मेरी इच्छा है कि कम से कम कृषक समुदाय, समाज के गरीब तबके और स्व-सहायता समूहों को 3 प्रतिशत से कम की ब्याज-दर पर ऋण प्रदान किया जाए। जहां तक मेरा संबंध है, मेरी इच्छा है कि उन्हें कभी-कभी बिना ब्याज के भी ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्यथा ब्याज की राशि से उनकी दशा और खराब हो जाएगी। कई पीढ़ियों से उच्च ब्याज दरों के कारण उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। नेहरू जी इस विचारार्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लेकर आए थे कि उनके द्वारा अर्जित लाभ में केवल एक परिवार का हिस्सा नहीं हो बल्कि अधिकाधिक लोगों का हो। किन्तु उन्हें इसका इल्म भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लाभ को संवितरित करने के बदले लोगों के बीच हानि का संवितरण करेंगे। मेरी कामना है कि सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम घाटे में नहीं रहे। जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था, एयर इंडिया हो या अन्य कोई संगठन, यदि इन्हें लगातार घाटा हो रहा हो तो इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तरह ही हमारे पास सभी प्रकार के दिशानिर्देश हो जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कड़ाई से नियंत्रित करे। ताकि हम इन्हें नियंत्रित कर सकें। स्थायी रूप से घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को हमे कब तक बजटीय सहायता दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमें इस संबंध में कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए।

मेरा मत है कि राजस्व अर्जित करने वाले कतिपय मंत्रालयों, जैसे नगर विमानन मंत्रालय, को कोई भी बजटीय आबंटन नहीं किया जाना चाहिए। हम पहले ही उन्हें 50,000 करोड़ रु. से 60,000 करोड़ रु. दे चुके हैं। क्या उन्हें लाभ-अर्जित नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन्हें प्रतिवर्ष घाटा अर्जित करने के लिए ही आबंटन करना चाहिए? ऐसा ही और पेट्रोलियम मंत्रालयों के मामले में किया जाना चाहिए। मेरी समझ से है कि इस देश में एकल किए जाने वाले किसी भी राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य चर्चा और ग्रामीण विकास जैसी कल्याणकारी योजनाओं में किया जाना चाहिए।

अत: मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर विचार करें। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए और तदनुसार अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए तथा एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों जो समाज के कमजोर वर्ग के है, चाहिए की ताकत बढ़े और वे देश की सम्पदा बढ़ा सकें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, आपने मुझे भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदया, जहां तक देखा जाए, आज पूरे देश में 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और 22 निजी बैंक हैं और कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं, उनको बेहतर सुविधा मिल सके। साथ ही साथ, इस विधेयक में कहा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कानूनों में संशोधन करने के प्रावधान वाले इस संशोधन विधेयक के अमल में आने के बाद आरबीआई एवं बैंकों की शक्तियां बढ़ेंगी। यह देखा गया है कि बैंक की जो पूंजी है, उसको बाजार में कारोबारी गतिविधियों में बढ़ाने से हम ज्यादा पूंजी जुटा पाएंगे। यह हमेशा प्रयास रहा है।

अपराह्न 2.04 बजे

[श्री इन्दर सिंह नामधारी *पीठासीन हुए*]

लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि अर्थात एनपीए बढ़ना भी एक चिंता का विषय है। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि केन्द्र सरकार या बैंक की ओर से ऐसी स्कीम्स आएं, जिनसे एनपीए बढ़ने की चिंता कम हो सके। इसके लिए भी प्रयास सरकार को करना चाहिए। इसमें ज्यादातर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओवरसीज बैंक और आईडीबी आई का सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। केन्द्र सरकार को और वित्त मंत्रालय को प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो पूंजी फंसी हुई है, उसे कैसे कम किया जाए।

वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने लक्ष्य रखा था कि बैंकिंग सुविधा 43,000 गांवों तक पहुंचाएंगे और बैंकों ने भी भरोसा दिलाया

था। लेकिन इस लक्ष्य को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में और विभिन्न अवसरों पर यह कहा कि दो हजार की आबादी वाले गांवों में 2012 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर दी जाएंगी। इसके लिए काफी प्रयास करना होगा। वित्त मंत्री जी ने जो यह भरोसा दिलाया था तो तमाम बैंकों को इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए प्रयास करना होगा। यह भी लक्ष्य रखा गया था कि दो हजार आबादी वाले ऐसे 73,000 गांवों की पहचान की गई है, जहां बैंकिंग सेवा प्रदान की जानी है। पिछले वित्त वर्ष में इस तरह के दो हजार की आबादी वाले 29,000 गांवों में बैंकिंग सेवा प्रदान की गई थी, लेकिन शेष लक्ष्य अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

इसके अलावा 4,75,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा दिया गया है। उस तक भी हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और काफी पीछे हैं। अभी बात हो रही थी और मैं सुन रहा था कि शिक्षा के ऋण में कमी आई है, हमने सोचा था कि वृद्धि होगी। हमारे जो तमाम बैंकों में खाते हैं, उनकी राशि में वृद्धि हुई है और 43,000 करोड़ रुपए का बकाया है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। जबकि बैंकों को इस प्रकार से निर्देश भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिए हैं।

देश में आज भी शिक्षा, चिकित्सा सबको मिले, सबको रोजगार छत और भोजन मिले, सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सरकार इन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए कारपोरेट घरानों के साथ ही साथ बैंकों को भी आगे लाना चाहिए और उन्हें भी साथ लेकर इन सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए।

भारत में सिर्फ 34 प्रतिशत जनसंख्या आधिकारिक बैंकों के दायरे में है। अभी भी 15 करोड़ परिवार बैंकिंग सेवा से वंचित हैं। जो हमारा लक्ष्य है, उस तक हम नहीं पहुंच रहे हैं। आज भी 50 प्रतिशत लोगों के पास बैंक का खाता नहीं है। दूर-दराज के गांवों में 17 प्रतिशत लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि भारत सरकार की तमाम योजनाएं जैसे मनरेगा आदि जिनमें बैंकों में अकाउंट खोलकर लाभार्थी को पैसा देने की व्यवस्था है। देखा जाए तो इसमें अभी भी जागरूकता की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 75 फीसदी लोग रहते हैं, जो अधिकांश खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, उन्हें बैंकों के बारे में कम मालूम है। वे अगर बैंक में जाते भी हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा लक्ष्य है कि बैंकिंग सेवा का विस्तार हो और ग्रामीण स्तर पर ज्यादा हो। इसके लिए हमें सरलीकरण की आवश्यकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सेवा के दायरे में आ सकें। अभी छः लाख गांवों में सिर्फ 50 प्रतिशत ही बैंकिंग दायरे में हैं। देश की आबादी 125 करोड़ हैं, लेकिन सिर्फ दस प्रतिशत ही लोग जीवन बीमा के दायरे में आते हैं और 9.6 प्रतिशत लोग अन्य बीमा संस्थाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम तमाम ऐसी बैंकिंग सेवाओं को सुदृढ़ बनाएं, उनका विस्तार करें और उन्हें मजबूती प्रदान करें। देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि देश का विकास हो, लोगों का विकास हो। आज जो अपराध बढ़े हैं, उसका मुख्य कारण यह भी है कि लोगों के पास धन है, ज्यादातर उसे वह घरों में ही संचय करते हैं। वह बैंक तक नहीं जा पाता है और अगर बैंक में उसे खाता भी खुलवाना पड़ता है तो उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में अगर आपने बाहर के बैंकों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित किया है तो प्रतिस्पर्धा पढ़ेगी और बेहतर सुविधा में अपने ग्राहकों को देनी पड़ेगी। इन बातों को सरकार और वित्त मंत्रालय को ध्यान में रखन होगा। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए, इस बिल पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, देश का विकास बैंकों पर निर्भर होता है और आज बैंक सबसे विश्वसनीय संस्था है। गांव का किसान हो, मजबूर हो, मध्य वर्ग का व्यक्ति हो या कोई पूंजीपति हो, सबका सीधा संबंध बैंकों से हुआ करता है। बैंक की दो विद्या हैं, एक तो पूंजी को व्यवस्थित करना और दूसरा उधार देना। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में जब माननीय वित्त मंत्री जी अपने आंकड़े इस वित्तीय वर्ष में, बजट पर प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने कई बातें रखते हुए बड़े विश्वास के साथ कहा था कि बैंक का संबंध आकार से नहीं प्रदर्शन से होना चाहिए। उसे लोगों की सुविधाओं से नवाजा जाए, यह बैंक का उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि हमारे सम्माननीय सदस्य ने कहा कि इस समय वर्तमान वित्त वर्ष 45,000 गांवों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गयी और यह भी कहा गया कि देश में जिन गांवों की आबादी 2,000 या अधिक होगी, उन्हें बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।

वर्ष 2012 तक का लक्ष्य रखा गया था कि हम 73,000 गांवों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ देंगे। सुदूर अंचल में बैठा वह ग्रामीण जब छोटे-मोटे लोन लेने के लिए बैंक में जाता है तो उसे बहुत कठिनायों का सामना करना पड़ता है और वह अपना खाता नहीं खुलवा पाता है। अगर खाता खुलवा भी लेता है तो लोन की प्रक्रिया

इतनी जटिल है कि उसमें भी बिचौलियों की जरूरत पड़ती है। अगर बिचोलिये हैं तो लोन की व्यवस्था हो जाती है अन्यथा नहीं। अगर पूंजीपति है, धन्नासेठ है तो उनकी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, उन्हें बैंक दिल-खोलकर सहयोग देता है। उनकी अट्टालिकाएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन गरीब की झोंपड़ी छोटी होती जा रही है। आज इस देश में जरूरत है कि सुदूर गांव में बैठे हुए लोगों का विकास हो और बैंकिंग सुविधाओं को देने का सरकार का जो लक्ष्य है कि हम गांवों के मजदूर और गरीबों का उत्थान करेंगे, वह पूरा हो। अनेक लाभकारी योजनाएं उनके लिए बनाई गयी हैं और ऐसा भी बताया गया कि बैंक उन छोटे लोगों को बिना किसी धरोहर रखे, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करें। हम लोग गांव में रहते हैं, लोग आते हैं और हम लोगों से पूछते हैं और जब हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि ये योजनाएं कागजों पर हैं और उन्हें इन योजनाओं से अवगत नहीं कराया गया है और अगर उन्हें जानकारी भी हुई तो उन बैंकों के मैंनेजर्स गांवों के लोगों के साथ सहयोग नहीं करते हैं जोकि उन्हें करना चाहिए।

मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी 72 प्रतिशत से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। गांव की गरीबी, गांव की बदहाली, गांव की मजबूरी इस देश की सच्ची कहानी कहती है, सच्ची तस्वीर बताती है। हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, हम सब्जबाग दिखाना चाहते हैं लेकिन आज अमरीका की तस्वीर क्या बनी है, कहने की जरूरत नहीं है। क्या हम उनके पद-चिन्हों पर चलना चाहेंगे, क्या हम शेयर मार्किट में अपने खाद्यान्न, अपनी जिन्सों, अपने अनाजों को सम्बद्ध करके, देश में भुखमरी की स्थिति लाना चाहेंगे।

महोदय, देश के विकास में बैंकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शिक्षा लोन, छोटे उद्योगों के लिए लोन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो हमारे देश की रीढ़ हुआ करती थी। पहले लोन साहूकार दिया करते थे। वे मोटी-मोटी ब्याज दरों पर लोगों को लोन करते थे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज देश के बैंक उन साहूकारों जैसे ब्याज ले रहे हैं। वे बैंक जैसे सरकार चाहती है, उस तरह की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों का व्यवहार साहूकार बैकों जैसा होता जा रहा है। वर्ष 2007 में ग्रामीण ऋण वितरण 7.93 हुआ था। वर्ष 2006 में इससे ज्यादा 8.93 था। हमें इस दिशा में और बढ़ना चाहिए न कि पीछे हटना चाहिए। हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपने देश के विकास को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि गांव का गरीब उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना चाहता है या अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तकनीकी शिक्षा देना चाहता है तो लोन लने के लिए जब बैंक में जाता है, तो उसकी चप्पलें घिस जाती हैं और उसे लोन नहीं मिलता है। हम लोग भी ब्रांच मैनेजरों से बात करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था है, तो वह उस स्तर पर नहीं पहुँच पाता, जिस स्तर तक पहुँचना चाहिए। आज गांव के विकास को आगे बढ़ाने की जरुरत है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को आज पूंजी जुटाने की कुछ ज्यादा ही छूट दी जा रही है। राष्ट्रीयकृत बैंक कैसे लोगों को सुविधाएं प्रदान करें, इस पर उन्हें बाउंड नहीं किया जा रहा है। इस समय देश में 20 राष्ट्रीयकृत बैंक और 22 निजी बैंक है, लेकिन अगर आंकड़े देखें जाएं, तो ग्रामीण अंचलों में, जो सरकार की मंशा है, जो वित्त मंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे, क्या उसका अनुपालन हो रहा है। मैं कहूंगा कि बिलकुल अनुपालन नहीं हो रहा है। हम बैंकों की सुविधाओं को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाएं और गांव की झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग भैंस खरीदने के लिए, दुधारु पशु खरीदने के लिए, खाद बीज तथा खेती के यंत्र खरीदने के लिए ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें कठिनाई हो रही है। जबकि बैंकों को सुविधाएं दी गई हैं कि छोटे ऋण मुक्त दिए जाएं।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गांव में जरुरतमंद लोगों को व्यवस्था प्रदान की जाए। हमारी जो योजनाएं हैं कि हम बैंकिंग शाखाएं बैंक तक ले जाएंगे, जो योजना वर्ष 2012 तक है, हम बैंकों को गांवों से जोड़ेंगे। जो जरुरतमंद लोग है, जो बैंक के माध्यम से अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते है, जो रोजी-रोटी की तलाश में है, जो आंतकवाद की तरफ जा रहे हैं, उन्हें अगर छोटे-मोटे ऋण दिए जाएंगे, तो वे अपनी जीविकोपार्जन में लगेंगे और विशेषरुप से गांव का गरीब, गांव का नौनिहाल, गांव का बेकार और शिक्षित युवक, जिनकी बैंकों में जाते हुए ऐड़ियां घिस जाती हैं, चप्पले टूट जाती हैं, उन्हें ऋण की सुविधाओं से जोड़ा जाए, इस तरफ ध्यान देने की जरुरत है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, भारतीय स्टेट बैंक सब्सीडरी संशोधन विधेयक, 2009 है, बाद में 2010 हुआ। पहले से जो कानून है, उसका संशोधन करना है। हैदराबाद स्टेट बैंक, 1959 का संशोधन करना है और भारतीय स्टेट बैंक समनुषंगी बैंक अधिनियम, 1959 का संशोधन करना है। इसके जो छोटे-छोटे सब्सीडरी बैंक्स हैं, उन बैंकों को स्टेट बैंक आफ इंडिया में समाहित करना है।

अब इसके पीछे बहुत तर्क है। सबसे बड़ा तर्क है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, उसका भी सर्विस

एरिया है और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडियरी बैंक्स हैं, उनका भी सर्विस एरिया एक है तो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। आपस में यह प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसको मर्ज कर देना चाहिए। इसीलिए यह मर्जर के लिए विधेयक है।

दूसरा तर्क यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ही इस देश का सबसे बड़ा बैंक है। दो छोटे बैंकों को पहले ही समाहित करा दिया गया था-स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र दोनों बैंकों के बारे में पहले भी सरकार ने नहीं कहा कि यह घाटे में बैंक था कि एनपीए ज्यादा होता था कि प्रायोरिटी सैक्टर और नॉन प्रायोरिटी सैक्टर मिलाकर जो सरकारी कार्यक्रम है और जो लक्ष्य दिया जाता था, उस लक्ष्य को पूरा नहीं करता था। उसमें भी यह तर्क नहीं दिया गया, वह स्थिति नहीं बताई गई। अभी जो 5 बैंक्स हैं, जिनको मर्ज कराना है, वे हैं-स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और अंत में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ये पांच बैंक हैं और कुछ बैंकों में इनकी हिस्सेदारी 92 प्रतिशत और 75 प्रतिशत है। ये बैंक अच्छी स्थिति में हैं लेकिन अभी जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत है, उसमें ग्लोबल सिनेरियों में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का 68वां स्थान है और कहा जाता है कि इसकी जो अधिकृत पूंजी है और निर्गमित पूंजी है, सबकों मिलाकर सरकार को इस विधेयक से शक्ति मिलेगी तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह 10वें स्थान पर हो जाएगा। सरकार के दृष्टिकोण में समग्रता नहीं है क्योंकि सरकार जहा स्टेट बैंक के अधीनस्थ जो छोटे-छोटे बैंक हैं, उनका विलय चाहती है तो देश में जितने नेशनेलाइज्ड बैंक हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में जो बैंकों का राष्ट्रीकरण हुआ था, उसका स्पांसर्ड बैंक आरआरबी है। जो छोटे-छोटे बैंक हैं, जिनका उल्लेख मैंने अभी किया जिनका परफार्मेस अच्छा है, उसका एनपीए स्टेट बैंक के मुकाबले में कम है। इसलिए प्रायोरिटी सैक्टर और नॉन प्रायोरिटी सैक्टर दोनों में काम अच्छा किया है लेकिन आरआरबी चौपट है। कमेटी पर कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भरत सरकार बिठाती है कि री-स्ट्रक्चरिंग करो, आरआरबी का सशक्तीकरण करो। 15 प्रतिशत राज्य सरकारों को पैसा देना है और अपने हिस्से का केन्द्र सरकार पैसा देती है तथा स्पांसर्ड बैंक पैसा देता है। लेकिन इसके बावजूद आरआरबी की सेहत अच्छी नहीं हो रही है। जब छोटे बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधीनस्थ हैं, जब इन बैंकों को इसमें मर्ज कर रहे हैं तो आरआरबी के क्यों नहीं आरआरबी को स्पांसर्ड बैंक में मिला दीजिए। आपके पास कोई ऑथोराइज्ड कैपिटल की समस्या नहीं रहेगी और बड़ा बैंक भी हो जाएगा। इसीलिए सरकार का कोई दृष्टिकोण होना चाहिए। राव साहब चले गये, सिर्फ गरीबों को लोन देने, रोजगार देने और आय का सृजन करने का काम बैंक का नहीं है।

हमने देखा है कि अमेरिका में अभी जो मंदी का संकट आया है, जोशी साहब ने, शरद जी ने तथा और भी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, इससे पहले बड़ी मंदी आई थी। सारा देश कांप गया था, सारी दुनियां कांप गई थी लेकिन प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। ठीक है कि आपने ससटेन किया, आपने मुकाबला किया। आपका थोड़ा ग्रोथ रेट घटा, लेकिन अभी जो स्थिति अमेरिका की हुई है, उससे दुनिया हिल गई है।

आज थोड़ा शेयर मार्केट में उछाल देखा गया है, कल अमेरिका में था। दूबे जी ने कहा कि कल अमेरिका में था, ठीक कह रहे हैं। आज सरकार ने जो कहा और रिजर्व बैंक का कंट्राडिक्टरी बयान आ रहा है। बैंक की जबरदस्त भूमिका हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था में हैं, हमने ऐसी व्यवस्था की है लेकिन स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थिति बहुत खराब है। आपने दूसरे बैंकों को मिलाया, लेकिन स्थिति क्या खराब है, वह यह है एनपीए बढ़ गया। सरकार ने जब बिल पेश किया तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की सेहत कैसी है, इसके बारे में नहीं कहा। मैं चाहता हूं जब माननीय मंत्री जी जब जवाब दे तो कहें कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, एनपीए बढ़ गया, मुनाफा घट गया, ऐसी स्थिति में सब्सिडरी बैंक को मिला रहे हैं। यह क्या है? 11 वर्षों में बैंकों का सबसे खराब प्रदर्शन पिछले वित्तीय वर्षों में रहा है। स्टेट बैंक आफ इंडिया बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 21 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। कॉरपोरेट सैक्टर में छोटी कंपनियां 21 करोड़ रुपया मुनाफा कमाती हैं जबकि स्टेट बैंक आफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है और इस बैंक में छोटे सब्सिडरी बैंक का मर्जर करना चाहते हैं। मर्जर इसलिए करना चाहते हैं कि हम वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान में चले जाएं। आस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में बांच खोलना चाहते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेट बैंक आफ इंडिया को 21 करोड़ रुपया मात्र मुनाफा हुआ है, सरकार को बताना होगा कि ऐसा क्यों हुआ है? मुनाफा घटा है और एनपीए बढ़ा है। एनपीए कितना बढ़ा है, 21 दूनी 42 करोड़ रुपए नहीं, 100 करोड़ रुपया नहीं, 200 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 1868 करोड़ रुपए स्टेट बैंक आफ इंडिया का एनपीए हुआ है। बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, मुनाफा घट रहा है, बैंक ने सर्विस एरिया सबसे ज्यादा लिया है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया है, इस बैंक में वन स्टाफिंग ब्रांचिस हैं। ब्रांचिस में ठीक कार्य नहीं हो रहा है। सरकार आज भी स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थिति नहीं बता पा रही है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के स्टाफ की टोटल स्टेट कितनी है, कितनी वैकेंसी है और कितनी रूरल ब्रांच हैं जो वन मैन ब्रांच, अंडर स्टार्फिग है? आप ऐसी स्थिति में स्टेट बैंक

आफ इंडिया को अन्य बैंकों के साथ जोड़ रहे हैं, जो छोटे बैंक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कर रहे हैं, जिनका एनपीए प्रतिशत अनुपात में कम है।

सभापति महोदय: आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरा मन भी कर रहा है कि मैं सुनता जाऊं। लेकिन आपको कन्कलूड करना पड़ेगा।

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, हमारे देश में 89 बैंक हैं जिनमें 31 प्राइवेट हैं, 31 विदेशी हैं। विदेशी बैंक इस देश में आ गए, सरकार इसके लिए सचेत है कि हमारे यहां विदेशी बैंक आएंगे तो देशी बैंकों के साथ मुकाबला होगा तो कैपिटल इनफलों होगा। यह सरकार की नीति है। 53000 ब्रांचिस हैं और 17000 एटीम फैसिलिटी की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 73000 गांवों को 2012-12 के अंत तक बैंकिंग फैसिलिटी देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि बैंकिंग फैसिलिटी नेशनलाइज बैंक हैं उन्हीं के माध्यम से देनी है।

जो प्राईवेट बैंक्स हैं, वे डिपाजिट लेते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी को वहन नहीं करते हैं और सरकार के पास कोई कानून नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स को सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए प्रेरित कर सकें या उन्हें दबा सके। यह ठीक है कि जो कारपोरेट सैक्टर है, वह भी चाहता है कि मर्जन हो सरकार की जो वित्त की स्थाई समिति है, मैं भी उस समिति का मैम्बर हूँ, मंत्रालय की ओर से कहा गया और सरकार भी चाहती है कि मर्जर हो। कारपोरेट सैक्टर भी चाहता है कि मर्जर हो। कारपोरेट सैक्टर नेशनलाइज्ड बैंक्स से खुलकर ऋण लेते हैं और एनपीए भी करते हैं। एनपीए कोई छोटा एकांउट नहीं हैं, बल्कि एनपीए के बड़े-बड़े के एकाउंट है। इसके अलावा जो देश के बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके पास कोई सामाजिक दायित्व नहीं हैं, वे सिर्फ कारपोरेट सैक्टर को लोन देते हैं। जो 53 हजार ब्रांचेज है, उनमें आरआरवीज भी नहीं है। आप देखें कि हमारे यहां कितने गांव हैं।

महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करुंगा। आपने लुई फिशर का नाम सुना होगा। साबरमती आश्रम में लुई फिशर ने महात्मा गांधी से पूछा कि बापू यह बताओं, आपका स्वराज्य कैसा होगा? तब बापू ने लुई फिशर से कहा, आप जानते है कि लुई फिशर ने कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने स्टालिन, लेनिन, गांधी आदि पर किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश देश में स्वराज्य होगा तो यहां सात लाख रिपब्लिक होगें। लुई फिशर चकराया कि यह कैसा आदमी है, जबकि देश को एक करना है, अखंड करना है, देश में छह सौं से ऊपर रियासतें हैं। ये सबको मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं और यह कहते हैं कि सात लाख रिपब्लिक होगा। तब उन्होंने बापू से पूछा कि यह बताओं कि सात लाख रिपब्लिक कैसे होंगे तब गांधी जी ने कहा कि हमारा देश सात लाख गांवों का देश है। सात लाख रिपब्लिक यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर सात लाख रेवेन्यू विलेजिज थे और हमारा एक-एक गांव रिपब्लिक होगा, जहां सारी व्यवस्था, प्रबंधन हमारा होगा। लेकिन उन्हीं गांवों में बैंक का नेटवर्क भी होगा। यह गांधी जी ने लुई फिशर को कहा था। सात लाख गणराज्य का जो एक इंडियन रिपब्लिक होगा, वह बड़ा शक्तिशाली होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि पहले यह बतायें कि आरआरवीज, कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़कर जो 53 हजार ब्रांचेज हैं, 73 हजार ब्रांचेज खोलने का वित्त मंत्री का ऐलान नहीं है, वित्त मंत्री का ऐलान यह है कि 73 हजार गांवों को बैंकों की सुविधा देंगें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भले ही आप दसवें स्थान पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें यह बताइये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। इस देश का आर्थिक दायित्व बहुत बड़ा है, आगें गांवों में शाखा के विस्तार के लिए क्या किया है।

मैं आपको श्रीमती इंदिरा गांधी की याद दिलाना चाहता हूँ-1971 में उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद नारा दिया था-वे कहते हैं इंदिरा हटाओं, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओं। ऐ देशवासियों, तय करो, इन्दिरा हटाओ या गरीबी हटाओं। तब देश की जनता ने कहा कि इन्दिरा गांधी सही है, गरीबी हटानी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि बैंकों को आप एसबीआई में मर्ज कर रहे हैं, लेकिन इस विधेयक में श्रीमती इन्दिरा गांधी के गरीबी हटाओं के नारे का आप कहां तक परिपालन करेंगे, आर्थिक समृद्धि में इसका कितना योगदान होगा और देहाती इलाकों की ब्रांचों को कर्मचारियों से भरपूर करने में कितना सहायक होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): सभापति महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं इस विधेयक का पूर्णत: विरोध करता हूं।

सभापति महोदय: क्या आप इसका विरोध करते हैं?

श्री ए. सम्पत: जी हां महोदय, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान हमने एक अंग्रेजी कविता सीखी थी।

पूसी कैट-पूसी कैट, व्हेयर हैव यू बीन?
आई हैव बीन अप-टू लंदन टु लुक एट द क्वीन''

मात्र एक घंटे पूर्व, मैंने इस सभा में भी एक कविता सुनी: "माननीय मंत्रियों माननीय मंत्रियों कहां चले गए आप (व्हेयर हैव यू बीन?) जब हम इस सम्मानित सभा में सरकार द्वारा लाए गए एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो अनेक मंत्री अनुपस्थित थे। यह केवल आपकी सूचना के लिए है क्योंकि आपने जब सभा में प्रवेश किया तो यह घटना हो चुकी थी ...*(व्यवधान)* खैर, इसका उत्तर तो वे ही दे सकते हैं। यह मात्र आपकी सूचना के लिए है, क्योंकि यह देखना सत्ता पक्ष का प्राथमिक कर्तव्य है कि सभा में आवश्यक गणपूर्ति हो और विधेयक सुचारू ढंग से पारित हो। परन्तु अफसोस की बात है कि हमने ऐसा होते देखा। महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे मेरी शुभकामनाएं अब तक प्रेषित करने का निवेदन करना चाहूंगा।

यह विधेयक जिस प्रक्रिया को जारी रखने के विषय में है वह भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का निजीकरण करने की प्रक्रिया है। दो दशकों के भीतर, हमारी बैंकिंग व्यवस्था चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैकिंग व्यवस्था होगी। फिलहाल, हमारा बैकिंग नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हमारे बैंकों की शाखाओं में इसलिए वृद्धि हो पा रही है क्योंकि वे सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं। अब भारत सरकार से मेरा विनम्र प्रश्न यह है: मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सोने की इस चिड़िया को मारना चाहती है? अब जो भी वे कहें, यदि वे लाभ के बारे में कहते हैं तो मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन यह है कि: "पहले जनता, फिर मुनाफाखोरी" यह देश विश्व का सबसे बढ़ा लोकतंत्र है और विश्व का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है। हमारे देश के लोगों को और अधिक बैंक और बैकिंग सुविधाएं और अधिक कुशल सेवाएं चाहिएं। परन्तु, आज हो क्या रहा है? अब भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियों को भी हटा देना चाहती है क्योंकि उसके पश्चात ही सरकार इक्विटी बेच सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने-आप इसे नहीं बेच सकता। इसलिए, सरकार कुशलता में वृद्धि बैकिंग कार्यकलापों में वृद्धि और इनके विस्तार, ऋणदाय वृद्धि आदि के बहाने शक्तियां समाप्त कर रही है। आप कोई भी तर्क दें, लेकिन आपका वास्तविक उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समाप्त करना है।

उन देशों का अनुभव क्या है जहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण अथवा निजीकरण किया गया है? हमने आर्थिक मंदी का दौर देखा है जो अमरीका के भीषण आर्थिक संकट के कारण उत्पन्न हुई। यह षड्यंत्रपूर्ण संकट था; एक मानव-निर्मित संकट था; एक अपरिहार्य संकट था। उस समय हमारे अनेक मित्रों ने कहा: "नहीं यह मध्य पूर्व के देशों में नहीं फैलेगा ना ही इससे भारत प्रभावित होगा ना ही यह यूरोपीय देशों तक पहुंचेगा और हम सभी जानते हैं कि आइसलैंड में सत्ता-परिवर्तन हुआ; वहां विद्रोह हुआ; पूरे यूरोप में विद्रोह और बगावत हुई; लोगों ने ए.टी.एम. मशीनों को लूटा; बैंकों पर हमले किए और लूट तथा आगजनी की घटनाएं हुईं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यू.के. आज जो हो रहा है यह इसी कारण हो रहा है। परन्तु फिर आइसलैंड में सभी निजी बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय हमारे शासकों ने कहा आपकी अनुमति से मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी का कथन उद्धृत करने की अनुमति चाहूंगा, जो उन्होंने 8 अगस्त को तारांकित प्रश्न संख्या-82 के उत्तर में इस सम्मानित सभा में किया था—माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी व्यवस्था भिन्न है और क्योंकि हमारी व्यवस्था अलग प्रकार की है तो हमारे बैंकों ने हमारी वित्तीय व्यवस्था को बचाया है और हमारे बैंक तबाह नहीं होंगें। यह था उनका उत्तर; कि हमारे बैंक तबाह नहीं होंगे चूंकि हमारी अलग प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए, हमें वैश्विक आर्थिक मंदी और वहां घटित वित्तीय संकट के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु, भारत सरकार क्या चाहती है? वह क्या करने जा रही हैं? आप उन्हीं बैंकों के रास्ते का अनुसरण करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मात्र इसीलिए बड़ी चीज बेहतर को कहते हैं क्योंकि बाकी लोग छोटी-छोटी चीज को बेहतर कह रहे है।

मैं इस बात से चिन्तित नहीं हूं कि बड़ा सुन्दर है या छोटा सुन्दर है। मेरा राष्ट्र सुन्दर है, मेरा राष्ट्र सुन्दर होना चाहिए, और हमारे देश की जनता की चिन्ताओं को दूर किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं उस राज्य से आता हूं जहां की जनता मुझसे यह पूछ रही है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया व्यवस्था करे कि हमारा भविष्य क्या है। स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर की स्थापना के लिए भारत सरकार ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। त्रावणकोर के पूर्व महाराजा ने इस बैंक की भी स्थापना की थी। इस बैंक की सभी जमा राशियां विदेशों में काम करने वाले या भारत में काम करने वाली जनता और मेरे राज्य की जनता की हैं। यह जनता का पैसा है। अब भारत सरकार मुझे इस 'शब्द' का इस्तेमाल करने के लिए माफ किया जाए—इस बैंक को खत्म करना चाहती है। यह बैंक बुचड़खाने में अपनी बाहरी का इंतजार कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के साथ क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को बंद कर दिया।

सभापति महोदय: सम्पत जी, आप क्या बोल रहे हैं, क्या यह आपकी पार्टी की विचारधारा के विपरीत नहीं है?

श्री ए. सम्पत: जी नहीं, महोदय, मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की ही विचारधारा के अनुसार बोल रहा हूं। मैं अपनी पार्टी की विचारधारा और लोगों की चिन्ताओं का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसलिए मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को

बंद कर दिया, और अब वे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को बंद करने जा रहे हैं, जिसे जनता सहन नहीं कर सकती।

महोदय, भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्र का बैंक है। मुझे इसके कार्यकलापों पर गर्व है। सर्वाधिक संख्या में बिकने वाले मलयालम समाचार पत्र में मात्र एक समाचार है। हमारे कांग्रेस के सहयोगी भी खुश होंगे जब मैं यहां इस समाचार पत्र से पंक्तियां उद्धत करूंगा। इसमें एक समाचार दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कल माननीय केरल उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सहित कुछ बैंकों के उद्देश्य और खंडों पर गंभीर खेद व्यक्त किया है। वे शिक्षा ऋण देने के मामले में बहुत ही संकोची बाते करते हैं। हम सभी के बाल बच्चे हैं। यह-बच्चों का मामला है जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। एक बच्चे ने ऋण के लिए आवेदन किया। उसने घर और कृषि गत सम्पत्ति के साथ-साथ अपनी माता जी की 80 लाख रुपये की सम्पत्ति प्रतिभूति के रूप में दी। आवेदित ऋण की राशि मात्रा 20 लाख रुपये थी। बैंक प्रबन्धक ने कहा, यह ऋण नहीं दिया जा सकता है अब ऐसा घटित हो रहा है। इसके साथ-साथ एजेंट भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्व-वित्तपोषित शिक्षा संस्थानों के साथ-साथ मिली भगत से बैकिंग क्षेत्र में एक नया माफिया पनप रहा है। वे कह रहे हैं, "तुम वहां जाओ और दाखिला ले लो, हम तुम्हें ऋण दे देंगे। तुम उस बैंक में जाओ हम तुम्हें यहां दाखिला दे देंगे।"

यह तो तुम मेरा सिर खुजलाओ मैं तुम्हारा कंधा खुजलाऊंगा' वाली बात हुई यह वित्तीय क्षेत्र में हो रहा है। जो कुछ हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है, और जो कुछ भारतीय बैंक संघ ने कहा है, उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा हमारे बच्चों को शिक्षा ऋण का लाभ मिलना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक का विरोध करते समय मैं एक बात उठाना चाहता हूं। इन बैंकों में कितने पद रिक्त पड़े हैं? वे इसे क्यों नहीं भरते हैं? वे लोग आउटसोर्सिंग करने में लगे हुए हैं। आउटसोर्सिंग के नाम पर बैकिंग क्षेत्र में क्या हो रहा है? हम लोग उस भारत के संविधान के प्रावधानों के साथ समझौता कर रहे हैं, जिसका प्रारूप डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने तैयार किया था। सामाजिक न्याय कहां हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय से संबंधित कितने लोग बैंकों में कार्यरत है? उनकी संख्या कम होती जा रही है। उनमें से कितने अधिकारी वर्ग में कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। आउटसोर्सिंग के नाम पर वे लोग कुशल श्रमिकों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक न्याय कहां है? सामाजिक न्याय और आरक्षण के संबंध में केवल लच्छेदार भाषा ही काम नहीं करेगी जब कभी किसी वित्तीय संस्थान का निजीकरण किया जाता है, तो यह सामाजिक न्याय और आरक्षण के सिद्धांतों के लिए समय नष्ट करना जैसी बात होती है।

सभापति महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ए. सम्पतः महोदय, मैं एक आज्ञाकारी सदस्य हूं। निश्चित रूप से मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

महोदय, हमारे पास देश में हजारों की संख्या में ए.टी.एम. हैं। ए.टी.एम. का उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को आंख की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दृष्टिहीन हैं तथा ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सुन नहीं सकते। ए.टी.एम में कुछ इस तरह के प्रावधान किये जाने चाहिए जिनसे दृष्टिहीन व्यक्ति भी इनका उपयोग कर सकें।

मैंने भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि कई निशक्त लोग एटीएम की स्थिति तथा एटीएम की भाषा के कारण उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यदि आप अंग्रेजी चाहते हैं तो 1 दबाइए, यदि आप हिन्दी चाहते हैं तो 2 दबाइए और यदि आप स्थानीय भाषा मलयालम चाहते हैं तो 3 दबाइए। जब मैं 3 दबाता हूं तो यह अपने आप हिन्दी अथवा अंग्रेजी में चला जाता है। यदि मैं अंग्रेजी या हिन्दी नहीं जानता हूं तो मैं उस एटीएम का उपयोग कैसे कर सकता हूं? हमारे अधिकांश लोग देशी भाषा का प्रयोग करते हैं। किन्तु इन एटीएम मशीनों का निर्माण सुयोग्य, अत्यधिक कुशल, प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है और वे इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ये लोगों का पैसा है और वे इसका उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें देशी भाषाओं की सुविधा देनी चाहिए।

सभापति महोदयः धन्यवाद सम्पत जी।

श्री ए. सम्पतः महोदय मैं आपसे दया की अपील करता हूं। कृपया मुझे कुछ और समय दिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धन से भी जुड़ा हुआ है।

आज इस समय 25 पैसे, 50 पैसे पर प्रतिबध लगाया जा रहा है। कोई बच्चा दुकान पर जाकर यह नहीं कहता है कि अंकल 50 पैसे की टॉफी दे दीजिए। वह नहीं खरीद सकता क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निषिद्ध है। यह भारत में हो रहा है। कितने देशों ने छोटे मूल्य वर्ग के सिक्कों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और तो और चीन ने भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। हम 1 पैसे 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे, 25 पैसे इत्यादि के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रहे है। ये सारे सिक्के गायब हो रहे हैं। आपको

केवल एक रुपए के सिक्के का उपयोग करना पड़ेगा। आप एक सजा, एक जुर्माने को आकर्षित कर रहे हैं। इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध कर रहा हूं।

महोदय, हमारे यहां निजी बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंक भी हैं। किन्तु क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय विशिष्टता को समाप्त करने की आवश्यकता है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय विशिष्टता आवश्यक और अनिवार्य है। यह विधिताओं का देश है। यह विविधता हमारी एकता है और हमारी एकता की ताकत है।

सभापति महोदय: सम्पत जी, समय कम है, इसलिए कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ए. सम्पत: महोदय मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। हमारे बैंकों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए, मेरा तात्पर्य सामाजिक संवैधानिक दायित्व से है। मैं माननीय मंत्री और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह लोगों का धन है, यह राष्ट्र का धन है और इसे विदेशी बैंकों की दया या सनक के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम इस युग और इस स्थिति में किसी विदेशी हस्तक्षेप और सहायता के लिए नहीं पहुंचे हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्म की एक रिपोर्ट को उद्धृत करना चाहूंगा, यद्यपि कुछ लोग कई मामलों में इससे असहमत हो सकते हैं और मैं भी असहमत हो सकता हूं, उन्होंने इसे स्पष्ट किया है। यह एक अमेरिकी फर्म है जिसे प्राइस वाटरहाउस कूपर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि "विकासशील देशों के समूह ई-7, जिसमें हमें भी शामिल किया गया है; को पूंजी; निर्णय लेने या उपभोक्ताओं के लिए विश्व के अमीर देशों को समूह जी-7 की जरूरत नहीं है।"

इसलिए यह हम लोगों के लाभ के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लोगों के लिए है जिनके लिए अन्य विधेयकों के अभिन्न भाग के रूप में इस विधेयक को पुरस्थापित किया गया है और दुर्भाग्यवश इसे पारित किया जा रहा है तथा ऐसे और अधिक विधेयक आएंगे जिससे भारतीय वित्तीय क्षेत्र में यदि अराजकता की नहीं तो अव्यवस्था की स्थिति जरूर आ जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय आपने मुझे भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009 संबंधी चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में ऐसे प्रयास किए गए थे और गत शुक्रवार को इस सदन के नेता वित्त मंत्री ने सही कहा कि "हम एनडीए द्वारा निर्धारित कार्यसूची को ही कार्यान्वित करेंगे और हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है।" इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास है जो पिछले दो दशकों से चल रही है।

इस विधेयक को समर्थन देने में मेरी कुछ चिंताएं हैं। ये चिंताएं बैंकिंग क्षेत्र के कार्यकरण से संबंधित नहीं है बल्कि यह इस विधेयक से संबंधित है जो आज हमारे सामने है।

सरकार के विचार ऐसे कई संकेत हैं कि भारत में और बैंकों की आवश्यकता है इसलिए गत वर्ष के बजट में की गई वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में आरबीआई ने अगस्त, 2010 में एक विमर्श पत्र निकाला था जिसमें ये विचार मांगे गए थे कि क्या औद्योगिक घरानों बैंकिंग लाइसेंस को जारी किया जाना चाहिए या नहीं और साथ ही क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैकों में तबदील किया जाए या बैंकों को बढ़ावा दिया जाए या नहीं। मैं मानता हूं कि जिस रिपोर्ट को आरबीआई ने परिचालित किया था वह आज भारत सरकार के समक्ष होनी चाहिए।

सरकारी हलकों में यह चर्चा चल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और बैंक हों। कल हमने द्वितीय प्रश्न के रूप में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली से संबंधित एक प्रश्न को सूचीबद्ध किया है। वर्ष 1969-70 के बाद से चार दशक बीत चुके हैं। आज भी इस सदन में हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रशंसा सुनते हैं। किन्तु हमने क्या उपलब्धि हासिल की है? मैं मानता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित वर्ष 1969-70 की आशाओं को पूरा कर लिया है? अथवा क्या ऐसी कुछ कमियां रह गयीं हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है? मेरा मानना है कि मात्र 51 प्रतिशत आबादी को बैंकिंग क्षेत्र की सुविधा हासिल है।

आज हमारे देश में बैंकों की स्थिति क्या है? श्री मंडल द्वारा कुछ सूचना उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान समय में भारत में 89 अनुसूचित बैंक हैं जिनमें से 27 सरकारी क्षेत्र के बैंक 31 निजी क्षेत्र और 31 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। जिनकी कुल मिलाकर 53,000 शाखाएं और 17,000 ए.टी.एम. हैं। यदि ये आकड़े सही नहीं है तो मंत्री महोदय ठीक-ठाक बता सकते हैं इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानीय क्षेत्र बैंक शहरी सहकारी बैंक और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक भी हैं। इस प्रकार और अधिक बैंकों की आवश्यकता से आपका क्या अर्थ है? आपका अर्थ है कि और अधिक शाखाएं और अधिक बैंक होने चाहिए क्योंकि वे भिन्न-भिन्न विधिक निकाय हैं? हमें और अधिक क्या

चाहिए? क्या हमें और बैंकों की आवश्यकता है अथवा आज मौजूद बैंकों की और शाखाएं? मेरा मत है कि हमें दोनों की आवश्यकता है ऐसा इसलिए क्योंकि और अधिक बैंक होने पर और अधिक शाखाएं हो सकती हैं। अधिक बैंक होने पर अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। जब अधिक प्रतिस्प्रधा होगी और अधिक प्रकार के उत्पाद और सेवाएं और दोनों की बेहतर गुणवत्ता होगी। इन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ही बैकिंग क्षेत्र द्वारा ग्राहकों को बेहतर बैकिंग सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। ग्राहक सेवा की दशा की कल्पना कीजिए यदि अधिक शाखाओं का नियंत्रण लघु संलग्न बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाए।

इस संदर्भ में मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहूंगा जो गत शुक्रवार को हुआ। अधिकांश सरकारी बैंक हड़ताल पर थे।

परन्तु हमने देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया। मुझे अधिक प्रसन्नता होगी यदि और अधिक संख्या में बैंक हो। इसी संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक का इसके सहायक बैंकों, स्टेट बैंक आफ इंदौर, स्टेट बैंक आफ पटियाला और स्टेट बैंक और हैदराबाद में विलय का विरोध किया गया था। एक समय जब सरकार ने बैंकों की संख्या में वृद्धि करने की इच्छा व्यक्त की और जब इसके अपने बैंक आगे बढ़ रहे थे सभी सहायक बैंकों का विलय कर एकीकरण करने का कोई मतलब नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अधिकारिक रूप से यह कहा है कि बैंकों के समेकन की पहल स्वयं बैंकों के प्रबंधन की ओर से आनी चाहिए और सामान्य शेयर धारक के रूप में सरकार को एक सहायक की भूमिका अदा करनी है। सरकार स्वयं अपने-आप को सहायक भूमिका तक कैसे सीमित कर सकती है? यह स्वीकार्य नहीं है। विलय के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण द्वैधवृत्ति का परिचायक है। इस पहलू पर हमें अत्यंत स्पष्ट होना होगा।

हमारे समक्ष वर्तमान विधेयक तथापि यह भारतीय स्टेट बैंक संशोधन अधिनियम 2007 के अनुसरण में भारतीय स्टेट बैंक का स्वामित्व भारतीय रिजर्व बैंक से हस्तांतरित कर केन्द्र सरकार को सौंपने से संबंधित है।

वर्ष 1998 में नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट में टिप्पणी की गई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक व्यवस्था के विनियामक के रूप में हितो के टकराव की सम्भावना के मद्देनजर बैंक का स्वामी नहीं होना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के साथ विलय के संबंध में सरकार के नीतिगत रुख में यह कहा गया था कि समेकन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, प्रशासनिक व्ययों को कम करेगा व्यवसायिक विकास के लिए प्रशिक्षित श्रमशक्ति की पुनर्तैनाती और व्यवस्थित करेगा उसी कार्यकलाप में संलिप्त उसी क्षेत्र और भौगोलिक स्थिति में और इसी प्रक्रिया में उसी समूह के विभिन्न आनुषंगिकों से प्रतियोगिता से बचाव को भी कम करेगा। इस प्रकार के विलय से अनेक कर्मचारी प्रशासनिक कृत्यों से मुक्त हो जाएगें और उन्हें विकास-ऋण देने के कारोबार में तैनात किया जाएगा और इससे कारोबार और लाभ में समग्र विकास होगा। मैं यह भी समझना चाहता हूं कि चार वर्ष पूर्व क्या घटित हुआ है। आप सभी तक कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। हमारे पास भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक का लिखा पत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कारोबारी प्रतिनिधि किस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक के कतिपय ग्राहकों को लूट रहे हैं और कारोबारी प्रतिनिधियों को नियुक्ति से दूर रहने को कहा है जिनके बारे में मेरे कामरेड मित्र ने माफिया शब्द का प्रयोग किया है।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय मैं दो मिनट और लूंगा।

सभापति महोदयः ठीक दो मिनट लीजिए।

श्री भर्तृहरि महताबः यह वास्तविकता है कि कर्मचारियों के बारे में इस वाद-विवाद के आरम्भकर्ता द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि विलय के पश्चात कर्मचारी बेहतर स्थिति में होंगे परन्तु समस्या उन व्यक्तियों को लेकर है जो पहले ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं। विधेयक में पेंशन जैसे मुद्दों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

क्या आप विलय हुए अनुषंगी बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन-भुगतान का ध्यान रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक पेंशन निधि नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं? इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

मेरे विचार से भारतीय स्टेट बैंक और विशेष रूप से इसके अनुषंगी बैंको को विनियमित करने वाले अधिनियम में विधायी परिवर्तन करने के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण और रवैया ढुलमुल है आपने एक संशोधन 2007 में और दूसरा 2009 में किया। अब आप 2011 में संशोधन के लिए एक और विधेयक लाए हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

कृपया तदर्थवाद को दरकिनार कीजिए। एक विस्तृत विधेयक लाइए, ताकि मेरे विचार से वह सभा का आपको पूरा समर्थन दे।

पिछले शुक्रवार की सुबह मैंने सरकार का ध्यान एसबीआई समूह के बैंकों के भारी गैर-निष्पादक अस्तियों की ओर दिलाया था। एस बी आई प्रबंधन की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फटकार के बाद

आपका क्या उत्तर है? मुझे उस दिन उत्तर नहीं मिला था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि फुरसत में आप उसका उत्तर देंगे। क्या मैं यह मान लूं कि एस बी आई भारी आयकर के बैंक को संभाल पाने में असफल है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके बारे में अपनी नीति बताए।

मैं समनुषंगी बैंक विधि अर्थात भारतीय स्टेट बैंक समनुषंगी बैंक विधि (संशोधन अधिनियम, 2007 में किए गए संशोधन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को समनुषंगी बैंक के फ्रेंचाइजी से समनुषंगी बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष को नामित करने की शक्ति भी प्रदान करता है तथा समनुषंगी बैंक के निदेशक मंडल को कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसे अभी लागू किया जाना है मैं जानना चाहता हूं क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक निधि नियमों में संशोधन किए जाने दें। क्यों? क्या यह विलय हुए समनुषंगी बैंकों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक नहीं है?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अब श्री प्रबोध पांडा की बारी है। कृपया नोट कर ले कि समय की सीमा है।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): सभापति महोदय, मैं समय की सीमा से अवगत हूं लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे सभी बिन्दुओं पर चर्चा करने की अनुमति दें। मैं कोई बड़ा भाषण नहीं देने जा रहा हूं।

महोदय, मै इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भारतीय स्टेट बैंक की वस्तु स्थिति और दशा का वर्णन किया कांग्रेस दल के वक्ता माननीय डा. के. एस. राव ने पहले ही भारतीय स्टेट बैंक जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, के दायित्व और इसके सामाजिक दायित्व के बारे में बताया है। मैं इन बातों पर चर्चा नहीं करूंगा।

महोदय, यह पता चला है कि भारतीय स्टेट बैंक, जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, अब एक बड़ा सफेद हाथी बन गया है इस हाथी की दशा क्या है? मेरे पूर्व वक्ता ने पहले ही यह बताए दिया कि एन बी ए बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। दो वर्ष पहले, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया—इसे अखिल भारतीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित किया गया कि सभी 110 राष्ट्रीयकृत बैंकों की एन पी ए लगभग एक लाख करोड़ रुपए है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक का है। एक करोड़ रुपए से अधिक के चूककर्ता अरबपति लोग हैं। अत: ऐसी स्थिति है। दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक का लाभ दिन-प्रतिदिन कम हो रहा है।

रिक्तियों की स्थिति क्या है? बहुत सारे पद खाली हैं। आज जरूरत किस बात की है? गांवों में और अधिक शाखाएं खोली जाए। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों का बड़ा भाग इस कवरेज से बाहर है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कानून हानिकारक है और इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

बल्कि इससे भारतीय स्टेट बैंक और केन्द्र सरकार को और ज्यादा शक्तियां मिल जाएंगी।

महोदय, इस विधेयक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम में 1959 में संशोधन किया जा रहा है। इन दो अधिनियमों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सभी समनुषंगी बैंकों को विनियमित किया जाता है।

अत: भारतीय स्टेट बैंक समनुषंगी बैंकों का विनियामक था। अब इस नए कानून से सभी बैंकों का नियंत्रण विनियामक के रूप में नहीं बल्कि आधिकारिक रूप में होगा और इस संबंध में केन्द्र सरकार को अधिक शक्तियां मिलेंगी।

इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि इक्विटी शेयर जारी करके, पब्लिक इश्यू जारी करके अधिमानी आवंटन कर या बोनस शेयर जारी करने के माध्यम से निजी प्लेसमेंट द्वारा अपनी निर्गम पूंजी बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी की जरूरत है। अत: इससे इन बैकों के निजीकरण के द्वार खुल जाएंगे। यह इस विधेयक का सार है।

अन्य निर्णय, जिनमे भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के साथ परामर्श करके केन्द्र सरकार से मंजूरी की जरूरत है, में शामिल हैं समनुषंगी बैंकों निदेशक मंडल की संरचना समनुषंगी बैंक के निदेशकों का नाम निर्देशन या नियुक्ति प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और निदेशकों को हटाने के मामले अत: इससे इन बैंकों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया सीमित हो जाएगी इस प्रकार का विधान हमारे समक्ष लाया गया है।

कुछेक मामलों में एस बी आई की सिफारिश पर आर बी आई समनुषंगी बैंक के निदेशक मंडल को अधिकांश कर सकता है तथा निदेश जारी कर सकता है।

महोदय, इस विधेयक से और निजीकरण के द्वार खुलने जा रहे हैं, यह विधेयक समनुषंगी बैंकों के अधिकारों को कम करने जा रहा है। यह विधेयक भारतीय स्टेट बैंक की क्षमता को नुकसान

पहुंचाने जा रहा है तथा यह विधेयक हमारी बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसी कारण, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। पर मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

महोदय, एक दिन इस सम्मानित सभा में माननीय वित्त मंत्री ने गर्व से कहा: "हम इस अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी द्वारा बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं और यह हमारी बैंकिंग प्रणाली के मजबूत स्वास्थ्य के कारण है।" परन्तु आप, सरकार अब हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली को कदम-दर-कदम कमजोर करने जा रही है। यह विधेयक ऐसा ही एक कदम है। इसी कारण में इसका विरोध कर रहा हूं।

मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी तथा ऐसा नहीं करेगी। यदि हम अपने देश की आर्थिक शक्ति या स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो सरकार को सभी समनुषंगी बैंकों के अधिकारों को समाप्त नहीं करना चाहिए। विलय पर अब और आगे मत बढ़िए। बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करें, कमजोर नहीं।

ये मेरी मुख्य बातें हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः श्री रघुवंश प्रसाद सिंह। कृपानिधान जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। समय का थोड़ा ध्यान रखिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): जी। सभापति महोदय, यह जो बैंक से सम्बन्धित विधयेक सरकार के द्वारा आया है इसमें सरकार ने दावा किया है कि सन् 2007 में यह कानून बना था, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मिल्कियत थी, उस मिल्कियत की जगह पर सैण्ट्रल गवर्नमेंट आ जायेगा। वह मिल्कियत रिजर्व बैंक के बदले सैण्ट्रल गवर्नमेंट होने से उनको कानून लाना पड़ा, जो सन् 1956 का कानून हैदराबाद स्टेट बैंक का था और सन् 1959 का कानून जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी वाला कानून है, उसमें इस संशोधन का इन्होंने दावा किया है।

महोदय, हम नहीं जानते हैं कि बैंकिंग मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा काबिल है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट ज्यादा काबिल है। इस सब की हमको जानकारी नहीं है। इस मामले में गांव-ग्राम से अधिक हम नहीं जानते, लेकिन सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बदले अपने पास उस मिल्कियत को ले लिया, उसके चलते यह कानून आया। पुराने जमाने में सरकार के वित्त मंत्री ने रिजर्व ऑफ इंडिया गवर्नर बहाल किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर मंत्री हो गये, प्रधानमंत्री हो गये और वित्त-मंत्री वित्त-मंत्री ही रह गये तो यह पुराने जमाने से चल रहा हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में मिलकियत है, तो हमारा सवाल नंबर एक है, हमारे वामपंथी मित्र से कहना चाहता हूं कि पांच तारीख को देश भर में बैंक की हड़ताल हुई, तो आपने क्यों नहीं इस सवाल को उठाया? किस वास्ते यह हड़ताल हुई? वर्ष 2007 के कानून के मुताबिक ये कानून लेकर वर्ष 2011 में आए हैं। इन्होंने दावा किया कि वर्ष 2007 में जो कानून बना था, उसके चलते वर्ष 2011 में यह हो रहा है, तब तो यह चार वर्ष विलंब से अब हुआ। 5 अगस्त को देश भर में बैंकों की हड़ताल हुई। इसमें कितनी बर्बादी हुई, उनकी मांग क्या है? आज छः दिन के बाद हम बैंक पर विधेयक पर बहस चला रहे हैं। इसमें सवाल नंबर एक है कि उनकी मांगें क्या थीं, क्यों हड़ताल हुई और देश की कितनी बर्बादी हुई और कारोबार में कितना नुकसान हुआ? इसका जवाब दें।... *(व्यवधान)* आज मौका मिला, यह तो वर्ष 2007 के कानून की बात है, हम तो छः दिन बाद बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः रघुवंश बाबू, आसन की ओर देखकर अपनी बात कहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, अब मेरा सवाल नंबर दो है।

सभापति महोदयः आप कहां तक जाएंगे?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः चार से ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। इस बिल में है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को बहाल करने में और इस सब में सरकार के हाथ में यह हो गया। अभी स्टेट बैंक में पचास एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लोग और सौ पीओज बहाल हुए। पीओ बहाल होने के लिए कंपटीशन होता है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कंपटीशन से बहाल हुआ। पीओ का प्रोबेशन दो वर्ष का है, जिसमें 730 दिन होते हैं। 729वें दिन सौ पीओज को हटा दिया और पचास लोग मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के हटा दिए गए। अभी इस घटना के कुछ दिन ही हुए हैं। उसका साल भर का टाइम था, लेकिन उसे 365 दिन के बदले 364वें दिन हटा दिया। यह सरकार को जानकारी है, हटाने की, रखने की आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन स्टेट बैंक में अभी पचास मैनेजमेंट एग्जीक्यूटीव को हटा दिया गया और सौ पीओज को हटा दिया गया। अगर एक साल पूरा हो जाता तो उसका अधिकार बन जाता, आप लोग कानून के बारे में ज्यादा जानते हैं। एक साल तक उनको मनमानी करने का हक है। 365

दिन के बदले 364वें दिन उसे एक कलम के आर्डर से हटाया। उनका क्या कसूर है? मैं यह इंसाफ चाहता हूं। मैं सदन को जानकारी देकर न्याय चाहता हूं। वह कहते हैं कि नौकरी दी जाए, कर्मचारियों की कमी है और लड़ाई लड़ते हैं कि आउट-सोर्सिंग हो रही है, जबकि यह तो कंपटीशन से बहाल आदमी को मनमाने ढंग से हटाया। वे सब अभी कोर्ट में दर-दर भटक रहे हैं। वे मेधावी लड़के जो कंपटीशन से मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में और पीओ के पद पर बहाल हुए थे, कुछ डेढ़ सौ आदमियों को हटाया गया। सवाल नंबर दो का जवाब दें कि क्या सरकार को जानकारी है? उनके साथ क्या न्याय हुआ है, उसका क्या कसूर है कि 365वें दिन के बदले 364वें दिन हटा दिया? उन्होंने कहा कि हमें पावर है कि साल भर के अंदर में हम जब चाहेंगे उनको हटा सकते हैं। यह कौन सा कानून है, यह कहां का न्याय है, कहां की डेमोक्रेसी है, कहां है जनतंत्र, कहां है संविधान? यह बहुत भारी अंधेर हुआ। मेरा स्पेसिफिक सवाल नंबर दो है कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि नहीं?...*(व्यवधान)* यह दूसरा सवाल है।

सभापति महोदय: टोटल तीन हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमें कैटेगरीकली जवाब नहीं चाहते, एक्शन चाहते हैं कि उनको फिर से बहाल किया जाए। उनको क्यों हटाया गया? यदि कोई कसूर है, तो मैं नहीं कहूंगा। कोई हेराफेरी या गड़बड़ी है, तब मैं इसके लिए नहीं कहूंगा। बिना कोई हेरा-फेरी, बिना कोई कसूर बिना कोई शोकाज, बिना कोई जांच-पड़ताल के 100 पीओ एवं 500 एक्जक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफिसर जो पीओ से थोड़ा ऊपर रैंक के होते हैं उनको हटा दिया गया। 365 दिन नहीं पूरा होने दिया, 364वें दिन उन्हें हटा दिया। 730 दिन पूरा नहीं होने देंगे, 729वें दिन उन्हें हटा दिया। मैंने ऐसा अंधरगर्दी न तो देखा है और न सुना है। दुःख है, अफसोस है, आश्चर्य ही नहीं गुस्सा भी है। सरकार को बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है? जो गलत निर्णय हुआ है उसको सुधार कर सदन में जवाब देना पड़ेगा।

सभापति महोदय: धन्यवाद

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह: जिन्हें गलत हटाया गया है उन्हें बहाल किया जाए। नहीं तो वे गरीब लड़के कोर्ट-कचहरी जा रहे हैं। बेरोजगारी का सवाल है। वे मेधावी लड़के हैं। वे कंपीटीशन से आए थे।

सभापति महोदय: तीसरा प्वाइंट बोल कर समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: तीसरा, गांवों में बैंक नहीं है। गांवों में बहुत बैंक जाना भी नहीं चाहता है। बैंक बहुत सिमट रहा है। दावा बहुत हो रहा है। गांवों में बैंक की शाखाओं की इतनी कमी और गांवों में बसने वालों को कितना ऋण मिला तो 7 प्रतिशत। अर्धशहरी और शहरी लोगों को 92 परसेंट ऋण मिलता है। यह क्या हिसाब चल रहा है? देश कहां जा रहा है? ये कहते हैं कि गांव वालों को बैंक की कहां सहायता है। वे अभी भी पुराने जमाने में चल रहे हैं। बैंक भी अब साहूकार हो रहा है। वह गांव में नहीं जाना चाहता है। इसलिए अभी-अभी हाल में मुजफ्फरपुर जिला का ग्रामीण बैंक, बारून थाना में सरमसपुर मैनेजर के ऊपर भी हंगामा है, एजिटेशन चल रहा है ग्रामीण बैंक के लोग कर्मचारी अधिकारी. ..*(व्यवधान)* गांव में बैंक का सवाल आया तो परेशानी शुरू हो गई। गांव की आबादी 72 परसेंट और लोन 7 परसेंट। कर्जा भी नहीं दे रहे हो तो उनको रोजगार कहां तक दोगे। महोदय गांव के लोगों का क्या हाल है?

सभापति महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं यह बता रहा था कि बारून थाना के सरमसपुर गांव का मैनेजर दलाल के चंगुल में नहीं आया। उसको मार कर टांग दिया और बाहर से ताला बंद कर चला गया। दो रोज के बाद जब दुर्गन्ध हुई तब वहां लोग पहुंचे। ग्रामीण बैंक का यूनियन संघर्ष कर रहा है कि सीबीआई जांच कराओ। लोकल पुलिस को अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कहते हैं कि आश्रित को नौकरी दो। उसके बाल-बच्चा का क्या होगा? गांव के बैंक में काम कर रहा था इसलिए जान मार से दिया।

सभापति महोदय: अब कृपया संक्षिप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उसकी हत्या हो गई। यूनियन के लोग लड़ रहे हैं। सवाल नम्बर तीन हम सरकार से चाहते हैं।

सभापति महोदय: तीन हो गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उसके आश्रित को नौकरी दी जाए और सीबीआई से जांच कर उनको पकड़ा जाए। अंत में यह कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर बैंक का सवाल स्पेसिफिक है। मुजफ्फरपुर में कैनरा बैंक का रिजनल ऑफिस था, उसे हटा दिया। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजनल ऑफिस डिजर्व करता था, सब बैंक वाले आए थे हमारे पास, कहा बैंक का भी कुछ आए तो उसमें हम लोगों का सुना जाए। आप जानते है कि बिहार में पटना के बाद मुजफ्फरपुर बिहार की राजनैतिक राजधानी है। सब जगह बैंक बढ़ रहा है वहां बैंक घट रहा है। देहात में तो नहीं है वें। मुजफ्फरपुर में भी कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक का रिजनल ऑफिस होना चाहिए।

बैंक के बिना गरीबी कैसे हटेगी। बैंक मे 20 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। गरीब लोग अपना पेट काटकर बैंक में पैसे जमा करते हैं। *(व्यवधान)* लेकिन उन्हें लोन नहीं मिलेगा। लोन दूसरे लोगों को मिलेगा। ...*(व्यवधान)* ये लोग एनपीए, एनपीए भाषण कर रहे थे। एनपीए की जांच की जाए। ...*(व्यवधान)* ऐसा असैट जो परफार्म नहीं करे। जो परफार्म नहीं करे, क्या वह असैट हुआ? यह चालाकी है। यह गलत पॉलिसी है जो परफार्म नहीं करे। ...*(व्यवधान)* बड़े लोगों ने लूट का पैसा लेकर डुबा दिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश जी, मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सब लोग एनपीए, एनपीए कहते हैं।. ..*(व्यवधान)* बड़े लोगों ने पैसा डुबा दिया। ...*(व्यवधान)* उसमें कितने प्रतिशत पैसा गरीब लोगों ने लिया है और कितने प्रतिशत बड़े लोगों ने लिया है। ...*(व्यवधान)* इसका हिसाब भी होना चाहिए। यहां लोग घालमेल कर रहे हैं, यह सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब केवल श्री सेम्मलई की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): सभापति महोदय, मुझे चर्चा में भाग लेने का सुअवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। कई सदस्यों ने हमारे देश मे विद्यमान बैंकिंग प्रणाली पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं अपना भाषण प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में ही सीमित रखता हूं क्योंकि यह संशोधन विधेयक है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक के बजाय केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करना है तथा आर बी आई के स्थान पर केन्द्र सरकार को रखना है। प्रस्तावित विधेयक का अध्ययन करके मैंने यह समझा है कि स्टेट बैंक का स्वामित्व आर बी आई से हटकर केन्द्र सरकार के पास चला जाएगा तथा भारतीय स्टेट बैंक का नियंत्रण आर बी आई से हटकर केन्द्र सरकार के पास चला जाएगा इस विधेयक में कई प्रशासनिक तथा तकनीकी मुद्दों पर पहले आर बी आई की मंजूरी एवं परामर्श से जुड़े उपबंधों में संशोधन करने के बारे में प्रस्ताव किया गया है। अब इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से केन्द्र सरकार के अनुमोदन तथा परामर्श से शब्द शामिल किया गया है। तकनीकी रूप से यह अच्छा और सही हो सकता है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस सम्मानित सभा को आरबीआई के दर्जे पर विचार करना चाहिए। आर बी आई स्वायत्त निकाय है तथा केन्द्र सरकार का बहुत जवाब देह निकाय है। यह सभी बैंकिंग मामलों के संबंध में भी विशेषज्ञ निकाय है। नि:संदेह भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है। मंत्रालय प्रमुख विशेषज्ञ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है परन्तु आर बी आई का प्रमुख विशेषज्ञ जरूर होना चाहिए।

वर्तमान प्रणाली में आर बी आई में दक्षता है। वित्त मंत्री भी इसे पूरी तरह जानते हैं। सरकार को आर बी आई के विशेषज्ञ प्रबंधन में पूरा विश्वास है। स्पष्ट तौर पर अभी भी यह केन्द्र सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं है। तब इस उपबंध में संशोधन की जरूरत क्या है? मेरी आशंका यह है कि यदि केन्द्र सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से स्टेट बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण पर नियंत्रण करती है तो इससे स्टेट बैंक एवं इसके समनुषंगी बैंकों के संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप निश्चित रूप से आ जाएगा। उद्देश्यों और कारणों के कथन में चाहे कुछ भी उल्लिखित हो। राजनीतिक हस्तक्षेप से व्यवस्था निश्चित रूप से कमजोर होगी और इससे इस संस्था की आधारभूत संरचना हिल जाएगी। इससे कार्य क्षमता भी निश्चित रूप से कम होगी क्योंकि यदि ऐसा कर दिया जाता है तो हम इसी प्रकार की कार्य क्षमता की आशा नहीं कर सकते। मुझे यह भी आशंका है कि भविष्य में भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन असफल हो जाए।

मैं यहां एक सुझाव देना चाहता हूं। यदि सरकार इस संशोधन को पारित करने पर विशेष जोर दे रही है तो ऐसे मामलों में जब केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया जाना हो उन मामलों हेतु परामर्श अथवा उसकी सिफारिशों को बाध्यकारी करने के बारे में एक प्रावधान भी बनाया जाना चाहिए। यदि मेरे सुझाव को शामिल कर लिया जाता है अथवा इस पर विचार किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रसन्नता जारी रहेगी और मूलभूत ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा पक्का विश्वास है कि वित्त मंत्री मेरे इस सुझाव पर गौर करेंगे।

***श्री प्रशान्त कुमार मजुमदार** (बालुरघाट): माननीय सभापति महोदय मैं भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक 2009 का विरोध करता हूं। हमें सदस्य बचपन से यह सोचते आए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार एक ही चीज है। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक की अपनी पहचान और स्वायत्तता है लेकिन इन विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान पर केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद इसका तात्पर्य हुआ कि सरकार

*मूलत: बांग्ला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

भारतीय रिजर्व बैंक की सारी शक्तियां हड़पना चाहती है। इसका कारण यह है कि वैश्वीकरण के युग में सरकार का मानना है कि इसका अनिवार्य दायित्व विदेशी वाणिज्यिक बैंकों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। हमारे देश में, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक और अनेक अन्य छोटे बैंक हैं। अनुषंगी बैंक क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं और अपने क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन बैंकों का पहले भी विलय किया गया है अभी भी यह नीति जारी है। चाहे यह बैंक ऑफ इंदौर हो, या बैंक ऑफ सूरत हो, इन बैंकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रयास नहीं किए गए हैं। इनके कर्मचारियों के लाभ हेतु जो कायदे किए गए थे वे पूरे नहीं किए गए हैं। अब सरकार इन सभी छोटे बैंकों के कामकाज को नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है। मैं इसी कारण से इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। और इसी कारण के चलते बैंक कर्मचारियों ने 5 अगस्त को हड़ताल की थी। यह हड़ताल अत्यंत सफल रही जो सरकार की बैंकिंग क्षेत्र को भारी हानि पहुंचाने वाली नीति के विरोध में थी। हम सभी जानते है कि राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बैंकों को खोला जाना चाहिए। भारत में 6 लाख गांव हैं। बजट भाषण में घोषणा की गई थी कि दो हजार अथवा इससे अधिक किसान आबादी वाले गांवों में बैंकों की 73,000 शाखाएं खोली जाएंगी। लेकिन वास्तविकता एकदम विपरीत हैं। स्टेट बैंक विशाल परिसरों में कार्य करता है लेकिन भारतीय स्टेट बैंक से किसानों को ऋण नहीं मिलता। जब लोग शिक्षा ऋण और स्वास्थ्य ऋण अथवा गृह ऋण हेतु भारतीय स्टेट बैंक के पास जाते हैं तो उन्हें अपना ऋण स्वीकृत करवाने के लिए दर-दर की ठोकर खानी पड़ती है अथवा उन्हें कई बार एकदम मना भी कर दिया जाता है। अत: मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक देश के आम नागरिकों के हित में नहीं है।

तथापि, देश की अर्थ-व्यवस्था की सतत् प्रगति के लिए बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसके लिए गांव आधारित बैंकों की आवश्यकता है जिनकी संख्या अत्यंत कम है। गांवों में स्थित बैंकों में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों की इतनी कमी होती है कि कई जगह तो एक या दो कर्मचारी ही बड़ी मुश्किल से बैंक चला रहे हैं। इस प्रगतिगामी युग में ऐसी स्थिति को जारी नहीं रखा जा सकता।

इसके अतिरिक्त, इस विधान के कारण कुछ कानूनी जटिलताएं उत्पन्न होंगी, अर्थात् यदि भारती रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियां केन्द्र सरकार को प्रदान कर दी जाती हैं तो शक्ति के दो केन्द्र होंगे जिनके कारण जिम्मेदारी तय करने में समस्याएं आएंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के दैनिक काम-काज में स्थानीय लोगों को अधिकाधिक रूप से शामिल किया जाए। इससे बैंक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना और अपने ग्राहकों के हित में कार्य करना सीखेंगे।

ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बैंक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि वे गरीब आम आदमी के भले के लिए कार्य कर रहे हैं परन्तु उनके कार्य के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि देश की बैंकिंग प्रणाली से लोग लाभान्वित हो सकें। यह स्पष्ट है कि भारत सरकार विदेशी खुदरा निवेश के पक्ष में है जिससे छोटे, स्वदेशी और स्थानीय व्यापारियों का घोर अहित होगा। बालमार्ट अथवा रिलायंस अथवा अन्य विदेशी कंपनियों को देश में अपना जाल बिछाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है इससे अपने व्यावसायिक समुदायों को हानि होगी। इस संदर्भ में बैंकों की भूमिका भी संदिग्ध है। इसलिए मेरा कहना है कि जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है वह हमारे देश के लोगों के लिए लाभप्रद नहीं है। क्षेत्रीय बैंकों को भी पल्लवित पुष्पित होने का अधिकार जरूर दिया जाना चाहिए तथा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए इस विषय पर मुझे अभिव्यक्ति की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नरहरि महतो (पुरूलिया): माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंकिंग कानून) विधेयक संबंधी इस विधान पर चर्चा में भाग लेने के लिए मौका देने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

कई माननीय सदस्यों ने इस विधान के कई पहलुओं के बारे में चर्चा की है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मैं यहां कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। भारतीय स्टेट बैंक बड़ी संस्था है पर इस संस्था की असंरचना हमारे देश में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित स्तर तक नहीं है। इसलिए भारतीय स्टेट बैंक को गरीब और आम आदमी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी अवसंरचना का विकास करना है।

जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की केवल कुछ ही शाखाएं हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं नहीं है। मेरे जिले पुरूलिया में अधिकतर ब्लॉकों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं नहीं है, जहां भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं हैं वे लोगों की मांगों को पूरा नहीं करतीं। गरीब लोगों के कल्याण पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है।

हमने कई रिक्तियां सृजित होती तथा उसे विज्ञापित होते देखा है। हालांकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को रिक्त पदों पर लंबे समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भारतीय स्टेट बैंक की अवसंरचना का विकास करते समय कल्याण पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले बजट में हमारे वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया था कि भारतीय स्टेट बैंक की ज्यादा शाखाएं खोली जाएंगी पर आज तक मेरे जिले में भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) की एक भी शाखा नहीं खोली गयी है।

कुछ दिन पूर्व 5 अगसत को एस बी आई तथा अन्य बैंक के कर्मचारियों ने दुर्विनियोजन तथा सरकार की खामियों के खिलाफ हड़ताल कर दी थी तथा यह पूरी तरह सफल रही थी। सरकार जो भी आश्वासन दे, उसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए।

मेरा मत है कि सरकार युवाओं को शैक्षिक ऋण प्रदान करना कम कर रही है। कई मानदंड हैं। लोग शैक्षिक ऋण के लिए बैंक जाते हैं। कुछ लोग नियमित रूप से जाते हैं पर ऋण मंजूर नहीं किया जाता। उन्हें बैंक के किसी निर्णय को बताकर लौटा दिया जाता है। बैंकों को हमारे देश के आम आदमी की ओर सामाजिक उत्तरदायित्व को जरूर बढ़ावा देना चाहिए। एस बी आई देश की 100 प्रतिशत सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही है। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। यह विधान से ग्रामीण क्षेत्रों के आम आदमी के समुचित कल्याण को अंततः पूरा नहीं करेगी। इसी कारण में फिट कहता हूं कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलेवली): महोदय, मुझे भारतीय स्टेट बैंक (सुमनुषंगी बैंक अधिनियम मे) संशोधन विधेयक 2009 पर बोलने के लिए मौका दिया गया है। यह महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस संशोधन विधेयक के संबंध में सरकार का समर्थन करता हूं।

किसी राष्ट्र के विकास के लिए ठोस वित्तीय प्रबंधन जरूरी है। पैसा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता रहता है। यह मार्शल का कथन है। हमारी बैंकिग प्रणाली बहुत अच्छी प्रणाली है तथा यह विश्व स्तरीय प्रणाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी मैडम श्रीमती इंदिरा जी ने 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। हमारे साम्यवादी सदस्य श्री सम्पत ने कहा कि उन्हें कुछ आशंका है कि क्या यह निजीकृत होने जा रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे इससे भयभीत नहीं हो। उन्हें लोगों में ऐसा संदेश नहीं भेजने दें। मैडम इंदिरा गांधी ने सभी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया तथा हमारे देश में बैकिंग क्षेत्र में जबर्दस्त वृद्धि हुई थी। केवल यही नहीं है। वहां लगभग 10 लाख कामगार कार्य कर रहे हैं। साम्यवादी लोग कर्मचारियों के बारे में बात नहीं कर रहे। वे इसे पूरी तरह भूल गए हैं। हमने वेतन तथा अन्य चीजों सहित पूरा अवसर दिया है।

पूरे विश्व में वित्तीय संकट है। इस संकटपूर्ण स्थिति में हमारे बैंक अच्छी स्थिति में हैं। हमने संकट का सामना किया है। कैसे-कैसे यह हमारी बैंकिग प्रणाली या आर बी आई प्रणाली के कारण है। हमारे पास शीर्षस्थ बैंक आर बी आई है। यह सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का नियंत्रण कर रही है। यह उसे व्यवस्थित रूप से नियंत्रित कर रही है। हमारे देश में योग्य वित्त मंत्री हैं। हमारे पास शीर्षस्थ बैंक रिजर्व बैंक है। यह नियंत्रणकारी उपकरण है। वहां मौद्रिक उपकरण न केवल सभी वाणिज्यिक बैंकों बल्कि निजी बैंकों विदेशी बैंकों आदि को नियंत्रण करने के लिए है। ये सभी हमारी बैंकिंग प्रणाली द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं यह समुचित तौर पर किया जा रहा है। इसी कारण हम आजकल संकट का सामना कर रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्योंकि वह सहमत नहीं है इसलिए कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. रामासुब्बु: मैं सहमत नहीं हूं। मैं तो सच्चाई बतला रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रामासुब्बु के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री एस.एस. रामासुब्बु: महोदय, आजकल हमें विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। हमें सुदृढ़ पूंजी आधार वाले और त्वरित कार्य करने वाले वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकता है। इस संबंध में हमें स्टेट बैंक के सभी अनुषंगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रामासुब्बू के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री एस. एस. रामासुब्बु: ब्याज की दर काफी कम है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। विभेदकारी ब्याज

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दरों के लिए यहां कोई प्रावधान होना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी को सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे ब्याज दरों का निर्धारण कर रहे हैं। हम ब्याज दर निर्धारित कर रहे हैं; भारतीय रिजर्व बैंक अनुषंगी बैंकों की ब्याज दरों को नियंत्रित कर रहा है। ये ब्याज दरें विभिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न नहीं होनी चाहिए। हमें सावधान रहना है। कुछ बैंक उच्च ब्याज दर तय कर सकते हैं और वे लाभ कमाने की मंशा से ऐसी दर तय करते हैं। किन्तु हमें एकमत से ब्याज दरों को निर्धारित करना है; यही मेरा सुझाव है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। सभी सदस्य एनपीए के बारे में बात कर रहे थे। हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि एनपीए न्यूनतम स्तर पर है तथा और एनपीए नहीं है। किन्तु ऋण प्रभावित नहीं होना चाहिए।

मैं एनपीए के संबंध में अपने वित्त मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। यह एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। बैंक लघु उद्योगों को ऋण प्रदान कर रहा है। बैंक अधिकारी आकलन कर रहे हैं। लघु उद्योगों को आंशिक रूप से ऋण प्रदान किया जाता है–बैंक या तो मशीनरी के लिए ऋण प्रदान करते हैं या भवनों के लिए किन्तु वाहनों के लिए ऋण प्रदान नहीं करते हैं। कारोबार के लिए कुछ वाहनों और ट्रकों की आवश्यकता होती है। इसलिए पूर्णरूप से ऋण प्रदान किया जाना चाहिए; आंशिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए–सभी आधारभूत सुविधाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, तभी इससे कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। यही एनपीए का कारण है। यह आवश्यक है। आरबीआई को इस पर बल देना चाहिए। कि सभी बैंक इसका उचित रूप से अनुसरण करे।

अब मैं शिक्षा ऋण पर आता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए मानव संसाधन का विकास आवश्यक है। हमारी कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार छात्रों को ऋण प्रदान कर रही है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण ऋण है, अधिकाशंश निम्न आय वर्गीय लोग यह ऋण ले रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल आसान शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। आरबीआई को इस पर बल देना चाहिए और यह कहना चाहिए कि निम्न आय वर्गीय लोगों को आसानी से यह ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।

कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में खंडेलवाल समिति ने यह सिफारिश की है कि–बैंक कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग स्वीकार्य नहीं है। समिति कहती है कि बैंक कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम मजबूत हैं, हमारे बैंक लाभ में चल रहे हैं, हमारे कर्मचारी वृंद निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, बैंक के सभी कर्मचारी बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और अनुकंपा आधार पर भी भर्ती करनी चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अनुकंपा आधार पर भी नियुक्ति देनी है। हमें बैंकों में कार्य करने के लिए ग्रामीण लोगों को अवसर प्रदान करना है। हमें कृषकों को भी ऋण प्रदान करना है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): महोदय, कुल 13 माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक और उसकी समनुषंगी बैंकों की कार्यप्रणाली में गहरी रुचि दर्शाई। मैं उनकी टिप्पणियों और बहुमूल्य सुझावों के लिए उनका आभारी हूं। मैंने उन सुझावों को नोट कर लिया है जो एस बी आई समूह की प्रचालन संबंधी कुशलता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का उत्तर देने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि आज जिन परिणामी संशोधनों पर विचार किया जा रहा है उससे केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद अनुषंगी बैंक की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा अथवा कम कर एस बी आई द्वारा समनुषंगी बैंकों को निगमित पूंजी का निर्धारण करने समनुषंगी बैंकों द्वारा अधिमानी आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट अथवा सरकारी निर्गम के जरिए निगमित पूंजी जुटाने वर्तमान इक्विटी धारकों को बोनस शेयर जारी करने, समनुषंगी बैंकों के बोर्ड के अध्यक्ष को नामित करने प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए एस बी आई के अध्यक्ष को अनुमति प्रदान करने की शक्तियां मिल जाएगी।

उपर्युक्त इन सभी उपायों से भारतीय स्टेट बैंक की समनुषंगी का कार्यकरण बेहतर होगा और इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ अहम मुद्दों का उत्तर देना चाहूंगा। सर्वश्री निशिकांत दुबे, महताब मजूमदार सम्पत और मंडल सहित अनेक सदस्यों ने बैंकों के विलय और सुदृढ़ीकरण पर सरकार की नीति के संबंध में मुद्दा उठाया यहां मैं माननीय सदस्यों और इस सभा को बताना चाहूंगा कि सुदृढ़ीकरण के बारे में सरकार की वर्तमान नीति के अंतर्गत बैंकों के प्रबंधन की तरफ से इनके सुदृढ़ीकरण की पहल होनी चाहिए। और सरकार एक आम शेयरधारक की हैसियत से इसमें एक सहायक भूमिका अदा करती है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुदृढ़ीकरण पर कोई निदेश जारी नहीं किया जा रहा। तदुपरान्त, सरकार आर. बी. आई. के परामर्श से एक निर्णय लेती है।

महोदय, सुदृढ़ीकरण और विलय एक सतत् प्रक्रिया है। यहां मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण

होने के बाद बैंकों का विलय हुआ है। इनमें से 25 बैंकों के विलय मामलों में सरकारी बैंकों ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण किया। दो मामलों में सरकारी बैंकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण किया और आठ मामलों में गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने निजीकरण के बैंकों का अधिग्रहण किया।

सर्वश्री दुबे, मंडल, सम्पत और महताब आदि सदस्यों ने सौराष्ट्र बैंक और इन्दौर बैंक के विलय से प्राप्त अनुभव से संबंधित मुद्दा उठाया। महोदय, इन बैंकों के विलय का अनुभव संतोषजनक रहा है। इन समनुषंगी बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों में बड़ी संख्या में कार्यरत कर्मचारियों के कारबार () बिजनेस विकास संबंधी क्षेत्रों में पुन: तैनात कर दिया गया है। इन दोनों विलयित बैंकों के कर्मचारियों के बेहतर अनिवार्यता संबंधी लाभों से फायदा हुआ है।

श्री निशिकांत दुबे ने समनुषंगी बैंकों की स्वायत्तता के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। महोदय, मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि इन सभी सम्बद्ध बैंकों को आर बी आई द्वारा नियत सभी वित्त सीमा के अध्यधीन ऋण और अग्रिम स्वीकृत और संवितरित करने और निवेश शाखाएं खोलने अपने प्रचालन के क्षेत्रों के अनुकूल नए उत्पाद शुरु करने तथा स्टाफ की भर्ती के मामलों में बैंकिंग कारोबार के रोजमर्रा के काम-काज को करने के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता है।

बड़ी संख्या में सदस्यों ने एस बी आई और इसकी समनुषंगी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता अथवा अनुप्रयोज्य आस्तियों पर प्रकाश डाला। महोदय, गत दो वर्षों में अनुप्रयोज्य आस्तियों में वृद्धि हुई है। तथापि, सदस्य मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि इसकी कुछ मजबूरियां रही हैं।

वैश्विक आर्थिक संकट और असमान्य मानसून के प्रभाव के कारण सितम्बर/अक्टूबर, 2008 से भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिक दबाव महसूस किया गया है। वैश्विक वित्तिय संकट के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, ऐसे समय, जब निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों ने ऋण देना वास्तव में बंद कर दिया था। अर्थ-व्यवस्था की उधार संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण करने में सराहनीय कार्य किया। वर्ष 2008-09 के दौरान क्षेत्र के बैंकों की 10 प्रतिशत तथा विदेशी बैंकों की लगभग चार प्रतिशत की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अग्रिम में 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक की गैर निष्पादनकारी अस्तियों में बढ़ोत्तरी का प्रमुख कारण कृषि और कार्पोरेट क्षेत्र में लक्ष्य की प्रति न होना था। इसके अतिरिक्त, पुनर्सरचित लेखों के संबंध में भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। परन्तु एन.पी.ए पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जब भी कोई खाता एन.पी.ए. में परिवर्तित होता है तो देवताओं की पुनर्सरचना की संभावनाओं पर विचार किया जाता है। उन मामलों में जहां इन्हें कार्यक्षम बनाना संभव नहीं है, शीघ्र निपटान हेतु कार्रवाई की जाती है जैसे कि एस आर एफ ए ई एस आई अधिनियम के तहत कार्रवाई, डी आर टी के तहत कार्रवाई या सिविल न्यायालयों में सिविल वाद, एक मुश्त समझौते के तहत वसूली सहित देयताओं की वसूली हेतु अनुवर्ती कार्रवाई और बी आई एफ आर/ डी आर टी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई आदि का सहारा लिया जाता है।

महोदय, श्री निशिकांत दुबे ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम में वर्ष 2007 में किए गए संशोधन के कुछ उपबंधों को लागू न करने के मुद्दे को उठाया है। वर्ष 2007 में भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में संशोधन किए गए थे। अधिनियम में उक्त संशोधनों के अनुसरण में विनियमनों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता थी। संशोधित विनियमन आर.बी.आई. को पूर्व अनुमोदन के लिए भेजे गए थे। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी है कि परिणामी संशोधन जिन पर आज चर्चा की जा रही है, संसद के विचाराधीन हैं और इसलिए विनियमन बनाने से पूर्व संशोधन पारित कराने के लिए प्रतीक्षा करना उचित होगा।

अनेक सदस्यों ने भारतीय स्टेट बैंक के कार्य निष्पादन का उल्लेख किया है। मैं बैंक के कुछ कार्य निष्पादन मानकों का उल्लेख करना चाहता हूं। बैंक की कुल 13698 शाखाएं हैं और सभी सी वी एस प्रणाली से जुड़ी है और सभी शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत हैं। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 4973 ग्रामीण शाखाएं हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंकों की कुल 21646 ग्रामीण शाखाओं में से लगभग 23 प्रतिशत शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की हैं। इस प्रकार, आप पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चौथा बैंक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मोटे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्रामीण शाखा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक व्यवहार्यता काफी कम हैं।

भारतीय स्टेट बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य 40 प्रतिशत था जबकि इसमें 42 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने खाली पक्षों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती के बारे में उल्लेख किया है। मैं श्री महतो और श्री सम्पत जिन्होंने विशेष रूप से यह प्रश्न पूछा है को यह बताना चाहता हूं कि शुभ समाचार उनके लिए एक है कि 31.12.2009 तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जन

जाति और अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांगों के लिए आरक्षित सारे पद भारतीय स्टेट बैक के भरे जा चुके हैं। जहां तक रिक्तियों का संबंध है मैं यह बताना चाहूंगा कि हां, बैंक में रिक्तियां हैं। लिपिकीय संवर्ग में 5500 और अधिकारी संवर्ग में 2007 रिक्तियां खाली है। उनके लिए भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है और मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भारत सरकार की आरक्षण की जो नीति है उसका पूरी तरह पालत किया जाएगा और सभी बैंक इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करेगें।

जहां तक बैंक के लाभ अर्जित करने का संबंध है। वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक का कुछ लाभ 6,265 करोड़ रु. रहा है। श्री दुबे और महताब ने पेंशक के बारे में पूछा था। भारतीय स्टेट बैंक पेंशन नियमावली में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति ली गई है। नियमवाली से रकार के विचाराधीन हैं और इनकी जांच की जा रही है। सहमति के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सरकारी नियमावली अधिसूचित की जाएगी।

श्री राव ने यह प्रश्न उठाया है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण देने के बजाय बैंक एक नियमित ब्याज दर पर प्राथमिक क्षेत्र के उधारकर्ताओं को सीधे ऋण क्यों नहीं देते। भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देश के अनुसार एम एफ आर के केवल विनिर्दिष्ट और विनियमित उधार ही प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में अमुल्य होगी। शर्तों में ऋण की राशि और ब्याज दर भी शामिल हैं। एस.बी. आई द्वारा एवं सहायता समूहों को 13,496 करोड़ रु. का ऋण दिया गया जबकि एम एफ आई को 1,878 करोड़ रु. का ऋण दिया गया उन्होंने पुन: यह मुद्दा उठाया कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। ताकि गरीब लोगों को ऋण दिया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी हैं सरकार ने कुछ बैंकों को हाल ही में पूंजी प्रदान की है।

श्री महताब ने यह प्रश्न उठाया कि क्या योजना स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नई पेशन नियमों में शामिल किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नई पेंशन नियमों में शामिल किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नियमों में भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने एस.बी.आई. पेंशन नियमों से संशोधनों को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक इसे अधिसूचित करेगी।

श्री पांडा ने यह विषय उठाया कि यह विधेयक निजीकरण के लिए रासता खोलेगी। यह विधेयक निजीकरण से संबंधित नहीं है। एस.बी.आई का स्वामित्व आर.बी.आई. से केन्द्रीय सरकार में परिवर्तित होने के कारण इस विधेयक के प्रावधान केवल परिणामी संशोधन हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने का उद्देश्य नहीं है।

[हिन्दी]

शैलेन्द्र कुमार जी, पांडा जी, रघुवंश प्रसाद जी और कई माननीय सदस्यों ने फाइनेंशियल इन्कलूजन की बात कही है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले भाषण में बताया था कि देश में 73000 ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 2000 है या उससे अधिक है। उनमें बैंकिंग फैसिलिटीज किसी भी मोड से, चाहे बिजनेस करेस्पोंडेन्ट है, मार्च, 2012 तक हम पहुंचायेंगे। इस साल अब तक 29 हजार गांवों को कवर कर लिया गया है और बैंकों ने हमें एश्योर किया है कि मार्च 2012 तक 73 हजार गांवों में बैंकिंग फैसिलिटीज बिजनेस करेस्पोन्डेंट के तहत पहुंच जायेगी।

अपराह्न 4.00 बजे

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के ऋण के बारे में भी जिक्र किया गया था। हम वीकर सैक्शंन को जो लोन देते हैं, उसमें 15 परसैन्ट का टारगेट दिया हुआ है। इसे हमने रिव्यू किया था, अभी माइनोरिटीज को 14.16 परसैन्ट दिया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी बैंकों के सीएमडीज को निर्देश दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 15 परसैन्ट के टारगेट को पूरा करें

जहां तक श्री रघुवंश प्रसाद जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाये हैं...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: अल्पसंख्यकों का जो टारगेट रखा गया था, वह पूरा नहीं हुआ है।

श्री नमोनारायन मीणा: अल्पसंख्यकों के बारे में मैंने बताया कि यह 14.16 परसैन्ट हो चुका है, 15 परसैन्ट टारगेट रखा हुआ है, जो इस फाइनेशियल ईयर में पूरा हो जायेगा। पहले यह 9 और 10 परसैन्ट था, लेकिन बढ़ाते-बढ़ाते अब 15 परसैन्ट पर आ गया है। हमें सरकार से जो आदेश मिले है, उससे वह पूरा हो जायेगा, मैं इस बारे में आपको एश्योर करता हूं।...*(व्यवधान)* जो 15 परसैन्ट का टारगेट रखा गया है, यह पूरा हो जायेगा।

जहां तक शिक्षा ऋण का सवाल है, शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। हम करीबन 41 हजार करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण दे चुके हैं। यह बात महताब जी और पांडा साहब ने भी कही कि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या बैंकिंग नेटवर्क से एक्सक्लूडेड है, यह बात मैं जानता हूं। इसीलिए भारत सरकार ने स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। माननीय सोनिया गांधी जी ने उसे फरवरी में लांच किया था। इसका यही मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच, हर हाउसहोल्ड का खाता खोल जाए। अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक करोड़ नो फ्रिल एकाउंट्स खोले हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मेरे पास शिकायतें आई हैं कि आर.बी.आई. की गाइडलाइंस होने के बावजूद भी कई बैंक्स खाते नहीं खोल रहे हैं। मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं।

श्री नमोनारायन मीणा: अगर नहीं खोल रहे हैं तो आप स्पेसिफिक बताइयेगा। आरबीआई की इस बारे में डायरेक्शंस हैं कि सबके खाते खोले जाएं।

सभापति महोदया: माननीय सदस्य आप आपस में बातें न करें, चयेर को एड्रैस करें, मंत्री महोदय, आप भी चेयर को एड्रैस करें।

[अनुवाद]

श्री नमोनारायन मीणा: सभी बैंकों को अनुदेश दे दिए गए हैं यदि कोई शिकायत हो, तो कृपया इसे मेरे ध्यान में लाए और हम सभी बैंकों को फिर से अनुदेश देंगे।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों के सवालों के हमने जवाब दे दिये हैं। वैसे बहुत सारे प्वाइंट्स रेज किये गये हैं, जो हम लोगों को अपनी एफिशिएंसी में लगेगा और उनके ऊपर सरकार विचार करेगी।

[अनुवाद]

इन शब्दों के साथ, मैं सदन की चर्चा के लिए विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया: कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): सभापति महोदया, हम माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग इस विधेयक में विरोध में हैं। इसलिए, विरोध में हम लोग सभा से बहर्मिन करते हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.04 बजे

इस समय श्री प्रबोध पांडा, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

सभापति महोदया: प्रश्न है:

"कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 तथा भारत में स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

धारा 10 का संशोधन

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 2, पंक्ति 10-12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

'(ख) उपधारा (3) में-

(i) "स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक से परामर्श करके, स्टेट बैंक और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "लोक निर्गमन द्वारा" शब्दों के स्थान पर "लोक निर्गमन या अधिकारवान निर्गमन द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (3) (श्री नमोनारायन मीणा)

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

धारा 7 का संशोधन

किया गया संशोधन

पृष्ठ 2, पंक्ति 29-31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए;

'(ख) उपधारा (4) में–

(*i*) "स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से" शब्दों के स्थान पर रिजर्व बैंक से परामर्श करके, स्टेट बैंक और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(*ii*) "लोक निर्गमन द्वारा" शब्दों के स्थान पर "लोक निर्गमन या अधिकारवान निर्गमन द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (4)

(श्री नमोनारायन मीणा)

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 10

धारा 63 का संशोधन

समनुषंगी बैंक की विनियम बनाने की शक्ति

किया गया संशोधन: पृष्ठ 4, पंक्ति 5-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए;

10 मूल अधिनियम की धारा 63 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात–

"63 (1) किसी समनुषंगी बैंक का निदेशक बोर्ड, स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों का उपबंध करने के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, ऐसे विनिमय बना सकेगा, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हो।"

(2) विशिष्टियां और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे–

(क) समनुषंगी बैंक के प्रबंध-निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य:

(ख) वे फीसें और भत्ते, जो निदेशकों या अन्य व्यक्तियों को निदेशक बोर्ड या उसकी समितियों (जिसमें कार्यपालिका समिति भी है) या अन्य समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए या समनुषंगी बैंक का कोई अन्य कार्य करने के लिए दिए जा सकेंगे;

(ग) वह समय और स्थान, जिस पर तथा वह रीति, जिसमें समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड के कामकाज का संव्यवहार किया जाएगा और उसके अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) समनुषंगी बैंक की कार्यपालिका समिति का गठन और शर्तें तथा परिसीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए कार्यपालिका समिति शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और उसके अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) किन्हीं अन्य समितियों का, चाहे समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड की हो अथवा अन्यथा, गठन और ऐसी समितियों को बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन तथा ऐसी समितियों में कारबार का संचालन;

(च) समनुषंगी बैंक के शेयरों का स्वरूप, वह रीति, जिसमें और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए शेयर का धारण और अंतरण किया जा सकेगा तथा साधारणत: शेयरधारी के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित सभी विषय;

(छ) शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया;

(ज) साधारण या अधिमानी शेयर जारी करके, चाहे लोक निर्गमन द्वारा या अधिकारवान निर्गमन या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट स्थापन द्वारा, पुरोधृत पूंजी को बढ़ाने के संबंध में प्रक्रिया;

(झ) किस्तों में शेयर धनराशि स्वीकार करने की रीति, उसके लिए मांग करने की रीति और असंदत्त शेयरों के समपहरण और उनको पुन: जारी करने की रीति;

(ञ) शेयर रजिस्टरों का रखा जाना और धारा 21 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त ऐसे रजिस्टरों में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, कम्प्यूटर फ्लापियों या डिस्केटों पर या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में शेयरधारी के रजिस्टरों के रखे जाने में अनुपालन किए जाने वाले रक्षोपाय, रजिस्टर का निरीक्षण और उनका बंद किया जाना और उससे संबद्ध अन्य सभी विषय;

(ट) वह रीति, जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत शेयरधारी व्यष्टि ऐसे विहित व्यष्टि को नामनिर्देशित करता है, जिसको धारा 18क की उपधारा (1) के अधीन उसकी मृत्यु की दशा में शेयरों में के उनके सभी अधिकार निहित होंगे;

(ठ) वह रीति, जिसमें संयुक्त धारक, ऐसे व्यष्टि को नामनिर्देशित कर सकेंगे, जिनको धारा 18क की उपधारा (2) के अधीन सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में शेयरों में के उनके सभी अधिकार निहित होंगे;

(ड) वह रीति, जिसमें धारा 18क की उपधारा (3) के अधीन नामनिर्देशन में परिवर्तन किया जाता है या उसे रद्द किया जाता है;

(ढ) वह रीति, जिसमें शेयरधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति, जहां नामनिर्देशित अवयस्क है, धारा 18क की उपधारा (4) के अधीन नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान अपनी मृत्यु की दशा में, शेयरों के लिए हकदार बनने वाली किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए नामनिर्देशन कर सकेगा;

(ण) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों का आयोजन और संचालन तथा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताओं की बाबत या निर्वाचनों की विधिमान्यता की बाबत संदेहों या विवादों को अंतिम अवधारण;

(त) वह रीति, जिसमें साधारण अधिवेशन बुलाए जाएंगे, उनमें अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वह रीति, जिसमें मताधिकारों का प्रयोग किया जा सकेगा;

(थ) वह रीति, जिसमें समनुषंगी बैंक की ओर से शेयरधारियों और अन्य व्यक्तियों पर सूचनाएं तामील की जा सकेंगी;

(द) लाभांशों का, जिसमें अंतरिम लाभांश भी है, संदाय;

(ध) समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का उस बैंक के प्रबंध निदेशक या निदेशकों या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को प्रत्योजन;

(न) वे शर्ते और परिसीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए समनुषंगी बैंक अधिकारियों, सलाहकारों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा और उनके पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते नियत कर सकेगा;

(प) समनुषंगी बैंक के अधिकारियों, सलाहकारों और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण;

(फ) समनुषंगी बैंक के अधिकारियों या कर्मचारियों या ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों के आश्रितों के फायदे के लिए या समनुषंगी बैंक के प्रयोजनों के लिए अधिवार्षिकी निधि, पेंशन निधि, भविष्य निधि या अन्य निधियों की स्थापना और उन्हें बनाए रखना तथा किसी ऐसी निधि में से संदेय अधिवार्षिकी भत्तों, वार्षिकियों और पेंशनों की मंजूरी;

(ब) समनुषंगी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों का संचालन और प्रतिरक्षा, तथा अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने की रीति;

(भ) समनुषंगी बैंक के लिए मुद्रा का उपबंध करना और उसके प्रयोग की रीति और प्रभाव;

(म) वह प्ररूप और रीति, जिसमें समनुषंगी बैंक पर आबद्धकर संविदाएं निष्पादित की जा सकेंगी;

(य) वे शर्तें और अपेक्षाएं, जिनके अधीन रहते हुए समनुषंगी बैंक द्वारा उधार और अग्रिम धन दिए जा सकेंगे या बिलों का मितिकाटे पर भुगतान किया जा सकेगा या उन्हें क्रय किया जा सकेगा;

(यक) वे शर्ते, जिनके अधीन रहते हुए समनुषंगी बैंक द्वारा अपने निदेशकों या अधिकारियों या ऐसे निदेशकों या अधिकारियों के नातेदारों को या ऐसी कंपनियां, फर्मों, व्यष्टियों को उधार या अग्रिम धन दिए जा सकेंगे, जिनके साथ या जिनसे ऐसे निदेशक या अधिकारी या नातेदारों, भागीदारों निदेशकों, प्रबंधकों, सेवकों, शेयरधारियों के रूप में अथवा अन्यथा किसी रूप में संबद्ध है:

(यख) वे व्यक्ति या प्राधिकारी, जो समनुषंगी बैंक के अधिकारियों या कर्मचारियों के या उनके आश्रितों के फायदे के लिए या उस बैंक के प्रयोजनों के लिए गठित किसी पेंशन निधि, भविश्य निधि या अन्य निधि का प्रशासन करेंगे;

(यग) वे परिस्थितियां, जिनमें समनुषंगी बैंक द्वारा उधारों और अग्रिम धनों के दिए जाने के लिए या निधियों के विनियोजन के लिए या किसी संविदा, ठहराव या प्रस्थापना के लिए, जो समनुषंगी बैंक द्वारा की गई हो या किए जाने के लिए प्रस्थापित हो, स्टेट बैंक का विनिर्दिष्ट अनुमोदन अपेक्षित होगा;

(यघ) समनुषंगी बैंक के क्रियाकलापों के कार्यक्रमों के विवरणों और वित्तीय विवरणों की तैयार तथा स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक को उनका भेजा जाना, और वह अवधियां, जिनकी बाबत तथा वह समय, जिसके भीतर विवरण और प्राक्कलन तैयार और प्रस्तुत करने होंगे;

(यङ) स्टेट बैंक में वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, जिसके या जिनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्टेट बैंक को प्रदत्त या न्यस्त् या उस पर या उन पर अधिरोपित किन्हीं शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग या पालन किया जाएगा;

(यच) साधारणतः समनुषंगी बैक के कारबार का दक्षतापूर्ण संचालन।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी विनियम ऐसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती तारीख से प्रभावी होंगे, जो विनियमों से विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) इस धारा के अधीन समनुषंगी बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और वह सरकार उसकी प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।" (5)

(श्री नमोनारायन् मीणा)

सभापति महोदयाः प्रश्न यह है:

कि खण्ड 10, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

किया गया संशोधनः

पृष्ठ 1, पंक्ति 6

'2009' के स्थान पर

'2011 प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(श्री नमोनारायन मीणा)

सभापति महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'साठवें वर्ष' के स्थान पर "बासठवें वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री नमो नारायण मीणा)

सभापति महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ा दिया गया।

सभापति महोदयाः मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री नमोनारायन मीणाः महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदयाः *प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।*

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबेः मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे संतुष्ट नहीं होते हुए भी मैं कबीर का एक दोहा कहना चाहता हूं— देख परायी चूपड़ी, मत ललचाए जीभ, रूखी-सूखी खाय के, ठण्डा पानी पी।" जिन एनपीए के बारे में आपने इतना बोला है, एनपीए एकाउन्टिग के दोष के कारण भले ही 72-75 हजार करोड़ रूपये

दिखाई दे रहे हैं, परंतु वह लगभग 1.5 लाख करोड़ रूपये से ऊपर है। हमने यह कहा था कि आप जो इन्ट्रेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, इससे एनपीए और बढ़ेगा।

इसके बारे में सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा है और एनपीए न बढ़े, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? यह हमने आपसे पूछा था, इसका सरकार के पास क्या जवाब है?

[अनुवाद]

श्री नमोनारायन मीणा: सभी बैंकों के लिए नीति एक जैसी है। केवल भारतीय स्टेट बैंक के लिए पृथक आदेश नहीं दिया जा सकता। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि वित्त मंत्री ने सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों को निदेश भी दिया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सभी बैंक्रों को अपनी एन पीए कम करने के बारे में कुछ अनुदेश दिए हैं। वे अपना एन पी ए कम करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैंने अपने उत्तर में भी आपको बताया था कि एन पी ए में वृद्धि के क्या कारण हैं। इसी सदन में पिछले प्रश्न के में मैंने कहा था कि सफल एन पी ए तीन प्रतिशत से कम है, जो स्वीकार्य है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे: आरबीआई के डिप्टी गवर्नर मिस्टर चक्रवर्ती स्वयं कह रहे हैं कि इंट्रेस्ट रेट बढ़ने से एनपीए बढ़ेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रुप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.13 बजे

मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009

सभापति महोदया: अब, सभा मद संख्या 18 पर चर्चा करेगी। माननीय मंत्री।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदया, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।"

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (फरवरी, 1995 में गोवा हिमाचल प्रदेश, और महाराष्ट्र तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में फरवरी 1995 में लागू हुआ। इसके उपरान्त जम्मू और कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश राज्यों को छोड़कर जिन्होंने मानव अंगों के प्रतिरोपण के विनियमन हेतु अपने कानून बनाए लिए हैं, सभी राज्यों में इसे स्वीकार कर लिया है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों के निकाले जाने, उनके भंडारण और प्रतिरोपण को विनियमित करना और मानव अंगों में व्यवहार विवरण है। यह पाया गया है कि मानव अंगों के प्रतिरोपण हेतु विनियामक तंत्र मौजूद होने के बावजूद भारत में फलते-फूलते मानव अंगों के व्यापार और इसके परिणामस्वरूप समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के शोषण के बारे में प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पैमाने पर समाचार आते रहे हैं।

मंत्रालय ने अधिनियम में कमियों की जांच के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया। मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 को तैयार करते समय उक्त समिति की सिफारिशों और हित धारकों के साथ व्यापक परामर्श को ध्यान में रखा गया था।

यह विधेयक लोक सभा में 18 दिसम्बर, 2009 को पुर:स्थापित किया गया था। मैं इस विधेयक में प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों पर प्रकाश डालूंगा।

"वर्तमान अधिनियम मानव अंगों के प्रतिरोपण को ही विनियमित करता है। अब इस विधेयक में ऊतकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।"

2. विधेयक में पितामह, मातामह, मातामही, पितामही, पौत्र, पौत्री, दोहित्र और दोहित्री को शामिल करने हेतु 'निकट नातेदार' की परिभाषा का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। पितामह, मातामह, मातामही, पितामही, पौत्र, पौत्री दोहित्र और दोहित्री का कोई प्रावधान नहीं था।

3. इस विधेयक में अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष अथवा रोगी का इलाज करने वाले चिकित्सीय कर्मचारियों के लिए मस्तिष्क मृत्यु के रोगियों के नातेदारों से अंग दान के लिए अनुरोध करना अनिवार्य कर दिया गया है।

4. विधेयक में यह प्रस्ताव है कि एक प्रशिक्षित तकनीशियन कारिनिया को निकाल सकता है।

5. यह भी प्रस्तावित किया गया है कि तंत्रिका विज्ञानी तंत्रिका शल्य चिकित्सक उपलब्ध होने की स्थिति में मस्तिष्क मृत्यु के प्रमाणन के लिए मेडिकल बोर्ड में एक शल्य चिकित्सक या चिकित्सक और एक निश्चेतना विज्ञानी या सघन चिकित्सा विज्ञानी, सघन चिकित्सा कक्ष में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

6. इस विधेयक में विदेशी राष्ट्रिकों के लिए अंगों के प्रतिरोपण को विनियमित करने, अवयस्कों के शोषण का निवारण करने, अंगों के विनियम दान को विहित करने, केन्द्र सरकार को प्राधिकार समितियों के गठन को विहित करने और राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों को प्राधिकार समितियां स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

7. विधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित समुचित प्राधिकारियों को सलाह एवं सहायता देने के लिए सलाहकार समितियां बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

8. समुचित प्राधिकारियों को व्यक्तियों को समन कर सकेंगे, दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकेंगे और तलाशी वारंट जारी कर सकेंगे।

ऐसा का दिया गया है। अन्यथा पहले ये शक्तियां निचली अदालतों के पास थीं जिसके परिणामस्वरूप, अदालतों में दशकों से मामले लंबित हैं और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बारे में तत्काल कार्रवाई की जाए, ये शक्तियां समुचित अधिकृत प्राधिकारियों जो राज्य सरकार द्वारा गठित जाएंगे, की दे दिए गए हैं। इस बारे में भी प्रावधान है कि समचित प्राधिकारी कौन होगा।

9. मानव अंगों और उत्तकों की उपत्ब्लधता बढ़ाने के लिए नेशनल आर्गन एण्ड टिश्यूस रिमूवल एण्ड स्टोरेज नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।

10. इस विधेयक में अंग दान करने वाले और उसे लेने वालों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए जाने का विचार है।

11. मानव अंग को प्राप्त करने और उसके प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत सभी अस्पतालों में प्रत्यारोपण समन्वयक की नियुक्ति तथा मानव अंग प्राप्त करने और इसके प्रत्यारोपण के कार्य में संतुलन गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण का भी प्रस्ताव है।

12. विधि के अंतर्गत प्रदत्त दंड को और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें ज्यादा निवारक बनाया जा सके।

विधेयक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभाग से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति को 22 जनवरी, 2010 जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए भेजा था। समिति ने 4 अगस्त 2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में 43 सिफारिशें और टिप्पणियां कीं। मंत्रालय ने स्थायी समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों में से बात के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी, सत्रह के लिए नियम में संशोधन की आवश्यकता होगी तथा हर का क्रियान्वयन सरकार के अनुदेशों के माध्यम से किया जाएगा। संसदीय स्थायी समिति की शेष तेरह सिफारिशें और टिप्पणियां विरोधक में मंत्रालय तेरह सिफारिशों और टिप्पणियां विरोधक में मंत्रालय के प्रस्तावों का ही दोहराव हैं। तदनुसार मैं इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करूंगा जिसे माननीय सदस्यों को पहले ही परिचालित किया गया है।

ये सरकारी संशोधन निम्नवत होंगे:

"उत्तक बैंक" की परिभाषा को विधेयक में शामिल किया गया है। उत्तक बैंकों के विनियमन के लिए अलग से प्रावधान बनाए जा रहे हैं।

'हयूमन आर्गन रिट्राइवल सेंटर' की परिभाषा सम्मिलित है।

मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा रही है। अपेक्षित अनुरोध करने के कार्य को उपचार करने वाले डॉक्टर को सौंपा जा रहा है। यह अनुरोध उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा प्रत्यारोपण समन्वयक के परामर्श से किया जाएगा।

गैर पंजीकृत अस्पतालों को मृत व्यक्ति के शरीर से पंजीकृत और अप्राधिकृत अस्पताल के डॉक्टरों की टीम द्वारा मानव अंग और उत्तक निकालने की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण समिति को विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल कर और अधिक समावेशी बनाया जाएगा।

विशेष रूप से व्यवसायिक मामलों में मानव अंग प्राप्त करने और उसके प्रत्यारोपण से जुड़ी अवैध गतिविधियों हेतु दण्ड के प्रावधानों को ज्यादा कड़ा बनाया जाएगा।

मानव उत्तकों के संबंध में अधिनियम के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अलग से परन्तु दर्ज के कम कठोर प्रावधान बनाए गए हैं।

जैसाकि मैंने पहले कहा, स्थायी समिति की सभी अन्य सिफारिशों को नियमों में समुचित संशोधन कर और सरकार द्वारा जारी कार्यवाही आदेशों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन जरूरतमंद लोगों के लिए मानव अंग और उत्तक की उपलब्धता को बढ़ाकर देश के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा तथा कई दण्ड के माध्यम से अवैध और व्यवसायिक लेन-देन को रोकेगा एवं कुछ प्रावधानों जैसे निकट संबंधियों की परिभाषा में विस्तार को उदार बनाया जाएगा और विनिमेय दानों की अनुमति प्रदान करेगा समाज के सुभेद्य वर्गों जैसे अल्पवयों, मानसिक रूप से नि:शक्त लोगों के लिए नियामक तंत्र सुचारु बनेगा; मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों को विनियमित किया जाएगा; बेहतर निगरानी और समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र जैसे नेशनल आर्गन एण्ड टीश्यू रिमूवल एण्ड स्टोरेज नेटवर्क, तथा नेशनल (जिस्ट्री ऑफ जेमर्स एंड रेसिपेन्ट स्थापित किए जाएंगे।

मैं इस माननीय सभा को सूचित करना चाहता हूं कि विभिन्न बाध्यताओं के बावजूद वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5000 गुर्दा (किडनी) प्रतिरोपण, 300 यकृत (लीवर) प्रतिरोपण तथा 25000 चक्षुपटल (कॉर्नियल) प्रतिरोपण किये जाते हैं।

मैं स्थायी समिति के उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अत्यंत उपयोग और रचनात्मक सुझाव दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एमेंडमेट बिल, 2009 पर बोलने का मौका दिया।

महोदया, वर्ष 1994 में इसी हाउस ने एक बिल पास किया और फरवरी, 1995 से लागू हुआ। उसके बाद भी जो अभी मंत्री जी बता रहे थे कि कमर्शियल ट्रेड की जो प्रैक्टिस है, वह बंद नहीं हुई है और इसें बंद करना इस बिल का उद्देश्य है। वर्ष 1994 में जब बिल आया था तो उसका उद्देश्य भी यही था कि मानव के अंगों का कमर्शियल ट्रेड क्यों हो रहा है? किडनी क्यों बिक रही है? डॉक्टर हॉस्पीटल और किडनी बेचने वाला मिल क्यों जाते हैं। एक धुरी क्यों बन जाती है, एक नैक्सस क्यों बन जाता है? यह उस समय भी मुद्दा था। आज यह बिल वाइडर प्रोसपैक्टिव में आया है। हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन कई चीज़े शेष रह गई हैं, जो इनको इनक्लूड करनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि 4 फरवरी, 1995 को गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और केन्द्र शासित प्रदेशों में यह एक्ट लागू हुआ था। जबकि अन्य राज्यों को इन्होंने रैगूलेशन पर छोड़ दिया था। इस बार भी क्या अन्य राज्य रैगूलेशन पर छोड़े जाएंगे, यह एक विषय है, जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। इस कानून की जो कमियां थीं, जिनमें, गरीबों के अंग ले लिए जाते हैं। मुकदमें दर्ज होने पर भी अपराधियों को सज़ा बहुत कम मिल पाती है। कनविक्शन रेट कम है। संसद की स्थायी समिति में जब यह बिल गया तो जैसा कि मंत्री जी बता रहे थे कि 43 रिकमण्डेशन थीं, जिनमें ह्यूमन आर्गन के साथ-साथ टिश्यूज़ को इन्होंने जोड़ा। रिलेटिव्ज़ की जो परिभाषा थी, उसमें ग्रेण्डफादर, ग्रेण्डमदर, गेण्डसन और ग्रेण्डडॉटर को भी शामिल किया। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कमेटी की रिकमण्डेशन यह भी थी कि अंकल और आंटी को भी नजदीकी रिश्तेदारों में जोड़ा जाए इसे जोड़ने में क्या आपत्ति है?

मैं इस बात पर इसलिए आना चाह रहा हूं कि इसका दायरा जितना ज्यादा आप बढ़ाऐंगे, उतना ही ज्यादा इस एक्ट का उद्देश्य पूरा होगा और जिस उद्देश्य के लिए सरकार यह एक्ट ला रही है, वह पूरा होगा। मानव अंगों का व्यापार रोकना इस एक्ट का उद्देश्य है। मानव अंगों को प्राप्त करने वाले और दान करने वाले यदि गलत पाए जाएं तो उनको बड़ी सजा देना भी इस एक्ट का उद्देश्य है। इन्होंने राज्य में एक सक्षम समिति और एक एडवाइजरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव किया है। इन्होंने जुर्माना ज्यादा बढ़ाया है। जो सजा है, वह उतनी नहीं बढ़ी है। जैसे पूर्व में बिना अधिकार के कोई अंग हटाने के मामले में दस हजार रूपए जुर्माना और पांच साल की सजा थी तो अब दस साल की सजा और पांच लाख रूपए का जुर्माना हो गया। मानव अंगों के सप्लायर्स को पहले सजा दो ये सात साल की थी, जुर्माना दस से बीस हजार रूपए था। वह अब इन्होंने पांच से दस साल की सजा और जुर्माना पांच से बीस लाख रूपए प्रस्तावित कर दिया। इसमें राशि ज्यादा बढ़ी है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मानव अंगों का व्यापार क्यों होता है? मेरा इसमें यह विचार है कि अमीर आदमी शरीर का महत्वपूर्ण अंग खराब होने के बाद भी जीना चाहता है और गरीब आदमी आर्थिक तंगी के कारण अपने शरीर के अंगों को बेचने को मजबूर हो जाता है। यही इसका एक कारण है, इसलिए यह व्यापार होता है। जिसके पास चना है, उसके पास दांत नहीं है और जिसके पास दांत है, उसके पास चना नहीं है। यह जो जीवन में विरोधाभास है, इसको दूर करने की जरूरत है।

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि स्टैण्डिग कमेटी ने और भी बहुत-से रिकमेन्डशन किए है जो एडवाइजरी नेचर का हैं। स्कूलों और कॉलेजों में आपको सिलेबस में भी सुधार करना पड़ेगा। लोग क्यों देह दान कम कर रहे हैं, अंगों का दान कम कर रहे हैं? मेरे पास एक रिपोर्ट है जिससे पता चलता है कि भारत में

इसकी क्या स्थिति है? अभी मंत्री जी डिमान्ड और सप्लाई की बात कर रहे थे। भारत में किडनी की डिमान्ड एक लाख के करीब है। कुछ लोग इसको एक लाख और डेढ़ लाख के बीच में आंकते हैं। लेकिन सप्लाई है मात्र पांच हजार। यह कितना बड़ा गैप है? एक लाख और डेढ़ लाख किडनी का डिमान्ड और उसमें सप्लाई पांच हजारं लीवर की डिमान्ड पचास हजार है और सप्लाई 200 से 250 के बीच हो पाती है। हार्ट की डिमान्ड 50 हजार की है और चार या पांच हार्ट की सप्लाई हो पाती है। आंखों की एक लाख के करीब डिमान्ड है और सप्लाई 25 से 40 हजार क्यों पहुंची? यह महत्वपूर्ण विषय है। जब आंख ज्यादा डोनेट हो सकती है, उसके पीछे क्या कारण है? हमारे कई कवियों ने भी शरीर में आंखों का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। जैसे श्री नानक देव जी ने कहा है कि 'देह नैन बिना, रैन चन्द्र बिना, धरती मेघ बिना'। इस शरीर में आंख नहीं है तो यह शरीर किसी काम का नहीं। किसी व्यक्ति को लगेगा कि मैं इस आंख से अभी देख रहा हूं। मेरे मरने के बाद कोई और भी उस आंख से देखे, यह प्रवृत्ति जब मनुष्य में पैदा होती है, तब डिमान्ड और सप्लाई का गैप कम होता है। यह प्रवृत्ति कैसे बढ़ेगी? यह जो एडवाइज़री नेचर की रिकमंडेशन है। उसको मंत्री जी को स्वीकार करना पड़ेगा।

अब मैं इस बिल पर आता हूं। कुछ बातें बिल के बारे में मुझे कहनी है। मेरा मंत्री जी से सीधा-सा सवाल है कि अगर दान देने वाला और दान करने वाला अलग-अलग राज्यों से होंगे तो किस राज्य की सक्षम समिति से अनुमति लेनी पड़ेगी? आपने इसमें यह कहा है कि स्टेट कंसर्न से सक्षम राज्य की समिति से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर दान देने वाला और दान करने वाला अलग-अलग राज्य से होंगे तो कौन-सी कमेटी के पास यह मामला जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है।

दूसरा कमर्शियल ट्रेड पाया गया तो दोनों दंडित होंगे। गरीब आदमी को उसकी गरीबी शिकायत करने से रोक सकती है, इस विषय पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि अगर उसने शिकायत ही नहीं की तो दंडित कैसे होंगे। पहले भी जब 1994 का अधिनियम आया तो उसमें कंविक्शन रेट सबसे कम थी। मैं प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक्स मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने गुड़गांव, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के केस उजागर किये जिसके कारण वह वातावरण बना और विचार आया कि 1994 के एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि यह व्यापार बढ़ता जा रहा है, रूक नहीं रहा है।

सभापति महोदया, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि हमने सभी जो 43 सिफारिशें की, उन्हें माना। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने इसमें क्लाज़ 4 जोड़ा है। इसमें यह अमेंडमेंट आया कि ह्यूमन ऑर्गस के साथ-साथ टिशूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी को भी इसमें इन्क्लुड किया है, अच्छी बात है, समय की मांग भी थी। जब कि स्टैंडिंग कमेटी ने जनरल प्रोविजन के स्थान पर स्पेसिफिक प्रोविजन की बात कही थी। इसे क्यों इग्नौर किया गया? आपने जनरल प्रोविजन तो जोड़ दिया, लेकिन टिशूज़ के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन करने की बात कही थी, उसे बहुत डिटेल में स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा भी है, उसे आपने क्यों इग्नोर किया, मैं यह पूछना चाहता हूं? आपने क्लाज़ 5 में, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है कि डिमांड और सप्लाई में इतना गेप होने के कारण अगर आप अंकल और आंटी को भी जोड़ लेते तो इसमें क्या दिक्कत आती। पहले ग्रेंड मदर और ग्रेंड सन नहीं थे, लड़का और लड़की थे, आपने इन्हें जोड़ा, ये भी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी। कमेटी की भी सिफारिश है। आपने ऊपर वाला पोरशन ले लिया, नीचे वाला पोरशन छोड़ दिया। आप अगर इसे भी जोड़ेंगे तो ये अधिनियम आपकी डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम करेगा।

सभापति महोदया, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि पेनेल्टी बढ़ाने मात्र से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं इसी हाउस में एक प्रश्न का जिक्र करना चाहता हूं कि इसी हाउस में एक प्रश्न 889, 12 नवम्बर, 2010 को आया। माननीय मंत्री जी ने उसका रिप्लाई दिया। वह प्रश्न किडनी के अवैध व्यापार का ही था। मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया, रिप्लाई में मुझे यह देख कर पीड़ा हुई। प्रश्न यह था,

[अनुवाद]

"क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान गुर्दा, आदि जैसे मानव अंगों के अवैध व्यापार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी"

[हिन्दी]

इन्होंने तीन साल के आंकड़े इसमें नहीं दिए। इन्होंने बताया कि हम इसका कोई लेखा-जोखा ही नहीं रखते। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर इन्होंने बताया कि हम इसका कोई लेखा-जोखा नहीं रखते। फिर भी हमें कुछ राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसे मंत्री जी ने हाउस में प्रस्तुत किया। उसमें इन्होंने सिर्फ छः राज्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस देश में 35 राज्य हैं, इन्क्लुडिंग यूनियन टेरेटरी, इन्होंने एमसीडी दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुड़गांव, हरियाणा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक केस सीबीआई का बहुत हाई लाइट हुआ था, उसे इन्होंने खाली दो पंक्तियों में लिख दिया।

[अनुवाद]

"अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मानव अंगों के वाणिज्यक बिक्री होने की रिपोर्ट नहीं की हैं"।

[हिन्दी]

ऐसा नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूं, सभापति महोदया, आप भी उसी स्टेट से आती हैं। कितनी जगहों पर ये घटनाएं घटीं, स्टेट्स ने सेंटर को रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्या सेंटर स्टेट से वह रिपोर्ट मंगा नहीं सकता, सेंटर के स्तर पर यह कमी कैसे रह जाती है? हाउस में जब जवाब दिया जाता है, ये प्रश्न पहले जब कभी पूछा गया होगा, 25 या 30 दिन का गेप रहा होगा, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट

स्टेट से रिपोर्ट मंगा सकती है। मेडीकल हैल्थ डिपार्टमेंट ने एक रजिस्टर मेन्टेन कर रखा है। इतना लाइटली लेने से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। यह मानव के अंगों से जुड़ा हुआ व्यापार है। इसमें अमीर आदमी बीमार हो गया तो उसकी पत्नी भी अंग नहीं देना चाहती, इसलिए वह गरीब आदमी का अंग लेना चाहता है। गरीब आदमी अपनी मजबूरी के कारण अंग बेचने पर मजबूर होता है और उसमें हॉस्पीटल और डॉक्टर्स भी यह काम करते हैं। डॉक्टर का पेशा नोबल है, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डॉक्टर्स मिल जाते हैं, जिससे यह व्यापार बढ़ जाता है। अगर मंत्री जी हाउस में यह जवाब दें कि सिर्फ 6 स्टेट्स से यह रिपोर्ट आई है और स्टेट्स से रिपोर्ट नहीं आई है तो यह सरकार की सीरियसनैस नहीं दर्शाता है। हमारा ऐसा मानना है कि इसमें जब हम गम्भीर होंगे, केन्द्र सरकार के स्तर में भी मोनीटरिंग मजबूत होगी, इसमें एक स्पेसिफिक सेल बनाना पड़ेगा जो निरन्तर इसकी मोनीटरिंग करे और राज्यों को भी हमें निर्देश देना पड़ेगा कि वे भी अपने मैडीकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक सैल बनायें और वहां पर एक डॉक्टर नियुक्त हो, जो इसकी मोनीटरिंग करे और रिपोर्ट सैण्ट्रल गवर्नमेंट को दे और कन्विक्शन रेट इम्प्रूव हो, तभी कहीं जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें और पेश करना चाहता हूं। जैसा अभी मंत्री जी बता रहे थे, इसमें क्लाज़ 2 में एक ट्रांसप्लांट कोआर्डीनेटर की बात की गई है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन मंत्री जी, इसमें नहीं दर्शाई गई कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्योंकि वह बहुत इम्पोटेंट आदमी होगा। यह जो ट्रांसप्लांट कोआर्डीनेट है, वह इसका एक स्पेशलाइज़्ड आदमी होगा, इसलिए इसकी क्वालिफिकेशन आपको इसमें बतानी पड़ेगी, नहीं तो इसका परपज़ पूरा नहीं होगा।

एक इसमें आपने जो लावारिश लाशों को जो महत्व दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं जिस स्टेट से आता हूं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे अखबारों में एक खबर छपी। जयपुर के एक डॉक्टर जो एस.एम.एस. हॉस्पिटल में प्राचार्य थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने अपनी देह दान की, क्योंकि, सर्विस के दौरान उन्होंने पाया कि शवों की कमी हैं, इसलिए देह दान करने के लिए प्रेरित हुए, लेकिन उनकी देह को चूहों ने कुतर दिया। राजस्थान में वह बड़ा हैडिंग हुआ कि एस.एम.एस. हॉस्पिटल का प्राचार्य यह पाता है कि मैं इस कमी को कैसे दूर करूं। एम.सी. आई. की एक रिपोर्ट है कि एक छात्र को 10 शव चाहिए और अगर 10 शव नहीं मिलते हैं तो वह स्टडी ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसी से प्रेरित होकर उसने अपनी देह दान की और उसे चूहों ने कुतर दिया, उसकी पेपर में रिपोर्ट आई। इस कमी को हम कैसे दूर करेंगे? देह दान को प्रेरित करने के बाद हॉस्पिटल में जहां बॉडी को रखा जाता है, वह सुरक्षित रहे, क्योंकि अन्तिम संस्कार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जब उसकी बॉडी उसके परिजन देखने गये कि हमारे पापा जी ने देह दान की तो उसका क्या हुआ तो पता चला कि वह चूहों ने कुतर दी। उसके बाद उनको इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने लोगों को कहा कि देह दान नहीं करनी चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं है, उनको रोकने से ही इसमें प्रेरणा मिलेगी।

दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा कि मैडीकल कालेज का जो एनोटॉमी विभाग है, वह छात्रों की पढ़ाई के लिए शवों की मांग करता रहता है। देहदान करने वालों की सुरक्षा का जिम्मा अगर मेडिकल कालेजेज नहीं लेते हैं, तो इसकी कमी हमेशा हमें खलती रहेगी। ऐसा विचार करके इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा।

जो सुझाव कमेटी ने दिए हैं, उन पर आकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। ब्रेन डेथ को भी आपने इसमें सम्मिलित किया है। कमेटी यह कहती है कि हर नेशनल हाइवे पर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। हम कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे कि हर नेशनल हाइवे पर ट्रॉमा सेंटर होगा? दूसरा कमेटी ने सुझाव दिया कि आईईसी के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। अभी बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण, टीवी चैनल और रेडियों में इसका प्रचार ज्यादा नहीं होने के कारण, लोग देहदान नहीं करते हैं। ब्रेन डेथ के बारे में बताना चाहता हूं। जिसका गम्भीर एक्सीडेंट हो जाता है अचेतन होने पर उसको ब्रेन डेथ कह देते हैं। वहां जो आदमी अटेंडेंट होता है, वह सोचता है कि मैं क्यों देहदान की घोषणा करूं, मरीज तो कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन इस एक्ट में आपने सम्मिलित किया है कि जो आदमी उसके साथ खड़ा रहता है, उसे भी अपने को प्रमोट करना पड़ेगा, मोटीवेट करना पड़ेगा कि इसकी तो डेथ हो गयी और बीमार के अंग काम आ सकते हैं। यह कमेटी ने सुझाया है। इसको आप कैसे इनकारपोरेट करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

कमेटी का एक बहुत महत्वपूर्ण रिकमंडेशन है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, देश के बच्चों और नवयुवकों को भूख से ही इससे संबंधित मुद्दे से अवगत कराने की जरूरत है। इसलिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से विभाग विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य शिक्षा सामग्री शुरू कर सकता है।"

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और अगर ऐसे सुझावों की क्रियान्विती होगी तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, वह निश्चित रूप से दूर होगा।

दूसरा सुझाव जो कमेटी ने कहा कि

[अनुवाद]

दिमाग को टॉल-फ्री हेल्पलाइन शुरु करनी चाहिए।

[हिन्दी]

डिपार्टमेट को एक टेलीफोन हेल्पलाइन भी शुरू करनी चाहिए। इसकी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और डेडीकेटेड वेबसाइट की बात भी कमेटी सिफारिश करती है।

इसके अलावा कमेटी ने एक और रिकमंडेशन की है। मैं इसे भी कोट करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय अंगदान दिवस घोषित किया जा सकता है। इससे जनता के मध्य अंगदान को बारे में जागरुकता पैदा करने में मदद मिलेगी। इस दिवस को मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम और किये जा सकते हैं।"

[हिन्दी]

यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि नेशनल आर्गन डोनेशन डे मनाने की परंपरा शुरू करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सुझाव हैं, जो कमेटी ने दिए हैं, उनको मानना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है।

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें जो प्रक्रिया है, वह काफी जटिल है। मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ऑथराइजेशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी और इसको लेकर कई ये जो प्रक्रियायें हैं, उनमें इतनी जटिलताएं हो जाए कि डोनेट करने वाला परेशान हो जाये तो ऐक्ट में क्रियान्वयन में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। जैसे एक मुद्दा आया था कि पोस्टमार्टम होना था, किसी को डेथ हो गयी, सूर्यास्त होने वाला है, मेडिकल डिपार्टमेंट में पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद बॉडी के टिश्यूज डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या पोस्टमार्टम रात में भी करने की अनुमति मिल सकती है? डोनेशन और पोस्टमार्टम क्या साथ में समानांतर चल सकते हैं? जब यह ईश्यू स्टैंडिंग कमेटी में आया तो उन्होंने कह दिया कि यह गृह मंत्रालय से संबंधित है। मैं फील्ड की रियलिटी को जानता हूं और बताना चाहता हूं कि जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर है, जैसे ही सूर्यास्त होने वाला है, अगर उसके घर पर मैसेज करो कि बॉडी आ गयी है, मोर्चुरी में रखी हुयी है और आप आइए। वह उसको इग्नोर करता है। आधे-पौने घंटे तक इग्नोर करता है और इतने में सूर्यास्त हो जाता है। उसके बाद पूरी रात निकल जाती है। फिर सुबह कभी पुलिस का आदमी नहीं आता है और कभी सूपरिन्टेन्डेन्ट समय पर नहीं आता है। वह नहा-धो कर आना चाहता है तब तक काफी टाइम हो जाता है। यह तो ऑर्गन डोनेशन की बात है। कुछ ऑर्गन्स आफटर डेथ भी निकाले जा सकते हैं। उसकी भी एक समय सीमा है। उसके बाद वे ठीक नहीं रहते हैं। मेरा इसमें यह सुझाव है कि पोस्टमॉर्टम करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो डॉक्टर पोस्टमॉर्टम करते हैं वे ऐसा न माने की हम पोस्टमॉर्टम करेंगे तो कोर्ट में जाकर विटनेस के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से पोस्टमॉर्टस करने वाला डॉक्टर भी नहीं मिलता है। हॉस्पिटल में यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ऐसा देह दान करने वाला आदमी जो ह्यूमन ऑर्गन को डोनेट करने वाला आदमी आया है या डेड बॉडी आई है उसको हम कैसे जल्दी सहुलियत करें ताकि उसका पोस्टमॉर्टम भी हो जाए और उसका डोनेशन भी समय पर हो जाए।

एक बात मैं और इसके लिए कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इसके लिए फंड भी बनाया है। आपने इसमें एक बात कहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार किसी स्थान पर मानव अंगों और उत्तकों को निकाले जाने और भण्डारण हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित कर सकती है। वित्तीय ज्ञापन में 5 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

[हिन्दी]

यह पूरे देश का मामला है मंत्री जी। पांच करोड़ से इसमें क्या होगा? हो सकता है यह शुरूआत हो लेकिन राशि तो शुरूआत में ज्यादा लगनी चाहिए। जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले और लोगों को एक प्रेरणा मिले।

चूंकि यह एक महत्वपूर्ण बिल है। हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब तक जो डाक्टर हास्पिटल की धूरी बना है। डॉक्टर का भी चरित्र स्कूल से ही प्रारम्भ होता है। स्कूल में पढ़ने वाला लड़का ही डॉक्टर बनता है। डॉक्टर, सर्जन और व्यापार करने वालों के अंदर चरित्रता, नैतिकता और ईमानदारी जब तक नहीं आएगी तब तक बिल की भी सार्थकता मुझे संदिग्ध लगती है। मंत्री जी, आप मेरे सुझावों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे ऐसा मेरा सुझाव है। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. ज्योति मिर्धा (नागौर): धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे इस इहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। विन्सटन चर्चिल ने कहा था।

[अनुवाद]

"जो कुछ हम पाते हैं उससे अपनी जीवन चर्चा चलाते हैं, लेकिन जो कुछ हम दान करते हैं, उससे किसी का जीवन संवरता है।"

[हिन्दी]

मेरा ख्याल है कि जब ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो उसमें यह बात पूरी तरह से सार्थक साबित होती है। मुझे से पूर्व वक्ता ने और मंत्री जी ने अभी बताया कि बिल में जो मेजर चेंजेज किए गए हैं, जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूं। मंत्री जी ने बताया कि इसमें टिशूज को ऐड किया गया है। अर्जुन सिंह जी का कहना था कि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेन्डेशंस थीं उनमें टिशूज को अलग-अलग स्पैसिफाई करने के लिए कहा गया था जो कि रूल के अंदर आसानी से किया जा सकता है। कमेटी के कई ऐसे सुझाव थे। जिसमें आसानी से इनकॉपरेट किए जा सकते हैं। टिशूज को डिफाइन किया गया है। टिशू बैंक को डिफाइन किया गया है। नियर रिलेटिव में बात सही है कि दादा-दादी और ग्रैंड चिल्ड्रेन को इसमें इनक्लूड किया। कमेटी की यह रिकमेंडेशन थी कि उसमें जो खास मामा-मौसी या बुआ-चाचा हैं तो उन लोगों को अगर इसके अंदर इंक्लूड किया जाए ताकि व्यापार कम से कम किया जाए। जब भी आप ऑर्गन की बात करते हैं तो अगर बाजार में ये चीज उपलब्ध नहीं है इसलिए इसका गलत तरीके से व्यापार होता है। इसे रोकने के लिए इस बिल में बहुत अच्छे प्रावधान हैं। मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगी। अगर नियर रिलेटिव रिलेशन के डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड किया जा सके तो इसको मजबूत बनाने में और ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने में शायद और अच्छा रहेगा। ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर की जो बात की थी, उसकी क्वालिफिकेशन की बात की थी तो वह ज्यादातर एडमनिस्मट्रेटिव काम की तरह होगा। उसका जो मोटा-मोटी डेफिनेशन लगता है और उसमें भी नीचे यह चीज मेन्शन की गई है कि जैसा प्रीस्क्राइब्ड किया जाएगा तो उसके लिए भी रूल्स और गाइडलाइन्स फार्म्यूलेट की जा सकती है। आ.सी.यू. के स्टाफ को ट्रेन्ड किया जाएगा ताकि वह काउंसिल कर सके। काउंसिल में कोई पेशन्ट है अगर उसके कोई नियर रिलेटिव हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा सुझाव है क्योंकि जो क्रिटिकली जो इल पेशन्ट होते हैं उनके ऑर्गन समय रहते रिट्रीव किए जा सकें। उनको यूटिलाइज किया जा सके।

दूसरा मुद्दा एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ का बताया गया। एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को चुनने का तरीका है कि सैंट्रल गवर्नमैंट या स्टेट गवर्नमैंट, स्टेट गवर्नमैंट स्टेट्स के लिए और सैंट्रल गवर्नमैंट यूनियन टैरीटरी के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाएगी। एक एडवाइज़री बॉडी उस अथॉरिटी को एडवाइस करने का काम करेगी। उसमें अच्छी चीज यह है कि एडवाइज़री रोल के अंदर एनजीओ और एक ऑर्गन एक्सपर्ट को और इनक्लूड किया गया है जिससे माननीय सदस्यों के जो एप्रिहैंशन्स हैं, क्योंकि आम धारणा यह है कि हमेशा गरीब आदमी ऑर्गन देता है और अमीर आदमी ऑर्गन लेता है। ज्यादातर पेपर्स में यही चीज हाइलाइट की जाती हे, लेकिन ऑर्गन्स गरीब आदमी के भी फेल होते हैं और अमीर आदमी जो साधन सम्पन्न होता है, उसके भी फेल हो सकते हैं। इसका इलाज इस तरह का होता है कि यदि आपने ऑर्गन ले भी लिया, उसके बाद एमिनो सप्रैशन के लिए जो दवाइयां लेनी पड़ती हैं, उनकी भी बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। अगर आपने गरीब आदमी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर भी लिया, तो जरूरी नहीं है कि वह बाकी जिंदगी पूरी तरह इलाज ले पाएगा।

जिस स्टैंडिंग कमेटी की आप बात कर रहे हैं, उसकी एक सदस्य मैं भी हूं। उस समय हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अमर सिंह जी थे। वे खुद इस चीज से पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने बहुत इंटरस्ट लिया था। समिति ने भी बड़ी मेहनत करके रिकमैंडेशन्स दी थी मुझे बहुत खुशी है कि समिति की ज्यादातर रिकमैंडेशन्स डिपार्टमेंट ने इस बिल में इनक्लूड की हैं।

यह सबकी आम धारणा है कि इसमें इललीगल ट्रेड को किस तरह कर्ब किया जा सकता है। इसके लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। अगर आप फॉरेन नैशनल हैं तो रैसीपिएंट नहीं हो सकते। अगर डोनर या रैसीपिएंट में से एक नियर रिलेटिव फॉरेन नैशनल है तो जब तक ऑथराइज़ेशन कमेटी से एप्रूवल नहीं लेते तक तक ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। आप न डोनर बन सकते हैं न रैसीपिएंट बन सकते हैं।

तीसरा प्रावधान यह किया गया है माइनर्स से कोई ऑर्गन नहीं ले सकते। उसमें जो एक्सैपशन्स छोड़ी हैं, वे बहुत वैलिड एक्सैपशन्स हैं कि जब आपको कोई एडल्ट कमपैटिबल डोनर नहीं मिलता तब आप रीजनरेटिव टिशूज़ को डोनेट कर सकते हैं या आइडैंटिकल ट्विन्स के मामले में, अगर वह माइनर है और आइडैंटिकल ट्विन्स है, क्योंकि उसमें एमिनो सप्रैशन्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत अच्छे प्रावधान हैं और हर चीज पर सोच-विचार कर रिकमैंडेशन्स दी गई थीं। अगर आप मैंटली चैलेंज्ड हैं जिनका शोषण हो सकता है, इसमें उन लोगों को पूरी तरह प्रोटैक्शन दी गई है।

एक और बहुत अहम मुद्दा है कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि दो ऐसे डोनर रैसीपिएंट पेयर्स हैं जो आपस में नियर रिलेटिव हैं लेकिन कमपैटीबिलिटी नहीं है, तो वे ऑर्गन स्वैप कर सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत कमप्लैकसिटी आती है। आपको ऑथराइज़ेशन कमेटी से उसकी एप्रूवल लेनी पड़ेगी और फैसीलिटी इतनी बड़ी होनी चाहिए जहां चार ट्रांसप्लांट साइमलटेनियसली, एक साथ हो सकें। ऐसी कुछ ही फैसीलिटीज कर पाएंगी। लेकिन प्रावधान होने की वजह से कुछ फ्लैक्सिबिलिटी रह जाती है।

एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पैनल्टी वाले मुद्दे के बारे में कहना चाहती हूं। इस पर अर्जुन जी के बहुत बड़े एप्रीहैंशन्स थे। मेरे ख्याल से बहुत पैनल्टी रखी गई हैं जो डैटरैंट साबित होंगी, चाहे कोई ट्रांसप्लांट अस्पताल करता है चाहे टीम करती है, यहां तक कि अगर कोई डोनर या उसका नियर रिलेटिव एफीडैविट देकर गलत इन्फार्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए भी उसमें पैनल्टी का क्लॉज़ रखा गया है।

अर्जुन जी ने एक बात और कही कि ग्रीवैंस रिड्रैसल में आज तक हमारे पास क्यों इतने कनवैकशन्स नहीं हुए, क्यों स्टेट्स ने सैंटर के पास बहुत सारी शिकायतें दर्ज नहीं करवाईं। अभी तक वह प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सिविल कोर्ट की पावर्स दी गई हैं। क्योंकि वे लोग अपनी रीजनल पहुंच भी बनाएंगे, अर्जुन जी, जो एप्रीहैंशन्स हैं कि इललीगल, शिकायत या ग्रीवैंस के रिड्रैसल के लिए मकैनिज़्म नहीं होगा, जब एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ ऑथराइजेशन के प्लेस में आ जाएगीं तब वे एप्रीहैंशन्स भी उसे स्टेज में इतना महत्व नहीं रखेंगी। इसके साथ ही मैं एक बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जनरली हमारे यहां जब भी कोई इनैक्टमैंट होती है उसी रीविज़िट करने में बहुत लम्बा समय लगता है। इसे देख लीजिए, इसका 1994 में इनैक्टमैंट हुआ था और आज लगभग 17 साल बाद हम इसे यहां डिसकस कर रहे हैं। कोशिश यह रहनी चाहिए कि इसमें जो कमियां रह गई हैं या जो अच्छे सुझाव आते हैं, उन्हें इसमें हाथों-हाथ इनकॉरपोरेट किया जाए ताकि अमैंडमैंट के बाद इस बिल को सार्थक बनाने का हमारा जो ध्येय है, वह औपॉर्चुनिटी पूरी तरह से यूटीलाइज़ हो सके।

सभापति महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान चार-पांच खास मुद्दों पर आकर्षित करना चाहूंगी। अगर वे उन्हें इनकॉरपोरेट करें तो यह एक्ट काफी सार्थक साबित होगा। इसमें एक प्रोविजन है जहां लॉफुल पोज़ेशन ऑफ बॉडी, मैं उन मुद्दों को टच नहीं कर रही जहां गाइडलाइन्स, रूल्स या सरकारी सर्कुलर जारी करने के माध्यम से उन रिकमैंडेशन्स को एड्रैस किया जा सकता है, मैं उन सजेशन्स की बात कर रही हूं जिनका अगर एक्ट में ही प्रावधान कर दिया जाये तो शायद बेहतर होगा।

इसमें पहला प्रोविजन लॉफुल पोजैशन ऑफ डेड बॉडी है। इस अमेंडमैंट में यह बहुत एम्बीगुअस मुद्दा छोड़ा गया है। आप अगर इसके पैरलल लॉ देखेंगे चाहे यूके में देखे या यूएसए में देखें, वहां पर स्पेसीफाई किया गया है और रिलेटिव्स की प्रॉयरिटी दी गयी है कि पहली प्रायरिटी स्पाउस की होगी। उसके बाद पैरैंट्स की होगी, बच्चों की होगी, नीज, नेफ्यू की होगी या स्टैप फादर, स्टैप मदर की होगी। उसी तर्ज पर हम लोगों को भी ऐसा प्रायरटाइज करना चाहिए कि इसकी ऐब्सैंस में नहीं, तो उससे पूछा जायेगा कि आप आर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, या नहीं। इस मुद्दे पर कुछ स्पेसीफाई करना शायद एक्ट में ही अच्छा रहेगा।

महोदया, मेरी दूसरी रिकमैंडेशन यह है कि डोनर्स या पोटैंशियल डोनर्स, जिन्होंने अपने आर्गन्स प्लैज कर रखे हैं, उनकी एक रजिस्ट्री इस तरह मेनटेन की जाये, नैशनल रजिस्ट्री मेनटेन करने की बात इस अमेंडमैंट्स में की गयी है। लेकिन उसे ऐसे मेनटेन करे कि जो आदमी अपने आर्गन्स को प्लैज करता है, उसे प्रायरिटी दी जाये, क्योंकि हो सकता है कि उसके गुजर जाने के बाद, उसका इंतकाल होने के बाद या उसके आईसीयू में भर्ती होने के बाद उसके बाकी रिश्तेदार शायद उसके आर्गन्स न देना चाहें। इसका प्रोविजन होना चाहिए कि उसकी आखिरी विश को सबसे बड़ा मानते हुए रखा जाये कि अगर उसने अपने आर्गन्स प्लैज कर रखे हैं, तो उन्हें रिट्रीव करने का एक मकेनिज्म एक्ट के अंदर ही करना चाहिए।

तीसरा मुद्दा अहम है। इसके ऊपर जब मंत्रालय के लोग हमारी कमेटी के सामने आये थे और उन्होंने इस चीज के ऊपर एग्री किया था कि यह जरूरी होगा। पेमैंट में सैक्शन के (वन) जो किया गया है, उसमें मेनटेनैंस का प्रावधान भी होना चाहिए। आज की तारीख में आप मान लीजिए कि जब तक डिसीज्ड की बॉडी या अगर कोई ब्रेन डैड पैशेंट की बॉडी जो दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे या जब तक आप आर्गन्स रिट्रीव न कर सकें, वह काम आप ज्यादा आईसीयू टाइप फैसीलिटी में कर सकते हैं। आईसीयू में लगभग 75 हजार रुपये से एक लाख रुपये रोज का खर्चा आता है। इसमें जो पेमैंट की डेफिनेशन की गयी है, उसमें सैक्शन 2, के (1) देखिये–

[अनुवाद]

(ट) पहली बात यह है–"मुहैया कराए जाने वाले मानव अंग अथवा उत्तक अथवा दोनों को निकाले जाने, परिवहन और परिक्षण की लागत...

[हिन्दी]

इस पोर्शन में मेनटेनैंस शब्द जरूर जुड़ना चाहिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी को जब तक आप प्रिजर्व नहीं करेंगे और उसकी जो कीमत हैं, उसका जो खर्च आता है, जहां-जहां वे आर्गन्स यूटीलाइज किये जाते हैं, उस कीमत को रीएम्बर्स करने का प्रोविजन होना चाहिए, चाहे वह रैसीपिएंट की तरफ से हो चाहे अस्पताल जो डोनेशन लेते हैं, उनकी तरफ से हो।

अपराह्न 4.58 बजे

[**डॉ. एम. तम्बदुरई** *पीठासीन हुए*]

इस पर कमेटी ने भी उस टाइम एग्री किया था, लेकिन इसमें मनेटेनैंस शब्द नहीं आ पाया।

एक और अहम मुद्दा ज्यूरिसडिक्शन का है। जो ऑथराइजेशन कमेटी होगी, मान लीजिए स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर हास्पिटल होगा, तो उसमें ज्यूरिसडिक्शन किस ऑथराइजेशन कमेटी का होगा। इसमें कमेटी की एक रिकमैंडेशन थी कि जहां पर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, वहां की ऑथराइजेशन कमेटी को ज्यूरिसडिक्शन देना चाहिए ताकि ऐम्बीग्विटी खत्म हो सके और प्रोसीजर जितना सिम्पलीफाई और फैसिलिटेट हो सके।

श्री अर्जुन मेघवाल जी ने पोस्टमार्टम वाला एक मुद्दा और उठाया था। यह बात सही है कि बहुत से ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, जो अपने नियर एंड डियर वन्स के आर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वह मेडिकल लीगल केस हो जाता हे या उसके अंदर पोस्टमार्टम होना होता है, पहले एक प्रक्रिया होती है जहां पर आर्गन्स को रिट्रीव किया जाता है, दूसरी बार एक प्रक्रिया होती है जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाता है।

अपराह्न 5.00 बजे

अगर उसमें जनरली 48 घंटे तक का समय भी निकल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो जो लोग शुरू में बहुत आगे बढ़कर अपने रिश्तेदारों के आर्गन्स डोनेट करना चाह रहे होते हैं, आखिर में वे ही बड़े परेशान होकर, जैसे-तैसे बुरे व्यवहार के साथ अपने रिलेटिव की बॉडी को ले जाते हैं। यह बात सही है कि इसमें होम मिनिस्ट्री की कुछ इंटरवेंशन चाहिए होगी। आर्गन रिट्रीवल मोर्चुरी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह ऑपरेशन थिएटर में ही साइमलटेनेसली पोस्टमार्टम होने का प्रावधान किया जा सके तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। एक अन्य रिकमेंडेशन जो पुराने एक्ट में थी, जिसकी कोई सार्थकता मुझे समझ में नहीं आती है, इसमें लिखा गया है कि जेल में होने पर या अस्पताल में होने पर अगर दो दिन तक कोई बॉडी को क्लेम नहीं करता है, तो आप उसके आर्गन्स एप्रोप्रिएट अथारिटी की परमीशन से काम में ले सकते हैं। अव्वल, अगर शरीर को ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया है, तो 48 घंटे के बाद में शरीर में ऐसा कोई आर्गन नहीं होता हे, न बोन, न टेंडन, न कोई ब्लड वेशल, न कॉर्निया, कोई भी इस तरीके का नहीं है, जिसे यूटिलाइज कर सकें। यह एक बड़ा रिडंडेंड सा क्लॉज है जिसका सार्थकता मुझे समझ में नहीं आती है। जेल वाले केस में यह अनएथिकल भी होगा। अगर अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रावधान को भी रिमूव कर दें, तो बिल के लिए भी ठीक होगा।

दूसरी बात आई थी कि स्कूल के करीकुलम में इसको जोड़ा या लोगों को इसके बारे में और बताया जाए, उनमें जागरूकता बढ़ाई जाए। अर्जुन जी, यह देश महर्षि दधीचि का देश है, राजा शिवि का देश है, 121 करोड़ की आबादी में अगर हम लोगों को इसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सकें, हम सभी यहां संसद में बैठे सदस्यगण लोगों को प्रतिनिधि हें, हम लोगों को बता सकें, तो इस देश में आर्गन्स की कमी हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानती हूं। कहीं न कहीं कमी हमारे सिस्टम में है। यह बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि मैं खुद एल्युमिनाई हूं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से और हमारे प्राचार्य की पार्थिव देह के साथ जो हुआ, वह वाकई एक बहुत दु:खद घटना थी। ये ऐसी घटनाएं होती हैं, जो परिजनों को हमेशा डेटर करेंगी कि अगर हम अपने किसी परिजन की डेड बॉडी आपको दे रहे हैं, साइन्स को दे रहे हैं या आर्गन डोनेशन के लिए दे रहे हैं और उसके साथ अगर यह व्यथा होती है कि डेड बॉडी को चूहे कुतर जाएं। इस तरह की घटनाएं एक डेटरेंट का काम करती हैं। जिसने अपनी बॉडी दी है या अपने आर्गन्स दिए हैं, उसका सम्मान पूरी तरह से कायम रहे, इसके लिए अगर हम कुछ विशेष प्रावधान कर सकें, गाइडलान्स इश्यू कर सकें, तो वह भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

हमारी सरकार हर आम आदमी की बात करती है। आप जानते हैं कि एक आम आदमी की अहम भूमिका निभाने के लिए फिल्मों में राज कपूर जी थे और उनको आवाज देने के लिए आम आदमी का एक सिंगर हुआ करता था, वह सिंगर होता था मुकेश। उनके एक दिल को छू लेने वाले गाने की पंक्तियां थीं-एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल, जग में रह जाएंगे, प्यारे तेरे बोल। उसी में उन्होंने एक जगह कहा था-दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जो सुझाव दिए गए हैं, उनको इन्कोरपोरेट करें, ताकि यह लॉ सार्थक हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, वैसे मेरे दल की ओर से श्री रामकिशुन जी को बोलना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ सके हैं।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। उनके पीछे तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे, हमारे बगल में ही बैठते थे, श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी बैठे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज इस बिल के साथ बैठे हैं। मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा।

मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 पर यहां चर्चा हो रही है। बहुत अच्छा माहौल था कि सामने राजस्थान की सभापति महोदया बैठी थीं, शुरूआत अर्जुन जी ने की। अब हमारी दूसरी तरफ से माननीय सदस्या ने अपनी बात कही, वह भी राजस्थान से ही आती हैं। मैं इन सबकी बात सुन रहा था, बहुत अच्छे विचार और सुझाव इन्होंने सदन में रखे।

अंग प्रतिरोपण के विषय में अगर देखा जाए तो यह भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आधुनिक चिकित्सा पद्धति और विज्ञान की उपलब्धि है। पहले जब किसी की कोई अंगुली या हाथ कट जाता था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसे वेस्ट मानकर फेंक दिया जाता था। लेकिन अब जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, इस मेडिकल साइंस में इतना विकास हुआ है कि अगर कोई अंगुली या हाथ कट जाए तो वह व्यक्ति फौरन अस्पताल जाकर उसे जुड़वा सकता है। हमारे इलाहाबाद में सिटी अस्पताल में ऐसे बहुत से अंग जुड़े हैं।

मंत्री जी का इस बिल को पेश करने का एक कारण यह भी है कि अंगदान को बढ़ावा मिले। अभी तक भारत में नेत्रदान के विषय में ही लोग जानते थे, लेकिन अब अंग-प्रतिरोपण के विषय में भी सुनने को मिलता है। हमारे देश में अभी दस लाख लोगों को कॉर्निया के प्रतिरोपण का इंतजार है, लेकिन केवल 38,000 को ही यह मिल पाता है। इसी तरह हर वर्ष देश में डेढ़ लाख लोगों की किडनी खराब होती है, लेकिन केवल 5,000 किडनियों का ही प्रतिरोपण हो पा रहा है। इस बिल में 15 नए अंगदान केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है। शुरुआती वर्ष में, मैं देख रहा था, दो-चार तो खुल भी चुके हैं। अगर आंकड़ों पर जाएं तो हर वर्ष देश में दो लाख व्यक्तियों के अंग प्रतिरोपण की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग जीने की आस खो चुके हैं, जिनके अंग बेकार हो गए हैं, वे समझ लेते हैं कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन उन्हें फिर से जीवनदान देने की शुरूआत इस बिल के माध्यम से की जाएगी। हम इसका स्वागत करते हैं।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर भी इस बारे में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाने की आवश्यकता है। गैर कानूनी ढंग से जो अंग प्रतिरोपण का काम चल रहा है, जैसा अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी कहा, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस बारे में जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। वह कितनी की गई है, मंत्री जी अपने जवाब में बताने की कृपा करें। इसके साथ ही सजा का भी प्रावधान किया गया है।

हमारे एक मित्र ने कहा कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो खानाबदोश हैं, ऐसे लोगों को देखा गया है कि वे अक्सर ब्लड बेचकर अपना पेट पालते हैं। हमारे इलाहाबाद में कई ऐसे केस सामने आए हैं, जो ऐसा करने को मजबूर हुए। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि एक एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति को उसके परिवार वालों ने अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन जब दो-तीन दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि खून की जरूरत है तो उसके ही परिवार वाले वहां से डर के मारे चले गए। इसका कारण है कि गांवों में आज भी भ्रांति है कि खून देने से आदमी बीमार हो जाता है या कमजोर हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और जागरूकता का अभाव है। गांवों में जो पीएचसी और सीएचसी हैं, वहां इस बारे में प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। अगर आंकड़ों पर जाएं तो हर तीन मिनट में हमारे देश में एक व्यक्ति का अंग प्रतिरोपण होता है। इसी तरह भारत में करीब 20,000 लोग लीवर प्रत्यारोपण के इंतजार में हैं। अगर यह बिल अंगदान को आसान बनाने वाला साबित होगा तो जो लोग अंगदान करते हैं, उनके लिए काफी सुविधा हो जाएगी। आज के चिकित्सा युग में लगता है कि आने वाले समय में पुनर्जन्म की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन तमाम विकारों से दूर होना आसान हो जाएगा, क्योंकि अंगदान बहुत अच्छा दान माना जाता है। इसका पुराणों में और तमाम धार्मिक पुस्तकों में वर्णन आता है। जैसे ऋषि दधिची की बात कही गयी है और उनका जिक्र यहां करना मैंने वाजिब समझा है। परिवार के दो पीढ़ी के सदस्यों को जो अंगदान देने का प्रावधान किया गया है, वह बहुत अच्छी बात है। देश की राजधानी दिल्ली में अपोलो का बहुत अच्छ रिकार्ड है, वैसे ही हमारे एम्स, राममनोहर लोहिया, पंत और तमाम अस्पतालों में, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी हों, यह व्यवस्था होनी चाहिए।

अभी माननीय अर्जुन मेघवाल जी कह रहे थे कि मां-बाप, बेटी पति-पत्नी, भाई-बहन, जो खून के रिश्ते हैं उन्हें आपने इसमें शामिल किया है। उसके साथ-साथ आपने इसमें दादा-दादी, नाना-नानी और चचेरे-ममेरे रिश्तेदारों को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि जो चाचा हैं तो मेरे ख्याल से चचेरे रिश्ते में वे आ जाते हैं, अगर उसमें क्लासिफिकेशन करके कुछ सुधार कर दें, तो बहुत अच्छा होगा और उससे इस बिल को बल मिलेगा। अगर आंकड़े

देखें तो पांच लाख लोग प्रति-वर्ष हार्ट-गुर्दे-लीवर के खराब होने से मरते हैं। इसके तरफ भी विज्ञान ने काफी प्रगति की है लेकिन प्रत्यारोपण की व्यवस्था अभी हम नहीं कर पाए हैं। आपने इस बिल में यह भी बताया है कि प्यार और लगाव के कारण दान करने वाले लोगों की कैटेगरी का अक्सर दुरूपयोग होता है। इसमें आपने प्रावधान किया है और मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा।

भारत में एक साल में एक लाख से ज्यादा लोग गुर्दे के रोग से पीड़ित होते हैं। लेकिन केवल तीन हजार गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसमें मानव अंगों की तस्करी की बात भी कही गयी है। जो बच्चे 15-16 साल के होते हैं, उनका अपहरण करके, उन्हें मारकर, उनके अंगों की तस्करी हो रही है। इस ओर माननीय मंत्री जी हमें ध्यान देने की आवश्यकता हैं जो सर्वे आया है मानव-तस्करी में भारत का नाम भी शामिल है। इस ओर हमें निगरानी रखनी होगी कि जो लोग अवैध तरीके से इसमें लिप्त हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए।

मानव-अंगों को दान करने वाले जो लोग हैं, उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाए तो अति उत्तम होगा। उन्हें कुछ भी धनराशि आप देंगे तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है, वे पैसे की वजह से दान करेंगे। पहले लोग चोरी-छिपे इस काम को करते थे लेकिन जो लोग स्वेच्छा से करना चाहेंगे, उन्हें अगर सरकार की तरफ से अगर कुछ पुरस्कार राशि मिल जाए, तो बहुत अच्छा है।

दूसरी बात यह है कि जो तमाम हाई-वे बने हैं और उनके लिए फिक्स किया गया था कि इतने समय में हम इतनी दूरी तय कर लेंगे, लेकिन वह मानक आज भी हाई-वे पर पूरा नहीं हुआ है। अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट्स की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि उसमें एक व्यवस्था की गयी थी कि ट्रामा-सेंटर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वह तो नहीं पा रहा है ओर एक्सीडेंट में आदमी वहीं मर जाता है। अस्पताल एक्सीडेंट की जगह से बहुत दूर हैं और आदमी ले जाते समय ही मर जाता है। विदेशों में तो इसका बहुत प्रचार-प्रसार है और लोग प्रोत्साहित होकर अपने अंग दान करते हैं लेकिन हिंदुस्तान में जो तमाम तरीके के टोने-टोटले हैं उनके कारण आदमी अंग-दान करने में और उनके प्रत्यारोपण कराने में हिचकता है। इसमें जागरुकता की बहुत आवश्यकता है। सभापति जी, मैं इन्हीं बातों के साथ, इस बिल पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करुंगा।

एक बात बहुत प्रमुखता से आई कि जो लावारिश लाशें बरामद होती हैं अगर उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए, तो बहुत से अंग हमें मिल सकते हैं। लोग आंख दान करते हैं लेकिन विदेशों में तो अब दिमाग दान की बात, किडनी, फेफड़ें, लीवर और कुल मिलाकर 37 अंगों के दान की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था हमें अपने यहां भी करनी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। यह बिल चूंकि स्टैंडिंग कमेटी से हो कर आया है, इसलिए इसके काफी पहलुओं पर विचार हो गया होगा। इसमें संदेह नहीं होगा कि काफी परीक्षण करके यह बिल लाया गया है। मुझे कुछ शब्दों के बारे अपनी बात कहनी है। आपने पैरा-2 में बृहद नाम को छोटा किया गया है। बृहद नाम था-मानव अंगों के चिकित्सीय परियोजनों के लिए निकाले जाने भंडारणकरण और प्रत्यारोपण का विनियमन करने और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार का निवारण करना। यह नाम बड़ा था और इसके स्थान पर छोटा कर रहे हैं-मानव अंग और उत्तकों के चिकित्सीय परियोजन के लिए निकाले जाने, भंडारणकरण और प्रत्यारोपण का विनियमन करने और मानव अंगों तथा उत्तकों में वाणिज्यिक व्यवहार का निवारण करने, मैं नहीं समझता हूं कि पहले से ज्यादा दूसरे वाला छोटा है। दूसरी बात इस बिल में है-संदान। हम बिल अंगदान का ला रहे हैं और इसमें काफी बार संदान शब्द आया है। इस पर भी मुझे ऐतराज है। तीसरी बात इस बिल में जगह-जगह "निकाले जाने के लिए" शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपने आप में ये शब्द इस बिल को स्टीक बल नहीं देता है। निकाले जाने में और लिए जाने में बड़ा अंतर है। निकाले जाने का मतलब बफर सिस्टम भोजन की तरह है। जिसे हम निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। हम अंग दान ले रहे हैं और भाषा का प्रयोग कर रहे है-"निकाले जाने का।" बफर सिस्टम नहीं, अगर चौका पर बैठ कर खाएंगे, तो अंग दान देने वाले में और अंगदान लेने वाले के लिए आदर का सम्बोधन होगा, इसलिए मुझे इस शब्द पर ऐतराज है। बिल में "निकाले जाने" की जगह "लिए जाना" शब्द होना चाहिए।

महोदय, इमसें तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू देने वाला है, एक महत्वपूर्ण पहलू पाने वाला और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू कार्यकरण करने वाला या इन कार्यो को कराने वाला। अभी तक तीन तरह के लोग अंगदान कर सकते हैं-व्यक्ति जीवित हो तो गुरदा और जिगर का दान कर सकता है। व्यक्ति का दिमाग अगर मर गया हो, तो वह दान कर सकता है। व्यक्ति समान्यत: दान कर सकता है और दुर्घटना में दान कर सकता है। इन छह पहलुओं पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक प्रश्न आता है-दाता। "दाता" की स्थिति हमें समझनी होगी मैं समझता हूं कि इसमें एक उससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो अंग दान किए

गए, उसके लेने वाले की आर्थिक हालत क्या है। अंग दान वही कर सकता है, जो मैं समझता हूं कि हमारा चालीस परसेंट भारत है, वह चालीस परसेंट भारत इस पचड़े में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतनी महंगी प्रत्यारोपण कराने की क्षमता नहीं है कि अंग दान करे और अंग प्रत्यारोपण कराए। इस खर्चे को वह सहन कर सके, यह उसकी क्षमता में नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे देश का चालीस प्रतिशत जो बीपीएल है, चालीस करोड़ के आसपास है, यह इस पचड़े में नहीं पड़ता है, इसलिए वह दाता नहीं बन सकता है। बीपीएल दाता कब बनता है, जब वह खाने के बिना मरने लगता है, बेटी की शादी के लिए परेशान हो जाता है या बुरी आदतों में पड़ कर बर्बाद हो जाता है, तो अस्पताल के सामने बैठ कर अपनी किडनी दान कर देता है। ऐसी स्थिति में वह दाता बनता है। अंग लेता कौन है, लेने वाले आदमी की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वह अपने पिता से, मां से, भाई से, चाचा से, चाची से, मामा से, जिनसे आपने लाने का काम किया है, उनसे ले न ले, लेकिन निश्चित तौर पर मार्केट से खरीदने की क्षमता रखता है।

आज के सामाजिक परिवेश में ऐसा होता है कि बचपन में भाई-भाई होता है, लेकिन ज्यों ही बंटवारा होता है तो भाई-भाई को दान नहीं कर सकता लेकिन उसका मित्र और कोई दूसरा साथी भले ही दान देकर उसे बचा सकता है। इसको बचाने के लिए निश्चित तौर पर तीसरा आदमी बनता है? तीसरा आदमी वह होता है जो इन कार्यों का कार्यकरण करता है। उसकी हालत है कि आज ये सारे काम कैसे होंगे? कुशल डॉक्टर से होंगे। बिना डॉक्टर के न हम किसी अंग को ले सकते हैं और न प्रत्यारोपण कर सकते हैं। यह काम महत्वपूर्ण डॉक्टर द्वारा होने हैं और जितनी भी बड़ी घटनाएं अंग प्रत्यारोपण की आड़ में, जैसे कि हम देखते हैं कि कई बड़ी घटनाएं घटी जिसमें अंगों की तस्करी की गई और कलेजे बेचे गये। अंगों की तस्करी इस देश में हुई। यह क्यों हो रहा है? मैं इस बात को व्यवसाय से जोड़ना चाहता हूं और यह कहने का मेरा आशय है कि अगर एक लाख पूंजी लगाएंगे और दस लाख रुपया नहीं कमाएंगे तो आपकी फैक्टरी बैठ जाती है। आप उस व्यवसाय को छोड़ देते हैं। हमें निश्चित तौर पर सोचना होगा कि हम आज जो डॉक्टर बना रहे हैं, कितने में बना रहे हैं? दस लाख रुपया, बीस लाख रुपया माता-पिता खर्च करते हैं तब जाकर एक डॉक्टर पैदा होता है और 20 लाख रुपया खर्च करके बनने वाला डॉक्टर हजार रुपया कमाकर संतोष नहीं करेगा। यदि उसे अवसर मिलेगा तो अंग की वह तस्करी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर पैदा करने का खर्च भी हमारी सरकार को उठाना चाहिए कि वह तस्करी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर पैदा करने का खर्च भी हमारी सरकार को उठाना चाहिए ताकि जो अंग देने वाला है, वह यह न समझे कि भारत सरकार ने जो उसका खर्चा किया है, इसके लिए मैं कोई अंगों का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा और जो 50000 की आवश्यकता है, उसे हम 5000 में पूरा करेंगे। मैं इस पर बल देते हुए कि यह बिल सही दिशा में जाए, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन बिल, 2009 जो लाया गया है, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। इसमें जो पहले किडनी, लिवर इत्यादि की तस्करी डॉक्टर लोग करते थे, उस पर रोक लगी है। 1994 में जो बिल लाया गया था, उसमें ही आगे आकर 2009 में संशोधन करके कुछ बातें जो उसमें छिपी हुई थीं, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। मैं चाहूंगा कि जितने भी राज्य हमारे देश में हैं, सभी में समरूपता से काम हो तभी यह बिल सफल हो पाएगा। इसमें मैं देख रहा हूं कि बिल में कुछ प्रावधान किये गये हैं, जैसे कारावास की सजा दी गई है। उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। जो लोग इसमें पाए जाएंगे, उनके लिए सजा ज्यादा है। उसमें दंड भी 5 लाख रुपये तक का किया गया है, यह अच्छा काम है लेकिन मैं सुन रहा था कि हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि अमीर लोग खरीदते हैं और गरीब लोग बेचते हैं। ऐसा नहीं है। आजकल ऐसी हालत है कि गरीब लोगों को ही ज्यादा बीमारियां होती हैं। खासकर हमारे बिहार में जितनी भी दवाई कंपनियां हैं, आप अगर देखेंगे कि हमारे यहां ही दवाइयां बहुत ज्यादा बिकती हैं क्योंकि वहां पर बीमारियां ज्यादा हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें जो किडनी, लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन है, इसमें विधेयक के द्वारा जो किया गया है, गरीब आदमी को भी सहायता के रूप में दिया जाए।

ट्रॉमा सैंटर खोले गए हैं। शैलेन्द्र जी बता रहे थे बहुत से एसएच और एनएच बने हैं जहां गति की कोई सीमा नहीं होती है जिसके कारण एक्सीडेंट होने से लोग मर जाते हैं। ऐसी जगहों पर ट्रॉमा सैंटरों की व्यवस्था होनी चाहिए जहां एक्सीडेंट में मरने वाले व्यक्ति का शव पहुंचाया जा सके और बचे हुए अंगों को डोनेट किया जा सके। गरीब आदमी को स्मार्ट कार्ड के तहत 30,000 रुपए का प्रावधान है, इसमें ट्रांसप्लांटेशन का खर्च दे सकते हैं, यह दो या तीन लाख पड़ता है, इसमें नहीं दे पाएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि ऑपरेशन किसी चीज का होता है और अंग कोई और निकाल लिया जाता है। ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति को इस बात का पता दो या तीन साल बाद चलता है। इस तरह के धंधे फलफूल रहे हैं, गरीब आदमी प्रभावित हो रहे हैं ऐसा न हो इसलिए कानून में प्रावधान होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): सबसे पहले मैं सभापति महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने की अनुमति दी है।

स्वास्थ्य देखभाल देश के सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है और सभी लोगों की इस तक पहुंच होनी चाहिए। यह सुविख्यात है कि अंग-प्रतिरोपण विश्व की चिकित्सा सेवा की एक वरदान है और इसने अनेक व्यक्तियों की जान बचाने में सहायता की है।

मैं माननीय मंत्री ये यह अनुरोध करती हूं कि वह निगरानी सेल गठित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (दाता) (डोनर) और प्राप्तिकर्ता (रेसीप्रिएंट) के बीच अंग दान करने की प्रक्रिया सुचारू बने। यदि उनमें मेल न खाए तो उन्हें अन्य दाताओं (डोनरो) से अंग प्राप्त कर लेना चाहिए। निकट संबंधी की परिभाषा में पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, पौत्र-पौत्री और दोहित्र-दोहित्री या कोई अन्य संबंधी जो दाता का निकट संबंधी हो, को शामिल करना चाहिए ताक जब दाता डोनर प्रतिरोपण के लिए अपना अंग दान करने के लिए आए तो आवश्यक। अवरोधों को दूर किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंग और उत्तक को निकालने और उसके भण्डारण के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से कार्य करे ताकि धनी व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग करने की गुंजाइश न रहे।

विधेयक में यह बताया गया है कि एक चिकित्सा बोर्ड होगा जिसमें तंत्रिका विज्ञानी (न्यूरो-फिजिशियन), तंत्रिका शल्य-चिकित्सक (न्यूरी-सर्जन), निश्चेतना विज्ञानी (एनेसवेटिस्ट) और सघन चिकित्सा विज्ञानी शामिल होंगे। तंत्रिका विज्ञानी और तंत्रिका शल्य चिकित्सक की अनुपस्थिति में, चिकित्सक और सर्जन को शामिल किया जाएगा मुझे डर है कि सरकार की भलमनसत का चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत उद्योगपति और अवसरवादी दुरुपयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की मस्तिष्क मृत्यु की घोषणा करने के लिए तंत्रिका विज्ञानी और तंत्रिका-शल्य चिकित्सक को खोजना एक कठिन कार्य नहीं है। यह न केवल अंग-प्रतिरोपण में पारदर्शिता बनाए रखेगा, वरन् साथ-ही-साथ उसके संबंधी भी संतुष्ट होंगे। इसलिए मंत्रालय इस संबंध में प्रयास कर सकता है। चिकित्सा कॉलेजों और सरकारी अस्पतालाओं को छोड़कर, गैर-सरकारी संगठनों, जो प्रतिरोपण का कार्य कर रहे है, को अपना लाइसेंस प्रत्येक छह महीने में नवीकरण कराना चाहिए।

मानव अंग संदान करने के बारे में जागरुकता होने के बावजूद विशेषकर उन व्यक्तियों जिनकी मस्तिष्क मृत्यु हो गई है अथवा जो अपनी मृत्यु के पश्चात् वास्तव में अपने अंगों का संदान करना चाहते हैं, बहुत बार हम लोग अंग प्रतिरोपण करने में चूक जाते हैं क्योंकि निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने अथवा उनके द्वारा अंतिम सांस लेने से पहले उनके संबंधियों के सदमे में होने के कारण इस बारे में अनुरोध प्राप्त नहीं होता है। अंगों के प्रतिरोपण के लिए विदेशों से काफी लोग आ रहे हैं। इसे सुचारू किया जाना चाहिए।

संपूर्ण मानव अंग प्रतिरोपण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू संयम पर प्रतिरोपण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक विकास के बावजूद अस्पताल के अधिकारी और रिश्तेदार दोनों ही मानव अंगों के प्रतिरोपण के लिए समय पर मानव अंगों की व्यवस्था नहीं कर पाते। इसके स्थायी समाधान के लिए इस पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जिससे कि मानव अंग दान करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या तो स्वयं अथवा उसके रिश्तेदार द्वारा निकटवर्ती अस्पताल में समय पर प्रतिरोपण की व्यवस्था की सूचना दे सके।

इस संबंध में देश के महानगरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के बड़े और छोटे अस्पतालों के आई.सी.यू. को सलाह भेजकर अनुदेश दिए जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आई.सी.यू. में दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर अंग दान के लिए उसके रिश्तेदारों से आग्रह किया जा सके। आई.सी.यू. अथवा बड़े अस्पतालों में प्रतिरोपण के लिए अंगों का पुन: प्राषणीय 24 घंटे उपलब्ध होने चाहिए।

अवयस्कों द्वारा मानव अंगों को दान की कुछ घटनाएं प्रकाश में आयी हैं। इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मानव अंग प्रतिरोपण संबंधी आंकड़ों की निगरानी मंत्रालय स्तर पर की जानी चाहिए जिससे कि हम वास्तव में जान सकें कि किसी विशेष अवधि अथवा वर्ष में कितने अंग प्रतिरोपित किए गए हैं।

मानव अंगों का अवैध व्यापार भी एक चिंता का विषय है। समाचार पत्र की रिर्पोटों के माध्यम से किडनी के व्यापार की ऐसी अनेक घटनाएं प्रकाश में आयी हैं। यद्यपि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अंतर्गत मानव अंगों का क्रम और विक्रम प्रतिबंधित है इसके बावजूद हम ऐसी की घटनाएं देखते हैं। मानव अंगों के अवैध व्यापार में शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

महोदय, मानव अंगों का प्रतिरोपण काफी महंगा है और इसी प्रकार प्रतिरोपण के बाद का उपचार भी काफी महंगा है। इसलिए मैं मंत्री से इस संबंध में प्रयास करने का अनुरोध करती हूं।

यह सच है कि अंगों की मांग और आपूर्ति में अंतर है परन्तु हममें से कितनों ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी आंखें और शरीर के अन्य अंगों का दान करने के लिए सहमति दी है?

अंत में मैं मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक 2009 को विचार और इसे पारित करने के लिए मैं इस सम्मानीय सभा में प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं।

श्री एस. आर. जेयदुरई (थुथुकुडी)*: सभापति महोदय मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक 2009 संबंधी चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं 1994 में बनाए गए विधान में कतिपय परिवर्तन लाने के लिए सरकार की पहल का स्वागत करता हूं। अब मानव अंगों का प्रतिरोपण वैधानिक रूप से कारगर चिकित्सीय रूप सुकर और मानवीय रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देषों और राजीव गांधी फांउडेशन द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल करते हुए इस विधेयक के माध्यम से मौजूदा अधिनियम में पर्याप्त निगरानी तंत्र के साथ इसे और अधिक मनोवोचित तथा पारदर्शी बनाने का उपबंध किया गया है। जब किसी दुर्घटना अथवा इस प्रकार की घटना में किसी व्यक्ति की मस्तिष्क मृत्यु हो जाती है तो अंगदान करने के लिए तंत्रिका शल्य चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। इस कानून में तंत्रिका शल्य चिकित्सा के अभाव में मेडिकल बोर्ड के गठन का उपबंध किया गया है जिसमें अन्य शाखाओं के चिकित्सक और शल्य चिकित्सकों को शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम से इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में मूक क्रान्ति आएगी।

इस विधेयक में अवयस्कों को शोषण से बचाने, अंग दान कर्ताओं द्वारा अंगों का अदान-प्रदान और विदेशी नागरिकों के संबंध में मानव अंग प्रतिरोपण संबंधी विनियमन पर ध्यान दिया गया है। इस विधान में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में परामर्श समिति के गठन का भी उपबंध किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मानव अंग प्रतिरोपण की जरूरत महत्वपूर्ण चरण और तत्काल आधार पर पड़ती है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया को विभिन्न समितियों में होने के कारण इसमें और अधिक न हो। इस विधान में विभिन्न मानव अंग दान करने की अनुमति और प्रतिरोपण की व्यापक परिभाषाएं दी गई है। मैं निकट के रिश्तेदार शब्द के दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का स्वागत करता हूं जिससे कि हमने अभिभावक पिता और भाई-बहन के साथ-साथ दादा-दादी और नाती-पोते को भी शामिल किया जा सके। इस अवसर पर मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अंग के दानकर्ता के होने के बाद मानव-अंग प्रत्यारोपण के लिए कानूनी सहमति लेने की प्रक्रिया में और विलंब नहीं होना चाहिए।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मानव-अंगों के दान के व्यापारीकरण और चिकित्सा-जगत व अपराध जगत के जटिल व्यक्ति के हाथों निर्दोष गरीब लोगों के शोषण को रोका जा सकता है। भोले-भाले गरीब लोगों की किडनी निकालने की घटनाएं हमारे सामने पहले ही आई हैं। इस विधान में मानव-अंगों के प्रत्यारोपण को पंजीकरण और निगरानी तंत्र बनाने का प्रावधान है। इस कारण आगे यह एक सराहनीय और पारदर्शी प्रक्रिया बना जाएगी।

इस विधेयक में एक राष्ट्रीय नेटवर्क और राष्ट्रीय पंजीयक व्यवस्था गठित करने का प्रावधान है। कंम्प्यूटर के इस युग में अधिक से अधिक सूचना सबको उपलब्ध होकर और पर प्रक्रिया पारदर्शी बढ़ेगी। मैं मानव अंग प्रत्यारोपण के अनुमति-प्राप्त देश के प्रत्येक अस्पताल में एक प्रत्यारोपण समन्वयक की नियुक्ति के सरकार की पहल का स्वागत करता हूं। गैर-सरकारी संस्थाओं को भी इस प्रयोजन के लिए बने उपयुक्त निकायों में औपचारिक पंजीकरण के बाद अंग भण्डारण, दान और प्रत्यरोपण की अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा जगत और जन सामान्य द्वारा इस संशोधन विधेयक के माध्यम से 1994 के अधिनियम को सशक्त बनाने की सरकार की प्रक्रिया का स्वागत होगा। कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए दण्ड और अधिक होगा। इससे अवैध कार्य करने वाले लोगों पर भी अंकुश लग जाएगा।

इस अवसर पर मैं डॉ. हमारे नेता कलैनार करुणानिधि के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की पूर्व सरकार हमारे नेता कलैनार बीमा योजना जिसे अब बंद कर दिया गया है, और '108-एंबुलैंस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से फैलाई गई स्वास्थ्य जागरुकता का उल्लेख भी करना चाहता हूं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विशेषकर मानव-अंग का प्रत्यारोपण कराने वाले मरीजों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराए क्योंकि उनका उपचार बिना समय गंवाए तात्कालिकता के आधार पर किया जाना होता है।

मैं इस विधेयक का अपनी और अपनी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की और से समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं।

डॉ. अनूप कुमार साहा (बर्धमान-पूर्व): महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों की जीवनरक्षा के लिए मानव-अंग प्रत्यारोपण अत्यावश्यक है लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि अंग-दानकर्ता को पाना बड़ा मुश्किल है और अंग-प्रत्यारोपण प्रक्रिया का व्यावसायिकरण और अपराधिकरण हो रहा है।

मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 मानव-अंगों के व्यावसायिकरण को रोकने तथा जरूरतमंद मरीजों के अंग प्रत्यारोपण में मदद करने के प्रावधानों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। अत: मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। तथापि मैं कुछ बातें भी कहना चाहूंगा।

मैं मस्तिष्क चिकित्साविद मस्तिष्क-शल्य चिकित्सक जो मस्तिष्क की मृत्यु की घोषणा करने के लिए सक्षम व्यक्ति है, की अनुपस्थिति की दशा में तत्समय कार्यरत चिकित्सक/शल्य चिकित्सक या अन्य चिकित्सकों से यह कार्य लिए जाने के कदम का स्वागत करता हूं क्योंकि हमारे देश में मस्तिष्क-चिकित्साविदों अथवा मस्तिष्क शल्य चिकित्सकों का अभाव है तथापि ऐसा नियम बने कि ये डॉक्टर प्रत्यारोपण करने वाले दल से न हों, इस प्रकार यह 'हितों के टकराव' के विरुद्ध सुरक्षोपाय हो जाएगा। उन्हें समुचित प्राधिकारी द्वारा गठित प्रवर-पैनल से होना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि सरकार देश में 50 से 75 किलोमीटर दूरी के दायरे में मानव-अंग प्रापण पारित केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था करे।

संपूर्ण अधिनियम में उत्तकों को मानव अंगों के साथ शामिल करने का सामान्य उपबंध करने की बजाय, ऊत्तकों की मानबंगों से विशिष्टता को देखते हुए इससे संबंधित विशिष्ट प्रावधानों को अधिनियम में सम्मिलित किया जाए।

समाज के सबसे अधिक वंचित वर्ग को पूर्ण सुरक्षा देने की आवश्यकता है। तदनुसार अल्पवयस्कों और मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा अंगदान की आवश्यकता से जुड़ी अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख द्वारा अधिनियम में किए जाने की आवश्यकता है। मानव-अंग के दुर्व्यापार के विरुद्ध कड़ी निगरानी हो तथा अवैध गतिविधियों के लिए कड़ा दण्ड मिले। केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त और कड़ी सतर्कता बरती जाए। मैं निकट नातेदारों की परिभाषा के विस्तार का स्वागत करता हूं और समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से साथ परस्पर दान की अवधारण का भी स्वागत करता हूं।

हम प्राधिकरण समिति की संरचना का निर्णय लेने में केन्द्रीय सरकार की अत्यधिक संलिप्तता के बारे में भी चिन्तित हैं। इसे पूर्णत: राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वनिर्णय पर छोड़ देना चाहिए।

शव-परीक्षण और अंग पुन: प्राप्ति के लगने वाले समय को कम करने की आवश्यकता है। अत: पुन: प्राप्ति केन्द्र में शव परीक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए इसे संभव बनाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श किया जाना चाहिए।

ऐसे अभिघात केन्द्रों जिनमें बड़ी संख्या में मस्तिष्क-मृत रोगी आते हैं, उनका भी अंग पुन: प्राप्ति के केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हमें शव अंग प्रत्यारोपण को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

चूंकि हमारे देश में अंग दान के संबंध में जागरुकता की कमी है अत: मंत्रालय को मीडिया के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से सघन प्रचार प्रसार करना चाहिए। अंग दान का ज्ञान विद्यालय और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अन्यथा अंगों की आपूर्ति हमेशा मांग से कम रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय: चूंकि हमें सायं छह बजे से पूर्व समाप्त करना है अत: मैं सभी अन्य सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, हम मानव अंग प्रत्यारोपण पर बात कर रहे हैं और मैं आपकी स्थिति को समझता हूं।

यह संशोधन विधेयक है, जिसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन मिल रहा है। परन्तु मूल समस्या यह है कि अंग प्रत्यारोपण एक ऐसा क्षेत्र है, जो हमारे देश में व्यक्तिगत अकुशलता के साथ चिन्ता का कारण है। इतना ही नहीं, जब 1995 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम लागू हुआ तो यह इस क्षेत्र में बढ़ रही कालाबाजारी को समाप्त करने या प्रक्रिया को सुचारू बनाने में अप्रभावी सिद्ध हुआ।

यह नया विधेयक काल्पनिक तरीकों में प्रत्यारोपण अंगों की कमी का समाधान करता है। यह विधेयक न केवल उनके लिए रजिस्ट्री का निर्माण करता है, जिनका प्रत्यारोपण हो चुका है, बल्कि यह एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का भी निर्माण करता है, जो प्रत्यारोपण केन्द्रों पुन: प्राप्ति केन्द्रों और प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों को समाविष्ट करेगा। वास्तव में काफी हद तक यह सरकार की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है कि इन प्रस्तावों का कितना अनुसरण करे और इसे एक ऐसा व्यवहार्य सुलभ डाटा आधार बनाए जो रोगी फेफड़ों, दिल, लीवर, अग्नाश्य और स्वच्छमण्डल (कॉर्निया) के प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार, विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार ऐसी प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें सभी अस्पतालों के ई-नेटवर्क से शव अथवा मृत मानव शरीर अंग दान कार्यक्रम के माध्यम से अंग

निकालने और जीवित अंग दाताओं पर निर्भरता कम करना है। हमारे देश में चिकित्सीय प्रत्यारोपण की उपलब्धता आवश्यकता से कम है। उदाहरण के लिए प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों में गुर्दे की खराबी पाई जाती है जबकि दो से चार हजार प्रत्यारोपण हर वर्ष होते हैं अंशदान अधिकतर कुछ ही राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में होता है।

महोदय, 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गोवा के अनुरोध पर लागू किया गया था और बाद में इसे आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर जिन्होंने अपने स्वयं के अधिनियम लागू किए हैं के अतिरिक्त सभी राज्यों द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। एक विनियामक ढांचे के बावजूद मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार के मामलों की रिपोर्ट मिली है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए अंगों के प्रत्यारोपण को सुकर बनाते हुए मानव अंगों के वाणिज्यक व्यापार को रोकने के लिए प्रावधानों को मजबूत करना है। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है। मैं सरकार से उत्तर जानना चाहूंगा कि ऐसे वाणिज्यिक व्यापार को रोकने में ये उपाय कितने प्रभावी होंगे? यह उल्लेख किया गया है कि अंगदाता और अंग प्राप्तकर्ता दोनों को मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार में दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें सजा दी जाएगी। जो अगदाता अपनी वित्तीय जरूरतों के कारण अंगदान के लिए बाध्य होते हैं, उन्हें दंड देने से खरीद-फरोख्त के विरूद्ध शिकायत करने से बाधा आ सकती है। जो निकट के संबंधी नहीं हैं उनसे अंगदान के लिए राज्य प्राधिकरण समिति से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य प्राधिकरण समिति कौन है?

विधेयक में एक सलाहकार समिति के गठन की व्यवस्था है। किन्तु इसमें इसके कार्यों की सूची सन्निहित नहीं है। अगर आप सलाहकार समिति के कार्यों का उल्लेख नहीं करेंगे तो इसका क्या उद्देश्य होगा? विधेयक में इसका उल्लेख है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, अधिसूचना द्वारा एक सलाहकार समिति दो वर्षों के लिए गठित करेगी जो उपयुक्त प्राधिकरण को कार्य करने के लिए सहायता और परामर्श प्रदान करेगी। यदि इसे इस विधेयक में शामिल कर दिया जाए तो मुझे खुशी होगी।

महोदय, मैं इस पर बल देना चाहूंगा कि विधेयक में टिशु बैंक की परिभाषा को शामिल किया जाए। यह एक छोटा सा कदम होगा जो प्रत्यारोपण समन्वयक के पद के सृजन में सहायक हो सकता है। इस संबंध सरकार ने तमिलनाडु में हुए सफल प्रयोग का अनुसरण किया है जिसमें प्रशिक्षित प्रत्यारोपण समन्वयक उस व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क मृत्यु हो चुकी है, के संबंधियों को अंगदान करने की आवश्यकता के बारे में परामर्श देता है और उन्हें इसके लिए राजी करता है और एक प्रक्रिया के माध्यम से धीरे-धीरे उन अंगों को निकाल लेता है। ऐसे देश जिसमें एक मृत शरीर को दान में देने के सुझाव पर ही अक्सर बाधा उत्पन्न कर दी जाती है, में ऐसे समन्वयकों की आवश्यकता है।

महोदय, स्वास्थ्य देखरेख इस देश के प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। आज जब हम इस परिदृश्य की अपने भूतकाल से तुलना करते हैं तो कोई भी व्यक्ति स्पष्टत: यह कह सकता है कि अमीर लोगों के पास बेहतर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं किन्तु गरीब लोग इस सुविधा के मद्देनजर दो दशक पूर्व जहां थे, वहीं हैं। निसंदेह लोगों को यह आंकड़ा, जो संदिग्ध है, पर आश्चर्य होगा जो बतलाता है कि प्रत्येक वर्ष एक लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। मस्तिष्क मृत्यु रक्त प्रवाह न होने के कारण सभी दिमागी गतिविधियों के रुकने से होती है। मरीज क्लीनिकली मर जाता है। इस विधेयक के माध्यम से ऐसी मष्तिष्क मृत्यु के रिकार्ड को रखा जा सकता है और परिवार वालों को मस्तिष्क मृत्यु रोगियों के अंग दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुझे सूचना दी गई है कि योजना आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन इस कार्य को शुरू करने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में स्थापित किए जाने वाले मॉडल अंग प्रापण और संवितरण संगठन के लिए 15 करोड़ रुपए पहले ही अनुमोदित कर दिये हैं और इसके लिए पदों का सृजन किया जा रहा है।

मैं ऐसे समय की प्रतीक्षा करुंगा जब मृत्यु के पश्चात अंगदान के प्रचलन को कई प्रकार के प्रत्साहन देकर शुरु किया जाएगा और गरीब लोग अंगों के चोरी-छिपे व्यापार के शिकार नहीं होंगें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति जी, मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2009 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 2 को उद्धृत करना चाहता हूं:-

> "यह देखा गया है कि मानव अंगों के प्रतिरोपण के लिए विनियामक तंत्र स्थापित होने के बावजूद भारत में मानव अंगों के फल-फूल रहे व्यापार और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के पारिणामिक शोषण के बारे में मुद्रण और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टों की बाढ़ आ गई है। इस प्रकार सभ्य समाज में यह धारणा व्याप्त हो रही है कि उक्त अधिनियम

अंग प्रतिरोपण के वाणिज्यिक संव्यवहारों को रोकने में निष्प्रभावी रहा है और अंगसंदान के जटिल और लंबी प्रक्रियाओं के कारण वास्तविक मामलों को विफल किया है।"

मैंने यह इसलिए पढ़ा है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और सरकार इस संदर्भ में चिन्तित भी है।

सभापति महोदय, मानव अंगों का जो व्यापार हो रहा है, इसके लिए जब पहली बार 1994 में कानून बना, तब यह मांग महाराष्ट्र ने की थी। उस समय काफी आलोचना हुई थी। आज भी मानवीय अंगों के व्यापार की काफी आलोचना अखबारों में हो रही है और उसका सही कारण है पैट्रो डॉलर। आप यदि इसकी जांच करें तो मुम्बई या देश के बड़े शहरों में आज भी मानवीय अंगों का व्यापार हो रहा है, आज भी अवैध तरीके से मानवीय अंगों का प्रत्यारोपण हो रहा है और सरकार इस बात से चिन्तित है। महाराष्ट्र के मिरज में और मुम्बई में इसके लिए खास अस्पताल खुले हैं जहां पर बड़ी संख्या में इस प्रकार के अवैध प्रत्यारोपण, खास तौर पर किडनी प्रत्यारोपण वहां हो रहे हैं। जो किडनी बेचने वाले हैं, वे गरीब हैं। उसका मूल कारण है कि गरीबी है और बेरोज़गारी है। हमारी बढ़ती हुई आबादी के कारण जो बढ़े गरीब हैं। उसका मूल कारण है कि गरीबी है और बेरोज़गारी है। हमारी बढ़ती हुई आबादी के कारण जो बड़े शहरों में देश के विभिन्न भागों के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, गरीबी और बेरोज़गारी के कारण वे इस प्रकार के अवैध कारोबार में लिप्त हैं और अपने अंगों को बेचने पर मजबूर हैं। इसलिए सख्त और कड़े कानून की आवश्यकता है। इसलिए यह सुधार यहां लाया गया है, कानून कड़े किये गये हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन केवल कानून कड़े करने से हमारी समस्या हल नहीं होगी। इस कड़े कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। जब हम इसे सख्ती से लागू करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो अवैध मानवअंगों का व्यापार हो रहा है, उसे हम रोक सकते हैं। हमारे देश की इतनी आबादी है कि जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, उसके अनुसार जितनी मांग है उसके मुताबिक मानव अंग हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण कई गरीब ऐसे हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है और उनके नज़दीकी रिश्तेदार किडनी डोनेट भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रत्यारोपण का खर्च इतना महंगा है कि गरीबी के कारण वे कर नहीं पाते और केवल किडनी फेल होने से मृत्यु हो रही है, यह वास्तविकता आज भी है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमारे यहां प्रधान मंत्री राहत कोष है, इस प्रधान मंत्री राहत कोष से गरीबों को वित्तीय सहायता दी जाती है और उसका निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार का कोष हमारे आरोग्य मंत्रालय का भी बनाने की आवश्यकता है जिससे जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी आर्थिक सहायता की जा सके। हम कानून बना रहे हैं। कानून से हम अवैध प्रत्यारोपण को रोका जा सकता है। कानून से हम अंगों के व्यापार को रोक सकते हैं। लेकिन इस देश के गरीब, किसान और मज़दूर के लिए मानवीय अंगों की जो आवश्यकता है, उसे नज़दीकी रिश्तेदार देना भी चाहते हैं, लेकिन प्रत्यारोपण इतना महंगा हो चुका है कि वे उसे एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार का राहत कोष आप निश्चित रूप में स्थापित करें, जिसमें आम आदमी, गरीब, बीपीएल के लोगों को राहत मिल सके। अंगों का प्रत्यारोपण जीवन दान है। हम पीड़ित को जीवनदान देते हैं। इसलिए यह काम आपकी तरफ से किया जाए। मैं आपको इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें कड़े कानूनों को प्रपोज़ किया है, लेकिन इन सभी को लागू करने की आवश्यकता है। मैं इस विधेयक को लाने की आपकी मानसिकता की सराहना करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरूवल्लूर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको अत्यंत आभारी हूं। मानव अंगों का प्रतिरोपण 20वीं सदी के विकास जगत का चमत्कार है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में पहला गुर्दा प्रत्यारोपण मुंबई के किंग एडवर्ड अस्पताल में किया गया था। साथ ही भारत में सफलतापूर्वक दूसरा लीवर प्रत्यारोपण राजकीय स्टेनले अस्पताल चेन्नई में किया गया था।

दानकर्ता के आधार पर दो प्रकार के प्रत्यारोपण होते हैं। एक जीवित व्यक्ति से अंग लेना। उदाहरण के लिए मां से गुर्दा लेकर बच्चे में प्रत्योरोपित करना। दूसरा मस्तिष्क मृत व्यक्ति, जिसका ह्रदय धड़क रहा है, से अंग लेना। इसे शव से अंग निकालकर प्रत्यारोपण करना कहते हैं और अधिकांश दानकर्ता दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। पैसे देकर जीवित व्यक्तियों के लीवर प्रत्यारोपण करने की बुराई को दूर करने के लिए, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 प्रवर्तित किया गया था। 1994 के मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में खामियों को दूर करने के लिए अब एक नया संशोधन विधेयक लाया जा रहा है।

तथापि, मूल अधिनियम और प्रस्तावित संशोधन विधेयक उद्देश्यों को पूरा नही करते। क्यों? यह सर्वादित है कि अनेक रोगी गुर्दों के

काम करने की बीमारी पीड़ित हैं और गरीब व्यक्ति प्रत्यारोपण का खर्च वहन नहीं कर सकता। विधेयक में एक ऐसी योजना का प्रस्ताव किया जाना चाहिए था, जिसमें प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक मेडिकल कालेज में केडवेर प्रत्यारोपण केन्द्र होना चाहिए, जिससे कि निर्धनतम व्यक्ति निशुल्क प्रत्यारोपण करा सके।

यह विचारणीय है कि अन्ना द्रमुक सरकार ने वर्ष 1994 में तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम की स्थापना की थी, जो वहनीय दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली औषधियां खरीदता है। वर्ष 2002 से हमारी प्रिय अम्मा, माननीय मुख्यमंत्री सुश्री जे. जयललिता की अगुवाई वाली पूर्व अन्नाद्रमुक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सभी प्रत्यारोपण रोगियों, चाहे उनका प्रत्यारोपण सरकारी अस्पताल में हुआ हो अथवा निजी अस्पताल में, साइक्लोस्पेयर टैक्रोलिमुस और माइक्रोफनोलेट जैसी महंगी प्रतिरक्षित औषधियों की निशुल्क आपूर्ति करवाई। इसका उद्देश्य सभी प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं को आवश्यक औषधियों के साथ सहायता प्रदान करना था। जब तमिलनाडु सरकार नि:शुल्क दवा उपलब्ध करा सकती है, तो शेष भारत क्यों नहीं?

माननीय मंत्री जी ने पहले ही अंगदानकर्ताओं की पर्याप्त संख्या न होने का उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न है कि हमारे पास दाता के रूप में पर्याप्त कैडवेर्स्र क्यों नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे यहां अच्छे अपघात केन्द्र नहीं हैं। मस्तिष्क मृत के रूप में अर्हक होने के लिए, जिनसे अंग लिए जा सकते हैं, मस्तिष्क-मृत व्यक्ति वेंटिलेटर पर होना चाहिए। वेंटिलेटर कहां है और उन्हें संकलित करके काले कर्मचारी कहां हैं? महत्वपूर्ण प्रथम घंटे में उचित देखभाल का प्रावधान अनेक दुर्घटना पीड़ितों को बचा सकेगा। वेंटिलेटर उपलब्ध होने के कारण हमारे पास और अधिक कैडवेर्स होगे।

वर्तमान स्वरूप में मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) विधेयक दुर्घटना पीड़ितों को बचाने में समन्वयन का समाधान नहीं करता, जो अनेक दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाएगा तथा साथ ही कैडेवेटिक दाताओं की आपूर्ति में भी वृद्धि होगी। इस समय मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के अतिरिक्त मस्तिष्क मृत्यु को परिभाषित करने के लिए कोई और कानून नहीं है। चूंकि मस्तिष्क मृत्यु कुछ दुर्घटना पीड़ितों में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से घटित होती हैं। मस्तिष्क मृत्यु घोषणा स्पष्ट नहीं है, अत: अनेक रोगी वेंटिलेटर पर रहते हैं। इससे निजी अस्पताल मस्तिष्क मृत व्यक्तियों को वेंटिलेटर पर रखकर अधिक पैसे वसूलेंगे। सरकारी अस्पतालों में वेटिलेटर सेवा इसका प्रयोग जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोग किए जाने के बजाए उन मस्तिष्क मृत व्यक्तियों पर बर्बाद होगी, जिनके स्वस्थ होने की सम्भावना नहीं है।

खंड में यह संशोधन शामिल किया जाना चाहिए कि देखभाल करने वाले पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दिए गए मस्तिष्क मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र वेंटिलेटर हटाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, न कि अंग प्रत्यारोपण के लिए। जब कभी भी अंग दान करने की योजना बनाई जाती है, मस्तिष्क मृत्यु प्रमाणन अनिवार्य होना चाहिए... *(व्यवधान)* यदि माननीय सभापति अनुमति दे तो मैं अधिनियम पढ़ना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त होता है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अध्यक्षपीठ सर्वोपरि है। जब मैं अध्यक्षपीठ पर हूं, तो किसी भी दल के साथ भेदभाव नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): जब कभी भी अंगदान की योजना बनायी जाती है, टीएचओ अधिनियम, 1994 की धारा 3, उपधारा (6), खंड (दो) और (तीन) के तहत दो विशेषज्ञों द्वारा अनिवार्य रूप से मष्तिष्क के मृत होने को प्रमाणित किया जाना होता है। इसमें कमी यह है कि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सभी विशेषज्ञों को पहले ही अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। यह पूर्णतया अव्यवहारिक है। इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता डिग्री वाले योग्य किसी भी डॉक्टर को मस्तिष्क के मृत होने की पुष्टि करने की अनुमति हो।

टीएचओ अधिनियम, 1994 में अंग प्रतिरोपण करने वाले अस्पतालों और उन अस्पतालों अंग प्रतिरोपण के लिए तैयार नहीं होते हैं किन्तु उनके पास मस्तिष्क मृत होने के कई मरीज आते हैं, के बीच कोई अंतर नहीं है उदाहरण स्वरूप स्पेशलिस्ट ट्रामा और न्यूरोसर्जरी अस्पताल, जिनके पास वेन्टीलेटरी केयर की सभी सुविधाएं होती हैं, अंग प्रतिरोपण करने में दिलचस्पी नहीं भी ले सकते हैं।

इस अधिनियम में विशेष रूप से यह प्रावधान होना चाहिए कि बेहतर आपरेशन थियेटर के साथ कम-से-कम 25 बेड वाले किसी भी अस्पताल को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता के बिना अंग प्रतिरोपण करने के लिए स्वयं ही अनुमति हो। इससे मस्तिष्क मृत वाले लोगों को अंग प्रतिरोपण करने के लिए प्रतिरोपण हेतु मान्यता प्राप्त अस्पतालों में लाने के अनावश्यक झंझट से मुक्ति मिलेगी।

लगभग सभी ब्रेन मस्तिष्क मृत होने वाले अंगदाता दुर्घटना के शिकार होते हैं। इस अधिनियम में दुर्घटना के मामले, प्रतिरोपण करने वाले दल, पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ के बीच इंटरफेस परिभाषित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. पी. वेणुगोपालः स्थायी समिति ने भी इस कमी का उल्लेख किया है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सलाह दी है कि वे गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करे। यह दुखद बात है कि ऐसा नहीं किया गया। यदि इसे स्पष्ट नहीं किया जाता तो मृत के अंगों का प्रतिरोपण बहुत कठिन हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. पी. वेणुगोपालः स्थायी समिति ने रिपोर्ट दी है कि आरगन रिट्रीवल बैंकिंग आरगेनाइजेशन (ओआरबीओ) का गठन भारत भर मे अंग प्रतिरोपण के मामले में समन्वय करने के लिए किया गया था, जो असफल हो गया है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं? ओआरबीओ को भंग करने की बजाए आप पांच करोड़ रुपए आवंटित कर एक अन्य एजेन्सी "नेशनल एंड रिजनल नेटवर्क फॉर ह्युमन ऑरगेन्स एंड टिश्यू सृजित कर रहे हैं। हमें यह महसूस करना चाहिए कि ओआरबीओ मॉडल ऊपर से नीचे एक एक नौकरशाही मॉडल है और ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। इसके बदले एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि राज्य सरकारों को मृत शरीर के अंगदान संबंधी अपने ही प्राथमिकता नियम बनाने में समर्थन दिया जा सके और अंगप्रतिरोपण के लिए समन्वय का होना समय की मांग है। ...*(व्यवधान*

महोदय, कृपया मुझे एक मिनट और दीजिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके निर्माताओं द्वारा यह महसूस नहीं किया गया कि नींव पर हीं भवन निर्माण किया जाता है न कि शीर्ष तल से। मृत शरीर से अंगदान विवरण नेटवर्क को कुछ राज्यों में स्थापित कर दिया जाएगा तो तत्काल ही शीर्ष राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वितरण नेटवर्क के बारे में भी विचार किया जा सकता है

इस संशोधन विधेयक में उल्लिखित परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित शामिल हैं–

क. राज्य सरकार के सचिव

ख. दो चिकित्सा विशेषज्ञ

ग. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक संयुक्त निदेशक (सदस्य सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट)

घ. दो सामाजिक कार्यकर्ता, और

ङ. एक कानूनी विशेषज्ञ। ये लोग व्यस्त उच्चधिकारी होते हैं और इन्हें अंग प्रत्यारोपण की कोई जानकारी नहीं होती है।

यह अनिवार्य है कि कम से कम डीआईजी स्तर का पुलिस अधिकारी, जो जांच-पड़ताल, पोस्ट मार्टम इत्यादि तथा अंग प्रतिरोपण करने वाले डॉक्टरों, अस्पतालों समन्वयकों और अंग प्रतिरोपण के क्षेत्र में सक्रिय एनजीओ एवं अन्यों के साथ समन्वय करेगा को परामर्शदात्री समिति का एक हिस्सा होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* साथ ही इस संशोधन में स्वैप डोनेशन जो दो इच्छुक लोगों के बीच होता है किंतु वे निकट संबंधी नहीं होते, के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

महोदय, अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि समस्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टीएचओ अधिनियम संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आरगेंस (अमेन्डमेंट) बिल, 2009 की व्यापक जांच और निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरुदासपुर)**:** महोदय, एक माननीय सदस्य ने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने भाषण तैयार किया हुआ है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन या समय तब तक बढ़ाए जब तक सभी सदस्य अपने विचार न व्यक्त कर लें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः उन्होंने पहले ही अपना भाषण पूरा कर लिया है। हम सदन का समय बढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर)**:** सभापति जी, एक बहुत ही आवश्यक कानून में संशोधन के लिए यह बिल सदन के पास आया है। सत्रह सालों के बाद इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह प्रश्न है। महोदय, जब अंगों का व्यापार हो रहा था तो उसे रेगुलेट करने के लिए, उसे हतोत्साहित करने के लिए वर्ष 1994 में एक कानून बना था।

सायं 6.00 बजे

अब जो यह कानून इस सदन में बनने के लिए आया है, उसकी हमारी समझ में यही आवश्यकता है कि उसी मनुष्य को दान में अंग मिलेगा, जिसे इसकी आवश्यकता है। उसके साधन दो हैं–एक जो स्वयं जिन्दा है और प्रकृति ने जिनके पास अतिरिक्त अंग दिए हैं, अपने संबंधियों की जीवन रक्षा के लिए वे उसे दान करेंगे। दूसरा साधन यह है कि जब मनुष्य दुनिया में नहीं रहेगा, उसके बाद जो अंग प्रयोग में आ सकते हैं और जिनके लिए आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री जगदानंद सिह कृपया एक मिनट के लिए प्रतीक्षा करें।

माननीय सदस्य अब छः बजे हैं। मेरे पास सात और सदस्यों की एक सूची है जिन्हें इस विषय पर अभी बोलना है अतः यदि सदन इस पर सहमत है तो हम सदन का समय चर्चा पूरी होने तक बढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात, हमें शून्य काल लेना पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: धन्यवाद सदन का समय कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया जाता है।

श्री जगदानंद सिंह, आप जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह: सभापति महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि जिन्हें दुनिया में नहीं रहना है या नहीं रहेंगे, उनके अंग किसी के जीवन की रक्षा के लिए दान में दिए जा सकते हैं। आज जो इस देश में परिस्थिति है, उसमें अंगों के व्यापार हो रहे हैं, उसे रोकना आवश्यक है। भारत में यह व्यापार अपने एक बदनामी के स्तर पर जा चुका है। दुनिया से लोग यहां अंग प्रतिरोपण के लिए आ रहे हैं। बच्चों के अंग निकाले जा रहे हैं। अस्पतालों में जो अपनी दवा लेने के लिए जाते हैं, वहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनके अंग निकाले जा रहे हैं। इस देश में जितने लोगों की जीवन की रक्षा के लिए मानव अंगों की आवश्यकता है, उसकी तुलना में दानियों की बहुत कमी है। आज जब यह संशोधन आया है तो सरकार के पास विवशता है कि जितनी आवश्यकता है, उतने दानी मौजूद नहीं हैं तो क्या इससे दान बढ़ेगा, इसे प्रोत्साहन मिलेगा।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

सायं 6.02 बजे

संबंधियों के जो विस्तार किए गए हैं, वे अपने आप में बहुत उत्तम काम है। निश्चित रूप से संबंधी अपने संबंधी को बचाना चाहता है, उसमें कहीं रोक नहीं होनी चाहिए। उसका विस्तार हुआ है, ग्रेंड फादर से लेकर ग्रेंड सन तक। चचेरे लोगों को भी निश्चित रूप से इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। स्वयं जिन्दा व्यक्ति को अपने अतिरिक्त अंग को अपने किसी संबंधी को बचाने के लिए देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं, मानव अंग अब ज्यादा कहां मिलेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में ही दान कर दिए हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं। पांच लाख लोगों से अधिक लोगों की जीवन की रक्षा के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता पड़ती है। 37 तरह के अंग ऐसे हैं, जिन्हें दान किया जा सकता है या मनुष्य के शरीर से निकाल कर दूसरे मनुष्य की रक्षा की जा सकती है। सबसे मूल प्रश्न है, जब व्यक्ति अपनी बीमारी की हालत में, दुर्घटना की हालत में आईएसयू में भर्ती होगा तो ऐसी अवस्था में निकट संबंधी से अनुमति लेकर डॉक्टर उसके अंगों को निकाल सकता है, जब उसके जिन्दा रहने की कोई भी संभावना नहीं रहती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि निकट संबंधी की व्याख्या को कायदे से किया जाए। यदि पति हो तो पहले उसकी पत्नी की प्राथमिकता मिली चाहिए और यदि पुत्र हो तो पिता से सहमति लेनी चाहिए। यदि निकट संबंधी को बहुत व्यापक परिभाषा में जोड़ा जाएगा तो जहां मनुष्य अपनी जीवन की रक्षा के लिए जाता है, वहां किसी दूसरे की निगाह पड़ जाएगी, किसी के अंग पर मेरे जीवन की रक्षा हो सकती है, वहां जिन्दगी बचाने के बदले में जिन्दगी चली जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों के अंगों का प्रत्यापन नहीं हो पा रहा है, उनके निकट संबंधी देना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से बहुत अदब के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि भारत की सरकार उस जिम्मेवारी को ले, जब वे अपने निकट संबंधी को बचाने के लिए अपने किसी अंग का दान करना चाहते हैं तो भारत सरकार का सहयोग उसमें होना चाहिए। यदि भारत सरकार ईमानदारी से इस सहयोग में आगे बढ़ती है तो इस कानून का बहुत व्यापक असर होगा, अन्यथा यदि केवल अंगों के व्यापार के रोकने पर व्यापार बढ़ेगा, व्यापार की सुविधाएं बढ़ेंगी, उसके लिए रास्ते खुलेंगे।

इसका विस्तार होगा तो यह व्यापार बढ़ाने के लिए शायद इस कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि खरीदने वाले और बेचने वाले, दोनों के दंड एक क्यों हैं? अगर दोनों का दंड एक होगा तो कभी भी जिसने अपनी गरीबी, मुश्किलात में अपने किसी अंग को बेच डाला हो, कभी भी खड़े होकर नहीं कह पाएगा कि हमने खरीदने वाले को अंग बेचा है। निश्चित रूप से खरीदने वाले का दोष सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वह धनाढ्य होता है और वह गरीबों तक पहुंच जाता है। जो अमीर उसके शरीर का, श्रम का उपयोग करता है, अब उसके शरीर के अंगों का भी उपयोग करने का प्रयास कर सकता है। इसे निश्चित रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। जेल की सजा लम्बी अवधि की होनी चाहिए। एक धनाढ्य को, जो अंगों को खरीदता है, लम्बी सजा होनी चाहिए। उस पर मोनीटरी फाइन भी करना चाहिए, जो अंगों को खरीदता है।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस मुल्क में कभी किसी अमीर ने किसी गरीब को अपना अंग दान दिया है, कभी सरकार ने ऐसे दान का विश्लेषण कराया है, जहां करोड़पति गांव में रहने वाले किसी मजदूर को अपना अंग दान कर दे, शायद यह कभी एक उदाहरण ही मिलेगा, लेकिन अंगों का प्रतिरोपण हो रहा है। अभी जो गरीब हैं, उनके अंग बिक रहे हैं, वे अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए महोदय, मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात खत्म करुंगा।

जब माननीय मंत्री जी इस संशोधन को लाये हैं और इसमें ईमानदारी है तो गरीबों के संबंधियों के प्रत्यारोपण में भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी ले और जो अस्पताल में खर्चे आते हैं, उनको वहन करे, अन्यथा उनके अंग बिकेंगे। अगर अंगों की बिक्री को रोकना चाहते हैं, मानव अंग की बिक्री से दुनिया में कोई भी कुस्सित कार्य नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से खरीदने वालों के दंड की व्यवस्था बड़ी होनी चाहिए। मजबूरी में अपने किसी परिवार, किसी संबंधी, किसी अन्य कामों के लिए किसी का अंग बिक जाता हो तो वह कम से कम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, यदि दंड की व्यवस्था 10 सालों की जेल की होगी और 10 लाख रुपये के फाइन की होगी। इसलिए फाइन की व्यवस्था में यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो गरीबों के अंग बिक जाएंगे और यह कानून जो रैगुलेट करने के लिए आया है, उसका मकसद पूरा नहीं होगा। ईमान और अंग का व्यापार इस देश में रोका जाये।

मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से दो कारणों से आई.सी.यू. में सहमति के नाम पर और दंड की व्यवस्था को बढ़ाकर मानव अंग की बिक्री की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। हमारा अंग प्रतिरोपण, 2009 का विधेयक आया है, मैं उसे पवित्र मानता हूं, इस पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूं, लेकिन जहां खतरे हैं, उसके प्रति मैंने सावधान किया है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उस सावधानी को बरतें, वरना व्यापार बढ़ेगा, दान घटेगा और गरीब के अंग बिकते चले जाएंगे और जो इस विधेयक का मूल उद्देश्य है, वह समाप्त हो जायेगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): सभापति महोदय, मैं मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 का समर्थन करता हूं।

महोदय, ऐसा पता चला है कि चिकित्सीय प्रतिरोपण की उपलब्धता आवश्यकता से कम है। इसीलिए, इसकी मांग और आपूर्ति में अन्तर है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग गुस्से की बीमारी से प्रभावित होने का पता चलता है जबकि प्रति वर्ष केवल 2000 से 4000 लोगों का गुरदा प्रतिरोपित किया जाता है। अनेक शिकायतें आती हैं और पता चला है कि मानव अगों का वाणिज्यिक व्यापार हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में, यह विधेयक एक स्वागत योग्य कदम है। इस विधेयक के तहत मानव अंगों के प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 मे संशोधन का प्रस्ताव है, जो मानव अंगों के निकाले जाने, अनेक भंडारण और प्रतिरोपण को विनियमित करता है। मानव अंगों के अतिरिक्त इस विधेयक के तहत मानव शरीर के ऊत्तकों के प्रतिरोपण को विनियमित करने का प्रावधान है।

इस अधिनियम के तहत जीवित व्यक्तियों हाथ, जो निकट संबंधी है, अंगदान की अनुमति है और इसमें माता-पिता, बच्चों, भाईयों बहनों, और पति-पत्नी के अलावा दादा-दादी, पोता-पोती को शामिल करने हेतु निकट संबंधियों की परिभाषा विस्तारित की गई है। अत: इसका स्वागत है। इस विधेयक में मानव अंगों के अप्राधिकृत रूप से निकाले जाने पर और उन्हें प्राप्त करने तथा मानव अंगों के बदले भुगतान करने पर अधिक दंड का प्रावधान किया गया है।

लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में और स्पष्टीकरण और व्याख्या की अपेक्षा करता हूं। पहले, इस विधेयक में जरूरतमंद मरीजों के लिए अंग प्रतिरोपण को सुकर बनाने के साथ-साथ मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रावधान करने का प्रस्ताव है। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे उपाय वाणिज्यिक व्यापार पर अंकुश लगाने में कितने प्रभावी होंगे? पर कैसे किया गया है? यह स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री कृपया इस पहलू को स्पष्ट करें।

दूसरे, दानकर्ता और प्राप्तकर्ता, को यदि वे मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार के दोषी पाए गए, दंड दिया जाएगा। ऐसे दानकर्ताओं को, जो वित्तीय जरूरतों के कारण मजबूरन अगों को बेचते हों, दंडित करने से वे वाणिज्यिक व्यापार के विरुद्ध शिकायत करने से डरेंगे। अत: माननीय मंत्री इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे।

तीसरे, एक ऐसे व्यक्ति से अंगदान के लिए, जो निकट संबंधी नहीं है, राज्य प्राधिकारी समिति से अनुमति लेनी अपेक्षित है। यदि दानकर्ता अथवा प्राप्तकर्ता किसी दूसरे राज्य से हैं तो यह स्पष्ट नहीं है कि किस राज्य की प्राधिकारी समिति का इस मामले में क्षेत्राधिकार होगा। प्राधिकारी कौन है? यह किसके अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत है? यह संभव नहीं है कि दाता और वादी एक ही राज्य के हों। इसलिए, यदि वे दोनों अलग-अलग राज्य से संबंधित हों, तब प्राधिकारी कौन होगा, किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यह आएगा।

यह विधेयक सलाहकार समितियों के गठन का उपबंध करता है। सलाहकार समितियों के कार्य क्या होंगे? इसलिए, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी, जब इस चर्चा पर जवाब दें, तब वे इन सभी बातों को स्पष्ट करें और मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मानव अगों को वाणिज्यिक व्यापार के कारण, अधिकांश मामलों में बेरोजगार युवक और गरीब लोग इसके शिकार बनते हैं। इसलिए वे किस प्रकार इस समस्या से निपटेंगे? यह मुख्य बात है।

अंततः मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी जो समाज का आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, के मानव अगों में प्रत्यारोपण की स्थिति में, सरकार को कम-से-कम किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देना या यह प्रावधान करना चाहिए कि समाज के कमजोर तबको को गरीब लोगों की सहायता करने के लिए इस प्रत्यारोपण किया हो कम शुल्क में पूरा किया जा सके।

इन शब्दों में स्तब्ध मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, मैं इस चर्चा को अभी विराम देता हूं तथा इस पर अब कल चर्चा होगी। अब सभा में 'शून्य काल' के अधीन चर्चा की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आजादी के छः दशक बाद भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के साथ जो दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारी और सिविल सेवाओं के अधिकारी, इन दोनों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। संघ लोक सेवा जब उनका चयन करता है, तो इन दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बराबर रहती है। लेकिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी जो अपनी ट्रेनिंग के लिए आई.एम.ए. आर्मी के लोग आई.एम.ए. में, नेवी के लोग नेवल अकादमी कोझीकोड में और एयरफोर्स के लोग एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में जाते हैं। उनको पहले दिन से वेतन नहीं दिया जाता है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा और अन्य सेवाओं के अधिकारियों के उनके प्रशिक्षण के पहले दिन से ही वेतन दिया जाता है।

यह परिपाटी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है और यह अब तक चल रही है। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान हर वर्ष कम से कम दस-बारह लोग बोर्ड आउट किए जाते हैं। वे विकलांग हो जाते हैं। उनकी विकलांगता के कारण उनको बाहर किया जाता है। उस दशा में उनको पहले दिन से वेतन न मिलने के कारण अपनी आजीविका के लिए कहीं और आश्रय ढूंढना पड़ता है। इसलिए पहले दिन से, मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, और आप के माध्यम से सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों के साथ जो विसंगति की जा रही है, उनको अभी चार-पांच वर्ष से स्टाइपेन्ड दिया जा रहा है उसके पहले उन्हें वह भी नहीं मिल रहा था। प्रशिक्षण के दौरान उनको पहले दिन से जैसा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा के और अन्य सेवाओं के लोगों को पहले दिन से वेतन दिया जाता है वैसा ही वेतन देने का प्रावधान भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों के साथ भी किया जाए। आज भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी है। करीब 15 हजार ऑफिसर कम हैं। इसके कारण जो दूसरा दुष्परिणाम सामने आता है वह यह है कि भारतीय सशस्त्र सेना के ऑफिसर कम हैं। इसके कारण जो दूसरा दुष्परिणाम सामने आता है वह यह है कि भारतीय सशस्त्र सेना के ऑफिसर ट्रेनिंग के बाद, एक साथ ट्रेनिंग शुरू होती है और एक ही समय दो अलग-अलग अकादमी में, तो भारतीय सशस्त्र सेना के ऑफिसर ट्रेनिंग के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से एक साल जुनियर हो जाते हैं। इस विसंगति को दूर किया जाना आवश्यक है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस विसंगति को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): धन्यवाद सभापति महोदय, आजकल दिल्ली के पीने के पानी में पाइप लाइन से सीवर का पानी मिक्स हो कर आ रहा है। यह बात दिल्ली नगर निगम के सर्वे में सामने आई है। यह सीवर का पानी दिल्ली के लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। एक तरफ लोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, पीलिया, टायफाइड जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ पीने का पानी ही दूषित हो कर मिल रहा है। इन बीमारियों को काबू करने का विभागीय दावा सिर्फ खोखला दावा है। दिल्ली में पानी की कई लाइने 70-70 साल पुरानी है। उनमें से 23 लाइनों में लिकेज पाया गया है जिससे कई इलाकों में सिवेज और पीने के पानी की लाइन मिल चुकी है जिससे पीने का पानी दूषित हो कर घरों में पहुंच रहा है। दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गंदा पानी पीने की वजह से डायरिया, हेपेटाइटिस, कॉलरा और टायफाइड जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही है। दूषित पानी को रोकने और जनता को बीमारियों से बचाने के लिए सख्त उपाय करना चाहिए। यह मेरी जनहित में पुरजोर मांग है।

सभापति महोदयः श्री अर्जुन राम मेघवाल, अपने आप को श्री हर्षवर्द्धन जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): सभापति महोदय, अपने गृह-बाजार ने महत्वपूर्ण लोक विषय की ओर माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो का ध्यान आकृष्ट करने की मुझे अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

सलेम, तमिलाडु में तीव्र गति से विकसित हो रहे दो-स्तरीय शहरों में से एक है। तीन-प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, नामत: एन.एच. एल-एच, 47 और एन.एच. 68 इस नगर से होकर गुजरता है। इन तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी यातायात रहता है तक सलेम से होकर गुजरने वाली विद्यमान सड़कें बहुत ही संकुल है ये तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग सलेम शहर की 12 से ज्यादा महत्वपूर्ण जगहों से गुजरता है तथा कई जगहों पर सम्पर्क सड़कें भी कार रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग 68 को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर यातायात संकुलता को दूर करने के लिए एलिवेटिड एक्सप्रेस कैरिजवे फ्लाईओवर पुल है, का निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह स्थापन राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 196 किलोमीटर से शुरु होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 68 के इत्तर सेक्शन पर 207.6 किलोमीटर पर समाप्त होगा और इसके 204.5 किलोमीटर पर एक विकास मार्ग होगा जो एन.एच.47 को जोड़ेगा, जो एन.एच. 47 पर एक विद्यमान फ्लाईओवर है। इससे एन.एच 7, एन.एफ. 47 और एम.एच. 68 पर यातयात का सुगम प्रवाह होगा।

इसलिए, प्रस्ताव की महत्ता को समझते हुए, मंत्रालय से अनुरोध किया जा सकता है कि वह इस प्रस्ताव को यथाशीघ्र संस्वीकृत करने के लिए तत्संबंधी कार्य तीव्र गति से कहे।

सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदय, मैं एनर्जी ड्रिंक और स्वास्थ्य के बारे में सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि देश में एनर्जी ड्रिंक से सेहत पर जो परिणाम हो रहे हें, उन पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया है। हमारे देश में विदेशी नकल के आधार पर किसी भी उत्पाद का बड़े से बड़ा बाजार बन जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं जिनमें प्रमुख कारण हमारी युवा जनसंख्या है। इस कारण दुनिया के तमाम उत्पादकों की नजर भारत पर होती है। आकर्षक विज्ञापनों तथा कुशल मार्किटिंग के जरिए एर्जी ड्रिंक हमारे युवाओं का पसंदिदा पेय बन गया है। इस पेय को अपनाने का एक और भर कारण है। इनके निर्माताओं का दावा है कि इस ड्रिंक को पीने से आदमी तरोताजा हो जाता है। आज एक आकलन के अनुसार एनर्जी ड्रिंक का बाजार लगभग तीन सौ करोड़ रुपये के आसपास का है और यह तेजी से बढ़ रहा है।

इस एनर्जी ड्रिंक ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या वास्तव में यह पेय स्वास्थ्यवर्धक है? क्या इसके कोई साइड इफैक्ट्स नहीं हैं? विश्व में एनर्जी ड्रिंक को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। अधिकतर अध्ययनों से यह पता चला है कि एनर्जी ड्रिंक स्वास्थ्यवर्धक नहीं हैं। वास्तव में इस ड्रिंक में कैफिन का उपयोग किया जाता है जिसका अति सेवन हानिकारक है। इस ड्रिंक में कितने प्रतिशत कैफिन होनी चाहिए, इस पर भी मतभेद है। अध्ययन से पता चला है कि एक लीटर एनर्जी ड्रिंक में 320 मिलिग्राम तक कैफिन होता है। कैफिन का इन पेयों में ज्यादा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कैफिन उत्तेजना पैदा करता है। कैफिन का लगातार सेवन करना जानलेवा भी हो सकता है और इसक`चलते ब्लड प्रैशर, दिल की बीमारियां और मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। कुछ ड्रिंक्स में ज्यादा चीनी उपयोग करने के कारण डीहाइड्रेशन की शिकायतें आई हैं। इसी के मद्देनज़र दुनिया के कई देशों में एनर्जी ड्रिंक पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

फूड सेफ्टी एंड स्टैन्डर्ड अथॉरिटी ने जरूर कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह एनर्जी ड्रिंक से होने वाले परिणामों को गंभीरता से ले और और इनके उत्पादों पर सख्त मापदंड लगाए।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जलगांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में धरणगाव, अमलनेर, पाचोरा और चालीसगाव से बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं लेकिन वहां स्टापेज न होने के कारण हमें उनका कुछ लाभ नहीं मिलता। वहां स्टापेज के बारे में कई सालों से मांग चल रही है। लेकिन रेलवे की ओर से हमें अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। विगत चार महीने पहले, अप्रैल में जलगांव स्टेशन पर सचकन एक्सप्रैस और गीतांजलि एक्सप्रैस के लिए चार-पांच महीने से स्टॉप मिला हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने जलगांव स्टेशन के लिए दो स्टॉप दिए हैं। इस वजह से संसदीय क्षेत्र से सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन आज संसदीय क्षेत्र के लोग जब टिकट लेने जाते हैं तो उन्हें सितम्बर महीने का टिकट भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सितम्बर महीने से वह स्टॉप शुरू नहीं होगा। अगर यह स्टॉप कंटीन्यू नहीं किया गया तो संसदीय क्षेत्र के सब लोगों को बहुत निराशा होगी। इस कारण जिले में रेलवे के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है जिससे रेल खाते और सरकार को बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए मैं आपके जरिए मांग करता हूं कि जो दिए हुए स्टॉप हैं, उन्हें कंटीन्यू किया जाए और संसदीय क्षेत्र की मांगों को पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): महोदय, तमिलनाडु में ई.एस.आई. का केवल एक क्षेत्रीय कार्यालय है तथा इसके चार उप-क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम और तिरूनेलवेली में हो मेरा संसदीय क्षेत्र तिरूचिरापल्ली नौ जिलों नामतः डिन्डीगुल, पुडुकोटट्ई करूर, तंजावूर, नागापट्टिनम, तिरूवासट, पेराम्बलूर और अरियालूर से घिरा है। उपर्युक्त जिलों में 24 ई.एस.आई के औषधालय कार्यरत है।

इन जिलों में काफी संख्या में ई.एस.आई. के लाभार्थी हैं, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लाभार्थी हैं, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तिरुचिरापल्ली में ई.एस.आई. का उप-क्षेत्रीय कार्यालय-स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। अब, ई.एस.आई. की एक शाखा कार्यालय तिरुचिरापल्ली में कार्यरत है। इन ई.एफ.आई. के कार्यालयों की सहायता के लिए उप क्षेत्रीय कार्यालय में ई. एस. आई. की शाखा कार्यालय के उन्नयन हेतु करने की तिरुचिरापल्ली के लोगों की मांग काफी समय से लंबित है।

मैं, जनता की ओर से, सरकार से इस लंबे समय से लंबित-मांग पर विचार करने तक तिरुचिरापल्ली में ई.एस.आई. के शाखा कार्यालय को उप-क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में स्तरोन्नयन करने के लिए अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, में इस सदन में एक बहुत तकलीफ भरा मुद्दा उठाना चाहता हूं। हमारे बुजुर्ग, विडो या हैंडीकैप्ड लोगों को गवर्नमैंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमैंट्स ने पैंशन देने का प्रोविजन रखा है। जो लोग नौकरी करते हैं, रिटायरमैंट के बाद रेशियों के अनुसार किसी को 10 हजार रुपये, किसी को 20 हजार रुपये और किसी 40 हजार रुपये मिलते हैं। जो आदमी जवानी में मजदूरी करता रहा, गुरबत में जीता रहा और अपनी ताकत, सेहत से काम करता रहा, जब वह आदमी बुजुर्ग हो गया, तो उसके लिए आपने 200 रुपये पैंशन रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 200 रुपयों से क्या उसकी खुराक चल सकती है? जब उसे दवाई की जरूरत हो, तो क्या वह उससे दवाई ले सकता है? इससे उसे पूरा खाना नहीं मिल सकता, कपड़े भी नहीं मिल सकते। मैं कहना चाहता हूं कि उस बुजुर्ग के साथ यह बहुत बड़ा जुल्म है।

सभापति महोदय, मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बुजुर्गों के साथ अच्छा ट्रीटमैंट किया जाए और उनको मिनिमम पर-डे सौ रुपये मिलने चाहिए। यह पर मंथ 3000 रुपये बनता है। वह बुजुर्ग जवानी में अपने घर में बहुत शान से रहता था, लेकिन बुढ़ापे में उसका कोई सहारा नहीं रहा। उसके बच्चे भी उसे छोड़ देते हैं। सब माननीय सांसदों ने उस जगह पहुंचना है और कई पहुंचे हुए हैं। उनको कोई नहीं पूछता। इन लोगों की तो पैंशन लगनी है, लेकिन जिनकी पैंशन नहीं है, उनका क्या होगा? जिन लोगों को पैंशन मिलती है, चाहे वे अमीर फैमिली के ही क्यों न हों, उनके बच्चे भी उन्हें नहीं पूछते। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इन बुजुर्गों को जो पैंशन दी जाती है, वह कम से कम 3000 रुपये-पर-मंथ मिलनी चाहिए। बुजुर्ग, विडो और हैंडीकैप्ड, इन तीनों का खास ध्यान रखने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): महोदय, मैं आपके साथ-साथ केन्द्र सरकार का ध्यान लोक महत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, देश भर में किसान जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। अनेक स्थानों, चाहे वह उड़ीसा का जगतसिंहपुर हो अथवा महाराष्ट्र का जैतापुर अथवा उत्तर प्रदेश का नोएडा अथवा कोई अन्य स्थान है, वे किसान सड़कों पर आ रहे हैं और सरकार कार्पोरेट और अन्य क्षेत्रों को संरक्षण दे रही है। यहां तक कि सरकार स्वयं भी किसानों के विरुद्ध कार्य कर रही है। उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। पुणे, महाराष्ट्र में पुलिस ने लोगों पर गोली चलाई जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हुई भी। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर लाठी चार्ज हो रहा है।

महोदय, एक और केन्द्र सरकार ने नया प्रारूप विधेयक नामतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन विधेयक जारी किया है और चर्चा के लिए इसे लोगों के बीच रखा है और वही दूसरी ओर बलपूर्वक कब्जा और भूमि को खाली कराने का कार्य हो रहा है। अतः देश भर में केन्द्र और राज्य सरकारें दोहरी भूमिका निभा रही है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस दोहरी भूमिका निभाना बंद करे। नया प्रारूप विधेयक लोगों के बीच है और उस पर चर्चा हो रही हैं। नए प्रारूप विधेयक में है कि भूमि का हस्तांतरण जब तक नहीं होगा तब तक कि पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन का कार्य पूरा नहीं हो जाता। अतः कृपया बलपूर्वक भूमि अर्जन प्रक्रिया को रोके। किसानों पर हमले न करे। इस प्रकार के विधेयक पारित होने तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक लगाए। यह साधारण कार्य नहीं हैं।

मुझे आशा है कि सरकार लोगों की भावनाओं को समझेगी और देश भर के किसानों की मनोदशा को भी समझेगी।

अत: मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि सभी राज्य सरकारों और सभी संबंधित संगठनों को निदेश दे कि नए विधेयक के पारित होने तक भूमि अर्जन की प्रक्रिया को तत्काल रोक दे।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आपने अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी पर भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले मुबंई के नजदीक एमवी रैक नामक एक जहाज डूब गयी। उसके डूबने से समुद्र में करीब 60,000 टन से ज्यादा कोयला और 350 टन से ज्यादा ऑयल आ चुका है। इसकी वजह से गुजरात से लेकर गोवा तक, चेयरमैन साहब, आपकी कांस्टीट्वेंसी तक, यह ऑयल समुद्र में फैल चुका है। अलग-अलग जगहों पर उसके सैम्पल भी कलेक्ट किए गए हैं। दो दिन पहले मैंने पर्यावरण मंत्री जी का बयान सुना कि इसके बारे में जांच चालू है। मैं विनती करुंगा कि पिछले साल इस दरम्यान इस प्रकार का हादसा हुआ था, उसके बारे में शासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस साल भी इस तरह का हादसा हुआ है। वहां लाखों मछुआरे हैं जो समुद्र में जाते हैं। इन दिनों में खासकर मछलियों के अण्डे समुद्र के किनारे डाले जाते हैं। हमें डर है इस बात की हजारों-लाखों की तादाद मछलियां मर सकती हैं। मैं सरकार से विनती करुंगा कि पिछले साल में श्री जयराम रमेश जी ने खुद सदन में अपनी बात कहीं थी, मैं इस बार भी चाहता हूं कि सदन में पर्यावरण मंत्री जी अपना बयान रखें।

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): महोदय, में आपके माध्यम से सदन में ब्रिटेन में हो रहे दंगों पर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। आज सुबह ही अखबारों में मैंने यह पढ़ा कि ब्रिटेन में तीन एशियाई मूल के लोगों को कार से कुचलकर मारा गया। इन वारदातों से, इन दंगों में भारतीय लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी भारत सरकार की तरफ से सुनिश्चित हो, यह मैं आपके माध्यम से सदन में अपील करना चाहता हूं। आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह संस्कृति परिवर्तन की जो चर्चा सुबह हो रही थी, उसी दिशा में पूरे विश्व के लिए बड़ी चिंताजनक चीज के रूप में उभर कर आई है। मैं कोट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं कि: "गत सप्ताह देश दंगों से ग्रस्त रहा जिसका कारण राजनीति अथवा विरोध नहीं था बल्कि यह हिंसा को महामंडित करने वाली संस्कृति का परिणाम था।"

[हिन्दी]

हम लोग महात्मा गांधी जी के देश के लोग हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा का रास्ता दिखाया था। मैं पूरे विश्व को यह कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर चलकर सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, ग्लोरिफाइड वायलेंस का दोर हमारे खुद के देश ने भी देखा है और उसका परिणाम भी भुगता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी वह न भुगते इसलिए मैं सदन को यह बात अवगत कराना चाहता हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का एक बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। खरीफ की फसल के समय राज्य सरकार ने रासायनिक खाद की मांग केन्द्र से की थी और उसका 40 प्रतिशत से भी कम हिस्सा हमें दिया गया। इस साल मध्य प्रदेश में बारिश भी काफी अच्छी हुई है और रबी की फसल बोने का रकबा भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यूरिया, डीएपी और एनकेपी खाद की पर्याप्त मात्रा में मांग की है। हमारे मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने मंत्री जी से मुलाकात की थी और हमने भी मुलाकात की थी। मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि वह प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति करेंगे। लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। केन्द्र सरकार लगातार कह रही है कि मध्य प्रदेश खाद का आयात करे। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और वहां आसपास कोई बंदरगाह नहीं है। जब हम खाद का आयात करेंगे तो वह इतनी महंगी कीमत पर मिलेगी कि हम किसानों को सस्ते दर पर नहीं दे पाएंगे। वैसे ही किसान परेशान हैं, क्योंकि वैसे भी खादों के दाम काफी बढ़े हुए हैं। जो राज्य कृषि कार्यों में अच्छा काम कर रहा हैं, स्वयं मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश कृषि उत्पादक राज्य है। पिछले दिनों वहां उत्पादन भी बढ़ा है और खाद की वहां खपत भी काफी हुई है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मध्य प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति की जाए, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अपनी पर्चियां भेज सकते हैं।

श्री राकेश सिंह, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, और श्री अर्जुन राम मेघवाल के श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संज्ञान में एक लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं। जब हम सांसद अपने क्षेत्रों मे जाते हैं तो कोई 100

लोग मिलने आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सांसदों से 80 प्रतिशत लोग बिजली की मांग करते हैं। भारत सरकार ने 2005 में गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के तहत विभिन्न प्रदेशों में 100 से अधिक आबादी वाले गांवों और मजरों को स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश में 2004 में कई गांव और मजरे मुख्य योजना में शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृत योजना के अनुसार 100 से अधिक आबादी वाले 1,38,373 मजरों को विद्युतीकरण करने हेतु 12,367 करोड़ रुपए की योजना केन्द्र को भेजी थी। केवल रायबरेली और सुल्तानपुर के लिए 453 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, शेष आज तक बाकी है। भारत सरकार यह कह रही है कि 300 से अधिक आबादी पर योजना मांगी गई है प्रांतों से। केन्द्र सरकार ने 2012 तक प्रत्येक घर को बिजली देने की घोषणा की थी। लेकिन जब योजना ही स्वीकृत नहीं होगी तो विद्युतीकरण का काम कैसे पूरा होगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मजरों के विद्युतीकरण की योजना केन्द्र में जो लम्बित हैं, उसके लिए तत्काल राशि स्वीकृत की जाए ताकि हम लोग जो अपने पिछड़े इलाकों से जीतकर आए हैं, वहां के लोगों की बिजली की मांग पूरी कर सकें, जो देश की मूलभूत आवश्यकता है।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय के एक बड़े गंभीर मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमापार से आतंकवादियों को घुसपैठ से रोकने का काम हिंदुस्तान की सेना कर ही थी। 19 राजपूत रेजिमेंट के दो जवानों, हवलदार जयपाल सिंह, अधिकारी व लाइंस नायक देवेन्द्र सिंह का पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सर कलम करके ट्रॉफी की तरह, भयानक तरीके से पाकिस्तान में ले जाकर घुमाते रहे। इससे भी दर्दनाक घआ यह रही कि भारतीय सेना के इन जवानों का शव उनके परिजनों को न सौंपकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ये सारी घटनाएं उस समय हो रही थी जब पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी के साथ भारतीय सरकार शांति वार्ता कर रही थी। पाकिस्तान का हाथ हमारे शहर के कई बम धमाकों में रहा है और मुम्बई शहर को इन्होंने ज्यादा निशाना बनाया है। क्या यह उचित है कि पाक के साथ बार-बार शांति वार्ता रखी जाए। अमरीका और चीन ने ऐसी घटनाएं होने पर हमेशा गंभीरता दिखाई है और पाक सरकार को ये देश सबक सिखाते रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता पर पुन: विचार न करें और अपने देश की सेना और जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी रहें और इस घटना को गंभीरता से लेकर पाकिस्तान को करारा झटका दें और जवानों का बदला लें।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत से यह मांग करना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में ओबीसी के तहत 12 उपजातियां आज की तारीख में हैं। पिछली बार भी हमने इस बात को उठाया था और इस बार भी यह बात रखने का आपके आदेशानुसार मौका मिला है। इसमें वैश्य, यादव, मेरा-मल्लाह-कुशवाहा आदि जातियां झारखंड में ओबीसी में आती हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्हें पिछड़े वर्ग से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी तब मिली जब एक बच्ची हमारे क्षेत्र से बैंक की परीक्षा देने यहां आयी। उसका लिस्ट में नाम था, ओबीसी में उसका फार्म भरा गया था लेकिन यहां कहा गया कि यह बर्नवाल परिवार जो वैश्य परिवार है, यह ओबीसी में नहीं आता है। यहां जंतर-मंतर पर भी लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से भी यहां पर रिक्मेंडेशन आया है। हमारा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि इस जातियों को भारत सरकार उपजातियों में शामिल करे।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय जी, आजकल सरकार की नौकरियों में ओबीसी और एससीएसटी के आरक्षण में जो भेदभाव किया जा रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। आज नौकरियों में जो संवैधानिक अधिकार मिला है, उसके साथ साजिश और भेदभाव किया जा रहा है। नौकरियों में नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक में साजिश की जा रही है जिससे प्रमोशन में अवरोध पैदा हो। अभी दिल्ली के एम्स में आरक्षण के नियमों की अनेदखी की जा रही है।

अगस्त 2011 सेशन में बीएससी और एमएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए छपे प्रास्पेक्टस में लिखा था कि एससी के लिए 15 परसेंट ओर एसटी के लिए साढ़े सात परसेंट सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन सीटों के बंटवारे का जो टेबल दिखाया गया है, इसमें इस नियम को दरकिनार कर दिया गया है। एम्स ने अपने प्रास्पेक्टस में लिखा है कि एमएससी नर्सिंग में 18 सीटें हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग आनर्स की कुल सीटों की संख्या 60 है, इसमें केवल 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, जो कि आरक्षित सीटों से बहुत ही कम हैं।

सभापति महोदय, मेरी मांग और अनुरोध है कि सरकार एम्स सहित केन्द्र के सभी मंत्रालयों और विभागों, उपक्रमों, चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं आरक्षण के अनुरूप सीटों को भरने के लिए कार्यवाही करे। मैं आपसे चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री रावत जी सदन में मौजूद हैं, इस बारे में जरूर आश्वासन दें कि आने वाले दिनों में ऐसा भारत सरकार की नौकरियों में नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़) कर्नाटक में बैंगलोर के पश्चात हुबली, धारवाड़ दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह कर्नाटक का शैक्षिक केन्द्र भी है। वहां एक छोटा सा विमानपत्तन है और इस विमानपत्तन

से केवल छोटे विमानों का प्रचालन होता है। इस संदर्भ में मैंने भारतीय प्राधिकरण से संपर्क किया और उनसे विमानपत्तन के उन्नयन और विस्तार का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार 500 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराए तो वे विमानपत्तन का उन्नयन और विस्तार करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार ने लगभग 500 एकड़ भूमि का अर्जन किया है जिसकी लागत लगभग 350 करोड़ रु. है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने के लिए तैयार है। हमने अनेक बार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भूमि का अर्जन करने और विमानपत्तन को विकसित करने का निवेदन किया है। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। वे भूमि का कब्जा नहीं ले रहे हैं और विमानपत्तन का उन्नयन नहीं कर रहे हैं।

हाल ही में इन्स्ट्रूमेंटल लैंडिंग प्रणाली हेतु मशीनरी डी.ओ.आर. हुबली में आ चुकी है। मशीन की स्थापना के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन मशीनरी की स्थापना के लिए सभी भवनों को निर्माण और अन्य चीजों के पश्चात दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उनसे किसी अन्य विमानपत्तन के लिए किसी अन्य शहर में जाने के लिए कह रहा है।

अतः इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हुबली विमानपत्तन के लिए भूमि के कब्जा लेने अथवा उन्नयन करने और दूसरी ओर पहले से ही हुबली विमानपत्तन पर पहुंच चुकी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग प्रणाली का स्थांतरण नहीं करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज लगभग पूरा विश्व बेरोजगारी और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक तरफ जहां पूरे विश्व में आबादी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ चाहे कृषि का क्षेत्र हो या औद्योगीकरण हो, रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि रोजगार के अवसर भी मिलें और देश में समृद्धि भी आए। पर्यटन इस समय एक ऐसे विषय के रूप में सामने आ रहा है, जहां समृद्धि के साथ-साथ रोजगार भी लोगों को बड़ी संख्या में मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश में पर्यटन को ले कर असीम सम्भावनाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश से चुन कर आता हूं। मध्य प्रदेश का जबलपुर जहां पर मार्बल राक्स हैं, जहां विश्व एकमात्र प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानें यहां मिलती हैं। बहुत ही दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल है। इसके आस-पास कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक, चित्रकूट आदि कई स्थान हैं और इन सबका केन्द्र जबलपुर है। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल भी वहीं पर है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे आग्रह पर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे पयर्टन क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए एक प्रस्ताव बना कर केन्द्र सरकार के पास भेजा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही उसे स्वीकृति प्रदान करें, ताकि ऐसे पर्यटन क्षेत्रों का विकास हो, उनका उन्नयन हो, जिससे कि उस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के साथ-साथ समृद्धि के अवसर भी मिलें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश सिंहः महोदय, मैं अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): महोदय, एनएच-7 जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि नेशनल हाईवे पर सिवनी के पास, जबलपुर के पास, कटनी के पास, रीवा के पास देखें, आज वह सड़क चलने लायक नहीं है।

आज तो टी.वी. पर भी दिखा रहे थे कि वहां सड़कों में इतने बड़े गड्ढे हो गये हैं कि क्या ट्रक, क्या बसें क्योंकि छोटी गाड़ियां तो उनमें घुस जाती हैं। मैं आपके माध्यम से नेशनल हाईवेज के जो मंत्री हैं, उनसे और केन्द्र सरकार से अनुरोध करुंगा कि आज एनएच-7 जो आवागमन का एकमात्र साधन है और जो मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश को और महाराष्ट्र को, चूंकि सीधे वह सड़क कर्नाटक से होकर कन्याकुमारी तक जाती है, इतनी महत्वपूर्ण सड़क है लेकिन केन्द्र सरकार की लापरवाही और अनदेखी के कारण आवागमन अवरुद्ध होने की स्थिति में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करुंगा कि इस समय जो सड़क चलने लायक नहीं है, उसकी तुरंत मरम्मत करके उसको चलने लायक बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री गणेश सिंहः सभापति महोदय, मैं गोविन्द प्रसाद मिश्र द्वारा उठाये गये विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः सभा कल 12 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.51 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2011, 21 श्रावण 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. सम्पत श्री रुद्रमाधव राय	161
2.	श्री एस. आर. जेयदुरई	162
3.	श्री सतपाल महाराज श्रीमती श्रुति चौधरी	163
4.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला श्री संजय निरूपम	164
5.	राजकुमारी रत्ना सिंह श्री एस. अलागिरी	165
6.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	166
7.	श्री प्रहलाद जोशी	167
8.	श्री के. सुगुमार	168
9.	श्रीमती ऊषा वर्मा श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी	169
10.	श्रीमती मीना सिंह श्री नित्यानंद प्रधान	170
11.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्री एस. सेम्मलई	171
12.	डॉ. बलीराम श्री सी. शिवासामी	172
13.	श्री कपिल मुनि करवारिया	173
14.	श्री नारनभाई कछाड़िया श्री बृजभूषण शरण सिंह	174
15.	कुमारी सरोज पाण्डेय श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	175
16.	श्री जोसेफ टोप्पो श्री पन्नालाल पुनिया	176
17.	डॉ. भोला सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	177
18.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	178
19.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी श्री असादूद्दीन ओवेसी	179
20.	श्री पी. करुणाकरन श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	इन्द्रजीत सिंह राव	1916
2.	श्री अरुण यादव	2030
3.	श्री बसुदेव आचार्य	1959
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1940, 1992, 2009, 2034, 2035
5.	श्री आनंदराव अडसुल	1940, 1992, 2009, 2034, 2035
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1944, 1950, 2015, 2070
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1848
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	2040, 2041, 2050, 2069
9.	श्री नारायण सिंह अमलावे	1891
10.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1914, 1931, 2026, 2044, 2045
11.	श्री सुरेश अंगड़ी	1902, 2023

1	2	3
12.	श्री घनश्याम अनुरागी	1955
13.	श्री अशोक अर्गल	1909
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1935
15.	श्री गजानन ध. बाबर	1940, 1992, 2009, 2034, 2035
16.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1993
17.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	1916
18.	श्री रमेश बैस	2069
19.	श्री अम्बिका बनर्जी	2004
20.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	1989
21.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2025
22.	श्री अवतार सिंह भडाना	1917, 1959
23.	श्री सुदर्शन भगत	1944, 2069
24.	श्री ताराचन्द भगोरा	1917
25.	श्री समीर भुजबल	1945
26.	श्री पी.के. बिजू	1841, 1918, 1955, 1959, 1979
27.	श्री हेमानंद बिसवाल	1918
28.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1938
29.	श्री सी. शिवासामी	1849, 1922, 2025, 2070
30.	श्री हरीश चौधरी	1858, 1926, 2022, 2044, 2056
31.	श्री जयंत चौधरी	1930
32.	डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1921

1	2	3
33.	श्री संजय सिंह चौहान	2033
34.	श्री दारा चौहान	1976
35.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	1921, 2041, 2069
36.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1862, 2059
37.	श्री भूदेव चौधरी	2014
38.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1859
39.	श्री अधीर चौधरी	1918
40.	श्री भक्त चरण दास	2048
41.	श्री राम सुन्दर दास	2026
42.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1915, 2068
43.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	1931, 1970
44.	श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	1912
45.	श्री रमेन डेका	2013, 2036
46.	श्री के.डी. देशमुख	1900
47.	श्रीमती अश्वमेध देवी	1978
48.	श्रीमती रमा देवी	1987
49.	श्री के.पी. धनपालन	1876, 1984
50.	श्री संजय धोत्रे	1991, 2049
51.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1967
52.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1939, 2041
53.	डॉ. रामचन्द्र डोम	1908, 1959
54.	श्री निशिकांत दुबे	1956, 2023
55.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1981, 2023, 2046
56.	श्रीमती प्रिया दत्त	1864, 2038

1	2	3
57.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2036
58.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	1929
59.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1918, 2066
60.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	1917
61.	श्री वरुण गांधी	1904, 1908, 1917, 2048
62.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	1846, 1893, 2049, 2061, 2070
63.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2037
64.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	1957
65.	श्री एल. राजगोपाल	2010
66.	श्री शिवराम गौडा	1859
67.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1951
68.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	1927
69.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	1973
70.	शेख सैदुल हक	1908, 1959
71.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1867
72.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1875
73.	श्री बलीराम जाधव	1998
74.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	2017
75.	डॉ. संजय जायसवाल	1958
76.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1878, 2044
77.	श्री बद्रीराम जाखड़	1865, 2062
78.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1894
79.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	1943, 2000, 2070

1	2	3
80.	श्री हरिभाऊ जावले	1997
81.	श्रीमती जयाप्रदा	1972, 2003, 2040
82.	श्री नवीन जिन्दल	1863, 2041
83.	श्री महेश जोशी	1902, 2030
84.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1905, 1931, 2026
85.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	1889
86.	डॉ. ज्योति मिर्धा	1920
87.	श्री पी. करुणाकरन	1908, 1959, 2027
88.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1873, 1917, 2046, 2065
89.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	1963, 2041, 2042
90.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1899, 2038
91.	श्री चंद्रकांत खैरे	1959, 2011, 2018, 2050
92.	डॉ. कृपारानी किल्ली	1880
93.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1932, 2070
94.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	1897
95.	श्री मधु कोड़ा	1906, 1972
96.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2021
97.	श्री मिथिलेश कुमार	1888
98.	श्री पी. कुमार	1849, 1922, 2025, 2070
99.	श्री शैलेन्द्र कुमार	1905
100.	श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली	1939

1	2	3
101.	श्री यशवंत लागुरी	1987, 1999, 2029
102.	श्री पी. लिंगम	2067
103.	श्री एम. कृष्णास्वामी	2031
104.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2002
105.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1939, 1949
106.	श्री नरहरि महतो	1905, 1923, 1937, 2032
107.	श्री भर्तृहरि महताब	1915, 1924
108.	श्री प्रदीप माझी	1922, 1946
109.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	1850, 2027, 2028
110.	श्री मंगनी लाल मंडल	1952, 2070
111.	श्री जोस के. मणि	2012
112.	श्री हरि मांझी	1903
113.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	1917
114.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1846, 1959, 2035, 2061
115.	श्री भरत राम मेघवाल	1916, 1974
116.	डॉ. थोकचोम मैन्या	1984, 1990
117.	श्री महाबल मिश्रा	2008
118.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	1903, 1962, 2035
119.	श्री सोमेन मित्रा	1909
120.	श्री पी.सी. मोहन	1960
121.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1903, 1996
122.	श्री विलास मुत्तेमवार	1908, 1986

1	2	3
123.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1952, 1976, 1994, 2069
124.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2043
125.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	2028
126.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1921, 2041
127.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	1907
128.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	2016
129.	श्री संजय निरुपम	1930, 1972
130.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	2001
131.	श्री ओ.एस. मणियन	1860, 2025, 2057
132.	श्री शीश राम ओला	2006
133.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2063
134.	श्री पी.आर. नटराजन	1936
135.	श्री जगदम्बिका पाल	2009
136.	श्री वैजयंत पांडा	1979, 2036
137.	श्री प्रबोध पांडा	2020, 2041, 2069
138.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1918, 1959, 2066
139.	श्री देवजी एम. पटेल	1885, 2049
140.	श्री आर. के. सिंह पटेल	1969
141.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1852, 2052
142.	श्री बाल कुमार पटेल	2003, 2069
143.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1922, 1946
144.	श्री हरिन पाठक	1943
145.	श्री संजय दिना पाटील	1966, 2043

1	2	3
146.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1934
147.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2023, 2046
148.	श्री सी.आर. पाटिल	1895, 1921
149.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1911
150.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1918
151.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	1928
152.	श्रीमती कमला देवी पटले	1844, 2060
153.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1919, 2067
154.	श्री अमरनाथ प्रधान	1925
155.	श्री नित्यानंद प्रधान	2036
156.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	1962
157.	श्री प्रेमदास	1980
158.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1912, 2033
159.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	1855, 2025, 2048
160.	श्री एम. के. राघवन	1922
161.	श्री अब्दुल रहमान	1951, 1972, 2011
162.	श्री रमाशंकर राजभर	1887
163.	श्री सी. राजेन्द्रन	1950
164.	श्री एम.बी. राजेश	1901, 1959, 2044
165.	श्री पूर्णमासी राम	1907
166.	प्रो. राम शंकर	1995
167.	श्री रामकिशुन	1909
168.	श्री कादिर राणा	1856, 2033

1	2	3
169.	श्री निलेश नारायण राणे	1898, 1922
170.	श्री रायापति सांबासिवा राव	1977
171.	श्री रामसिंह राठवा	1852, 1943, 2005
172.	श्री अशोक कुमार रावत	1939, 1952, 1985
173.	श्री अर्जुन राय	1905, 1931
174.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1955, 1971, 2067
175.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1939, 2030, 2031, 2065
176.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	1933
177.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1892, 1908, 2029, 2069
178.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1905, 1923, 1937, 2032
179.	श्री एस. अलागिरी	1966
180.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1881, 1996, 2038
181.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2023, 2024, 2025, 2051
182.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1872
183.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1968
184.	श्रीमती सुशीला सरोज	2047
185.	श्री तूफानी सरोज	1953
186.	श्री तथागत सत्पथी	1877, 2047
187.	श्री हमदुल्लाह सईद	1884, 1903, 1955, 1992, 2021

1	2	3
188.	श्रीमती जे. शांता	1861, 1942, 2058, 2069
189.	श्री शरीफुद्दीन 'शारिक'	1984, 2019
190.	श्री जगदीश शर्मा	1954, 2038
191.	श्री नीरज शेखर	1972, 2040
192.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1975, 2025
193.	श्री राजू शेट्टी	1984, 2029
194.	श्री एंटो एंटोनी	1983
195.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	1882, 1932, 2041
196.	श्री जी. एम. सिद्देश्वर	1879
197.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2046
198.	श्री गणेश सिंह	1952
199.	श्री इज्यराज सिंह	1908, 1966, 2022
200.	श्री जगदानंद सिंह	1952, 2070
201.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	2038
202.	श्री मुरारी लाल सिंह	1854, 2053
203.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2049
204.	श्री राधा मोहन सिंह	1942, 2069
205.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1959, 1988
206.	श्री राकेश सिंह	1896
207.	श्री रवनीत सिंह	1857, 2055
208.	श्री उदय सिंह	1851, 1908, 2041
209.	श्री यशवीर सिंह	1959, 2040
210.	चौ. लाल सिंह	1982

1	2	3
211.	श्री रेवती रमण सिंह	2042
212.	श्री राधे मोहन सिंह	2019
213.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1914, 1931
214.	श्री विजय बहादुर सिंह	1947, 2027, 2037
215.	डॉ. संजय सिंह	1926
216.	श्री यशवंत सिन्हा	2007
217.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1939
218.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1910, 1929 1968
219.	श्री मकनसिंह सोलंकी	1883
220.	श्री के. सुधाकरण	1874
221.	श्री ई. जी. सुगावनम	1870, 2069
222.	श्री के. सुगुमार	1959, 2023
223.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1843, 1972, 2011, 2054
224.	डॉ. राजन सुशान्त	1961
225.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1871, 1996
226.	श्री मानिक टैगोर	1941
227.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1868, 2043
228.	श्री बिभू प्रसाद तराई	1882
229.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1915
230.	श्री मनीष तिवारी	2064
231.	श्री जगदीश ठाकोर	1869, 1972
232.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1917, 2046, 2065
233.	श्री आर. थामराई सेलवन	1845, 1908, 2032

1	2	3
234.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2024
235.	श्री पी.टी. थॉमस	1913, 2038
236.	श्री मनोहर तिरकी	1850, 2027, 2028
237.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2026
238.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	1853
239.	श्री लक्ष्मण टुडु	1948
240.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2047
241.	श्री हर्ष वर्धन	1931, 2044, 2069
242.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2029, 2048
243.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1849, 1922, 2025, 2070
244.	श्री सज्जन वर्मा	1964, 2070
245.	श्री पी. विश्वनाथन	1884, 1886, 1992
246.	डॉ. गिरिजा व्यास	1965
247.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1847
248.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	1991
249.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	1866, 2049
250.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1940, 1992, 2034, 2035
251.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1931, 2045, 2069
252.	श्री ओम प्रकाश यादव	1842
253.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1923, 2068
254.	श्री मधुसूदन यादव	1890, 1974
255.	श्री मधु गौड यास्खी	1918, 2066
256.	योगी आदित्यनाथ	1915, 2039

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	161
कार्पोरेट कार्य	:	162
पेयजल और स्वच्छता	:	172
पृथ्वी विज्ञान	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
विधि और न्याय	:	169
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	178
अल्पसंख्यक कार्य	:	179
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	165, 168, 174, 175
रेल	:	167, 171, 173, 176
ग्रामीण विकास	:	163, 164, 166, 170, 180
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	1853, 1863, 1872, 1880, 1892, 1903, 1905, 1918, 1926, 1927, 1933, 1934, 1939, 1963, 1965, 1988, 2001, 2039, 2047, 2067
कार्पोरेट कार्य	:	1910, 1983, 2018, 2030
पेयजल और स्वच्छता	:	1893, 1904, 1946, 1974, 1987
पृथ्वी विज्ञान	:	1950
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1849, 1914, 2007, 2009, 2023, 2031, 2059
विधि और न्याय	:	1846, 1848, 1851, 1889, 1890, 1921, 1922, 1944, 1956, 1968, 1979, 1990, 1995, 2010, 2013, 2016, 2041, 2064, 2066
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	1842, 1862, 1911, 1981, 1997, 2060
अल्पसंख्यक कार्य	:	1865, 1869, 1919, 1970, 1972, 2063

संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1857, 1860, 1861, 1867, 1870, 1871, 1874, 1877, 1882, 1886, 1888, 1891, 1894, 1928, 1931, 1932, 1935, 1953, 1959, 1960, 1971, 1977, 1978, 1980, 1999, 2005, 2008, 2011, 2012, 2015, 2024, 2026, 2040, 2044, 2045, 2049, 2050, 2057, 2058, 2065
रेल	:	1844, 1850, 1854, 1855, 1856, 1859, 1864, 1866, 1873, 1875, 1876, 1878, 1879, 1884, 1887, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1902, 1906, 1923, 1925, 1929, 1936, 1937, 1941, 1942, 1943, 1945, 1947, 1948, 1954, 1957, 1962, 1966, 1967, 1969, 1982, 1984, 1985, 1986, 1989, 1992, 1994, 2000, 2002, 2003, 2014, 2017, 2020, 2022, 2025, 2027, 2028, 2032, 2033, 2035, 2038, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2062
ग्रामीण विकास	:	1843, 1845, 1852, 1868, 1883, 1897, 1901, 1907, 1912, 1913, 1915, 1938, 1949, 1951, 1955, 1964, 1973, 1991, 1998, 2004, 2021, 2029, 2034, 2042, 2046, 2061, 2068
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1841, 1881
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1847, 1924, 1958, 2019, 2036, 2037, 2056, 2069
जल संसाधन	:	1858, 1885, 1908, 1909, 1916, 1917, 1920, 1930, 1940, 1952, 1961, 1975, 1976, 1993, 1996, 2006, 2043, 2048, 2070

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/17/9/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।